सत्यमेव जयते

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा अधिप्राप्ति नियम पुस्तिका – 2009
(राजस्व अधिप्राप्ति)

विषय-वस्तु

क्र0सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
अध्याय		
1.	अध्याय संख्या 1 : प्रस्तावना	1
2.	अध्याय संख्या 2 : अधिप्राप्ति - लक्ष्य और नीति	7
3.	अध्याय संख्या 3 : स्रोत तथा गुणवत्ता	15
4.	अध्याय संख्या 4 : निविदाकरण	20
5.	अध्याय संख्या 5 : अनुमोदन प्रक्रिया तथा अनुबंध का समापन	43
6.	अध्याय संख्या 6 : संविदा	49
7.	अध्याय संख्या 7 : संविदा की शर्तें	57
8.	अध्याय संख्या 8 : दर संविदा	71
9.	अध्याय संख्या 9 : विदेशों से माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति	77
10.	अध्याय संख्या 10 : संविदा की मानक शर्तें - विदेशी अधिप्राप्ति	91
11.	अध्याय संख्या 11 : विदेशी और स्वदेशी फर्मों के साथ मरम्मत कार्य की संविदा	99
12.	अध्याय संख्या 12 : बैंकिग इन्स्ट्रूमेंट (अधिकार पत्र)	104
13.	अध्याय संख्या 13 : दरों का मूल्यांकन और मूल्य उपयुक्तता	111
14.	अध्याय संख्या 14 : जहाजों/पनडुब्बियों/शिल्प/भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिसंपत्तियाँ/निजी पोत/ व्यापार की आंशिक/ पूर्ण पुनर्सज्जा/मरम्मत की ऑफलोडिंग	120
15.	अध्याय संख्या 15 : अनुबंध का डिज़ाइन, विकास और विरचना	127
परिशिष्ट		
16.	परिशिष्ट - क अधिग्रहण के लिए समय-सीमा	141
17.	परिशिष्ट - ख मामले के विवरण (एसओसी) के लिए प्रोफार्मा	142
	अनुबंध -क	146
	अनुबंध - ख	147

18.	**परिशिष्ट - ग** **प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) करने के लिए क्रेता के लिए सहायक अनुदेश**	148
	भाग -I	151
	भाग -II	154
	भाग -III	156
	भाग -IV	165
	भाग -V	190
19.	**परिशिष्ट - घ** **आपूर्ति आदेश तैयार करने के लिए क्रेता को सहायक अनुदेश**	194
	भाग -I	195
	भाग -II	197
	भाग -III	198
	भाग -IV	206
	भाग -V	229
20.	**परिशिष्ट - ङ** **करार तैयार करने के लिए क्रेता को छूट-निर्देश**	230
	भाग -I	231
	भाग -II	232
	भाग -III	233
	भाग -IV	240
	भाग -V	263
21.	**परिशिष्ट - च** **दर-अनुबंध के समक्ष आपूर्ति आदेश का मसौदा**	264
22.	**परिशिष्ट -छ** **प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर एफ पी)**	266
	संलग्नक - I	266
	संलग्नक - II	270
	संलग्नक - III	271
	संलग्नक - IV	272
	संलग्नक - V	273

	संलग्नक - VI	275
	संलग्नक - VII	--
	संलग्नक - VIII	--
23.	**परिशिष्ट - ज** **जहाजों/पनडुब्बियों/समुद्रीय और सेवा परिसंपत्तियों की आंशिक/पूर्ण पुनर्सज्जा/मरम्मत के लिए अनुबंध की मानक शर्तें**	276
24.	**परिशिष्ट - झ** **अनुबंध का डिजाइन, विकास और विरचना के लिए समझौते का मसौदा**	297
25.	**परिशिष्ट - ञ** **अनुबंध की विरचना**	301
26.	**परिशिष्ट - ट** **संस्वीकृति जारी करने के लिए प्रारुप**	304
डीपीएम के फार्म		
27.	डीपीएम फार्म - 1	305
28.	डीपीएम फार्म - 2	318
29.	डीपीएम फार्म - 3	325
30.	डीपीएम फार्म - 4	328
31.	डीपीएम फार्म - 5	330
32.	डीपीएम फार्म - 6	334
33.	डीपीएम फार्म - 7	338
34.	डीपीएम फार्म - 8	339
35.	डीपीएम फार्म - 9	341
36.	डीपीएम फार्म - 10	342
37.	डीपीएम फार्म - 11	349
38.	डीपीएम फार्म - 12	350
39.	डीपीएम फार्म - 13	352
40.	डीपीएम फार्म - 14	353
41.	डीपीएम फार्म - 15	355

42.	डीपीएम फार्म - 16	357
43.	डीपीएम फार्म - 17	359
44.	डीपीएम फार्म - 18	361
45.	डीपीएम फार्म - 19	363
46.	डीपीएम फार्म - 20	365
47.	डीपीएम फार्म - 21	367
48.	डीपीएम फार्म - 22	368
49.	डीपीएम फार्म - 23	369
50.	डीपीएम फार्म - 24	371
51.	डीपीएम फार्म - 25	372
52.	डीपीएम फार्म - 26	374
53.	डीपीएम फार्म - 27	376
54.	डीपीएम फार्म - 28	378
55.	डीपीएम फार्म - 29	379

सत्यमेव जयते

रक्षा मंत्री
भारत
MINISTER OF DEFENCE
INDIA

प्राक्कथन

रक्षा उपकरणों की अधिप्राप्ति और हमारी सैन्य बलों का आधुनिकीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसे रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2008 सहित विभिन्न नियम-पुस्तिकाएं एवं विनियमों और वर्तमान खण्ड, रक्षा अधिप्राप्ति नियम-पुस्तिका-2009 में दी गई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। दोनों को एक साथ लेते हुए, ये नियम-पुस्तिकाएं एक सिक्के के दो पहलू हैं - जबकि प्रथम नई पूंजीगत उपकरणों की अधिप्राप्ति से संबंधित है, डीपीएम प्रक्रियाओं के विस्तृत सार-संग्रह दिए गए हैं जिसमें राजस्व अधिप्राप्ति के साथ-साथ हमारे सैन्य बलों की प्रचालनात्मक कार्रवाई को बनाए रखने के लिए सभी अन्य सामानों, सेवाओं और समर्थित कार्यकलापों के उपबंधों को रखा गया है।

जबकि डीपीएम का पिछला अद्यतन सन् 2006 में किया गया था, बहुत-सी नीतियों एवं प्रक्रियाओं में परिवर्तन किया गया था। वर्तमान खण्ड इनको प्रदर्शित करने का प्रयास करता है जबकि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को गति प्रदान करता हुआ, उसी समय पर, यह संभावनाओं के उच्चतम मानक एवं वित्तीय विवेक को सुनिश्चित करता है। अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रत्यावर्तित शक्तियों का प्रयोग करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करता है तथा जहाजों की मरम्मत पर एक नया अध्याय भी जोड़ा गया है जिसे पहले शामिल नहीं किया गया था।

हमारी रक्षा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण अनुपात आयात का रहा है। स्वदेशीकरण को बढ़ाने की दिशा में ऑफसेट-नीति के रूप में एक तंत्र हमारी अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में लागू किया गया है जिसमें बड़ी परियोजनाओं में अभिग्रस्त विदेशी विक्रेता हमारी फर्मों और संयुक्त उद्यमों में शीघ्रता से निवेश को बढ़ाये। इस उद्देश्य को नया पीपीएम पूरा करता है और अभी तक आयात किए जा रहे उपकरणों और सेवाओं को घरेलू फर्मों का विकास करते हुए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर ऑफसेट नीति को लागू करता है।

नए डीपीएम में अब अपनाए गए विचारणीय लचीलेपन को देखते हुए, हमारी आशा है कि यह राजस्व अधिप्राप्ति प्रस्तावों पर अधिक शीघ्रता से निर्णय लेने में सक्षम कर सकेगा।

(ए0के0 अंटनी)

नई दिल्ली
17 फरवरी, 2010

Office : 104, South Block, New Delhi - 110011, Ph. : 23012286, 23019030 Fax : 23015403
Resi. : 9, Krishna Menon Marg, New Delhi - 110011, Ph. : 23013611. Fax : 23013612

अध्याय - 1

प्रस्तावना

1.1 लघु शीर्ष एवं प्रारंभ

1.1.1 इस नियम-पुस्तिका को रक्षा अधिप्राप्ति नियम-पुस्तिका-2009 भी कहा जाएगा । (संक्षेप में डीपीएम-2009)।

1.1.2 इस नियम-पुस्तिका के अंतर्गत सामान्य वित्तीय नियम, 2005 के नियम 135 में विनिर्दिष्ट रक्षा सेवाओं, संगठनों तथा स्थापनाओं के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद से संबंधित सिद्धांत तथा प्रक्रिया दी गई है तथा यह 1 जून, 2009 से लागू होगा ।

1.1.3 अधिप्राप्ति के सभी चालू मामले, जिनके प्रस्ताव के लिए अनुरोध पहले से ही लागू है, रक्षा अधिप्राप्ति नियम-पुस्तिका, 2006 के उपबंधों द्वारा विनियमित रहेगा ।

1.2 प्रयोज्यता

1.2.1 इस नियम-पुस्तिका में सम्मिलित सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं को रक्षा मंत्रालय तथा रक्षा सेवाओं की सभी विंग तथा साथ ही सभी संगठनों और इकाइयों/प्रतिष्ठानों द्वारा सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद के लिए रक्षा सेवा अनुमानों के राजस्व शीर्ष से पूरा किया जाता है या अन्य प्रकार की खरीद के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं, लागू होगा ।

1.2.2 इस नियम-पुस्तिका में निर्दिष्ट प्रक्रियाएं निम्नलिखित पर भी लागू होंगी:-

(क) राजस्व शीर्षो के अधीन अधिप्राप्ति के लिए तट रक्षक संगठन तथा जम्मू एवं कश्मीर लाइट इंफैंट्री (जेकेएलआई), जिनके लिए रक्षा मंत्रालय (सिविल) की मांग अनुदान मांगो में बजटीय आबंटन किया जाता है ।

(ख) निश्चित कुछ पूंजी मदों की अधिप्राप्ति, जैसाकि समय-समय पर रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है ।

(ग) राजस्व तथा पूंजी शीर्षों दोनों के अधीन चिकित्सा उपकरणों की अधिप्राप्ति, तथा

(घ) अन्य मंत्रालय/विभाग जैसे कि गृह मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इत्यादि द्वारा उनके द्वारा दी गई अनुदानों से रक्षा सेवाओं द्वाराकी गई खरीद ।

1.2.3 इस नियम-पुस्तिका में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं को रक्षा मंत्रालय, सेवा मुख्यालय के प्राधिकारियों तथा कमान मुख्यालय कमें सभी अधीनस्थ प्राधिकारियों, निम्न विरचनाओं, स्थापनाएं तथा इकाई, के सभी स्तरों पर प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत केंद्रीय अधिप्राप्ति तथा स्थानीय खरीद द्वारा अनुसरित किया जाएगा ।

1.3 <u>कार्यक्षेत्र</u>

1.3.1 अधिप्राप्ति शब्द से तात्पर्य सभी प्रकार के उपस्कर, भंडार, हिस्से-पुर्जे, माल एवं सेवाएं, जिसमें सामान बांधना, खोलना, परिरक्षण, परिवहन, बीमा सुपुर्दगी, विशेष सेवाएं, पट्टे पर देना, तकनीकी सहायता, परामर्श, पद्धति अध्ययन, साफ्टवयेर, साहित्य, अनुरक्षण, आधुनिकीकरण, सफाई व्यवस्था आदि शामिल हैं, आदि को प्राप्त करना है ।

1.4 <u>परिभाषाएं</u>

1.4.1 जब तक संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता नहीं होती, इस नियम-पुस्तिका में प्रयुक्त शब्दावली का अर्थ निम्न रुप में होगा:-

1.4.2 **मुहरबंद विवरण धारक प्राधिकारी(ए एच एस पी) -** ए एच एस पी वह प्राधिकारी है जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप रक्षा इकाइयों के मुहरबंद विवरणों को इकट्ठा करने, सम्मिलित करने, विकसित करने, संशोधित करने, उन्नयन करने, संभालने तथा उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होता है । ए एच एस पी सेवा संबंधी विशेष मदों के लिए गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय या सेवा मुख्यालय में एक प्राधिकारी हो सकता है । नौसेना तथा वायुसेना के संसाधनों का समान उत्तरदायित्व क्रमानुसार सेवा मुख्यालयों को होता है । आयुध निर्माण "बी" प्रकार के वाहनों तथा रक्षा के अतिरिक्त मांगकर्त्ताओं को जारी की गई मदों के लिए मुहरबंद विवरण धारक प्राधिकारी होते हैं । डी जी क्यू ए सभी सेवाओं तथा तट रक्षक के लिए विमानन भंडारों के लिए मुहरबंद विवरण धारक प्राधिकारी होते हैं । अधिप्राप्ति अधिकारी आपूर्तिकर्त्ता और निरीक्षण एजेंसी उक्त प्राधिकारी द्वारा तैयार किए गए विनिर्देशों का अनुपालन करेंगे ।

1.4.3 **सक्षम वित्तीय प्राधिकारी** - सक्षम वित्तीय प्राकिारी एक ऐसा प्राधिकारी है जिसे लोक लेखा में से व्यय की राशिं तथा निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा एक विनिर्दिष्ट सीमा में व्यय स्वीकृत करने की शक्तियां प्रदान की जाती हैं । सभी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग उपयुक्त सक्षम वित्तीय प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए । जहां वित्तीय शक्तियां समान क्रम/शीर्षों के अंतर्गत एक से अधिक प्राधिकारी को सौंपी गई हैं, उच्च वित्तीय शक्तियों से संपन्न प्राधिकारी "अगला उच्च सक्षम वित्तीय अधिकारी" होगा ।

1.4.4 **संविदा** - कोई प्रस्ताव जब स्वीकृत हो जाता है तो वह करार बन जाता है । एक दूसरे की सहमति से करार अनुबंध का रुप ले लेते हैं तथा एक अनुबंध यदि संविदा के लिए सक्षम पक्षों की मुक्त सहमति से विधिपूर्वक सोच-विचार तथा विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया जाता है तो वह संविदा कहलाता है ।

1.4.5 **सापेक्ष मांग अधिकारी** - सेवाओं/विभागों/स्थापनों/इकाइयों/अस्पतालों में वह प्राधिकारी, जो दर संविदा धारित फर्म/आपूर्तिकर्त्ताओं जिसके साथ दर संविदा विशेष मदों/वस्तुओं के लिए केंद्रीय खरीद संगठनों द्वारा संपन्न की गई है, को सीधे खरीद आदेश देने के लिए प्राधिकृत होता है ।

1.4.6 **वित्तीय शक्ति** - वित्तीय शक्तियाँ वे होती हैं जो निर्दिष्ट प्रक्रिया तथा निधि की उपलब्धता के विषय के अनुसार वास्तविक उद्देश्यों के लिए व्यय को अनुमोदित करती हैं । रक्षा मंत्रालय द्वारा सेवा मुख्यालय तथा उसके अधीनस्थ सभी संगठनों/प्रतिष्ठानों तथा साथ ही रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ अन्य संगठनों के प्राधिकारियों द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियाँ निजी होती हैं तथा प्रत्यायोजी द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी के साथ आगे उपसंधि नहीं की जा सकती । तथापि, सक्षम वित्तीय प्राधिकारी वित्तीय दस्तावेज अपने स्टाफ के अधिकारियों को इस शर्त पर अधिकृत करता है कि ऐसे दस्तावेज के सही होने का उत्तरदायित्व सक्षम वित्तीय प्राधिकारी का ही होगा । कोई भी सक्षम वित्तीय प्राधिकारी वित्तीय शक्तियों से अधिक राशि के व्यय को स्वीकृत नहीं करता ।

1.4.7 **जीएसक्यूआर/जेएसक्यूआर/एनएसकयूआर/एएफएसक्यूआर**- सामान्य स्टाफ गुणात्मक आवश्यकताएं जो कि खरीदे गए भंडारों की कार्यात्मक विशेषताओं के अनुसार प्रयोक्ता की अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित करते हुए, सेवा (सैन्य) द्वारा अपेक्षित उपकरणों/मदों के तकनीकी मानदंड तय करती हैं । सैन्य श्रेणी, शेल्फ मदों को विषम करने या व्यवसायिक रुप से समाप्त करने की आवश्यकताओं को इंगित करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है । एनएसक्यूआर तथा एएफएसक्यूआर क्रमश: नौसेना तथ वायु सेना गुणात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होता है, जो इन सेवाओं के लिए उपकरण विनिर्दिष्ट होते हैं । जेएसक्यूआर संयुक्त सेवा गुणात्मक आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करनेवाली विशेषताओं से, उन स्थितियों में संदर्भित होता है जहां उपकरणों में समानता होती है तथा तीनों सेवाओं के बीच गुणात्मक आवश्यकताओं का मानकीकरण गुणात्मक होता है ।

1.4.8 **मांग पत्र** - मांग पत्र एक मांग है जो किसी मद को प्रत करने हेतु प्रबंध अधिकारी द्वारा अधिप्राप्ति एजेंसी के समक्ष रखी जाती है । अधिप्राप्ति संबंधी कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए मांग पत्र एक प्राधिकार है जिसमें एक या एक से अधिक मदें भिन्न मद श्रेणी/भाग संख्या के साथ ही होती है । मांग पत्र में मद की मात्रा, नाम, अनुमानित मूल्य, विशिष्टता, आपूर्ति का कार्य क्षेत्र, अपेक्षित तारीख तथा निरीक्षण प्राधिकारी संबंधी सभी आवश्यक विवरण दिए जाने चाहिए ताकि मद की अधिप्राप्ति हेतु तुरंत कार्रवाई की जा सके।

1.4.9 **मांग पत्र देने वाली एजेंसी** - मांग पत्र देने वाली एजेंसी एक तार्किक इकाई है जो कि आवर्ती समीक्षा अथवा अविलंबनीय अपेक्षित आवश्यकताओं पर आधारित भंडारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अधिप्राप्ति एजेंसी पर मांग पत्र के रुप में भंडारों की अपेक्षाओं को पूरा करती है। सामान्यत: मांग पत्र देने वाली एजेंसी भंडार धारित एजेंसी होती है तथा मांगकर्त्ता, वह व्यक्ति होता है जो मांग पत्र देने वाली एजेंसी की ओर से मांग पत्रों में वृद्धि करने के लिए प्राधिकृत होता है ।

1.4.10 **निरीक्षण प्राधिकारी** - सामान्यत: (ए एच एस पी) को निरीक्षण प्राधिकारी के रुप में पदनामित किया जाता है । यह रक्षा से संबंधित मदों के लिए गुणता आश्वासन महानिदेशालय, सेवा मुख्यालयों में मदों की विशेष श्रेणी के लिए धारक प्राधिकारी तथा उनके द्वारा अधिप्राप्ति की सामान्य मदों के लिए पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय में सहायक महानिदेशक (गुणवत्ता आश्वासन) हो सकते हैं ।

1.4.11 **निरीक्षण एजेंसी -** निरीक्ंण प्राधिकारी मदों के प्रकार और क्रेता तथा आपूर्तिकर्त्ता की भौगोलिक स्थिति के आधार पर निरीक्षण एजेंसी और निरीक्षण अधिकारी नामित करता है । यह आवश्यक नहीं है कि निरीक्षण अधिकारी, निरीक्ंण प्राधिकारी के संगठन का ही हो ।

1.4.12 **एकीकृत वित्त** - चूंकि रक्षा मंत्रालय का वित्तीय प्रभाग, मंत्रालय में सी एफ ए के लिए एकीकृत वित्त के रुप में कार्य करता है, एकीकृत वित्तीय सलाहकारों (आई एफ ए) के तौर पर पदाधीन अधिकारी, सेवा मुख्यालयों, आई एस ओ, कमान मुख्यालयों, अधीनस्थ प्रतिष्ठानों, तथा इसके अंतर्गत इकाईयों में सी एफ ए के लिए एकीकृत वित्त का गठन करना है । इस नियम-पुस्तिका में प्रयुक्त शब्द 'आई एफ ए' में वित्तीय प्रयोग तथा विपरीत क्रम में सम्मिलित है ।

1.4.13 **शब्दावली में नहीं (एन आई वी)** - जो वस्तुएं भंडारों की शब्दावली में नहीं है, अर्थात् वस्तुएं जिन्हें औपचारिक रुप से प्रस्तावित नहीं किया जाता तथा संबंधित सेवा/संगठन, जो भी लागू हो की वस्तु सूची की केंद्रीय अनुमोदित सूची में भिन्न कैट पार्ट संख्या दी जाती है ।

1.4.14 **वास्तविक उपकरण निर्माता (ओ ई एम)** - वास्तविक उपकरण निर्माता, जो किसी विशिष्ट निर्माण की विशिष्ट वस्तु/उपकरण का निर्माण करने वाली एकमात्र फर्म होती है, तथा इस प्रकार की वस्तुओं/उपकरणों के थोक व्यापारी/वितरक अथवा विक्रेता से भिन्न होते हैं तथं उस उपकरण के लिए कोई अन्य निर्माता उपस्थित नहीं होता ।

भुगतान प्राधिकारी - इस नियम-पुस्तिका के अंतर्गत की गई अधिप्राप्ति के संबंध में, भुगतान प्राधिकारी निम्नलिखित प्राधिकारी में से कोई भी हो सकता है:-

(क) रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक के अंतर्गत रक्षा लेखा के रक्षा प्रधान लेखा/रक्षा लेखा नियंत्रक का कार्यालय !

(ख) रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक का उप-कार्यालय ।

(ग) नकद आवंटन/अग्रिम को नियंत्रित करने तथा अधिप्राप्ति के लिए भुगतान करने हेतु विधिवत् प्राधिकृत प्राधिकारी ।

1.4.16 **अधिप्राप्ति** - अधिप्राप्ति संपूर्ण स्वर, जिसमें गतिविधियां सम्मिलित होती हैं तथा इस नियम-पुस्तिका के पैरा 1.3.1 में परिभाषित वस्तुओं और सेवाओं के अर्जन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित होती है ।

1.4.17 **अधिप्राप्ति एजेंसी** - अधिप्राप्ति तथा अधिप्राप्ति एजेंसी एक संभर एजेंसी होती है जो कि मांगकर्त्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया के अनुसार वास्तविक अधिप्राप्ति के लिए उत्तरदायी होती हैं ।

1.4.18 **क्रेता** - भारत के राष्ट्रपति जो क्रय/विक्रय आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी के रुप में कार्य करते हैं अथवा अनुबंध/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं, अधिप्राप्ति की सभी स्थितियों में भारत सरकार की ओर से क्रेता होते हैं । जहां संदर्भ में उचित कारण हो, अन्य शब्दों जैसे "खरीददार" का प्रयोग इस नियम-पुस्तिका में किया गया है ।

1.4.19 **दर-संविदा** - दर संविदा क्रेता और आपूतिकर्त्ता के बीच एक ऐसा अनुबंध है जिसके तहत निर्धारित संविदा की अवधि के अनुसार मूल्यों पर भंडारों की आपूर्ति की जा सके । यह दर संविदा आपूर्तिकर्त्ता की ओर से एक स्थाई प्रकृति का प्रस्ताव होती है तथा किसी कम आहरण आवश्यकता की कोई गारंटी नहीं होती । संविदा तभी होती है जब सक्षम वित्तीय प्राधिकारी या प्रत्यक्ष मांग अधिकारी (डी डी ओ) द्वारा विक्रेता को औपचारिक आदेश दिया जाता है ।

1.4.20 **भंडार -** 'भंडार' शब्द के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जो इस नियम-पुस्तिका के पैरा 1.3.1 में निर्दिष्ट की गई हैं ।

1.4.21 **आपूर्तिकर्त्ता** - आपूर्तिकर्त्ता एक ऐसा पक्ष होता है जो माल और सेवाओं की आपूर्ति की संविदा के अधीन करता है । इस शब्द में उसके कर्मचारी, एजेंट, उत्तराधिकारी, प्राधिकृत व्यापारी, थोक व्यापारी और वितरण शामिल हैं । जहां संदर्भ में आवश्यक हो, अन्य शब्द जैसे, 'विक्रेता' अथवा 'बेचने वाला' भी इस नियम-पुस्तिका में प्रयुक्त किए गए हैं ।

1.4.22 **नियम-पुस्तिका में परिभाषित नहीं की गई शर्तें और अभिव्यक्तियां** - जो शर्त तथा अभिव्यक्तियां परिभाषित नहीं की गई हैं उनका अर्थ, यदि कोई हो, समय-समय पर संशोधित भारतीय विक्रय अधिनियम 1930, भारतीय संविदा अधिनियम 1867 सामान्य शर्त अधिनियम 1867 अथवा अन्य भारतीय प्रतिभाओं अथवा सरकारी संस्थाओं में निर्दिष्ट होते हैं ।

1.5 विभागीय नियम-पुस्तिका तथा निर्देश

1.5.1 **अन्य सरकारी आदेशों, इत्यादि सहित नियम-पुस्तिका की समरुपता** - सरकार तथा केंद्रीय सतर्कता समिति द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों के समान, इन नियम-पुस्तिका में दिए गए प्रावधान, अन्य सरकारी नियम-पुस्तिका जैसे सामान्य वित्तीय नियम, वित्तीय अधिनियम (रक्षा सेवा अधिनियम) के समरुप हैं । इस नियम-पुस्तिका तथा अन्य नियम-पुस्तिकाों के प्रावधानों के बीच यदि अंतर का कोई भी उदाहरण दिखाई देता है तो वह मामला तात्कालिक रुप से स्पष्टीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय को दिया जाना चाहिए । तथापि, ऐसे मामलों में, यदि आवश्यक क्रियात्मक रुप से अत्यावश्यक है अथवा देरी के कारण कोई विपरीत प्रभाव पड़ सकता है तो, चालू अधिप्राप्ति को, इस मामले के अविलंबित अधिनियम को रोकने की आवश्यकता नहीं है ।

1.5.2 **आंतरिक आदेशों तथा निर्देशों की वैधता** - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंतरिक आदेश तथा निर्देश, जिसमें स्तरीय संचालक प्रक्रिया (एस ओ पी) तथा इस नियम-पुस्तिका के प्रावधानों द्वारा परिवर्तित किए जाने के कारण सेवाएं धूमिल हो सकती हैं, जिस सीमा तक पूर्ववर्ती इस नियम-पुस्तिका के समरुप नहीं हो सकसता । मंत्रालय के विभिन्न विंगों तथा सेवाओं द्वारा अनुसरित क्रय प्रक्रियाओं के बीच एकरुपता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है । मंत्रालय के संबंधित भाग तथा सेवाएं क्रमानुसार आंतरिक निर्देशों तथा आदेशों को परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं ।

1.5.3 **ओ एफ बी तथा डी आर डी ओ के नियम-पुस्तिका की प्रयोज्यता** - तोपखाने द्वारा किए गए क्रय को सामग्री प्रबंधन तथा अधिप्राप्ति नियम-पुस्तिका, 2005 के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया गया है । डी आर डी ओ भी क्रय नियम-पुस्तिका, 2006 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करता है । आवश्यकता होने

पर, आयुध निर्माणियां बोर्ड तथा डी आर डी ओ उपर्युक्त नियम-पुस्तिका की समीक्षा के लिए तात्कालिक कदम तथा आवश्यक संशोधन करेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रावधान इस नियम-पुस्तिका में दिए गए प्रावधानों के समरुप हैं ।

1.5.4 **भविष्य में जारी किए जाने वाले निर्देशों/आदेशों की प्रयोज्यता** - इस नियम-पुस्तिका के प्रावधान सामान्य अथवा विशेष निर्देशों/आदेशों/संशोधनों के अधीन रहेंगे जिन्हें सरकार समय-समय पर जारी करती है ।

1.6 शंकाओं तथा संशोधनों का निवारण

1.6.1 **शंका तथा संशोधन** - जहां इस नियम-पुस्तिका तथा अन्य सरकारी नियम-पुस्तिकाों के प्रावधानों के बीच में भेद का कोई दृष्टांत दिखाई देता है अथवा इस नियम-पुस्तिका के अन्य प्रावधानों की व्याख्या के संदर्भ में कोई शंका उत्पन्न होती है तो, यह मामला उचित माध्यम से रक्षा मंत्रालय के वित्तीय प्रभाग में पदस्थ अधिकारी/अनुभाग को सौंपा जाना चाहिए । अग्रिम निर्देशों को विचाराधीन रखते हुए, इस उद्देश्य के लिए संयुक्त सचिव तथा अपर वित्तीय सलाहकार (ए)पदस्थ अधिकारी   होंगे । यदि आवश्यकता हो, तो इस प्रकार के निर्देश, सचिव (रक्षा वित्त)/वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) के अधीन स्थापित एक सशक्त समिति के समक्ष रखे जाने चाहिए । समिति का अध्यक्ष उप समिति का गठन कर सकता है । यदि सुधार/संशोधन के लिए कोई सुझाव हो तो, उसे भी संयुक्त सचिव तथा अपर वित्तीय सलाहकार (ए) को भेजा जा सकता है ।

1.7 प्रक्रिया से विचलन

1.7.1 **पालन करने हेतु निर्देश -** चूंकि इस नियम-पुस्तिका के प्रावधानों में पर्याप्त लोचता है, अत: प्रक्रिया से विचलन का सामान्यत: कोई अवसर नहीं होना चाहिए । तथापि,यदि ऐसी आवश्यकता सामने आती है, तो इस मामले को संयुक्त सचिव तथा अपर वित्तीय सलाहकार से संबंधित प्रधान स्टाफ अधिकारी को, सचिव (रक्षा वित्त)/वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) तथा रक्षा सचिव के अनुमोदन में जारी किया जाना चाहिए । किसी मामले की योग्यता के आधार पर, मामले को रक्षा मंत्री (आर एम) के अनुमोदन के लिए भी प्रस्तावित किया जा सकता है । यदि आवश्यक समझा जाए तो, पैरा 1.6.1 के अनुसार मामले को सचिव (रक्षा वित्त)/वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) के समक्ष रखने से पहले एकरुपता के लिए पदस्थ अधिकारी से परामर्श किया जा सकता है । किसी भी मामले में, सचिव (रक्षा वित्त)/वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) तथा रक्षा सचिव/आर एम के अनुमोदन के पश्चात् इस प्रकार के सभी विचलनों के संक्षिप्त विवरणों के विषय में उक्त अधिकारी से संपर्क किया जाना चाहिए ।

* * * * *

अध्याय - 2

अधिप्राप्ति - लक्ष्य और नीति

2.1 अधिप्राप्ति

2.1.1 **सरकारी अधिप्राप्ति का मौलिक सिद्धांत** - प्रत्येक अधिकारी को जनहित में माल खरीदने के लिए वित्तीय अधिकार दिए गए हैं और उस पर सरकारी खरीद की जिम्मेंदारी होगी तथा क्षमता, मितव्ययिता और सप्लायरों के समान व्यवहार, संबंधित मामले में पारदर्शिता हो तथा सरकारी खरीद में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन किया जाएगा ।

2.1.2 **प्रक्रिया औचित्य -** सरकारी खरीद में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित मानदंडों के अनुरुप हो:-

(क) गुणवत्ता और प्रकार के रुप में तथ खरीद की जाने वाली वस्तु का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ताकि खरीद करने वाली एजेंसी की जरुरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए । इस प्रकार आंकी गई विशिष्ट संगठन की जरुरतों को अवश्य पूरा करें जिसमें गैर जरुरी फालतू चीजें न हों, जिसमें अनावश्यक व्यय हो । इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खरीदी जाने वाली सामग्री जरुरत से अधिक न हो ताकि लागत में अनावश्यक बोझ न पड़े ।

(ख) स्पष्ट, पारदर्शी और युक्तिसंगत प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव आमंत्रित किया जाए ।

(ग) अधिप्राप्ति प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि चुनिंदा प्रस्ताव सभी अपेक्षाओं को पूरा करे ।

(घ) अधिप्राप्ति प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि चुनिंदा प्रस्ताव युक्तिसंगत और गुणवत्ता अपेक्षाओं के अनुरुप हो ।

(ङ) प्रत्येक स्तर पर संबंधित अधिप्राप्ति प्राधिकारी द्वारा खरीद का रिकार्ड अवश्य रखा जाए । संक्षिप्त रुप में खरीद संबंधी निर्णय लेने में तथ्यात्मक स्थिति हो ।

2.1.3 **खरीद के चैनल -** आम तौर पर सामानों की खरीद निम्नलिखित किसी एक प्रक्रिया के अनुसार हो:-

(क) आयुध निर्माणियों में भंडारों के निर्माण के लिए महानिदेशक, आयुध को मांग भेजा जाना ।

(ख) मांग भेजने पर-
- (i) भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों को
- (ii) राज्य सरकारों को - फैक्टरियों/कार्यशालाओं/उनके अधीन अन्य खरीद एजेंसियों को सप्लाई के लिए ।

(ग) उद्योगों/निर्माणियो/सांविधिक निगमों पर मांग रखना - जो देश में वस्तुओं की विशिष्ट श्रेणी के उत्पादनों के लिए राज्य संगठन द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक रुप से वित्तपोषित हैं ।

(घ) सापेक्ष अथवा महानिदेशक, आपूर्ति तथा निपटान तथा टैक्सटाइल आयुक्त, मुम्बई द्वारा स्थानीय व्यापार पर मांग रखना ।

(ङ) वस्तुओं के संबंध में, स्थानीय क्रम जिनकी आपूर्ति सेवा/विभाग तथा तात्कालिक रुप से आवश्यक भंडारों के केन्द्रीय अधिप्राप्ति प्राधिकारी/संगठनों द्वारा नहीं की जाती; तथा

(च) रक्षा सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं/उपकरणों/पद्धतियों/ वायुयान इत्यादि के क्रय/मरम्मत/उत्पादन/गठन के लिए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर मांग रखना ।

2.2 <u>नीति निर्देश -</u>

2.2.1 **<u>अर्थव्यवस्था -</u>** भंडारों का क्रय सर्वाधिक मितव्ययी ढंग से तथा रक्षा सेवाओं की निश्चित आवश्यकताओं के संबंध में किया जाना चाहिए । भंडार कम मात्रा में नहीं खरीदे जाने चाहिए । आवधिक मांग पत्र एक वर्ष या अधिक की आवश्यकता हेतु तैयार किए जाने चाहिए, लघु जीवन के कारणों अथवा अन्य लेखांकित कारणों को छोड़कर, अपेक्षाकृत कम मात्रा में अधिप्राप्ति करना आवश्यक है । वास्तविक आवश्यकताओं के लिए अग्रिम रुप से भंडार क्रय करने में सावधानी रखनी चाहिए, यदि इस प्रकार के क्रय सरकार के लिए लाभदायक न सिद्ध हों तथा इस प्रकार स्टॉक में पूंजी रोध न्यूनतम किया जाना चाहिए ।

2.2.2 **<u>मापक्रम</u>** - जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपभोग का मापक्रम तथा भंडारों की सीमा नहीं रखी गई है, ई0 आपूर्ति का आदेश करने वाले अधिकारी को क्रय आदेश/मांग पर यह प्रमाणित करना चाहिए कि प्रस्तावित मापक्रय अथवा सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया गया ।

2.2.3 **<u>विभाजन -</u>** आदेशों की कुल राशि के संबंध में आवश्यक उच्च प्राधिकारी के अनुमोदन को प्राप्त करने की आवश्यकता को रोकने के लिए क्रय आदेश विभाजित नहीं किए जाने चाहिए।

2.2.4 **<u>खुली प्रतियोगिता की निविदा देना</u>** - जब भंडार अनुबंधकर्त्ताओं से खरीदे गए हों, तो खुली प्रतियोगिता की निविदा देने की प्रणाली सामान्यत: प्राथमिक रुप से होनी चाहिए, नियमों के अंतर्गत अन्यथा अनुमेंय के अतिरिक्त तथा क्रय निम्नतम निविदाकार से किया जाना चाहिए ।

2.3 <u>शक्तियों का विकेन्द्रीकरण तथा प्रत्यायोजन</u>

2.3.1 **<u>विकेंद्रीकरण</u>** - तीनों सेवाओं में नई प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के साथ, सरकार ने क्षमता में वृद्धि तथा निर्णयन में बढ़ोत्तरी करने के लिए निर्णयन प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण कर दिया है । अधिप्राप्ति कार्य प्रणाली का भी विकेंद्रीकरण कर दिया गया है तथा अधिकतर रक्षा संगठन केंद्रीय अधिप्राप्ति तथा स्थानीय खरीद के बड़े हिस्से को स्वयं ही हाथ में लेते हैं जबकि डी जी एस तथा डी सामान्य उपयोगी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए पूंजी अनुबंध चुकाना जारी रखते हैं, सेवा विशेष वस्तुएं संबंधित सेवाओं की अधिप्राप्ति एजेंसियों द्वारा अधिप्राप्त होती हैं । यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि सभी अधिप्राप्ति अधिकारी पूर्व निर्धारित प्रक्रियाओं का पूरी बारीकी से अनुसरण करें ।

2.3.2 **शक्तियों का प्रत्यायोजन** - वास्तविक चालकों द्वारा संसाधनों के प्रभावशाली प्रयोग के लिए विकेन्द्रीकरण शक्तियों के उद्देश्य के साथ इकाई कमांडरों के लिए रक्षा संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं । शक्तियां पूर्ण निर्धारित प्रक्रियाओं, वित्तीय औचित्य तथा निर्देशों के ढांचे में प्रयुक्त की जानी चाहिए । इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियां उत्तरदायित्व भी निभाती हैं तथा सी एफ ए को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय उपयुक्तता तथा ईमानदारी सभी मामलों में रखी जाए ।

2.4 अधिप्राप्ति के प्रकार

2.4.1 **पूंजीगत अधिप्राप्ति** - सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 90 के अनुसार, स्थाई प्रकृति के स्पर्शनीय संपदा के प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए महत्वपूर्ण व्यय (संगठन में प्रयोग के लिए और न कि व्यवसाय के साधारण प्रकृति के बिक्री के लिए) अथवा वर्तमान संपदा की उपयोगिता के विस्तार को बृहत्त रुप से पूंजीगत व्यय के रुप में परिभाषित किया जाएगा । इसके अलावा, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 91 (क) के अनुसार, प्रथम निर्माण और परियोजना के उपस्कर के सभी प्रभारों के साथ-साथ निर्माण कार्यों के मध्यम रख-रखाव के लिए प्रभारों को जबकि वह सेवा के लिए अभी उपलब्ध नहीं है, को पूंजीगत के अंतर्गत रखा जाएगा । इसके अंतर्गत ऐसे और प्रसार और सुधारों के प्रभारों को भी रखा जाएगा जो कि संपदा के उपयोगी जीवन को बढ़ाता है । अत: पूंजीगत अधिप्राप्ति में उन सभी वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति को शामिल किया जाएगा जो पूंजीगत व्यय के विवरण में सटीक बैठती है । पूंजीगत अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया, 2008 में अलग से दिया है।

2.4.2 **राजस्व अधिप्राप्ति** - सामान्य वित्तीय नियम-2005 के नियम 91 के अनुसार अनुरक्षण संबंधी सभी अनुवर्ती प्रभार तथा सभी चालू खर्चे जिसमें परियोजना की कार्य प्रणाली तथा अनुरक्षण पर होने वाले सभी व्यय और साथ ही ऐसे नवीकरण प्रतिस्थापन तथा ऐसे संकलन, सुधार या विस्तार शामिल है, को सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अंतर्गत राजस्व खाते के नामें डाला जाएगा । इसलिए राजस्व अधिप्राप्ति प्रतिस्थापन उपस्कर सतन्वायोजन/उप सतन्वायोजन तथा घटकों सहित इन मदों और उपस्करों के लिए है जो सेवा में पहले से स्वीकृत परिसंपत्तियों के अनुरक्षण और परिचालन के लिए है, जिसकी आवश्यकता को सरकार ने स्थापित और स्वीकार किया है । रक्षा अभिप्राप्तियों के संदर्भ में, राजस्व अधिप्राप्ति में क्या-क्या आएगा, को इस नियम-पुस्तिकाप के अध्याय-1 में परिभाषित किया गया है ।

2.4.3 **अधिप्राप्ति के लिए वित्तीय शक्तियां** - राजस्व अधिप्राप्ति के लिए, सरकार ने प्रत्येक सेवा/विभाग में अधिकारियों की संख्या को राजस्व प्रमुखों के अधीन वित्तीय शक्तियों को प्रत्यायोजित किया है । सेवा मुख्यालयों तथा आई एस ओ के प्रमुखों की प्रत्यायोजित शक्तियों से अलग वित्तीय निहितार्थ समेंत अधिप्राप्ति रक्षा मंत्रालय के अनुमोदन के साथ प्राप्त होती है ।

2.4.4 **स्वदेशी अधिप्राप्ति**- स्वेदेशी साधनों से हुई अधिप्राप्ति को स्वदेशी अधिप्राप्ति कहा जाता है । यह सरकारी की नीति है, विशेषकर रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भता प्राप्त करने के लिए स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जाए । अत: विनिर्देशनों के अच्छी गुणवत्ता वाली मदों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए स्वदेशी फर्मों को सहायता दी जानी चाहिए । किसी मद की अधिप्राप्ति में शामिल सभी कर, शुल्क तथा अन्य व्ययों के लिए उचित भरण संबंधी मानदंडों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है ताकि स्वदेशी निर्माताओं को समान स्तरीय क्षेत्र दिया जा सके । स्वदेशी अधिप्राप्ति के लिए भुगतान सामान्यत: रुपए में किया जाता है ।

2.4.5 **विदेशी अधिप्राप्ति (आयात)** - विदेशी मूल के रक्षा उपस्कर और परिसंपत्तियों के अनुरक्षण और परिचालन हेतु अपेक्षित मदें भी विदेशी आपूर्तिकत्ताओं से अधिप्राप्ति करनी आवश्यक है । ऐसी अधिप्राप्ति के लिए प्रक्रिया को इस नियम पुस्तिका के अध्याय-9 एवं 10 में दिया गया है ।

2.4.6 **केन्द्रीय खरीद** - केन्द्रीय खरीद (सीपी), वार्षिक प्रावधान, समीक्षा, पुनर्सज्जा, आयोजना, अप्रयोज्या आयोजना तथा नियोजित दैनिक कार्य जैसी नियोजित प्रक्रिया के परिणाम स्वरुप मांग पत्रों के आधार पर की जाती है । केंद्रीय अधिप्राप्ति मांग पत्र सामान्यत: प्रावधान की गई अवधि के लिए मद की संपूर्ण आवश्यकता को पूरा करता है ।

2.4.7 **स्थानीय खरीद** - स्थानीय खरीद (एलपी) निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार अलग-अलग प्राधिकारी की स्थानीय खरीद की शक्तियों के भीतर होती है:-

(क) इकाईयों/प्रतिष्ठानों की लघु अवधि, तदर्थ अथवा तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, जहां आपूर्तिकर्त्ता केंद्रीय प्रावधान करने वाली एजेंसी द्वारा उपलब्ध नहीं होते । इस प्रकार की खरीद से संबंधित सूचना तत्काल केंद्रीय प्रावधान करने वाली एजेंसी को भेजी जानी चाहिए ताकि परवर्ती स्थानीय खरीद के द्वारा खरीदी गई मात्राओं को प्राप्त कर सके ।

(ख) भंडारों के लिए इकाईयों/प्रतिष्ठानों की सामान्य आवश्यकताओं की प्राप्ति जो केंद्रीय खरीद संगठनों के कार्य क्षेत्र में नहीं आता ।

2.4.8 **आयुध फैक्ट्रियों तथा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अधिप्राप्ति -** आयुध फैक्ट्रियों तथा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से वस्तुओं/सेवाओं की खरीद के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए:-

(क) आवश्यकताओं की स्वीकृति के पश्चात् आयुध फैक्ट्रियों की श्रेणी में आने वाले उत्पादों के सभी भंडार, आर एफ पी जारी किए बिना मांग पत्र रखते हुए आयुध फैक्टरी बोर्ड (औ एफ बी) द्वारा खरीदे जाने चाहिए । आवश्यक खरीद के मामले में, ओ एफ बी उत्पाद श्रेणी में आने वाली वस्तुएं निविदा प्रक्रिया द्वारा उद्योग द्वारा खरीदी जा सकती हैं किंतु ओ एफ बी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात्/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सभी निवेदन सचिव, आर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड, 10-ए,एस0के0 बोस रोड, कोलकाता-700 001 (फैक्स सं0 033-22482927) के पते पर भेजे जाने चाहिए ।

(ख) वस्तुएं तथा सेवाएं निविदाकरण प्रक्रिया का पालन करते हुए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमो से खरीदी जा सकती हैं । रक्षा पी एस यू विशेषकर रक्षा सेवाओं, तकनीकी हस्तांतरण अथवा संरचना तथा विकास के लिए कोई विकसित/उत्पादित वस्तु सिर्फ रक्षा पी एस यू से खरीदी जानी चाहिए । रक्षा पी एस यू से किसी सेवा की उपलब्धता जैसे मरम्मत के लिए संपर्क किया जाता है, यदि इस प्रकार की सेवाओं की उपलब्धता की सुविधा विशेष कर रक्षा सेवाओं के लिए रक्षा पी एस यू द्वारा निर्धारित की जाती हैं ।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के अंतर्गत आने वाले मामले जिसमें मापित वस्तुओं को पुनरावलोकन के प्रावधान के सापेक्ष अधिप्राप्ति समेत एस टी ई/पी ए सी अधिप्राप्तियों के रुप में नहीं माने जाते ।

(घ) वैश्विक/खुली/सीमित निविदा के आधार पर नई वस्तुओं तथा सेवाओं की अधिप्राप्ति अथवा नए उपकरणों की प्रस्तावना के लिए, आर एफ पी, ओ एफ बी/संबंधित रक्षा पी एस यू को जारी की जानी चाहिए । इस प्रकार के मामलों में, निविदा शुल्क, ई एम डी तथा पी बी जी को ओ एफ बी/रक्षा पी एस यू से लिए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

2.4.9 **बिना संविदा के सामान की खरीद** - प्रत्येक अवसर पर 15,000/- रुपए (पंद्रह हजार रुपए) के मूल्य तक सामान की खरीद, निम्नलिखित प्रारुप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिलेख किए जाने वाली प्रमाण पत्र के आधार पर, बिना संविदा अथवा बोली के आमंत्रित की जा सकती है ।

"मैं----------------------------, व्यक्तिगत रुप से संतुष्ट हूँ कि खरीदे गए सामान अपेक्षित गुणवत्ता और विशेषता के अनुरुप है तथा इन्हें उपयुक्त मूल्य पर विश्वसनीय आपूर्तिकर्त्ता से खरीदा गया है ।"

2.4.10 **खरीद समिति द्वारा सामान की खरीद** - एक समय पर 15,000/- रुपए (पंद्रह हजार रुपए) से अधिक तथा 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) तक के मूल्य के सामान की खरीद समुचित रुप से गठित स्थानीय खरीद समिति की सिफारिश पर की जा सकती है जिसमें विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित समुचित स्तर के तीन सदस्य हो सकते हैं । समिति सामान की दर गुणवत्ता और विशेषताओं की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करेगी और उचित आपूर्तिकर्त्ता का निर्धारण करेगी । खरीद आदेश करने की सिफारिश करने से पहले समिति के सदस्य संयुक्त रुप से निम्नलिखित प्रमाण पत्र रिकार्ड करेंगे:-

"प्रमाणित किया जाता है कि हम, --------------- खरीद समिति के सदस्य संयुक्त रुप से और व्यक्तिगत रुप से संतुष्ट है कि खरीद के लिए अनुशंसित सामान अपेक्षित विशेषता और गुणवत्ता वाला है तथा विद्यमान बाजार दर पर मूल्यांकित किया गया है और अनुशंसित आपूर्तिकर्त्ता विश्वसनीय तथा मांगे गए सामान की आपूर्ति करने में सक्षम हैं ।

2.4.11 **स्थानीय क्रय समिति द्वारा दरों को प्राप्त करना** - सक्षम वित्तीय प्राधिकारी, बाजार के सर्वे के भाग के रुप में दरें प्राप्त करने के लिए बाजार का सर्वे करने के लिए जिम्मेंदार स्थानीय क्रय समिति से सीधे संपर्क कर सकता है । जहां कोई दिशा नहीं दी गई हो, यह निश्चय कर लेना क्रय समिति पर होगा कि बाजार सर्वे के प्रलेखन के भाग के रुप में दरों को प्राप्त करना है अथवा नहीं । तथापि, अन्य मामलों में, बाजार सर्वे का विवरण (अनुबंधित आपूतिकर्त्ता तथा उनके द्वारा उद्धृत लागत) स्थानीय क्रय समिति द्वारा लेखांकित किया जा सकता है ।

2.4.12 **दर संविदा के अंतर्गत वस्तुओं की प्रत्यक्ष रुप से खरीद** - वस्तुएं, जिनके लिए महानिदेशक आपूर्ति तथा निपटान (डी जी एस एंड डी) के पास राशि अनुबंध है, आपूतिकर्त्ताओं से सीधे खरीदा जा सकती है । इस प्रकार की अधिप्राप्तियों के अधिग्रहण के समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वस्तुओं के लिए चुकाई गई कीमत दर पर संविदा में अनुबंधित वस्तुओं की सीमा पार न करे तथा क्रेता द्वारा अन्य मुख्य शर्तों तथा अनुबंध भी श्रेणी में हैं । क्रेता को जाँच तथा जहां आवश्यक हो, ऐसी वस्तुओं की जांच के लिए अपने इंतजाम स्वयं करना चाहिए । दवाओं, उपभोग्य वस्तुओं, एफ ओ एल, स्वच्छता रसायन आदि के विषय में, डी जी क्यू ए/एन ए बी एल द्वारा जांच की जा सकती है, किंतु इस पर व्यय की गई लागत आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा उठायी जानी चाहिए । इस प्रकार के मामलों में, भुगतान उपस्थित इंतजामों के

अनुसार संबंधित प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक, उनके अधीनस्थ कार्यालय तथा अन्य देय प्राधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए । जहां भी वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नकद धारक प्राधिकृत होते हैं, भुगतान उनके द्वारा किया जा सकता है । राशि अनुबंध पर आपूर्ति आदेश देने हेतु संरचना परिशिष्ट 'च' में दी गई है ।

2.4.13 **इस नियम-पुस्तिका के प्रावधानों का लागू न होना** - इस नियम-पुस्तिका के प्रावधान, रक्षा सेवाओं में निर्दिष्ट निश्चित प्राधिकारियों की प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत की गई अधिप्राप्ति के मामले में लागू नहीं होते जो कि युद्ध पूर्व अवधि, शत्रुता, विशेष गतिवधियां, प्राकृतिक आपदाओं तथा विपत्ति के दौरान आई एफ ए की सहमति के बिना इनके द्वारा प्रयोग योग्य होते हैं । इस अनुच्छेद के प्रावधान सिर्फ सरकार द्वारा सूचित उपर्युक्त संभावनाओं के रुप में तथा इनकी स्थिति में आमंत्रित किए जाने चाहिए । तीन ेसेवाओं द्वारा समान रुप से अनुसरित तीव्र प्रक्रिया को रखने हेतु अलग से आदेश, रक्षा मंत्रालय द्वारा रखे जाते हैं ।

2.4.14 **नकद आधार पर अधिप्राप्ति** - नकद आधार पर अधिप्राप्ति एक प्रकार का स्थानीय क्रय है, जिसकी सहायता अत्याधिक आवश्यकता के मामले में अथवा जब आपूर्तिकर्त्ता उधार पर अपेक्षित वस्तुओं की आपूर्ति के लिए इच्छुक नहीं हेाता, तब ली जा सकती है । नकद आधार पर अधिप्राप्ति शक्तियां बहुत सीमित हेाती हैं क्योंकि इस प्रकार की अधिप्राप्ति सिर्फ विशेष परिस्थितियों में की जा सकती है जब नकद भुगतान इकाई के ----------द्वारा किया गया हो तथा भुगतान प्राधिकारी द्वारा समान से मांग की गई हो जो लेन-देन की लेखा परीक्षा के पश्चात् राशि को पुन: प्राप्त करता है ।

2.5 उत्पाद आरक्षण, खरीद/कीमत प्राथमिकता तथा अन्य सुविधाएं

2.5.1 **खादी ग्राम उद्योग समिति (के वी आई सी) आदि के लिए उत्पाद आरक्षण -** भारत सरकार ने, प्रशासनिक निर्देशों द्वारा खादी ग्राम उद्योग समिति से, प्रमुख क्रय के लिए हस्तशिल्प तथा हस्तकरधा वस्त्रों (खादी वस्तुओं) की सभी वस्तुओं के सभी अधिकार सुरक्षित कर दिए हैं । इसने के वी आई सी तथा/अथवा ए सी ए एस एच (हस्तशिल्प निगम तथा एपेक्स सोसाइटी संघ) की अधिसूचित हस्तशिल्प इकाईयों से विशेष क्रय के लिए केंद्र सरकार विभागों द्वारा अपेक्षित हस्तशिल्प टैक्सटाइल की सभी वस्तुओं को खरीद करने के अधिकार प्रक्रिया कर दिए हैं । फार्म डी पी एम-4 इस प्रकार की वस्तुओं का विवरण देता है ।

2.5.2 **सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम (एम एस एम ई) के लिए उत्पादन आरक्षण एवं अन्य सुविधाएं-** भारत सरकार ने पंजीकृत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों से क्रय हेतु कुछ वस्तुओं को की खरीद करने के अधिकार को सुरक्षित कर दिया है । इस प्रकार की 358 वस्तुओं की सूची डी पी ए-1 में दी गई है । सरकारी भंडार क्रय कार्यक्रमों के अंतर्गत, भारत सरकार ने विभिन्न सुविधाओं को बढ़ाया है जिसके अनुसार एकल बिंदु पंजीकरण योजना के अंतर्गत एन एस आई सी पंजीकृत एम एस एम ई नीचे दी गई हैं:-

(क) नि:शुल्क निविदा के सेट का जारी होना

(ख) बयाना धन के भुगतान में छूट

(ग) मुद्रा सीमा तक सुरक्षा प्रतिभूति की छूट जिसके लिए इकाई पंजीकृत है, तथा

(घ) दीर्घ स्तरीय इकाईयों की दरों पर 15% तक मूल्य प्राथमिकताएं !

2.5.3 **फर्मा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सी पी एस ई) तथा उनके सहायकों के उत्पादों के लिए खरीद प्राथमिकता नीति (पी पी पी)** - रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय, रसायन तथा उर्वरक विभाग के दिनांक 7 अगस्त, 2006 के कार्यालय के ज्ञापन संख्या 50013/1/2006-एस ओ (पी आई-iv)में दिए गए अनुसार फार्मा सी पी एस ई तथा उनके सहायकों को विशिष्ट रुप से क्रय प्राथमिकता देने की नीति का मेंडिकल स्टोर खरीदते समय अनुपालन किया जाएगा । उक्त कार्यालय ज्ञापन की प्रति फार्म डी पी एम-2 में दी गई है ।

2.5.4 **केंद्रीय भंडार, एन सी सी एफ आदि से स्टेशनरी तथा अन्य वस्तुओं की स्थानीय खरीद** - सर्वाधिक मितव्ययी तथा सक्षम कीमतों पर उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सहयोगी प्रवृत्ति के स्वीकृत उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तथा विपणन की बदली हुई संकल्पना पर ध्यान देते हुए, भारत सरकार ने डी ओ पी टी के कार्यालय ज्ञापन सं0 14/12/94-कल्याण (वाल्यूम ।।) दिनांक 5 जुलाई, 2007 (फार्म डी पी एम-5 में निर्दिष्ट) के द्वारा सभी केन्द्र सरकार के विभागों, उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों तथा अन्य वित्तपोषित संगठनों/राष्ट्रीय उपभोक्ता सहयेागी संघ से स्टेशनरी तथा अन्य वस्तुओं की स्थानीय खरीददारी करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाने का निर्णय लिया है:-

(क) इस अध्याय के पैरा 2.4.9 के अनुसार, निविदाओं अथवा बोलियों को आमंत्रित किए बिना वस्तुओं पर 15,000 रुपए का क्रय स्वीकृत है । इसके अतिरिक्त इस अध्याय के पैरा 2.4.10 के अनुसार सी एफ ए द्वारा स्थापित स्थानीय क्रय समिति द्वारा लागत की युक्तियुक्त क्षमता आदि निश्चित करने के लिए बाजार सर्वेक्षण के आधार पर लगभग 1 लाख रुपए तक की वस्तुओं का क्रय किया जा सकता है तथा इसके प्रभाव से प्रमाण पत्र को जमा किया जा सकता है । इन प्रावधानों के आंशिक परिवर्तन द्वारा, सी एफ ए के स्वनिर्णय पर, दरों के बगैर केंद्रीय भंडार/एन सी सी एफ द्वारा प्रत्यक्ष रुप से सभी वस्तुओं की खरीद स्वीकृत है । लागतों की युक्तियुक्त, क्षमता विशिष्टताएं आदि की सुनिश्चितता का उत्तरदायित्व समान रुप से स्थानीय क्रय समिति द्वारा उपर्युक्त पैरा 2.4.10 के अनुसार प्रमाणित है । यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि आपूर्ति आदेश 1 लाख रुपए की सीमा को पार करने के उद्देश्य के साथ किसी परिस्थिति के दैरान अलग नहीं होगे ।

(ख) 1 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के अधिक कार्यालय उपभोग की सभी वस्तुओं की अधिप्राप्ति के लिए, जहां इस नियम-पुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार सीमित निविदाएं आमंत्रित की जानी है, अन्यों के साथ के0बी0 तथा एन सी सी एफ इस प्रकार की सीमित निविदाओं में भाग लेने हेतु आमंत्रित हैं, यदि ऐसी स्थिति में ये सहयोगी कार्य करते हों । यदि अन्य बातें समान रहे, क्रय प्राथमिकता के बी/एन सी सी एफ को दी जाएगी यदि सहयोगियों द्वारा उद्धृत कीमत L_1 कीमत के 10% के भीतर है तथा यदि ये सहयोगी L_1 कीमत के समान आने के इच्छुक हैं । कीमत से अधिक कोई कीमत प्राथमिकता इन सहयोगियों को नहीं दी जाएगी । तथापि, के बी/एन सी सी एफ पुनर्निमित दर प्रतिभूति (बयाना जमा) से अलग नहीं होगी ।

(ग) डी जी एस एंड डी दर संविदां के अंतर्गत कार्यालय उपकरण के संबंध में 25 लाख रुपए तक के आपूर्ति आदेश, के वी तथा एन सी सी एफ से अधिप्राप्त किया जा सकता है - जिसकी उपलब्धता पर के वी/एन सी सी एफ सभी अनुबंध दायित्वों को पूरा करते हुए डी जी एस एंड डी लागत अनुबंध कीमत पर वस्तुएं प्रस्तावित करते हैं जिन्हें इन उत्पादों के उत्पादक/आपूर्तिकर्त्ता को डी जी एस एंड डी दर संविदा के समान होना आवश्यक है । जहां आवश्यक हो, क्रेता को इस प्रकार की वस्तुओं की जांच के लिए स्वयं इंतजाम करने की आवश्यकता होती है ।

(घ) उपर्युक्त व्यवस्थाएं केवल 31-3-2010 तक लागू रहेंगी ।

(ङ) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (कल्याण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14/12/94-कल्याण (खंड-।।) दिनांक 5 जुलाई, 2007 के विषय पर प्राथमिक रुप से पंजीकृत अन्य बहु-राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी, जिनमें शेयरों की अधिक संख्या केंद्रीय सरकार द्वारा रखी जाती है, वे 25 लाख रुपए तक सीमित निविदा पूछताछ के संबंध में क्रय प्राथमिकता की सुविधा का दावा करने हेतु अनुमोदित हैं ।

2.5.5 **खरीद प्राथमिकता** - केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए खरीद प्राथमिकता दिनांक 31-03-2008 से डी पी ई कार्यालय ज्ञापन संख्या डी पी ई/13(15)/2007 वि0 दिनांक 21 नवंबर, 2007 (इस नियम-पुस्तिका में नहीं दी गई हैं) के अंतर्गत निरस्त कर दिया गया है । तथापि, यह निरस्तीकरण क्षेत्र विशेष सी पी एस ई के लिए मान्य है जिसके लिए, उपर्युक्त पैरा 2.5.3 के अनुसार, फार्मा उत्पादों के मामले में, संबंधित मंत्रालयों द्वारा खरीद प्राथमिकता नीति जारी की गई है ।

2.6 समय-सीमा एवं उत्तरदायित्व

2.6.1 **अधिप्राप्ति की समय-सीमा एवं उत्तरदायित्व**- विभिन्न अधिप्राप्ति कार्याकलापों की प्रक्रिया अपनाने एवं स्वीकृत में देरी के प्रभाव पर कोई देर देने की आवश्यकता नहीं होती है । निर्णय करने वाले तंत्र का विकेन्द्रीकरण और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यावर्तन का उद्देश्य तीव्र निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करना और मुद्रा के उच्चतम मूल्य को प्राप्त करना है । तथापि, शक्तियों का प्रत्यावर्तन 'उत्तरादायित्व के साथ प्राधिकरण' भी लागू होना है । अधिप्राप्ति प्रक्रिया की शृंखला में प्रत्येक व्यक्ति विनिर्दिष्ट समय अवधि के अंदर कार्रवाई करने के लिए बाध्य है जिससे रक्षा विभागों की आवश्यकताओं को समय पर पूरा किया जा सके । प्रमुख कार्यकलापों और निर्धारित समय अवधि को दर्शाने वाला एक फ्लो चार्ट परिशिष्ट 'क' में दिया गया है ।

* * * * *

अध्याय - 3

स्रोत तथा गुणवत्ता

3.1 सामान्य

3.1.1 **सुयोग्य आपूर्तिकर्त्ताओं की पहचान** - रक्षाा विभागों का विशेषकर रक्षा सेवाओं की आवश्यकता, उत्पादन गुणवत्ता को पूरा करने में सक्षम उपयुक्त स्रोतों का ज्ञान तथा उपर्युक्त आपूर्तिकर्त्ताओं की पहचान करना, उच्च कोटि के माल की अधिप्राप्ति को सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण कार्य है । किसी भी अधिप्राप्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्रदान करना तथा निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण आवश्यकता है । अत: फर्मों का चुनाव और उनका रजिस्ट्रेशन, उनकी विस्तृत निष्पादन रिपोर्ट तथा वर्गीकरण का स्पष्ट आंकलन करके उनका उचित प्रकार से निर्धारित किया जाना चाहिए ।

3.2 फर्मों का पंजीकरण

3.2.1 **केंद्रीय अधिप्राप्ति एजेंसी द्वारा पंजीकरण** - फर्मों के पंजीकरध की प्रक्रिया मानकीकरण निदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रक्षा हेतु आपूर्तिकर्त्ताओं के मूल्यांकन तथा पंजीकरण (जे एस जी) पर संयुक्त सेवा गाइड में दी गई है । जे एस जी एक भोग्य दस्तावेज है जो विक्रेताओं के पंजीकरण के लिए निर्देश बनाने में अधिप्राप्ति एजेंसियों के लिए निर्देशिका का कार्य करती है । प्रकाशन डी जी क्यू ए की वेबसाइट www.dggadefence.gov.in पर उपलब्ध हे । इसे भुगतान द्वारा निदेशक, मानकीकरण निदेशालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली-110011 से भी प्राप्त किया जा सकता है।

3.2.2 **कमान तथा अन्य स्तरों पर एजेंसियों का पंजीकरण** - सेवा मुख्यालयों पर केंद्रीय अधिप्राप्ति एजेंसी के अतिरिक्त, फर्मों का पंजीकरण इस अध्याय में दिए गए निर्देशों के अनुसार कमान मुख्यालय, डिपो, कार्यशाला तथ नौसेना डॉक-यार्ड आदि द्वारा किया जाना चाहिए ।

3.2.3 **इकाई स्तर पर पंजीकरण** - स्थानीय खरीद करने के उद्देश्य के लिए इकाई स्तर पर फर्मों के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है । तथापि, दरें प्राप्त करने से पूर्व तथा एक विशेष फर्म पर आपूर्ति आदेश देने से पूर्व प्रतिष्ठा, क्षमता तथा विश्वसनीयता की निश्चितता आवश्यक है ।

3.2.4. **फर्मों के प्रत्यय पत्रों की जाँच** - यह आवश्यक है कि पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाली फर्मों के प्रत्यय पत्र, जिसमें उनका वित्तीय स्तर, उत्पादन तथा गुणवत्ता नियंत्रक सुविधाएं, व्यवसायिक नीतियां तथा बाजार में उनका स्थान सम्मिलित हैं, को आपूर्ति के अनुमोदित स्रोत के रुप में पंजीकृत करने से पूर्ण संविक्षा की जाती है ।

3.2.5 **पंजीकरण का अंतर्सेवा तथा अंतर्विभाग स्वीकार्यता** - रक्षा मंत्रालय के किसी भी विभाग के साथ पंजीकृत संस्था, सेवा या ओ एफ वी अथवा अंतर्सेवा संगठन, समान श्रेणी के उत्पादों/वस्तुओं/सेवाओं जिनके लिए फर्म किसी भी संगठन से पंजीकृत है, को मंत्रालय अथवा अन्य सेवाओं के अन्य विभागों द्वारा अधिप्राप्ति के लिए पंजीकृत फर्म माना जा सकता है ।

3.2.6 **आपूर्तिकर्त्ताओं तथा सेवा-दायकों का पंजीकरण** - रक्षा हेतु आपूर्तिकर्त्ताओं का मूल्यांकन तथा पंजीकरण पर संयुक्त सेवा गाइड मुख्यत: आपूर्तिकर्त्ताओं की भांति, उत्पादन फर्मों के पंजीकरण पर लागू होती है । तथापि, इसमें निहित निर्देश पंजीकृत एजेंसियां द्वारा डी जी क्यू ए द्वारा दी गई पृथक प्रक्रिया के रुप में इस समय तक आपूर्तिकर्त्ताओं तथा सेवा-दायकों के लिए लागू होगा ।

3.3 पंजीकृत फर्मों के निष्पादन का मूल्यांकन

3.3.1 **निष्पादन के मूल्यांकन का मापदंड** - पंजीकृत फर्मों के निष्पादन की आवधिक रुप से अधिप्राप्ति ऐजेंसियों द्वारा संवीक्षा अवश्य की जाए और पंजीकृत एजेंसी को सूचित किया जाए । इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश डी जी क्यू ए प्रकाशन ले एस जी: 015:03-2007 में दिए गए हैं, पंजीकृत फर्मों के निष्पादन की गणना करने के लिए सामान्य मानदंडों को नीचे दिया गया है:-

(क) **गुणवत्ता** - गुणवत्ता का आकलन निरीक्षण की रिपोर्ट तथा वास्तविक प्रयोक्ता की फीड बैक से किया जाना चाहिए ।

(ख) **सुपुर्दगी** - सुपुर्दगी के अनुपालन का आकलन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत खरीद आदेशों की तुलना में सुपुर्दगी आंकड़ों से किया जा सकता है । खरीदार अपने कंप्यूटर रिकार्ड से यह जान सकता है कि संविदा आपूर्ति आदेश के अनुसार कितने प्रतिशत आदेश मूल सुपुर्दगी तारीख को पूरे किए गए और कितने नहीं ।

(ग) **मूल्य** - आपूर्तिकर्त्ता की मूल्य प्रतिद्वंदिता का आकलन उसके द्वारा प्रतियोगी आधार पर हासिल किए गए आदेशों की क्षमता से किया जाता है । आवेदित दाम के प्रतिशत के रुप में प्राप्त किए गए आदेश आपूर्तिकर्त्ता की मूल्य प्रतिद्वंदिता को दर्शाते है । यह आंकड़े कंप्यूटर रिकार्ड द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं ।

(घ) **प्रतिक्रिया** - फर्मों की प्रतिक्रिया विश्लेषण को उन्हें भेजे गए आर एफ पी की संख्या की तुलना में प्रस्तुत किए गए निवेदित दरों की शर्तों पर दर्शाया जा सकता है । भेजे गए आर एफ पी प्रतिशत के रुप में प्राप्त किए गए निवेदित दाम के कंप्यूटर जनित आंकड़े प्रतिक्रिया विश्लेषण का एक वैध मानदंड हो सकता है ।

(ङ) **उत्पादन समर्थन** - निर्माता का उत्पाद समर्थन रिकार्ड कल-पुर्जों के लिए की गई पूछताछ तथा उसके द्वारा मूल रुप से आपूर्ति किए गए उपस्कर के लिए की गई अनुरक्षण सेवाओं के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है ।

3.3.2 **तकनीकी तथा वित्तीय क्षमताओं का मूल्यांकन** - फर्मों की तकनीकी एवं वित्तीय क्षमताओं के साथ उनके पिछले निष्पादन का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन अवश्य किया जाए और ए एच एस पी/पंजीकृत एजेंसियों द्वारा गठित अधिकारियों के बोर्ड द्वारा पंजीकरण/पंजीकरण के नवीकरण पर विचार करने के लिए उद्देश्य के लिए जांच की जाए । पंजीकरण करने वाली एजेंसी को प्रयोक्ता के प्रतिनिधि के सह-विकल्प को भी

देखना चाहिए । यदि सी एफ ए द्वारा आवश्यक समझा जाए तो आई एफ ए को भी फर्म की वित्तीय क्षमताओं के आकलन करने के लिए शामिल किया जा सकता है । विक्रेता की क्षमता/सामर्थ्य की जाँच रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रोफार्मा फार्म डी पी एम-5 में दिया गया है ।

3.4 अनुमोदित फर्मों की सूची से हटाना

3.4.1 **सूची से हटाना** - जब कभी फर्म की प्रतिक्रिया की शर्तों पर निष्पादन, सुपुर्दगी, अनुपालन, क्षमता, गुणत्ता, मानदंड या नैतिकता में कमी पाई जाती है, फर्म को पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा फर्म के प्रस्तावित निष्पादन का नोटिस देने के पश्चात् अनुमोदित सूची से हटाया जा सकता है । साथ ही, ऐसी पंजीकृत फर्मे जो बंद हो गई है या किसी अन्य फर्म द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है या वे अन्य फर्म में सम्मिलित हो गई है, अथवा व्यवसाय के किसी अन्य क्षेत्र में चली गई है या गलत व्यवसाय में शामिल हो गई है तथं समय गंवा रही है, को अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता की सूची से हटाया जाना चाहिए ।

3.4.2 **सूची से हटाने का प्रभाव** - जब किसी फर्म को अनुमोदित फर्म की सूची से हटाया जाता है, तो उनका पंजीकरण रद्द हो जाता है । इस प्रकार हटाए जाने की सूचना सभी संबंधित एजेंसियों को दे दी जानी चाहिए ताकि रक्षा मंत्रालय का कोई भी विभाग ऐसी फर्मों से आगे कोई व्यावसायिक संबंध न रखें ।

3.5 फर्म के व्यापार पर पाबंदी

3.5.1 **व्यापार पर पाबंदी -** फर्म के दुराचरण या उसके निरंतर खराब निष्पादन से फर्म के साथ व्यावसायिक संबंधों पर प्रतिबंध लगाना या काली सूची में डालना न्याय संगत होता है । इस प्रकार की कार्रवाई उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मामले के सभी कारकों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए ।

3.6. विशिष्टताएं

3.6.1 **विशिष्टताएं** - रक्षा विभाग, विशेष रुप से रक्षा सेवाओ द्वारा खरीदा गई मदें उनके आदेशानुसार निर्मित होनी चाहिए या कड़ी विशिष्टता के अनुकूल होनी चाहिए । यह विशिष्टता अधिप्राप्ति की जाने वाली मद की सामग्री संयोजन, भौतिक, विमीय तथा निष्पादन मानदंड, उदारता यदि कोई हो, निर्माण प्रक्रिया जहां लागू हो, परीक्षण अनुसूची, परिरक्षण तथा पैकिंग आदि दर्शाते हुए विशिष्ट गुणवत्ता परक होनी चाहिए । ए एच एस पी / विशिष्टता प्रख्यापन प्राधिकारी को विशिष्टिता/संशोधनों की प्रतियां आवधिक रुप से सभी संबंधित अधिप्राप्ति एजेंसियों को भेजनी चाहिए । सामान्यत: निम्नलिखित प्रकार के विशिष्टता रक्षा मदों से संबद्ध होती है:-

(क) **पी ए सी विशिष्टता** -ये प्रमाण पत्र केवल पी ए सी फर्मों के पास उपलब्ध होते हैं तथा बौद्धिक संपदा अधिकारी द्वारा संरक्षित है । अत: सामान्यत: बौद्धिक संपदा युक्त प्रमाण पत्र/पी ए सी विशिष्टिता खरीदार के पास उपलब्ध नहीं होते तथा फर्म का गुणत्ता प्रमाण पत्र स्वीकार्य होता है । तथापि, निरीक्षण के लिए अपेक्षित विशेषताएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

(ख) **मार्क उत्पाद** - ट्रेडमार्क वाले व्यसायिक उत्पाद के विशिष्टता खरीदार या निरीक्षण एजेंसी के पास उपलब्ध नहीं होते तथा उन्हें फर्म की गारंटी पर स्वीकार किया जाता है ।

(ग) **औद्योगिक विशिष्टता** - बाजार में बिकी के लिए मानक औद्योगिक विशिष्टता जैसे आई एस, बी एस, डी आई एन तथा जी ओ एस टी उपलब्ध है । प्रत्येक खरीद एजेंसी तथा निरीक्षण प्राधिकारी को ऐसी विशिष्टता प्राप्त करनी चाहिए और संदर्भ के लिए अपने पास रखनी चाहिए ताकि अधिप्राप्ति किए गए उत्पाद के गुणत्ता मानकों को सुनिश्चित किया जा सके ।

(घ) **रक्षा विशिष्टता** -रक्षा विभागों, विशेष रुप से सशस्त्र बलों के प्रयोग हेतु विशेष मदों के लिए रक्षा विशिष्टता होती है । ये संयुक्त सेवा विशिष्टता, मिलस्पेक्स आदि होते हैं । ऐसी विशिष्टताओं की प्रतियां खरीद एजेंसियों निरीक्षण प्राधिकारी तथा ए एच एस पी के पास उपलब्ध होनी चाहिए ।

(ङ) **स्वदेशी मदें** - स्वदेशीकरण के प्रयासों में शामिल निर्माता एजेंसी, कयू ए एजेंसी, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन तथा सेना मुख्यालय अक्सर आयात प्रतिस्थापन के रुप में कुछ मदों का सफलतापूर्वक स्वदेशीकरण कर लेती हैं । ऐसे मामलों में निर्माता फर्मो/कयू ए एजेंसी/डिजाइन एजेंसी के परामर्श से इन एजेंसियेां द्वारा ड्राइंग तथा अन्य विस्तार सहित जैसा भी मामला हो विशिष्टता बनाए जाते हैं ताकि देशी उत्पादन में मार्गदर्शक का कार्य हो सके । ऐसी विशिष्टता खरीद एजेंसी तथा निरीक्षण प्राधिकारी के पास उपलब्ध होने चाहिए ताकि आपूर्ति की गई मदों के अपेक्षित गुणत्ता मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके ।

(च) **तदर्थ विशिष्टता** - कई ऐसी मदें हैं जिसके लिए न ही औद्योगिक और न ही रक्षा विनिर्देशन उपलब्ध हैं । ऐसे मामलों में मांगकर्त्ता को सामान्य पैरामीटर, सामान्यत: विमीय तथा निष्पादन पैरामीटर अवश्य दर्शाने चाहिए ताकि अधिप्राप्ति और निरीक्षण किया जा सके । ऐसे तदर्थ विशिष्टता इतने व्यापक होनी चाहिए कि अधिक से अधिक फर्म भाग ले सकें और उन पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए ताकि पर्याप्त प्रतियोगिता के अवसर उपलब्ध हो ।

(छ) **नमूने के अनुसार** - ऐसे अवसर भी आते हैं जब मदें सामान्यत: बौद्धिक संपदा युक्त प्रमाण पत्र उत्पाद, मूल निर्माता से प्राप्त नहीं किए जा सकते तथा उन्हें विस्तृत विशिष्टताओं या ड्राइंग की अनुपस्थिति में नमूने के अनुसार दूसरे निर्माता से अधिप्राप्ति करना पड़ता है । ऐसी मदों का निर्माण विपरीत इंजीनियरिंग प्रक्रिया के माध्यम से करना पड़ता है तथा फर्म विस्तृत विशिष्टता तथा ड्राइंग तैयार करता है । खरीदार तथा निरीक्षण प्राधिकारी को से विनिर्देशन और ड्राइंग प्राप्त कर अपने पास रखने चाहिए ताकि वे भविष्य में उत्पादन और निरीक्षण के लिए मार्गदर्शक बन सकें ।

(ज) **सामान्य प्रयोग की मदें** - रक्षा विभागों तथा रक्षा सेवाओं द्वारा प्रयोग में लाई जा रही ऐसी अनेक मदें, सामान्य प्रयोग की मदें हैं और खुले बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं । तथापि, विभिन्न निर्माताओं के उत्पादों की गुणत्ता में काफी अंतर होता है इसलिए ऐसी मदों की अधिप्राप्ति रक्षा संबंधी मदों के गुणत्ता मानदंडों को पूरा करने में सक्षम प्रसिद्ध निर्माताओं से की जानी चाहिए ।

3.7 निरीक्षण टिप्पणी

3.7.1 **निरीक्षण टिप्पणी का अधित्याग** - उपर्युक्त (च), (छ) व (ज) पर दी गई विशिष्टताओं की मदों/बिलों के भुगतान के लिए व्यवसायिक रुप से तैयार न की गई मदें फर्म की गारंटी पर अधिप्राप्त की जाएगी और उन मदों के संबंध में जिनका ए एच एस पी/डी जी क्यू ए के साथ जाँच करने की सुविधा नहीं है, उनके संबंध में निरीक्षण टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है । फर्म से प्राप्त संबंधित प्रमाण पत्र अधिप्राप्ति एजेंसी द्वारा दिए गए बिल के साथ संलग्न किया जाना चाहिए ।

* * * * *

अध्याय - 4

निविदाकरण

4.1 निविदाकरण के प्रकार

4.1.1 **बोलियों के द्वारा वस्तुओं की अधिप्राप्ति -** इस नियम-पुस्तिका के अध्याय-2 के पैरा 2.4.9 (बोलियां प्राप्त किए बिना वस्तुओं की खरीद), 2.4.10 (खरीद समिति द्वारा वस्तुओं की खरीद) तथा 2.4.12 (दर संविदाओं के अनुसार वस्तुओं की खरीद) के अंतर्गत आने वाले मामलों के अतिरिक्त, बोलियां प्राप्त करने की निम्नलिखित मानक विधियों में से एक को अपनाकर वस्तुओं की अधिप्राप्ति की जानी चाहिए :-

(क) विज्ञापित निविदा पूछताछ (खुली निविदा पूछताछ के रुप में भी जाना जाता है);

(ख) सीमित निविदा पूछताछ; तथा

(ग) एकल निविदा पूछताछ ।

4.1.2 **सेवाओं की अधिप्राप्ति** - उपर्युक्त उल्लिखित पद्धतियों को सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए भी लागू होनी बशर्ते इस मैनुअल में दिए गए अन्य निर्देशों का पालन किया जा रहा हो ।

4.2 वज्ञापित निविदा पूछताछ/खुली निविदा पूछताछ (ए टी ई/ओ टी ई)

4.2.1 **विज्ञापित/खुली निविदा पूछताछ** - खुली निविदा प्रणाली, व्यपयक अथवा व्यवसायिक विशिष्टताओं के सामान्य उपयोग की वस्तुओं, जो कि स्रोतों/विक्रेताओं की व्यपक श्रेणी के साथ पृथक रुप से उपलब्ध है की अधिप्राप्ति के लिए प्राथमिक पद्धति होनी चाहिए । यह सभी मामलों में अपनाई जानी चाहिए जिसमें निविदा का अनुमानित मूल्य 25 लाख रुपए से अधिक है, इस अध्याय में दिए गए अपवादों के विषय में है।

4.2.2 **वैश्विक निविदा पूछताछ** - जहां यह महसूस किया गया हो कि अपेक्षित गुण, विशिष्टताएं आदि के लिए वस्तुएं/सेवाएं देश में उपलब्ध न हो सकती हों तथा विदेशों से योग्य प्रतियोगी अवसरों पर ध्यान देना भी आवश्यक है, निविदा पूछताछ की प्रतियां विदेशों में भारतीय दूतावास तथा साथ ही साथ भारत में विदेशी दूतावास को भी भेजा जा सकता है । ऐसे देशों में दूतावासों का चुनाव आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की उपलब्धता की अपेक्षाओं पर निर्भर करता है । निविदा पूछताछ रक्षा संयोजन के द्वारा भी भेजी जा सकती है जहां कहीं भी वे दूतावासों तथा उच्चायोगों में पदाधीन हैं ।

4.2.3 **प्रचार** - खुली निविदा प्रणाली में विज्ञापन मीडिया (प्रेस, ट्रेड, जर्नल आदि) के द्वारा व्यापक प्रचार अभिग्रस्त है । खुली निविदा अधिसूचना महा निदेशक, व्यवसायिक सूचना तथा सांख्यिकी, कोलकाता को भारतीय व्यापारिक पत्रिका (आई टी जे) तथा डी ए वी पी, नई दिल्ली की कम-से-कम एक अग्रणी दैनिक में प्रकाशन हेतु भी भेजी जानी चाहिए, जिसका व्यापक वितरण हो । इस प्रकार की अधिसूचनाएं सेवा/विभाग संबंधी बुलेटिन में यदि कोई हो, प्रकाशित होना चाहिए ।

4.2.4 **नोटिस निमंत्रित निविदा की तैयारी -** नोटिस निमंत्रित निविदा जिसका प्रकाशन विज्ञापित/खुली निविदा पूछताछ के विषय में, पत्रिकाओं/समाचार पत्रों में होना है, उनका सावधानीपूर्वक प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए । इसके अंतर्गत आवश्यकताओं की मुख्य विशेषताएं संक्षेप में दी जानी चाहिए ताकि आवश्यकताओं के विषय में भावी निविदाकर्त्ताओं को एक स्पष्ट विचार दिया जा सके । निविदा सूचना में अनावश्यक तथा असंगत विवरण सम्मिलित नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे विज्ञापन की दर अनावश्यक रुप से बढ़ जाएगी । निविदा सूचना में सामान्यत: निम्नलिखित सूचनाएं शामिल होनी चाहिए:-

(क) वस्तुओं तथा मात्रा का विवरण तथा विशिष्टताएं ।

(ख) आपूर्ति की अवधि तथ शर्तें ।

(ग) निविदा की दर/बोली संबंधी दस्तावेज ।

(घ) निविदा दस्तावेजों की बिक्री का स्थान तथा समय ।

(ङ) वेबसाइट का पता जहां से, निविदा दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकते हैं ।

(च) निविदा की प्राप्ति के लिए स्थान तथा अंतिम अवधि ।

(छ) निविदा के प्रारंभ के लिए स्थान, समय तथा दिनांक ।

(ज) बोली सुरक्षा/अग्रिम धन जमा की राशि तथ स्थिति ।

(झ) कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना ।

4.2.5 **वेबसाइट के द्वारा प्रचार** - गैर घातक/सुरक्षा तथा गैर संवेदनशील वस्तुओं के संबंध में सभी ओ टी ई अधिसूचनाएं रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी कर दी जानी चाहिए, तथा साथ ही संबंधित सेवा मुख्यालय/विभाग की वेबसाइट पर भी जारी कर दी जानी चाहिए, जहां भी ऐसा वेबसाइट पहले से उपलब्ध हों । एक लिंक एन आई सी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा सकता है । वेबसाइट का पता, आई टी जे तथा समाचार पत्रों द्वारा विज्ञापित अधिसूचनाओं में भी दिया जाना चाहिए ।

4.2.6 **निविदा दस्तावेजों का सापेक्ष प्रेषण** - ओ टी ई के विषय में, सूचना आमंत्रित निविदा तथा/अथवा निविदा प्रकार भी वस्तुओं की विशिष्ट श्रेणी के लिए निविदा प्रकार भी वस्तुओं की विशिष्ट श्रेणी के लिए पंजीकृत सभी आपूतिर्कताओं को भी भेजी जा सकती है ।

4.2.7 **वेबसाइट पर निविदा दस्तावेज** - संपूर्ण निविदा दस्तावेज वेबसाइट पर दिए जाने चाहिए तथा भावी निविदाकर्त्ताओं को, वेबसाइट से डाउनलोड कर दस्तावेज का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए । यदि इस प्रकार उपलब्ध दस्तावेज मूल्यांकित होता है, तो बोली के साथ बोली लगाने वालों के लिए डिमांड ड्राफ्ट आदि द्वारा राशि चुकाने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए । इस प्रकार के दस्तावेज, परिवर्तन तथा बोली लगाने वालों को सुलभता की सीमितता की आशंका को समाप्त करने के लिए सुरक्षित रखे जाने चाहिए ।

4.2.8 **बोलियों के प्रस्तुतिकरण के लिए दिया जाने वाला समय** - सामान्यत: बोलियों के प्रस्तुतिकरण के लिए दिया गया न्यूनतम समय निविदा सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 3 सप्ताह अथवा बिक्री के लिए बोली दस्तावेज की उपलब्धता, जो भी पहले हो, होना चाहिए । बोली के प्रस्तुतिकरण के लिए घटी हुई समयावधि, फैक्स, ई-निविदाकरण आदि के प्रयोग द्वारा आपूर्ति, प्रावधानों तथा दवाओं की आपाती स्थानीय बिक्री के मामले में अभिस्वीकृत की जा सकती है ।

4.2.9 **स्वीकृति का दावा करने वाली अपंजीकृत संस्थाएं** - ओ टी ई मामलों में, जहां स्वीकृति का दावा करती अपंजीकृत संस्थाएं, आर एफ पी में उल्लेखित निर्धारित तकनीकी मापदंडों को पूरा करती हैं, तो ऐसी संस्थानों द्वारा व्यवसायिक बोली लगाने से पूर्व, प्रापण/पंजीकरण करती एजेंसियों द्वारा संस्था की क्षमता के मूल्यांकन गणना होगी । तथापि, यह क्षमता सत्यापन, पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा संस्था के स्व-पंजीकरण नहीं माना जाएगा । तथापि, विशिष्ट तथा जटिल औषधियों, उपकरणों/भंडारों के विषय में, जहां डी जी क्यू एं तथा डी जी एस एवं डी इस आधार पर वर्तमान में इन संस्थाओं का पंजीकरण नहीं कर रहे हैं कि एस पी क्यू आर उनके द्वारा नहीं बल्कि उपभोक्ता द्वारा प्रतिपादित किया गया है, वर्तमान में संस्था की वित्तीय स्थिति तथा बाजार में साख/पूर्व प्रदर्शन के आधार पर, राष्ट्रीय साख के निर्माता अथवा उनके प्राधिकृत एजेंट ध्यान में रखे जा सकते हैं ।

4.3 समिति निविदा पूछताछ (एल टी ई)

4.3.1 **समिति निविदा पूछताछ** - यह विधि अपनाई की जा सकती है जब वस्तुओं का अनुमानित मूल्य पच्चीस लाख रुपए मान्य होता है । सामान्यत: सीमित निविदा पूछताछ में आपूर्तिकर्त्ता फर्मों की संख्या तीन से अधिक होनी चाहिए । तथापि, सीमित निविदा पूछताछ सहायता उस स्थिति में भी ली जा सकती है जब कि आपूर्ति के केवल 2 या 3 ज्ञात स्रोत हों ।

4.3.2 **विशेष परिस्थितियों में सीमित निविदा पूछताछ** - निम्नलिखित परिस्थितियों में, जहां वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधित्व के अनुसार आवश्यक हो, सी एफ ए द्वारा अनुमोदन के संबंध में तथा आई एफ ए के साथ परामर्श द्वारा, जहां अधिप्राप्ति का अनुमोदित मूल्य 25 लाख रुपए से अधिक हो, वहां भी सीमित निविदा पूछताछ द्वारा क्रय किया जा सकता है:-

(क) मांगकर्त्ता सत्यापित करता है कि मांग अत्यावश्यक है तथा कोई अतिरिक्त व्यय जो विज्ञापित निविदा पूछताछ द्वारा प्राप्य नहीं है, अत्यावश्यकता की दृष्टि से न्यायसंगत है । अत्यावश्यकता तथा कारण की प्रकृति की अभिलेखित किया जाना चाहिए कि क्यों अनुमान के अनुसार अधिप्राप्ति नहीं की जा सकती ।

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित में दर्ज करने के अनेक कारण हैं जिसमें इंगित किया गया है कि विज्ञापित निविदा पूछताछ के द्वारा वस्तुओं की अधिप्राप्ति जनहित में नहीं है ।

(ग) आपूर्ति के स्रोत स्पष्ट रुप से ज्ञात हैं तथा अभिलेखित स्रोतों के अतिरिक्त नवीन स्रोतों की संभावना अल्प है ।

(घ) अधिप्राप्ति योग्य वस्तुओं की प्रकृति इस प्रकार की है कि फर्मों की सक्षमता के पूर्व सत्यापन तथा उनका पंजीकरण आवश्यक है ।

4.3.3 **निविदा दस्तावेजों का प्रचार तथा प्रेषण -** बोली दस्तावेजों की प्रतियां सीधे स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट/कोरियर/ई-मेंल/फैक्सद्वारा फर्मों को भेजी जानी चाहिए जो कि प्रश्नों वस्तुओं के पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की सूची में शामिल हैं । वेब पर आधारित प्रचार सीमित निविदा पूछताछ के लिए भी दिया जाना चाहिए तथा प्रतियोगी आधार पर अधिक प्रत्युरित बोलियां प्राप्त करने के लिए अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ताओं की अधिक संख्या को जानने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ।

4.3.4 **बोली के प्रस्तुतिकरण हेतु दिया गया समय** - सीमित निविदा पूछताछ में बोलियों के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रर्याप्त समय, सामान्यत: 1 से 3 सप्ताह की अवधि दिया जाना चाहिए । अस्थायी तथा उपभोग योग्य वस्तुओं के लिए एक लघु समयावधि की स्वीकृति दी जानी चाहिए ।

4.3.5 **अनुपालन का दावा करने वाली अपंजीकृत संस्थाएं** - इस प्रकार का कोई अवसर एल टी ई के विषय में उत्पन्न नहीं होना चाहिए, कुछ अपंजीकृत फर्म फिर भी यथाचित बोलियां प्रस्तुत कर सकती हैं । इस प्रकार के मामलों में निम्न प्रकार से कार्रवाई की जा सकती है:-

(क) यदि यह एक दो-बोली निविदा है, फर्म की तकनीकी बोली खोली जा सकती हैं और मूल्यांकित की जा सकती है, जहां अधिप्राप्ति में कोई परीक्षण सम्मिलित नहीं होता । यदि फर्म तकनीकी रुप से अनुपालक है, तो इस नियम-पुस्तिका के पैरा 4.2.9 के प्रावधानों के अनुसार अगली कार्रवाई की जा सकती है, बशर्ते इससे अधिप्राप्ति मेंकिसी प्रकार की कोई देरी न हो जिससे अभिप्राप्ति का उद्देश्य विफल हो जाए ।

(ख) यदि फर्म तकनीकी रुप से अनुपालक नहीं गई है, तो निविदा को आगे संज्ञान में लेने की आवश्यकता नहीं होती तथा इसके अनुसार फर्म को सलाह दी जाती है फर्म कि पृथक रुप से पंजीकरण कराएं ।

(ग) एकल बोली निविदा में, निविदा पर विचार किया जा सकता है यदि इसके अंतर्गत कोई परीक्षण शामिल नही होता अथवा परिणामस्वरुप अधिप्राप्ति में देरी नहीं होती।

4.4 एकल निविदा पूछताछ (एस टी ई)

4.4.1 **एकल निविदा पूछताछ (एस टी ई)** - दरो की युक्तियुक्तता निर्धारित करने के पश्चात्, निम्नलिखित परिस्थितियो में लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणो से वित्तीय शक्तियो के प्रत्यायोजन के अनुसार आवश्यकता होने पर, सीएफए के प्राथमिक अनुमोदन तथा आई एफ ए के परामर्श के साथ एकल स्रोत से अधिप्राप्ति की जा सकती है:

(क) आपातकाल की तत्काल स्थिति में, अपेक्षित वस्तुएं किसी विशेष स्रोत से खरीदी जा सकती ।

(ख) किसी अन्य परिचालन अथवा तकनीकी आवश्यकता के आधार पर, तथापि, जो स्पष्ट रुप से लेखांकित हो ।

4.4.2 **एस टी ई पर अधिप्राप्ति की संस्तुति के कारण -** जहां आवश्यक है, मांगकर्त्ता को एस टी ई संस्तुति के कारणो के बारे में खरीद एजेसी से संपर्क करना चाहिए ।

4.4.3 **एस टी ई केवल ओ ई एम तथा पंजीकृत संस्थाओ को भेजी जाए** - एस टी ई सामान्यत: ओ ई एम अथवा किसी पंजीकृत संस्था को भेजी जानी चाहिए ।

4.5 स्वामित्व वस्तु प्रमाण पत्र (पी ए सी) के आधार पर अधिप्राप्ति

4.5.1 **पी ए सी निविदा** - निश्चित इकाईयां, विशेषकर उपकरण किसी उत्पादक फर्म के मालिकाना उत्पाद होते हैं इस प्रकार की इकाईयां केवल उस फर्म अथवा उनके तथा वितरकों को उपलब्ध होती है क्योकि उस इकाई के उत्पादन से संबंधित विस्तृत विशेषताएं अन्यों को उपलब्ध नहीं होती । ऐसी स्थिति सामने आ सकती है, जब सक्षम तकनीकी विशेषज्ञ की सलाह के आधार पर, उपस्थित उपकरणो के साथ मशीनरी का स्तरीकरण सुनिश्चित करने के लिए किसी विशेष सोत से वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में, वास्तविक उपकरण उत्पादक (ओ ई एम) तथा उस विशेष फर्म अथवा उसके प्राधिकृत अथवा वितरकों से पी ए सी आधार पर खरीदी गई इकाईयो को एक स्वामित्व लेखा प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है । चूंकि पी ए सी केवल संबंधित ओ ई एम के संबंध में जारी होता है, ओ ई एम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर विशेष पी ए सी में निर्दिष्ट अथवा वितरकों द्वारा इकाई को खरीदा जा सकता हे, जिसमें क्रय एक उचित उत्पादक प्रमाण पत्र से संबंद्ध हो । एक बार जारी पी ए सी 2 वषो तक वैध रहता है जब तक कि उसे सी एफ ए द्वारा पहले समाप्त न किया गया हो ।

4.5.2 **पी ए सी के आधार पर मरम्मत/सर्विस करना** - पैरा 4.5..1 के प्रावधान ओ ई एम द्वारा प्राधिकृत एकमात्र डीलर/सर्विस एजेसी के द्वारा उपकरण की मरम्मत तथा सर्विस पर भी लागू होता है, यदि मुख्य उपकरण पी ए सी के आधार पर खरीदा गया हो ।

4.5.3 **पी ए सी के मंजूर करने समय बरती जाने वाली सावधानी** - पी ए सी एकाधिपत्य प्रदान करता है तथा प्रतिबद्धता का निराकरण करता है । अत: पी ए सी देते समय, सभी तथ्यो जैसे शारीरिक क्षमता, उपलब्धता, स्तरीकरण तथा धन का मूल्य आदि पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् ही दी जानी चाहिए । कई ओ ई एम सज्जीकरण, उपसज्जीकरण तथा उपकरणों का निर्माण नहीं करते किंतु इन इकाईयो का आयात करती है । अत: ये उप-इकाईयां वास्तविक उत्पादक के साथ कम दामो पर भी उपलब्ध हो सकते है । अत: अधिप्राप्ति अधिकारी को, राज्य की रुचि को सुरक्षित रखने के लिए सही स्रोत से उपयुक्त स्रोत ज्ञान तथा खरीदे जाने वाली इकाई को प्रक्तिबद्ध रखना चाहिए । तथापि, ओ ई एम को सिर्फ मुख्य उपकरण में गड़बड़ी के लिए जिम्मेंदार बनाने के लिए अतिरिक्त पुर्जे ओ ई एम/अथवा ओ ई एम अनुमादित/संस्तुत उत्पादकों से ही प्राप्त किए जाने चाहिए ।

4.5.4 पी ए सी प्रमाण पत्र निम्नलिखित प्राफार्मे के अनुसार होना चाहिए

स्वामित्व वस्तु प्रमाण पत्र

(वस्तुओं/सेवाओं का विवरण)--

प्रमाणित किया जाता है कि

(i) -----------------------(ओ ई एम का नाम) द्वारा वस्तुएं उत्पादित/सेवाएं प्रदान की जाती हैं ।

(ii) निम्नलिखित कारणों से अन्य कोई निर्माता अथवा मॉडल/सेवा प्रदायक अपनाने योग्य नहीं है:-

(क) -------------------------------

(ख) ------------------------------

(ग) ------------------------------

(iii) मैसर्स ---------------------------- (फर्म का नाम) ओ ई एम/वास्तविक सेवा प्रदायक के प्राधिकृत व्यापारी/स्टाकिस्टे/वितरक है ।

(iv) पी ए सी के अनुदान हेतु एकीकृत वित्त स्वीकृति--------------द्वारा प्राप्त की गई है।

(v) इस पी ए सी के अनुदान की मंजूरी ---------------------------- के द्वारा ------------के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ने दे दी है ।

(पी ए सी पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के
हस्ताक्षर दिनांक तथा पद सहित)

4.6 <u>एकल तथा द्विबोली प्रणाली</u>

4.6.1 **<u>एकल बोली प्रणाली</u>** - व्यवसायिक रुप से बन्द भण्डारों तथा एल. पी इकाईयां,जहां गुणवत्ता आवश्यकताएं तथा तकनीकी विशेषताएं स्पष्ट है, वहां एकल बोली प्रणाली को अपनाया जा सकता है। यह प्रणाली गैर जटिल प्रकृति की अधिप्राप्तियों में भी प्रयुक्त की जा सकती है । आर एफ पी स्तर पर कोई नमूना एकल बोली प्रणाली में नहीं रखना चाहिए ।

4.6.2 **<u>द्विबोली प्रणाली</u>** - उच्च मूल्य के संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, आई टी तथा संचार प्रणालियों तथा निर्णायक परियोजनाओं आदि जिनकी प्रकृति जटिल तथा तकनीकी होती है, के क्रय के लिए अथवा मदों की अधिप्राप्ति के लिए, जिनके अनिश्चित मानदण्ड हैं जैसे शेंड, टोन, मेकअप, फील, फिनिश तथा वर्कमैनशिप आदि के लिए बोली सामान्यत: दो भागों में बांटी जाती है ।

(क) व्यवसायिक शर्तों तथा अनुबंधों के साथ तकनीकी बोली जिसमें सभी तकनीकी विवरण शामिल हों तथा

(ख) वित्तीय बोली जिसमें, तकनीकी बोली में शामिल प्रति इकाई देय राशि तथा सभी अन्य व्यवसायिक शर्तें तथा अनुबंध इंगित हों ।

4.6.3 **<u>उपभोक्ता की आवश्यकताओं का विवरण</u>** - आर एफ पी को उपभोक्ता की आवश्यकताओं को वृहद संरचनात्मक तथा ठोस बनाना चाहिए तथा विस्तृत आधार पर रखना चाहिए । उपभोक्ता की आवश्यकताएं कार्यात्मक विशेषताओं की स्थिति में प्रस्तुत की जानी चाहिए । इसका गठन संकुचित तथा क्रत्रिम होने पर तकनीकी चुनावों के प्रति पूर्वभावना न बनाएं । विशेष योग्यता निर्धारक आवश्यकताएं, यदि कोई हो तो, आर एफ पी में शामिल की जानी चाहिए ।

4.6.4 **<u>द्विबोली प्रणाली में बोलियों का प्रस्तुतीकरण करने की स्थिति</u>** - तकनीकी बोली तथा वित्तीय बोली को बोली लगाने वाली के द्वारा पृथक लिफाफे में सीलबद्ध तथा यथावत उपरिलेखित किया जाना चाहिए तथा दोनों सील हुए लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सील करना तथा यथावत उपरिलेखित किया जाना चाहिए। तकनीकी बोली प्रथम दृष्टि में खोली तथा मूल्यांकित की जानी चाहिए । दूसरे स्तर पर, केवल तकनीकी रुप से स्वीकृत योग्य प्रस्तावों की वित्तीय बोलियां अग्रिम मूल्यांकन के लिए खोली जानी चाहिए तथा अनुबंध किए जाने से पूर्व श्रेणीकृत की जानी चाहिए ।

4.6.5 **<u>निष्पादन मापदण्ड</u>** - निष्पादन मापदण्ड सत्यापन योग्य तथा न्यूनतम आवश्यक सैन्य आवश्यकताओं हेतु उपलब्ध होने चाहिए । आर. एफ. पी. में शामिल आवश्यक मापदण्डों की पूर्णता टी ई सी(तकनीकी मूल्यांकन समिति) द्वारा अग्रिम विश्लेषण का आधार होगी ।

4.7 <u>निविदा तथा बोली प्रतिभूति की लागत/अग्रिम धन निक्षेप</u>

4.7.1 **<u>निविदा दस्तावेजों की लागत</u>** -विज्ञापित (खुली) निविदा पूछताछ के अनुसार रखी गई

निविदा निम्नलिखित निर्धारित कीमत के भुगतान पर विकय की जाएगी ।

निविदा का अनुमानित मूल्य	निविदा सेट की कीमत (रु0 में)
1. 50 लाख रु0 तक	100
2. 50 रु0 लाख से अधिक किन्तु 1 करोड रु0 तक	250
3. 1 करोड रु0 से अधिक किन्तु 5 करोड रु0 तक	500
4. 5 करोड रु0 से अधिक	1,000

टिप्पणी : रेखाचित्र तथा विशिष्टताओं को लागत अलग होगी । इस विषय में , आर एफ पी जारी किए जाने के दौरान एकीकृत वित्त के साथ विचार विमर्श द्वारा तय किया जा सकता है ।

4.7.2 **बोली प्रतिभूति** - विज्ञापित अथवा सीमित निविदा पूछताछ के मामले में बोली वैधता की अवधि के दौरान एक बोली लगाने वाले द्वारा वापसी अथवा उसकी बोली में परिवर्तन के विरुद्ध संरक्षण के लिए, बोली प्रतिभूति ,बोली लगाने वाले से उनकी बोलियों के साथ बोली प्रतिभूति देने के लिए कहा जाना चाहिए ।

4.7.3 **बोली प्रतिभूति की राशि** - बोली प्रतिभूति की राशि,अधिप्राप्ति योग्य वस्तुओं के अनुमानित मूल्य के दो प्रतिशत से पांच प्रतिशत की सीमा के बीच होनी चाहिए । बोली प्रतिभूति की निश्चित राशि सी एफ ए के अनुमोदन तथा आर एफ पी में इंगित प्रस्ताव की प्रक्रिया के दौरान न्यायिक रुप से निर्धारित की जानी चाहिए ।

4.7.4 **बोली प्रतिभूति का रुप** - बोली प्रतिभूति फार्म डी पी एम 13 के अनुसार , सभी मामलों में क्रेता की रुचि के संरक्षण हेतु संचालित सरकार व्यवसाय द्वारा प्राधिकृत किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अथवा निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा लेखा प्राप्तकर्ता डिमाण्ड डाफ्ट, फिक्स्ड डिपाजिट रसीद, बैंकर्स चैक अथवा बैंक गारण्टी के रुप में स्वीकृत होनी चाहिए ।

4.7.5 **बोली प्रतिभूति की वैधता** - बोली प्रतिभूति अन्तिम बोली वैधता अवधि के अतिरिक्त 45 दिनों की अवधि के लिए सामान्य रुप से वैध होती ।

4.7.6 **बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय** -असफल बोली वालों की बोली प्रतिभूति, अन्तिम बोली वैधता की समाप्ति के पश्चात तथा अनुबंध दिए जाने के पश्चात 30 दिन होने पर या इससे पहले वापिस दी जानी चाहिए ।सफल बोली वालों की बोली प्रतिभूति किसी भी स्थिति में,अनुबंध में मांगी गई निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति के पश्चात् वापस की जानी चाहिए ।

4.7.7 **बोली प्रतिभूति के प्रस्तुतीकरण में छूट** - बोली प्रतिभूति से इन फर्मो द्वारा प्राप्त होने की अपेक्षा नही की जाती है जो केंद्रीय खरीद संगठन (उदाहरणार्थ डी जी एस तथा डी),राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन एस आई सी) अथवा सम्बंधित विभाग अथवा भारत सरकार के मंत्रालय के अंतर्गत पंजीकृत है, से बोली प्रतिभूति लेने की आवश्यकता नही है। निविदा का मूल्य 2 लाख रुपए अथवा कम होने की स्थिति मे कोई निविदा प्रतिभूति की आवश्यकता नही है ।

4.7.8 **बोली प्रतिभूति की जब्ती** - बोली प्रतिभूति अग्रिम धन जब्त किया जा सकता है यदि बोली लगाने वाला पीछे हट जाता है या अपनी निविदा की वैद्यता अवधि में किसी भी प्रकार से निविदा का परिवर्तन , कमी अथवा अनादर करता है । बोली प्रतिभूति जब्त करने के लिए किसी प्रकार के पृथक आदेश की आवश्यकता नही है जो बकाया का अनुसरण करता है तथा तात्कालिक रुप से सरकारी लेखा में जमा कर दी जानी चाहिए ।

4.8 **निविदा देने की प्रकिया**

4.8.1 **अभिरुचि की अभिव्यक्ति** - उन मामलों में, जहां अपेक्षित वस्तुओं या सेवाओं की विशेषताएं स्पष्ट नहीं है अथवा स्रोत ज्ञात नहीं है तथा आपूर्तिकर्त्ताओं की पूर्व योग्यता को आश्रय देने का विचार किया जाता है, वहां अभिरुचि की अभिव्यक्ति/सूचना जारी की जा सकती है तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध जारी करने से पहले गुणात्मक आवश्यकताओं (क्यू आर)/विशेषताओं को दृढ़ बनाने के लिए सूचना में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाली फर्मों के साथ पूर्व-बोली सम्मेलन किया जा सकता है ।

4.8.2 **प्रस्ताव/निविदा पूछताछ हेतु अनुरोध की तैयारी** - प्रस्ताव हेतु अनुरोध जिसे निविदा पूछताछ भी कहा जाता हे, अधिप्राप्ति प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है । आर एफ पी, यथावत सावधानी तथा आवश्यक इकाईयों या सेवाओं के संपूर्ण विवरणों के साथ तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें बोली लगाने वालों को स्पष्ट निर्देश तथा भुगतान शर्तों के साथ शर्तें तथा अनुबंध शामिल हैं । तकनीकी बोली तथा व्यवसायिक बोली, दोनों के लिए आर एफ पी में संपूर्ण व स्पष्ट निद्रेश आवश्यकता के क्षेत्र तथा मूल्यांकन मानदंड सम्मिलित होने चाहिए । जहां वित्तीय शक्तियां उनकी सहमति के साथ प्रयुक्त होती है, वहां आर एफ पी एकीकृत वित्त द्वारा पुनरीक्षित होनी चाहिए । इस मैनुअल के पैरा 4.6.3 के प्रावधानों को, उपभोक्ता आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण करने के दौरान ध्यान में रखना चाहिए ।

4.8.3 **आर एफ पी में ब्रांड नामों का संदर्भ** - बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट, मानक तथा विशिष्टताएं, वस्तुओं के लिए अन्य आवश्यकताओं के जटिल निष्पादन अथवा पूर्णता को सुनिश्चित करने के दौरान विस्तृेत संभव प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए । ब्रांड नामों, सूचीगत संख्याओं आदि को आर एफ पी में बढ़ावा नहीं देना चाहिए ।

4.8.4 **आर एफ पी की संरचना** - इस मैनुअल के अध्याय 1 में परिभाषित वस्तुओं तथा सेवाओं की देशी अधिप्राप्ति के लिए आर एफ पी हेतु प्रस्तावित संरचना परिशिष्ट 'ग' में दी गई है । संरचना का नमनू, इस मैनुअल में दिए गए अनेक निर्देशो पर आधारित होता है । अत: लघु परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो कि किसी विशेष प्रस्ताव या खण्ड के प्रत्यायोजन की आवश्यकताओं के अनुकूल कलेवर से संबंधित होता है । यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि अनुबंध/आपूर्ति आदेश में कोई खण्ड समाविष्ट नहीं होना चाहिए यदि यह आर एफ पी में शामिल नही किए जाने चाहिएं जो संविदा की शर्तो में नहीं है जिससे कि अन्य आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ अन्याय न हो सके ।

4.9 **निविदाओं की प्राप्ति**

4.9.1 **निविदा बक्सा** - यह सुनिश्चित करने के लिए कि बोलियां क्रेता द्वारा समय पर प्राप्त की गई है, एक निविदा बक्सा एक सुलभ किंतु सुरक्षित स्थान पर, यथापूर्वक बंद तथा सील करके, रखना चाहिए, जिस पर विभाग का नाम स्पष्ट रुप से इंगित होना चाहिए । बक्से पर बड़े अक्षरों में "निविदा बक्सा" लिखा जाना चाहिए ।

4.9.2 **बोलियों का दस्ती वितरण** - जिन मामलों में निविदाओं का दस्ती वितरण आवश्यक है, वहां यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कम से कम दो अधिकारियों का नाम बोली दस्तावेजों पर इंगित हो । इन अधिकारियों के विषय में जानकारी परिक्षेत्रों के प्रवेश पटल पर दर्शाई जानी चाहिए जहां बोली लगाने वालों के लिए सरल दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए निविदाओं को जमा किया जाता है ।

4.10 आर एफ पी में संशोधन तथा निविदा की खोलने की दिनांक का विस्तार

4.10.1 **आर एफ पी में संशोधन** - कुछ परिस्थितियों मे पहले जारी टेंडर दस्तावेजों (सीमित टेंडर पूछताछ मामला) या बिक्री के लिए पहले रखे गए (विज्ञापित/खुले टेंडर पूछताछ मामले में) आवश्यक गुणावत्ता या विनिर्देशनों में परिवर्तन किए जाने के कारण संशोधन करना आवश्यक हो सकता है ।. कुछ मामलों में, दस्तावेज प्राप्त करने के पश्चात्, निविदाकर्त्ता, निविदा दस्तावेज में आवश्यक संशोधनों द्वारा वास्तविक त्रुटियां इंगित कर सकता है । ऐसी स्थिति में बोली के प्रस्तुतीकरण की दिनांक से पूर्व उपर्युक्त रुप से निविदा दस्तावेज में परिवर्तन करना आवश्यक हो सकता है । इन संशोधनों/परिवर्तनों की प्रतियां, सीमित निविदा पूछताछ की स्थिति में चयनित आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/कोरियर/ई-मेल द्वारा भेजी जानी चाहिए । विज्ञापित/खुली निविदा पूछताछ की स्थिति में ऐसे संशोधनों/परिवर्तनों की प्रतियां समान रुप से बिना किसी लागत के रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/कोरियर/ई-मेल द्वारा सभी दलों को भेजी जानी चाहिए, जो पहले ही निविदा दस्तावेजों का क्रय कर चुके हों तथा ऐसे संशोधनों की प्रतियां गैर बिकी निविदा दस्तावेजों के साथ मुख्य रुप से संलग्न होनी आवश्यक है, जिसमें निविदा दस्तावेजों का वेबसाइट पर दर्शाया जाना शामिल है ।

जब संशोधन/परिवर्तन, आवश्यकताओं को विशेष रुप से प्रभावित करते हैं तथा/अथवा निविदाकर्त्ताओं के समक्ष ऐसी संशोधनों का प्रत्युत्तर देने, तथा संशोधित निविदाएं तैयार करने का समय नहीं है, निविदाओं के प्रस्तुतीकरण का समय तथा दिनांक सरलता से विस्तार करना आवश्यक है, जिसके साथ निविदा प्राप्ति के तदनुसार समय, निविदा वैधता अवधि आदि तथा तदनुसार ई एम डी/बोली प्रतिभूति की वैधता अवधि में परिवर्तन शामिल हैं। इन परिस्थितियों के आधार पर, ऐसे संशोधनों को, वास्तविक निविदा पूछताछ के पकाशन के लिए समान प्रक्रिया नवीन प्रकाशन मे अपनाई जा सकती है ।

4.10.2 **निविदा खोलने की तारीख को बढ़ाना** - उन मामलों में भी, जहां आर एफ पी में संशोधन के कारण, निविदा खोलने की दिनांक का विस्तार आवश्यक नहीं होता है, वहां सक्षम वित्तीय प्राधिकारी, एकीकृत वित्त की सहमति के साथ, जहां विभिन्न शक्तियों की प्रत्यायोजन के अनुसार आवश्यकता हो, आर एफ पी में उल्लेखित निविदा के खोलने की दिनांक को बढ़ाया जा सकता है, किंतु ऐसा विस्तार अगले उच्च आर एफ पी में दी गई कुल डिलिवरी अवधि से अधिक न हो । किसी भी प्रकार प्रसार के लिए अगले उच्च सी एफ ए का अनुमोदन आवश्यक होगा । इस प्रकार के विस्तार तथा संशोधन समान पत्रिकाओं/ समाचारपत्रों में प्रकाश्ति होने चाहिए जिसमें वास्तविक आर एफ वी प्रकाशित हुआ हो तथा जिसका प्रचार किया जान चाहिए यदि वास्तविक आर एफ पी वेबसाइट पर संचालित होता है ।

4.10.3 **खोलने की देय तिथि के पश्चात निविदा दिनांक का विस्तार** - विशेष परिस्थितियों में , उच्च सी एफ ए के अनुमादन द्वारा तथा आई एफ ए के परामर्श से, लिखित में दर्ज कारणों के लिए निविदा को खोलने की देय तिथि के पश्चात एक निश्चित समयावधि में निविदा की खोलने की तिथि का विस्तार किया जा सकता है, जहां वित्तीय शक्तियां एकीकृत वित्त की सहमति से प्रयुक्त की जा सकती है ।

4.11 निविदा प्रारम्भ

4.11.1 **एकल बोली प्रणाली के अन्तर्गत निविदाओं का खोला जाना** - निविदाओं को खोलने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए:

(क) समय पर प्राप्त की गई सभी निविदाएं निविदाकर्ताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बताई गई दिनांक, समय तथा स्थान पर अधिकारियों/निविदा खोलने की समिति द्वारा खोली जानी चाहिएं, जिनका नामांकन सी एफ ए द्वारा पहले ही किया गया हो । प्राधिकृत प्रतिनिधियों को जो निविदा खोलने के समय पर उपस्थित होने की रुचि रखते हैं, अपने साथ संबंधित निविकर्त्ताओं से प्राधिकारी का पत्र लाना आवश्यक है ।

(ख) निविदा अधिकारी/समिति को निविध खोलते समय उपस्थित होने वाले प्रतिनिधियों की सूचनाओं हेतु निविदा खोलने वाले की मुख्य विशेषताएं जैसे वस्तुओं का विवरण तथा विशिष्टताएं, दी गई कीमत आपूर्ति की शर्तें,आपूर्ति अवधि, छूट यदि कोई हो, ई एम डी किया गया है या नही तथा अन्य कोई विशेषता ।

(ग) निविदा खोलने के पश्चात,प्रत्येक निविदा पर निविदा खोलने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रथम पृष्ठ पर क्रमानुसार, तथा दिनांक लिखी जानी चाहिए ।कीमत अनुसूची अथवा संलग्न पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर उनके द्वारा दिनांक ,विशेषकर कीमत , आपूर्ति अवधि आदि जिसे घेरे में रखा गया हो, के साथ प्रारम्भ की जानी चाहिए तथा दिनांक इंगित करते हुए प्रारम्भ करना चाहिए । खाली निविदा, यदि कोई हो तो , निविदा खोलने वाले अधिकारियों द्वारा तदनुसार चिन्हित की जानी चाहिए ।

(घ) निविदा मे फर्म द्वारा किए गए परिवर्तन सपाठ्य तरीके से निविदा खोलने वाले अधिकारी द्वारा दिनांक एवं समय देते समय आद्याक्षरित होने चाहिए जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि निविदा में ये परिवर्तन खोले जाने के समय भी मौजूद थे ।

(ड) जहां भी किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा कटाव की आशंका होती है,तो पर्याय शब्द चिन्हित किए जाने चाहिए तथा यह स्पष्ट करने हेतु निविदा खोलने का समय और दिनांक प की जानी चाहिए कि वास्तविक प्रवेश इस प्रकार का परिवर्तन/कटाव खोलने के समय पर उपस्थित थे ।

(च) निविदा खोलने वाले अधिकारियों के एक प्रतिनिधियों की एक सूची तैयार करनी चाहिए, जो निविदा के खोलने पर उपस्थित हैं तथा जिन्होंने सूची पर हस्ताक्षर किए हैं । सूची में प्रतिनिधियों के नाम तथा तदनुसार निविदाकर्ताओं के नाम तथा पते लिखे होने चाहिए । प्रतिनिधि द्वारा लाया गया प्राधिकृत पत्र इस सूची के साथ संलग्न होना चाहिए । इस सूची पर निविदा खोलने वाले अधिकारियों द्वारा समय तथा दिनांक के साथ हस्ताक्षरित होने चाहिए ।

(छ) एक तात्कालिक रिपोर्ट , जिसमें निविदाकर्ताओं के नाम, निविदाओं की मूख्य विशेषताएं शामिल हैं ,निविदाओं के प्रतिनिधियो के सामने सार्वजनिक रुप से पढी जाएगी । अत: यह निविदा खोलने वाले अधिकारियों द्वारा दिनांक तथा समय सहित यथारुप हस्ताक्षरित होनी चाहिए ।

(ज) निविदा ,जिसका खोला किया गया हो, निविदा खोलने समय उपस्थित प्रतिनिधियों की सूची तथा तात्कालिक रिपोर्ट प्राप्तकर्ता एजेंसी के नामांकित अधिकारी की तथा समान हेतु प्राप्त की गई अभिस्वीकृति की पावती देनी चाहिए ।

4.11.2 **द्वि बोली प्रणाली के अन्तर्गत निविदाओ को खोलना** - पूर्ववर्ती अनुच्छेद में दी गई प्रक्रिया द्वारा द्वि बोली प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक परिवर्तनों का भी अनुसरण करना चाहिए किन्तु पहली बार में केवल एक तकनीकी बोली खोली जानी चाहिए सिर्फ क्यू आर अनुपालन निविदाओं की व्यवसायिक बोली का प्रारम्भ तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन तथा सी एफ ए की टी ई सी रिपोर्ट के अनुमोदन के पश्चात ही की जानी चाहिए । अन्य निविदाकर्ताओ ,जो उपर्युक्त प्रकार क्यू आर का अनुपालन नही करते, उनकी व्यवसायिक बोलियां, प्राप्त की गई सील हुई तथा बिना खोली गई स्थिति में निविदाकर्ताओं को वापस कर दी जाएगी ।

4.12 तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन

4.12.1 **तकनीकी बोलियों को खोलना** - जहां दर सूची पृथक तकनीकी तथा व्यवसायिक बोलियां आमंत्रित की गई हों, प्रारम्भ में निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में केवल तकनीकी बोलियों का खोलना ।

4.12.2 **तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन** - तकनीकी बोलियों के प्रारम्भ के पश्चात, तकनीकी मूल्यांकन किसी विधिवत् नियुक्त की गई तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाना चाहिए ।

4.12.3 **तकनीकी मूल्यांकन समिति** - तकनीकी मूल्यांकन समिति (टी ई सी) जहां भी गठित की गई हो में निर्विवाद रुप से प्रबन्धक के अतिरिक्त प्रयोक्ता के प्रतिनिधि, मनोनीत जांच समिति, रखरखाव एजेंसी, अधिप्राप्ति तथा सी एफ ए होना चाहिए । वित्तीय प्रतिनिधियों का टी ई सी के साथ जुडा होना आवश्यक नही है ।

4.12.4 **टी ई सी के उद्देश्य** - टी ई सी का प्रमुख उद्देश्य तकनीकी ढांचा तैयार करना है जिसमें यह दर्शाया गया हो कि किस प्रकार प्राप्त बोलियों के तकनीकी मानदण्ड की निविदा दस्तावेज/ आर एफ पी में शामिल मानदण्डों से तुलना की जाती है । यदि अवसर आवश्यक मानदण्डो से तुलना की जाती है यदि अवसर आवश्यक मानदण्डों के अनुरुप हो तो स्वीकार्य होने चाहिए ।

4.12.5 **टी ई सी द्वारा अनुपालन रिपोर्ट की तैयारी** - टी ई सी द्वारा एक अनुपालन विवरण तैयार किया जाना चाहिए जिसमें आवश्यक मानदण्डों सहित क्यू आर तथा अनुपालन अथवा गैर अनुपालन के संदर्भ सहित विभिन्न विक्रेताओं द्वारा प्रस्तावित उपकरणों / निविदा व ईकाइयों की तकनीकी विशेषताओं में, भिन्नताओं, यदि कोई हो, की सीमा दर्शाई गई हो यदि आवश्यक समझा जाए तो, टी ई सी उन विक्रेताओं की आमंत्रित कर सकता है जो तकनीकी प्रस्तुतीकरण/ स्पष्टीकरण के आवश्यक मानदण्डों को पूरा करते हों।

4.12.6 **<u>टी ई सी रिपोर्ट की संरचना</u>** - टी ई सी रिपोर्ट फार्म डी पी एम 24 में दी गई संरचना के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए । टी ई सी द्वारा निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए:-

(क) तकनीकी प्रस्तावों के आधारभूत संरचना/चरित्र को बदले जाने की अनुमति नही दी जा सकती ।

(ख) निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए समान परिमाण में सभी विक्रेताओं को लघु तकनीकी विवरणों के पुनरावलोकन के लिए अवसरों की सहमति दी जानी चाहिए ।

(ग) किसी विक्रेता को अपने प्रस्ताव को क्यू आर अनुपालन बनाने हेतु परिवर्तित करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाना चाहिए ।

(घ) वास्तविक व्यवसायिक दरें दृढ़ तथा स्थिर रहनी चाहिए तथा विक्रेता के साथ टी ई सी के विचार विमर्श के दौरान कीमत में कोई वृद्धि/कमी कीअनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

(ड़) कोई सशर्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जो आर एफ पी में उल्लेखित विशिष्टताओं के साथ अनुरुपता में नहीं है ।

4.12.7 **<u>व्यवसायिक पहलुओं के सन्दर्भ में टी0ई0सी का अधिदेश</u>** - टी ई सी, व्यवसायिक पहलू पर विचार विमर्श करने हेतु प्राधिकृत नहीं है । तथापि, टी ई सी को व्यवसायिक शर्तों व अनुबन्धों के सम्बन्ध में एक अनुपालन विवरण तैयार करना चाहिए, जैसे बोली प्रतिभूति, वारण्टी आदि आर एफ पी के अनुसार तकनीकी बोली में सम्मिलित हैं ।

4.12.8 **<u>आई एफ ए की संस्था</u>** - जब भी निविदाकरण का द्वि बोली प्रणाली का अनुसरण किया जाता है,बोली का तकनीकी मूल्यांकन न सिर्फ निविदा में उल्लेखित तकनीकी विशिष्टताओं के साथ तकनीकी बोली के अनिश्चित अनुपालन के लिए अनिवार्य कदम है, बल्कि गुणात्मक आवश्यकता के अनुसार सभी बोली लगााने वालों को एक ही क्षेत्र में लाने का दायित्व भी निभाता है । चूंकि तकनीकी मूल्यांकन टी ई सी द्वारा लिया जाता है तथा इस स्तर पर स्वीकृत वित्त के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, सी एफ ए, यदि आवश्यक समझे, तो बोली की कीमत के खोलने से पहले व्यवसायिक शर्तों व अनुबंधों के साथ समन्वय के संबंध में टी ई सी रिपोर्ट की जांच में आई एफ ए अथवा अपने प्रतिनिधियों को संगठित करने की प्रणाली विकसित कर सकता है । एक बार पूर्ण होने के पश्चात् टी ई सी रिपोर्ट अनुमोदन हेतु सी एफ ए के समक्ष भेजी जानी चाहिए ।

4.12.9. **<u>सी एफ ए द्वारा अनुमोदन</u>** - टी ई सी रिपोर्ट संबंधित सी एफ ए द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। टी ई सी रिपोर्ट उन मामलों में रक्षा सचिव तथा विशेष/अवर सचित द्वारा स्वीकृत की जा सकती है जहां क्रमश: रक्षामंत्री तथा रक्षा सचिव सी एफ ए होता है ।

4.12.10**<u>क्यू आर - अनुपालन प्रस्ताव</u>** - वे प्रस्ताव जो टी ई सी रिपोर्ट के अनुसार, सी एफ ए द्वारा विधिवत् अनुमोदित होते हैं, व्यवसायिक समझौता समिति (सी एन सी) द्वारा उन पर विचार किया जाना आवश्यक है । यदि सी एफ ए द्वारा आवश्यक समझा जाए, आई एफ ए के परामर्श से, विक्रेताओं के साथ समझौता करने के लिए योजना को अन्तिम रुप देने के लिए विधियां विकसित करनी चाहिए, जहां एकीकृत वित्त के अनुपालन सहित शक्तियों का पालन करना चाहिए ।

4.12.11 **द्विबोली प्रणाली में संशोधित व्यवसायिक बोलियां** - द्वि-बोली प्रणाली सहित अधिप्राप्ति के विषय में, तकनीकी विशिष्टताओं में सभी संभव विवरणों को समाविष्ट करना प्रयोगात्मक नहीं हैं, उसके संबंध में तकनीकी परामर्श के दौरान विस्तृतिकरण/स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है । इससे, टी ई सी/सी एन सी के दौरान विचार-विमर्श के परिणामस्परुप संशोधित व्यवसायिक बोलियों का प्रस्तुतिकरण जरुरी हो जाता है । यदि वास्तविक कीमत नहीं खोली जाती है तो, सभी तकनीकी रुप से स्वीकार योग्य विक्रेताओं को, उनकी संशोधित व्यवसायिक बोलियां सीलयुक्त लिफाफे में देने हेतु समान अवसर देने की सलाह दी जाती है । सी एन सी L, तक पहुंचाने के लिए संशोधित तकनीकी बोलियों का ध्यान रखेगा ।

4.12.12 **संशोधित व्यवसायिक बोलियां प्राप्त करने हेतु सी एफ ए का अनुमोदन** - संशोधित व्यवसायिक बोलियों के प्रयोग से पूर्व, जहां वास्तविक बोली की कीमत खोली नहीं गई हो, जहां वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार आवश्यक हो, एकीकृत वित्त के परामर्श से, सी एफ ए का अनुमोदन निर्विवाद रुप से लिया जाना चाहिए । सभी योग्य विक्रेताओं को पूर्ण रुप से समान अवसर दिया जाना आवश्यक है ।

4.13 **व्यवसायिक बोलियों का मूल्यांकन** -

4.13.1 **निविदाओं के तुलनात्मक विवरणों की तैयारी** - व्यवसायिक बोलियों के खोले जाने के उपरांत (द्विबोली प्रणाली के मामले में क्यू आर - अनुपालन निविदाकर्त्ताओं तथा सी एफ ए द्वारा टी ई सी रिपोर्ट के अनुमोदन के पश्चात्) प्राप्तकर्त्ता ऐजेंसी को निविदाओं का एक तुलनात्मक विवरण तैयार करना चाहिए । तुलनात्मक विवरण पूरी सावधानी के साथ तैयार किया जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक तत्व की लागत पृथक रुप से प्रत्येक निविदाकर्त्ता के सामने दर्शायी जानी चाहिए । सी एस टी व्यवसायिक बोलियों के खोले जाने के तुरंत बाद तैयार की जानी चाहिए, जहां वित्तीय शक्तियां, एकीकृत वित्त की सहमति से किया जाना चाहिए ।

4.13.2 **व्यवसायिक मूल्यांकन** - बोलियों का व्यवसायिक मूल्यांकन किसी भी खरीद संबंधी निर्णय का मुख्य भाग है । यदि आर एफ पी में दिए गए मापदण्डों के अनुसार, दी गई दरों का सही मूल्यांकन, भाड़ा, बीमा, कर, शुल्क तथा सम्मिलित अन्य तथ्यों का, पालन नहीं किया जाता तो खरीद संबंधी निर्णय त्रुटिपूर्ण और दोषपूर्ण बन सकता है । मूल्यों का औचित्य स्थापित करने तथा बोलियों को श्रेणीबद्ध करने के विस्तृत दिशानिर्देश पर इस मैनुअल के अध्याय - 13 में भी चर्चा दिए गए हैं ।

4.13.3 **व्यवसायिक समझौता** - प्रत्येक विषय में व्यवसायिक समझौता अनिवार्य नहीं होता, विशेषकर खुली तथा सीमित निविदा मामलों में, जहां प्रत्युत्तर दृढ़ होता है तथा L, कीमत, संतुलित कीमतों के समकक्ष हैं, यदि इस प्रकार का मूल्यांकन व्यवसायिक बोलियों के खोले जाने से पहले हुआ हो । तथापि, व्यवसायिक समझौता यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो सकता है कि राज्य की अभिरुचि पूर्णतया सुरक्षित है तथा भुगतान कीमत संतुलित हो । व्यवसायिक समझौता, पी ए सी मामलों सहित, एकल निविदा स्थितियों में निर्विवाद रुप से किया जाता है, अथवा जब निविदा की प्रकृति पर विचार किए बिना, मूल्यांकित संतुलित कीमतों के संदर्भ में कीमतें ऊंची समझी जाती हैं । इस प्रकार के समझौते विधिवत् नियुक्त व्यवसायिक समझौता समिति द्वारा निर्विवाद रुप से किए जाते हैं, जिसमें निर्विवाद रुप से एक वित्तीय सदस्य सम्मिलित होता है, जब तक समिति सी एफ ए स्वयं समझौता नहीं करता ।

4.13.4 **<u>सी एन सी की रचना</u>** - प्रबन्धक के अतिरिक्त, उपभोक्ता के प्रतिनिधि, एकीकृत वित्त, पदनामित जांच समिति, रख-रखाव एजेंसी, अनुबंध पश्चात् प्रबंधन से संबंधित निदेशालय तथा जहां लागू हो,सी एफ ए होना चाहिए । सी एन सी से परामर्श के दौरान उच्च मूल्य एकल विक्रेता प्रस्तावों के मामले में, सी एफ ए, कोई अन्य सदस्य जैसे लागत विशेषज्ञ नियुक्त कर सकता है ।

4.13.5 **<u>सी एन सी के प्रबंधक</u>** - सी एन सी की अध्यक्षता, सी एफ ए से एक पद नीचे के अधिकारी द्वारा की जा सकती है । सी एन सी की अध्यक्षता संयुक्त सचिव द्वारा की जा सकती है जहां रक्षा मंत्री और रक्षा सचिव सी ,फ ए होते हैं । रक्षा मंत्रालय में सी एफ ए, सेवा मुख्यालय से एक अधिकारी को सी एन सी का प्रबंधक बनाने हेतु प्राधिकृत कर सकता है, विशेषकर उन परिस्थितियों, जहां प्रस्ताव प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत प्रारम्भिक रुप से संसाधित किया गया था किन्तु निविदाओं के खोले जाने पर लागत, सेवा मुख्यालय में सी एफ ए को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों की सीमा से अधिक थी ।

4.13.6 **<u>कीमत का संतुलन</u>** - सी एन सी का मूल उद्देश्य सरकार द्वारा चुकाई गई कीमत का युक्तिकरण स्थापित करना है । यह एक जटिल कार्य है तथा बहुत से कारकों पर विचार करने की आवश्यकता होती है । विस्तृत निर्देश इस मैनुअल के अध्याय 13 में दिए गए हैं । तथापि, कीमत संतुलन की जांच करते समय कुछ तथ्यों जैसे- पिछली कीमत (एल पी पी), कीमत सूचकांक के संबंध में बाजार आसूचना, कच्ची सामग्री की कीमत का विश्लेषण, सम्मिलित तकनीकी जटिलताएं, इकाईयां नवीन अतिरिक्त पुर्जों तथा वारण्टी की आवश्यकता आदि को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है ।

4.13.7 **<u>सी एन सी का उत्तरदायित्य</u>** - जब भी सी एन सी द्वारा समझौता किया यजाता है, सी एन सी मीटिंग के कार्यवृत्त स्पष्ट रुप से तथा शीघ्रतापूर्वक रिकार्ड किए जाने चाहिए । सी एन सी द्वारा L, को निर्धारित किया जाना चाहिए तथा संस्तुति बनाने के लिए कारण देते हुए स्पष्ट तथा विशिष्ट सिफारिशें करनी चाहिए । सी एन सी के दौरान दी गई निविदाकृत क्यू आर, कीमत तथा अनुबंध धाराओं की अनुरुपता के संबंध में विस्तृत रिकार्डों पर विचार विमर्श तैयार किया जाना चाहिए तथा मीटिंग के कार्यवृत्त के रुप में लेखांकित किया जाना चाहिए। सी एन सी के सभी सदस्यों को कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर करना चाहिए ।

4.13.8 **<u>सी एन सी संस्तुतियों की स्वीकृति</u>** - सी एन सी की संस्तुतियों को शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार, जहां भी आवश्यकता हो, आई एफ ए की सहमति से, सी एफ ए के अनुमोदन हेतु खरीद एजेंसी की फाईल में संसाधित किया जाना चाहिए ।

4.14 <u>प्रतियोगिता में कमी</u>

4.14.1 **<u>प्रतियोगिता में कमी</u>** - निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रतियोगिता में कमी लागू होती है -

(क) स्वीकृत योग्य प्रस्ताव दो से कम हों ।

(ख) रिंग कीमत सभी निविदाकर्त्ताओं द्वारा मालूम हो । (उत्पादक संघ सूचना)

(ग) दरों की संख्या पर विचार किए बिना सभी निविदाकत्ताओं द्वारा सिर्फ एक उत्पादक के उत्पाद का प्रस्ताव दिया गया हो ।

(घ) क्रय के अन्तर्गत भण्डार प्राचीन काल से अन्य आपूर्ति में हैं जिसके विरुद्ध स्वीकार्य प्रस्तावों की संख्या दो से अधिक न हुई हो ।

4.15. परिणामी एकल विक्रेता स्थिति

4.15.1 परिणामी एकल विक्रेता स्थितियों में कार्रवाई किया जाना - कुछ ऐसे मामले भी हैं जहां एल टी ई अथवा ओ टी ई के विरुद्ध भी एकल दर अथवा एकल स्वीकार्य दर प्राप्त हुई है । यह स्थिति तकनीकी मूल्यांकन के पहले या पश्चात् एकल बोली निविदाकरण तथा साथ ही साथ द्विबोली निविदाकरण में खड़ी हो सकती है । इसके परिणामस्वरुप प्रतियोगिता में कमी को दर्शाते हुए एकल विक्रेता स्थिति सामने आएगी । ऐसी स्थिति में निम्नलिखित पहलुओं की जांच की जाएगी कि -

(क) क्या आर एफ पी जारी करने के दौरान सभी आवश्यकताओं जैसे मानक पूछताछ, स्थिति, सहऔद्योगिक विशिष्टताएं, विस्तृत प्रचार, निविदाओं की संरचना हेतु पर्याप्त समय आदि का ध्यान रखा गया है ।

(ख) क्या आर एफ पी उपयुक्त रुप से भेज दी गई है तथा भावी विक्रेता द्वारा, जिसे वे भेजी गई हैं, के द्वारा विधिवत् रुप में प्राप्त कर ली गई हैं ।

(ग) क्या एस क्यू आर, विशेषकर एल टी ई मामलों में, पुनर्निमित की जा सकती है तथा विस्तृत प्रतियोगिता का प्रसार करने हेतु विस्तृत आधार बनाया गया है ।

(घ) क्या समय तथा आवश्यकयताओं की जटिलता एस क्यू आर के पुनर्निमाण की अनुमति देती है ।

यदि जांच द्वारा यह पता चलता है कि (क) तथा (ख) समरुप बनाए गए हैं तथा (ग) और (घ) साध्य नहीं है, इसे ओ टी ई अथवा एल टी ई मामले के रुप में समझते हुए आगे संसाधित किया जा सकता है जैसा कि मामला सी एफ ए के अनुमोदन के साथ हो सकता है । तथापि, यदि निविदा प्रक्रिया के प्रति कोई संशय है अथवा संचालन की आवश्यकता पर समझौते के बिना एक क्यू आर के पुनर्निमाण पर विचार करने हेतु यह साध्य समझा जा सकता है, कमियों को सुधारने तथा/अथवा एस क्यू आर के पुनर्निमाण के पश्चात् आर एफ पी को संकुचित तथा पुन: जारी किया जाना चाहिए ।

4.16 पुनर्निविदा

4.16.1 पुनर्निविदा - एकीकृत वित्त की सहमति के साथ पुनर्निविदा को सी एन सी द्वारा संस्तुत तथा सी एफ ए द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, जहां अत्यंत सावधानी के साथ, सामान्यत: निम्न परिस्थितियों में, वास्तविक अनुमोदन एकीकृत वित्त की सहमति के अनुरुप है -

(क) प्रस्ताव, आर एफ पी में निर्दिष्ट गुणात्मक आवश्यकताओं तथा अन्य शर्तों व अनुबंधों से निश्चित नहीं होते हैं ।

(ख) विशिष्टताओं तथा मात्रा में बड़े परिवर्तन हैं, जो कीमत पर विचारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं ।

(ग) उद्दत कीमत मूल्यांकित संतुलित कीमत के संदर्भ में असामान्य रुप से उच्च है अथवा बोलियों की प्राप्ति के पश्चात् कीमतों में आकस्मिक गिरावट दिखाई पड़ती है ।

(घ) जहां प्रतियोगिता की कमी है तथा यह आश्वस्त करने के स्पष्ट तथा वास्तविक कारण हैं, जो अनेक विक्रेताओं को भागिदारी की अनुमति नहीं देता है । इस प्रकार के मामलों में, तथापि, जो

दुर्लभ होने चाहिए क्योंकि सामान्यत: विशिष्ताएंपूर्ण सावधानी से बनाई जाती है तथा जहां आवश्यक हो, बोली पूर्व सम्मेलन के पश्चात, सी एफ ए को यह ध्यान में रखना चाहिए यदि विस्तृत और उचित प्रतियोगिता को बढ़ावा देने हेतु विशिष्टताओं के पुनरावलोकन को कोई संभावना है ।

4.16.2 **L, द्वारा प्रस्ताव को लौटाना** - निम्नतम निविदाकर्त्ता द्वारा अपना प्रस्ताव लौटा लेने की स्थिति में, पुनर्निविदाकरण केन्द्रीय सतर्कता समिति द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आश्रित होनी चाहिए । पुनर्निविदाकरण के दौरान उस विक्रेता, को आर एफ पी दिया जाना आवश्यक नहीं है जो पीछे हट चुका है तथा उस फर्म की अग्रिम राशि, यदि कोई है तो जब्त कर ली जानी चाहिए ।

4.16.3 **पुनर्निविदाकरण की स्थिति में सिर्फ न्यूनतम मात्रा की अधिप्राप्ति** - ऐसी स्थिति में, जब उद्दत दरों की अनुचितता के कारण पुनर्निविदाकरण को आश्रय देने का निर्णय लिया गया हो किन्तु आवश्यकता अत्यावश्यक/अपरिहार्य हो तथा समस्त मात्रा के लिए पुनर्निविदाकरण के कारण इकाईयों की उपलब्धता में कमी, आवश्यक कार्यों, रखरखाव तथा सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, किसी न्यूनतम मात्रा की आपूर्ति के लिए L, बोली लगाने वालों के साथ समझौता किया जा सकता है । तथापि, सामान्य निविदाकरण प्रक्रिया का अनुगमन करते हुए, पुनर्निविदाकरण द्वारा सन्तुलन मात्रा को कार्यात्मक रुप से खरीदा जाना चाहिए ।

4.17 अनुबंध पर हस्ताक्षर करना/आपूर्ति आदेशों को पूरा करना

4.17.1 **अनुबंध पर हस्ताक्षर करना/आपूर्ति आदेशों को पूरा करना** - एक बार यदि सी एन सी संस्तुतियां सी एफ ए द्वारा स्वीकृत हो जाएं अथवा उन मामलों में सी एफ ए का अनुमोदन संगत हो जाए जिनमें सी एन सी नहीं है, जैसी भी स्थिति हो, तात्कालिक रुप से अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने चाहिए तथा आपूर्ति आदेश पूरे हो जाने चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुबंध/आपूर्ति आदेश अनुमोदित शर्तों तथा अनुबंधों पर आधारित हैं तथा कीमत वास्तविक दिखाई गई है जैसा कि सी एफ ए द्वारा अन्तिम रुप से स्वीकृत तथा अनुमोदित की गई है । सी एफ ए द्वारा क्रय प्रस्ताव के अनुमोदन द्वारा प्राथमिक रुप से, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार जहां आवश्यक हो, अनुबंध/आपूर्ति आदेश आई एफ ए द्वारा जांच किए हुए होने चाहिए । अनुबंधों/आपूर्ति आदेशों की प्रतियां आई एफ ए लेखा प्राधिकारी तथा भुगतान प्राधिकारी के सहित, सभी संबंधितों को भेजी जानी चाहिए, तथा उनकी पावती सूचना प्राप्त करनी चाहिए । अनुबंघ तथा आपूर्ति आदेश की संरचना क्रमश: परिशिष्ट 'ड' तथा 'ध' में दी गई है ।

4.18 उत्पादक संघ की रचना/संघ मूल्य

4.18.1 **उत्पादक संघ की रचना/संघ मूल्य** - कभी-कभी निविदाकर्त्ताओं का एक दल एक मूल्य अनुबंध निविदा के विरुद्ध समरुप मूल्य उद्दत करता है । इस प्रकार का संघ/उत्पादक संघ रचना सक्षम बोली लगाने के मूल सिद्धान्तों के विरुद्ध है तथा खुली और सक्षम निविदा प्रणाली के मुख्य उद्देश्य को पीछे करती है । इस प्रकार की गतिविधियों को दृढ़ कार्रवाई द्वारा निरुत्साहित किया जाना चाहिए । उपयुक्त प्रशासनिक गतिविधियों जैसे प्रस्तावों को ठुकराना, मामले को कम्पनियों के रजिस्ट्रार के समक्ष रखना, एम आर टी पी समिति, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम आदि को मामलों के आधार पर, इस प्रकार की फर्मों के विरुद्ध , प्रारम्भ किया जाना चाहिए, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो । मंत्रालय तथा

विभाग भी इस प्रकार के अनुपयुक्त गतिविधियों को संबधित उद्योग संगठनों जैसे फिक्की, एसोकैम, एन एस आई सी आदि के संज्ञान में लाया जा सकता है तथा साथ ही साथ उनसे अनुरोध कर सकता है कि इस प्रकार की फर्मों के विरुद्ध दृढ़ कदम उठाए जाएं । नई फर्मों को, उत्पादक संघ बनाने वाली फर्मों की एकाधिकारिता को तोड़ने के लिए विषयक वस्तुओं/सेवाओं के लिए पंजीकृत करवाने हेतु उत्साहित किया जाना चाहिए । बाहरी एजेंसियों के संदर्भ में सभी निवेदन कम्पनियों के रजिस्ट्रार अथवा उद्योग संगठन, रक्षा मंत्रालय के समक्ष किए जाने चाहिएं ।

4.19 वैद्यता/जांच अभिग्रस्त भण्डारों की अधिप्राप्ति के अनुसरण हेतु प्रक्रिया

4.19.1 **परिस्थितियां, जिनमें प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना है** - तकनीकी, विभिन्न हथियार, उपकरण, गोला बारुद आदि में निरन्तर परिर्तन के कारण, जो पहले से ही सेवा में हैं, को नवीन असंगतियों द्वारा बदले जाने अथवा तकनीकी में उन्नति समाविष्ट करने के लिए उन्नयन/पुनर्सज्जा/पुन: शस्त्रीकरण/परिवर्तन/मरम्मत की आवश्यकता है, यदि यह संबंधित सेवा मुख्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाए । इस अनुच्छेद में दी गई प्रक्रिया सिर्फ रक्षा/सेवा मुख्यालय के स्तर पर संसाधित मामलों पर लागू होंगी तथा ए ओ एन के अन्वेषण के दौरान सुलभता से इंगित की जानी चाहिए । इस प्रकार के मामले सेवा में नई प्रस्तावना के रुप में नहीं देखे जाएंगे ।

4.19.2 **मामलों की श्रेणियां** - इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अन्तर्गत संसाधिकत मामले सामान्यत: निम्न श्रेणियों में आते हैं -

(क) उपकरणों, उपस्कर, वाहन आदि के उन्नत नए संस्करणों की अधिप्राप्ति, जिन्हें भण्डारों के रुप में वर्गीकृत किया गया है जिन्हें राजस्व शीर्ष से खरीदा जा सकता है, इसकी उपलब्धता के पश्चात् पहले से उपस्थित क्यू आर के समरुप तथा संस्तुत निष्पादन परिणाम अथवा निश्चित वृहद् परिणाम को पूरा किया जाता है जिन्हें उपस्थित क्यू आर में संशोधन के अनुसार समाविष्ट किया जाता है ।

(ख) शस्त्रागार/प्रणालियों/पूर्णयोग का उन्नयन, पुनर्सज्जा, पुन: शस्त्रीकरण, परिवर्तन, तकनीकी जीवन विस्तार, मरम्मत आदि जिन्हें इस मैनुअल के प्रावधानों तथा उपस्थित आदेशों के अंतर्गत किया जा सकता है । उन्यन, पुनर्सज्जा, पुन: शस्त्रीकरण, परिवर्तन, मरम्मत आदि, ओ ई एम के विदेशी अथवा भारतीय आवास, या आंशिक रुप से भारत तथा आंशिक रुप से ओ ई एम के विदेशी आवास, अथवा रिपेअर ओवरहॉल प्लाण्ट जैसे स्थानों पर भी, जहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो न तो भारत में है और न ही ओ ई एम के आवास में है प जा सकती है, जिसके उपलब्ध होने पर तकनीकी क्षमता/योग्यता होने से इसे ओ ई एम द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है ।

4.19.3 **भण्डारों की अधिप्राप्ति के अनुसरण की प्रक्रिया** - पैरा 4.19.2(क) में उल्लिखित इकाईयों की अधिप्राप्ति हेतु उपयुक्त, सेवा मुख्यालय को तय करना आवश्यक है कि वैद्यता प्रदान करने की प्रक्रिया की आवश्यकता है या नहीं, यदि ऐसा है तो यह प्रस्ताव में उल्लेखित किया जाना चाहिए । यदि इस प्रकार वैद्य करने की प्रक्रि या आवश्यक समझी जाती है तो, क्षेत्र तथा अवधि भी आर एफ पी में पूर्ण तथा उल्लेखित की जानी चाहिए । आर एफ पी में यह उल्लेखित किया जाना चाहिए कि विक्रेता, जो तकनीकी रुप से ठीक है, अभ्यास मूल्यांकन/जांच के लिए "वादा नहीं - कीमत नहीं" के आधार पर इकाई की

विशेष मात्रा उपलब्ध करने हेतु आवश्यक हैं । जिस अवधि में विक्रेता तकनीकी शिकायत प्राप्त करने के पश्चात् उपकरण/नमूने प्रस्तुत करते हैं, उसे आर एफ पी में उल्लेखित किया जाना चाहिए । तकनीकी मूल्यांकन एक द्विस्तरीय प्रक्रिया होगी । तकनीकी रुप से बोलियों के खोले जाने के पश्चात् टी ई सी विक्रेताओं का चुनाव करेगी, जो तकनीकी रुप से ठीक हैं, तथा टी ई सी रिपोर्ट सी एफ ए द्वारा अनुमोदित होगी । तत्पश्चात, तकनीकी अनुपालना विक्रेता मूल्यांकन/जांच, विक्रेताओं द्वारा उपकरण/नमूने की प्राप्ति में आठ माह से कम समय में पूरा हो जाना चाहिए । वैद्यता मूल्यांकन/जांच रिपोर्ट दोबारा टी ई सी द्वारा स्वीकृत तथा सी एफ ए द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए ।

4.19.4 **अभ्यास मूल्यांकन/जांच के पश्चात् व्यवसायिक प्रस्ताव को खोला जाना** - व्यवसायिक प्रस्ताव सिर्फ उन क्रिताओं की टी ई सी वैद्यता परीक्षण/जांच रिपोर्ट के अनुमोदन के पश्चात् खोला जाना चाहिए जिनकी तकनीकी रुप से अनुपालन संस्तुत की गई है । व्यवसायिक प्रस्ताव की अवधि प्रस्ताव के प्रस्तुत किए जाने की दिनांक से 12 माह तक वैद्य होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्ताव तब तक वैद्य है जब तक व्यवसायिक बोली खुली है, व्यवसायिक समझौता तथा आदेश दिया जाना चाहिए । एक अपेक्षाकृत लघु वैद्यता अवधि अभ्यास/जांच की अवधि के साथ प्रस्तावित किया जा सकता है।

4.19.5 **अभ्यास मूल्यांकन/जांच के साथ अवसर्जन** - व्यवसायिक तौर पर बाजार से पृथक उपलब्ध उपकरणों के लिए, जो सेवा काल इकाईयों का उन्नयन है तथा जिसके पास आवश्यक आई एस/बी आई एस अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र है, सेवा मुख्यालय, किसी वैद्यता/जांच प्रक्रिया, से गुजरे बिना विक्रेता द्वारा स्व-प्रमाणीकरण के आधार पर उपकरण स्वीकार कर सकता है, इसे क्यू उ एजैंसी/ए एच एस पी अथवा अन्य किसी सम्बन्धित तकनीकी एजेंसी द्वारा स्थाईकृत किया जाता है । तथापि, इस प्रकार के मामलों में टी ई सी रिपोर्ट, सी एफ ए द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए ।

4.19.6 **उन्नयन, पुनर्सज्जा, पुन: शस्त्रीकरण, परिवर्तन, तकनीकी जीवन विस्तार तथा मरम्मत हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया** - उपर्युक्त पैरा 4.18.2 (ख), में उल्लिखित उन्नयन, पुनर्सज्जा इत्यादि हेतु, सी एफ के प्राथमिक अनुमोदन द्वारा विक्रेताओं का चयन किया जाना चाहिए तथा एकीकृत वित्त की सहमति से चयनित विक्रेताओं को शस्त्रागार/प्रणाली इत्यादि के सर्वे के लिए एक अवसर प्रदान किया जा सकता है, जिसे आर एफ पी के मामले हेतु प्राथमिक तौर पर उन्नयन/पुनर्सज्जा/पुन: शस्त्रीकरण/परिवर्तन/तकनीकी जीवन विस्तार/मरम्मत से गुजरना होता है । किसी मामले में उन्नयन, पुर्नसज्जा इत्यादि भारत में किया जाना चाहिए, विक्रेताओं को मुख्यालय की सन्तुष्टि के लिए क्षमता को प्रमाणित तथा सुविधा की पर्याप्तता को सुनिश्चित करना चाहिए । यदि आवश्यक हो, एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर), उन्नत/ओ एच कार्यक्रम के क्षेत्र को परिभाषित तथा अन्य तकनीकी विवरणों की दृष्टि से आर एफ पी जारी करने से पहले किन्तु ए ओ एन प्राप्त करने के पश्चात् सेवा मुख्यालय द्वारा तैयार की जा सकती है ।

4.19.7 **आर एफ पी में दिए गए विशेष प्रावधान** - उन्नयन, पुनर्सज्जा आदि के लिए आर एफ पी द्वारा पृथक रुप से तकनीकी तथा व्यवसायिक प्रस्ताव आमंत्रित किए जाने चाहिए तथा अवसरों के प्रस्तुतीकरण के लिए प्राथमिक रुप से बोली पूर्व सम्मेलन के लिए प्रावधान हो सकता है ताकि तकनीकी तथा अन्य मामले, विक्रेताओं को स्पष्ट किए जा सकें । आर एफ पी को विक्रेताओं से प्लाण्ट/फैक्टरी का स्थान चिन्हित करने के लिए कहना चाहिए जहां उन्नयन, पुनर्सज्जा आदि किया जाना है तथा यदि विक्रेता के पास सुविधा है । यदि विक्रेता के पास सुविधा नहीं है तो, ओ ई एम तथा प्लांट के मालिक के बीच अनुबंध का प्रमाणपत्र, विक्रेताओं द्वारा उनके प्रस्तावों सहित प्रदान किया जाना अपेक्षित है । आर एफ पी में यह

प्रावधान होना चाहिए कि उन्नयन, पुनर्सज्जा आदि के लिए सन्तुलित उपकरण लेने से पहले सेवा मुख्यालय के प्रतिनिधियों के साथ विक्रेताओं द्वारा एक मुख्य उपकरण की जांच की जाएगी । एकल शस्त्रागार के विषय में, उन्नयन पुनर्सज्जा आदि के साथ समवर्ती जांच हेतु एक प्रावधान होना चाहिए ।

4.19.8 **<u>अंतिम टी ई सी रिपोर्ट का अनुमोदन तथा व्यवसायिक प्रस्तावों को खोला जाना</u>** - टी ई सी रिपोर्ट, सी एफ ए द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए तथा विक्रेताओं, जो तकनीकी रुप से ठीक संस्तुत किए गए हैं, के व्यवसायिक प्रस्ताव तत्पश्चात् खोले जाने चाहिए । यह पैरा 4.19.2 (ख) के अन्तर्गत मामलों के संदर्भ में लागू होगा ।

4.19.9 **<u>प्रस्ताव की वैद्यता</u>** - व्यवसायिक प्रस्ताव की वैद्यता, प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण की दिनांक से लेकर 8 माह तक वैद्य होने चाहिए, जो तकनीकी मूल्यांकन पूरा करने के लिए आवश्यक अवधि पर निर्भर करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्ताव, आदेश किए जाने/अनुबंध हस्ताक्षरित किए जाने के समय तक वैद्य रहेगा ।

4.19.10 **<u>विक्रेता की सुविधा का मूल्यांकन</u>** -- यदि आवश्यक हो तथा आवश्यक समझा जाए, तो उपभोक्ता विभाग, सी एफ ए तथा एकीकृत तथा एकीकृत वित्त के प्रतिनिधियों का सम्मिलित प्रतिनिधि मण्डल, सी एफ ए द्वारा पूर्ण तथा अनुमोदित व्यवसायिक समझौते से पूर्व उन्नयन, पुनर्सज्जा आदि करने हेतु चयनित विक्रेताओं की क्षमता/योग्यता के मूल्यांकन के लिए सी एन सी द्वारा अन्तिम रुप से संयुक्त विक्रेता के प्लाण्ट/फैक्टरी के भ्रमण के लिए नियुक्त किया जा सकता है ।

4.20 <u>बोली लगाने वालों के लिए निर्देश</u>

4.20.1 **<u>बोली लगाने वालों के लिए निर्देश</u>** - इस मैनुअल में अन्य विशिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में, भावी बोली लगाने वालों के लिए विस्तृत निर्देश निम्न प्रकार हैं .

(क) **योग्यता** - किसी अधिप्राप्ति/उत्पादन के लिए पंजीकृत प्राधिकारी/निविदाकृत वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति के साथ पंजीकृत फर्म बोली के लिए योग्य होगी । कोई अपंजीकृत फर्म क्षमता/उत्पादन की सक्षमता/निविदाकृत वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति के लिए स्वयं को मूल्यांकित कर सकती है ताकि वह निविदाकरण में भाग लेने के योग्य बन सके ।

(ख) **<u>बोली दस्तावेजों की सामग्री के संबंध में स्पष्टीकरण</u>** - एक भावी बोली लगाने वाला जिसे बोली दस्तावेजों की सामग्री के संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, क्रेता को लिखित में अधिसूचित करेगा तथा क्रेता, निविदा के खुलने की अंतिम दिनांक से 14 दिन पहले स्पष्टीकरण देते हुए लिखित में प्रत्युत्तर देगा । प्रश्न की प्रतियां तथा क्रेता द्वारा स्पष्टीकरण सभी भावी निविदाकर्त्ताओं को भेजा जाएगा जो बोली दस्तावेज प्राप्त कर चुके हैं ।

(ग) **<u>वास्तविक ज्ञापनों के अन्तर्गत प्रस्तुत की जाने वाली दरें</u>** - बोलियां, विक्रेताओं द्वारा उनके अपने वास्तविक ज्ञापनों/लैटर पैड द्वारा अग्रेषित की जानी चाहिए, अन्य बातों के अतिरिक्त, टी आई एन संख्या, वैट/सी एस टी सं0, ई एफ टी खाते के साथ बैंक का पता तथा फर्म का पूरा डाक पता तथा ई मेल पता दिया जाना चाहिए ।

(घ) **बोली दस्तावेजों में संशोधन** - बोलियों के प्रस्तुतिकरण के दिनांक से पहले किसी भी समय क्रेता, अपनी स्वयं की पहल अथवा भावी निविदाकर्त्ताओं द्वारा स्पष्टीकरण के निवेदन के प्रत्युत्तर में, संशोधन द्वारा बोली में परिवर्तन कर सकता है । ये संशोधन सभी भावी बोली लगाने वालों को लिखित में अधिसूचित किए जाएंगे । भावी निविदाकर्त्ताओं का भार उठाने के लिए, बोली तैयार करने के संदर्भ में संशोधन करने हेतु उचित समय लेते हुए क्रेता, अपनी स्व-विवेक से, बोली के प्रस्तुतीकरण की समय सीमा को बढ़ा सकता है ।

(ड.) **बोली वैद्यता** - एकल बोली आर एफ पी के मामले में 90 दिनों तक तथा द्विबोली प्रणाली के मामले में 120 दिनों तक वैद्य रहेगी, जब तक कि निविदा के खोले जाने की की दिनांक से अन्यथा दर्शायी नहीं जाती है । कोई बोली क्रेता द्वारा लघु अवधि के लिए प्रत्युत्तर न देने पर ठुकराई जा सकती है । विशिष्ट परिस्थितियों में, क्रेता, बोली वैद्यता की अवधि तक एक विस्तार के लिए बोली लगाने वालों की सहमति का निवेदन कर सकता है । ऐसे निवेदन लिखित में किए जाएंगे । उपलब्ध बोली प्रतिभूति भी उचित प्रकार से बढ़ाई जाएगी । निवेदन स्वीकार करने तथा विस्तार प्रदान करने पर बोली लगाने वाले को अपनी बोली परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(च) **विलंबित निविदा** - विज्ञापित निविदा पूछताछ अथवा सीमित निविदा पूछताछ के विषय में, विलम्बित निविदा (अर्थात् बोलियों की प्राप्ति के लिए विशेष दिनांक तथा समय के पश्चात् प्राप्त बोलियां) पर विचार नहीं किया जाना चाहिए तथा बिना खोले बोली लगाने वाले को लौटा देना चाहिए ।

(छ) **बोलियों में परिवर्तन तथा निकासी** - एक बोली लगाने वाला जमा किए जाने के पश्चात् अपनी बोली से पीछे हट सकता है जिसकी उपलब्धता पर, परिवर्तन अथवा निकासी की लिखित सूचना क्रेता द्वारा बोलियों के प्रस्तुतिकरण के लिए दी गई समय सीमा से पूर्व प्राप्त की जाती है । एक निकासी सूचना फैक्स द्वारा भेजी जा सकती है किन्तु इसके अनुसरण में डाक द्वारा हस्ताक्षरित पुष्टिकरण प्रति भेजी जानी चाहिए तथा इस प्रकार का हस्ताक्षरित पुष्टिकरण बोलियों के प्रस्तुतिकरण के लिए दी गई समय सीमा से पूर्व क्रेता तक पहुंच जानी चाहिए । बोलियों के प्रस्तुतिकरण की समय सीमा के पश्चात् कोई बोली परिवर्तित नहीं की जाएगी । बोलियों के प्रस्तुतिकरण की समय सीमा तथा वर्जित बोली वैद्यता की अवधि की समाप्ति के बीच अंतराल में कोई बोली निकासित नहीं की जाएगी । इस अवधि के दौरान तक बोली की निकासी के परिणामस्वरुप बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति जब्त हो जाएगी ।

(ज) **बोलियों की सामग्री से संबंधित स्पष्टीकरण** - बोलियों के मूल्यांकन तथा तुलना के दौरान क्रेता, अपने स्व-विवेक से, अपनी बोली के स्पष्टीकरण के लिए बोली लगाने वाले से पूछ सकता है । स्पष्टीकरण का अनुरोध लिखित में होगा तथा कीमत, अथवा बोली के तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, न पस्तावित होगा अथवा न अनुमोदित होगा । बोली लगाने वाले की पहल पर बोली के पश्चात् कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा ।

(झ) **आपूर्तिकर्त्ता के एजेंट**- एक अभिकर्त्ता दो आपूतिकर्त्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता अथवा किसी विशिष्ट निविदा पूछताछ में उनकी ओर से बोली नहीं लगा सकता है । इस प्रकार की बोलियां अस्वीकृत कर दी जानी चाहिए ।

4.21 क्रेता अधिकारियों को निर्देश -

4.21.1 **क्रेता को निर्देश** - इस मैनुअल के अन्य विशिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में, क्रेता अधिकारियों के लिए विस्तृत निर्देश इस प्रकार है -

(क) **प्राथमिक परीक्षा** - क्रेता यह निश्चित करने के लिए बोलियों का मूल्यांकन करेगा कि, क्या वे पूरे हो गए हैं, क्या कोई गणनात्मक त्रुटि की गई है, क्या अपेक्षित प्रतिभूतियां उपलब्ध कराई गई हैं, क्या आवश्यक दस्तावेज जैसे तकनीकी साहित्य तथा मेडिकल स्टोर के मामले में एजेंसी अनुबंध, जैसा कि आर एफ पी में उल्लिखित है, उपलब्ध कराया गया है, क्या बोली दस्तावेज ध्यानपूर्वक हस्ताक्षरित किया गया है तथा क्या बोलियां सामान्यत: श्रेणीबद्ध हैं ।

(ख) **दी गई कीमतों में विसंगति** - यदि इकाई कीमत तथा कुल कीमत के बीच असंगति है तो इकाई कीमत प्रबल होगी । यदि शब्दों तथा आकृतियों में असंगति है तो, शब्दों में संख्या प्रबल होगी । यदि एक आपूर्तिकर्त्ता त्रुटियों का सुधार स्वीकार नहीं करता है तो उसकी बोली अस्वीकृत हो जाएगी तथा बोली प्रतिभूति जब्त हो सकती है ।

(ग) **अनावश्यक भूलें** - आवश्यक भूलें जैसे कि - (i) शब्दों में दरो की प्रवष्टि (ii) दरों में आरंभिक कोई परिवर्तन अथवा (iii) टेंडर और अनुसूची दोनों क हस्ताक्षर न करना जैसी चूकों को प्रारंभ में ही ठीक कर दिया जाए तथा टेंडर खोलने वाले अधिकारियों द्वारा आद्यक्षर एवं तारीख देते हुए और तत्पश्चात् टेंडरकर्त्ता द्वारा भी हस्ताक्षर और तारीख लिखी जाए ।

(घ) **बोलियों की प्रत्युत्तरात्मकता** - विस्तृत मूल्यांकन से पूर्व, क्रेता को बोली दस्तावेज हेतु प्रत्येक बोली को दृढ़ प्रतिक्रियात्मकता को निश्चित करना चाहिए । एक दृढ़ प्रतिक्रिया वह होती है जो बिना किसी भौतिक विचलन के बोली दस्तावेज सभी शर्तों तथा अनुबंधों के अनुरुप होता है । जटिल प्रावधानों जैसे बोली प्रतिभूति, वारण्टी तथा गारण्टी, लागू विधि, कर तथा शुल्क तथा दस्तावेजों जैसे वैद्य एजेंसी अनुबंध तथा मैडिकल स्टोर के विषय में तकनीकी साहित्य से विचलन अथवा आपत्ति अथवा आरक्षण एक भौतिक विचलन के रुप में लिया जाना चाहिए ।

(ङ.) **दृढ़ प्रतिक्रियात्मक बोली का मूल्यांकन तथा तुलना** - दृढ़ प्रतिक्रियात्मक बोली का मूल्यांकन तथा तुलना, बोली दस्तावेज कीमत सारणी में इंगित सभी शुल्क तथा कर, जैसे वैट, उत्पादन-शुल्क तथा अन्य व्यय जैसे पैकिंग तथा अग्रेषण, माल भाड़ा तथा बीमा आदि समेत प्रस्तावित वस्तुओं की कीमतों पर की जाती है, किन्तु जहां आवश्यक हो, चुंगी/प्रवेश कर, जो कि वास्तविक से अधिक चुकाना पड़ता है, को शेष छोड़कर समझा जाए ।

(च) **पुरस्कार मापदण्ड** - क्रेता, सफल बोली लगाने वाले को अनुबंध प्रदान करेगा जिसकी बोली दृढ़ प्रतिक्रियात्मक होगी तथा न्यूनतम मूल्यांकित बोली मानी जाएगी, इसके अतिरिक्त बोली लगाने वाला तकनीकी, व्यवसायिक तथा वित्तीय रुप से स्वीकार्य तथा जिसकी वस्तुएं, क्रेता द्वारा अनुमादित/वैद्य हैं । किसी भी बोली लगाने वाले द्वारा दी गई दर कीमत के विरुद्ध प्रस्तावित कीमत देने का अधिकार क्रेता के पास रहता है

(छ) **क्यू आर/मानदण्डों का त्याग** - आर एफ पी जारी किए जाने के पश्चात् मानदण्डों का परित्याग नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके परिणामस्वरुप फर्मों में वे अवसर अस्वीकृत किए जा सकते हैं, जो नवीन आवश्यक मापदण्डों को पूरा करते होंगे, आर एफ पी के आरम्भ में दर्शाए गए हैं । यह विशेषकर एकल विक्रेता/प्रभावी एकल विक्रेता के लिए संगत है, जहां आर एफ पी के जारी होने के पश्चात् आवश्यक मानदण्डों का त्याग तथा निविदाओं की प्राप्ति अन्य फर्मों की अभिरुचि के हित के प्रतिकूल होगी, जो नवीन मानदण्डों के आधार पर अपनी बोलिया प्रस्तुत कर सकते थे किन्तु आर एफ पी में उल्लिखित आवश्यक मानदण्डों के कारण कर नहीं पाए ।

(ज) **बोली पूर्व सम्मेलन** - कोई उत्तर न देने वाली आर एफ पी की संभावना को करने के लिए, एकल विक्रेता स्थिति अथवा सीमित प्रतियोगिता जनित में परिणामित होने पर, तकनीकी विशिष्टताएं द्विबोली निविदा में बोली पूर्व सम्मेलन में प्रतिष्ठित होना चाहिए, विशेषकर जहां खरीदे जाने वाली वस्तुएं/सेवाएं व्यवहारिक तौर पर पृथक उपलब्ध नहीं है अथवा जटिल तथा उच्च तकनीकी प्रकृति के होते हैं । तकनीकी बोलियों के खोले जाने के पश्चात् कोई नवीन व्यवसायिक बोली आमंत्रित नहीं की जानी चाहिए ।

* * * * *

अध्याय - 5

अनुमोदन प्रक्रिया तथा अनुबंध का समापन

5.1 वस्तुओं तथा सेवाओं की अधिप्राप्ति -

5.1.1 **वस्तुओं की अधिप्राप्ति** - वस्तुओं की अधिप्राप्ति की आवश्यकता से निम्नलिखित परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं -

(क) प्राथमिक के परिणामस्वरुप व्यक्त, भण्डारों की कमी को पूरा करने हेतु, जो सरकारी पत्रों में दिए गए स्तरों के अनुसार प्राधिकृत होते हैं ;

(ख) प्राधिकृत भण्डार बनाने हेतु ; अथवा

(ग) गैर स्तरीय तथा शब्दावली में नहीं दी गई वस्तुओं के सन्दर्भ में, जिसमें किसी भी प्रकार के उपकरण, कल पुर्जे तथा अन्य चिकित्सकीय/विविध भण्डार सम्मिलित हो सकते हैं ।

5.1.2 **सेवाओं की अधिप्राप्ति** - सेवाओं की अधिप्राप्ति की आवश्यकता निम्न कारणों से उत्पन्न हो सकती है -

(क) पहले रखे गए उपकरणों/परिसम्पत्तियों का रख रखाव;

(ख) घरेलु स्तर पर किए गए कार्यों का पालन, किन्तु उन्हें बाहरी निष्पादन हेतु उपयुक्त माना गया;

(ग) सलाहकारों को अभिग्रस्त करने की आवश्यकता

(घ) कोई नवीन कार्य जिसे किसी बाहरी एजेंसी द्वारा मितव्ययता तौर पर निष्पादित किया जा सकता है ।

5.2 अधिप्राप्ति प्रस्तावों को संसाधित करना

5.2.1 **सी एफ ए के अनुमोदन हेतु प्रस्तावों को संसाधित करना** - सभी अधिप्राप्ति प्रस्ताव मामले के विवरण(एस ओ सी) के रुप में प्रारम्भ किए जाने चाहिए, जिसके द्वारा प्रस्ताव के सभी पहलुओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए, जिसमें अधिप्राप्ति हेतु औचित्य/कारण, मात्रा, लागत, आपूर्ति के उपयुक्त स्रोत निविदा का प्रकार आदि होने चाहिए । परिशिष्ट 'ख' में दिए गए एस ओ सी की संरचना का प्रयोग इस उद्देश्य के लिए, आवश्यक उपयुक्त परिवर्तनों के साथ किया जा सकता है । यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि प्रस्ताव की कार्यात्मक प्रक्रिया एस ओ सी की व्यापकता तथा योग्यता पर आधारित है । जहां वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार आवश्यक हो, सी एफ ए के अनुमोदन तथा एकीकृत वित्त के परामर्श से एन आई टी/आर एफ पी को एस ओ सी के साथ जमा किया जाना चाहिए ।

5.2.2 **अधिप्राप्ति प्रस्तावों की लागत निर्धारित करना** - यह आवश्यक है कि अधिप्राप्ति प्रस्ताव को सावधानीपूर्वक तथा ध्यान से लागत निर्धारित किए जाने चाहिए । लागत निर्धारण का आधार लेखांकित किया जाना चाहिए । सी एफ ए के अनुमोदन का स्तर सभी करों, शुल्कों तथा अन्य व्ययों सहित प्रस्ताव की सम्पूर्ण लागत पर निर्भर करता है । लागत निर्धारण प्रक्रिया इस मैनुअल के अध्याय 13 में दी गई है ।

5.2.3 **सी एफ ए के अनुमोदन के पश्चात् प्रस्तावों को संसाधित करना** - सी एफ ए अनुमोदन के पश्चात् इस मैनुअल के अध्याय 4 के प्रावधानों के अनुसार अधिप्राप्ति एजेंसी निविदाकृत कार्यवाही अनुमोदन से गुजरना तथा जहां, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार आवश्यक हो, एकीकृत वित्त के परामर्श से प्रस्तावित अधिप्राप्ति के लिए सी एफ ए का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है ।

5.2.4 **निधियों को उपलब्धता की शर्तों पर प्रस्तावों को संसाधित करना** - अधिप्राप्ति प्रस्ताव काक साधारण रुप से तभी संसाधित किया जाना चाहिए जब वह वार्षिक अधिप्राप्ति योजना में शामिल हो । (जहां योजना की नामावली के बावजूद ऐसी योजनाएं तैयार की जारी रही हैं) निधि की उपलब्धता, केवल देयता प्रतिबद्धता के अनुसार संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान नकद-प्रवाह के लिए लेखांकन के बाद ही निर्धारित की जानी चाहिए ।

5.2.5 **प्रस्तावों की निधि की उपलब्धता से जोड़े बिना संसाधित करना** - सामान्य नियम के तहत् क्रय प्रस्ताव, निधि की उपलब्धता के संबंध में संसाधित किए जाने चाहिए । एक अधिप्राप्ति प्रस्ताव निधि को वास्तविक उपलब्धता के साथ जोड़े बिना संसाधित किया जा सकता है, यदि बजट धारक द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि आपूर्ति आदेश के अनुबंधन/जारी करने के अन्तिम स्तर तक प्रस्ताव के पहुंचने की समयावधि तक निधि की उपलब्धता की औचित्यपूर्ण संभावना है । तथापि इस प्रकार के मामलों में, निधि की उपलब्धता प्रतिबद्ध देयता के आधार पर नकद-प्रवाह में दिए जाने के पश्चात् निश्चित की जाएगी ।

5.2.6 **एकीकृत वित्त की पूर्व सहमति** - सक्षम वित्तीय प्राधिकारी का अनुमोदन, एकीकृत वित्त के पूर्व सहमति की शर्त पर दिया जाता है, यदि वित्तीय शक्तियो के प्रत्यायोजन के अंतर्गत आवश्यक हो ।

5.2.7 **कार्योत्तर वित्तीय सहमति** - प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत एकीकृत वित्त की कार्योत्तर वित्तीय सहमति प्राप्त करने का कोई प्रावघान नहीं होता है । ऐसे मामलों को, जहां प्राथमिक सहमति प्राप्त नहीं होती, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार आवश्यक होता है, नियमों व विनियकमा का उल्लंघन माना जाएगा तथा इन्हें विनियमन हेतु अगली उच्च सी एफ ए के समक्ष भेज दिया जाएगा । ऐसा विनियम अगले उच्च सी एफ ए के लिए आई एफ ए की सहमति की शर्तों पर किया जाएगा ।

5.2.8 **सी एफ ए का कार्योत्तर अनुमोदन -** जहां प्रस्ताव, एकीकृत वित्त की सहमति से या उसकी सहमति के बिना अनुमोदित किया जाता है, उस प्राधिकारी द्वारा जो वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अंतर्गत उस प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु सक्षम नहीं है, कार्योत्तर मंजूरी वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार एकीकृत वित्त की सहमति या बिना सहमति के सक्षम सी एफ ए द्वारा मंजूर किया जा सकता है ।

5.2.9 **आई एफ ए के साथ असहमति** - आई एफ ए के साथ असहमति की स्थिति में, सी एफ ए, अगले उच्च आई एफ ए को सूचित करत हुए पर आई एफ ए के विरुद्ध निर्णय ले सकता है । साथ ही, आई एफ ए वित्तीय सलाह के विरुद्ध निर्णय लेने के कारण भी बता सकता है । ऐसे मामलों में, आई एफ ए निर्णय ले सकता है कि मामले को उच्चतर आई एफ ए तथा सी एफ ए के समक्ष उठाना है या छोड़ना है ।

5.3 आवश्यकता की स्वीकृति

5.3.1 **मापी गई मदों के संबंध में आवश्यकता की स्वीकृति -** मापी गई मदों के मामले में आवश्यकता की स्वीकृति को नियत लक्ष्य और बजट उलब्धतता के संबंध में वास्तविक रुप में केल गुणवत्ता की संवीक्षा और विभिन्न संसाधनों की भौतिक आवश्यकता करने पर निर्भर करती है ।

5.3.2 **<u>मापित वस्तुओं के संदर्भ में जिनकी सूची कम्प्यूटरीकृत है, की आवश्यकता को स्वीकृति</u>** - मापित वस्तुओं के विषय में जिनकी सूची स्वचालित प्रणालियों द्वारा कायम रखी जाती है तथा आई एफ ए वही टर्मिनल स्थान प्रदान करता है, आई एफ ए ऐसी स्वचालित प्रणालियों पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर स्वचालित प्रणालियों में मात्राओं की जांच करता है, जो कि आवश्यकता की स्वीकृति के लिए वित्तीय सहमति भी मानी जाती है ।

5.3.3 **<u>गैर - मापित तथा एन आई वी वस्तुओं के संदर्भ में आवश्यकता की स्वीकृति</u>** - गैर-मापित तथा एन आई वी वस्तुओं के संदर्भ में आवश्यकता को स्वीकृति पूर्ण रुप से उनकी अधिप्राप्ति के लिए उपलब्धता पर आधारित होता है । यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि इस प्रकार की वस्तुओं की अधिप्राप्ति कोई नई प्रक्रिया प्रारंभ न हो तथा विद्यमान मापकों अथवा नीतियों को बदलने हेतु कोई प्रभाव न डालें ।

5.3.4 **<u>अधिप्राप्ति योजना में शामिल वस्तुओं की आवश्यकता की स्वीकृति</u>** - कुछ सेवा मुख्यालय/कमान मुख्यालय तथा अन्य स्थापनाएं राजस्व अधिप्राप्ति के लिए वार्षिक अधिप्राप्ति योजनाएं तैयार करते हैं । जहां इस प्रकार की योजनाएं, अपनी नाम प्रकृति के बावजूद, एकीकृत वित्त की सहमति से तैयार की जाती है, वहां योजना में शामिल प्रत्येक वस्तु के संदर्भ में आवश्यकता को समझा जाता है । इस प्रकार के मामलों में किसी पृथक ए ओ एन की आवश्यकता नहीं होती । तथापि, ए ओ एन वस्तुओं तथा मात्राओं की आवश्यकता नहीं होगी । तथापि, इस प्रकार के मामलों में, मात्रा की जांच, निविदाकरण की विधि, एल टी ई/एस टी ई/पी ए सी के विषय में विक्रेताओं की पहचान तथा ड्राफ्ट आर एफ पी की जांच के लिए एकीकृत वित्त का परामर्श लेना चाहिए, जहां एकीकृत वित्त की सहमति से वित्तीय शक्तियों का प्रयोग किया जाता है ।

बशर्ते, यदि किसी भी ऐसे मामले में एकीकृत वित्त आवश्यकता संबंधी कोई विचार बनाता है, तो संबंधित आई एफ ए के विशेष अनुमोदन द्वारा ऐसा किया जा सकता है। तथापि, प्रस्ताव की अगली प्रक्रिया, एकीकृत वित्त द्वारा उठाए गए मामले के रुके हुए निर्णय में विलम्ब नहीं करेगा, जब तक खरीद एजेंसी को आगे बढ़ने से पहले मामले को निपटाना आवश्यक नहीं समझती । जहां प्रस्ताव की प्रक्रिया में विलम्ब न करने का निर्णय लिया जाता है, एकीकृत वित्त द्वारा किए गए विचार विमर्श पर, प्रस्ताव के अनुमोदन के दौरान सी एफ ए की मंजूरी प्राप्त की जाती है ।

बशर्ते कि सी एफ ए के ए ओ एन को, आई एफ ए द्वारा परामर्श में लिए जाने की आवश्यकता है, जहां वित्तीय शक्तियां एकीकृत वित्त की सहमति से ली जाती है, इससे पहले कि गैर-मापित वस्तुओं के विषय में, जो किसी अनुमोदित अधिप्राप्ति योजना में शामिल नहीं होती जिससे प्रस्ताव की प्रक्रिया आगे बढ़ सके ।

5.4 <u>मात्रा की जांच</u>

5.4.1 **<u>मापित वस्तुओं के संदर्भ में मात्रा की जांच</u>** - बीजक वाली लागतों को रोकने के लिए जरुरत से अधिक मात्रा सावधानी बरती जानी आवश्यक है । आई एफ ए से, मापित वस्तुओं की अधिप्राप्ति के लिए/मांगी गई/प्रक्षेपित मात्रा की जांच की अपेक्षा सामयिक प्रक्षेपण सुनिश्चित की अपेक्षा की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी प्रकार का फलहीन प्रभाव न हो, आई एफ ए को मांगी गई मात्रा के प्रक्षेपण के आधार के मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी आगतों का मूल्यांकन करना चाहिए। प्राधिकृत मापक दर्शाते हुए गणना पत्र में, प्राप्ति शुल्क, देय शुल्क, संचित निधि आदि आई एफ ए को

उपलब्ध कराई जानी चाहिए । यदि किसी मामले में कोई आई टी आधारित प्रबन्धन प्रणाली विभाग में कार्यरत है, आई ए एफ को स्वयं प्रणाली में मात्रा को जांच का उत्तरदायित्व लेना चाहिए ।

5.4.2 **<u>गैर मापित तथा एन आई वी वस्तुओं के संदर्भ में मात्रा की जांच</u>** - चूंकि गैर-मापित तथा एन आई वी वस्तुओं की मात्रा की जांच के लिए कोई निश्चित निर्देश नहीं रखे जा सकते, यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि इस प्रकार की वस्तुओं के क्रय प्रस्ताव, मापकों की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में न्यूनतम अपरिहार्य आवश्यकताओं पर आधारित हैं । जहां वित्तीय शक्तियां, एकीकृत वित्त की सहमति से लागू होती है, आई एफ ए को इस प्रकार की वस्तुओं की मात्रा की जांच करनी चाहिए यदि, एकीकृत वित्तीय की सहमति से लागू प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अन्तर्गत अधिप्राप्ति की जाती हैं । यदि इस प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता बार-बार उत्पन्न होती है, तो अधिप्राप्ति एजेंसियों को आवश्यकता के विषय में बताया जाना चाहिए ।

5.5 <u>सी एफ ए के अनुमोदन हेतु प्रयास</u>

5.5.1 **<u>संसाधित करने के लिए विभिन्न स्तरों का संयुक्तिकरण</u>** - यह आवश्यक नहीं है कि कोई प्रस्ताव क्रमानुसार ए ओ एन, मात्रा की जांच, लागत निर्धारण, वित्तीय सहमति आदि के लिए संसाधित किया जाता है । कोई प्रस्ताव, जब खोला जाता है, तो सभी मामलों में उसे पूर्ण माना जाना चाहिए ताकि ए ओ एन, लागत निर्धारण, मात्रा की जांच के साथ-साथ एन आई टी/आर एफ पी की जांच इत्यादि से जुड़े पहलुओं की जांच साथ-साथ आई एफ ए द्वारा जाँच की जा सके, जहां वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अंतर्गत आवश्यक हैं ।

5.5.2 **<u>सी एफ ए मंजूरी</u>** - मंजूरी एक लिखित प्राधिकार होती है जिसमें सी एफ ए की व्यय को मंजूरी दी जाती है । मंजूरी में स्पष्ट रुप से प्राधिकारी का संदर्भ दर्शाया जाता है जिसके अधीन व्यय की मंजूरी दी जा रही है, वित्तीय प्रभाव, उन मदों को जिनके लिए व्यय का अनुमोदन किया जाता है और बजट कोड शीर्ष दिया जाता है । जब कभी अंतिम व्यय अनुमोदित राशि से अधिक हो जाता है, सी एफ ए की संशोधित वित्तीय मंजूरी जारी की जाती है जिसमें प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन कुल व्यय आएगा, प्राप्त किए जाने की आवश्यकता होती है । मंजूरी पत्र का प्रोफार्मा अनुबंध 'के' में दिया गया है ।

5.6 <u>अधिप्राप्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता, प्रतियोगिता, औचित्य और मनमानी का विलोपन</u>

5.6.1 **<u>अधिप्राप्ति प्रक्रिया में औचित्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता</u>** - सभी सरकारी क्रय पारदर्शी, प्रतियोगिता के आधार पर तथा उचित तरीके से किए जाने चाहिए ताकि धन का सही मूल्य प्राप्त किया जा सके । इससे प्रत्याशित बोलीकर्त्ताओं को भी विश्वास के साथ अपनी प्रतियोगी बोलियां देने में सहायता मिलेगी । उपर्युक्त को सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपाय निम्न से है:-

(i) बोली संबंधी दस्तावेज की विषय वस्तु स्वत:पूर्ण और बृहत होनी चाहिए तथा उसमें अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए । बोलीकर्त्ता द्वारा अपनी बोली में भेजी जाने वाली संपूर्ण आवश्यक जानकारी को बोली संबंधी दस्तावेज में स्पष्ट रुप से साधारण भाषा में लिखा जाना चाहिए । बोली संबंधी दस्तावेज में इसके साथ-साथ निम्नलिखित भी निहित होना चाहिए:-

(क) न्यूनतम स्तर का अनुभव, पिछले प्रदर्शन, तकनीकी क्षमता, निर्माण संबंधी सुविधाओं और वित्तीय स्थिति आदि को बोली कर्त्ताओं द्वारा पूरा किए जाने के लिए योग्यता और अर्हता संबंधी मापदंड;

(ख) माल के उपयुक्त होने संबंधी मापदंड जो माल की उत्पत्ति से संबंधित कानूनी प्रतिबंध या शर्तें दर्शाते हैं जिन्हें एक सफल बोलीकर्त्ता द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित है:

(ग) बोली भेजने की प्रक्रिया, तारीख, समय तथा स्थान;

(घ) बोली खोले जाने की तारीख, समय तथा स्थान;

(ङ) सुपुर्दगी की शर्तें;

(च) प्रदर्शन को प्रभावित करने वाली विशेष शर्तें, यदि कोई हो;

(ii) बोली संबंधी दस्तावेज में उपयुक्त प्रावधान रखा जाना चाहिए ताकि बोली कर्त्ता, बोली संबंधी शर्तों, बोली की प्रक्रिया और/ अथवा अपनी बोली की नामंजूरी के संबंध में पूछ सके ।

(iii) परिणामी संविदा से उत्पन्न हुए विवादों के निपटान, यदि कोई हो, के लिए उपयुक्त प्रावधान बोली संबंधी दस्तावेज मे ंरखे जाने चाहिए ।

(iv) बोली संबंधी दस्तावेज में स्पष्ट रुप से सूचित किया जाना चाहिए कि परिणामी संविदा भारतीय नियमों के अंतर्गत प्रतिपादित की जाएगी ।

(v) बोली कर्त्ताओं को अपनी बोलियां भेजने के लिए उपयुक्त समय दिया जाना चाहिए ।

(vi) ये बोलियां लोगों के सामने खोली जानी चाहिए और बोली कर्त्ताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को बोली खुलने के समय वहां रहने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

(vii) अपेक्षित माल की विनिर्दिष्टताओं का विवरण बिना किसी द्विअर्थकता के स्पष्ट रुप से दिया जाना चाहिए ताकि प्रत्याशित बोलीकर्त्ता अपनी अर्थपूर्ण बोलियां भेज सके । पर्याप्त संख्या में बोली कर्त्ताओं को आकर्षित करने के लिए विनिर्देशन, जहां तक संभव हो, व्यापक होने चाहिए। मानक विनिर्देशन जो इस उद्योग में व्यापक रुप से ज्ञात हो, के प्रयोग के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ।

5.7 सी0एफ0ए0 का उत्तरदायित्व

5.7.1 **क्रय संबंधी निर्णय लेने में सी0एफ0ए0 का उत्तरदायित्व -** क्रय संबंधी निर्णय लेने से पहले सी0एफ0ए0 को मामले के सभी पहलुओं जैसे संविदा के नियत नियम और शर्तें, सुपुर्दगी अवधि, प्रयोक्ता कर एवं शुल्क, भाड़ा, बीमा एवं अन्य प्रभार और विनिर्देशन के अनुपालन को ध्यान में रखना चाहिए । सी0एफ0ए0 की मुख्य जिम्मेदारियों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि सभी प्रस्तावों की उचित रैंकिंग की जाए ताकि निर्णय लने की प्रक्रिय पूरी से पारदर्शी हो । नामित प्रेषिती को सुपुर्दगी करने पर प्रयोग्ता की कुल लागत को वित्तीय जटिलता समझा जाना चाहिए । सशर्त प्रस्तावों तथा प्रस्तुत विनिर्देशनों (आवश्यक क्यू0आर0) के अनुरुप न होने पर सहमति नहीं दी जानी चाहिए । स्वीकृति दिए जाने से पूर्व, जाहं भी ऐसी सहमति के लिए शक्तियां प्रयोक्तव्य हैं, एकीकृत वित्त की सहमति ली जानी चाहिए ।

5.7.2 **प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन -** क्रय निर्णय लेते समय सी0एफ0ए0 को यह पता लगाना चाहिए कि अधिप्राप्ति के विभिन्न स्तरों पर उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है, सरकार की क्रय संबंधी नीतियों का अनुपालन किया गया है तथा फर्म की क्षमता और वित्तीय स्थिति की जाँच की गई है । क्रय संबंधी निर्णय एक औपचारिक आदेश के माध्यम से लिखित रुप में किया जाना चाहिए ।

5.7.3 **दायित्व** - निर्णय लेने के तंत्र और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य शीघ्र निर्णय लेने और रुपए का उत्तम मूल्य प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है । तथापि, शक्तियों के प्रत्यायोजन का तात्पर्य 'प्राधिकार के साथ दायित्व' भी है । सक्षम वित्तीय प्राधिकारी व्यय को स्वीकृति देते समय वित्तीय औचित्य और सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता तथा ईमानदारी व उद्देश्य को अवश्य सुनिश्चित करें ताकि इष्टतम संसाधनों का उपयोग हो सके । नामित सक्षम वित्तीय प्राधिकारी तथा समिति के सभी सदस्य, किसी भी ऐसी कार्यवाही जिसमें सरकारी निधि शामिल हैं, को स्वीकृति देते समय उनके द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के प्रति उत्तरदायी हैं । यह उत्तरदायित्व बिना किसी शर्त के और पूर्ण रुप से दिया गया है ।

5.8 समय-सीमा

5.8.1 **शीघ्र संसाधन की आवश्यकता** - अधिप्राप्ति प्रकिया का रक्षा सेवाओ तथा अन्य विभागो की आवश्यकता के लिए पूर्ण रुप से क्रियाशील होना तथा शीघ्र अधिप्राप्ति करवाना अनिवार्य है ताकि आवश्यकताओं को समय से पूरा किया जा सके । इस उद्देश्य के लिए अनिवार्य है कि संपूर्ण संवीक्षा और जाँच शीघ्रता से की जाए तथा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर परामर्श दिया जाए ।

5.8.2 **समय सीमा -** परिशिष्ट 'क' पर प्रस्तुत समय-सीमा को अधिप्राप्ति प्रक्रिया के सभी कार्यकलापों के लिए सुझाया गया है ताकि वैधता अवधि के भीतर बोलियों को अंतिम रुप दिया जा सके । यदि किसी मामले में निर्धारित समय सीमा का अनुसरण नहीं किया जा सकता तो बोलियों की वैधता अवधि के विस्तार के लिए कहा जाना चाहिए ।

* * * * *

अध्याय 6

संविदा

6.1 विधि

6.1.1 **प्राथमिक विधि** - संविदा विधि के अवयव और सिद्धांत व अर्थ तथा संविदा के संबंध मे प्रयोग की गई विभिन्न वैधानिक शब्दावली का आयात भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में निहित है जिसे माल का विक्रय अधिनियम 1930 कहा जाता है । विवादों के निपटान से संबंधित कानून की व्यवस्था मध्यस्थता तथा समझौता अधिनियम 1996 में की गई है। संविदा से संबंधित कुछ मुख्य सिद्धांत इस अध्याय में संक्षिप्त रुप से दिए गए हैं ।

6.1.2 **रक्षा अधिप्राप्ति की प्रयोज्यता-** रक्षा अधिप्राप्ति सहित सरकारी संविदाएं उपर्युक्त नियमों द्वारा शासित होती हैं जो निजी संविदाओं पर भी लागू होते हैं ।

6.2 प्राथमिक वैधानिक कार्य प्रणाली

6.2.1 **संविदा क्या है** - यह प्रस्ताव या निवेदन जब स्वीकार हो जाता है तो वह वचन हो जाता है एक वचन या वचनों का प्रत्येक समूह एक दूसरे के प्रति लब्धि बनाता है जिसे अनुबंध कहते हैं तथा एक अनुबंध यदि संविदा के लिए सक्षम पक्षों की सहमति से कानूनी विचार विमर्श से तथा कानूनी उद्देश्य से किया जाता है तो वह संविदा है ।

6.2.2 **प्रस्ताव या निवेदन** - जब एक व्यक्ति किसी दूसरे के साथ इस कार्य के लिए इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव करने की इच्छा व्यक्त करता है या उससे अपने को पृथक रखता है कि दूसरे व्यक्ति की सहमति ली जानी है उसे प्रस्ताव या निवेदन किया जाना कहते हैं । निविदा द्वारा खरीद या बिक्री में, बोलीकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित निविदा को प्रस्ताव कहते हैं । निविदा के लिए आमंत्रण या बोलीकत्ताओं के अनुदेशों से प्रस्ताव नहीं बनता ।

6.2.3 **प्रस्ताव को स्वीकृति** - जिस व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया है और वह उसे अपनी सहमति दे देता है तो वह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है । एक प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद वचन बन जाता है ।

6.2.4 **कौन से अनुबंध संविदाएं हैं ?** - निम्नलिखित के संतुष्ट होने पर विधि द्वारा कार्यान्वित करने योग्य एक अनुबंध संविदा है । इनमें से किसी को भी प्रभावित करने वाले दोष से यह संविदा कार्यान्वित नहीं होग:-

(क) पक्षों की सक्षमता

(ख) दोनों पक्षों को सहमति की स्वतंत्रता

(ग) प्रस्ताव की वैधानिकता

(घ) उद्देश्य की वैधानिकता

6.3 पक्षों की सक्षमता

6.3.1 **कौन संविदा कर सकता है ?** - विधि के अंतर्गत मानसिक रुप से स्वस्थ बालिग व्यक्ति, जब तक उसे विधि द्वारा रोका नहीं गया हो, संविदा कर सकता है । नाबालिग, मानसिक रुप से अस्वस्थ तथा जिन्हें दिवालिया घोषित किया गया हो, ऐसे व्यक्ति संविदा नहीं कर सकते हैं ।

6.3.2 **संविदा में पक्षों की श्रेणियां** - व्यक्तियों और निकायों की श्रेणियां जो संविदा में पक्ष हैं, को बृहत रुपे स निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रखा गया है:-

(क) वैयक्तिक

(ख) साझेदारी

(ग) कंपनियां

(घ) लिमिटेड कंपनियों के अतिरिक्त कार्पेरेशन

6.3.3 **वैयक्तिकों के साथ संविदा** - व्यक्ति अपने नाम से अन्यथा अपने व्यवसाय की शैली के नाम पर निविदा देता है । यदि निविदा पर संबंधित व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं, तो किसी दूसरे के नाम पर निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के अधिकार की जाँच की जानी चाहिए तथा उस व्यक्ति को उपयुक्त मुख्तारी अधिकार प्राधिकृत किया जाना चाहिए । यदि, एक निविदा व्यापार के नाम पर प्रस्तुत की गई है और यह किसी व्यक्ति से संबंधित है तो व्यवसाय का गठन और व्यक्ति की क्षमता संविदा में झलकनी चाहिए तथा निविदा पर मालिक के रुप में व्यक्ति के स्वयं के अथवा विधिवत् अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होने चाहिए ।

6.3.4 **भागीदारी के साथ संविदा** - एक भागीदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों को संयुक्त रुप से एक व्यवसायिक नाम के तहत व्यापार करने के उद्देश्य से गठित किया गया एक संघ है । इसे फर्म भी कहा जाता है । इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि व्यक्तियों द्वारा गठन के अतिरिक्त भागीदारी एक कानूनी इकाई नहीं है । एक भागीदार, फर्म के सामान्य व्यापार के दायरे में होने वाले संविदा में फर्म को जोड़ने वाला निहित प्राधिकारी है । तथापि, भागीदार का निहित प्राधिकारी उसे फर्म की ओर से विवाचन करार में प्रवेश का अधिकार नहीं देता । भागीदारी के साथ करार में शामिल होते समय सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि विवाचन करार में सभी भागीदारों की सहमति की जाँच की जा सके ।

6.3.5 **लिमिटेड कंपनियों के साथ संविदा** - कंपनियां व्यक्तियों की एसोसिएशन है जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है जिसमें एसोसिएशन के सदस्यों की देयता ऐसी कंपनियों में उनके शेयरों तक सीमित है । कंपनी अपने समावेशन और पंजीकरण के ाबद एक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति है जिसकी सत्ता अन्य शेयर धारक सदस्यों से सुस्पष्ट और भिन्न है । किसी कंपनी को ऐसी संविदा में प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है जिसका उद्देश्य संघ के ज्ञापन के अंतर्गत नहीं है; ऐसा कोई भी करार जो अधिक अधिकारों के साथ कंपनी में प्रवेश करता है तो वह शून्य है और उसे लागू नहीं किया जा सकता । अत:,

दुविधा के मामलों में कंपनी से सत्यापन के लिए अपने ज्ञापन तैयार करने के लिए कहा जा सकता हे अन्यथा संविदा में प्रवेश से पूर्व स्थिति का सत्यापन कंपनियों के रजिस्ट्रार के कार्लाय से ज्ञापन के निरीक्षण द्वारा किया जाएगा । सामान्यत: कंपनी के किसी एक निदेशक को कंपनी का प्रतिनिधित्व करने का अधिकारी दे दिया जाता है । जहां निदेशकों या अन्य प्राधिकृत प्रबंधन एजेंटों के अतिरिक्त व्यक्तियों द्वारा निविदा पर हस्ताक्षर किए जाने हैं, यह आवश्यक हो जाता है कि निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की जाँच करें कि वह कंपनी की ओर से संविदा में प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत है ।

6.3.6 **लिमिटेड कंपनियों के अतिरिक्त कार्पोरेशन** - ट्रेड यूनियन अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम तथा समिति पंजीकरण अधिनियम जैसे अधिनियमों के अंतर्गत शामिल व्यक्तियों के संघ भी कानू की नजर में कृत्रिम व्यक्ति है तथा वह ऐसी संविदाओं में प्रवेश करने के हकदार हैं चूंकि उन्हें, उनके सघ के ज्ञापन द्वारा प्राधिकृत किया गया है । यदि किसी ऐसी कार्पोरेशन या संघ के साथ कोई संविदा करनी है तो संविदा करने वाले संघों की क्षमता का सत्यापन किया जाना चाहिए और साथ ही उक्त संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के प्राधिकारी की भी जाँच की जानी चाहिए ।

6.4 दोनों पक्षों की सहमति

6.4.1 **दोनों पक्षों की सहमति** - दो या अधिक व्यक्तियों के बीच सहमति तभी समझी जाती है जब वे आपस में एक बार पर सहमत होते हैं । जब एक साथ कार्य कर रहे दो व्यक्तियों के दिमाग अलग दिशाओं में कार्य कर रहे होते हैं या उनके द्वारा प्रयोग की जा रही शैली के अर्थ भिन्न होते हैं, वहां कोई समझौता नहीं होता ।

6.4.2 **दोनों पक्षों को सहमति की स्वतंत्रता** - सहमति एसे स्थिति में ही स्वतंत्र कहलाती है जब वह बल प्रयोग, किसी प्रकार के दबाव, धोखधड़ी, गलत निरुपण या गलती से न की गई हो । जब किसी अनुबंध पर यह सहमति बल प्रयोग से, किसी प्रकार के दबाव, धोखाधड़ी या गलत निरुपण द्वारा दी जाती है, तो संविदा का यह अनुबंध उस पक्ष को कहने पर अमान्य हो सकता है जिससे उपर्युक्त वजह से सहमति ली गई थी। संविदा करने वाला वह पक्ष, जिसकी सहमति धोखाधड़ी या गलत निरुपण करके ली गई थी, उचित समझे तो संविदा के निष्पादन के लिए जोर हुए कह सकता है कि उसे वह स्थिति उपलब्ध करवाई जाए जो उसे तब मिलती जब ये निरुपण सत्य होते ।

6.4.3 **गलती से दी गई सहमति** - अनुबंध पर गलती से दी गई सहमति की स्थिति में परिस्थिति कुछ भिन्न होती। यदि दोनों ही पक्षों ने इस अनुबंध पर गलती से अपनी सहमति दी है, चूंकि यह मामला अनुबंध के लिए आवश्यक है, यह अनुबंध न केवल अमान्यकरणीय होगा बल्कि अमान्य होगा । यदि यह गलती एक पक्ष की ओर से हुई है तो यह अनुबंध अमान्य नहीं होगा ।

6.4.4 **तथ्य और कानूनी त्रुटि** - तथ्य की गलती और कानून की गलती के बीच अंतर किया जाना चाहिए । संविदा इसलिए अमान्य नहीं होती क्योंकि भारत में लागू किसी कानून के अंतर्गत यह गलती से की गई थी किंतु भारत में किसी कानून के लागू न होने की स्थिति को तथ्य की गलती के समान प्रभावी समझा जाएगा ।

6.5 प्रतिफल

6.5.1 **प्रतिफल क्या है?** - प्रतिफल, प्रतिज्ञाकर्त्ता के लिए अनुकूल होता है या फिर वह प्रतिज्ञाकर्त्ता के लिए दु:सह और प्रतिकूल होता है । तथापि, प्रतिफल की अपर्याप्तता संविदा न किए जाने का आधार नहीं है । किंतु एक अधिनियम, स्थगन या प्रज्ञिाा का कोई मूल्या नहीं है जिस पर कानून द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है और इसी प्रकार एक अधिनियम या एक प्रतिज्ञा जो अवैध या असंभव है, का कोई मूल्य नहीं है ।

6.6 प्रस्ताव की वैधानिकता

6.6.1 किसी अनुबंध का प्रतिफल या उद्देश्य वैधानिक होता है जब तक कि वह विधि द्वारा वर्जित न किया गया हो या इस प्रकृति का हो कि अनुमति मिलने पर वह किसी भी कानून के प्रावधानों को व्यर्थ कर सकता हो अथवा धोखाधड़ी या किसी और की संपत्ति धोखाधड़ी से प्राप्त की हो अथवा न्यायालय उसे अनैतिक या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध समझता हो । इन सभी मामलों में अनुबंध का प्रतिफल या उद्देश्य अवैधानिक कहलाएगा ।

6.7 किसी प्रस्ताव और स्वीकृति की सूचना

6.7.1 **किसी प्रस्ताव की सूचना**- किसी प्रस्ताव के संबंध में सूचना तभी पूर्ण समझी जाती है जब उसका ज्ञान उस व्यक्ति को हो जाता है जिसके लिए यह प्रस्ताव रखा गया था । सामान्यत: निविदा प्रपत्रों में निविदा प्रस्तुत करने के लिए समय प्रदान किया जाना है । समय पूरा होने के बाद मिलने वाली निविदाओं पर विचार करने के लिए विक्रेता बाध्य नहीं होता ।

6.7.2 **स्वीकृति की सूचना** - निविदा प्रपत्रों में स्वीकृति के लिए निविदा खोले जाने की तिथि निर्धारित होती है । स्वीकृति के लिए निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्ताव रद्द समझा जाता है । अत: यदि प्रस्ताव में मूल रुप से निविदा संबंधी निर्णय लेने के लिए दी हुई अवधि के भीतर निर्णय लेना संभव न हो तो इस प्रस्ताव को अगली अवधि तक खुला रखने संबंधी सहमति निविदा करने वाले फर्म से ली ली जानी चाहिए ।

6.7.3 **स्वीकृति संबंधी सूचना कब पूर्ण होती है?**- किसी प्रस्तावकर्त्ता के समक्ष स्वीकृति की सूचना तभी पूर्ण होती है जब वह उसे संचारण करने की प्रक्रिया में होता है ताकि वह स्वीकारकर्त्ता के सामर्थ्य से बाहर हो और यह स्वीकारकर्त्ता के समक्ष तब तब पूर्ण होता है जब वह प्रस्तावकर्त्ता की जानकारी में आता है । सरकारी संविदाओं में सामान्यत: संचार का माध्यम डाक द्वारा होता है तथा स्वीकृति तभी पूर्ण हो जाती है जब वह डाक से भेज दिया जाता है । स्वीकृति को भेजने की तिथि के संबंध में किसी विवाद से बचने के लिए उसे सही पते पर पंजीकृत डाक पावती आदि जैसे सुस्पष्ट प्रमाणिक माध्यम से भेजा जाना चाहिए ।

6.7.4 **स्वीकृति की प्रस्ताव से समरुपता** - यदि निविदा की शर्तें या संशोधित निविदा स्वीकार नहीं होती है अथवा प्रस्ताव की पूर्ति और स्वीकृति समान नहीं है, स्वीकृति केवल एक प्रति प्रस्ताव है और इसमें कोई परिणामी संविदा नहीं है । अत: यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्वीकृति में शामिल शर्तें प्रस्ताव या निविदा से भिन्न नहीं हैं और निविदा की कोई भी शर्तें छूटी नहीं हैं । निविदाकर्त्ता द्वारा संदेहयुक्त शर्तों का प्रयोग किए जाने के मामले में निविदा पर स्वीकृति के लिए विचार करते समय स्पष्टीकरण मांगा जाना

चाहिए । यदि ऐसा समझा जाता है कि प्रति प्रस्ताव रखा जाना चाहिए, तो ऐसे प्रति प्रस्ताव को सावधानीपर्त्रूक तैयार किया जाना चाहिए चमंकि यह संविदा स्वीकृति मिलने पर ही प्रभावी होगी । यदि संविदा को विषय वस्तु को पूरा करना असंभव है अथवा कानून का उल्लंघन होता है, ऐसी संविदा रद्द समझी जाती है ।

6.8 प्रस्ताव और स्वीकृति का आहरण

6.8.1 **प्रस्ताव का आहरण** - निविदा करने वाली फर्म जो कि प्रस्तावकर्त्ता, वह स्वीकृति प्राप्त करने से पहले प्रस्ताव को आहरित कर सकती है, यद्यपि फर्म ने यह प्रस्ताव रखा हो कि वह इस प्रस्ताव को विनिर्दिष्ट अवधि तक खुला रखेगी । यह निविदाकर्त्ता के लिए भी समान रुप से खुला है कि वह अपने प्रस्ताव को संशोधित कर दे । ऐसा आहरण या संशोधन स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के पास निविदा खुलने की तिथि और समय से पहले पहुंच जाना चाहिए । प्रस्ताव के ऐसे आहरण या संशोधन से किसी प्रकार की कानूनी बाध्यता नहीं होगी चूंकि साधारण प्रस्ताव बिना किसी विचार के रखा जाता है । तथापि, जहां निविदाकर्त्ता एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रस्ताव को विचारार्थ खुला रखने के लिए सहमत होता है, ऐसे प्रस्तावों काआहरण विनिर्दिष्ट तिथि की समाप्ति से पहले नहीं किया जा सकता । ऐसा वहां होता है जहां निविदाकर्त्ता द्वारा महत्वपूर्ण पैसा जमा किया होता है इसे ध्यान में रखते हुए पूरक संविदा दी जानी चाहिए तथा निविदाकर्त्ता द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने से पहले प्रस्ताव का आहरण न करने से क्रेता अपने महत्वपूर्ण पैसे खोने से बच सकता है ।

6.8.2 **स्वीकृति का आहरण -** स्वीकृति का आहरण तभी तक किया जा सकता है जब तक कि वह निविदाकर्त्ता के ज्ञान में न आई हो । स्वीकृति का टेलिग्राफिक प्रतिसंहरण जो निविदाकर्त्ता के पास स्वीकृति के पत्र से पहले पहुंचता है, वह वैध प्रतिसंहरण होगा ।

6.9 रक्षा संविदाओं पर हस्ताक्षर, स्वीकृति और मोहर लगाना

6.9.1 **रक्षा संविदाओं पर कौन हस्ताक्षर कर सकता है?** - सभी रक्षा संविदाएं भारत के राष्ट्रपति के नाम उन उनकी ओर से होती हैं । तथापि, सक्षम वित्तीय प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात संविदा पर स्टाफ अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं जो सक्षम वित्तीय प्राधिकारी द्वारा विधिवत रुप से लिखित में प्राधिकृत होते हैं । ऐसे स्टाफ अधिकारी के नमूना हस्ताक्षर सभी संबंधितों को भेजे जाते हैं जिसमें भुगतान करने वाले और निरीक्षण प्राधिकारी भी शामिल हैं । संविदाकर्त्ता के लिए हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्राधिकृत समझा जाएगा ।

6.9.2 **रक्षा संविदाओं की स्वीकृति** - यदि किसी संविदा पर क्रेता अैर आपूर्तिकर्त्ता दोनों पक्षों के हस्ताक्षर न हों तो वह आर एफ पी और फर्म के प्रस्ताव में निहित शर्तों पर निविदा की स्वीकृति के साथ आपसी सहमति से लागू हुआ मान लिया जाता है । तथा फर्म को आदेश की प्रति की जाँच करनी चाहिए और आपूर्ति आदेश प्राप्त होने के सात दिन के भीतर अपनी स्वीकृति प्रेषित कर देनी चाहिए । यदि निर्धारित अवधि के दौरान फर्म की ओर से इन स्वीकृति अथवा संविदा के कुछ भागों पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की जाती है तो आपूर्ति आदेश को फर्म के द्वारा पूर्ण रुप से स्वीकृत मान लिया जाता है । विदेशी संविदा के मामले में सामान्यत: दोनों पक्ष दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर करके संविदा पर अपनी सहमति प्रेषित करते हैं ।

6.9.3. **<u>रक्षा संविदाओं का अंकन</u>** - भारतीय अंकन अधिनियम के अनुसूची 1 की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत किसी अनुबंध या अनुबंध के ज्ञापन अथवा माल या सौदे की बिक्री के संबंध में होने पर अंकन शुल्क के भुगतान से छूट है ।

6.10 <u>संविदा के प्रकार तथा संविदा के सामानय नियम</u>

6.10.1 **<u>संविदा के प्रकार</u>** - सरकारी संविदाएं कई प्रकार की हो सकती है जो अधिप्राप्त की जाने वाली मद की प्रकृति, निष्पादन किए जाने वाले कार्य, दी जाने वाली अपेक्षित सेवाएं तथा उपलब्ध की जाने वाली सहायता पर निर्भर करता है । यद्यपि इस नियम-पत्रस्तिका में निहित प्रावधान, निर्माण कार्यों और परियोजनाओं के लिए की गई संविदाओं पर लागू नहीं होते हैं । ये अन्य सभी प्रकार की राजस्व संविदाओं पर लागू होंगे । निविदा की सामान्य श्रेणियां हो सकती है:-

(क) भंडारों, हिस्से पत्रजों या उपस्कर संबंधी मदों के लिए क्रय आदेश ।

(ख) दर संविदा ।

(ग) मूल्य अनुबंध ।

(घ) सेवा संविदा ।

(ङ) वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी)/समग्र अनुरक्षण संविदा (सीएफसी

(च) परामर्श संविदा/परियोजना

6.10.2 **<u>संविदा करने के सामान्य नियम</u>** - संविदा या अनुबंध में प्रवेश कर रहे प्राधिकारियों के निर्देशन के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित किए गए हैं जिसमें लोक निधि का व्यय भी शामिल है:-

(क) संविदा की शर्तें सुस्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए और उसमें द्विअर्थकता या गलत संरचना नहीं होनी चाहिए ।

(ख) जहां तक संभव हो संविदा के लिए मानक प्रपत्र ही प्रयोग किए जाने चाहिए तथा संविदा की शर्तें पूर्व जाँचा के बाद ही रखी जानी चाहिए ।

(ग) जहां तक संभव अनिवार्य हो, विशेषतया संविदा के मानक फार्मेट का प्रयोग न किए जाने की स्थिति में संविदा तैयार करते समय तथा उसमें प्रवेश करते समय वैधानिक और वित्तीय परामर्श लिया जाना चाहिए ।

(घ) एक बार संविदा के समाप्त होने पर, संविदा की शर्तों में सक्षम प्राधिकारी की सहमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए ।

(ङ) सक्षम वित्तीय प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना किसी भी संविदा में संदेहयुक्त या अनिश्चित दायित्व अथवा असामान्य प्रकृति की शर्त को शामिल नहीं किया जाएगा ।

(च) व्यवहार्य और लाभप्रद संविदाओं को केवल निविदा के खुले आमंत्रण के बाद ही रखा जाना चाहिए ।

(छ) निविदा को स्वीकृति देने के लिए चयन करते समय, अन्य सब तत्वों के अतिरिक्त निविदा देने वाले व्यक्तियों और फर्मों के वित्तीय स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए ।

(ज) ऐसे दुर्लभ मलों में जहां औपचारिक लिखित संविदा नहीं की गई है, मूल्य के संबंध में बिना लिखित अनुबंध के आपूर्ति आदि के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाना चाहिए ।

(झ) सेवा प्रदान करने वाले में न्यस्त सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए संविदाओं में पर्याप्त प्रावधान रखा जाना चाहिए ।

6.11 समाप्त संविदा की शर्तों में परिवर्तन/संशोधन

6.11.1 **समाप्त संविदा की शर्तों में परिर्वतन** - समाप्त हो चुकी संविदा की शर्तों में सामान्यत: कोई विचलन नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि संविदा की विशेष मांग न हो, ऐसे मामले में इसे संविदा कर रहे पक्षों की लिखित सहमति से किया जा सकता है ।

6.11.2 **समाप्त संविदा में संशोधन** - कुछ परिस्थितियों में पहले से की गई संविदा में संशोधन उस समय आवश्यक हो जाता है जब कोई पक्ष ऐसे परिवर्तन की मांग करे और वह दूसरे पक्ष को स्वीकार्य हो ।

6.11.3 **दरों में वृद्धि** - संविदा की दरों या मूल्यों में कोई वृद्धि तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक कि संविदा में इसका विशेष प्रावधान न हो । ऐसी स्थिति उन मामलों में उत्पन्न होती है जहां संविदा में मूल्य विचलन संबंधी खंडों का प्रावधान होता है या उत्पादन/सीमा शुल्क/अन्य सरकारी कर एवं उगाहियों में विचलन के कारण परिवर्तन तथा संविदा के वास्तविक दरों के आधार पर इन शुल्कों के भुगतान के लिए प्रावधान हो बशर्ते कि आपूर्तियां मूल सुपुर्दगी अवधि के दौरान की गई हो । ऐसे मामलों में एकीकृत वित्त का परामर्श अपेक्षित होगा यदि मूल संविदा को एकीकृत वित्त की सहमति से समाप्त किया गया था अथवा मूल्य वृद्धि के बाद संविदा सक्षम वित्तीय प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत आ जाती हैं जिसे एकीकृत वित्त की सहमति से प्रयोग किया जाता है ।

6.11.4 **मूल्य विचलन खण्ड की पत्रनरीक्षा** - मूल्य विचलन खंडों/विनिमय दर विचलन खंडों की पुनरीक्षा के लिए वित्तीय सलाहकार का परामर्श लिया जाना चाहिए ।

6.11.5 **विस्तार प्रदान करते समय परिसमाप्त क्षतियों का अधिरोपण** - संविदाकर्त्ता के किसी आवेदन पर सुपत्रर्दुगी अवधि को विस्तार प्रदान करते समय आवेदन के पत्र और भाव को ध्यान में रखकर सुपुर्दगी का समय निश्चित किया जाना चाहिए तथा विस्तार प्रदान करते समय यह निर्णय लिया जाना चाहिए कि किया यह परिसमाप्त क्षति के अधिरोपण के साथ है अथवा नहीं ।

6.11.6 **सुपुर्दगी अवधि को विस्तार प्रदान करने के मामले में करों आदि का दायित्व** - सुपुर्दगी अवधि को विस्तार प्रदान करते समय करों और उगाहियों में हुई वृद्धि का भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि संविदा विशेष रुप से इसके लिए प्रावधान नहीं रखती अथवा इसे एकीकृत वित्त की सहमति से स्पष्ट रुप से स्वीकार किया जाए ।

6.11.7 **एकीकृत वित्तीय सलाहकार के परामर्श से** - संविदा में अल्प समय में समापन तथा सुपुर्दगी अवधि में विस्तार सहित ऐसे सभी संशोधन, जिसमें वित्तीय बाध्यताएं हैं जहां एकीकृत वित्त की सहमति से मूल संविदा समाप्त की गई थी, को आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए ।

6.11.8 **लघु और गैर वित्तीय प्रकृति के संशोधन** - ड्राइंग नं0, पार्ट नं0 आदि से संबंधित लघु प्रकृति के संशोधन जिनमें वित्तीय बाध्यताएं किन्हीं है, को संविदा स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी से एक श्रेणी नीचे किसी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जानी चाहिए यदि ऐसा प्राधिकारी सक्षम वित्तीय सलाहकार द्वारा विशेष रुप से प्राधिकृत है ।

6.12 संविदा की समाप्ति

6.12.1 **समाप्त हुई संविदा का समापन** - निम्नलिखित परिस्थितियों में संविदा को समाप्त किया जा सकता है:-

(क) आपूर्तिकर्त्ता द्वारा संविदा किए गए भडारों/सेवाएं देने की सुपुर्दगी समय पर करने में विफलता सहित संविदा के किसी भी भाग का उल्लंघन किया जाए ।

(ख) जब संविदाकर्त्ता संविदा प्राप्त करने के लिए झूठी या कपटपूर्ण घोषणा अथवा विवरण देते पाया जाए अथवा वह अनैतिक या अनुचित व्यापार प्रक्रिया करते हुए पाया जाए ।

(ग) जब संविदा केा समाप्त करने के लिए दोनों पक्ष आपस में सहमत हों ।

(घ) जब आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्ति की जा रही मद के निरीक्षण के दौरान बार-बार त्रुटि पाई जाती है और आपूर्तिकर्त्ता इन चूकों को सुधारने या प्रस्तुत की गई मदों के संबंध में संविदा किए गए गुणता मानकों की पत्रष्टि करने की स्थिति में न हो ।

(ङ) कोई ऐसी विशेष परिस्थितियां जिनमें संविदा को रद्द करना या समाप्त करना न्यायसंगत समझा गया हो ।

6.13 संविदा की प्रभावी तारीख

6.13.1 संविदा की प्रभावी तारीख सामान्यत: वह तारीख होती है जिस पर दोनों पक्षों द्वारा संविदा पर हस्ताक्षर किए जाते हैं बशर्ते कि वह आपसी रुप से सहमति से हुआ हो और संविदा में दिए गए स्वीकृत नियमों और शर्तों में स्पष्ट रुप से दर्शाया गया हो ।

* * * * *

अध्याय - 7

संविदा की शर्तें

7.1 संविदा की शर्तें

7.1.1 **संविदा की शर्तें** - संविदा एक विधिक प्रलेख होता है अत: संविदा के दानो पक्षकारों के हितों की रक्षा के लिए इसका कुछ शर्तों के आधार पर शासित होना आवश्यक है । प्रत्येक खरीद अधिकारी का संविदा की शर्तों से भलीभांति परिचित होना तो आवश्यक है ही, यह भी आवश्यक है वह खरीददार के अधिकारों एवं सम्मान की रक्षा करने के लिए उपयुक्त सामयिक कार्रवाई करने में समर्थ हो । यह भी जरुरी है कि संविदा की शर्तों व्यावहारिक हों और खरीददार एवं पूर्तिकर्ता दोनों के लिए उचित हों । परस्पर सहमति संविदा पर हस्ताक्षर करने/स्वीकार करने के बाद संविदा की शर्तें दोनों पक्षकारों के लिए बाध्यकारी हो जाती हैं ।

7.1.2 **संविदा की मानक शर्तें** - संविदा की शर्तों को भलीभांति अवगत कराने के लिए, मानक शर्तों जो सामान्यत: सभी संविदाओं पर लागू होती हैं, का एक सेट निर्धारित किया जाता है और उन्हें पंजीकरण के समय ही सभी फर्मों को उपलब्ध करा दिया जाता है । यह आवश्यक है कि संविदा की मानक शर्तों को जैसाकि परिशिष्ट-ग के भाग-।।। में दिया गया है, रक्षा वेबसाइट पर भी दर्शाया जाए । प्रस्ताव प्रपत्र के लिए अनुरोध में परिशिष्ट- के क्रमश: भाग-।।। और भाग-iv में उल्लिखित मानक एवं विशिष्ट शर्तों का संदर्भ होता है जिन्हें बोलीदाता के लिए पालन किया जाना आवश्यक होगा । संविदा में मामला विशेष को देखते हुए मानक एवं विशिष्ट शर्तों का होना आवश्यक है जैसाकि अनुरोध हेतु प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है । संविदा के मानक एवं विशिष्ट शर्तें अनुरोध हेतु प्रस्ताव तथा क्रमश: परिशिष्ट 'घ' एवं 'ङ' में उल्लिखित पूर्ति आदेश एवं संविदा के फार्मेट में शामिल हैं ।

7.1.3 **पूर्ति आदेशों पर संविदा की मानक शर्तों की अनुप्रयोज्यता** - संविदा की मानक एवं विशिष्ट शर्तें पूर्ति आदेशों पर भी लागू हैं जैसा कि परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है । पूर्ति आदेश को विधिक रुप से वैध प्रलेख बनाने के लिए इसे सार्वजनकि क्षेत्र की इकाइयों द्वारा स्वीकृत किया जाना आवश्यक है ।

7.1.4 **संविदा की विशिष्ट शर्तें** -संविदा की विशिष्ट शर्तें ठेका विशेष और संविदा पर लागू पूरक शर्तें हैं । ऐसी शर्तें विशेष रुप से सेवाओं अथवा उपस्करों की पूर्ति के लिए की गई संविदा मामलों में आवश्यक होती हैं । संविदा की विशेष शर्तें परिशिष्ट 'ग', 'घ' और 'ङ' के भाग-iv पर दी गई हैं जिन्हें मामला दर- मामला आधार पर शामिल किया जा सकता है । इसके अलावा स्थल निरींक्षण परीक्षणों की स्वीकृति, संस्थापना, कार्या आरम्भ और सेवाओं के लिए भुगतान शुरु किए जाने अथवा निर्धारित पूर्व चरणों, जैसी शर्तों को लागू करना आवश्यक होगा । ऐसी शर्तों को मुख्य वित्तीय सलाहकार की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजते समय तथा अनुरोध हेतु प्रस्ताव तथा संविदा/पूर्ति आदेश में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार तय करना चाहिए ।

7.2 **संविदा की प्रयोज्यता**

7.2.1 **शर्तों की प्रयोज्यता** - अनुरोध हेतु प्रस्ताव तथा संविदा समझौता के प्रपत्र में संविदा के सभी मानक एवं विशिष्ट शर्तों का उल्लेख होता है । यद्यपि अनुरोध हेतु प्रस्ताव तथा उसके बाद संविदा में विशिष्ट शर्तों का उल्लेख होगा, जैसा कि किसी मामला विशेष में लागू होता है, तथापि, अनुरोध हेतु प्रस्ताव और संविदा में सभी शर्तों का अनिवार्य रुप से उल्लेख किया जाना चाहिए । पाठ्य समग्री में गूड़ परिवर्तन किए जा सकते हैं बशर्तें कि इससे मूल सामग्री अथवा विशिष्ट सामग्री` आयात में कोई परिवर्तन न हो । इस मामले में सीएफए, एकीकृत वित्त के परामर्श से जहाँ भी इस प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए से परामर्श की आवश्यकता होगी, निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा । ऐसे परिवर्तन करने से पहले आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सलाह ली जा सकती है । तथापि, जहाँ कहीं भी परिशिष्ट 'ग' 'घ' और 'ङ' के भाग-।।। में दिए गए उपबंधों के मानक पाठ का संबंध होगा, कानूनी राय के बगैर इस तरह के उपबंधों में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए ।

7.2.2 **शर्तों का विस्तार** - अनुरोध हेतु प्रस्ताव व संविदा के विशिष्ट प्रपत्रों में शामिल शर्तें स्वत: स्पष्ट हैं । तथापि, और अधिक स्पष्टीकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तों का उत्तरोत्तर पैरों में उल्लेख किया गया है ।

7.3 **संविदा की प्रभावी तारीख**

7.3.1 **प्रभावी तिथि** - संविदा के शुरु होने की प्रभावी तारीख सहमत हुए शर्तों के अनुसार प्रत्येक संविदा में निश्चित रुप से सूचित की जानी चाहिए । परिशिष्ट 'ग' भाग-।।। पैरा-2 में दिए के अनुसार सामान्यतौर पर संविदा पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख ही संविदाकी प्रभावी तारीख होगी । जब तक कि संविदा में विशेष रुप से अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो । जहां पर संविदा के पक्षकारों में विशिष्ट सहमति हो, प्रभावी तारीख कोई भी हो सकती है जब निम्नलिखित शर्तों मे ंसे कोई अथवा अंतिम शर्त जो भी लागू हो, का अनुपालन किया जाता है:-

(क) विक्रेता द्वारा पीबीजी के रुप में निष्पादन बांडड भरा जाना ।

(ख) विक्रेता द्वारा भंडार की पूति के लिए निर्यात लाइसेंस और लिखित रुप से पत्रष्टि प्राप्ति करना जिसे संविदा पर हस्ताक्षर की विशिष्ट तारीख के भीतर क्रेता के पास भेज दिया जाएगा ।

(ग) अग्रिम भुगतान के लिए बैंक गारंटी की रसीद ।

(घ) अंतिम उपभोक्ता प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख (पूर्तिकर्त्ता को सामान्यत: संविदा पर हस्ताक्षर किए जाने के 30 दिनों के भीतर अंतिम उपभोक्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है) ।

7.4 **अग्रिम का भुगतान**

7.4.1 **आपूर्तिकर्त्ताओं को अग्रिम भुगतान** - सामान्यत: दी गई सेवाओं/अथवा की गई पूर्ति के लिए भुगतान तब जारी किया जाना चाहिए जब सेवाएं दी जा चुकी होती है अथवा पूर्तियां की जा चुकी होती हैं । अत: आरएफपी में कोई अग्रिम नहीं दी जानी चाहिए । तथापि, निम्न प्रकार के मामलों में अग्रिम भुगतान आवश्यक होगा:-

(क) एयर कंडिशनरों, कंप्यूटर अन्य कीमती उपस्करों आदि की सेवाओं के लिए रख-रखाव संविदा करने के लिए फर्मों द्वारा अग्रिम भुगतान मांगे जाते हैं ।

(ख) फेब्रीकेशन संविदा, टर्न की संविदा आदि के विरुद्ध फर्मों द्वारा अग्रिम भुगतान मांगे जाते हैं ।

जहां अग्रिम भुगतान करने का निर्णय लिया जाता है वहां प्रस्ताव हेतु अनुरोध में मांग को शामिल करना होगा ।

7.4.2. **अग्रिम की मात्रा** - अग्रिम भुगतान संविदावात मूल्य संविदा मूल्य के 15% या रखरखाव संविदाओं के मामलों में 6 माह के लिए देय राशि से अधिक नहीं होना चाहिए ।

7.4.3 **प्रदत्त सीमा में छूट** - उपरोल्लिखित सीमा में छूट सचिव (रक्षा वित्त) या रक्षा मंत्रालय के संबंधित विभाग के सचिव के अनुमोदन से दी जानी चाहिए ।

7.4.4 **चरण/आंशिक भुगतान** - यदि कायऋ निष्पादन पर चरण/आंशिक भुगतान किया जाना प्रस्तावित है तो इस बात का अनुरोध हेतु प्रस्ताव के मुख्य पृष्ट पर स्पष्ट रुप से उल्लेख होना चाहिए जिस पर वित्तीय शक्तियों के प्रत्ययन के अनुसार जहां भी आवश्यक हो सीएफए की मंजूरी और आईएफए की सहमति होगी ।

7.4.5 **अग्रिम सुरक्षा** - अग्रिम भुगतान करते समय, बैंक गारंटी आदि के रुप में उपयुक्त सुरक्षा उपाय फर्म से प्राप्त कर लेने चाहिए । इस तरह की गारंटी लिया जाने वला प्रपत्र फार्म डीपीएम-16 में दिया गया है ।

7.5 **मूल्य अंतर उपबंध/मूल्य समायोजन उपबंध** - आमतौर पर संविदा निर्धारित मूल्य आधार पर की जानी चाहिए । तथापि, उतार-चढ़ाव वाली बाजार स्थितियों में पूर्तिकर्त्ताओं द्वारा विभिन्न मूल्य बोलियों पर विचार करने के लिए दीर्घकालिक संविदाओं के मामले में कभी-कभी यह आवश्यक होगी । संविदा में शामिल किए जाने के लिए मूल्य अंतरण प्रावधान वाले मामलों में नियत दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा ।

(क) मूल्य अंतरण संबंधी उपबंध का प्रावधान केवल दीर्घकालीन संविदाओं में किया जाएगा जहां डिलीवरी अवधि 18 माह से अधिक की होती है । अल्पकालीन संविदाओं में फर्म और निर्धारित मूल्यों का प्रावधान किया जाना चाहिए (जहां मूल्य अंतरण उपलब्ध की व्यवस्था हो, सहमत मूल्य में बेस लेवेल, वर्ष व माह जिससे मूल्य संबद्ध है, का प्रावधान होना चाहिए ताकि अंतरणों को उस माह एवं वर्ष में विद्यमान मूल्य स्तर के संबंध में निकाला जा सके) ।

(ख) बेस लेवेल और निर्धारित डिलीवरी की तारीख के बीच होने वाले मूल्य अंतरणों की गणना के लिए फार्मूला को उपबंध में शामिल किया जाना चाहिए । अंतरणों की गणना सरकार या चैम्बर्स आफ कामर्स द्वारा आवधिक रुप से प्रकाशित सूचकांकों के आधार पर की जाती है । दिशा निर्देश के लिए संदर्शी फार्मूले को परिशिष्ट 'ग' के भाग-iv में दिया गया है ।

(ग) मूल्य अंतरण उपबंध में सामग्री और श्रमिकों की कट-आफ-डेट का भी विशेष उल्लेख होना चाहिए क्योंकि इनमें निर्धारित डिलीवरी की तारीखों से पहले परिवर्तन हो जाता है ।

(घ) मूल्य अंतरण उपबंध में मूल्य अंतरण सीमा के लिए प्रावधान होना चाहिए विशेष रुप से वहां जहां मूल्य बढ़ोत्तरी अंतर्ग्रस्त होती है । यह प्रतिवर्ष प्रतिशतता के रुप में हो सकती है अथवा संपूर्ण सीलिंग अथवा दोनों के रुप में । क्रेता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल्य अंतरण के रुप में मूल्य में किसी भी प्रकार की कमी के लाभ के लिए संविदा में उचित प्रावधान हो ।

(ङ) उपबंध में संविदा मूल्य जिसके ऊपर मूल्य अंतरण स्वीकार्य होगा की न्यूनतम अंतरण प्रतिशतता का प्रावधान होना चाहिए (उदाहरण के लिए परिणामी वृद्धि 2 प्रतिशत से कम होने पर आपूर्तिकर्त्ता के पक्ष में कोई मूल्य समायोजन नहीं किया जाएगा) ।

(च) जहां अग्रिम या स्टेज भुगतान किए जाते हैं, वहां इस बात का भी प्रावधान होना चाहिए कि मूल्य के ऐसे भागों के लिए (भुगतान की तारीख के बाद) कोई मूल्य अंतरण न हो । जहां पर संविदा के प्रावधान के अनुसार लिक्विडेटेड डैमेज के अध्यधीन निर्धारित डिलीवरी की तारीख के बाद डिलीवरी स्वीकार की जाती हे जहां लिक्वीडेटेड डैमेज मूल्य की प्रतिशता के रुप में) मूल्य पर लागू होगा जैसाकि मूल्य अंतरण उपबंध के प्रचालन द्वारा परिवर्तित होता है ।

(छ) आपूर्तिकर्त्ता की ओर से चूक के लिए मूल्य निर्धारित डिलीवरी तारीख के बाद कोई मूल्य अंतरण स्वीकार्य नहीं किया जाएगा ।

(ज) मूल्य निर्धारित डिलीवरी तारीख के बाद सरकार द्वारा दबाव पर चूक के मामलों में संविदा में संशोधन के माध्यम से तारीख में विशेष परिवर्तन करके मूल्य अंतरण की अनुमति दी जा सकती है ।

(झ) जहां पर संविदा आयातित उपस्करों अथवा स्थानीय रुप से निर्मित (उत्पाद और अन्य शुल्कों एवं करों की अध्यधीन आदि (सीमा शुल्क व विदेशी मुद्रा विनिमय उतार-चढ़ाव) की आपूर्ति के लिए संविदाएं की गई हैं, मूल्य में शामिल किए गए मूल्यों एवं करों की प्रतिशतता का विशेष रुप से उल्लेख होना चाहिए । इसमें साथ-साथ यह भी बताना चाहिए आयातित मद के मूल्य की गणना के लिए विदेशी मुद्रा की विक्रीकर कितनी रखी गई है । शुल्कों और करों में और विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन की गणना का तरीका और ऐसे परिवर्तनों के लिए दावों के लिए प्रस्तुत किए गए प्रलेखों के बारे में संविदा में प्रावधान किया जाना चाहिए ।

(ञ) उपबंध में स्वीकार्य मूल्य अंतरण के भुगतान के तरीकों एवं शर्तों का भी उल्लेख होना चाहिए ।

7.6 विनिमय दर परिवर्तन

7.6.1 **विनिमय दर परिवर्तन संबंधी उपबंध** - इस उपबंध को संविदा में तभी शामिल किया जाना चाहिए जब संविदा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ की जा रही हो जिसमें आयात (विदेशी मुद्रा) अंतर्ग्रस्त होती है । प्रस्ताव में आयात की मात्रा के बारे में पर्याप्त सूचना होनी चाहिए । डीपी के फिर से यदि

विनिमय दर परिवर्तन सप्लायर की चूक के कारण हुआ है तो निर्धारित/बढ़ाए जाने के मामले में विनिमय पर परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा । संविदा में विदेशी मुद्रा भाग की गणना के लिए प्रत्येक प्रमुख मुद्रा की आधारभूत विनिमय दर भी बतायी जानी चाहिए तथा आधार तारीख में परिवर्तन निर्माता के मिडप्वाइंट तक दी जा सकती है जब तक कि फर्म में पहले ही समय सिड्यूल के बारे में सूचना नहीं दी है जिसके अंदर-अंदर फर्म द्वारा माल का निर्यात किया जाएगा । मूल्य समायोजन के लिए उपर्युक्त अन्य शर्तें लागू होगी ।

7.6.2 **<u>विनिमय दर अंतरण दावा के लिए प्रलेख</u>** - विनिमय दर अंतरण के कारण दावे के लिए निम्न प्रलेख जमा कराने आवश्यक होंगे:-

(क) वर्कशीट के साथ ईआरवी क्लेम का एक बिल ।

(ख) भुगतान की गई विदेशी मुद्रा एवं विनिमय दर के ब्यौरे ।

(ग) सप्लायरों को दिए गए आयात आदेशों की प्रतियां ।

(घ) महत्वपूर्ण आयात आदेशों के लिए सप्लायर का बीजक ।

7.7 <u>निष्पादन सिक्यूरिटी डिपाजिट (जमा)</u>

7.1. **<u>निष्पादन सिक्यूरिटी डिपाजिट</u>** - खरीददार को देय निष्पादन सिक्यूरिटी डिपाजिट (सरकारी कार्य हेतु प्राधिकृत सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी किए गए) निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) के रुप में निर्धारित प्रपत्र में संविदा की तारीख से 30 दिनों के भीतर सप्लायर द्वारा भरा जाएगा । वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड सरकारी लेन-देन करनके लिए प्राधिकृत तीन निजी बैंक हैं । निष्पादन सिक्यूरिटी डिपाजिट का आशय संविदा के मुताबिक अपने दायित्वों को पूरा करने में सप्लायर की चूक के कारण हुए किसी नुकसान के लिए खरीददार को क्षतिपूर्ति प्रदान करना है । अधिकांशत: सप्लायर द्वारा निष्पादन सिक्यूरिटी संविदा मूल्य के 10% की दर से भुगतान की जाती है । पीबीजी वारंटी समेत, संविदागत दायित्वों को पूरा करने की तारीख के बाद 60 दिनों की अवधि के लिए वैध होती है । बैंक गारंटी को संविदा के तहत सप्लायर के सभी दायित्वों के सम्यक निवर्हन के पश्चात उसे वापस कर दिया जाता है । संविदा अवधि के बाद संविदा निष्पादन में विलंब होने तथा खरीददार के डिलीवरी अवधि बढ़ाने को स्वीकार किए जाने के बाद सप्लायर को एलडी के साथ या बिना एलडी के बैंक गारंटी को यदि वैध नहीं है तो फिर से वैध करवा लेनी चाहिए । पीबीजी का फार्मेट फार्म डीपीएम-15 में दिया गया है ।

7.8 <u>भुगतान</u>

7.7.1 **<u>भुगतान की शर्तें</u>** - भुगतान की शर्तें खरीददार और आपूर्तिकर्त्ता दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वित्त व्यवस्था की लागत संविदा किए जा रहे मद अथवा सेवा की लागत को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है । आमतौर पर, निरीक्षण नोट और अन्य दस्तावेज के साथ कंसाइनी के यहां आइटम के औपचारिक प्राप्ति के पश्चात संविदा राशि का 95% जारी किया जाता है । बाकी 5% स्टोर को भलीभांति चेक करने और एकाउंट करने के पश्चात जारी किया जाता है । कुछ सप्लायर डिलीवरी

और एकाउंटस् के पश्चात 100% भुगतान की अधिक मांग करते हैं जिसे स्वीकार किया जा सकता है। अनेक मामलों में सप्लायर अतिशीर्घ पूर्ति और तदनुसार भुगतान की अनुमति के लिए अनुरोध करते हैं। अलग-अलग मामलों के गुणदोष के आधार पर सीएफए द्वारा ऐसे अनुरोधों पर भी विचार किया जा सकती है।

7.8.2 **भुगतान प्राधिकारी** - अनुरोध हेतु प्रस्ताव (आर एंड पी) और संविदा में मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक के निरीक्षण कार्यालय अथवा यूनिट एकाउंट आफिस जो भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

7.8.3. **ई0भुगतान** - सप्लायरों और विक्रेताओं के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपना बैंक एकाउंट नंबर और अन्य महत्वपूर्ण ई-पेमेंट ब्यौरे सूचित करें ताकि चैक की जगह इसीएस/एनईएफटी/ आरटीजीएस प्रणाली के जरिए भुगतान किए जा सके। ईसीएस के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए सप्लायरों/विक्रेताओं द्वारा जमा किए जाने वाले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त माडल मेंडेट फार्म की एक प्रति फार्म डीपीएम-11 में दी गई है। मैंडेट फार्म में दिए गए ब्यौरों को भी पूर्ति आदेश/संविदा में शामिल किया जाना चाहिए।

7.8.4 भुगतान का दावा करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले प्रलेख लेखापरीक्षा तथा भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले प्रलेख या दस्तावेज अधिप्राप्ति की प्रकृति और पूर्ति आदेश/संविदा विशेष की शर्तों पर निर्भर करते हैं। तथापि, लेखापरीक्षा और भुगतान के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नानुसार हैं:-

(क) पूर्ति आदेश/संविदा की अग्रिम प्रति के साथ लेखापरीक्षा प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज।

(i) पूर्ति आदेश/संविदा समझौता/स्वीकृत निविदा नोट की स्याही हस्ताक्षरित प्रति।

(ii) मुख्य वित्तीय सलाहकार की मंजूरी की स्याही हस्ताक्षरित प्रति जिस पर यू0ओ0 संख्या और आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जहां लागू हो, की सहमति की तारीख दर्शाई गई हो।

(iii) व्यय बोली प्रणाली के मामलों में तकनीकी/वाणिज्यिक मूल्यांकन एवं निरस्तीकरण ब्यौरे यदि कोई हो, की एक प्रति।

(iv) मूल्य बोली के साथ तुलनात्मक निविदा विवरण पत्र की एक प्रति।

(v) टीपीसी/पीएफसी प्रक्रियाओं, यदि हुई हो, की एक प्रति।

(vi) पीएसी प्रमाण पत्र/ओईएम प्रमाण पत्र/अन्य कोई प्रमाण पत्र जो अधिप्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण हों।

(vii) मंजूर करने वाले और प्रति हसताक्षर करने वाले प्राधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर।

(viii) वीएटी/एसएसटी/सेवाकर पंजीकरण संख्या/पैन नम्बर।

नोट:-

1. बजट आबंटन पत्र जिसमें व्यय से संबंधित कोड-शीर्ष के अंतर्गत फंड आबंटित किए जाने के बारे में सूचना हो, को आबंटन किए जाने पर भेजा जाना आवश्यक होगा ।

2. लेखापरीक्षा प्राधिकारी को अग्रिम रुप में उपर्युक्त सूचीबद्ध दस्तावेज नहीं भेजे जाने के मामले में उन्हें प्राधिकारी द्वारा बिलों के भुगतान/उत्तरवर्ती लेखापरीक्षा के समय, जहां भी लागू हो, बुलाया जाएगा ।

(ख) बिलके साथ भुगतान के लिए भुगतान प्राधिकारी को जमा किए जाने वाले दस्तावेज:-

(i) आकस्मिक बिल/विक्रेता के बिल की एफडी हस्ताक्षरित प्रति ।

(ii) वाणिज्यिक बीजक की स्याही हसताक्षरित प्रति ।

(iii) यूओ संख्या और अंतारिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के साथ पूर्ति आदेश की प्रति, जहां वित्तीय शक्तियों के प्रत्यापन के अंतर्गत आवश्यक हो ।

(iv) सीआरवी दो प्रतियों में !

(v) निरीक्षण नोट ।

(vi) सांविधिक एवं अन्य देयताओं जैसे उत्पाद शुल्क, चालान, सीमा शुल्क ड्यूटी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, चुंगी रसीद, ईपीएस/ईजीआईसी अंशदान, लाभ प्राप्तकत्ताओं की नामत: भूमिका आदि जैसा कि लागू हो, के दावे के लिए महत्वपूर्णा दस्तावेज/भुगतान का प्रमाण।

(vii) उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क यदि लागू हो, के लिए छूट प्रमाण पत्र ।

(viii) अग्रिम यदि कोई हो, के लिए बैंक गारंटी ।

(ix) गारंटी/वारंटी प्रमाण पत्र ।

(x) निष्पादन बैंक गारंटी/इन्डेंम्नीटी बांडड, जहां लागू हो ।

(xi) सीएफए की मंजूरी के साथ डीपी बढ़ाने का पत्र, यूओ संख्या और आई एफ ए की सहमति, जहां आवश्यक हो यह सूचित करते हुए विस्तार एलउी के साथ है या बिना एलडी के ।

(xii) फार्म डीपीएम-।। में दिए गए के अनुसार इलेक्ट्रानिक भुगतान के ब्यौरे, यदि इन ब्योरों को पूर्ति आदेश/संविदा में शामिल नहीं किया गया है अथवा उन मामलों में जहां इन ब्यौरों में परिवर्तन है ।

(xiii) प्रयोक्ता स्वीकार्यता

(xiv) अन्य कोई दस्तोवज/प्रमाण पत्र जिसका पूर्ति आदेश/संविदा में प्रावधान किया जा सकता है ।

नोट:- ली जा रही अधिप्राप्ति के ब्यौरे के आधार पर उपर्युक्त दी गई सूची तथा अनुरोध हेतु प्रस्ताव एवं पूर्ति आदेश/संविदा में से दस्तावेजों का चयन दिया जाए ।

7.9 <u>डिलीवरी</u>

7.9.1 **<u>डिलीवरी</u>** - संविदा/खरीद आदेश में निर्धारित डिलीवरी अवधि के अनुसार समय पर डिलीवरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिप्राप्ति उद्दश्यों में से एक है क्योंकि मद का समय पर उपलब्ध होना अति आवश्यक है, विशेष रुप से रक्षा विभाग में । स्टोरों की डिलीवरी किया गया तब समझा जाता है जब उन्हें नामित निरीक्षण एजेंसी द्वारा निरीक्षण करने के बाद कन्साइनी को सौंप दिया जाता है । अधिकांश संविदाओं में सड़क द्वारा कन्साइनी के इच्छानुसार घर पर डिलीवरी की व्यवस्था होती है । कुछ मामलों में स्टोरों को रेल द्वारा भी भेजा जाता है जिसमें डिलीवरी आरआर और निरीक्षण नोट प्राप्त होने पर की गई मानी जाती है । कुछ मामलों में जहां ठेकेदार संविदा डीपी के अंतिम कुछ दिनों के दौरान अथवा कांट्रेक्ट डीपी के अंतिम दिन निरीक्षण के लिए स्टोर को सौंपता है ऐसे मामलों में निरीक्षक मानक फ्रेकिंग क्लाज के अनुसार स्टोर का निरीक्षण कर सकता है ।

मानक फ्रैंकिग क्लाज के अनुसार, यह कि स्टोर का डिलीवरी अवधि के बाद निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण निदेशालय द्वारा स्वीकार किया गया है, खरीददार पर बाध्यकर नहीं होता है जब तक कि अपने विवेक के अनुसार वह उसकी डिलीवरी को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं होता । स्टोरों को खरीददार के अधिकारी की अनदेशी के बिना ही स्वीकार किया जाता है ।

7.9.2 **<u>मात्रा और गुणवत्ता का सही होना</u>** - परेषिती के घर पर स्टोर प्राप्त होने के बाद स्टोर की मात्रा, गुणवत्ता और दस्तावेज के सही होना सुनिश्चित करने के लिए चेक किया जाता है । स्टोर के किसी भी प्रकार से कम पाए जाने पर परेषिती प्राप्तकर्त्ता का यह अधिकार है कि वह स्टोर को निरस्त कर सकता है हालांकि इनकी जॉँच भी गई थी और निरीक्षण द्वारा क्लेरेंस भी मिल गया था ।

7.9.3 **<u>डिलीवरी अवधि के भीतर डिलीवरी न दे पाना</u>** - जब निर्धारित डिलीवरी की तारीख तक पूर्ति न हो पाती है तो खरीददार के पास निम्नलिखित विकल्प होंगे:-

(क) एलडी लगाकर तथा उपबंध को इंकार करके डिलीवरी तारीख में विस्तार करना जिसका आशय है मूल्य, कर, शुल्क आदि में विस्तारित अवधि के बीच होने वाली वृद्धि को मना करना ।

(ख) डिलीवरी की तारीख फिर से निर्धारित करना ।

(ग) संविदा को निरस्त करना और पूर्ति न की गई मात्रा की फिर से खरीद करना ।

7.9.4 **<u>पूर्ति न हाने की दशा में कार्रवाई की रुपरेखा तय करना</u>** - इन विकल्पों पर निर्णय लेते समय अधिप्राप्ति प्राधिकारी को पत्रनर्खरीद करने के लिए आवश्यक समय में संतुलन बनाना तथा कया वैकल्पिक स्रोतों से सस्तीदरों पर वांछित विस्तारित अवधि से पूर्व पूर्ति की व्यवस्था की जा सकती है और बाद वाले मामले में क्या इंडेंटर मूल्यों की कम प्रवृत्ति के लाभ को प्राप्त करने के लिए उचित समय तक प्रतीक्षा कर सकती है। केवल उन्हीं मामलों में विस्तार स्वीकृत किया जाएगा जिनमें सीएफए को लगे कि पूर्तिकर्त्ता विस्तारित डिलीवरी अवधि के दौरान आगे आएगा । विस्तृत ब्यौरे पूर्ति एवं निपटान निदेशालय मैनुअल 1999 के

अध्याय 12 में दिए गए हैं । इस मामले में पत्राचार/संशोधन के लिए सुझाव दिए गए फार्म दिशा-निर्देश के लिए डीपीएम-26, डीपीएम-27, डीपीएम-28 और डीपीएम-29 में दिए गए हैं ।

7.9.5 **विस्तार की अधिकतम अवधि** - डिलीवरी विस्तार की अधिकतम अवधि की गई प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत सीएफए द्वारा दी जा सकती है । इस तरह होनी चाहिए कि कुल अवधि मूल डिलीवरी अवधि जमा विस्तार अवधि-मूल डिलीवर अवधि के दोगुने से अधिक न हो । इस अवधि के बाद के लिए विस्तार हेतु रक्षा मंत्रालय की मंजूरी की आवश्यकता होगा ।

7.10 परिनिर्धारित क्षति

7.10.1 **परिनिर्धारित क्षति** - देर से डिलीवरी के कारण होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति जहां हानि अनुमान पूर्व और परस्पर सहमत हो, को परिनिर्धारित हानियाँ कहा जाता है । विधि के अनुसार अनुमान पूर्व हानियों की वसूली अनुमन्य है बशर्ते कि इस तरह की शर्त को संविदा में शामिल किया गया हो । परिनिर्धारित हानियों को लगाने के लिए देर से आपूर्ति के कारण वास्तविक नुकसान का आंकलन करने की आवश्यकता नहीं है । परिनिर्धारित हानियों के लिए दावा के संबंध में कानूनी स्थिति निम्नानुसार है:-

(क) हानि चाहे जितनी भी हो, दावा संविदा में निर्धारित कुल मात्रा से अधिक नहीं किया जा सकता है।

(ख) नुकसान के रुप में केवल न्यायोचित लाभ की ही गणना की जा सकती है जो दी गई परिस्थिति में निर्धारित योग से कम भी हो सकती है ।

(ग) जो भी उचित योग होगा, वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होगा ।

(घ) न्यायालय इस अनुमान पर कार्रवाई शुरु कर सकता है कि निर्धारित योग, संभावित हानि की तुलना में पक्षकारों के उचित अनुमान पूर्व आंकड़ों को दर्शाता है और इस उपबंध को प्रमाण सहित निस्तारित करने की इच्छा प्रकट की गई हो ।

(ङ) दंड और परिनिर्धारित हानियों के बीच अंतर को भारतीय संविदा अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया है और प्रत्येक मामले में न्यायालय उचित क्षतिपूर्ति जो कथित राशि से अधिक नहीं होगी से अधिक क्षतिपूर्ति नहीं प्रदान कर सकता ।

7.10.2 **परिनिर्धारित क्षति की मात्रा** - सामान्य नियम के तौर पर, यदि ठेकेदार डिलीवरी अवधि के भीतर स्टोर/सेवा अथवा उनके किसी भाग की पूर्ति करने में असफल होता है अथवा ऐसी अवधि के समाप्त होने से पहले संविदा को समाप्त करता है तो सीएफए संविदा तोड़े जाने के लिए किसी उपचार के प्रति खरीद के अधिकार की अनदेखी किए बिना किसी भी स्टोर जिसे ठेकेदार संविदा में डिलीवरी के लिए सहमत अवधि के भीतर पूर्ति करने में चूक की है, के मूल्य के 0.5% के समतुल्य ठेकेदार से वसूल सकता है जो प्रत्येक सप्ताह अथवा उसके भाग के लिए होगा जिस दौरान ऐसे स्टोरों की डिलीवरी बकाया के रुप में हो सकती है जहां डिलीवरी उक्त अवधि की समाप्ति के बाद स्वीकार की जाती है । कुल हानियां डिलिवरी नहीं किए गए माल के मूल्य के 10% से अधिक नहीं होगी । परिनिर्धारित क्षति संविदा में तय की गई राशि से अधिक नहीं होगी ।

7.10.3 **<u>परिनिर्धारित क्षति लगाने के लिए दिशा-निर्देश-</u>** परिनिर्धारित हानियों को लगाने के लिए निर्णय करते समय निम्न दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा:-

क्र0सं0	परिस्थितिया	परिनिर्धारित क्षति की मात्रा
1	आपूर्तियों में विलम्ब के परिणामस्वरुप वास्तविक/ प्रमाणित करने योग्य मुद्रा संबंधी हानि तथा आपूर्तिकर्ता विलम्ब के लिए उत्तरदायी था ।	पैरा 7-8-2 के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण एल डी संविदा के मूल्य से 10 प्रतिशत अधिकतम न हो ।
2	आपूर्तियों में विलम्ब के परिणामस्वरुप वास्तविक/ प्रमाणित करने योग्य मुद्रा संबंधी हानि तथा आपूर्तिकर्ता विलम्ब के एक हिस्से लिए उत्तरदायी था और शेष भाग आपूर्तिकर्ता के नियंत्रण से बाहर था ।	जिस अवधि के लिए आपूर्तिकर्ता विलम्ब के लिए उत्तरदायी था उसके लिए पूर्व एल डी संविदा के मूल्य से 10 प्रतिशत से अधिक न हो ।
3	आपूर्तियों में विलम्ब के परिणामस्वरुप वास्तविक/ प्रमाणित करने योग्य मुद्रा संबंधी हानि किन्तु सारा विलम्ब आपूर्तिकर्ता के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण हुआ।	पूर्ण एल डी को हटाया जा सकता है
4	वास्तविक/प्रमाणित करने योग्य मुद्रा संबंधी हानि को प्रमाणित नहीं किया जा सकता और इससे कोई असुविधा नहीं होती है ।	पूर्ण एल डी को हटाया जा सकता है

7.10.4 **<u>परिनिर्धारित क्षति को हटाना</u>** - पूर्व पैरा में निहित दिशा निर्देशों के अनुसार परिनिर्धारित क्षति को आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के अनुसार ,जहां भी यह सहमत अनिवार्य हो, सक्षम वित्तीय प्रधिकारी के अनुमोदन से पूरा या उसका एक हिस्सा हटाया जा सकता है। तथापि, ऐसे मामले में परिनिर्धारित क्षति हटानेको उचित ठहराने के पर्याप्त कारण दिए जाने चाहिए ।

7.10. 5 **<u>अनुवर्ती क्षति</u>** - आलोचनात्मक बड़ी परियोजनाओं के मामलेमें परिनिर्धारित क्षति के अतिरिक्त अनुवर्ती क्षति भी अधिरोपित की जाती है । जहां आवश्यक समझा जाए, इसे आर एफ पी और संविदा में शामिल किया जाना चाहिए ।

7.11 <u>मध्यस्थता</u>

7.11.1 **<u>मध्यस्थता</u>** - यदि क्रेता और विक्रेता के बीच कोई विवादउत्पन्न होता है और जिसका समाधान आपसी बातचीत से नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष मध्यस्थता के लिए तैयार हो सकते हैं । रक्षा मंत्रालय / सक्षम वित्तीय प्राधिकारी द्वारा रक्षा सचिव/ सक्षम वित्तीय प्राधिकारी, जो मध्यस्थ नियुक्त करते हैं, के चयन के लिए मध्यस्थों का एक पेनल तैयार किया जाना चाहिए, जो दोनों पक्षों के तथ्यों पर विचार करने के बाद निर्णय लेता है और उसे अन्तिम समझा जाता है । विधि मंत्रालय से मध्यस्थ की नियुक्ति के विकल्प का भी प्रयोग किया जा सकता है । सेना मुख्यालय को प्रदत्त शक्तियों में मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है । मानक मध्यस्थ खण्ड डी पी एम-7, डी पी एम-8, और डी पी एम-9 के फार्मो में दिए गए हैं ।

7.11.2 **न्यायालय के माध्यम से मध्यस्थ की नियुक्ति** - ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि कोई एक पक्ष एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुवत करने के लिए नियम सम्मत कानून में प्रस्ताव रख सकता है । मध्यस्थता के सभी मामलों में खरीद अधिकारी को कानूनी सलाहकार तथा सरकारी सलाहकार से परामर्श अवश्य करना चाहिए ।

7.12 दैवीय आपदा

7.12.1 **दैवीय आपदा** - जहां कही भी आवश्यक समझा जाए इस शर्त को आर एफ पी ओर संविदा में शामिल किया जाना चाहिए । इस संबंध में, इस नियम पत्रस्तिका के पैरा 10.9 में दिए गए प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ताकि स्वदेशी स्रोतों से भी अधिप्राप्ति की जा सके । यद्यपि यह शर्त ऐसी संविदाओं में तभी शामिल की जानी चाहिए तब अति आवश्यक हो । इस शर्त का मानक प्रपत्र परिशिष्ट "ग" के भाग -iv में दिया गया है ।

7.13 विकल्प शर्त तथा पत्रन: आदेश देने की शर्त

7.13.1 **पुनरादेश देने और विकल्प शर्त** - पुनरादेश देने और विकल्प शर्त के प्रावधान को आर पी एफ में शामिल नहीं किया जाना चाहिए चूंकि मूल्यों पर इन शर्तों का प्रभाव पड़ता है अत: असाधारण परिस्थितियों में इनमें से एक या दोनों शर्तें आर पी एफ में उपलब्ध कराई जा सकती हैं , जहां उपभोग के तरीके के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती बशर्ते कि एक या दोनों शर्तो का प्रयोग करते समय मूल रुप से सीलिंग की गई संविदा की मात्रा के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो । पत्रन: दिए गए आदेश और/ अथवा विकल्प शर्त का प्रयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है बशर्ते कि सब मिलाकर ये आदेश मूल आदेश की मात्रा से 50 प्रतिशत से अधिक न हो ।

7.13.2 **विकल्प शर्त** - क्रेता के पास मूल रुप से संविदा की गई मात्रा के लिए संविदा की उसी दर और शर्तो पर आदेश प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। ऐसे विकल्प संविदा की मूल अवधि में उपलब्ध होते है बशर्ते कि यह शर्त आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई मूल संविदा में समाविष्ट की गई हो । विस्तृत डी पी में विकल्प मात्रा, सुपुर्दगी की मूल अवधि के पश्चात् शेष मात्रा के 50 प्रतिशत तक सीमित है । यह शर्त एक विक्रेता/ओ ई एम ये अधिप्राप्ति के मामले में प्रयोग की जा सकती है बशर्ते कि मूल्यों में गिरावट की प्रवृतित न हो । तथापि, बहु-विक्रेता संविदाओं में,विकल्प शर्त का प्रयोग करने से पहले अत्याधिक सावधानी बरती जानी चाहिए ।

7.13.3 **विकल्प शर्त को नियंत्रित करने वाली शर्ते** - एक विशिष्ट मांगपत्र जिसके लिए स्वीकृति का आवश्यकता को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है, यह विक्रेता के लिए लाभप्रद होगा कि वह विकल्प शर्त का संविदा के नियमों तथा शर्तो के अनुसार प्रयोग करे । विकल्प शर्त का प्रयोग आई एफ ए के परामर्श से सक्षम वित्तीय प्रधिकारी के अनुमादन से किया जा सकता है जिसकी शक्तियों के अंतर्गत मूल आपूर्तियों का कुल मूल्य तथा विकल्प शर्त का मूल्य तथा विकल्प शर्त का मूल्य आता है, यह संविदा की वैद्यता अवधि के दौरान लागू होगा । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बाजार मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति नहीं है । जब मदों की तत्काल आवश्यकता हो तो आर एफ पी से फलदायी परिणाम उम्पन्न नहीं होंगे । यदिसंविदा में पत्रन: आदेश देने की शर्त भी रखी जाती है तो यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि विकल्प शर्त और पत्रन: आदेश के अन्तर्गत आदेश करते समय, विकल्प शर्त और पत्रन: आदेश के अन्तर्गत कुल मात्रा मूल रुप से आदेश की गई मात्रा के 50प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है ।

7.13.4 **पुनरादेश करना** - जब भी आवश्यक समझा जाए आर एफ पी तथा पुनरादेश देने के लिए संविदा में प्रावधान रखा जाना चाहिए। पत्रन: किया गया आदेश पूर्व आदेश के स्थान पर उसी लागत और नियम व शर्तो पर होना चाहिए जो, जहां आवश्यक हो , प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के अनुसार एकीकृत वित्त की सहमति से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमादित मूल्य आदेश/संविदा के अनुसार होना चाहिए।

7.13.5 **पत्रन:दिए गए आदेश को नियंत्रित करने वाली शर्ते** - पत्रन: दिया गया आदेश निम्नलिखित के आधार पर रखा जाना चाहिए :-

(क) पूर्व आदेश की तुलना में आदेश की गई मदें ठीक प्रकार से सुपत्रर्द कर दी गई थीं।

(ख) तत्काल प्रकृति की मांग को पूरा करने के लिए मूल आदेश नहीं रखें जाने चाहिए।

(ग) पत्रन: दिए गए आदेश को आवश्यकता को विभक्त करने के लिए नहीं दिया जाता ताकि अगले उच्च सक्षम वित्तीय प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने से बचा जा सके।

(घ) बातचीत करके तय हुए न्यूनतम मूल्य के आधार और सी एन सी के अनुमोदन से ही मूल आदेश रखे जाने चाहिए, वे सुपुर्दगी के आधार या किसी अन्य अधिमान के आधार पर नहीं होने चाहिए।

(ड़) मद के मूल्य में गिरावट की प्रवृति न हो। इस बारे में एक स्पष्ट प्रमाणपत्र रिकार्ड किया जाना चाहिए।

(च) समान प्रकृति/विनिर्देशनों, नाम पद्धति आदि के भण्डारों की आवश्यकता होती है।

7.14 जोखिम एवं व्यय खरीद

7.14.1 **जोखिम एवं व्यय खरीद** - यदि आवश्यक समझा जाए तो जोखिम एवं व्यय खरीद शर्त को आर एफ पी तथा संविदा में शामिल किया जा सकता है। आपूर्तिकर्ता द्वारा निधार्रित अवधि में संविदात्मक दायित्वों पूरा करने में असफल होने तथा जहां सुपत्रदर्गी अवधि के विस्तार को अनुमादित नहीं किया गया है, के मामले में क्रेता को इस बात की पत्रष्टि कर लेनी चाहिए कि आपूर्तिकर्ता सुपत्रदर्गी करने में असफल रहा है और उसे अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तथा उचित नोटिस दिया गया था। जब भी नई संविदा के माध्यम से उक्त संविदात्मक माल/सेवाओं की अधिप्राप्ति की जोखिम खरीद की जाती है, आपूर्तिकर्ता को, सरकार द्वारा व्यय की अतिरिक्ति राशि का भुगतान करना होता है। जोखिम खरीद करने का निर्णय लेते समय, ऐसी राशि की वसूली की पद्धति जैसे कारकों पर भी वसूली की पद्धति जैसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। एक मानक जोखिम एवं व्यय खरीद शर्त परिशिष्ट "ग" में दी गई है।

7.14.2 **जोखिम एवं व्यय खरीद अनिवार्य नहीं है** - आपूर्तिकर्ता की लागत एवं व्यय पर जोखिम खरीद सदैव एक व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं होता चूंकि बिना कानूनी कार्यवाही के वसूली करना हमेशा संभव नहीं होता है। इस कारण से आयात संविदाओं के मामले में इस शर्त का प्रयोग बहुत कम होता है। ऐसे मामलों में जहां मद स्वामित्व प्रकृति की हो या मदों की आपूर्ति के लिए केवल एक योग्य फर्म हो तथा उस मद को किसी वैकल्पिक स्रोत से प्राप्त करने की संभावना न हो, यह आवश्यक होगा कि ऐसी संविदा में जोखिम और लागत शर्त की बजाय भुगतान न करने की स्थिति में संविदा में निष्पादन गारंटी शर्त रखी जानी चाहिए।

7.14.3 **जोखिम एवं व्यय खरीद शर्त के अन्य समाधान** - विदेशी संविदाओं के मामले में जोखिम एवं व्यय संबंधी शर्ते समान्यत: लागू नहीं होती है । जाखिम एवं व्यय शर्त के न होने पर क्रेता को अन्य उपलब्ध समाधान निम्न प्रकार से है:-

(क) आपूर्तिकर्ता के किसी शेष भुगतान से त्रुटि की मात्रात्मक लागत को घटाना ।

(ख) त्रुटि के समाधान होने तक फर्म को और आर एफ पी जारी करने से रोकना ।

(ग) आपूर्तिकर्ता के प्रतिनिधि के साथ सभी बैठकों में त्रुटि के मुददे को उठाना ।

(घ) ऐसे जोखिमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बैंक गारंटी प्राप्त करना ।

(ड) विदेशी संविदाओं के मामले में अंतत: यदि आवश्यक हो तो रक्षा मंत्रालय के माध्यम से आपूर्तिकर्ता के देश की सरकार तक पहुंचना ।

7.15 मात्रा का विभाजन

7.15.1 **मात्रा का विभाजन** - व्यापक और सीमित स्तर पर टेंडर संबंधी पूछताछ के मामलोंमें यदि यह आशंका हो कि एल ।में संपूर्ण अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति करने की क्षमता नहीं है तो आर एफ पी में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए कि शेष मात्रा को एल। की दर पर एल 2 ,एल 3 आदि में रखाजा सकता है बशर्ते कि यह उन्हें स्वीकार्य हो । यदि मात्राओं के विभाजन के संबंध में पूर्व निर्णय नहीं होता और यह पाया जाता है कि आदेश की मात्रा केवल एल । द्वारा आपूर्ति किए जाने से कहीं अधिक है, आदेश को उक्त एल 2 ,एल 3 आदि में एल । की दर पर बांडटा जा सकता है । यदि यह निर्णय पहले ही ले लिया जाता है कि आपूर्ति एक से अधिक स्रोतों से की जाएगी (मद की महत्वपूर्ण या जटिल प्रकृति के कारण) विभाजन के अनुपात का उल्लेख आर एफ पी में किया जाना चाहिए ।

7.16 सुपुर्दगियों की अधिक या कम मात्रा के स्वीकृति

7.16.1 **अधिक या कम मात्रा की सुपुर्दगियों को स्वीकृति** - ऐसे अवसर आ सकते हैं जब विक्रेता द्वारा विभिन्न कारणों जैसे माप की मानक इकाई का सटीक न होना या स्टील प्लेटों इत्यादि के मामले में जहां सटीक वजन से अधिक या कम मात्रा में सुपुर्दगी की जानी है , का आकलन करने में कठिनाई आती है यदि इस शर्त को किसी विशेष मामले में लागू किया जाना है तो इसका संकेत आर एफ पी में दिया जाना चाहिए । आपूर्तियों के इन अंतरों को सक्षम वित्तीय प्राधिकारी के अनुमोदन से स्वीकार किया जाए बशर्ते कि ऐसी अधिक/ कम मात्रा में की गई आपूर्तियों का मूल्य संविदा के मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक के मूल्य तथा अधिक/कम मात्रा कि आपूर्तिके संदर्भ में कृतसंकल्प है ।

7.17 पुनर्क्रय प्रस्ताव

7.17.1 **पुनर्क्रय प्रस्ताव** - जब कि मौजूद पत्ररानी मद के स्थान पर नई मद लेने का निर्णय लिया जाता है तो आर एफ पी में एक उपयुक्त शर्त शामिल की जानी चाहिए ताकि प्रत्याशित और इच्छुक बोली दाता तदनुसार अपनी बोलियां प्रतिपादित कर सकें । व्यापार की जाने वाली पत्ररानी मदों की स्थिति और मूल्य के आधार

पर, सफल बोली कर्त्ता को पत्ररानी मदें सौंपने में लगने वाले समय और पत्ररानी मदें सौंपे जाने के प्रकार को भी आर एफ पी में शामिल किया जाना चाहिए । आर एफ पी में इसके लिए भी उपयुक्त प्रावधान रखा जाना चाहिए कि क्रेता यह निर्णय लेने में सक्षम हो सके कि नई मदों को खरीदते समय पत्ररानी मदों का व्यापार करे या नही।

7.18 **मूल्य ह्रास की शर्त**

7.18.1 **फॉल क्लॉज** - फर्मों को साथ संविदाओं संबंधी निर्णय लेने के मामलों में ,जिनकी डी जी एस एडं डी/ अन्य केंद्रीय अधिप्राप्ति एजेंसियों के साथ दर संविदा समाप्त हो गई है और आर सी का नवीकरण नही हुआ है, आपूर्ति आदेश / संविदा में "फॉल क्लॉज " को इस तरह शामिल किया जाना चाहिए कि आपूर्ति आदेश /संविदा के प्रचलन के दौरान, दर संविदा करते समय दरों का मूल्य कम पास जाने के मामले में दर संविदा में दी गई न्यूनतम दरें लागू होंगी।

* * * * *

अध्याय - 8

दर संविदा

8.1 **सामान्य**

8.1.1 **उदेश्य** - अधिप्राप्ति एजेंसी का मुख्य उदेश्य उचित गुणवता की उचित मद तथा उचित मात्रा में, उचित स्थान पर उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है कि प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके । यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि नियमित रुप से थोक में अपेक्षित सभी सामान्य प्रयोक्ता मदें जिनका मूल्य स्थिर रहने की संभावना है और जो बाजार के उतार चढाव से प्रभावित नही होती, के लिए दर संविदा सामान्य कर दी जाए । दर संविदा (आर सी), अधिप्राप्ति अधिकारियों को अनुपात की अर्थव्यवस्था के साथ मांगी गई मदों की शीघ्र प्राप्ति तथा आदेश संसाधित करने व सपंत्ति सूची लागत को भी कम करने में सक्षम करता है तथा क्रेता और आपूर्तिकर्त्ता दोनों के लिए सफल सौदा करने में सहायता करता है ।

8.1.2 **परिभाषा** - दर संविदा (आर सी)संविदा की अवधि में विनिर्दिष्ट मूल्यों और निबंधनों एवं शर्तो पर विनिर्दिष्ट मदों की आपूर्ति हेतु क्रेता और आपूर्तिकर्त्ता के बीच किया गया अनुबंध है । दर संविदा में न तो मात्रा का उल्लेख होता है और न ही कोई न्यूनतम आहरण गारंटी होती है । दर संविदा आपूर्तिकर्त्ता फर्मसे स्थाई प्रस्तावहै । फर्म और /अथवा क्रेता एक दूसरे को उपयुक्त नाटिस देकर जो 30 दिन से कम न हो दर संविदा का आहरण/ रदद करने के हकदार होते हैं/हैं । तथापि, दर संविदा के नियमों में एक निश्चित मात्रा की आपूर्ति केलिए आपूर्तिकर्त्ता को आपूर्ति हेतु आदेश देने के बाद,दर संविदा की वैधता अवधि केदौरान वह आपूर्ति आदेश एक वैध और बाहयकारी संविदा बन जाता है तथा आपूर्तिकर्त्ता आदेश की गई मात्रा की आपूर्ति करने के लिए बाध्य हो जाता है ।

8.1.3. **मूल्य अनुबंध** - माल या सेवाओं की अधिप्राप्ति करते समय मूल उपस्कर निर्माताओं (ओ ई एम)के साथ मूल्य अनुबंध /नियत मूल्य दर में प्रवेश करना उचित होगा । पी ए/एफ पी क्यू को मोलभाव तथा बाजार सर्वेक्षण करके अंतिम रुप दिया जा सकता है । ऐसे पी ए/ एफ पी क्यू सामा न्यत: तीन वर्ष के लिए वैध होते हैं और अगले उच्च सक्षम वित्तीय प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद इसेउपयुक्त रुप से बढाया जा सकता है ।

8.1.4 **आर सी के लिए उपयुक्त मदों के प्रकार** - मदों के प्रकार जिन पर आर सी के लिए विचार किया जाना चाहिए :-

(क) स्पष्ट विनिर्देशनों वाली मदें जो अनेक प्रयोक्ताओं द्वारा आवर्ती आधार पर अपेक्षित है ।

(ख) जल्दी खराब होने वाली या कठिनाई से भण्डारण की जाने वाली तेज गतिशील मदें ।

(ग) आर सी के प्रचलनके दौरान न्यूनतम प्रत्याशित मूल्य में उतार चढाव वाली मदें । अल्प अवधि वाली संविदा के अतिरिक्त मूल्यों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव की संभावना वाली मदों को आर सी में रखने के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए ।

(घ) ऐसी मदें जिनका निर्माण करने में बहुत अधिक समय लगता है और जिनके निर्माण के लिए केवल एक स्रोत होता है ।

8.1.5 **<u>डी जी एस एंड डी दर संविदा पर पहले से मौजूदा मदें</u>**
सामान्यत: उन मदों के लिए दर संविदा नहीं की जानी चाहिए जिनकी डी जी एस एंड डी दर संविदाएं पहली ही हो चुकी हैं । तथापि, यदि ऐसी मदों के लिए संविदा करना आवश्यक हो जाए जिनकी पहले ही डी जी एस एंड डी दर संविदा हो चुकी है तो ऐसा करने के कारण स्पष्ट किए जाने चाहिए तथा एकीकृत वित्त के परामर्श से सक्षम वित्तीय प्राधिकारी का अनुमोदन लिया जाना चाहिए ।

8.2 **<u>दर संविदा/दीर्घ अवधि उत्पाद सहायता को समाप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी</u>**

8.2.1 **<u>दर संविदाको समाप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी</u>** - माल और सेवाओं के लिए दर संविद ा या मूल्य अनुबंध केवल प्राधिकृत केंद्रीय और स्थानीय अधिप्राप्ति एजेंसियों द्वारा ही समाप्त किया जाना चाहिए ।

8.2.2 **<u>दीर्घ अवधि उत्पाद सहायता</u>** - दीर्घ अवधि उत्पाद सहायता के लिए मूल्य अनुबंध उन प्राधिकारियों के अनुमोदन से समाप्त किया जाना चाहिए जिन्हें विशेष रुप से ऐसी शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं ।

8.3 **<u>दर संविदा की अवधि</u>**

8.3.1 **<u>दर संविदा की अवधि</u>** - सामान्यतया दर संविदा को एक वर्ष के लिए समाप्त किया जाना चाहिए। तथापि, विशेष मामलेां में अल्प और दीर्घ अवधि जो तीन वर्ष से अधिक न हो के लिए विचार किया जाना चाहिए । तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए मौजूदा आर सी की समय वृद्धि करते समय या आर सी को समाप्त करते समय रक्षा मंत्रालय का अनुमोदन लेना आवश्यक होगा ।

8.3.2 **<u>समाप्ति अवधि निश्चित करना</u>** - जहाँ तक संभव हो आर सी की समाप्ति अवधि निश्चित होनी चाहिए ताकि बजटीय उगाहियाँ मूल्य को प्रभावित न कर सकें और संविदाकर्त्ता निराश न हों ।

8.4 **<u>आर सी को अनुमोदन देने के लिए सक्षम वित्तीय प्राधिकारी का संकल्प</u>**

8.4.1 **<u>सक्षम वित्तीय प्राधिकारी</u>** - दर संविदा/मूल्य अनुबंध को समाप्त करने के लिए सक्षम वित्तीय प्राधिकारी के स्तर को निर्धारित करते समय एक वर्ष की अवधि में प्रत्याशित आहरण के मूल्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

8.5 **<u>दर संविदा को समाप्त करने की प्रक्रिया</u>**

8.5.1 **<u>अनुमान/मांगपत्र /मांग</u>** - दर संविदा विभिन्न प्रयोक्ताओं की अनुमानित वार्षिक आवश्यकताओं के आधार पर समाप्त की जा सकती है । संविदा समाप्त करने वाले प्राधिकारी, मांग-पत्र बनाने वाले अधिकारी की शर्तों पर अनुमानों की पूर्णता, मद के विनिर्देशन, वांछित सुपुर्दगी कार्यक्रम, पैंकिंग एवं परिरक्षण आदि के पूर्ण होने संबंधी अनुमानों की जांच अवश्य करें । पर्याप्त बजट प्रावधान बनाए जाने चाहिए और सामान्य तौर पर उनकी पत्रष्टि की जानी चाहिए ।

8.5.2 **फर्मों का चयन** - आर सी सामान्यतया नामित निरीक्षण एजेंसी द्वारा क्षमता मूल्यांकन के आधार पर केवल पंजीकृत फर्मों के साथ ही की जानी चाहिए । पहली बार दर संविदा में लाई गई नई मदों के संबंधमें अनुकूल तकनीकी सामर्थ्य और वित्तीय क्षमताओं के आधार पर गैर पंजीकृत फर्मों के साथ भी की जा सकती है । दर संविदा देते समय किसी भी फर्म के पूर्व प्रदर्शन पर विचार किया जाएगा । सामान्यतया निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए:-

(क) कोई भी नई आर सी ऐसी फर्मों के साथ नहीं की जानी चाहिए, जिसके पास पिछले आर्डरों का संचय हो और जिसका कार्य वर्ष के बड़े हिस्से तक चलने की सम्भावना हो .

(ख) ठेकेदार के पिछले 3 वर्ष के कार्य निष्पादन पर विचार किया जाना चाहिए ।

(ग) यदि ठेकेदार के पास चालू आर सी नहीं है तो पिछली दो तात्कालिक दर संविदाओं की तुलना में निष्पादन पर विचार किया जाना चाहिए ।

(घ) यदि आरर सी धारक आहरण रिपोर्ट देने में चूककर्त्ता है तो चूक कर्त्ता द्वारा बोली लगाए जाने के मामले की जांच की जानी चाहिए ।

(ङ) न्यूनतम प्रदर्शन स्तर प्रदर्शन मानदंड ,बोली संबंधी दस्तावेज में विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए ।

8.5.3 **मूल्य वार्ता** - आर सी की समाप्ति करते समय, अधिमान्य होगा कि सी एन सी द्वारा मूल्य वार्ता की जाए ताकि मुद्रा का उत्तम मूल्य प्राप्त किया जा सके और साथ ही आर सी के सभी पहलुओं को स्पष्ट किया जाए ताकि बाद में किसी प्रकार की द्विअर्थकता और विवाद से बचा जा सके । सभी दर संविदाएं तथा मूल्य अनुबंधों का संसाधन समिति सक्षम वित्तीय प्राधिकारी अथवा सी एन सी के माध्यम से किया जाना चाहिए । ताकि मुद्रा के उत्तम मूल्य ,गुणता आश्वासन तथा पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके । वित्तीय सदस्य का सभी विचार विमर्शो,विशेषतया मूल्य और संविदा की स्थिति के संबंध में विचार विमर्श में भाग लेना अनिवार्य है ।

8.5.4 **दर संविदा पर हस्ताक्षर** - रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विंगों के लिए आर सी पर हस्ताक्षर भारत के राष्ट्रपति की ओर से किए जाएंगें । आर सी पर ऐसे प्राधिकारी जिन्हें आर सी में प्रवेश करने के लिए शक्तियां प्रदत्त की गई हैं या सक्षम वित्तीय प्राधिकारी के अनुमोदन से वित्तीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

8.6 समरुप आर सी का समापन

8.6.1 **समरुप दर संविदाएं** - यदि यह पाया जाता है कि एकल आपूर्तिकर्ता में एक मद की मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है अथवा मद की कमी के कारण अधिक विक्रेताओं का होना वांछनीय है तो समरुप आर सी का समापन एक से अधिक फर्मो के साथ किया जाना वांछनीय होगा । प्रत्येक मामले में सक्षम वित्तीय प्राधिकारी गुणवत्ता के आधार पर किसी मद हेतु आर सी देने के लिए फर्मों की संख्या के बारे में निर्णय ले सकता है ताकि डी डी ओ के पास वृहत् विकल्प हों । वृहत् भूगोलीय क्षेत्र में प्रयोगकर्ताओं के लिए देश के भिन्न' भिन्न भागों में स्थित फर्मों के साथ समरुप आर सी समाप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए । समरुप आर सी पांच प्रतिशत तक के सीमांत मूल्य अंतर के साथ समाप्त की जा सकती है । ऐसे मामलों में अगले उच्च सक्षम वित्तीय प्राधिकारी का अनुमोदन लिया जाना चाहिए ।

8.6.2 **सभी डी डीओ द्वारा आर सी का परिचालन**

किसी प्राधिकारी द्वाद्वारा समाप्त दर संविदा के लिए आदेश उन्हीं निबंधनों और शर्तों के आधार पर रखे जाएंगे जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सेवाओं/विभागों /संगठनों/संस्थापनाओं के द्वारा सभी प्रत्यक्ष मांग अधिकारियों द्वारा रखे जाते हैं, बशर्ते कि मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति न हो । ऐसे परिचालन को सरल बनाने के लिए, आर सी तथा संबंधित सेवा/संगठनों की वैबसाइट पर भेजे गए आर सी विवरणों में उपयुक्त प्रावधान किया जाना चाहिए ।

8.7 दर संविदा पर लागू विशेष शर्ते

8.7.1 **विशेष शर्ते** - दर संविदा की कुछ शर्ते अन्य संविदाओं पर लागू सामान्य शर्तो से भिन्न हो सकती हैं। दर संविदा की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विशेष शर्ते निम्नलिखित हैं :

(i) तत्पर मुद्रा निक्षेप (ई एम डी)लागू नहीं है।

(ii) आवश्यकता की सूची में किसी मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया है, यह बिना किसी वचनबद्धता के केवल प्रत्याशित आहरण का उल्लेख किया जाए ।

(iii) क्रेता को यह अधिकार है कि वह एक मद के लिए एक से अधिक संविदा कर सकता है ।

(iv) क्रेता एवं आपूर्तिकर्त्ता, एक दूसरे को उपयुक्त नोटिस देकर संविदा का आहरण कर सकते हैं । सामान्यतया निर्धारित नोटिस की अवधि 30दिन है ।

(v) क्रेता के पास दर संविदा धारकों के साथ मूल्य पर पत्रन: वार्ता करने का विकल्प होता है ।

(vi) आपात स्थिति में, क्रेता उसी मद को, नए आपूर्तिकर्ता के साथ तदर्थ संविदा के माध्यम से, खरीद सकता है ।

(vii) सामान्यत:, दर संविदाओं में सुपुर्दगी की शर्ते प्रेषण केन्द्र के लिए हैं । ऐसा इसलिए है क्योंकि संविदाओं को पूरे देश में फैले प्रयोक्ताओं का ध्यान रखना होता है । तथापि, जहां ऐसी आर सी में प्रवेश करने के लिए निर्णय लिया जाता हे जो गंतव्य के लिए है वहां परिवहन की लागत के विषय में अलग से पूछा जाना चाहिए ।

(viii) ऐसे आपूर्ति आदेश, जिनमें आपूर्ति किए जाने वाले माल की निश्चित मात्रा तथा अन्य दर संविदा नियमों का पालन करने वाली अपेक्षित शर्ते शामिल हैं, को दर संविदा के माध्यम से आपूर्तियां प्राप्त करने के लिए जारी किया जाना चाहिए ।

(ix) क्रेता और दर संविदा के प्राधिकृत प्रयोक्ता , दर संविदा की वैद्यता के अन्तिम दिन तक आपूर्ति आदेश करने के हकदार है तथा, यद्यपि दर संविदा की वैद्यता के अन्तिम दिन तक आपूर्ति आदेशों के लिए आपूर्ति प्रभावी होगी, ऐसा सभी आपूर्तियां दर संविदा के निबंधनों एवं शर्तो द्वारा निर्देशित होंगी ।

(x) दर संविदा मूल्य ह्रास की शर्त के द्वारा निर्देशित होंगी ।

8.7.2 **<u>मूल्यह्रास की शर्त</u>** - मूल्यह्रास की शर्त दर संविदाओं में एक मूल्य सुरक्षातंत्र है । मूल्यह्रास की शर्त में यह प्रावधान किया गया है कि यदि दर संविदा धारक दर संविदा के प्रचलन के दौरान किसी व्यक्ति या संगठन के लिए माल के मूल्य को कम करता है या बेचता है अथवा संविदात्मक माल को दर संविदा में दी विक्रय की शर्तो पर बेचनेका प्रस्ताव रखता है, जो दर संविदा में दिए गए मूल्य से कम है, तो संविदा के अंतर्गत बाद की सभी आपूर्तियों के मूल्य भी प्रभावी तिथि से स्वत: ही कम हो जाएंगे तथा तदनुसार दर संविदा में सशोधन होगा । अन्य समरुप दर संविदा धारक, यदि कोई हो, को भी अपने मूल्यों को कम करने का अवसर मिलेगा वे उन्हें दिए गए मूल्य को अधिसूचित करेंगे और उन्हें अपने संशोधित मूल्य सूचित करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा , यदि वे ऐसा चाहते हैं तो सीलबन्द लिफाफा निर्धारित तारीख और समय पर जनता के सामने खोला जाएगा तथा मानक व्यवहारों के अनुसार उन पर कार्यवाही की जाएगी। बोलीदाता कई अवसरों पर, समरुप दर संविदा धारक गलत तरीकों से अधिक आदेश लेने का प्रयास करते हुए मूल्यह्रास की शर्त के बहकावे के अंतर्गत अपने मूल्य में कमी की घोषणा करते है । इस स्थिति को भी उसी तरीके से निपटाया जाएगा जैसे पहले भी इस पैरा में उल्लेख किया गया है । तथापि, यह बहुत आवश्यक है कि क्रय संबंधी संगठन ऐसे दर संविदा धारकों के निष्पादन पर विशेष नजर रखेंगे जिन्होंने अपने मूल्यों को एक अथवा अन्य संदर्भ में कम किया है । यदि उनके कार्यनिष्पादन स्तरीय नहीं है तो उनके विरुद्ध उचित कड़ी कार्यवाहीकी जानी चाहिए जिसमें उनका पंजीकरण समाप्त करना, उनके साथ व्यापार समाप्त करना, संविदा समाप्त करना आदि शामिल है ।

8.7.3 **<u>निष्पादन सुरक्षा</u>** - दर संविदा की तुलना में प्रत्याशित आहरण तथा साथ ही, एकमद के लिए जारी की जाने वाली समरुप दर संविदाओं की प्रत्याशित संख्या पर निर्भर करते हुए, दर सविदा को समाप्त करने वाले अधिकारी, दर संविदा धारकों से निष्पादन सुरक्षा की उपयुक्त राशि प्राप्त करने पर विचार कर सकते हैं । इसके लिए उपयुक्त शर्त निविदा पूछताछ संबंधी दस्तावेजों में शामिल की जाए । तथपि, दर संविदा की तुलना में जारी आपूर्ति आदेशों में निष्पादन सुरक्षा नहीं मांगी जाए ।

8.8 <u>संविदा नवीकरण, विस्तार, समापन और रद्‌द करना</u>

8.8.1 **<u>नवीकरण एवं विस्तार</u>** - यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वर्तमान दर संविदाओं की समाप्ति के बाद दर संविदा में रखी मदों के लिए नई दर संविदाएं परिचालित करने में कोई अंतराल नहीं हो । तथापि, यदि किन्ही कारणों से नई दर संविदा करना सम्भव न हो तो दर सविदा धारकों की सहमति से मौजूदा दर संविदा को समरुप निबंधनों एवं शर्तो पर एक उपयुक्त अवधि के लिए विस्तार दिया जाना चाहिए । ऐसी फर्मों की दर संविदा जो ऐसे विस्तार के लिए सहमत न हों, उन्हें नवीकरण या विस्तार के लिए विचारार्थ छोड़ देना चाहिए । ऐसे विस्तार की अवधि सामान्यत: तीन माह से अधिक नहीं होनी चाहिए । साथ ही मौजूदा दर संविदाओं का विस्तार करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्य प्रवृत्ति निम्नतर नहीं है ।

8.8.2 **<u>दर संविदा का समापन और रद्‌द करना</u>** - प्रावधानों के अनुसार आर सी एक स्थायी प्रस्ताव है तथा सक्षम वित्तीय प्राधिकारी या डी डीओ द्वारा आपूर्ति आदेश रखने जाने पर वह कानूनी रुप से संविदा बन जाता है । मात्र एक स्थायी प्रस्ताव होने के कारण प्रस्ताव में विभिन्न शर्तो को श।मिल करने के स्थान पर संविदा धारक उसके प्रचलन के दौरान इसे कभी भी रद्द कर सकता है । तथापि, आर सी के प्रतिसंहरण/रद्द करने के लिए आपूर्तिकर्ता को उपयुक्त समय दिया जाना चाहिए ।

8.9 <u>भुगतान</u>

8.9.1 **<u>भुगतान की शर्ते</u>** - भुगतान शर्त के निम्नलिखित मानकों को सभी दर संविदाओंमें शामिल किया जाना चाहिए :.

(क) प्रेषिती के परिसर में प्रेषण दस्तावेज की तुलना में, निरीक्षण टिप्पणी की अंतरिम प्राप्ति तथा प्रति संख्या 1 में 95 प्रतिशत तक भण्डारों की प्राप्ति । तथापि, यदि भण्डारों को रेल द्वारा भेजा जाना आवश्यक हो जाता है तो प्रेषण का प्रूफ अर्थात आर सी की प्रति और निरीक्षण टिप्पणी देने पर 90 प्रतिशत भुगतान जारी किया जा सकता है ।

(ख) प्रेषिती द्वारा भंण्डारों के लेखा पर शेष

(ग) यदि सहायक दस्तावेज भुगतान प्राधिकारी की आवश्यकता को पूरा करते हैं तो भुगतान अधिकारी द्वारा बिल की वसूली की तारीख से 21 कार्य दिवसों के भीतर भुगतान प्रभावी हो जानाचाहिए । यदि कोई समेकित अभिमत हो तो उन्हें भुगतान प्राधिकारी द्वारा 10 कार्यदिवसों में सक्षम वित्तीय प्राधिकारी को भेज दिया जाना चाहिए ।

8.9.2 **<u>भुगतान प्राधिकारी</u>** - संबंधित प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक का संगठन या नकद आबंटन/ पेश।गी दिया हुआ रुपया रखने वाला प्राधिकारी तथा ऐसी अधिप्राप्तियों के लिए भुगतान करने के लिए विधिवत रुप से प्राधिकृत व्यक्ति भुगतान प्राधिकारी होंगे ।

8.10 **<u>आपूर्ति आदेश का प्रारुप</u>**

8.10.1 **<u>आपूर्ति आदेश का प्रारुप</u>** - आपूर्ति आदेश का प्रारुप जिस पर प्रत्यक्ष मांग अधिकारियों द्वारा दर संविदा के लिए आदेश दिए जा सकते हैं, परिशिष्ट च पर दिया गया है । डी जी एस एंड डी आर सी मामलों के लिए, डी जी एस एंड डी का फार्म 131 उपयुक्त परिवर्तनों के बाद प्रयोग में लाया जा सकता है ।

* * * * *

अध्याय 9

विदेशों से माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति

9.1 प्रस्तावना

9.1.1 राजस्व बजट से हिस्से पुर्जे और उपस्करों के आयात पर कुल रक्षा व्यय का एक बडा हिस्सा खर्च किसा जाता है । रक्षा सेवाएं विदेशों से अत्याधुनिक उपकरण और हथियार प्रणालियां प्राप्त कर रहे है । हर समय उनकी कार्यशीलता सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि हिस्से पत्रर्जे और उपकरण सहायता सही समय पर उपलब्ध हो, जिससे कि व्यय की गई मुद्रा का भरपूर उपयोग कर सकें । अत: यह परम आवश्यक है कि अधिप्राप्ति प्रक्रिया से संबंधित सभी अधिकारियों द्वारा कार्यान्वयन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अधिप्राति पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए विदेशी आाप्राप्ति के संबंध में गहन प्रक्रियाओं और नीतियों का निर्माण किया जाए । यद्यपि, माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के प्रस्तावों को सामान्यत: नियम पत्रस्तिका के अध्याय 5 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संसाधित किया जाना है, विदेशों से अधिप्राप्ति के कुछ विशेष लक्षण इस अध्याय में स्पष्ट किए गए हैं ।

9.2 मांग पत्र

9.2.1 **मांगपत्र में दी जाने वाली सूचना** - भण्डारों की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया का आरम्भ मांग पत्रों की प्राप्ति पर सक्षम प्रधिकारी द्वारा विधिवत रुप से अनुमोदित और प्रमाणिक होने पर होता है । प्रत्येक मांगपत्र में निम्नलिखित सूचनाप निहित होनी चाहिए :-

(क) मंगाए गए उपकरणों के पार्ट तथा विनिर्देशनों के सम्पूर्ण ब्यौरे ।

(ख) गणनाके आधार पर लागत का वास्तविक अनुमानजिससे कि मांगपत्र के पिछले संदर्भों से बचा जा सके ।

(ग) पहली बार की जा रही मांग के मांगपत्र के बारे में बताया जाए ।

(घ) जब किसी मद को पहले भी खरीदा गया हो तो, मांगपत्र में उस मूल्य को भी दर्शाया जाए जिस पर वह खरीदा गया था और साथ ही संविदा/एस ओ संख्या, तारीख और आपूर्ति का स्रोत भी दिया जाए ।

(ड़) यदि संभव हो तो संभावित आपूर्तिकर्ताओंके नाम ।

(च) उस मद के प्रकाशन की पृष्ठ संख्या का संदर्भ जिसका वर्णन किया गया है ।

(छ) कोड शीर्ष जिसके अंतर्गत व्यय किया जाना है ।

(ज) परेषित डिपो

(झ) वांछित सुपुर्दगी अनुसूची

(ञ) सामान्यत: समान या संबद्ध प्रकृति की मद की मांग को एक मांगपत्र में दिया जाए ।

9.2.2 **मांगपत्र के साथ दिए जाने वाले दस्तावेज आदि** - प्रत्येक मांगपत्र को स्वचालित सूची प्रबंधन पद्धति के मामले में निम्नलिखित दस्तावेज/ रिकार्ड / निवेश या पृष्ठांकन के रुप में संलग्न होना चाहिए

(क) मांगपत्र की आवश्यकता की अनुसूची

(ख) मद के पूर्ण तकनीकी विनिर्देशन

(ग) प्रस्तावित व्यय को पूरा करने के लिए निधियों के प्रावधान का प्रमाणपत्र

(घ) मांगपत्र की वित्तीयसहमति की प्रति

(ड़) मांगपत्र पर सक्षम वित्तीय प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रति

(च) आयात निकासी का आवश्यक प्रमाणपत्र

(छ) निर्धारित में, जहां आवश्यक हो, वस्तु के स्वामित्व का प्रमाणपत्र (पी ए सी)

(ज) मांगपत्र की प्राथमिकता अर्थात् वह सामान्य है या तत्काल है ।

9.3 विदेशी ओ ई एम तथा विक्रेताओं का पंजीकरण

9.3.1 **पंजीकरण की प्रक्रिया** - वर्तमान में विदेशी ओ ई एम और विक्रेता सेवा मुख्यालयों और अन्य विभागों के मुख्यालयों द्वारा पंजीकृत हैं । सामान्य दिशा निर्देश बनने तक से पंजीकरण प्राधिकारी, वर्तमान प्रक्रिया का पालन करते हुए विदेशी ओ ई एम और विक्रेताओं का पंजीकरण जारी रखेंगे ।

9.3.2 **सेवा मुख्यालयों आदि द्वारा प्राधिकृत विक्रेताओं और विदेशी ओ ई एम स्टाकिस्टों का पंजीकरण** - विदेशी विक्रेताओं के आधार की व्यापकता एक बहु अनुशासित एवं तकनीकी व्यावसायिक पद्धति है । विदेशी ओ ई एम और प्राधिकृत विक्रेता/स्टाकिस्टों का पंजीकरण हमारे विदेशी दूतावासों तथा उच्चायोगों में हमारे रक्षा अटैची और व्यसायिक सलाहकारों की सहायता से दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाए ।

9.4 विक्रेता चयन

9.4.1 **प्रत्याशित विक्रेता को मांग पत्र में दर्शाना** - पंजीकृत विक्रेता और उनकी आपूर्ति के स्रोतों का ब्यौरा मांगपत्र में दर्शाया जाए ।समान मदों के लिए थल सेना, नौसेना, वायुसेना, आयुध निर्माणी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन,डी जी एस एंड डी एवं मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों में पहले से पंजीकृत विक्रेताओं के रुप में लिया जाएगा और सीमित टैंडर एंक्वायरी के निर्गम के लिए विचार किया जाए । पंजीकरण एजेंसी के तहत रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों में पंजीकृत सभी विदेशी विक्रेता शामिल हैं । तथापि,विभागों और विंगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुपालन किए जाए ।

9.4.2 **विकेताओं का चयन** - आर एफ पी जारी करने के उद्देश्य के लिए अधिप्राप्ति एजेंसी द्वारा अपेक्षा सूची में दी गई हिस्से पुर्जों की श्रेणी के लिए प्राधिकृत और पंजीकृत विक्रेताओं का सावधानीपूर्वक चयन किया जाए । विदेशी विक्रेता बेस को विस्तृत करना एक बहु-अनुशासनात्मक और शिल्प-व्यवसायिक अभ्यास है। विदेशी ओ ई एम और उनके प्राधिकृत विक्रेताओं/स्टाकिस्टों का पंजीकरण हमारे रक्षा अताशे और हमारे दूतावासों/विदेशी उच्च आयोगों की सहायता से निर्धारित दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाना चाहिए ।

9.5 निविदा देने की विधि

9.5.1 निविदा देने की विधि का निर्णय, कारकों जैसे सामान्य या विशेष प्रकृति के उद्देश्य वाले भण्डार,उपकरण, आपूर्ति के संभावित प्रतियोगिता, वांछित सुपुर्दगी अनुसूची, आवश्यकताओं की तात्कालिकता आदि पर निर्भर करता है । विदेशी अधिप्राप्ति में, आमंत्रित निविदाओं की निम्नलिखित विधि में से एक को अपनाया जा सकता है :

(क) व्यापक निविदा जांच

(ख़) सीमित निविदा जांच

(ग़) मद स्वामित्व प्रमाणपत्र के बिना एकल निविदा जांच

(घ़) पी ए सी जांच

9.5.2 **व्यापक निविदा जॉच** - व्यापक निविदा जो आवश्यक रुप से विज्ञापित/खुली निविदा के समान है, को विदेशी मूल की मदो के लिए ही प्रयोग किया जाता है । जहां विभिन्न देशों से एक से अधिक स्रोतों से प्रतियोगिता हो । समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में निविदाओं के प्रकाशन के अतिरिक्त, व्यापक निविदा दस्तावेजों की प्रतियों को संबंधित दूतावासों और उच्चायोगों को उनके संपर्क अधिकारियों के द्वारा प्रस्तावों पर विचार करने के लिए भेजा जाए । आर एफ पी को रक्षा वेबसाइट पर भी दिया जाना चाहिए और इस संगठन का, भावी बोलीकर्त्ता, निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए डाउनलोड कर सकता है । राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अत्यधिक संवेदनशील प्रकृति की अधिप्राप्ति के मामलों में, निविदा दस्तावेजों को वेबसाइट पर नहीं दिया जाता हे । ऐसे मामलों में अधिप्राप्ति प्रस्ताव के लिए सक्षम वित्तीय प्राधिकारी का अनुमोदन लेते समय, वेबसाइट पर आरएफपी न दिए जाने के विशिष्ट कारणों को स्पष्ट किया जाना चाहिए ।

9.5.3 **सीमित निविदा जाँच** - विदेशी अधिप्राप्ति के सभी मामलों में जहां मांगकर्त्ता ने पीएसी नहीं दिया हे, सीमित निविदा जाँचव (एलटीई) ही निविदा देने की सही विधि होनी चाहिए क्योंकि ओईएम या प्राधिकृत स्टाकिस्टों से ही अधिप्राप्ति की जानी है । सीमित निविदा जाँच को अधिक से अधि्क पंजीकृत/ज्ञात आपूर्तिकर्त्ताओं को भेजा जाए क्योंकि फर्मों की संख्या सामान्यत: छ: से कम नहीं होनी चाहिए बशर्ते कि उपलब्ध स्रोत सीमित और छ: से कम हैं ।

9.5.4 **पीएसी के बिना एकल निविदा जाँच** - निम्नलिखित परिस्थितियों में ही एसी के बिना एकल निविदा जाँच को अपनाया जाए:-

(क) जहां किसी उपकरण की विभिन्न किस्में प्रयोग में हैं किंतु आवश्यकता की तात्कालिकता के कारण किसी विशिष्ट उपकरण का ही प्रयोग किया जाता है ।

(ख) परीक्षण करने के लिए ।

(ग) जब केवल एक ज्ञात/संस्थापित स्रोत है किंतु पीएसी स्तर को सक्षम वित्तीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है ।

(घ) जब ऐसा करने के प्रचालनात्मक या तकनीकी कारण हों, तथापि उन्हें स्पष्ट किया जाना चाहिए ।

9.5.5 **<u>मांगकर्त्ता द्वारा प्रमाणीकरण</u>** - माँगकर्त्ता को यह प्रमाणित करना चाहिए कि मांग पत्र में उल्लिखित विशेष किस्म को ही वरीयता आधार पर अधिप्राप्त किया जाना चाहिए, इसके लिए उसे विस्तृत औचित्य देना होगा ।

9.5.6 **<u>पी ए सी निविदाकरण</u>** - जब प्राप्त की जाने वाली किसी वस्तु पर मालिकाना हक हो अथवा मशीनरी/हिस्से पत्रर्जों के मानकीकरण के कारणों से निविदा की यह विधि प्रयोग की जाए ताकि ये उपकरणों के मौजूदा सेटों के अनुकूल हों । मानकीकरण के कारणों से एसटीई के साथ पीएसी का आश्रय सक्षम तकनीकी विशेषज्ञ के परामर्श से लिया जाना चाहिए । एकल निर्माता के उत्पाद के एकाधिकार को स्थापित करने के लिए प्रदत्त शक्तियों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के द्वारा मद स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।

9.5.7 **<u>एकल एवं द्वि-बोली पद्धति</u>** - ऐसी परिस्थितियां जिसमें एकल बोली पद्धति या द्वि-बोली पद्धति अपनाई जानी चाहिए, को इस नियम पत्रस्तिका के पैरा 4.6 में स्पष्ट किया गया है ।

9.6 <u>(नए) अधिप्राप्ति प्रस्तावों का संसाधन और सक्षम वित्तीय प्राधिकारी का अनुमोदन</u>

9.6.1 **<u>प्रस्तावों का संसाधन</u>** - विदेशी स्रोतों से माल एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तावों को संसाधित करने का तरीका तथा सक्षम वित्तीय प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने का तरीका इस नियम पत्रस्तिका के अध्याय 5 में उल्लेख किए गए के समान है । तथापि, निम्नलिखित पैरे में किए गए उल्लेख के अनुसार प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) को तैयार करते समय विशेष ध्यान दिया जाए ।

9.7 <u>प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी)</u>

9.7.1 **<u>आरएफपी फार्मेट</u>** - आरएफपी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा वह मांग पत्र का वास्तविक एवं पूर्ण प्रतिबिंब होना चाहिए । आरएफपी का मानक फार्मेट परिशिष्ट 'ग' में दिया गया है । अपेक्षित वस्तुएं एवं सेवाएं बोली लगाने की प्रक्रिया तथा संविदा की शर्तें आरएफपी में निर्धारित की गई हैं । आरएफपी तैयार करते समय, इस नियम पत्रस्तिका के पैरा 9.7.2 से 9.7.29 में दिए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए:-

(क) अपेक्षित मदों और सेवाओं का ब्यौरा (पैरा 9.7.2)

(ख) निविदाओं को खोलने की तारीख एवं समय (पैरा 9.7.3)

(ग) प्रस्तावों की वैधता की वांछित अवधि

(घ) तकनीकी विनिर्देशन (पैरा 9.7.5)

(ङ) निरीक्षण संबंधी शर्तें (पैरा 9.7.6)

(च) संविदा की विशेष शर्तें (पैरा 9.7.7)

(छ) गुणवत्ता आश्वासन संबंधी आवश्यकताएं (पैरा 9.7.8)

(ज) विक्रेताओं/ स्टाकिस्टों के मामले में आपूर्ति का स्रोत (पैरा 9.7.9)

(झ) सुपुर्दगी की विधि एवं शर्ते(पैरा 9.7.10)

(ञ) सुपुर्दगी की अनुसूची (पैरा 9.7.11)

(ट) भुगतान की विधि एवं भुगतान प्राधिकारी (पैरा 9.7.12)

(ठ) भुगतान की शर्ते एवं भुगतान प्राधिकारी (पैरा 9.7.13)

(ड) मूल्यांकन मानक स्तर (पैरा 9.7.14)

(ढ) निष्पादन बैंक गारंटी (पैरा 9.7.15)

(ण) मध्यस्थता की शर्त (पैरा 9.7.16)

(त) परिनिर्धारित क्षति की शर्त (पैरा 9.7.17)

(थ) अग्रिम भुगतान (पैरा 9.7.18)

(द) संस्थापना, प्रारम्भ एवं ए एम सी यदि लागू हो (पैरा 9.7.19)

(ध) हिस्से पुर्जो के लिए आजीवन उत्पाद सहायता, अनुरक्षण संबंधी परामर्श, त्रुटि जांच एवं उत्पाद उन्नयन संबंधी सूचना (पैरा 9.7.20)

(न) पुनरादेश एवं विकल्प शर्त (पैरा 9.7.21 से पैरा 9.7.23)

(प) जोखिम एवं व्यय की शर्त (पैरा 9.7.24)

(फ) मात्रा का संविभाजन (पैरा 9.7.25)

(ब) दीर्घ या लघु सुपुर्दगियों को स्वीकृति (पैरा 9.7.26)

(भ) फोर्स मैज्यूरे (पैरा 9.7.27)

(म) दावे (पैरा 9.7.28)

(य) कानून की प्रयोज्यता (पैरा 9.7.29)

9.7.2 **माल और सेवाओं का विवरण** - यह अति महत्वपूर्ण है कि अपेक्षित माल और सेवाओं का विवरण आर पी एफ में इस प्रकार से उललेख किया जाए कि वह विभिन्न देशों में भावी बोलीदाताओं द्वारा भिन्न व्याख्या नही हो ।

9.7.3 **निवेदित भाव(कोटेशंस) प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि -** विक्रेताओं को निवेदित भाव प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। सामान्यतया, विदेशी विक्रेताओं को प्रस्तावो के को प्रस्तुत करने के लिए 6 से 12 सप्ताह की अनुमति दी जानी चाहिए । तत्काल अधिप्राप्ति के मामलों में इसे घटाकर 4 सप्ताह या इससे कम किया जा सकता है ।

9.7.4 **प्रस्तावों की वैद्यता की अवधि -** आर एफ पी में उल्लिखिम निवेदित भाव देने की वैद्यता वास्तविक होनी चाहिए । माल और सेवाओं की प्रकृति और मात्रा तथा निविदा देने के बाद की औपचारिकताओं को पूरा करने में लगने वाले प्रत्याशित समय को ध्यान में रखते हुए अवधि निश्चित की जानी चाहिए । विदेशी अधिप्राप्ति के मामलों में, जैसा उपयुक्त समझा जाए, 90 से 180 दिन निर्धारित किए जाए ।

9.7.5 **तकनीकी विनिर्देशन -** आकार, वजन, निष्पादन, प्रचालनात्मक पर्यावरण, शक्ति, जीवन की उपयोगिता, भंडार एवं शेल्फ लाईफ आदि की शतों पर सभी जांच योग्य तकनीकी मानक, "आवश्यक" और वांछनीय स्तरों दोनों की शर्तों पर अधिप्राप्ति किए जाने वाले उपकरणों पर लागू हो, की स्पष्ट तथा असंदिग्ध रुप से सूख बनाई जानी चाहिए ।

9.7.6 **निरीक्षण की शर्त-** आर एफ पी में अपेक्षानुसार प्रेषण पूर्व निरीक्षण (पी डी आई) और / अथवा संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण (जे आर आई) का स्पष्ट प्रावधान किया जाना चाहिए । प्रेषण पूर्व निरीक्षण के मामलें में, जहां तक हो सके, आर एफ पी में ऐसे निरीक्षण का बृहत् कार्यक्षेत्र, ऐसे निरीक्षणों की संभावित संख्या, टीम का गठन तथा निरीक्षणों की अवधि का उल्लेख होना चाहिए ।

9.7.7 **विशेष शर्ते -** किसी विशिष्ट प्रकार की अधिप्राप्ति पर लागू संविदा की कोई विशेष शर्ते अथवा न्यायोचित कारणों के लिए किसी विशेष संविदा के निष्पादन के लिए आवश्यक और / अथवा विक्रेताओं की बोली पर वित्तीय भार की संभावना का उल्लेख आर पी एफ में स्पष्ट रुप से किया जाना चाहिए, उदाहरणार्थ, कोई विशेष भुगतान संबंधी शर्त जिन्हें आजीवन उत्पाद सहायता की आवश्यकता होती है, आदि ।

9.7..8 **गुणता आश्वासन -** संविदा के अधीन आर पी एफ में आपूर्ति की गई वस्तुओं की तकनीकी विनिर्देशन विशिष्टताओं में वर्णित मानकों की पत्रष्टि की जानकारी चाहिए, जहां वस्तुए अधिप्राप्त की जानी चाहिए उस देश के मूल में अनुप्रयोज्य, संबंधित संस्थान द्वारा जारी किए गए प्राधिकृत मानकों पर भी स्वीकार्य मानकों के रुप में विचार किया जा सकता है तथा यदि ऐसा निर्णय लिया जाए तो उसका उल्लेख आर पर एफ में भी किया जाना चाहिए । ऐसी स्थिति में, आर पी एफ में यह भी बताया जाना चाहिए कि भावी बोली कर्ताओं द्वारा बोली लगाते समय ऐसे मानकों के ब्यौरे दिए जाएं । सभी मदों की आपूर्ति और स्वकृति केवल ओ ई एस प्रमाणिकरण के साथ की जानी चाहिए । गुणता आश्वासन संबंधी आवश्यकताएं, परीक्षण संबंधी शर्ते और कार्यपद्धति दोनों ही शर्तो पर विनिदिष्ट की जानी चाहिए ।

9.7.9 **विक्रेताओं /स्आकिस्टों के मामले में आपूर्ति के स्रोत -** बोलीकर्ता के ओ ई एम न होने के मामले में, बोलीकर्ता के लिए यह जरुरी होगा कि वह ओ ई एम के , जिससे बोलीकर्त्र हिस्सें पत्रर्जे लेगा, के साथ किया गया अनुबंध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें । तथापि, जहां ओ ई एम नहीं होता, गुणता प्रमाणीकरण होने से लघु समुच्चय और हिस्से पत्रर्जे प्राधिकृत विक्रेताओं से प्राप्त किए जा सकते हैं ।

9.7.10 **सुपुर्दगी और परिवहन की विधा और शर्ते -** सुपुर्दगी की विधा यी आईएफ, सी आई पी या एफ ओ बी आधार पर हो सकती है किन्तु यह निग्रय आर एफ पी केतैयार होने से पहले लिया जानाचाहि तथा उसमें स्पष्ट रुप से दर्शाश जानाचाहिए । परिवहन की विधा भी दर्शाई जानी चाहिए ।

9.7.11 **सुपुर्दगी अनुसूची** - निर्धारित सुपुर्दगी अनुसूची अनिश्चित न होकर निश्चित होनी चाहिए । सामान्यतया सुपुर्दगी अनुसूची को इस प्रकारसे नियत किया जाना चाहिए कि वह संविदा पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 90 दिन से लेकर 180 दिन तक पूरी हो जाए । यदि आवश्यक हो तो एक सुपुर्दगी अनुसूची निर्धारित की जाए । आर0एफ0पी0 मे स्पष्ट रुप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि सुपुर्दगी अनुसूची को दोनों पक्षो द्वारा संविदा पर हस्ताक्षर करने की तारीख से लिया जाना चाहिए तथ जिसमें आपूर्तिकर्त्ता को आपूर्ति करने के लिए उचित समय (जिसे विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए) शामिल होना चाहिए और तब

भुगतान का दावा करना चाहिए । सामान भेजने की तारीख फ्रेट फारर्वडर की रसीद, मास्टर ए डब्ल्यू बी या लदान पत्र, जो भी लागू हो, की तारीख होगी । भुगतान विधि के अनुसार, हिस्से पत्रजों की अधिप्राप्ति के लिए सामान्य सुपुर्दगी अनुसूची को आर एफ पी में दर्शाए अनुसार होना चाहिए ।

(क) **साख पत्र भुगतान**- संविदा के हस्ताक्षर करने की तारीख से छ: महीने जिसमें शामिल होगा:-

(i) विक्रेता द्वारा साख पत्र को खोलने के लिए तत्पर निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना और अधिसूचना देना - 45 दिन

(ii) विदेशी विनिमय मुद्रा प्राप्त करना और क्रेता द्वारा रक्षा लेखा नियंत्रक के माध्यम से साख पत्र को खोलना - 45 दिन

(iii) साख पत्र की वैध अवधि - 90 दिन । साख पत्र की सुपुर्दगी अवधि के समाप्त होने के तीन माह पहले ही खोला जाएगा ।

(ख) **डी बे टी भुगतान** - संविदा पर हस्ताक्षर करने के तीन माह के अंदर को वरीयता

9.7.12 **भुगतान की विधि** - विदेशी विक्रेताओं को भुगतान करने का सामान्य तरीका अप्रतिसंहार्य साख पत्र या प्रत्यक्ष बैंक अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से है । भुगतान प्राधिकारी संबंधित प्रधान नियंत्रक/नियंत्रक का संगठन है । 1,00,00.00 अमरीकी डालर से कम की संविदा के लिए, आर एफ पी में यह विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि भुगतान डीबीटी द्वारा किया जाएगा । साख पत्र का फार्मेट डीपीएम फार्म-12 में दिया गया है ।

9.7.13 **भुगतान की शर्तें**

(क) जहां भुगतान साख पत्र के माध्यम से किया जाना हे, इसे विदेशी विक्रेता से सुपुर्दगी के लिए माल के तैयार होने संबंधी अधिसूचना प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर खोला जाना चाहिए । विक्रेता को सामान्यतया संविदा पर हस्ताक्षर करने के 45 दिन के भीतर इस तैयारी की अधिसूचना देनी चाहिए । आवश्यकता के अनुसार इस अवधि में परिवर्तन हो सकता है, किंतु यह निर्णय प्रस्ताव को संबोधित करने समय आरएफपी में सूचित किया जाना चाहिए । माल तैयार होने के संबंध में अधिसूचना और एलसी को खोलना इतना नियत होना चाहिए कि एलसी सुपुर्दगी अवधि समाप्त होने के तीन माह पूर्व खोली जाए । आरएफपी में उल्लिखित अवधि, विशेष रुप से व्यापक निविदा जाँच और सीमित निविदा जाँच के मामलों में, भिन्न नहीं होनी चाहिए ।

(ख) आरएफपी में यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि एलसी इसे खोले जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर विस्तारणीय आधार पर वैध होगी, यह क्रेता और विक्रेता की आपसी सहमति से होगा बशर्ते कि यह एक आवर्ती एलसी हो । आवश्यकता के अनुसार इस अवधि में परिवर्तन हो सकता है, किंतु यह निर्णय प्रस्ताव को संसाधित करते समय आर एफ पी में सूचित किया जाना चाहिए । भारत के बाहर साख पत्र के सभी खर्च विदेश विक्रेताओं द्वारा वहन किए जाने चाहिए ।

(ग) सुपुर्दगी अवधि के विस्तार के मामले में, एल सी और सुपुर्दगी अवधि दोनों का विस्तार किया जाना चाहिए तथा एल सी प्रभार आपूर्तिकर्त्ता द्वारा वहन किया जाना चाहिए ।

(घ) एक सौ हजार अमरीकी डालर से कम के सभी भुगतानों के लिए प्रत्यक्ष बैंक अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भुगतान करना अनिवार्य होगा, और ऐसे भुगतान स्पष्ट भुगतान दस्तावेजों की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अथवा संविदा में विनिर्दिष्ट अनुसार किए जाने चाहिए।

9.7.14 **मूल्यांकन पैमाने** - मूल्यांकन संबंधी पैमाने आरएफपी में स्पष्ट रुप से दिए जाने चाहिए । जहां भी आवश्यक हो, एक विस्तृत तकनीकी मूल्यांकन मैट्रिक्स आर एफ पी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए । द्वि-बोली पद्धति में, तकनीकी मूल्यांकन और व्यवसायिक-कम-मूल्य वार्ता के लिए भिन्न मूल्यांकन मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए तथा केवल उन्हीं प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए जो आरएफपी में दिए तकनीकी मूल्यांकन पैमानों के अनुसार पाए जाते हैं । तकनीकी मूल्यांकन, तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा । इस नियम पत्रस्तिका के अध्याय 4 में निर्धारित टीईसी प्रकिया वहीं होगी ।

9.7.15 **बैंक गारंटी का पालन (पीबीजी)** - लंबे अंतराल की अवधि के विशेषकर उच्च मूल्यों के आयात मामलों में जब कभी विचार किया जाए तो आपूर्तिकर्त्ता से बैंक गारंटी के रुप में निष्पादन सुरक्षा जमा प्राप्त की जाए। संविदा की तारीख से 30 दिनों के अंदर निर्धारित प्रोफार्मे के क्रेता को स्वीकृत बैंक गारंटी भारत में स्थित किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या विदेश में स्थित प्रथम श्रेणी के अंतर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा जारी की जाए । भारतीय बैंकों द्वारा विदेशी बैंकों की बैंक गारंटी की पत्रष्टि संबंधी दिशा निर्देश डीपीएम फार्म - 14 पर दिए गए हैं । संविदा के अनुसार यह जमा राशि आपूर्तिकर्त्ता द्वारा उसके दायित्वों को पूरा करने में असफल होने के कारण क्रेता को हुए किसी नुकसान की भरपाई करने के लिए है । यदि संविदा में जोखिम और खरीद संबंधी शर्तें दी गई हों तो बैंक गारंटी की राशि संविदा के मूल्य का 5% होनी चाहिए। तथापि, जहां एकल विक्रेता और वैकल्पिक स्रोत से वसूले जाने की न्यूनतम संभावना के कारण आर एंड सी अप्रवर्तनीय है, निष्पादन/मंदी के कारण फर्म की असफलता की स्थिति में वित्तीय आपूर्ति के रुप में बैंक गारंटी 10% होनी चाहिए (पीबीजी के संबंध में अध्याय - 12 में संदर्भित प्रावधान) ।

9.7.16 **मध्यस्थता** - आर एफ पी में मध्यस्थता शर्त होनी चाहिए । इस संबंध में अध्याय 10 के प्रावधानों का संदर्भ देखें ।

9.7.17 **परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति** - विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए आर एफ पी में प्रावधान भी किया जाना चाहिए । इस संबंध में अध्याय 10 के प्रावधानों का संदर्भ देखें ।

9.7.18 **अग्रिम भुगतान** - सामान्यतया आर एफ पी में अग्रिम का प्रस्ताव नहीं होना चाहिए । तथापि, यदि अग्रिम भुगतान करने का निर्णय लिया जाता है तो प्रतिशत को आर एफ पी में समाहित किया जाना चाहिए । अग्रिम की मात्रा तथा उसे प्राप्त करने के लिए बैंक गारंटी के संबंध में इस नियम पत्रस्तिका के अध्याय-7 में दिए संबद्ध प्रावधानों का संदर्भ देखें ।

9.7.19 **संस्थापन, अधिकृत करना तथा ए एम सी** - यदि उपकरण/हिस्से पत्रजों को संस्थापित और/ अथवा अधिकृत किए जाने की आवश्यकता है तथा इस संबंध में दिए गए प्रशिक्षण से संबद्ध सूचना आरएफपी में दी जानी चाहिए तथा आरएफपी के दूसरे खंडों में किए गए सहवर्ती संशोधनों के प्रावधान दिए जाने चाहिए। वार्षिक/समूहित अनुरक्षण संविदा की आवश्यकता के मामले में ऐसी संविदा के लिए आवश्यक अवधि तथा विक्रेता की प्रत्याशित सेवाओं का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रुप से बताया जाना चाहिए ।

9.7.20 **<u>आजीवन उत्पाद सहायता</u>** - यदि, हिस्से-पत्रजों, अनुरक्षण संबंधी परामर्श, दोष जाँच तथा उत्पाद उन्नयन के संबंध में सूचना आदि के लिए आजीवन उत्पाद सहायता की आवश्यकता हो तो इसका उल्लेख आरएफपी में किया जाना चाहिए ।

9.7.21 **<u>पुनरादेश और विकल्प शर्त -</u>** स्वदेश से अधिप्राप्ति तथा साथ ही विदेशी स्रोतों से अधिप्राप्ति के मामले में, पुनरादेश और विकल्प शर्त का प्रावधान आरएफपी में रखा जाना चाहिए । चूंकि इनके साथ मूल्य संबंधी जटिलताएं संबद्ध हैं । केवल विशेष परिस्थितियों में ही इनमें से एक, या दोनों शर्तों का प्रावधान आरएफपी में रखा जाना चाहिए, इनमें से एक या दोनों ही शर्तों का प्रयोग करते समय जब उपभोग का तरीका शर्त के साथ भावी सूचना न देता हो, मूल संविदात्मक मात्रा के 50% की सीमा से अधिक नहीं होगा । इस नियम पत्रस्तिका के पैरा 7.13 के प्रावधान विदेशी अधिप्राप्ति के मामले में भी लागू होंगे ।

9.7.22 **<u>पुनरादेश को अधिनियंत्रित करने वाली शर्ते</u>** - निम्नलिखित अनुबंधों की शर्तों पर सक्षम वित्तीय प्राधिकारी के अनुमोदन पर पूर्व आदेश की तुलना में पुनरादेश पर विचार किया जाए:-

(क) पिछले आदेश की सभी आदेशित मदों की सुपुर्दगी सफलतापूर्वक कर दी गई है ।

(ख) मूल्य आदेश में तत्काल/आपातकाल मांग समाहित नहीं है ।

(ग) मदों के मूल्यों में कोई गिरावट नहीं हो, इस संबंध में एक स्पष्ट प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए ।

(घ) समान प्रकृति/विशिष्टताओं, नाम पद्धति इत्यादि के भंडारों की आवश्यकता के लिए है । अप्रचलन के कारण विशिष्टता(विशिष्टताओं) या उत्पादों को निकालकर लघु सुघारों को पुनरादेश के परिधि से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए ।

(ङ) पुनरादेश की पिछली निविदा की आपूर्ति की तारीख से 6 महीनों के भीतर दिया जाना और यह केवल एक बार किया जाए ।

(च) पुनरादेश की मात्रा को पिछले आदेश की मात्रा से अधिकतम 50% तक प्रतिबाधित किया जाए जहां संविदा में विकल्प शर्त भी शामिल नहीं होती । छोटे आदेशों के मामले में (मात्रा 1-7) पुनरादेश की मात्रा को अगले पूर्णांक पर निश्चित कर दिया जाए ।

(छ) मूल आदेश समझौते पर आधारित न्यूनतम मूल्य के आधार पर दिया गया था और उसे सीएनसी द्वारा स्वीकार किया गया था न कि सुपुर्दगी या अन्य वरीयता के आधार पर ।

(ज) यह प्रक्रिया पीएसी/एकल विक्रेता/ओईएम के मामले में भी अपनाई जा सकती है । तथापि, बहु विक्रेता होने की स्थिति में इस प्रक्रिया को अपनाने से पूर्व सावधानी बरती जानी चाहिए ।

(झ) जहां संविदा में विकल्प शर्त को भी शामिल किया जाता है, पुनरादेश को केवल ऐसी मात्रा के लिए रखा जाना चाहिए जिसमें मात्रा के साथ, विकल्प शर्त का प्रयोग पहले ही किया जा रहा है, विकल्प शर्त के अंतर्गत कुल मात्रा तथा पुनरादेश के मामले में, मूल रुप से आदेश की गई मात्रा के 50% से अधिक नहीं होगी ।

(ञ) सक्षम वित्तीय प्राधिकारी मूल रुप से आदेश की गई मात्रा तथा विकल्प शर्त/पुनरादेश की मात्रा के मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगा ।

9.7.23 **विकल्प शर्त को अधिशासित करने वाली शर्तें** - वह अधिशेष मांग पत्र जिसकी आवश्यकता की स्वीकृति को सीएफए ने अनुमोदित कर दिया है, क्रेता द्वारा मुख्य संविदा में विकल्प संबंधी शर्तों को दिया जाना लाभकारी हो सकता है । यदि आपूर्तिकर्त्ता सहमत होता है कि वह विकल्प संबंधी शर्तें अर्थात् संविदा की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार मूल संविदात्मक माव के 50 प्रतिशत का प्रयोग करने की अनुमति देगा । इस विकल्प शर्त का प्रयोग सीएफ के अनुमोदन पर किया जा सकता है जिसकी शक्तियों के भीतर आईएफ के परामर्श से, संविदा के प्रचलन के दौरान मूल आपूर्तियों के कुल मूल्य जमा विकल्प शर्त के 50 प्रतिशत मूल्य तक सीमित हैं । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बाजार मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति नहीं है । नए आरएफपी तैयार करने और वस्तुओं की तत्काल आवश्यकता होने पर कोई लाभकारी परिणाम प्राप्त नहीं होंगे । इस शर्त का प्रयोग एकल विक्रेता ओईएम मामले में किया जा सकता है । तथापि, जब बहु विक्रेता उपलब्ध हों, विकल्प संबंधी शर्त का प्रयोग अति सावधानी से किया जाना चाहिए। यदि संविदा में पुनरादेश की शर्त भी हो, विकल्प शर्त के अंतर्गत आदेश करते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि विकल्प शर्त के अंतर्गत कुल मात्रा और पुनरादेश मूल आदेश की मात्रा के 50% से अधिक नहीं हो सकता ।

9.7.24 **जोखिम एवं व्यय शर्त** - विदेशी संविदाओं के मामले में जोखिम एवं व्यय संबंधी शर्तें सामान्यतया लागू नहीं होती हैं, यद्यपि, इसके कुल अपत्राद हो सकते हैं । यदि, अपत्राादजनक परिस्थितियों में, यह निर्णय लिया जाता हे कि इस शर्त को आरएफपी में शामिल किया जाए तो इस नियम पत्रस्तिका के पैरा 7.14 के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाए । इस शर्त की अनुपस्थिति में, क्रेता के पास उपलब्ध अन्य उपाय निम्न प्रकार से हैं:-

(क) आपूर्तिकर्त्ता के किसी शेष भुगतान से त्रुटि की मात्रात्मक लागत को घटाना ।

(ख) त्रुटि का समाधान होने तक फर्म को और आरएफपी जारी करने से रोकना ।

(ग) आपूर्तिकर्त्ता के प्रतिनिधि के साथ सभी बैठकों में त्रुटि के मुद्दे को उठाना ।

(घ) ऐसे जोखिमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बैंक गारंटी प्रदान करना ।

(ङ) यदि आवश्यक हो तो, रक्षा मंत्रालय के माध्यम से आपूर्तिकर्त्ता के देश की सरकार से संपर्क करना ।

(च) यदि आवश्यक हो तो, फर्मों की स्वीकृत सूची में से फर्म का पंजीकरण समाप्त करने पर विचार करना ।

9.7.25 **मात्रा का प्रभाजन** - विदेशी अधिप्राप्ति के मामले में भी इस नियम पत्रस्तिका के पैरा 7.15 में दिए प्रावधान लागू होंगे ।

9.7.26 **अधिक और कम सुपत्रर्दगियों को स्वीकृति** - इस संबंध में इस नियम पत्रस्तिका के पैरा 7.16 के प्रावधान लागू होंगे ।

9.7.27 **फोर्स मेज्यूरे** - इस नियम पत्रस्तिका के पैरा 7.12 में उल्लेखानुसार जहां भी आवश्यक समझा जाए इस शर्त को तथा परिशिष्ट-ग के भाग-iv में दिए गए फार्मेट के अनुसार विदेशी अधिप्राप्तियों के संबंध में संवदिा को आरएफपी में शामिल किया जाए ।

9.7.28 **दावे** - इस वारंटी के अधीन उत्पन्न किसी दावे को क्रेता द्वारा लिखित में आपूर्तिकर्त्ता को तुरंत अधिसूचित करना होगा । दावे को अधिसूचित करने के लिए सामान्यतया स्वीकृत समयावधि को आरएफपी में दर्शाया जाए, निम्न प्रकार से है:-

(क) **मात्रात्मक कमी के लिए -** वायुमार्ग या सड़क मार्ग द्वारा वायुमार्ग के मामले में प्रेषण की सुपुर्दगी की तारीख से 90 दिनों के भीतर और समुद्र मार्ग से सुपुर्दगी के मामले में 120 दिनों के भीतर ।

(ख) **गुणवत्ता कमी के लिए** - माल या उसके किसी हिस्से, के मामले में, सुपुर्दगी होने और संविदा में दिए अंतिम स्थान पर स्वीकृत होने के 12 माह तक इसकी वारंटी वैध रहनी चाहिए अथवा लदान की तारीख से सामान भरने के स्थान, इनमें से जो भी अवधि पहले समाप्त हो के लिए 18 माह तक वैध रहेगी ।

(ग) **त्रुटियों या कमियों के कारण हुए गुणवत्ता दावे**- जे आर आई के दौरान गुणता में त्रुटि या कमियों के लिए नोटिस किए गए गुणवत्ता दावे, जे आर आई के पूरा होने तथा माल के स्वीकार होने के 45 दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए । गुणता में त्रुटि या कमी के लिए नोटिस किए गए गुणवत्ता दावे वारंटी अवधि में ही किए जाने चाहिए । ये गारंटी अवधि की समाप्ति से 45 दिन पहले किए जाने चाहिए । मात्रा तथा गुणता संबंधी दावे विक्रेता के पास क्रमश: डीपीएम-23 और डीपीएम-23 में निर्धारित फार्मेट में प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

9.7.29 **कानून की प्रयोज्यता** - आर एफपी में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि भारत गणराज्य के कानून के अनुसार ही संविदा का निर्माण, व्याख्या तथा नियंत्रण किया जाना चाहिए ।

9.8 सक्षम वित्तीय प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात प्रस्ताव का संसाधन

9.8.1 **प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी करना (आर एफ पी)** - किसी विशेष मामले में निविदा के किस प्रकार को अपनाए जाने की आवश्यकता है, का निर्णय सी एफ ए का अनुमोदन लेते समए लिया जाए । इस नियम पत्रस्तिका के अध्याय-4 में आरएफपी के प्रचार और प्रेषण के संबंध में दिए गए दिशा निर्देश, विदेशी अधिप्राप्ति के मामले में भी अपनाए जाने चाहिए । इन दिशा निर्देशों के अनुसार , विदेशी विक्रेताओं को आरएफपी पंजीकृत डाक से भेजा जा सकता है । इसके अतिरिक्त, इन्हें फैक्स या ई-मेल से भी भेजा जा सकता है तथापि, इसकी एक प्रति पंजीकृत डाक से भी भेजी जानी चाहिए । आरएफपी विदेशी फर्मों के भारतीय एजेंटों को नहीं देनी होगी । तथापि, यदि किसी विदेशी फर्म का शाखा कार्यालय भारत में है, तो आरएफपी उसे दी जा सकती है । आरएफपी जारी करने/प्रेषण करने के तरीके का रिकार्ड अति सावधानीपूर्वक रखा जाना चाहिए ।

9.8.2 **निविदा खोलने की तारीख का विस्तार, निविदा संबंधी दस्तावेजों का स्पष्टीकरण/संशोधन तथा बोलियों का रुपांतरण/आहरण** - इस संबध में अध्याय-4 के संबद्ध प्रावधान अपनाए जाने चाहिए ।

9.8.3 **परिणामी एकल विक्रेता स्थिति** - विदेशी अधिप्राप्ति के मामले में अध्याय-4 के पैरा 4.15 में निहित प्रावधान लागू होंगे ।

9.8.4 **निविदाओं के तुलनात्मक विवरण** - सभी स्वीकृत निविदाएं प्राप्त होने पर, क्रय एकक को इन्हें निविदाओं के तुलनात्मक विवरण (सीएसटी) के रुप में विस्तारपूर्व मिलाना चाहिए । सीएसटी संवार्गपूर्ण होना चाहिए और निविदा में दिए सभी विवरण उसमें शामिल किए जाने चाहिए । निविदा दस्तावेज में विचलन को सीएसटी में दिखाना चाहिए । अंतिम क्रय मूल्य (एलपीपी) जहां भी आवश्यक हो, को प्रस्तावित मूल्यों के निष्पक्ष तुलना के लिए दर्शाया जाना चाहिए । सीएसटी को मूल संविदाओं, मांगपत्र और अन्य सहयोगी दस्तावेजों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा पत्रनरीक्षित किया जाना चाहिए, जहां वित्तीय शक्तियों का प्रयोग एकीकृत वित्त की सहमति से किया जाता है । क्रय अधिकारी द्वारा सीएसटी पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए ।

9.8.5 **विनिमय दर** - द्वि-बोली मामलो के लिए आरएफपी मे दर्शाए अनुसार व्यवसायिक बोली को खोलने की तारीख को प्रचलित विभिन्न मुद्राओं के लिए प्रयोज्य विनिमय दर तथा एकल बोलियों के लिए बोली खोलने की तारीख को तुलना के लिए रुपए की शर्तों में मूल्यों की गणना को ध्यान में रखकर करना होगा ।

9.9 वाणिज्यिक बातचीत और करार/आपूर्ति आदेश का निष्कर्ष

9.9.1 **वाणिज्यिक बातचीत -** सीएनसी के गठन, वाणिज्यिक वार्तालाप, युक्तियुक्त मॅल्य तय करने और सीएनसी की कार्रवाई रिकार्ड करने के लिए इस मैनुअल के अध्याय-5 में निहित प्रक्रिया विदेशी अधिग्रहण पर भी लागू होगी ।

9.9.2 **फैक्स द्वारा सर्वोत्तम प्रस्ताव प्राप्त करना** - विदेशी फर्मों के मामले में, जिनके क्षेत्रीय कार्यालय भारत में नहीं हैं, उनके प्रतिनिधियों के लिए, ऊँची दर की वस्तुओं को छोड़कर, सीएनसी की बैठकों में आना संभव नहीं हो सकता । ऐसे मामलों में सीएनसी/सीएफए मूल्य को अंतिम रुप देने से पूर्व फैक्स द्वारा, सबसे कम बोलीदाता के साथ सभी शर्तें स्पष्ट कर लेने पर, सर्वोत्तम संशोधित प्रस्ताव प्राप्त कर सकता है।

9.9.3 **एन एन सी द्वारा कार्रवाई** - सी एन सी की सिफारिश स्पष्ट और असंदिग्ध होनी चाहिए । एल1 फर्म को एक प्रतिकारक प्रस्ताव केवल सीएनसी द्वारा दिया जा सकता है । उन मामलों में, जहां सीएनसी/सीएफए वार्तालाप को संतोषजनक ढंग से अंतिम रुप नहीं दे सकती, वह मामले के अगले उच्चतर सीएफए के पास, वार्तालाप को अंतिम रुप देने हेतु भेज सकती है । सभी सीएनसी बैठकों के कार्यवृत्त सभी सदस्यों द्वारा सावधानीपूर्वक अनुरक्षित व हस्ताक्षर किए जाने चाहिए ।

9.9.4 **अनुमानों पर लागत की स्वीकार्यता** - जब एक प्रस्ताव, अनुबंध में पारित मूल्य राशि से उच्चतर राशि पर, जो अंतिम खरीद-मूल्य या मूल्यांकित मूल्य पर आधारित हो - स्वीकार करने हेतु पेश किया जाता है, अधिकार प्राप्त सीएफए उसे प्रदत्त अधिकारों के तहत इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है बशर्ते कि बढ़ाई गई राशि उसे प्रदत्त अधिकारों के अंदर हो और ऐसा करने के कारणों को रिकार्ड किया गया हो । जब भी कभी बढ़ाई गई राशि सीएफए को प्रदत्त वित्तीय शक्तियों से बढ़ जाए अगले उच्चतर सीएफए का जिसे प्रदत्त शक्तियों के भीतर मामला आता है, अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए ।

9.9.5 **एल1 से इतर किसी प्रस्ताव की स्वीकार्यता** - सबसे कम मूल्य के अलावा कोई प्रस्ताव किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

9.9.6. **<u>संपूर्ण पैकेज पर एल1 का निर्धारण</u>** - उस स्थिति में जब आरएफपी में बड़ी संख्या में वस्तुओं के हिस्से-पत्रर्जे हों और उसमें यह दर्शाया गया हो कि एल1 का निर्णय पैकेज मूल्य पर किया जाएगा, एल1 के प्रस्ताव का निर्धारण पूरे पैकेज की नकद राशि के बहिस्राव पर किया जाएगा । एल1 के इस प्रकार निर्धारण के पश्चात, दूसरे विक्रेताओं द्वारा प्रस्तावित मूल्यों के मुकाबले, फर्म द्वारा अधिक प्रस्ताव किए गए मूल्यों की स्थिति में, फर्म के साथ वार्तालाप किया जाना चाहिए । इस प्रकार के मामलों मे वस्तु (वस्तुओं) की सबसे कम बोली के संदर्भ में एल1 विक्रेता के साथ वार्तालाप करना होगा । यदि एल1 विक्रेता ऊंची दर की वस्तु (वस्तुओं) की कीमत यथोचित रुप से कम नहीं करता है तो कार्यात्मक आवश्यकताओं के मद्देनजर इस वस्तु (वस्तुओं) के लिए एक अलग आरएफपी जारी करते हुए एक नया करार किए जाने की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है ।

9.9.7 **<u>क्रय संबंधी निर्णय</u>** - सीएफए/सीमित सीएफए को मामले के सभी पहलुओं की उपयुक्तता पर, प्रस्तावित मूल्यों सहित, पेश की गई शर्तों, तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट पर अवश्य विचार करना चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि एल1 फर्म पर निर्णय लेने के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिग्रहण हेतु यथोक्ति नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया है । निर्दिष्ट प्रेषिती के सुपुर्दगी पर उपभोक्ता के लिए अंतर्ग्रस्त मूल्य के लिए वित्तीय पक्ष पर विचार किया जाना चाहिए । क्रय संबंधी निर्णय एक औपचारिक लिखित आदेश के माध्यम से लिए जाने चाहिए ।

9.9.8 **<u>करार पर हस्ताक्षर करना/आपूर्ति आदेश देना</u>** - विक्रेता के साथ करार के अंतिम रुप देने से पूर्व करार के मसौदे को, आईएफए द्वारा समुचित रुप से पुनरीक्षित करने के उपरांत, जहां भी वित्तीय शक्तियों के अनुरुप आवश्यक हो, सीएफए के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए । करार/आपूर्ति आदेश पर, हस्ताक्षर किए जाने हेतु प्राधिकृत किया अधिकारी द्वारा हस्ताद्वारा किए जाने चाहिए । करार/आपूर्ति आदेश के प्रत्येक पृष्ठ पर विक्रेता द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और उसकी स्वीकृति सूचित करनी चाहिए ।

9.9.9 **<u>करार में संशोधन</u>** - वित्तीय निहितार्थ वाले सभी करार, जिनमें अल्पकालिक और सुपुर्दगी की अवधि के विस्तार वाले बाध्यकारी अस्थिर नुकसान वाले या उससे रहित शामिल हैं, सीएफए द्वारा अवश्य अनुमोदित होने चाहिए और आईएफए से विचार-विमर्श के साथ जहां भी वास्तविक करार एकीकृत वित्त की स्वीकृति के साथ तय हुआ था, ऐसा किया जाना चाहिए । सुपुर्दगी की अवधि को प्रभावित करने वाले संशोधन बार-बार नहीं किए जाने चाहिए । उन मामलों के अतिरिक्त जिनमें करार के तहत अस्थिर नुकसान को सुसंगत कारणों से हटा लिए जाने की सुविधा है, सुपुर्दगी की अवधि को बढ़ाए जाने वाले सभी मामले करार के तहत बाध्यकारी अस्थिर नुकसान और अन्य जुर्माने संसाधित किए जाने चाहिए ।

9.9.10 **<u>पत्रनर्निविदा करना</u>** - जहां भी लागू हो, इस मैनुअल के पैरा 4.16.1 के तहत उल्लिखित परिस्थितियों के अंतर्गत आईएफए सहमति और सीएफए की चेतावनी तथा अनुमोदन से सीएनसी द्वारा पत्रनर्निविदा की सिफारिश की जा सकती है ।

9.9.11 **<u>करार की मानक शर्ते -विदेशी अधिप्राप्तियां</u>** - इसके अतिरिक्त किसी विशिष्ट करार/आपूर्ति आदेश की मानक शर्तों में किसी सीमा तक संशोधन किए गए हैं, करार की मानक शर्त किए गए सभी कद्वारों/दिए गए सभी आपूर्ति आदेशों पर, मैनुअल में तयशुदा प्रक्रिया के अंतर्गत, लागू होंगी । करार की मानक शर्तों का विवरण अध्याय 10 में समाहित हैं । परिशिष्ट 'ग' में दिए गए आरएफसी फार्मेट के नमूने में करार की ये मानक शर्तें शामिल हैं । इन मानक शर्तों के कुछ पहलू, जिन पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक हैं, इस अध्याय के पैरा 97 में बेहतर ढंग से समझने के लिए, वर्णित हैं ।

9.10 पीएसी निविदा करना

9.10.1 **जहां प्रत्यक्ष सौदेवाली के लिए ओईएम की अनुमति नहीं है** - यदि किसी दूसरे देश का विधान ओईएम की अनुमति नहीं देता और/या विक्रेताओं/आपूर्तिकत्ताओं को आरएफसी को सीधे जवाबदेही की अनुमति नहीं देता जैसे कि रुप में + आरएफपी सरकार द्वारा नामित एजेंसी को एकल निविदा पूछताछ आधार पर जारी किए जा सकते हैं । (उदाहरणार्थ - रुस के मामले में रोज़ोबोरोनेक्सपोर्ट) इस प्रकार की एजेंसियों को, ऐसे विक्रेताओं के साथ-साथ आरएफपी जारी किए जा सकते हैं जिन्हें सीधे निविदा पूछताछ की अनुमति दी गई है ।

9.10.2 **सामान्य कद्वारों द्वारा संचालित अधिप्राप्तियां** - भारत सरकार और दूसरे देश की संबद्ध सरकार के बीच दीर्घकालिक सामान्य मुख्य कद्वारों/मुख्य समझौतों के तहत अधिप्राप्तियों के मामले में, आरएफपी फार्मेट, उद्धरण, सामान्य शर्तों, उद्धरणों को जमा करने के समय, एलडी शर्तों आदि के संदर्भ में इस प्रकार के करार/समझौते प्रभावी होंगे । तथापि, इस मैनुअल के प्रावधान उन पहलुओं के संदर्भ में लागू होंगे जो इस प्रकार के कद्वारों/समझौतों के अंतर्गत नहीं आते ।
(नोट- संबद्ध अधिकारियों को इस प्रकार के मौजूदा कद्वारों/समझौतों की पत्रनरीक्षा करनी चाहिए और उन्हें इस मैनुअल के प्रावधानों के अनुरुप हर सम्भाव्यता तक उन्हें संशोधित किए जाने की संभावना पर विचार करना चाहिए)

9.10.3 **विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के जरिए तत्काल अधिप्राप्ति -** वे अतिरिक्त हिस्से-पत्रर्जे/उपकरण जो विदेशी स्रोतों से तत्काल प्राप्त किए जाने आवश्यक हों, उन्हें भारतीय दूतावासों के जरिए अधिप्राप्त किया जाना चाहिए । आवश्यकता की स्वीकार्यता पर संबद्ध वाणिज्यिक या रक्षा अताशे (डीए) की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत, अधिप्राप्ति के लिए संबंधित दूतावास को तत्काल मांग पत्र अग्रेषित करना चाहिए । संबद्ध अताशे को मांग-पत्र को पंजीकृत करना चाहिए और मूल्य लेने चाहिए । उसे परामर्शदाता (समन्वय) या तकनीकी/अधिप्राप्ति/वित्तीय पृष्ठभूमि वाले किसी भी अधिकारी के परामर्श से, जिसे इस प्रयोजनार्थ राजदूत/उच्चायुक्त द्वारा नामित किया गया हो, व्यय पक्ष की मंजूरी लेनी चाहिए। उस स्थिति में जब प्राप्त किए गए मूल्य रक्षा अताशे को प्रदत्त वित्तीय शक्तियों से उच्च हों और विक्रेता मूल्यों को कम करने पर सहमत न हो तो मामला उपयुक्त सीएफए की वित्तीय पक्ष से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए संबंधित सेना मुख्यालय/रक्षा मंत्रालय के विभाग को अग्रेषित किया जाना चाहिए ।

9.11 आई एन सी ओ शर्ते

9.11.1 **आईएनसीओ शर्तें** - सन् 1936 से अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजीय क्रेडिट में सामान की सुपुर्दगी के प्रकार/रीति के संदर्भ में, जिसे व्यहार्य, लागत मितव्ययिता साधन के रुप में और निर्बाध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रक्रिया के रुप में मान्यता प्रदान की गई है - आईएनसीओ शर्तें व्यवहार में लाई जा रही हैं । आरएफपी को सामान की सुपुर्दगी और उन्हें करार में शामिल किए जाने हेतु लागू आईएनसीओ शर्तें दर्शानी चाहिए ताकि बाद में विवादों से बचा जा सके । आईएनसीओ शर्तें फार्म डीपीएम-6 में वर्णित हैं ।

* * * * *

अध्याय - 10

संविदा की मानक शर्तें - विदेशी अधिप्राप्ति

10.1 प्रस्तावना

10.1.1 **अनुबंध की मानक शर्तें (एस सी ओ सी)** - संविदा की शर्तों को स्पष्ट बनाने की दिशा में सभी संविदाओं से सामान्य रुप से लागू मानक शर्तों को एक जैसा तैयार किया जाए और विभाग के साथ व्यवहार करने वाली सभी फर्मों को उपलब्ध कराया जाए । संविदा की मानक शर्तों को फर्म को उसके रजिस्ट्रेशन के समय पर उपलब्ध करा दी जाए । यह वांछनीय है कि एस सी ओ सी को रक्षा वेब-साइट पर भी उपलब्ध करा दिया जाए । एस ओ सी से संबंधित खंड परिशिष्ट 'ग' के भाग-।।। में दिए गए हैं । टेंडर जाँच जाँच-पड़ताल को एस सी ओ सी के अनुप्रयोज्यता के संदर्भ में निरपवाद बनाना चाहिए और बोलीदाताओं से एस सी ओ सी के अनुरुप करने की आशा की जाती है । संविदा में यह प्रतिज्ञा की जानी चाहिए कि संविदा में किसी विशेष शर्तों के अतिरिक्त एस सी ओ सी से अनुप्रयोज्य है जो संभवत: पक्षों के बीच आपसी सहमति से हो । विशेष ध्यान में दिए जाने योग्य नियम एवं शर्तें इस नियम पुस्तिका के अध्याय-9 में स्पष्ट किए गए हैं । इस अध्याय में दिए गए प्रावधान इस नियम पुस्तिका के अध्याय 9 में दिए प्रावधानों के अनुपूरक हैं ।

10.1.2 **संविदा के साथ सहमत नियमों और शर्तों के अनुरुप** - सी एन सी की सिफारिशों और आर एफ पी में उल्लिखित सभी संविदाएं मानक और विशेष शर्तों के अनुरुप होनी चाहिए तथा सक्षम वित्तीय प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए ।

10.1.3 **संविदा का प्रारंभ और उसकी वैधता**- संविदा का प्रारंभ संविदा की 'प्रभावी तारीख' से होता है जो सामान्यत: संविदा पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख होती है जब तक कि संविदा में कुछ विशेष न दिया गया हो । एक संविदा उस पर हस्ताक्षर होने की तारीख या संविदा में दिए अनुसार तारीख से वैध होती है और उसकी वैधता को पूरा होने तक रहती है । इस नियम पुस्तिका के पैरा 7.3.1 में दिए प्रावधान विदेशों से अधिप्राप्ति के मामले में भी लागू होंगे ।

10.2 मूल्य

10.2.1 **मूल्यों का न्यूनतम और समावेशी होना** - जब तक विशेष रुप से सहमति न हो विक्रेता द्वारा बताई गई सभी दरों के मूल्य विक्रेता के न्यूनतम निर्यात मूल्य होने चाहिए और अपेक्षित सुपुर्दगी शर्तों के अनुसार होने चाहिए तथा उसमें पैंकिंग संबंधी प्रभार तथा आपूर्ति किए जा रहे देश में लगाए जा रहे कर एवं शुल्क आदि शामिल होने चाहिए ।

10.3 **<u>भुगतान की शर्तें</u>**

10.3.1 **<u>साख पत्र तथा प्रत्यक्ष बैंक अंतरण</u>** - रक्षा मंत्रालय द्वारा किसी भी प्राधिकृत बैंक के माध्यम से साख पत्र/प्रत्यक्ष बैंक अंतरण के जरिए से विदेशी आपूर्तिकर्त्ता के बैंकरों को भुगतान की व्यवस्था की जानी चाहिए । साख पत्र खोलने के संबंध में इस नियम पुस्तिका के पैरा 9.7.13 प्रावधानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए । प्रत्यक्ष बैंक अंतरण भुगतान लादान/ए डब्ल्यू बी/नौभरण के प्रमाण के स्पष्ट बिल की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर किया जाना चाहिए तथा ऐसे अन्य दस्तावेज जो संविदा में दिए गए हैं, किंतु ऐसे भुगतान ऐसी राशि की कटौती के अनुसार होंगे चूंकि विक्रेता संविदा की स्वीकृत शर्तों के अंतर्गत ये भुगतान करने को बाध्य होगा । जब तक कि आर एफ पी में निर्दिष्ट न किया गया हो अग्रिम भुगतान नहीं किए जाने चाहिए । यदि आर एफ पी और संविदा में ऐसा निर्दिष्ट किया गया हो तो अग्रिम भुगतान की राशि संविदा के कुल मूल्य के 15 प्रतिशत से अधिक न हो और इसे संविदा की शर्तों के अनुसार उपयुक्त बैंक गारंटी पर किया जाए । किसी संविदा के लिए भुगतान, जिसका मूल्य एक सौ हजार अमरीकी डालर से अधिक न हो, को प्रत्यक्ष बैंक अंतरण द्वारा किया जाना चाहिए ।

10.3.2 **<u>प्रेषण के लिए तैयार माल के संबंध में सूचना</u>** - विक्रेता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर क्रेता को प्रेषण के लिए तैयार माल की सूचना दे । इस संबंध में पैरा 9.7.13 में दिए प्रावधानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

10.4 **<u>सुपुर्दगी की शर्तें</u>**

10.4.1 **<u>सुपुर्दगी की मानक शर्तें</u>** - इस नियम पुस्तिका के पैरा 9.7.10 में परिवहन के साधन का प्रावधान है जिसका निर्णय यह ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि समय पर सुपुर्दगी संविदा का मूल है । निम्नलिखित मामलों में करार के साथ मेल न खाने से गलतफहमी हो सकती है:-

(क) माल की सुपुर्दगी संविदा पर हस्ताक्षर करने से विनिर्दिष्ट दिनों के भीतर प्रभावी होगी ।

(ख) डिलीवरी की तारीख लदान करने के बिल/वायुमार्ग के बिल की तारीख होगी ।

(ग) जहां डिलीवरी से पूर्व खरीददार द्वारा निरीक्षण करने का प्रावधान है, किसी भी भण्डार को डिलीवरी के योग्य तब तक नहीं माना जाएगा जब तक खरीददार या उसके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित में यह प्रमाणित नहीं किया जाता कि भण्डारों का उसने निरीक्षण या अनुमोदन कर दिया है ।

(घ) प्रत्येक संविदा में डिलीवरी की तारीख का स्पष्ट रुप से उल्लेख किया जाएगा । मदों के निरीक्षण के लिए तैयार तारीख का उल्लेख किया जाएगा । निर्धारित डिलीवरी अनुसूची को निश्चित होना चाहिए और बदला न जाना चाहिए ।

(ङ) संविदा में किए गए नामांकन के अनुसार भंडारों को समुद्री रास्ते/वायु मार्ग के द्वारा पहुंचाया जाएगा । पैंकिंग की सभी लागत, आंतरिक परिवहन, प्रेषित एजेंटों की फीस, भंडारण प्रभार, पत्तन, गोदी एवं बंदरगाह शुल्क तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नामांकित जहाज/वायुयान से एक निश्चित जगह पर भंडारों की डिलीवरी के सभी व्यय विक्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे ।

(च) संविदा या उसके किसी भाग के यदि एक से अधिक किस्त में डिलीवरी दी जाती है तो उसे संपूर्ण माना जाएगा और विक्रेता को देय संविदा राशि का भुगतान केवल तभी किया जाएगा जब संविदाओं की सभी शर्तों को पूरा कर दिया जाएगा ।

(छ) वस्तुओं की विक्रेताओं द्वारा वितरण और क्रेताओं द्वारा मंजूरी की जाती है जब वे निम्नलिखित के अनुरुप हों:-

(i) मात्रात्मक आधार पर - अच्छी बाहरी अवस्था में पैकेजों की संख्या और शिपिंग दस्तावेजों में दर्शाए गए वजन के अनुसार ।

(ii) गुणवत्ता आधार पर - लॉग बुक एवं पासपोर्ट में बताई गुणवत्ता के आधार पर ।

(ज) संविदा की वैधता इसके दोनों पक्षों के उस पर हस्ताक्षर करने की तारीख से संविदा के अधीन सभी दायित्वों को पूरा करने तक रहेगी ।

10.5 निरीक्षण

10.5.1 **निरीक्षण -** सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत आदेशित भण्डारों को आपूर्तिकर्त्ता से गारंटी/वारंटी के साथ मंजूर किया जाएगा । संपूर्ण खेप/बैच अथवा निरीक्षण की गई मदों को स्वीकार करने हेतु इसकी समाप्ति पर, विक्रेता को अपने गुणवत्ता आश्वासन विभाग द्वारा निरीक्षित भंडार मिल जाएगा और वह एक प्रमाणपत्र देगा कि भंडार अनुबंध में दिए गए विनिर्देशों के अनुरुप हैं ।

10.5.2 स्व निरीक्षण - तथापि, जहां अनुबंध में क्रेता के वास्तविक निरीक्षण का उल्लेख किया गया है, क्रेता विक्रेता की सलाह से निरीक्षण का प्रबंध करेगा । इस नियम पुस्तिका के 9.7.6 पैराग्राफ में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, जहां निरीक्षण अपेक्षित होगा वहाँ, निम्नलिखित दिशा-निर्देश लागू होंगे:-

(क) संविदा के प्रावधानों के अनुसार भण्डारों का निरीक्षण किया जाएगा ।

(ख) जहां निरीक्षक द्वारा निरीक्षण का उल्लेख किया जाता है, विक्रेता क्रेता को लिखित में अग्रिम नोटिस देगा जिसके अंतर्गत निरीक्षण करने के लिए सामान के तैयार हो जाने की तारीख होगी । विनिर्दिष्ट निरीक्षण करने के लिए निरीक्षक को सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे साजो-सामान, औजार आवश्यक वस्तुएं तथा श्रम बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रदान करेगा । विक्रेता या उप-विक्रेता के परिसरों पर निरीक्षक द्वारा किए गए उन निरीक्षणों के अतिरिक्त जब स्वतंत्र जाँच और विश्लेषण को आवश्यक समझा जाए, तो विक्रेता क्रेता की इच्छानुसार ऐसे स्थान पर उन सामानों को प्रदान और डिलीवर करेगा जो जाँच या विश्लेषण के लिए आवश्यक हो ।

(ग) यदि कोई ऐसी वस्तु चाहे वह तैयार हो चुकी हो या उत्पादन प्रक्रिया में हो, निरीक्षक द्वारा निरस्त कर दी जाती है, तो वह निरीक्षक की संतुष्टि के अनुसार उन पर ऐसा निशान लगाएगा या उनको अलग कर देगा जिससे कि उनके निरस्त हो जाने के पश्चात् निरस्त कार्य के रुप में पहचाना जा सके ।

(घ) क्रेता किसी निरस्त की गई आपूर्ति या उसके निरीक्षण की किसी लागत का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा ।

(ङ) विक्रेता अपने खर्चों पर संविदा में विनिर्दिष्ट डिलीवरी के लिए डिलीवरी के समय के अंदर निरीक्षक की संतुष्टि पर किसी वस्तु के निरीक्षण करने पर किसी वस्तु के निरस्त होने पर उसे बदलने या सही करने के लिए बाध्य होगा ।

(च) विनिर्दिष्ट मदों/संपूर्ण बैच/खेप की प्रणाली, तरीका, निरस्त या अनुमोदन के बारे में निरीक्षक का निर्णय अंतिम होगा ।

(छ) क्रेता भारत में भण्डारों के आगमन में उनकी जाँच करने का अधिकार आरक्षित रखता है और पायी गई किसी त्रुटि या कमी को विक्रेता को 15 महीनों के अंदर सूचित करेगा । इस सूचना को उसे 90 दिनों के अंदर पूरा करेगा ।

10.6 पैकेजिंग और प्रेषण

10.6.1 **पैकेजिंग और प्रेषण -** भंडारों को, पोतलदान की सामान्य परिस्थितियों के अनुसार और पारगमन में अल्प अवधि के भंडारण और नियत देश में पहुंचाने के लिए पैक किया जाएगा तथा निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:-

(क) विक्रेता किसी अपर्याप्त पैकिंग के कारण क्रेता को हुई कोई हानि या नुकसान या व्यय के लिए जिम्मेवार होगा ।

(ख) खतरनाक रुप में वर्गीकृत किसी सामान की पैंकिंग पर समुद्र या वायु मार्ग के द्वारा भेजे जाने वाले पर्याप्त विनियमों के अनुसार पैकिंग या निशान बनाया जाना चाहिए ।

(ग) विक्रेता संविदा में दी गई शर्तों के अनुसार विस्तृत पैकेजिंग और भेजे जाने वाले अनुदेशों का भी पालन करेगा ।

(घ) दस्तावेजों को भेजने की जिम्मेवारी विक्रेता की होगी । क्रेता द्वारा समय-समय पर जारी विस्तृत जहाजरानी अनुदेश लागू होंगे ।

10.7 वारंटी और दावे

10.7.1 **वारंटी और दावे -** आपूर्ति किए जाने वाले सभी भण्डार सामान कारीगरी और विनिर्माण के सभी कमियों और नुकासानों से मुक्त होंगे । ये उच्चतम ग्रेड और स्थापित मानदण्डों के अनुसार होंगे और प्रयोग किए गए सामान के लिए सामान्य रुप से स्वीकृत मानकों और विनिर्देशनों, ड्राईंग या सैम्पल के पूर्ण रुप से अनुरुप होंगे और यदि प्रचालनात्मक हैं तो पूर्ण रुप से प्रचालक होंगे । विक्रेता पूर्ण रुप से उसके बारे में एक स्पष्ट लिखित वारंटी देने के लिए बाध्य होगा । आदेश के अनुसार भण्डारों की भारत में पूर्ण रुप से परेषिति न मिलने की स्थिति में, विक्रेता सभी माल भाड़ा तथा रख-रखाव शुल्कों सहित उनको निशुल्क में बदलेगा । ऐसा प्रतिस्थापन क्रेता द्वारा उठाए गए दावा रिपोर्ट के 90 दिनों के अंदर करेगा । ये मानक शर्तें प्रतिस्थापित भंडारों पर भी लागू होंगी । यह वारंटी डिलीवरी के पश्चात 15 माह तक या भारत में पूर्ण रुप से उनके पहुंचने के पश्चात डिलीवरी के 12 माह तक जो भी पहले हो, वैध अथवा जैसा संविदा में निर्दिष्ट हों, वैध होंगी ।

10.7.2 **<u>भारतीय परिस्थितियों में भंडारण और उसके प्रयोग के लिए वारंटी</u> -** वारंटी भारतीय जलवायु परिस्थितियों में या भण्डारों के प्रयोग और भंडारण के लिए लागू होगी ।

10.7.2 **<u>तकनीकी अवधि</u> -** प्रतिस्थापन के लिए डिलीवरी की जाने वाली इकाई की तकनीकी अवधि , प्रतिस्थापित की जाने वाली दोषपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण इकाई की शेष तकनीकी अवधि अथवा संविदा में विनिर्दिष्ट ऐसी इकाई की वास्तविक अवधि, इनमें से जो भी ज्यादा हो, से कम नहीं होगी ।

10.7.4 **<u>दावे प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा</u> -** मात्रात्मक और गुणात्मक दावों के साथ-साथ दोष और कमियों से संबंधित गुणवत्ता दावों को प्रस्तुत करने की समय-सीमा, इस नियम-पुस्तिका के 9.7.28 में दी गई है।

10.8 <u>परिनिर्धारित क्षति</u>

10.8.1 **<u>परिनिर्धारित क्षति</u> -** संविदा में विनिर्दिष्ट तारीख तक सामान की आपूर्ति न करने में विक्रेता के असफल रहने की स्थिति में क्रेता, विक्रेता से आपूर्ति न किए गए सामान के संविदा मूल्य के 0.5% की राशि परिनिर्धारित क्षति के रुप में प्रत्येक सप्ताह या सप्ताह के किसी दिन की हुई देरी के लिए काटेगा और विक्रेता आपूर्ति न किए गए सामान के संविदा मूल्य के अधिकतम 10% की दर से परिनिर्धारित क्षति की कमी के पश्चात् दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा । किंतु यदि देरी किसी अन्य कारणों से होती है, जिसे विक्रेता ने क्रेता को तुरंत अधिसूचित कर दिया है और क्रेता अधिक समय दिए जाने के कारण को उचित समझता है, तो ऐसी सहमत अतिरिक्त अवधि पर कोई परिनिर्धारित क्षति नहीं वसूलेगा । इस संबंध में, इस मैनुअल के पैरा 7.10 के प्रावधानों का भी संदर्भ लें ।

10.9 <u>उच्च शक्तियाँ</u>

10.9.1 **<u>उच्च शक्तियाँ</u> -** कोई भी पार्टी अपने किसी दायित्व के पूर्ण या आंशिक रुप से गैर-निष्पादन के लिए जिम्मेवार होगी (वर्तमान संविदा के प्रावधानों के अंतर्गत वस्तुओं की प्राप्ति होने के कारण किसी राशि के भुगतान न किए जाने की स्थिति को छोड़कर), यदि गैर निष्पादन युद्ध, सैन्य ऑपरेशन, नाकाबंदी, राज्य प्राधिकरणों द्वारा किए गए कार्यों अथवा कार्रवाई अथवा ऐसी परिस्थितियां जो पक्षों के नियंत्रण से परे हो, के साथ-साथ उच्च दैवीय शक्तियां जैसे बाढ़, आग, भूकंप और ईश्वर द्वारा किए गए अन्य कार्यों के परिणाम हो, जो संविदा को अंतिम रुप दिए जाने के बाद हुआ हो ।

10.9.2 **<u>उच्च शक्तियों के संबंध में सूचना</u> -** दैवीय आपदा परिस्थितियों के कारण इस संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने में असंभव हो जाने पर एक पक्ष दूसरे पक्ष को लिखित में उपर्युक्त परिस्थितियों के तत्काल प्रारंभ होने या समाप्त होने पर अधिसूचित करेगा, किंतु यह उसके प्रारंभ होने के दिन से 10 दिनों से अधिक न हो ।

10.9.3 **<u>उच्च शक्तियों का प्रमाण पत्र</u> -** वाणिज्य मंडल (वाणिज्य या उद्योग) या अन्य सक्षम प्राधिकारी या संबंधित देश के संगठन का प्रमाण पत्र उपर्युक्त परिस्थितियों के प्रारंभ या समाप्त होने का पर्याप्त प्रमाण होगा ।

10.9.4 **समय अवधि का विस्तार -** ऐसी परिस्थितियों में वर्तमान संविदा के अंतर्गत किसी दायित्व के निष्पादन के लिए समय अवधि को ऐसी परिस्थितियों और उनके परिणामो की कार्रवाई समय अवधि के लिए तदनुसार बढ़ाया जा सकता है ।

10.9.5 **संविदा को समाप्त करने का अधिकारी -** यदि छः माह से अधिक किसी दायित्वों का पूरा या आंशिक निष्पादन असंभव होता है तो कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को 30 दिनों के लिखित नोटिस देते हुए संविदा को पूर्ण रुप से अथवा आंशिक रुप से समाप्त करने का अधिकार रखता है । दूसरा पक्ष प्राप्त वस्तुओं के लिए करार नामे में दी गई शर्तों पर प्रतिपूर्ति के अलावा किसी अन्य दायित्वों के बिना समाप्त कर सकता है ।

10.9.6 **शर्त का मानक प्रारुप -** शर्त का मानक प्रारुप आर0एफ0पी0 में शामिल हुआ है और संविदा, परिशिष्ट 'ग' के भाग-।।। में दी गई है ।

10.10 संविदा की समाप्ति

10.10.1 **संविदा की समाप्ति -** क्रेता, संविदा के भाग के किसी अन्य उपाय के बिना आपूर्तिकर्त्ता को चूक के बारे में लिखित नोटिस भेजें कि संविदा को आंशिक या पूर्ण रुप से समाप्त कर सकता है:-

(क) यदि आपूर्तिकर्त्ता संविदा में विनिर्दिष्ट अवधि (अवधियों) या क्रेता द्वारा मंजूर उसके किसी विस्तार के अंतर्गत सामान के किसी अंश या सम्पूर्ण डिलीवरी करने में असफल रहता है ।

(ख) यदि आपूर्तिकर्ता संविदा के अंतर्गत किसी अन्य दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है ।

(ग) यदि आपूर्तिकर्त्ता दिवालिया या दिवालियापन के कगार पर आ जाता है ।

(घ) यदि आपूर्तिकर्त्ता, क्रेता के निर्णय के अनुसार संविदा को पूरा करने में अथवा निपटान करने में भ्रष्ट अथवा कपटपूर्ण गतिविधियों में संलग्न रहता है ।

इस शर्त के उद्देश्य के लिए :

"भ्रष्ट गतिविधिया" में अधिप्राप्ति प्रक्रिया में संविदा पूरा करने में सरकारी अधिकारी के किसी कार्य को प्रभावित करने के लिए किसी मूल्यवान वस्तु का प्रस्ताव करना, देना, प्राप्त करना या लालच देना शामिल है ।

"कपटपूर्ण गतिविधियों" में अधिप्राप्ति प्रक्रिया या संविदा को पूरा करने को प्रभावित करने की दिशा में तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करना और बोलीदाताओं (बोली प्रस्तुत करने से पहले या पश्चात) के मध्य सांठ-गांठ करना शामिल है जिससे कि बोली मूल्यों को बनावटी गैर-प्रतियोगी बना दिया जाता है और लेनदार को मुक्त लाभों या खुली प्रतियोगिता से वंचित कर दिया जाता है ।

10.11 मध्यस्थता

10.11.1 **मध्यस्थता-** इस मैनुअल के पैरा 7.11.1 में दिए अनुसार, किसी संविदा के पक्षों में यदि कोई विवाद होता है और आपसी विचार-विमर्श से नहीं सुलझाया जाता है तो वे मध्यस्थता कर सकते हैं । मध्यस्थता शर्त

का मानक प्रारुप आर0पी0एफ0 में शामिल किया जाएगा और संविदा, फार्म डी0पी0एम0-8 में दी गई हैं । यह नोट किया जाए कि स्वदेशी और विदेशी संविदाओं के लिए उपयोग किए गए प्रारुपों में थोड़ा सा अंतर है ।

10.12 अनुचित प्रभाव के प्रयोग के लिए दण्ड

10.12.1 **अनुचित प्रभाव के प्रयोग के लिए दण्ड -** विक्रेता को, अनुचित प्रभाव का प्रयोग न करने के लिए एक वचनबद्धता पर हस्ताक्षर करने होंगे । वचनबद्धता को भंग करने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी । वचनबद्धता का मानक प्रारुप, आर0एफ0पी0 के मसौदे के परिशिष्ट 'ग' के भाग-III में दिए गया है ।

10.13 लेखा बहियों की सुलभता

10.13.1 **दस्तावेज/सूचना प्राप्त करना -** यदि क्रेता को ऐसा लगता है कि विक्रेता ने किसी एजेंट को नियुक्त किया है अथवा कमीशन दिया है या उपर्युक्त वर्णित अनुसार संविदा प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रभावित किया है, क्रेता के विशेष अनुरोध पर विक्रेता आवश्यक जानकारी तथा निरीक्षण के लिए संबंधित दस्तावेज/जानकारी उपलब्ध करवाएगा ।

10.13.2 **सत्यनिष्ठा समझौता -** 100 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद पर, फार्म डीपीएम-10 में दिए गए प्रारुप के अनुसार क्रेता और विक्रेता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं ।

10.14 पेंटेट और अन्य औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार

10.14.1 **कॉपीराइट इत्यादि के संबंध में प्रभार, संविदा में शामिल किए जाने हैं -** संविदा में बताए गए मूल्यों में पेटेंट कॉपी राइट, पंजीकृत प्रभारों, ट्रेंड मार्क और अन्य किसी औद्योगिक सम्पत्ति अधिकारों के प्रयोग के लिए देय सभी राशियाँ शामिल रहेगी ।

10.14.2 **क्षतिपूर्ति -** क्रेता विक्रेता को पिछले उप-पैराग्राफ में बताए गए किसी एक अधिकार या सभी के उल्लंघन के संबंघ में किसी भी समय किसी तीसरे पक्ष द्वारा किसी दावे सहित सभी दावों की क्षतिपूर्ति करेगा, चाहे ऐसे दावों का विनिर्माण या प्रयोग के संबंध में उल्लंघन हुआ हो । विक्रेता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसे किसी अधिकारों के उल्लंघन किए बिना आपूर्तियों को पूरा करेगा ।

10.5 सरकारी विनियम

10.15.1 **निर्यात लाइसेंस -** विनिर्मित वस्तुओं की आपूर्ति वाले देश की सरकार द्वारा जारी सभी कानूनों, आदेशों, विनियमों या अन्य अनुदेशों का अनुपालन करते हुए निर्यात लाइसैंस और परमिटों को प्राप्त करने और कायम रखने की जिम्मेदारी विक्रेता की होगी ।

10.15.2. **दायित्व को तीसरे पक्ष को सौपना -** विक्रेता संविदा या उसके किसी भाग को निपटाने के लिए किसी तीसरे पक्ष को देने, मोलभाव, विक्री, सौंपने या किराए पर या अन्यथा नहीं करेगा या संविदा या उसके किसी भाग के लाभ या हानि नहीं देगा ।

10.16 सीमा शुल्क की असुविधा

10.16.1 **शुल्क असुविधा -** यदि किसी संविदात्मक भंडार उनके या उनके विनिर्माण में आने वाले कच्चे माल के संबंध में सीमा शुल्क की असुविधा के अधिकृत निर्यात पर है, विक्रेता द्वारा वसूले जाने वाले मूल्य सभी अधिकृत सीमा शुल्क असुविधाओं की कमी करने के पश्चात् निवल मूल्य होने चाहिए ।

10.17 संविदात्मक दस्तावेजों/जानकारी का खुलासा न करना

10.17.1 **विनिर्देशों का खुलासा न करना -** क्रेता की लिखित सहमति को छोड़कर, विक्रेता संविदा या उसके किसी प्रावधान, विनिर्देशन, योजना , ड्राइंग, पैंटर्न, सैम्पल या उसकी जानकारी संविदा को पूरा करने में विक्रेता द्वारा नियोजित किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताएगा ।

10.17.2 **गोपनीय रुप में खुलासा-** उपर्युक्त शर्तो के अंतर्गत अनुमत्त किसी व्यक्ति को कोई खुलासा गोपनीय रुप में किया जाएगा और यह केवल उसी सीमा तक किया जाएगा जहां तक संविदा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है ।

10.17.3 **क्रेता द्वारा की गई सूचना का खुलासा न करना -** क्रेता की लिखित सहमति के अलावा, विक्रेता को क्रेता द्वारा दी गई विक्रेता के उद्देश्यों के लिए किसी जानकारी या किसी विनिर्देशनों या उपर्युक्त शर्त में वर्णित अन्य ब्यौरों का प्रयोग वस्तुओं के विनिर्माण करने के उद्देश्य को छोड़कर, नहीं करेगा और विक्रेता ऐसी किसी जानकारी का प्रयोग किसी दूसरे प्रयोजन के लिए एक समान वस्तु या उसके किसी भाग को बनाने के लिए नहीं करेगा ।

10.18 प्रशिक्षण

10.18.1**प्रशिक्षण -** यदि ऐसा आर0एफ0सी0पी0 में सूचित किया गया है, तो क्रेता, गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं के साथ-साथ भारत से प्रशिक्षुओं के अभ्यास प्रशिक्षण के लिए और या भण्डारों के विनिर्माण करने की प्रक्रियाओं पर उनके कार्यशील रोजगार के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा ।

10.19 विधि

10.19.1 **विधि की प्रयोज्यता -** संविदाएं, भारत के कानूनों के अनुसार नियंत्रित और विनिगमित की जाएंगी ।

* * * * *

अध्याय - 11

विदेशी और स्वदेशी फर्मों के साथ मरम्मत कार्य की संविदा

11.1 प्रस्तावना

11.1.1 **स्वदेशी और विदेशी फर्मों के साथ मरम्मत कार्य की संविदा की विलक्षणता** - स्वदेशी/विदेशी फर्मों से मंगाए गए उपकरणों की मरम्मत कार्य के लिए संविदाओं को सामान्यतया ऐसे ही तैयार किया जाएगा और उसी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा जैसा कि स्वदेशी/विदेशी स्रोतों से भंडारों की अधिप्राप्ति के लिए संविदाएं तैयार की जाती हैं । तथापि, कुछ हद तक, मरम्मत कार्य की संविदाएं, अधिप्राप्ति संविदाओं से अलग होती हैं, क्योंकि इनमें अपनी प्रक्रिया से संबंधित कुछ खास विशेषताएं होती हैं और जैसा कि इस अध्याय में बताया गया है, संविदाओं की नियम और शर्तें भी भिन्न हैं ।

11.1.2 **भारतीय फर्मों के साथ मरम्मत संविदाओं पर इस अध्याय का लागू होना** - इस अध्याय के प्रावधान, भारतीय फर्मों के साथ मरम्मत कार्यों की संविदाओं पर भी लागू होंगे ।

11.1.3 **इस अध्याय में प्रयोग शब्दावली -** इस अध्याय में प्रयोग किए गए शब्द 'उपभोक्ता' का अर्थ होगा संविदा पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के माध्यम से 'भारत के राष्ट्रपति' और शब्द 'संविदाकर्त्ता' का अर्थ होगा- संविदा के अनुसार मरम्मत कार्य की जिम्मेदारी लेने वाली फर्म ।

11.2 मरम्मत कार्यों की संविदाओं की प्रक्रिया से संबंधित खास विशेषताएं

11.2.1 **माँग पत्रों को तैयार करना -** मरम्मत कार्य संबंधी मांगपत्र में जो मांगकर्त्ता द्वारा अधिप्राप्ति अभिकरण को भेजा जाना है, उपकरण की विशिष्ट किस्म, गुणवत्ता, मरम्मत की किस्त, पिछली प्रमुख मरम्मत का इतिहास, निर्माता का नाम, समग्र तकनीकी आयु और मरम्मत की अनुमानित लागत का स्पष्ट रुप से उल्लेख होना चाहिए । राशि को खासतौर से निर्धारित किया जाएगा अथवा यदि ऐसा निर्धारण संभव न हो तो सभी संभव स्रोतों से गैर-आवश्यक बजटीय दर के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा जिसमें ओ0ई0एम0 शामिल होगा ।

11.2.2 **विक्रेता का चयन -** मूल उपकरण का निर्माता द्वारा ही मरम्मत कार्य किया जाना चाहिए । यदि मूल उपकरण निर्माता, मरम्मत कार्य करने में असमर्थता दर्शाता है तो ओ0ई0एम0 द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण से संपर्क किया जा सकता है । यदि ओ0ई0एम0 मरम्मत कार्य करने में मुश्किल दर्शाता है और मरम्मत कार्य के लिए ओ0ई0एम0 द्वारा प्राधिकृत कोई अभिकरण नहीं है तो अन्य संभव स्रोतों से संपर्क किया जा सकता है । संविदाकर्त्ता को, उपकरणों के निष्पादन के लिए जिम्मेदार बनाया जाना है । संविदा में उचित पीबीजी और वारंटी, गारंटी का प्रावधान होना चाहिए । स्थानीय मरम्मत कार्य संबंधी निविदाओं के मामलों में, यदि संभव हो तो, सी0एफ0ए0 को प्रदत्त शक्तियों के भीतर, प्रत्यक्ष रुप व्यापार के माध्यम से मरम्मत की जा सकती है ।

11.2.3 **प्रस्ताव के लिए अनुरोध -** प्रस्ताव के लिए अनुरोध को ध्यानपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए तथा इसमें आवश्यक रुप से निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:-

(क) मरम्मत के लिए उपस्कर का विवरण/मदों की पार्ट संख्या

(ख) गुणवत्ता

(ग) उपकरण के उत्पादन का वर्ष

(घ) निर्माता का नाम

(ङ) प्रयोग की अवधि

(च) पूर्व में किए गए प्रमुख मरम्मत-कार्य की संख्या एवं किस्में

(छ) आवश्यक मरम्मत/कार्य का ब्यौरा

(ज) मरम्मत-कार्य के लिए उपकरण की डिलीवरी एवं लक्ष्य को पूरा करने की अनुसूची

(झ) दोषयुक्त उपकरकण के कार्य न करने की किस्म को दर्शाते हुए अतिरिक्त आंकड़े/सामग्री जैसे फोटोग्राफ इत्यादि ।

(ट) कोई अन्य संगत सूचना ।

11.3 मरम्मत कार्य संबंधी संविदा के प्रमुख नियम और शर्त

11.3.1 **सुपुर्दगी की शर्त** - उपकरण की सुपुर्दगी की निम्नलिखित शर्त होंगी जो मरम्मत कार्य संबंधी संविदाओं के लिए विशेष है; जो संविदा और आर0एफ0पी0 में शामिल होगी:-

(क) उपभोक्ता संविदा के हस्ताक्षर करने के 30 दिनों के अंदर संविदाकर्त्ता के मरम्मत करने योग्य उपकरण की सुपुर्दगी करेगा । सुपुर्दगी की अवधि भिन्न हो सकती है परंतु इसे अग्रिम रुप से तय करना होगा और आर0एफ0पी0 में दर्शाना होगा ।

(ख) मरम्मत कार्य के लिए उपकरणों को संविदा में दी गई अवस्था के अनुसार, सभी स्थानांतरणीय और हटाने योग्य इकाईयों/भागों के ब्यौरों के साथ दिया जाएगा ।

(ग) उपकरण" के साथ "उपभोक्ता" तकनीकी प्रलेखन (प्रमाण-पत्र, लॉग-बुक) भेजेगा जिसके अंतर्गत समग्र प्रयोक्ता समय, मरम्मत-कार्य के पश्चात् प्रयोक्ता समय, मरम्मत-कार्यों की संख्या, मरम्मत-कार्य के लिए उपकरण को भेजने के कारण, और साथ-साथ समयबद्ध सर्विसिंग के बारे में भी जानकारी शामिल होनी चाहिए । उपकरण के प्रचालन समय और की कई अनुरक्षण जॉच के ब्यौरे, दस्तावेजों में होने चाहिए ।

(घ) उपभोक्ता मरम्मत-कार्य के लिए ऐसे अपूर्ण या दोषयुक्त उपकरण नहीं भेजे जिसमें उसी संविदाकर्त्ता द्वारा अतिरिक्त मरम्मत-कार्य की आवश्यकता हो और संविदा में इसके लिए पहले से निर्देश न दिए हों ।

(ङ) संविदा की शर्तों के अनुसार यदि वे उपलब्ध हो, उपभोक्ता, उपकरण के साथ पुनर्स्थापन के लिए कलपुर्जे देगा ।

11.3.2 **<u>अनपेक्षित मरम्मत कार्य</u>** - अनपेक्षित मरम्मत कार्यो से संबंधित निम्नलिखित नियम और शर्ते आर0एफ0पी0 संविदा मे शामिल की जाएंगी:-

(क) दोषयुक्त या मरम्मत-कार्य के लिए नहीं है, तो 'संविदाकर्त्ता ,यदि संभव हो, उपकरण के गायब भागों को जोड़ेगा या "उपभोक्ता" के परामर्श से ऐसे उपकरणों जो मरम्मत-कार्य के योग्य नहीं हैं, के भागों को बदल देगा या केवल उपभोक्ता के परामर्श से मरम्मत कार्य के अयोग्य उपकरण के भागो को बदल देगा ।

(ख) "उपभोक्ता" "क्रेता" को नई/परिवर्तित कल-पुर्जों (इकाईयाँ, सब-मोडुल्स, पी सी बी इत्यादि) के लिए अतिरिक्त लागत का भुगतान करेगा । ऐसे कल-पुर्जों की लागत पर संविदा के दोनों पक्षों द्वारा परस्पर सहमति होगी और इसे अतिरिक्त करारनामे मे प्रदर्शित किया जाएगा जिस पर संविदाकर्त्ता को उपकरण सौपने की तारीख के पश्चात 60 दिनों के भीतर उपभोक्ता को हस्ताक्षर करने चाहिए । यदि गायब कल-पुर्जों को लगाने की कोई संभावना नहीं होगी तो इस संबंध में संविदाकर्त्ता, उपभोक्ता को उपकरण की तकनीकी स्थिति के निर्धारण से 30 दिनों के अंदर किंतु मरम्मत-कार्य के लिए उपकरणों की प्राप्ति के पश्चात् 60 दिन के अंदर सूचित करेगा ।

11.4 <u>सुपुर्दगी</u>

11.4.1 **<u>संविदाकर्त्ता को सुपुर्दगी की तिथि</u> -** मरम्मत कार्य के लिए उपकरण की सुपुर्दगी की तारीख, संविदाकर्ता की तारीख, संविदाकर्त्ता और उपभोक्ता के प्रतिनिधियों द्वारा सुपुर्दगी-स्वीकृत रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख है ।

11.4.2 **<u>उपभोक्ता को सुपुर्दगी की तारीख</u>** - मरम्मत कार्य के पश्चात् उपकरण की डिलीवरी की तारीख संविदाकर्त्ता और उपभोक्ता के प्रतिनिधियों सुपुर्दगी-स्वीकृत रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख है ।

11.4.3 **<u>उपभोक्ता को सुपुर्दगी की अवधि</u>** - संविदाकर्त्ता, साखपत्र खोलने की तारीख से अथवा संविदा में दी गई अवधि से 3 माह के भीतर, उपभोक्ता को मरम्मत किए गए उपकरण की सुपुर्दगी करेगा । विदेशी संविदाओं के मामलों में सुपुर्दगी, सामान्यतया सी0आई0पी0/सी0आई0एफ0 भारतीय हवाई अड्डा/पत्तन पर प्रभावी होगी, नहीं तो संविदा में दिए अनुसार प्रभावी होगी ।

11.5 <u>भुगतान की शर्तें</u>

11.5.1 **<u>विदेशी फर्मों के साथ संविदाओं के मामले में</u>** - उपकरण के मरम्मत कार्य के लिए भुगतान, उपभोक्ता द्वारा अपरिवर्तनीय विभाज्य साख-पत्र अथवा मरम्मत की संपूर्ण संविदात्मक लागत के लिए संविदाकर्त्ता के पक्ष में प्रत्यक्ष बैंक अंतरण द्वारा होना चाहिए अथवा ऐसी अन्य राशि (राशियों) को साफतौर से एक मील के पत्थर की तरह चिन्हित किए जाने योग्य सहमति हो जैसा कि संविदा में प्रावधान किया गया है । साखपत्र को, मरम्मत के लिए उपकरण की प्राप्ति के बाद, संविदाकर्त्ता द्वारा संविदा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर खोला जाएगा ।

11.5.2 **<u>भारतीय फर्मों के साथ संविदाओं के मामले में</u>** - भारतीय फर्मों को भुगतान, संबंधित भुगतान प्राधिकरणों के माध्यम से, संविदा की शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

11.6 उपकरणों की मात्रा और संपूर्णता की स्वीकृति

11.6.1 **<u>विदेशी संविदाओं के मामले में</u>** - उपकरणों की मात्रा और संपूर्णता की स्वीकृति उपकरण की गुणवत्ता और संपूर्णता के संबंध में उपभोक्ता द्वारा स्वीकृति और संविदाकर्त्ता द्वारा सुपुर्दगी, तदनुसार पोत-परिवहन दस्तावेजों में निर्दिष्ट उपकरण की गुणवत्ता और संपूर्णता के अनुसार मानी जाएगी ।

11.6.2 **<u>भारतीय संविदाओं के मामले में मात्रा की सहमति और उपकरणों की संपूर्णता</u>** - उपकरण, गुणवत्ता और संपूर्णता के संबंध में उपभोक्ता द्वारा स्वीकृति और संविदाकर्त्ता द्वारा सुपुर्दगी, संविदा के प्रावधानों के अनुसार मानी जाएगी ।

11.7 दावे

11.7.1 **<u>उपभोक्ता का दावा</u>** - यह विशिष्ट रुप से आर0एफ0पी0 में उपलब्ध होना चाहिए और संविदा में शामिल होना चाहिए कि उपभोक्ता का विक्रेता पर निम्नलिखित के लिए दावा करने का अधिकार है:-

(क) **<u>मरम्मत किए गए उपकरण की गुणवत्ता</u>** - संविदा में दिए अनुसार, उपकरण की मरम्मत/ओवरहॉल/भंडार के लिए उपभोक्ता के गुणवत्ता आश्वासन मानदंडों में निर्दिष्ट गुणवत्ता से मेल न होने के मामले में ।

(ख) **<u>मरम्मत किए गए उपकरण की मात्रा</u>** - पैकिंग सूची (पैकिंग के अंदर कम मात्रा) में दी गई मात्रा के अनुरुप न पाए जाने की शर्त पर कि निर्धारित स्थान पर क्षति रहित पैकिंग में पहुंचे मरम्मत हुए उपकरण के मामलों में अथवा यदि इस संबंध में भेजने वाले की जिम्मेदारी निर्दिष्ट/उपलब्ध नहीं की गई है ।

11.7.2 **<u>दावे में दिए दर्ज करने की अवधि</u>** - मरमम्त किए गए उपकरण की गुणवत्ता और मात्रा में कमी के दावों (संविदाकर्त्ता के प्रमाणित हुई चूक के मामले में) अंतिम परेषिति द्वारा मरम्मत हुए उपकरण की प्राप्ति की तिथि से सड़क मार्ग (भारतीय संविदाकर्त्ता के साथ मरम्मत संबंधी संविदाओं के मामले में), वायु अथवा समुद्र के माध्यम से, सुपुर्दगियों के अनुसार क्रमश: 60, 90 और 120 क्रमबद्ध दिवसों के पश्चात दर्ज नहीं किए जा सकते ।

11.7.3 **<u>दावे में दिए जाने वाले विवरण</u>** - दावे में, दोषपूर्ण मरम्मत किए जाने वाले उपकरण की मात्रा और विवरण, दावे का विषय और कारण का उल्लेख किया जाएगा ।

11.8 गारंटी

11.8.1 **तकनीकी अवधि, खराब होने आदि से संबंधित गारंटियाँ** - मरम्मत किए जाने वाले उपकरण की गारंटी से संबंधित निम्नलिखित शर्तों को संविदा में और आर0एफ0पी0 में शामिल किया जाएगा:-

(क) मरम्मत किए जाने वाले उपकरण की तकनीकी अवधि का, संविदाकर्त्ता द्वारा उपभोक्ता को प्रस्तुत पासपोर्ट, लॉगबुक एवं अन्य तकनीकी दस्तावेजों में उल्लेख किया जाएगा ।

(ख) सभी ऐसी खराबियों और दोषों को जो उपभोक्ता के बिना किसी गलती के वारंटी अवधि में होते हैं, संविदाकर्त्ता द्वारा सभी प्रकार के व्ययों को वहन करते हुए 90 दिनों के अंदर दूर किया जाएगा।

11.8.2 **वारंटी/गारंटी अवधि का उल्लेख -** मरम्मत कार्य की संविदा और आर0एफ0पी0में मरम्मत की गई/पुन:स्थापित पार्ट की वारंटी/गांरटी का विशेष उल्लेख किया जाए ।

* * * * *

अध्याय - 12

बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट (अधिकार पत्र)

12.1 सामान्य

12.1.1 **आयात विनियम** - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा आयात को नियमित किया जाता है । अधिकृत डीलर, आयात करते समय यह सुनिश्चित करें कि भारत में आयात लागू विदेश व्यापार नीति (डीजीएफटी द्वारा सोची और बनाई गई) और अधिसूचित और अधिसूचना सं0 जी एस आर 381(अ) दिनांक 3 मई, 2000 के तहत भारत सरकार द्वारा तैयार की गई विदेश विनिमय प्रबंधन (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 के अनुसरण में हो और समय-समय पर विदेश विनिमय प्रबंधन अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुरुप हो ।

12.1.2 **डाक्यूमेंटी क्रेडिट के लिए एक समान सीमा शुल्क और पद्धतियां** - आयातकर्त्ताओं को सामान्य बैकिंग प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिए और भारत में आयात के लिए साख-पत्र खोलते समय डाक्यूमेंट्री क्रेडिट के लिए एक समान सीमा शुल्क और पद्धतियों के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए।

12.2 साख-पत्र (एल सी) और उन्हें उपयोग में लाने के कारण

12.2.1 **साख पत्र (एलसी) और उन्हें उपयोग में लाने के कारण** - साख-पत्र एक लिखित समझौता है जो ग्राहक (आवेदक) के अनुरोध पर क्रेता के बैंक (जारी करने वाले बैंक) द्वारा दिया जाता है। विक्रेता के देश में साख पत्र भारतीय स्टेट बैंक के साथ-साथ 27 सरकारी बैंकों से ली जा सकती है। ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान एलसी केवल भारतीय स्टेट बैंक और, बैंक आफ बड़ौदा, और केनरा बैंक के माध्यम से ही खोली जा सकती है । एलसी का प्रारुप, फार्म डीपीएम-12 में दिया गया है।

12.2.2 साख-पत्र (एल सी) प्रयोग करने के कारण - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्रेता और विक्रेता अलग-अलग देश में होने के कारण एक दूसरे को अच्छी तरह जानते नहीं हैं । दोनों देश में भिन्न-भिन्न कानूनी पद्धति, करेन्सी (मुद्रा), व्यापार और विनिमय होते हैं। इस तथ्य के कारण क्रेता और विक्रेता दोनों को कुछ शर्तो को पूरा करना पड़ता है, जो उनकी अपेक्षाओं के अनुरुप हो जो क्रमश: भुगतान और माल जारी करने से पूर्व हो । क्रेता और विक्रेता निम्नलिखित चाहते हैं:-

(क) विक्रेता की अपेक्षा होंगी:-

- (i) जैसे ही वह माल भेजता है, भुगतान किया जाए ।
- (ii) एक आश्वासन कि उसे क्रेता द्वारा भुगतान किया जाएगा अथवा संविदात्मक दायित्वों के अनुसार उसके बैंक द्वारा किया जाएगा ।
- (iii) उसके अपने ही देश में भुगतान प्राप्त करने की सुविधा ।

(ख) क्रेता की अपेक्षा कि:-

(i) विक्रेता द्वारा माल भेजे जाने के बाद ही भुगतान करना ।

(ii) आश्वासन कि विक्रेता आर्डर दिए गए माल भेजेगा और समय पर उसे सुपुर्दगी कर देगा ।

12.3 साख पत्रों के फार्म

12.3.1 **साख-पत्रों के मूल रुप** - रक्षा विभाग में लागू साख-पत्रों के मूल रुप निम्न प्रकार से बनाए गए हैं:-

(क) प्रतिसंहरणीय साख-पत्र

(ख) अप्रतिसंहरणीय साख-पत्र

(ग) सुनिश्चित साख-पत्र

(घ) चक्रवत्त साख-पत्र

12.3.2 **प्रतिसंहरणीय साख पत्र** - प्रतिसंहरणीय साख पत्र वह है जिनसे लाभार्थी को पूर्व सूचना के बगैर किसी समय जारी किए जाने वाले बैंक द्वारा संशोधित अथवा निरस्त किया जा सकता है । अत: इस प्रकार का साख-पत्र लाभार्थी को सुरक्षा का पूरा भाव नहीं देता है । तथापि, सलाहकार बैंक द्वारा ऐसे नोटिस प्राप्त होने पर ही संशोधित अथवा निरस्तीकरण के नोटिस प्रभावी होते हैं । यदि परामर्शदाता बैंक दस्तावेजों के लिए (अर्थात-भुगतान, समझौता या स्वीकार्यता) की देयता लेता है, जो इसके सामने अंकित है, नोटिस के संशोधन/निरस्तीकरण से पूर्व क्रेडिट की नियमों और शर्तो के अनुरुप हो, तब जारी करने वाला बैंक, परामर्शदाता बैंक को प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है । यदि साख-पत्र इस संबंध में कुछ इंगित नहीं करता है कि वह प्रतिसंहरणीय/अप्रतिसंहरणीय है, तो इस क्रेडिट को अप्रतिसंहरणीय समझा जाता है ।

12.3.3 **अप्रतिसंहरणीय साख-पत्र -** जब जारी करने वाला बैंक अपने दायित्वों को मानने के लिए सुनिश्चितता, सटीक और अप्रतिसंहरणीय वचन देता है बशर्ते लाभार्थी सभी नियमों और शर्तो का अनुपालन करता है, ऐसी क्रेडिट को अप्रतिसंहरणीय साख-पत्र कहा जाता है । इसका आशय है कि साख-पत्र संबंधित पार्टी की राय के बगैर संशोधित, निरस्त या प्रतिसंहरण नहीं किया जा सकता है । यह लाभार्थी को सुनश्चित संरक्षण प्रदान करता है ।

12.3.4 **सुनिश्चित साख पत्र -** सुनिश्चित साख पत्र वह है जिसमें लाभार्थी के देश में अन्य बैंक, जारी करने वाले बैंक के अनुरोध पर अपनी पुष्टि देते है । पुष्टि करने वाले बैंक का यह भुगतान करने/समझौता/स्वीकार करने का वचन देता है जो जारी करने वाले बैंक के वचन के अतिरिक्त है । यह लाभार्थी के लिए एक और संरक्षण है । इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि यह राष्ट्रीयकृत बैंकों की साख को कम करके आंकता है ।

12.3.5 **चक्रवत्त साख - पत्र -** इस प्रकार की क्रेडिट में प्रयोग करने के बाद वह राशि मूल राशि में जोड़ दी जाती है । ऐसी क्रेडिट का प्रयोग तब किया जाता है, जब क्रेता को लम्बी अवधि के लिए किसी विशेष अंतराल पर माल का आंशिक प्रेषण प्राप्त करना होता है । यह चक्रवृद्धि अथवा गैर-चक्रवृद्धि प्रकृति का हो सकता है । इससे प्रत्येक माल के लिए साख - पत्र का खोला जाना बच सकता है ।

12.3.6 **विभाज्य और अविभाज्य साखपत्र** - उक्त साख पत्र विभाज्य या अविभाज्य हो सकता है । विभाज्य साख पत्र तब खोला जाता है जब एक से अधिक लाभार्थी अनुमत्य हो और माल के अनुसार भुगतान किया जाना हो ।

12.4 साख पत्र खोलने की प्रक्रिया और साख पत्र की कार्यप्रणाली

12.4.1 साख - पत्र खोलना - साख-पत्र खोलने की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्न प्रकार के स्तर शामिल होते हैं:-

(क) स्तर-1 आपूर्तिकर्त्ता से सूचना और पी बी जी प्राप्ति । आपूर्तिकर्त्ता से संविदात्मक शर्तों के अनुसार, संविदा निष्पादन प्राधिकरण द्वारा प्रेषण के लिए तैयार वस्तुओं के संबंध में।

(ख) स्तर-2 संविदा निष्पादन प्राधिकरण, उचित प्राधिकरण से एफ0एफ0ई0 का निर्गमन चाहता है।

(ग) स्तर-3 एफएफई के निर्गमन पर संविदा निष्पादन को संबंधित प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियत्रक को भेजता है, जो सटीकता के लिए सभी ब्यौरों की उचित जाँच पड़ताल के बाद बैंक को साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकृत करता है । बैंक साख-पत्र स्थापित करता है और रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक को सूचित करता है और निष्पादन प्राधिकारी को सम्पर्क करता है । बैंक साख पत्र स्थापित करता है और संबंधित प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक को और संविदा निष्पादन प्राधिकारी को सूचित करता है ।

12.4.2 **साख-पत्र के माध्यम से भुगतान** - साख-पत्र तंत्र निम्न प्रकार कार्य करता है:-

(क) क्रेता साख-पत्र खोलने के लिए जारीकर्त्ता बैंक से अनुरोध करता है ।

(ख) जारीकर्त्ता बैंक परामर्शदाता बैंक के माध्यम से साख-पत्र बनाता है ।

(ग) परामर्शी बैंक लाभार्थी को क्रेडिट का परामर्श देता है ।

(घ) लाभार्थी निर्धारित दस्तावेजों के स्थान पर नियमों और शर्तों के साथ अनुपालन करने के बाद आए तो परामर्शी बैंक से या नामजद बैंक से साख-पत्र के नियमों के अनुसार मूल्य प्राप्त करता है।

(ङ) मूल्य पारित होने के बाद, समझौता करने वाला परामर्शदाता बैंक, जारीकर्त्ता बैंक अथवा नामजद बैंक से साखपत्र के नियमों के अनुसार प्रतिपूर्ति के दावे कर सकता है ।

(च) अंततोगत्वा, जारीकर्त्ता प्रार्थी से राशि वसूल करता है । जारीकर्त्ता बैंक की यह निश्चित वचनबद्धता है कि वह समझौता करने वाले परामर्शदाता बैंक को प्रतिपूर्ति करे चाहे प्रार्थी समझौते का मूल्य देता है या नहीं ।

12.5 साख - पत्र के आवश्यक तत्व

12.5.1 **साख -** पत्र का प्रारुप डीपीएम फार्म-12 में दिया गया है । साख पत्र खोलते समय निम्नलिखित तत्वों को स्पष्ट रुप से निर्धारित किया जाना है:-

(क) साख-पत्र का प्रकार

(ख) प्रार्थी और लाभार्थी का नाम और पता

(ग) क्रेडिट और मुद्रा की राशि

(घ) साख-पत्र की वैधता

(ङ) अद्यतन भेजने की तारीख (संविदा के अनुसार डिलीवरी की तारीख)

(च) डिलीवरी का आधार (एफ ओ बी/एफ सी ए/सी आई पी/सी आई एफ)

(छ) संविदा संख्या और तारीख

(ज) शिपमेंट ------से ----------- तक

(झ) प्रेषिति और अंतिम प्रेषिति

(ञ) आंशिक प्रेषण अनुमत्य/अनुमत्य नहीं

(ट) साख-पत्र के भुगतान जारी करने के लिए लाभार्थी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ।

(ठ) एल डी धारा

(ड) कोई अन्य विशेष निर्देश

12.6 विक्रेता द्वारा दिए जाने वाले दस्तावेज

12.6.1 **विक्रेता द्वारा दिए जाने वाले दस्तावेज -** आपूर्तिकर्त्ता द्वारा संविदा की शर्तों के अनुसार माल प्रेषण के रुप में भुगतान किए गए शिपिंग दस्तावेज, परामर्शदाता बैंक को प्रदान किए जाने हैं ताकि वह साख पत्र के तहत अपना भुगतान प्राप्त कर सके । संविदा में दिए अनुसार परामर्शदाता बैंक, इन दस्तावेजों के एक-एक सैट को जारीकर्त्ता बैंक और लैंडिंग अधिकारी को भेजता है ताकि पोर्ट/हवाई-अड्डे से वस्तुओं/भंडारों को प्राप्त कर सकें । इन दस्तावेजों में, जिनके ब्यौरे संविदा में निर्दिष्ट होने चाहिए, शामिल हैं:-

दस्तावेजों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) बोर्ड एयर वे बिल/लादान बिल

(ख) मूल बीजक

(ग) पैंकिंग सूची

(घ) विक्रेता के वाणिज्य चैम्बर से जारी करने का प्रमाण

(ङ) गुणवत्ता का प्रमाण और ओ ई एम से चालू विनिर्माण

(च) घातक कार्गो प्रमाण पत्र, यदि कोई हो ।

(छ) यदि सी आई एफ/ सी आई पी अनुबंध हो 110% की बीमा पॉलिसी ।

(ज) क्रेता और विक्रेता की क्यू ए विभाग द्वारा हस्तांतरित पी डी आई में अनुपालन और स्वीकार्यता जाँच प्रमाण ।

(झ) फाइटो-सेनिटेरी/फ्यूमिगेशन प्रमाण, यदि लागू हों तो ।

(ञ) निष्पादन बॉण्ड/वारण्टी प्रमाण

(ट) आपूर्तिकर्त्ता के प्रमाणित हस्ताक्षर अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि बैंक में उपलब्ध होने चाहिए और साखपत्र का भुगतान करने से पहले बैंक द्वारा उनका सत्यापन किया जाना चाहिए ।

12.7 साख पत्र का विस्तार

12.7.1 **जाँच किए जाने वाले बिंदु** - साख-पत्र के विस्तार के लिए मामला शुरु करने से पूर्व संविदा निष्पादन प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित मुद्दों की जाँच की जानी चाहिए:-

(क) शिपमेंट की अद्यतन तारीख के लिए साख-पत्र में तदनुरुपी संशोधन में डिलीवरी तारीख का बढ़ाया जाना ।

(ख) बैंक गारंटी (पी बी जी). निष्पादन का विस्तार ।

(ग) साख-पत्र विस्तार के लिए प्रभारों का दायित्व ।

12.7.2 **अपेक्षित अनुमोदन** - साख पत्र का केवल आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से ही विस्तार किया जा सकता है, जहां साखपत्र मूल रुप से एकीकृत वित्त की सहमति से और सी0एफ0ए0के अनुमोदन से खोली गई थी ।

12.8 प्रत्यक्ष बैंक अंतरण

12.8.1 प्रत्यक्ष बैंक अंतरण (डीबीटी) - ट्रान्सफर योग्य क्रेडिट वह क्रेडिट है जिसके अंतर्गत भुगतान के लिए अधिकृत बेंक से लाभार्थी अनुरोध करें, अस्थगित भुगतान करे, स्वीकार या समझौता करे या स्वतंत्र समझौते वाली क्रेडिट के मामले में बैंक विशिष्ट रुप में क्रेडिट में अधिकृत है । एक या अधिक लाभार्थी को आंशिक रुप में या पूर्णत: क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए बैंक को अंतरित करने के लिए अनुरोध करें । प्रत्यक्ष बैंक ट्रान्सफर पार्टियों के मध्य उच्च विश्वसनीयता दर्शाता है । क्रेता सुनिश्चित करता है कि पैरा 12.6.1 में दिए गए दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद ही भुगतान हो और आपूर्तिकर्त्ता पुष्टि करे कि भंडारों के प्रेषण के तुरंत बाद, पोर्ट प्रेषिति को दस्तावेजों का एक सैट भेज दिया गया है ।

12.8.2 **प्रधान नियंत्रक/नियंत्रक को सुझाव** - उपर्युक्त दस्तावेज प्राप्त करने के बाद, जिसके ब्यौरे संविदा में दिए जाने चाहिए, संविदा निष्पादन प्राधिकरण, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/नियंत्रक को प्रत्यक्ष बैंक अंतरण के लिए सुझाव देता है । इसके बदले में संबंधित प्रधान नियंत्रक/नियंत्रक, विक्रेता के बैंक खाते में निधियों को सीधे अंतरण करने के लिए अधिकृत करता है ।

12.8.3 **डीबीटी के लाभ -** साख पत्रों के माध्यम से भुगतान की तुलना में डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने में निम्नलिखित लाभ हैं-

(क) माल प्राप्त करने के बाद ही भुगतान जारी

(ख) गुणवत्ता, मात्रा आदि से पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही भुगतान किया जाना

(ग) साख-पत्रों की तुलना में लागत प्रभावी - कम खर्चीला

12.8.4 **1,00,000 अमरीकी डॉलर से कम की संविदा के लिए डीबीटी** - 1,00,000 अमरीकी डॉलर से कम की संविदा के लिए, डीबीटी भुगतान की शर्तों पर संविदा निष्पादन के समय जोर दिया जाना चाहिए।

12.9 सुपुर्दगी अनुसूची

12.9.1 **वस्तुओं की सुपुर्दगी** - साख-पत्र और डी बी टी भुगतान की शर्तों के मामले में, वस्तुओं की सुपुर्दगी की सामान्य अनुसूची निम्न प्रकार होनी चाहिए:-

(क) **साख पत्र भुगतान** - अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से छ: माह जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना और विक्रेता द्वारा साख-पत्र खोलने के लिए तैयारी की अधिसूचना देना - 45 दिन

(ii) विदेश मुद्रा रिलीज प्राप्त करना और क्रेता द्वारा प्रधान नियंत्रक/नियंत्रक के माध्यम से साख-पत्र का खोला जाना - 45 दिन

(iii) सुपुर्दगी अवधि वैधता अवधि - 90 दिन । साख-पत्र डिलीवरी अवधि समाप्त होने के तीन माह पूर्व साख-पत्र खोले जाएंगे ।

प्रापण के तहत स्पेयर के मामले पर्याप्त मात्रा में हैं अथवा उनकी तकनीकी उत्पादन चक्र आर एफ पी में विक्रेता द्वारा निर्धारित अवधि में साख-पत्र एक तिमाही से अधिक खोले जाएंगे जैसा कि संविदा की शर्तों में दिया गया है ।

(ख) **डी बी टी भुगतान** - संविदा हस्ताक्षरित होने के तीन माह के अंदर

12.10 बैंक गांरटी निष्पादन (पी बी जी)

12.10.1 **परिभाषा -** पीबीजी, आपूर्तिकर्ता से गारंटी के रुप में उसके बैंक द्वारा ली गई एक लिखित शपथ है कि वह संविदा के वादे/नियमों और शर्तों को पूरा करेगा और विफलता के मामले में आपूर्तिकर्ता की देयता सुनिश्चित करेगा । बैंक गारंटी निष्पादन के दिशा-निर्देश और प्रारुप क्रमश: डीपीएम फार्म-14 और डीपीएम फार्म-15 में दिए गए हैं:-

12.10.2 **बैंक निष्पादन गारण्टी के आवश्यक तत्व** - पी बी जी के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं:-

(क) राशि

(ख) लाभार्थी, प्रार्थी और बैंक का पता

(ग) वैधता की तारीख

(घ) अनुबंध संख्या और तारीख

12.11 गारंटियां

12.11.1 **गारंटी की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:**

(क) गांरटी की प्रकृति सटीक होती हैं और अनुबंध के लिए स्वतंत्र होती हैं ।

(ख) गारंटी निष्पादन न करने के लिए और भुगतान के दायित्व को बताती हैं ।

(ग) गारंटी शर्त रहित और बगैर आपत्ति के वैध दावे के लिए भुगतान सूचित करती है ।

(घ) गारंटी निर्धारित राशि और अवधि के लिए सूचित करती है ।

(ङ) गांरटी आवेदक की और से मैचिंग प्रति गारंटी के विरुद्ध जारी होती हैं ।

12.11.2 **गारंटी लागू करना-** निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के बाद ही गारंटी लागू की जा सकती है:-

(क) समापन तारीख को या उनके पहले, दावे/सूचना जारीकर्त्ता बैंक को पहुंच जाने चाहिए।

(ख) दावे/सूचना को गारंटी की शर्तों के बिल्कुल अनुरुप होना चाहिए ।

(ग) जारीकर्त्ता बैंक, दावेदार की मैरिट के बारे में पूछताछ नहीं कर सकता अथवा लाभार्थी के बीच हुए किसी विवाद पर विचार व्यक्त नहीं कर सकता ।

(घ) गारंटी की शर्तों के पूरा होने पर, अनुपालन भुगतान तत्काल और बिना शर्त प्रभावी होगा ।

12.12 विभिन्न प्रकार की गारंटियों की पुष्टि

12.12.1 **गारंटियों की पुष्टि -** स्वदेशी और विदेशी विक्रेता के लिए बैंक निष्पादन गारंटी/अग्रिम बैंक गारंटी/वारंटी बांड की पुष्टि, निम्नानुसार की जानी चाहिए:-

(क) **स्वदेशी विक्रेता -**सरकारी कामकाज करने के लिए, विधिवत् रुप से प्राधिकृत किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों अथवा निजी बैंकों द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी स्वीकार होगी ।

(ख) **विदेशी विक्रेता -** यह निर्णय लेने से पूर्व कि क्या ऐसी पीबीजी की, सरकारी कामकाज करने के विधिवत रुप से प्राधिकृत किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या निजी बैंक द्वारा पुष्टि की गई है । इस बारे में भारतीय स्टेट बैंक का परामर्श लेना चाहिए कि क्या अग्रिम के लिए बैंक गारंटी देने वाले विदेशी बैंक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रथम श्रेणी का बैंक है ।

* वर्तमान में, सरकारी कामकाज करने के लिए आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड, एक्सिज़ बैंक लिमिटेड और एच0डी0एफ0सी0 बैंक लिमिटेड प्राधिकृत हैं । आई0डी0बी0आई0 बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में बदल दिया गया है ।

* * * * *

अध्याय - 13

दरों का मूल्यांकन और मूल्य उपयुक्तता

13.1 भूमिका

13.1.1 **लागत अनुमान** - सी0एफ0ए0 निर्धारित करने के लिए और आपूर्तिकर्त्ता से प्राप्त प्रस्तावों की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए मूल्यों/लागत का सही अनुमान लगाना आवश्यक है । अत: यह महत्वपूर्ण है कि मूल्य/लागत, विद्यमान बाजार मूल्यों, अंतिम खरीद मूल्य, कच्ची सामग्री/श्रम के लिए आर्थिक सूचीपत्र, अन्य निर्दिष्ट लागतों पर वास्तविक, उद्देश्यात्मक और व्यावसायिक तरीके से प्रयोग हों सर्वोत्तम प्रस्ताव का चयन करने के लिए, आरएफपी के प्रत्युत्तर में प्राप्त दरों/प्रस्तावों का सही रुप से मूल्यांकन और कीमत उपयुक्तता के निर्धारण हेतु दिशा-निर्देश दिए हुए हैं:-

13.2 अधिप्राप्ति प्रस्तावों की लागत निर्धारण

13.2.1 **लागत निर्धारण की आवश्यकता** - प्रथम स्तर, जहां लागत निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है, जब अधिप्राप्ति अभिकरण द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है । आशा किए गए नकदी बहिर्गमन हेतु निधियों की उपलब्धता और वह स्तर जहां इसे अनुमोदित करने की आवश्यकता है, को निर्धारित करने के लिए अधिप्राप्ति प्रस्ताव को पूर्व लागत पर कार्य करने की आवश्यकता है । अत: यह आवश्यक है कि लागत का वास्तविक और समझदारी से मूल्यांकन किया जाए । ये सभी जिसमें निर्धारण लागत शमिल हैं, सीएफए के निर्धारण के लिए आधार होना चाहिए ।

13.2.2 **लागत निर्धारण का आधार** - अधिप्राप्ति प्रस्ताव की लागत का, अंतिम खरीद मूल्य (एलपीपी), व्यावसायिक अधिकारियों का मूल्यांकन(पीओवी) एक या अधिक क्रेताओं से प्राप्त बजटीय दरों (बीक्यू), बाजार सर्वेक्षण (एमएस) अथवा किसी विशेष खरीद प्रस्ताव के संदर्भ में उपयुक्त किसी अन्य तरीके के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है । ये तरीके परस्पर सम्मिलित नहीं है । लागत निर्धारण के तरीके को, सीएफए से अनुमोदन लेते समय, अच्छी तरह से रिकार्ड किया जाना चाहिए ।

13.2.3 **आई0एन0आर0 में उपयोग होने वाली लागत** - जहां लागू हो, मूल्यांकित लागत को भारतीय रुपयों (आई0एन0आर0) के सामान्य मूल्यवर्ग में परिवर्तित किया जाना चाहिए और सफएफए से अनुमोदन लेते समय विदेशी मुद्रा और आईएनआर दोनों में दर्शाना चाहिए । विनिमय दर, कीमत की बोलियां खोलने वाली तारीख के अनुसार स्वीकार करनी चाहिए । परिवर्तित करने के कारण स्पष्ट रुप से दर्शाने चाहिए । परिवर्तन का तरीका इस अध्याय में दिया गया है ।

13.3 दरों का मूल्यांकन

13.3.1 **प्रस्ताव की वित्तीय विविक्षा का मूल्यांकन** -सीएफए के द्वारा प्राप्त अनुमोदन के अनुसार, जब मूल्यांकित लागत के आधार पर आरएफपी जारी किया जाता है, इस प्रक्रिया में दूसरा महत्वपूर्ण स्तर वह है जहां आरएफपी के प्रत्युत्तर में प्राप्त बोलियां, प्रत्येक प्रस्ताव की समाप्त वित्तीय विवक्षा और उपयुक्तता के प्रयोग के लिए मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है । मूल्य की उपयुक्तता अथवा अन्यथा के संबंध में

निर्णय पर पहुंचने में पहला कदम, प्रस्ताव की वास्तविक लागत जानना है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी प्रस्ताव तुलनात्मक और उचित रुप में हैं, और विक्रेताओं को उचित क्षेत्र प्रदान किया गया है, लागत के सभी तत्वों, जिनमें वित्तीय विवक्षाओं की नियम और शर्तें शामिल हैं, ध्यान में रखा जाता है । इस उद्देश्य के लिए अपनाई गई कसौटी को आरएफपी में दर्शाया जाना चाहिए और दरों को इन कसौटियों के अनुरुप श्रेणी दी जानी चाहिए । चिकित्सीय उपकरणों के मामले में, जहां इनके लिए वारंटी/गारंटी उपलब्ध है, फर्म इनकी वारंटी/गारंटी की समाप्ति पर 5 वर्ष के लिए एएमसी दरों की बोली के लिए पूछ सकती है और इनका सीएसटी में लदान किया जा सकता है तथा एल-1 विक्रेता निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जा सकता है । तथापि, ऐसे मामलों में इस मूल्यांकन कसौटी को आरएफपी में स्पष्ट रुप से दर्शाया जाना चाहिए ।

13.3.2 **लागत की तुलना करने के आधार -** विभिन्न परिस्थितियों में लागत की तुलना करने के निम्नलिखित आधार है:-

(क) जब प्रतिस्पर्धा केवल भारतीय आपूर्तिकर्त्ता के बीच में हो, कोटेशन की 'ए' रैंकिंग का आधार, एफओआर गंतव्य पर पहुंचाने का मूल्य (प्रेषिति का स्थान) होना चाहिए ।

(ख) यदि प्रतियोगिता विदेशी आपूर्तिकर्त्ता बीच में हो, तो तुलना का आधार केवल गंतव्य पर पहुंचाने की कीमत होनी चाहिए ।

(ग) जब, स्वदेशी और विदेशी आपूर्तिकर्त्ता के बीच में प्रतियोगिता हो, विदेशी आपूर्तिकर्त्ता द्वारा दी गई मूल लागत (सीआईएफ) की, उत्पादन शुल्क (ईडी), केन्द्रीय बिकी कर/वैट और अन्य स्थानीय टैक्स और उगाही को समाप्त करने के बाद स्वदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा दी गई मूल लागत से तुलना होनी चाहिए । 'स्वदेशी आपूर्तिकर्त्ता' में रक्षा पीएसयू और भारतीय आयुध निर्माणियों (ओएफ) शामिल होंगी ।

13.3.3 **सी0आई0एफ0 लागत का निर्धारण** - जब विदेशी विक्रेताओं की कोटेशन को, स्वदेशी आपूतिकर्त्ता की कोटेशन से तुलना किया जाता हे तो विदेशी आपूतिकर्त्ता की सीआईएफ लागत को ध्यान में रखा जाता है परंतु समस्या तभी आती है जब एफओवी/एफसीए लागत, विदेशी आपूर्तिकर्त्ता द्वारा दर्शायी जाती है । ऐसे मामलों में, सीआईएफ मूल्य प्राप्त करने के लिए कोई भी मानक फार्मूला नहीं है । यह वांछनीय नहीं होगा कि सीआईएफ लगात प्राप्त करने के लिए, एफओवी/एफसीए लागत के प्रतिशत के रुप में एक मनगढंत अतिरिक्त लागत को जोड़ा जाए । इस तरह की परिस्थिति से वचने के लिए आरएफपी में स्पष्ट रुप से दर्शाया जाना चाहिए कि विदेशी विक्रेता सीआईएफ लागत को बताएं ।

13.3.4 **निविदाओं का तुलनात्मक ब्यौरा -** सभी स्वीकृत निविदाओं की प्राप्ति पर, अधिप्राप्ति अभिकरण को निविदाओं के तुलनात्मक विवरण (सीएसटी) के रुप में जोड़ना चाहिए । सीएसटी में दर्शाए विदेशी मुद्रा में दिए गए मूल्य, आईएनआर में परिवर्तित होना चाहिए । विदेशी मुद्रा की, आईएनआर में परिवर्तित करने की दर को, मूल्य बोली को खोलने की वर्तमान तिथि को ध्यान में रखकर निविदा मूल्य को आईएनआर में परिवर्तित किया जा सकता है । दर को भारतीय स्टेट बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली से प्राप्त किया जा सकता है । सीएसटी सुविस्तृत होना चाहिए और निविदाओं में दिए गए सभी ब्यौरों को शामिल करना चाहिए । निविदा दस्तावेजों के विचलन, सीएसटी में लाना चाहिए । एलपीपी जहां कहीं उपलब्ध हो,

प्रस्तावित कीमतों की सही तुलना के लिए सीएसटी में दर्शाया जाना चाहिए । क्रय अधिकारी सीएसीटी पर हस्ताक्षर करेंगे और मूल निविदाओं, मांग पत्र और अन्य सहायक दस्तावेजों के संबंध में आंतरिक वित्तीय सलाहकार/आंतरिक वित्तीय सलाहकारों के प्रतिनिधियों द्वारा पुनरीक्षण और प्रति हस्ताक्षर करेंगे जहां वित्तीय शक्तियाँ एकीकृत वित्त की सहमति से प्रयोग में लाई जाती हैं ।

13.3.5 **निम्नतम स्वीकार्य प्रस्ताव का निर्धारण** - फाइल पर क्या किया जाएगा यह तुलनात्मक ब्यौरे, गणनाओं की जाँच, परिसर जहां निविदाओं के तुलनात्मक ब्यौरे तैयार किए गए और प्रथम दृष्टि में एल-1 प्रस्ताव के निर्धारण की तैयारी है । तथापि, वह केवल सीएनसी होगा जो अंत में निम्नतम स्वीकार्य प्रस्ताव (एल-1विक्रेता) का निर्धारण करेगा ।

13.3.6 **समझौते और निर्देश चिह्न** - बहु-विक्रेता मामलों में, जब एल-1 विक्रेता को चुना जा चुका हो, व्यावसायिक प्रस्तावों को खोलने पर, संविदा उसके साथ ही पूरी की जाए और आगे किसी प्रकार से मूल्य पर समझौता करने की आवश्यकता नहीं होगी । तथापि, विशिष्ट परिस्थितियों में समझौते किए जा सकते हैं जहां तर्कसंगत वैध कारण हों और ऐसे समझौते केवल एल-1 के साथ ही किए जाने चाहिए । विशिष्ट अवस्थाएं जिनमें, मालिकाना वस्तुओं की अधिप्राप्ति, आपूर्ति के सीमित संसाधनों वाली वस्तुएं, वस्तुएं जहां कारटेल निर्माण का संशय हो, शामिल हों, ऐसे समझौतों के बयौरे और औचित्य बिना विलंब के विधिवत रुप से रिकार्ड किया जाना चाहिए और तर्कपूर्ण कारणों को, समझौते की सिफारिश करने वाले प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड किए जाने चाहिए । सीएनसी/एकल निविदा के मामलों में, समझौते सीएनसी/पीएनसी के माध्यम से किए जाएं जिनमें पीएसी मामले शामिल हैं । बहु-विक्रेता मामलों में भी समझौते किए जा सकते हैं, जहां निर्धारित उचित मूल्य के संबंध में, प्रस्तावित मूल्य को उच्च समझा जाता है । प्रत्येक मामले में, सीएनसी/पीएनसी, एल-1 बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित मूल्य की उपयुक्तता तर्कपूर्णता के संबंध में दी गई सिफारिशों और विस्तृत के साथ समझौते अथवा अन्य की आवश्यकता को रिकार्ड करेगा । टीपीसी/सीएनसी/पीएनसी की सिफारिशों के आधार पर, एकीकृत वित्त की सलाह से और सीएफए के अनुमोदन से समझौता किया जा सकता है । ऐसे मामलों में जहां, पुनर्निविदा के लिए निर्णय लेना हो, परंतु अपेक्षाएं तुरंत हो, तो दिनांक 3 मार्च, 2006 के सीवीसी अनुदेशों के पैरा 3 के अनुसार, निम्नतम मात्रा की आपूर्ति के लिए एल-1 बोलीदाताओं से समझौते किए जा सकते हैं (नियम पुस्तिका में पुन: प्रकाशित नहीं किया गया है) ।

13.3.7 **निर्देश चिह्न** - समझौता करने से पहले, (जहां आवश्यक समझा जाए) अनुमानित उचित दर अथवा बैंचमार्क का आकलन करना ठीक होगा ताकि उपलब्ध सूचना के आधार पर एल-1 प्रस्ताव की स्वीकार्यता की जाँच की जा सके । विभिन्न संभावित स्थितियों में उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण नीचे दिया गया है:-

13.4 प्रतियोगी निविदा में मूल्य की उपयुक्तता

13.4.1 **मूल्यों की उपयुक्तता निर्धारित करना -** प्रतियोगी निविदा में जहां दो या अधिक वेंडर अनुबंध प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रुप से प्रतियोगिता कर रहे हों, प्रतियोगी बोलियां कीमत निर्धारण का आधार बनती हैं । निष्पादिक अनुबंध के आधार पर, लागत तैयार डाटाबेस बाजार के माध्यम से उत्पादों की उपलब्ध कीमतों का प्रयोग प्रस्तावित कीमत की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाना चाहिए ।

(क) उपभोक्ता की निर्णायक लागत के आधार पर निविदाओं का मूल्यांकन किया जाता है ।

(ख) सामान्य सिद्धांत के अनुसार, किसी अनिश्चित या असंख्य देयता या असामान्य विशेषता की शर्त वाले किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाना चाहिए ।

(ग) प्रस्तावित मूल्य की उपयुक्तता को प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए व्यापार की जाँच-पड़ताल, पिछले खरीद मूल्य, मांग पत्र में दिए गए अनुसार अनुमानित मूल्य, पिछली संविदाओं पर आधारित लागतों पर रखे गए आंकड़ों, बाजार मूल्य जहां उपलब्ध हो, और विभिन्न कच्चे माल के सूचकांक में परिवर्तन, बिजली, थोक-मूल्य सूचकांक और मजदूरी दरों में सांविधिक परिवर्तनों इत्यादि को भी ध्यान में रखा जाए ।

(घ) कल-पुर्जों की अधिप्राप्ति, उपभोग्य और संविदा का लघु मूल्य जिस पर पहले भी आपूर्ति की गई हो, मूल्य उपयुक्तता का निर्धारण सरकारी स्रोतों द्वारा प्रकाशित मूल्य सूचकांक में परिवर्तनों पर ध्यान देते हुए पिछले खरीद मूल्य की तुलना करने के पश्चात् किया जा सकता है ।

(ङ) मूल्य उपयुक्तता की जाँच लागत विश्लेषण का प्रयोग उन परिस्थितियों में किया जाए जहां एल पी पी की तुलना में बहुत अधिक भिन्नता के कारण सूचकांक के अनुक्रम में परिवर्तनों की व्याख्या नहीं की जा सकती है ।

(च) जहां तक संभव हो डीपीएम फार्म 25 में दिए गए लागत विश्लेषण के प्रारुप के अनुसार लागत ब्रेकअप की जाँच के प्रयास किए जाने चाहिए ।

13.5 <u>अंतिम खरीद मूल्य (एलपीपी)</u>

13.5.1 **<u>मूल्य की उपयुक्तता निर्धारण के रुप में अंतिम खरीद मूल्य</u>** -एल पी पी मूल्य उपयुक्तता को निर्धारित करने का एक उपयुक्त कारक है । तथापि, एल पी पी के साथ बोली दरों की तुलना करते समय निम्नलिखित आवश्यकताओं पर विचार किया जाए:-

(क) तीन वर्ष की अवधि से अधिक की एल पी पी की तुलना का वास्तविक पैमाना नहीं है । तथापि, यदि आवश्यक समझा जाए, ऐसी एल पी पी का प्रयोग दरों की गणना करने के लिए वार्षिक रुप से जोड़कर एक आदान के रुप में किया जा सकता है । वस्तुओं की प्रकृति के आधार पर वृद्धि के इस कारक का उसी/समरुप मदों की पूर्व खरीद के आंकड़ों के आधार पर या मूल्य नीति समझौतों यदि कोई हो, के आधार पर ध्यानपूर्वक आकलन करना चाहिए । आपसी विचारविमर्श के बाद, सेनाओं के अधिप्राप्ति अभिकरण द्वारा वृद्धि कारक का आकलन होना चाहिए ताकि वही/समरुप वस्तुओं और उसी स्रोत के संबंध में विभिन्न अधिप्राप्ति अभिकरणों द्वारा भिन्न-भिन्न वृद्धि कारकों को न अपनाया जाए और मूल्य नीति के अनुसार आकलन होना चाहिए ।

(ख) एल पी पी में समान मात्रा के पिछले सफलतापूर्वक संपन्न आदेश और आपूर्ति का कार्यक्षेत्र दिया जाना चाहिए ।

(ग) बास्कट मूल्य और प्रस्तावित बल्क छूट जैसे कारकों पर एल पी पी को मूल्यों की तुलना करने के पैमाने के रुप में प्रयोग करते समय ध्यान में रखा जाना आवश्यक है ।

(घ) मूल्य परिवर्तन शर्त, यदि कोई हो, और पिछली खरीद (एल पी पी) के संबंध में उपभोक्ता द्वारा प्रदत्त अंतिम लागत पर विचार किया जाए ।

(ङ) कारकों जैसे एलपीपी के समक्ष आपूर्ति की गई वस्तुओं चाहे वे वर्तमान उत्पादन हों अथवा पूर्व सामान से आपूतिं हो, को ध्यान में रखा जाए ।

(च) बाजार परिस्थितियों और अप्रचलन के कारण उत्पादन कार्य पुन: प्रारंभ करने जैसे अन्य कारकों पर भी विचार किया जाए ।

(छ) जहां, उपयुक्तता दरों के मूल्यांकन का कोई अन्य विकल्प संभव न हो, 3 वर्ष से अधिक की अवधि की एलपीपी को भी ध्यान में रखा जा सकता है परंतु ऐसी स्थितियां कम ही होनी चाहिए।

13.6 कटौती नकद प्रवाह तकनीक (डीसीएफ) को अपनाना

13.6.1 **कटौती नकद प्रवाह** - भारतीय लागत और निर्माण लेखाकार संस्थान द्वारा प्रकाशित, लेखा प्रबंध नियमों की शब्दावली में कटौती नकद प्रवाह मूल्यांकन वर्तमान का तरीका जिसके द्वारा कटौती दर के प्रयोग द्वारा समान्य मूल्य वर्ग के नकद प्रवाह को कम करने और तुलना करने के लिए वर्तमान स्तरों पर भविष्य के नकद प्रवाह की कटौती की जाती है, के रुप में परिभाषित किया गया है । डीसीएफ को "निवेश की समीप्ता का वह तरीका जिसके अंतर्गत आज के नकद बहिर्गमन की आज के नकद अंत:प्रवाह के साथ तुलना की जाती है" के रुप में भी परिभाषित किया जाता है ।

13.6.2 **निवल वर्तमान मूल्य विश्लेषण -** निवल वर्तमानमूल्य NPV (एनपीवी), डीसीएफ तरीके से विपरीत है जिसे निविदा के मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जाता है । किसी अनुबंध की एलपीपी, उससे संबंधित सभी नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्यों के जोड़ के बराबर है । किसी संविदा बोली की एनपीवी की गणना करने के लिए निम्नलिखित फार्मूले को प्रयोग में लाया जाता है:-

$$NPV = \sum \frac{AN}{(1+i)t}$$

जहां:- NPV = नकद मूल्य प्रवाह

A = अंशदाता द्वारा दर्शाई गई अवधि के लिए नकद प्रवाह की उम्मीद

I = ब्याज दर या कटौती दर

T = समय अवधि जिसके पश्चात भुगतान किया जाता है ।

N = भुगतान संबंधी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार भुगतान सूची

जब अनुबंध के लिए विभिन्न बोलियों के बीच चुनाव किया जाता है, निम्नतम एनपीवी की बोली का चयन किया जाना चाहिए ।

13.6.3 **<u>एनपीपी में शामिल चरण</u> -** रक्षा अधिप्राप्ति NPV विश्लेषण के प्रयोग में निम्नलिखित 5 चरण शामिल होंगे:-

चरण - 1 कटौती दर का चयन करना

चरण - 2 विश्लेषण में प्रयोग होने वाले नकद बहिर्गमन की पहचान करना ।

चरण - 3 नकद बर्हिगमन के समय का निर्धारण करना ।

चरण - 4 प्रत्येक विकल्प की NPV की गणना करना ।

चरण - 5 निम्नतम NPV के प्रस्ताव का चयन करना ।

13.6.4 **<u>कटौती दर</u>** - इस तरीके के अंतर्गत प्रयोग की गई कटौती दर, राज्य सरकारों को दिए गए उधार पर भारत सरकार की ऋण देने की दर होती है । इन दरों को, वित्त मंत्रालय का बजट प्रभाग प्रतिवर्ष अधिसूचित करता है ।

13.6.5 **<u>नकद प्रवाह की संरचना हेतु प्रतिमान</u>** - निविदाओं/बोलियों के लिए नकद प्रवाह की संरचना हेतु उपयुक्त प्रतिमान निम्नलिखित हैं:-

(क) **<u>उसी मुद्रा में प्राप्त निविदाओं/बोलियों हेतु नकद प्रवाह की संरचना</u>**

(i) प्रथम चरण, नकद प्रवाह का निर्धारण करते समय अज्ञात कारकों जैसे वृद्धि कारक इत्यादि को बाहर करना होगा ।

(ii) इसके पश्चात, विभिन्न निविदाओं से प्राप्त अनुबंध अनुसूची के अनुसार आशा किए गए नकद बहिर्गमन को ध्यान में रखा जाए और जहां निविदा दस्तावेजों से नकद बहिर्गमन उपलब्ध नहीं है, तो उसे विक्रेता से प्राप्त किया जाए ।

(iii) जब विभिन्न निविदाओं से बहिर्गमन उपलब्ध हो जाते हैं, ऊपर दिए गए सूत्र से विभिन्न निविदाओं की एनपीवी की गणना की जाती है और निम्नतम एनपीवी की निविदा का चयन किया जाता है ।

(ख) **<u>विभिन्न मुद्राओं में प्राप्त निविदाओं/बोलियों के लिए नकद प्रवाहों की संरचना</u>**

(i) जहां बोली विभिन्न मुद्राओं/मुद्राओं के संयोग में प्राप्त होता है, वहां मूल्य बोली को खोलने की तिथि पर एक विनिमय दर को आधार बनाकर, नकद बहिर्गमन को रुपयों मे एक सामान्य मूल्यवर्ग में लाया जा सकता है । उसके बाद उसी मुद्रा में प्राप्त संविदा बोली के मामलों में एनपीवी प्राप्त करने के लिए ऊपर दी गई प्रक्रिया को अपनाना चाहिए । विदेशी मुद्रा बोली को रुपयों में परिवर्तित, मूल्य बोली को खोलने की तिथि पर भारतीय स्टेट बैंक की संसद मार्ग शाखा, नई दिल्ली के बी0सी0 विक्रय दर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

(ii) निजी कंप्यूटर में पहले से विद्यमान किसी भी मानक साफ्टवेयर को एनपीवी विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जा सकता है ।

13.6.6 **डीसीएफ को कब प्रयोग किया जाए** - अधिप्राप्ति निवल वर्तमान मूल्य के लघुतम भुगतान के विकल्प की स्पष्ट पंसद है । डीसीएफ का प्रयोग एल-1 को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित अधिप्राप्ति परिस्थितियों में किया जा सकता है:-

(क) एल-1 स्थिति का निर्धारण करने के लिए सामान्य वर्ग के विक्रेता को विभिन्न भुगतान शर्तों की तुलना करने के लिए ।

(ख) ऐसे मामलों में जहां एएमसी 10 से 11 वर्षों के लिए किया गया है, एल-1 स्थिति के मूल्यांकन करने के लिए अनुबंध का भाग होता है ।

13.6.7 **अंकगणित मूल्यों के जोड़ द्वारा निर्धारण** - 12 से 13 वर्षों (2 वर्षों की वारंटी और 10 से 11 वर्षों की एएमसी) में फैले अंकगणित मूल्यों को ही जमा करने से एल-1 का निर्धारण एल-1 को निर्धारित करने की गलत प्रक्रिया होगी और सही प्रक्रिया में डीसीएफ तकनीक के माध्यम से वर्तमान मूल्यों से नकद बहिर्गमन को कम किया जाएगा जिसके लिए अपनाई जाने वाली कटौती दर को आरएफपी के अंश के रुप में होना चाहिए ।

13.7 विदेशी आपूतिकर्त्ताओं से प्राप्त प्रस्तावों का विश्लेषण

13.7.1 **प्रस्तावों का विश्लेषण -** विश्लेषण, लागत ब्यौरों और मूल्य सूचकांकों का मूल्यांकन करते समय जहां भी व्यवहार्य हो, इस अध्याय में पहले दिए गए मानदंडों के अतिरिक्त भी प्रयास किए जाएं:-

(क) विक्रेता के देश में विद्यमान मूल्य निर्धारण प्रक्रिया/पद्धति का विश्लेषण किया जाए ।

(ख) समान उत्पादों की प्रणालियों और उप-प्रणालियों, जहां भी उपलब्ध हों, का संदर्भ लिया जाए । इस प्रकार के भंडारों की अधिप्राप्ति से जुड़े विभिन्न प्रभागों में उपबंध आंकड़ों का भी संदर्भ लिया जाए ।

13.7.2 समान प्रकार के उत्पादों की खरीद करते समय विदेशी विक्रेताओं को कहा जाए कि वे अन्य क्रेताओं को विगत में की गई आपूर्तियों के ब्यौरे और संविदा दरें, यदि कोई हों, उपलब्ध कराएं । उच्च मूल्यों के मामलों में मूल्यों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने में डीआरडीओ और उत्पादन अभिकरणों को शामिल किया जाए ।

13.8 **बनाए जाने वाले आधारभूत आँकड़े**

13.8.1 **लागत और मूल्यों के आधारभूत आंकड़े** - प्रत्येक सेना मुख्यालय में लागत विशेषज्ञ होना चाहिए जो मूल्य की उपयुक्तता, मूल्यवृद्धि खंडों, लागत सत्यापन जहां मूल्य, उच्चतम सीमा तक अपरिवर्तनीय हो । सेना मुख्यालय, ओएफबी और डीआरडओ द्वारा खरीदी गई वस्तुओं के ब्यौरे, उनकी विशेषताएं, इकाई दर, मात्रा, कुल मूल्य, टी0ई0 का तरीका, प्राप्त निविदाओं की संख्या स्वीकार करने योग्य समझी गई निविदाओं की संख्या, अस्वीकृत निविदाओं को छोड़े जाने के कारण, एल-1 की वे दरें जिन पर बातचीत नहीं हुई और भविष्य में की जाने वाली खरीद के मूल्यों के औचित्य का पता लगाने में सहायता करने के लिए संविदा दरों को दर्शाते हुए विगत संविदाओं के बारे में आधारभूत आंकड़े-आधार रखने चाहिए ।

13.8.2 **मूल्य सूचकांक -** मूल्य सूचकांकों के लिए सीएनजी से खरीद करने वाले/जुड़े हुए अधिकारी महत्वपूर्ण वेबसाइटों से इंटरनेट जानकारी प्राप्त करें । देश में निर्मित मदों के मूल्य सूचकांकों के बारे में, नवीनतम सूचकांकों/रुखों के लिए उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट www.eaindustry.nic.in से जानकारी प्राप्त की जा सकती है । धातुओं अन्य खनिजों की अद्यतन स्थिति के लिए www.mmr.online.com पर संपर्क किया जा सकता है । www.tradintelligence.com तथा www.cmie.com को भी देखा जा सकता है । भारतीय अर्थव्यवस्था प्रबोधन केन्द्र (सी एम आई ई) की मासिक रिपोर्ट, सी एम आई ई का 'पराक्रम पैकेज' जिसमें सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के निष्पादन के बारे में अद्यतन जानकारी उपलब्ध है, भारतीय रिजर्व का मासिक बुलेटिन, आर्थिक सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय सारणियों सहित इसके परिशिष्ट, बाजार के रुख जानने के लिए उत्कृष्ट संदर्भ सामग्री हैं । अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमपी) की मासिक रिपोर्ट 'वर्ल्ड इकानमिस्ट आउटलुक' में विभिन्न देशों में कीमतों के रुझान/रुख के बारे में जानकारी होती है। लंदन धातु एक्सचेंज (एल एम ई) अलौह धातुओं के मूल्य रुख उपलब्ध होते है जो सामान्यत: परिवर्तनीय रुख दर्शाती हैं । इलैक्ट्रानिक वस्तुओं के सूचकाँक सामान्यत: अपेक्षाकृत कम रुख दर्शाते हैं। वित्त मंत्रालय की वेबसाइट www.finmin.nic.in पर जारी अनुदेशों तथा मुख्य सतर्कता आयुक्त की वेबसाइट www.cvc.nic.in को भी देखा जाना चाहिए । महत्वपूर्ण प्रकाशन जैसे भारतीय रिजर्व बैंक का मासिक बुलेटिन, सीएमआईई की मासिक रिपोर्ट, व्यापारिक/वाणिज्य संबंधी समाचार पत्र, एमएमआर इत्यादि का भी नियमित ग्राहक बनना चाहिए ।

13.8.3 **विशेषज्ञ अभिकरण** मार्किट आसूचना, रुख का पुर्वानुमान और सबसे अच्छी प्रथाओं के लिए विशेषज्ञ अभिकरणों से सम्पर्क किया जाए । जिन बड़े भुगतानों में एल सी, निष्पादन बजट प्रत्याभूति, विदेशी बैंकों की साख आदि निहित हों, उन्हें अंतिम रुप देने से पहले, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों विशेषकर भारतीय स्टेट बैंक से परामर्श किया जाना चाहिए ।

13.8.4 **वित्तीय/लागत अनुपातों का सामान्य विश्लेषण -**औचित्य का मूल्यांकन करने में प्रकाशित लेखों से वित्तीय/लागत अनुपातों का सामान्य विश्लेषण तथा विक्रेता/बोलीदाता की वाणिज्यिक सूचना का मूल्यांकन भी किया जाए । ऊपरिखर्चों के आबंटन को लागत के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए । विक्रेता का लागत को नियंत्रित करने, आपूर्ति समय-बद्धता बनाए रखने, लागत लेखा पद्धति तथा लागत/समयबद्धता लक्ष्यों को पूरा करने के प्रति संविदाकर्त्ता का दृष्टिकोण और उसकी क्षमता को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए ।

13.8.5 **आंकड़ों का आदान प्रदान करना**

13.8.6 **औचित्य प्रक्रिया में पारदर्शिता -** औचित्य का मूल्यांकन एक कठिन कार्य हो सकता है विशेष रुप से तब जब मूल्य आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो अथवा विदेशों से खरीद की गई हो । ऐसे मामलों में मूल्य तय करने तथा खरीद करने का निर्णय लेने के लिए किए गए प्रयासों का रिकार्ड रखना अति आवश्यक होगा ।

* * * * *

अध्याय - 14

जहाजों/पनडुब्बियों/शिल्प/भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिसंपत्तियाँ/ निजी पोत/व्यापार की आंशिक/पूर्ण पुनर्सज्जा/मरम्मत की ऑफलोडिंग

14.1 सामान्य

14.1.1 जहाज/पनडुब्बी एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसमें हथियार, सैंसर और समर्थन प्रणाली के साथ चालन, विद्युत उत्पादन और सहायक प्रणाली, चालक दल के लिए सुविधाएं, ईंधन और प्रावधान शामिल हैं । सभी निगरानियां और हथियार प्रणालियां एक विस्तृत डाटा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से एकीकृत और आपस में जुड़े हुए हैं । प्लेटफार्म के संपूर्ण अथवा एक भाग को समय-समय पर पुर्नसज्जा/मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है । जिसमें अन्य बातों के साथ बंदरगाह और समुद्र में परीक्षणों द्वारा असतन्वायोजन, गोदीयन, निरीक्षण/सर्वेक्षण, मरम्मत/ओवरहॉल शामिल है । पुनर्सज्जा प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रुप में, संरचना, उपस्कर, मशीनरी और प्रणालियां जिसमें नए उपकरणों की स्थापना शामिल है, के अनुमोदित संशोधन भी किए जा रहे हैं । कुल मिलाकर, एक जहाज/पनडुब्बी/यार्डक्राफ्ट की आंशिक/पूर्ण पुनर्सज्जा एक जटिल गतिविधि है जहां मरम्मत/पुनर्सज्जा से काफी पहले ठोस योजना बनाने की आवश्यकता है ताकि इसे समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जा सके तथा प्लेटफार्म को समुद्री यात्रा योग्य और युद्ध लायक बनाना सुनिश्चित हो सके । समुद्री परिसंपत्तियों/सेवा परिसपत्तियों की मरम्मत में उसी तरह की योजना शामिल है जैसी जहाजों/पनडुब्बियों की मरम्मत/पुनर्सज्जा के लिए आवश्यक है । यह संपूर्ण गतिविधि अन्य राजस्व अधिप्राप्ति गतिविधि से भिन्न है जैसे वस्तुओं और भंडारों की अधिप्राप्ति अथवा अन्य सेवाएं, क्योंकि कई तकनीकी मुद्दों के संबोधन की आवश्यकता है जिसमें मरम्मत/पुनर्सज्जा होने वाले जहाज/पुनडुब्बी/परिसंपत्ति का बोलीदाता द्वारा निरीक्षण शामिल है । स्पष्टता के लिए जहाजों/पनडुब्बियों/यानों/परिसंपत्तियों और उनसे जुड़े मरम्मतों/पुनर्सज्जा के संबंध में निम्नलिखित परिभाषाएं प्रयोग में लाई जाएंगी:-

(क) **पुनर्सज्जा** - इसमें उपस्कर की सर्विस/नवीकरण/संशोधन की सभी गतिविधियों के साथ-साथ डिजाइन/वर्णित प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए सूखे गोदीवाड़ा शामिल है ।

(ख) **मरम्मत** - इसमें सभी गतिविधियां, जिसमें उपस्कर प्रदर्शन में कोई दोष/विसंगति/गिरावट होने पर उक्त उपस्कर में आवश्यक उपचारात्मक उपाय करना शामिल है ।

(ग) **समुद्रीय परिसंपत्तियां** - सभी परिसंपत्तियां जिसमें यार्ड क्राफ्ट, नावें, बड़ी नाव, युद्ध अभ्यास के लक्ष्य (बी पी टी), पॉन्टून, कैटामारैन, तैरते हुए सूखे गोदीवाड़ा, गोदी गेट्स, बारुद की पेटी, फ्लैप गेट्स इत्यादि शामिल है जो समुद्रीय पर्यावरण के साथ सीधे संपर्क में आई समुद्रीय परिसंपत्तियां हैं ।

(घ) **सेवा परिसंपत्तियां** - समुद्रीय परिसंपत्तियों को छोड़कर सभी परिसंपत्तियां जिनमें घाट पर क्रेनें, गतिशील क्रेने, लिस्टर, ट्रेलर्स, गतिशील जनरेटर, गतिशील चिलिंग प्लांट्स, फोर्कलिफ्ट्स, कार्यशाला मशीनरी आदि, शामिल है जिनकी गैर-उत्पादकता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से किसी इकाई की उत्पादकता प्रभावित प्रभावित हो, सेवा परिसंपत्तियां कहलाती हैं ।

(ङ) **<u>सक्षम तकनीकी प्राधिकरण (सी टी ए)</u>** - संगत सी टी ए के अंतर्गत, सी टी पी सेवा मरम्मत ऐजेंसी का प्रमुख है ।

(च) **<u>सेवा मरम्मत ऐजेंसी</u>** - नौसेना और तट रक्षक की ऐजेंसी, जिसका कार्य जहाज/पनडुब्बी/यार्ड क्राफ्ट का रखरखाव और/अथवा रखरखाव नीति पर अमल करना है ।

(छ) **<u>खराबी के बाद पुर्जों की माँग</u>** - मरम्मत/पुनर्सज्जा को पूरा करने के लिए आवश्यक पुर्जे जो उपस्कर/प्रणाली को खोलने/वियोजन करने पर ही दिखाई देते हैं और कार्य क्षेत्र के बनाने के समय दिखाई नहीं देते ।

14.2 <u>उद्देश्य</u>

14.2.1 इस अध्याय में जहाज/पनडुब्बियों/भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण/निजी जहाज मरम्मत, यार्ड/व्यापार जिनकी विशेष रुप से मरम्मत/पुनर्सज्जा होनी है, की आंशिक/पूर्ण मरम्मत/पुनर्सज्जा की ऑफलोडिंग के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं । आगे के पैराग्राफ में जहाज/पनडुब्बियों/यानों की मरम्मत/पुनर्सज्जा और सभी समुद्रीय/सेवा परिसंपत्तियों की मरम्मत की प्रक्रिया में अपनाए गए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं ।

14.3 <u>प्रस्तावना</u>

14.3.1 **<u>जहाजों/पनडुब्बियों की पुनर्सज्जा</u>** - जहाजों/पनडुब्बियों की मरम्मत, जहाज की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रवर्तित आप्स-कम-मरम्मत चक्र के अनुसार अनुसूचित है । दो-तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनर्सज्जा अनुसूची पर (जैसा भी मामला क्रमश: तटरक्षक और नौसेना के लिए हो सकता है) वार्षिक पुनर्सज्जा सम्मेलन (ए आर सी) के दौरान क्रमश: सी ओ एम (नौसेना) और पी डी एफ एम (तट रक्षक मुख्यालय) की अध्यक्षता में निर्णय लिया है । ए आर सी के दौरान क्षमता/विशेषज्ञता की बाध्यता के कारण हुए पुनर्सज्जा की ऑफलोडिंग के लिए प्रस्तावों पर चर्चा की गई और अनुमोदन दे दिया गया है ।

14.3.2 **<u>संविदा</u>** - सभी आंशिक/पूर्ण आफॅलोडेड पुनर्सज्जा/मरम्मतों, को ओ टी ई/एल टी ई आधार पर किया जा सकता है । आधार बंदरगाह के दूर स्थित पोतों की पुनर्सज्जा/मरम्मत कार्य की ऑफलोडिंग में ईंधन की खपत, प्रशासनिक व्यय, आधार बुनियादी आवश्यकताओं आदि की छुपी लागतों की बचत के लिए, जहाज के आधार के तत्काल भौगोलिक इलाके में पोतों और उन पोतों की एल टी ई जो ऐसे इलाके में पुनर्सज्जा करने को तैयार हैं, माना जा सकता है । यदि इन पोतों की प्रतिक्रिया ठीक नहीं है, तो उपभोक्ता द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर मरम्मत/पुनर्सज्जा करने के लिए अन्य पोतों से दरें आमंत्रित की जा सकती हैं ।

14.4 <u>जहाजों/पनडुब्बियों की आंशिक/पूर्ण पुनर्सज्जा/मरम्मतों की ऑफ लोडिंग</u>

14.4.1 **<u>प्रक्रिया</u>** - जहाजों/पनडुब्बियों की आंशिक/पूर्ण मरम्मतों/पुनर्सज्जा की ऑफलोडिंग में शामिल चरणों को आगे के पैराग्राफों में निर्देशित किया गया है ।

14.4.2 **समेकित एओएन** - सेवा मरम्मत ऐजेंसी, आफलोडिंग के लिए एक व्यापक योजना रखेगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा:-

(क) ए आर सी के दौरान ऑफलोडिंग के लिए अनुमोदित मामले ।

(ख) ऑफलोडेड होने वाली पुनर्सज्जा की अनुसूची ।

(ग) अनुमोदित मामलों की कच्चा सूचकांक मूल्य (आर टी सी)

14.4.3 **ऑफलोडिंग योजना** - ऑफलोडिंग के मामले नीचे दिए गए पुर्जों के साथ ऑफलोडिंग योजना में समेकित होंगे । ऑफलोडिंग योजना (शीघ्रता के आधार पर) व्यय के अनुमानों और अगले दो से तीन वर्षों के लिए प्रत्याशित बजट आवश्यकताओं के संकेतक के रुप में कार्य करेगा ।

भाग क - आगामी वर्षों के लिए ए एस डी/सी एस वाई/सी ओ एम डी आई एस को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत अलग-अलग संसाधित होने वाले समेकित मामले ।

भाग ख - आगामी दो वर्षों के लिए सी आई एन सी/सी ओ एम सी जी को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत अलग-अलग संसाधित होने वाले समेकित मामले ।

भाग ग - आगामी दो/तीन वर्षों के लिए वी सी एन एस/डी जी आई सी जी को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत अलग-अलग संसाधित होने वाले समेकित मामले ।

भाग घ - तट रक्षक और नौसेना के संबंध में क्रमश: आगामी दो/तीन वर्षों के लिए रक्षा मंत्रालय को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत अलग-अलग संसाधित होने वाले समेकित मामले ।

14.4.4 आर आई सी - अनुमोदित मामलों के लिए आर आई सी प्रकृति में शीघ्रता के आधार पर और निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत होगी:

(क) मुख्य अभियांत्रिकी कार्य पैकेज

(ख) मुख्य इलैक्ट्रिकल और हथियार कार्य पैकेज

(ग) मुख्य पोत ढांचे कार्य पैकेज

(घ) मुख्य उपकरण प्रतिस्थापन/उन्नयन

(ङ) सेवाएं

(च) सामग्री और पुर्जे

14.4.5 ऑफलोडिंग योजना के लिए ए ओ एन अलग-अलग मामलों के वित्तीय निहितार्थ के आधार पर सी एफ ए द्वारा प्रदान किया जाएगा । उदाहरण के लिए, ऑफलोडिंग योजना के भाग 'ख' के लिए ए ओ एन, संबंधित सी-इन-सी/सी ओ एम सी जी (चाहे समेकित वित्तीय निहितार्थ, प्रदत्त वित्तीय शक्तियों से अधिक हो जाएं) द्वारा प्रदान किया जाएगा । ऑफलोडिंग योजना के प्रत्येक भाग के लिए वित्तीय परामर्श, संबंधित सी एफ ए के संबंधित आई एफ ए द्वारा दिया जाएगा । ए ओ एन, संकेतिक लागत पर संसाधित होने वाले मामलों के लिए प्रदान किया जाएगा और शीघ्रता के आधार पर समेकित अवधि के लिए वैध होगा । समस्त ऑफलोडिंग योजना के लिए ए ओ एन प्रदान करने पर इसे नौसेना/तटरक्षक द्वारा रिकार्ड के लिए सभी संबंधित सी एफ ए और आई एफ ए को भेजा जाएगा । ए ओ एन, परिशिष्ट-जी और परिशिष्ट-एच में दिए गए मानक आर एफ पी और एस सी ओ सी के लिए प्रदान किया जाएगा । कार्य पैकेज को आर एफ पी के जारी होने से पहले तैयार किया जाएगा, ताकि कार्य के क्षेत्र का एक यथार्थवादी अनुमान लगाया जा सके ।

14.4.6 ए ओ एन प्रदान करने के बाद, तैयार किए गए कार्य पैकेज के साथ प्रत्येक मामले के लिए आर एफ पी को, संबंधित सेवा मरम्मत एजेंसियों द्वारा, जैसे और जब नियत हो, जारी किया जाएगा। कार्य क्षेत्र (एस ओ डब्ल्यू) आर एफ पी के साथ संलग्न होगा । आर एफ पी, सी एफ ए द्वारा अथवा ऐजेंसी द्वारा जारी होगा । (जो नौसेना के मामले में एनडी/एनएसआरवाई हो सकती है) और (तटरक्षक के मामले में बीएमयू/स्टेशन मुख्यालय/डीएचक्यू/आरएचक्यू हो सकती है) जो सी एफ ए द्वारा लिखित में विधिवत् रुप से प्राधिकृत होगी ।

14.7.7 मानक आर एफ पी से कोई विचलन अथवा अनुमानित लागत की बढ़ी हुई पुनरावृति के मामले में, आर एफ पी के संशोधित मसौदे के साथ यह मामला, पुनरीक्षण और अनुमोदन के लिए आई एफ ए के परामर्श से सी एफ ए को भेजा जाएगा जहां वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधि मंडल के अनुसार आवश्यक समझा जाए । प्रत्येक मामले के लिए मानक आर एफ पी और एस सी ओ सी में भिन्नता, अब भी रोल-04 योजना का हिस्सा हो सकती है, उन मामलों में, जिनमें आर एफ पी और एस सी ओ सी में भिन्नता के साथ पृथक ए ओ एन प्रदान की जानी है ।

14.4.8 सेवा की अनिवार्य आवश्यकता के कारण सभी आपात मामलों को ए ओ एन के लिए पृथक रुप से उठाया जा सकता है । ऐसे मामलों में, ऑफलोडिंग मामलों की वित्तीय निहितार्थ तत्काल सी एफ ए को भेजा जाएगा । मध्यवर्ती आई एफ ए की सहमति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मामले का अगले उच्च आई एफ ए द्वारा विशेष रुप से निपटारा किया जाएगा ।

14.5 बोलियों की प्राप्ति और संस्करण

14.5.1 **बोलीपूर्व सम्मेलन** - एस ओ डब्ल्यू से संबंधित मुद्दों के स्पष्टीकरण हेतु बोलियां जमा करने से पहले बोली पूर्व सम्मेलन किया जा सकता है । तथापि, जहां मरम्मत/पुनर्सज्जा परियोजना में आर एफ पी के जारी होने से पहले तकनीकी मुद्दे तैयार करना शामिल हैं, ऐसे मामलों में, एक औपचारिक आर एफ पी जारी होने के बाद भावी संविदाकर्त्ताओं के साथ एक सूचना के लिए अनुरोध (ए एफ आई) सम्मेलन आयोजित किया जा सकता है । आर एफ पी केवल उन्हीं वेंडरों को जारी किया जाएगा जो पूर्व अर्हता की कसौटी को पूरा करते हों ।

14.5.1 **टी ई सी** - बोलियाँ जमा कराने पर, सी एफ ए द्वारा नामित ऐजेंसी द्वारा टी ई सी आयोजित किया जाएगा और टी ई सी की रिपोर्ट सी एफ ए को भेजी जाएगी । टी ई सी, मामले के वाणिज्यिक पहलुओं पर बातचीत करने के लिए अधिकृत नहीं है । तथापि, टी ई सी को वाणिज्यिक नियम और शर्तों से संबंधित एक अनुपालन का विवरण तैयार करना चाहिए जैसे बोली सुरक्षा, वारंटी आदि जिसमें आर एफ पी के अनुसार तकनीकी बोली शामिल हों । जहांकि आई एफ ए को टी ई सी में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, सी एफ ए यदि आवश्यक समझे, कीमत/'क्यू' बोली खोलने से पहले वाणिज्यिक नियमों और शर्तों के अनुपालन से संबंधित टी ई सी रिपोर्ट के परीक्षण में आई एफ ए अथवा उसके प्रतिनिधि को शामिल करके एक प्रणाली विकसित कर सकता है ।

14.5.2 **'टी' बोली का प्रसंस्करण** - इसके बाद ऑफलोडिंग मामलों पर निम्नलिखित के लिए एक साथ कार्रवाई की जाएगी:-

(क) टी ई सी रिपोर्ट का अनुमोदन

(ख) 'क्यू' बोली खोलने के लिए निविदा खोलने की समिति (टी ओ सी) की संरचना

14.5.3 **मूल्य बोली का प्रसंस्करण** - टी ओ सी, क्यू बोली को खोलेगा और निविदा के तुलनात्मक ब्यौरे (सीएसटी) तैयार करेगा । सी एस टी के साथ यह मामला, निम्नलिखित के लिए आई.एफ ए के परामर्श से अनुमोदन के लिए सी एफ ए को पुन: प्रस्तुत किया जाना हे:-

(i) आई एफ ए द्वारा सी एस टी का पुनरीक्षण

(ii) सी एन सी का गठन

14.5.4 **सी एन सी** - L_1 फर्म को सी एन सी की बैठक के लिए आमंत्रित किया जाएगा । अनुबंध के सभी पहलू और उसके वित्तीय निहितार्थों पर सी एन सी के दौरान चर्चा होगी और उन्हें अंतिम रुप दिया जाएगा ।

14.5.5 **सी एफ ए द्वारा अनुमोदन** - इसके बाद, मामले पर सी एन सी की रिपोर्ट/कार्यवृत्त अनुबंध को मसौदे और स्वीकृति पत्र के अनुमोदन से आई एफ ए के परामर्श से सी एफ ए द्वारा सहमति दी जाएगी ।

14.6 समुद्रीय/सेवा परिसंपत्तियों की ऑफलोडिंग

14.6.1 **समुद्रीय परिसंपत्तियों की मरम्मत/पुनर्सज्जा** - समुद्रीय/सेवा परिसंपत्तियों की पूर्ण/आंशिक मरम्मत के लिए प्रक्रिया, ऊपर दिए गए पैरा 14.4 से 14.5 तक में दिए अनुसार ही है सिवाय इसाके कि समुद्रीय/सेवा के मामले में ऑफलोडिंग योजना वार्षिक होगी ।

14.7 पुनर्सज्जा/मरम्मत की विशेषताएं

14.7.1 **कार्य का विकास -** जहाजों/पनडुब्बियों की पुनर्सज्जा में एस ओ डब्ल्यू, इसे पूर्ण करने के लिए आवश्यक संसाधनों के संबंध में, आमतौर से प्रकृति में समाप्त न होने वाला और गतिशील है । मरम्मत/पुनर्सज्जा की खास विशेषता - कार्य में वृद्धि, अन्य बातों के साथ-साथ अन्य कारकों जैसे जहाज/पनडुब्बी का जीवनकाल, जहाज पर उपकरण/मशीनरी की स्थिति, पोत के ढाँचे की स्थिति कार्य पैकेज और वास्तविक

में कार्य होने के बीच की अवधि, संशोधन, परिवर्धन और परिवर्तन पर निर्भर है । अनुबंध मूल्य के 15% तक अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति कार्य की वृद्धि के लिए प्रयोग होगी । इन सभी मामलों में भुगतान, नौसेना और तटरक्षक के लिए संबंधित अधिकतम सीमा के अनुसार किया जाएगा । मरम्मत के बाद की रिपोर्ट को आई एफ ए सहित सभी संबंधितों के वितरण के लिए तैयार किया जाएगा ।

टिप्पणी:- तटरक्षक के मामले में, वर्तमान कार्यप्रणाली, कार्य की वृद्धि के प्रति अनुबंध मूल्य के 15% तक के घटक की और अब उपलब्ध पुर्जों के प्रति अनुबंध मूल्य के 20% तक के घटक की अनुमति प्रदान करती है । यह कार्य प्रणाली, वर्तमान में भी जारी रह सकती है ।

कार्य की वृद्धि की लागत बोलीदाता द्वारा दी गई यथानुपात लागतों पर आधारित होगी और सी एन सी के दौरान स्वीकार की जाएगी । जहां यथानुपात दरें उपलब्ध नहीं है, मूल्यों पर आई एफ ए के परामर्श से सी ओ ए द्वारा बातचीत की जाएगी ।

14.8 <u>भुगतान शर्तें</u>

14.8.1 **<u>भुगतान के चरण</u>** - मरम्मतों/पुनर्सज्जा की पूर्ण/आंशिक ऑफलोडिंग के लिए स्टेज भुगतान आर एफ पी में निर्दिष्ट किया जाना है और यार्ड द्वारा किए जाने वाले कार्य के अनुरुप होना है । चरणों की संख्या और भुगतान शर्तें अलग-अलग मामलों में भिन्न-भिन्न होंगी जो परियोजना की अवधि पर और उसमें शामिल लागत पर निर्भर हैं तथा आर एफ पी में शामिल की जाएंगी । पूर्ण पुनर्सज्जा के लिए सिफारिश की गई चरण भुगतान शर्तें निम्नलिखित हो सकती है:-

(क) **<u>पुनर्सज्जा लागत</u>**

i. **<u>चरण-1</u>** आदेश/अनुबंध दिए जाने पर, बैंक गारंटी/क्षतिपूर्ति बांड (डीपीएसयू) के मामले में) के समक्ष मूल अनुबंधित पुनर्सज्जा लागत का 10% अग्रिम ।

ii. **<u>चरण-2</u>** गोदीवाड़े पर मूल अनुबंधित पुनर्सज्जा लागत का 10% (करों और कार्य की वृद्धि को छोड़कर)

iii. **<u>चरण-3</u>** अंतिम गोदीवाड़ा रहित और पानी के नीचे के सभी कार्यों को पूरा करने के पर मूल अनुबंधित पुनर्सज्जा लागत का 20%

iv. **<u>चरण-4</u>** मुख्य मशीनरी/उपस्कर के बेसिन परीक्षणों और बंदरगाह के परीक्षणों के संतोषजनक पूरा होने पर, मूल अनुबंधित पुनर्सज्जा लागत का 20%

v. **<u>चरण-5</u>** पुनर्सज्जा के बाद समुद्रीय परीक्षणों और शिपयार्ड से जहाज के प्रस्थान के संतोषजनक तरीके से पूर्ण होने पर, सभी अपूर्ण कार्य की लागत को घटाकर, मूल अनुबंधित पुनर्सज्जा लागत का 20%

vi. **<u>चरण-6</u>** पुनर्सज्जा के संतोषजनक तरीके के पूर्ण होने पर 60 दिनों के भीतर अंतिम बिल जमा कराने पर लगे टैक्स और कार्य की वृद्धि के लिए लागत के साथ शेष शिपयार्ड, पुनर्सज्जा/मरम्मत की अंतिम लागत के 10% के बराबर बैंक

गारंटी उपलब्ध कराएगा (डी पी एस यू के मामले में क्षतिपूर्ति बांड) जो गारंटी/वारंटी अवधि के पूर्ण होने तक वैध होनी चाहिए ।

टिप्पणी:- सभी, चरण और अंतिम बिल के भुगतानों का सी ओ ए द्वारा पुनरीक्षण और पास किया जाना है ।

(ख) **सामग्री और पुर्जे** - बैंक गारंटी के समक्ष, पुर्जों की लागत के 10% तक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर अग्रिम की अनुमति दी जा सकती है । पुर्जों का शेष भुगतान, खरीद आदेश सामग्री रसीद और आवक निरीक्षण के प्रमाण देने पर पुनर्सज्जा अवधि के दौरान किए गए चरण भुगतानों के साथ किए जाएंगे । रख-रखाव का शुल्क, यदि कोई हो तो 7.5% के अधिकतम तक सीमित किया जाना है ।

14.9 'दर न बताई गई' मदों की दोष सूची के मामले में लदान - यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रस्तावों की एक समान और निष्पक्ष ढंग से तुलना हो रही है, L_1 का निर्धारण करने के लिए लोडिंग की सहायता ली जाएगी । इस प्रक्रिया के दौरान अनुत्तरदायी खंडो/उप खंडों के साथ बोलियां, सी एस टी तैयार करने के लिए उस विशेष खंड/उप-खंड के लिए उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गई दरो की राशि द्वारा लोडेड होगी । बोली को तभी उत्तरदायी समझा जाएगा जब फर्म लोडिंग को लिखित मे स्वीकार करती है ।

14.10 L_1 फर्म का निर्धारण करने के लिए मानदंड - L_1फर्म का निर्धारण निम्नानुसार होगा:-

(क) **नौसेना -** कार्य पैकेज मे सूचीबद्ध पुर्जों की बजटीय लागत और पुनर्सज्जा, सेवाओ की लागत को L_1 के निर्धारण के लिए ध्यान मे रखा जाएगा । ऐसे अनिवार्य पुर्जों का भुगतान, 'क्यू' बोली में दी गई बजटीय लागत से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(ख) **तटरक्षक** - तटरक्षक के मामले में क्योंकि अनिवार्य पुर्जे पुनर्सज्जा पैकेज का भाग नहीं है, L_1 फर्म का निर्धारण, पुनर्सज्जा की लागत के आधार पर किया जाएगा जिसमें सेवाएं शामिल हैं ।

14.11 प्रस्ताव के लिए अनुरोध -जहाजों/पनडुब्बियों/ परिसंपत्तियों की मरम्मत/ पुनर्सज्जा,अन्य अधिप्राप्ति मामलों से भिन्न है और एक अलग मानकीकृत आर एफ पी (परिशिष्ट 'छ' में रखा है) की मांग करता है ।

14.12 अनुबंध की मान शर्तें - अनुबंध की मानक शर्तें (एस सी ओ सी), ऐसे अनुबंधों की विशिष्ट प्रकृति के कारण परिशिष्ट 'ज' पर दी गई हैं ।

14.13 पी एसी एम - वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधि मंडल के अनुसार जहां आवश्यक हो अनुबंध में बाद के परिवर्तनों/अनुबंध के संशोधनों के सभी मामलों में सी एफ ए का अनुमोदन और आई एफ ए ली जाएगा ।

* * * *

अध्याय - 15

अनुबंध का डिज़ाइन, विकास और विरचना

15.1 प्रस्तावना

15.1.1 **सामान्य** - इस अध्याय में, रक्षा सेवाओं के लिए आवश्यक भंडारों, उपस्कर और पुर्जों के डिज़ाइन, स्वदेशी विकास (स्वदेशीकरण सहित) और विरचना हेतु अनुबंधों को अंतिम रुप देने हेतु रक्षा प्राधिकरणों और विभागों द्वारा आई गई प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है। इसमें निहित सामान्य निर्देशों को ज्यादा से ज्यादा लचीला बनाया गया है जिससे देरी से बचा जा सके और उद्योगों को आगे आने के लिए प्रोत्साहन मिले जिससे रक्षा सेवाओं के लिए आवश्यक मदों, उपस्करों, संयंत्रों और मशीनरी के डिज़ाइन, विकास और विरचना की जा सके । प्रक्रियाओं पर विस्तृत निर्देश सेवा मुख्यालयों/अन्य विकासात्मक ऐजेंसियों जैसे डी आर डी ओ, सी पी ओ आदि द्वारा निहित दिशा-निर्देशों के साथ व्यापक रुप में रक्षा मंत्रालय (वित्त) से परामर्श द्वारा एक विकासात्मक प्रकृति/स्वदेशीकरण की वस्तुओं हेतु आदेशों पर कार्रवाई के लिए देश में ही लागू किए जाने हैं ।

15.1.2 **स्वदेशी विकास के लिए निर्णय** - तकनीकी निदेशालय/स्वदेशीकरण निदेशालय/संबंधित सेवा के स्वदेशीकरण हेतु समिति विभाग/कमान मुख्यालय को एक लंबी अवधि (3-5 वर्ष) के लिए आवश्यकता का स्पष्ट संकेत और मात्रा, भविष्य की आवश्यकता की संभावना और आर्थिक पैमाने, उपस्कर/वस्तु के जीवनकाल के अनुसार सिविल क्षेत्र में किसी रक्षा मदों के स्वदेश में निर्माण की आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करना चाहिए । इस उद्देश्य के लिए, सेवाओं द्वारा, प्रावधानों और योजनाओं में आवश्यक प्रणालीगत परिवर्तन किए जा सकते हैं। यदि उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो वस्तुओं की समान रेंज के स्वदेशी पैकेज की व्यवहार्यता पर आई एफ ए के परामर्श से सी एफ ए द्वारा मात्रा, भविष्य की आवश्यकता और आर्थिक पैमाने को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जा सकता है ताकि पैकेज को वाणिज्यिक रुप से सक्षम बनाया जा सके । यदि एक पैकेज पर कार्य करना संभव नहीं है, परंतु रणनीतिक कारणों से वस्तु का स्वदेशीकरण होने के लिए वह वस्तु अभी भी आवश्यक है तो जहां संभव हो, इस आवश्यकता को ओ एफ बी/रक्षा पी एस यू द्वारा विकास के लिए, रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग को पेश किया जा सकता है ।

15.1.3 **निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी** - आज भारतीय निजी उद्योग क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र में अपनी अधिक से अधिक भागीदारी की गुंजाइश रखता है और रक्षा उत्पादन करने के लिए अपेक्षित कौशल और आधारभूत ढाँचा रखता है अथवा ऐसे बुनियादी ढाँचे की स्थापना की लागत में भागीदारी/निवेश करने की इच्छा रख सकता है । उद्योगों को, इच्छित समय अनुसूचियों के भीतर, विकास की वित्तीय व्यवहार्यता बनाए रखने के लिए न्यूनतम आदेश मात्रा द्वारा ऐसे निवेश करने के लिए प्रौत्साहित करना चाहिए । जहाँ तक उच्च तकनीकी जटिल प्रणालियों का संबंध है, इस खंड के अंतर्गत परियोजनाओं की पहचान की जानी चाहिए, इन्हें रक्षा उद्योग रत्न (आर यू आर)/भारतीय उद्योग/डी पी एस यू/ओ एफ बी द्वारा कार्य क्षेत्र के स्तर पर भागीदारी होनी चाहिए । यह प्रक्रिया, 'निर्माण' खंड के अंतर्गत उपस्कर/भागों के सभी उन्नयन के लिए अपनाई जा सकती है । उच्च तकनीक वाली उपस्कर/प्रणाली के विकास की आउटसोर्सिंग, समानंतर विकास की तर्ज पर होनी चाहिए जिसके लिए लागत को वेंडर के साथ साझा करना चाहिए ।

15.2 सिद्धांत और नीति

15.2.1 **सामान्य सिद्धांत** - हालांकि, विशिष्ट विकास अनुबंधों को अंतिम रुप देने में उत्पन्न हुई सभी आकस्मिकताओं के लिए कोई भी कठोर नियम बनाना संभव नहीं है तथापि, निम्नलिखित मार्ग दर्शक सिद्धांत दिमाग में रखे जा सकते हैं:-

(क) विकास आदेश के स्थानापन्न के लिए, संसाधनों की खोज को, प्रतियोगिता को प्रोत्साहन के लिए, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा फैलाना चाहिए।

(ख) अपेक्षित समय सूची में, वांछित गुणवत्ता का कार्य करने के लिए अनुंबंधकर्त्ता की योग्यता का एक तकनीकी समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए ।

(ग) जहां तक व्यवहार्य हो, विकास ठेके, समानांतर रुप में दो या दो से अधिक अनुबंधकर्त्ताओं के साथ होने चाहिए जिसमें अन्य वेंडर L_1 की कीमत से मिलान करने को सहमत हो । अधिक विचलन की स्थिति में यदि उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है तो, पूर्ण/आर्थिक आदेश मात्रा (ई ओ क्यू) आदेश दिए जा सकते हैं ।

(घ) दो पक्षों को समानांतर रुप से अनुबंध देना, विशेष रुप से आवश्यक/वांछनीय है यदि कोई एक अनुबंधकर्त्ता उपस्कर को समय से पूर्ण करने में विफल होता है तो थोक उत्पादन के स्तर पर आपूर्ति के एक पक्ष से अधिक स्रोत हों और प्रतियोगिता के अलावा भी विकास के सफलतापूर्वक पूर्ण होना सुनिश्चित हो सके

(ङ) समानांतर विकास के मामलों में, विभिन्न विकास ऐजेंसियों/फर्मों के बीच आपूर्ति आदेश के बंटवारे का अनुपात, उसके मापदंडों सहित, आर एफ पी में पहले से ही दिया जाएगा ।

(च) तथापि, यदि आवश्यकता कम है और जटिल तकनीकी शामिल है, अपेक्षित क्षेत्र में विशेषता रखने वाले एक ही स्रोत पर, वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधि मंडल के अनुसार जहां आवश्यक हो, आई एफ ए के परामर्श से सी एफ ए के विधिवत् अनुमोदन और उपयुक्त औचित्य के साथ विचार किया जा सकता है ।

(ज) अनुबंधकर्त्ता अथवा फर्म, यदि चाहे कि वह कर सकती है तो वह थोक में उत्पादन आदेश ले सकती है ।

(झ) विकास के चरण के दौरान कुल आदेश मात्रा का 20% विकास के लिए निर्धारित किया जा सकता है । तथापि, इस पर दोहरे अधिप्राप्ति के मामले के रुप में विचार नहीं होगा ।

(ञ) डी जी एस एंड डी और रक्षा निरीक्षण संगठन (डी जी क्यू ए, डी जी एन ए आई एवं डी जी ए क्यू ए) को उपलब्ध सूचना को, अनुबंधों के विकास /विरचना के साथ कंपनियों को चुनने में प्रयोग दिया जा सकता है ।

(ट) मांग पत्र/अंतिम डिपो सूची/विशेष प्रार्थना के माध्यम से मांग पत्र प्राधिकरण के द्वारा मांगी गई वस्तुएं, अपेक्षित मात्रा के बाद विकास की प्रक्रिया का आधार होंगी । निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनरीक्षण किया जाएगा ।

15.2.2 **विकास आदेशों का संसाधन** - विकास अनुबंधों के संसाधन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण चरण निम्नलिखित हैं:-

(क) स्वदेशी विकास के लिए भंडारों/वस्तुओं की पहचान/चयन

(ख) कागजातों के ब्यौरे/ड्राइंग को देना

(ग) वेंडर/फर्म की पहचान

(घ) आर एफ पी का ढांचा तैयार करना और जारी करना

(ङ) सी एन सी/पी एन सी को रखना और बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन

(च) अनुबंध/आपूर्ति आदेश को पूर्ण करना

(छ) अनुबंध के बाद का प्रबंधन

15.2.3 **स्वदेशीकरण/विकास के लिए वस्तुओं का चयन** - वस्तुओं/उपस्करों के स्वदेशी विकास के लिए, निर्णय पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित व्यापक दिशा-निर्देशों को अपनाया जा सकता है:-

(क) जब ओ ई एम बंद हो रहा है या उत्पादन बंद किया गया है और उपस्कर के लिए, पूर्व आयात के लिए पुर्जे उपलब्ध नहीं है ।

(ख) वस्तुएं जिसके लिए टी ओ टी लिया गया है ।

(ग) वस्तुएं जो अल्प तकनीक की हैं और उनका नमूना उपलब्ध है तथा जिन्हें विकसित करना किफायती होगा ।

(घ) पुर्जे जो तेजी से चलते हैं और जिनकी आवश्यकता प्रकृति में आवृति है ।

(ङ) वस्तुएं, जिनके लिए आयात-कीमत अत्यधिक है ।

(च) एम आर एल एस से छाँटी गई वस्तुएं और उनकी तकनीकी प्रक्रियाओं की उपभोग दर पर आधारित आयात सूची ।

(छ) जहां एक भारतीय फर्म 'लागत नहीं : प्रतिबद्धता नहीं' के आधार पर वस्तु के विकास करने का प्रस्ताव करती है ।

(ज) विशेष मामलों में, जहाँ स्वदेशीकरण अथवा अन्य किसी सामरिक कारण से रिकार्ड करना राज्य के हित में माना जाता है, उदाहरण के लिए गोपनीय उकरण ।

15.2.4 **<u>विकास अनुबंधों के लिए फर्मों को वितरण</u>** - अनुबंध दस्तावेज निशुल्क जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा, बयाना के रुप में धरोहर राशि और सुरक्षा के रुप में धरोहर राशि को, ख्याति प्राप्त फर्मों के मामले में/डी एस एंड डी, डी जी क्यू ए/डी जी ए क्यू ए अथवा अन्य विभागों, सेवाओं के साथ पंजीकृत फर्मों को प्रति मामले के आधार पर अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है । फर्मों को दिए गए विकास आदेशों में परिनिर्धारित क्षति का खंड नहीं हो सकता है यदि वस्तु/भंडारों के विकास के लिए वेंडरों को आकर्षित करना कठिन होता है जिसका विनिर्देशन, व्यापक रुप से प्रयोग होने वाले मानकों जैसे आई एस/बी एस आदि द्वारा सामान्य रुप से संचालित नहीं है ।

15.3 <u>कागजातों के ब्यौरे और डिजाइन के तत्व</u>

15.3.1 **<u>मॉडल विकास अनुबंध सामान्यतया निम्नलिखित दो प्रकार के हैं:-</u>**

(क) वे जहां, प्रोटोटाइप मॉडल की औद्योगिक इंजीनियरिंग, डाटा के पूर्ण डिजाइन पर फर्म द्वारा की जानी है जो एक मौजूद/मूल मॉडल के विकास और डिजाइन द्वारा स्थापना/विभाग में पहले से ही विकसित किया गया है ।

(ख) वे जहां, डिजाइन, विकास और इंजीनियरिंग को, विकासात्मक प्राधिकरणों से तकनीकी मार्गदर्शन और सलाह के अंतर्गत किसी फर्म द्वारा पूर्ण रुप से बनाया जाता है। इस मामले में, उद्योग के उपलब्ध विशेषज्ञता का उपयोग और तीव्र और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना संभव हो सकता हे ।

15.3.2 **<u>डिजाइन तत्व</u>** - ऊपर दिए गए पैरा 15.3.1 (क) के अनुसार अनुबंध के मामले में, विकास अनुबंध हमेशा एक तकनीकी मसौदे/डिजाइन विनिर्देश और अन्य सूचना जिसे स्थापना/स्वदेशीकरण निदेशालय/प्रयोगशाला/कार्यशाला/डिपो द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, पर आधारित होंगे । ऊपर के अनुबंध प्राधिकरण द्वारा आवश्यक, अनुबंधकर्त्ता द्वारा संगत ड्राईंग और अन्य दस्तावेजों के प्रकारों सहित औद्योगिक इंजीनियरिंग के मॉडल/उपस्कर के विकास और मॉडल उपस्कर की आपूर्ति के लिए प्रावधान निहित होने चाहिए । एक विशिष्ट अवधि के लिए उपस्कर के डिजाइन सामग्री, कार्य कौशल और प्रदर्शन को भी अनुबंधकर्त्ता द्वारा गारंटी दी जानी चाहिए ।

15.4 <u>वेंडर की पहचान/विकास</u>

15.4.1 **<u>वेंडरों की पहचान</u>** - उचित वेंडरों की पहचान एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है और इस पर अच्छी तरह से विचार किया जाना चाहिए । जहां भी संभव हो उन वेंडरों को जो डी जी ओ क्यू ए/डी जी क्यू ए/डी आर डी ओ/ ओ एपु/डी पी एस यू /स्वदेशी सेवाएं ऐजेंसियों/एन एस आई सी से पंजीकृत संपर्क किया जाना चाहिए । उपयुक्त वेंडरों की डी जी क्यू ए के साथ पंजीकृत फर्मों अथवा अन्य किसी रक्षा स्थापना के अलावा अन्य विकास ऐजेंसियों के परामर्श से विकास ऐजेंसियों द्वारा पहचान की जा सकती है । गैर-पंजीकृत फर्म को उनके बुनियादी सुविधाओं, क्षमता, तकनीकी क्षमता और वित्तीय क्षमता, को ध्यान में रखकर विचार किया जा सकता है । इस उद्देश्य के लिए प्रारुप फार्म डीपीएम-5 में संलग्न है । राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फर्मों पर भी, रक्षा सचिव के अनुमोदन के साथ स्वयं प्रमाणीकृत के आधार पर विचार किया जा सकता है ।

15.4.2 **<u>नामांकन के लिए आमंत्रित आवेदनों द्वारा विकास के स्रोत</u>** - निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:-

(क) विभिन्न उत्पादों/घटकों के संबंध में, विभाग/संगठन द्वारा जारी की गई संविदाओं में भाग लेने के इच्छुक फर्मों की नियुक्ति के लिए प्रतिवर्ष प्रमुख समाचार पत्रों में और इंटरनेट पर खुले विज्ञापन दिए जाएंगे ।

(ख) इच्छुक फर्म, टैंडर में दिए अनुसार विकसित किए जाने वाले उत्पाद/घटक को देखने हेतु कारखाना/कार्यशाला/डिपो का निरीक्षण कर सकती हैं । तत्पश्चात् उत्पादक घटक को विकसित करने में रुचि दिखाने वाले फर्मों को, वेंडर पंजीकरण हेतु निर्धारित दस्तावेजों के अनुसार उनके पास उपलब्ध्न बुनियादी सुविधाओं के ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए ।

(ग) फर्मों द्वारा दिए गए बुनियादी सुविधाओं के ब्यौरों को अधिकारियों की एक टीम ने अध्ययन के आकलन के लिए अपनी वास्तविक क्षमता को सत्यापित करने के लिए क्षमता निर्माण उत्पाद विकासशील/घटक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

(घ) उत्पाद/घटक के विकास में सक्षम पाई गई फर्मों को पहचान के लिए उत्पाद के नमूने (विज्ञापन के अनुसार) के अपेक्षित संख्या में प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए । नमूना स्वीकार करने पर, उक्त घटक/उत्पाद के लिए, फर्म एल टी ई में भाग लेने के लिए योग्य हो जाएगी ।

(ङ) कोई फर्म भारी निवेश की आवश्यकता की वजह से नमूने को प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं हो सकती है । ऐसे मामलों में, स्वदेशीकरण एजेंसी/निदेशालय फर्म को निम्न अनुसार एक विकास आदेश दे सकता है:-

i. नमूने की लागत का, अधिकारियों के एक बोर्ड के माध्यम से जिसमें वित्त के प्रतिनिधि होंगे, मूल्यांकन किया जाएगा ।

ii. फर्म को दर का प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा जाएगा और यदि कीमत मूल्यांकित लागत से बराबर या कम होती है तो दिए गए मूल्य दर पर फर्म पर विकास आदेश दिया जा सकता है ।

iii. यदि फर्म, मूल्यांकित लागत से अधिक मूल्य को उद्धृत करती है तो कीमत पर फर्म से वार्ता की जाएगी और मूल्यांकन कीमत पर विकास आदेश दिया जाएगा।

15.4.3 **<u>क्षमता का मूल्यांकन</u>** - डी जी क्यू ए/डी जी एन ए आई/डी जी ए क्यू ए/सरकारी ऐजेंसी के साथ पंजीकृत नहीं हुई फर्मों की क्षमता मूल्यांकन/सत्यापन, डी जी क्यू ए/डीजी एन ए आई/डी जी ए क्यू ए, अन्य निरीक्षण ऐजेंसियों या अन्य तकनीकी ऐजेंसियों/समितियों से एक सदस्य द्वारा विकास ऐजेंसी द्वारा किया जाना है ताकि फर्मों का आवश्यकतानुसार प्रोटोटाइप उपस्कर और प्रणाली को विकसित करने में सक्षम

होना सुनिश्चित हो सके । जहा, सी एफ ए द्वारा आवश्यक समझा जाए, फर्म की वित्तीय क्षमता के मूल्यांकन के लिए आई एफ ए को साथ लिया जा सकता है । जब कोई फर्म गुणवत्ता और मात्रा के अनुसार , +/-5% सहिष्णुता के भीतर किसी आदेश को सफलतापूवर्क पूरा करती है तो उसे पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

15.4.4 **तकनीक का स्थानांतरण (टी ओ टी)** - जब उपस्कर विदेशी वेंडर से खरीदा जाता है, एक निजी/ सार्वजनिक फर्म को बुनियादी अनुरक्षण उपलब्ध कराने के लिए टी ओ टी के प्रावधानों को ध्यान में रखा जा सकता है और विदेशी वेंडर को एक भारतीय फर्म की पहचान करने की आवश्यकता होगी जो उपस्कर के संपूर्ण जीवनकाल के लिए बेस मरम्मत (तीसरी लाइन) और अपेक्षित पुर्जे उपलब्ध कराएगा । ये फर्में डी पी एस यू/ओ एफ बी/आर यू आर/अथवा अन्य कोई फर्म होंगी जो इस प्रयोजन के लिए विशेष रुप से चुनी गई हैं । इसके अतिरिक्त, सेनाबेस कार्यशाला/नौसेना गोदीवाड़ा/वायुसेना का बेस मरम्मत डिपो पर, आर एफ पी अवस्था पर, डी डी पी के साथ परामर्श से प्रति मामले के आधार पर विचार किया जा सकता है । आर एफ पी, अनुरक्षण की बुनियादी सुविधा के लिए टी ओ टी की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करेगा जो कुछ पुर्जों के उत्पादन, बेस मरम्मत सुविधाओं की स्थापना को पूरा करेगा जिसमें उपस्कर के संपूर्ण जीवन-काल के लिए परीक्षण सुविधा और पुर्जों का प्रावधान शामिल है । विदेशी और भारतीय दोनों फर्में, अनुरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने और उस उपस्कर के समर्थन के लिए संयुक्त रुप में जिम्मेदार होंगी ।

15.5 आर एफ पी का ढाँचा बनाना और जारी करना

15.5.1 **प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर एफ पी)** - किसी वस्तु के विकास/स्वदेशीकरण में, डिजाइन, ड्राईंग, निर्माण, प्रोटोटाइप उपस्कर और प्रणाली के विकास प्रक्रिया के दौरान गुणवत्ता आश्वासन, जाँच एव परीक्षण और विभिन्न अवस्थाओं पर निरीक्षण की आवश्यकता हो सकती है। आर एफ पी उन फर्मों को दिया जाएगा जिनके पास प्रस्तावित विकास के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं हों । विकास समय को बचाने के लिए और विकसित किए जाने वाले भंडारों की वर्गीकृत प्रकृति के मामले में, फर्मों/अनुबंधकर्त्ताओं से, सीमित संविदा आधार पर सामान्य रुप से दरें आमंत्रित की जा सकती हैं जो विशेष विकास कार्यों को करने के लिए सक्षम हैं । तथापि, मामले की विशेष आवश्यकताओं के आधार पर, जैसे भी आवश्यक हो, विकास ऐजेंसी चाहे ओ टी ई, एल टी ई अथवा एस टी ई आधार पर आर एफ पी को जारी करने को उचित ठहरा सकती है ।

15.5.2 **पूर्व-बोली सम्मेलन** - वर्तकुंजी अनुबंधों के मामले में अथवा परिष्कृत और जटिल उपकरण के विकास के लिए, बोली दस्तावेजों में दिए गए विनिर्देशों और संयंत्र, मशीनरी, और उपस्कर के अन्य तकनीकी ब्यौरों के बारे में, मुद्दों और संशयों यदि कोई हों, के स्पष्टीकरण हेतु एक पूर्व बोली सम्मेलन के लिए बोली दस्तावेजों में एक उपयुक्त प्रावधान किया जाना है । पूर्व बोली सम्मेलन की तिथि, समय और स्थान का बोली दस्तावेजों में संकेत होना चाहिए और यह बोली खोलने की तिथि से पर्याप्त रुप से आगे होनी चाहिए ।

15.6 **बोलियों की प्राप्ति और मूल्यांकन**

15.6.1 **बोली खोलना/तकनीकी मूल्यांकन और सी एन सी** - फर्म द्वारा दी गई दरों में कोटेशन खोलने का स्थान, तिथि और समय का उल्लेख होगा और बोलियां, फर्म के प्रतिनिधि की उपस्थिति में, यदि वह उपस्थित हो, अधिकारियों के बोर्ड द्वारा नियत समय पर खोली जाएंगी । संविदा खोलने, तकनीकी मूल्यांकन, सी एस टी की तैयारी और उसके वाणिज्यिक मूल्यांकन के लिए टी पी सी/सी एन सी का आयोजन हेतु प्रक्रिया इस डी पी एम के प्रासंगिक अध्यायों में दिए अनुसार की जाएगी ।

15.6.2 **परिणामी एकल वेंडर की स्थिति** - एल टी टी/खुली संविदा आमंत्रण के मामले में, यदि केवल एक फर्म सभी विनिर्देशों को पूरा करने के लिए सक्षम पाई जाती हैं तो निम्नलिखित पहलुओं की जाँच की जाएगी:-

(क) क्या सभी आवश्यक जरुरतें जैसे मानक संविदा पूछताछ स्थिति, व्यापक प्रचार और संविदाओं के निर्माण के लिए पर्याप्त समय का आर एफ पी जारी करते समय ध्यान रखा गया था ।

(ख) क्या आर एफ पी से भेजा गया था और संभावित वेंडरों द्वारा विधिवत् रुप से प्राप्त किया गया था।

(ग) क्या एस क्यू आर को व्यापक प्रतियोगिता उत्पन्न करने के लिए पुन: तैयार किया जा सकता है ।

(घ) क्या बोली में दिया गया मूल्य उचित माना गया है ।

15.6.3 **परीक्षण** - यदि परीक्षण से पता चलता है कि (क) से (घ) तक यदि आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं तो प्रस्ताव को ओ टी ई/एल टी ई के रुप में यदि लागू हो, विकास आदेश के लिए सी एफ ए के अनुमोदन से पूरा किया जा सकता है । तथापि, यदि उद्धृत किया हुआ मूल्य वाणिज्यिक बोली खोलने से पहले बैंच मार्किंग के आधार पर उचित नहीं है अथवा प्रस्ताव तकनीकी रुप से संभव नहीं है अथवा फर्म को वस्तु के विकास के लिए योग्य नहीं माना जाता, बोली को सी एफ ए के अनुमोदन से मना कर देना चाहिए ।

15.6.4. **मूल्य की उपयुक्तता** - वैंडर के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह शीर्षों के अंतर्गत लागत के विस्तारित ब्योरे जमा कराए जैसे सामग्री (स्वदेशीन/आयातित, मात्रा, लागत) मजदूर (श्रम, घंटों की संख्या, श्रम घंटों की दरें आदि) डिजाइन और विकास, ड्राइंग और अधिशीर्ष जो विभाग/संगठन की तकनीकी टीम द्वारा पुनरीक्षित होगा । आयातित वस्तुओं का अंतिम खरीद मूल्य (एल पी पी) को उद्धृत की गई दरों के उपयुक्तता प्राप्त करने हेतु मूल कीमत के रुप में प्रयोग किया जाएगा । यदि एल पी पी उपलब्ध नहीं है तो मूल्य बैंच मार्किंग की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाएगा जो डी पी एम के अध्याय 13 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार वाणिज्यिक बोली खोलने से पहले किया जाएगा । L_1 का विकास लागत के संदर्भ में निर्धारण होगा जिसमें प्रोटोटाइप की लागत और कुल मात्रा जिसके लिए प्रारंभिक आदेश किए गए हैं, शामिल होंगी, अगले दो से तीन वर्षों के दौरान आवश्यक मात्राओं के संकेत भी आर एफ पी में दिए जाने चाहिए।

15.7 <u>अनुबंधों के प्रकार</u>

15.7.1 **<u>अनुबंध के प्रकार को अपनाना</u>** - अनुबंध के विभिन्न प्रकार विकास कार्य, परियोजना की प्रकृति, जटिलता और समय की अवधि के आधार पर अपनाए जा सकते हैं । ये नीचे दिए गए हैं तथापि, सामान्य रुप से फर्म-नियत-मूल्य अनुबंध, वृद्धि खंड के साथ नियत मूल्य अनुबंध और विरचना अनुबंध का समापन किया जाएगा । इन तीन अनुबंधों के अलावा अन्य अनुबंध केवल, संबंधित आई एफ ए परामर्श से सेवा मुख्यालयों के पूर्व अनुमोदन/संगठन के प्रमुख/विभाग/सेवा/मुख्यालय अनुरक्षण कमान के साथ अपनाए जाएंगे ।

15.7.2 **<u>फर्म-नियत-मूल्य अनुबंध</u> -** फर्म नियत मूल्य अनुबंध का अर्थ है, आपूर्ति किए गए डाटा/विनिर्देशों पर आधारित, विकास/स्वदेशीकरण और उपस्कर की आपूर्ति के लिए एक मुश्त राशि पर सहमति व्यक्त की गई है और जिसमें किसी भी कारण से अनुबंध के प्रदर्शन के दौरान कोई समायोजन नहीं होगा । फर्म या अनुबंधकर्त्ता, लाभ या हानि का पूरा वित्तीय उत्तरदायित्व लेगा । इस तरह का अनुबंध तब सबसे अच्छा माना जाता है जब निश्चित डिजाइन और प्रदर्शन विनिर्देश उपलब्ध है और जब सरकार विकास/स्वदेशीकरण के उचित मूल्य का अनुमान लगा सकती है ।

15.7.3 **<u>वृद्धि के साथ नियत मूल्य अनुबंध</u>** - यह, फर्म-नियत मूल्य अनुबंध के जैसा ही है, सिवाय इसके कि अनुबंध मूल्य के उर्ध्वगामी या अधोगामी संशोधनों की, फर्म/अनुबंधकर्त्ता के नियंत्रण से परे की कुछ आकस्मिकताओं जैसे वेतन और सामग्री की लागत में वृद्धि/कमी होने पर, अनुमति दी जा सकती है । वृद्धि का ऐसे अनुबंधों में वृद्धि सूत्र शामिल किया जाना चाहिए और दीर्घ अवधि के अनुबंधों में इस वृद्धि की अधिकतम सीमा को भी तय किया जाना चाहिए । केवल दीर्घकालिक अनुबंधों में ही मूल्य भिन्नता शर्त दी जा सकती है जहां सुपुर्दगी की अवधि 18 महीनों से ज्यादा हो जाती है । जब भी ऐसी शर्त विकास अनुबंधों में शामिल होती हैं तो डी पी एम में कहीं भी दिए गए मूल्य भिन्नता शर्त के लिए निर्धारित शर्तें लागू होगी ।

15.7.4 **<u>मूल्य के पुनर्निर्धारण के लिए उपलब्ध नियत मूल्य अनुबंध</u>** - इस तरह के अनुबंध द्वारा वृद्धि के साथ नियत मूल्य अनुंबंध के मामले के कारणों के अलावा, आकिस्मकताओं के प्रभाव को समाप्त करना होता है। ये आकस्मिकताएं, अनुबंधकर्त्ता की/फर्म की कच्चे माल या निर्माण प्रक्रिया की जानकारी न होने, दीर्घावधि के अनुबंधों, विनिर्देशों की कमी या उत्पाद विनिर्देशों के बजाय प्रदर्शन के प्रयोग के कारण हो सकती हैं । ऐसे मामलों में संभावित पुनर्निर्धारण किया जा सकता है:-

i. किसी भी पक्ष द्वारा अनुरोध पर
ii. बताए गए अंतरालों पर
iii. एक निर्धारित समय पर

15.7.5 **<u>नियत मूल्य प्रोत्साहन अनुबंध</u> -** इस तरह के अनुबंध को, यदि लागत कम हो तो अधिक लाभ और जब लागत बढ़ती है तो कम लाभ द्वारा अनुबंध की लागतों को कम करके फर्म/अनुबंधकर्त्ता को अधिकतम प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है । ये लागतें, लक्ष्य लागत की अंतिम सीमा, लक्ष्य लाभ, मूल्य की अंतिम सीमा और अंतिम मूल्य पर पहुंचने के लिए सूत्र को अनुबंध के निष्पादन से पहले ही तय करना है । इस तरह के अनुबंध केवल शुरु के विकास अनुबंधों पर ही लागू होंगे ।

15.7.6 **अतिरिक्त लागत अनुबंध** - अतिरिक्त लागत अनुबंध से, आमतौर से बचा जाना चाहिए । जहां ऐसे अनुबंध अपरिहार्य हों, क्योंकि कोई भी वेंडर विकास करने का इच्छुक नहीं है, अनुंबंध आरंभ करने से पहले पूर्ण औचित्य दर्ज किया जाना चाहिए । इस तरह के अनुबंध में, फर्म/अनुबंधकर्त्ता, व्यय की हुई लागतों की प्रतिपूर्ति करता है और अनुबंध के लिए भी एक समझौता करके लाभ प्राप्त करता है अर्थात् फर्म/अनुबंधकर्त्ता का लाभ न कि विकास की लागत नियत है । वस्तु की लागत के प्रति अनुबंधकर्त्ता की जिम्मेदारी न्यूनतम है सिवाय इसके कि उसे वही ध्यान और दूरदर्शिता का प्रयोग करना होगा जैसे कि नियत मूल्य अनुबंधों के अंतर्गत की जाती है । यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि फर्म/अनुबंधकर्त्ता के पास लागत लेखा मशीन है और लागत स्पष्ट रुप से परिभाषित की गई है । विभाग द्वारा, एक कड़ा अनुसंधान और विकास निरीक्षण उपलब्ध किया गया है ताकि फर्म द्वारा की गई लागतों को न्यूनतम करना सुनिश्चित हो सके । आर एफ पी, आदेश देने वाली ऐजेंसी द्वारा जाँच किए जाने के लिए फर्म के लेखा खातों को उपलब्ध कराएगा ताकि मानक प्रारुप के अनुसार परीक्षण खंड को शामिल करके लागतों की पुष्टि हो सके । जहां आपूर्ति या कार्य, एक लंबी अवधि तक जारी रहता है, आपूर्तिकर्त्ता/अनुबंधकर्त्ता को उनकी उत्पादन तरीकों को स्थिर करने के लिए उन्हें एक उचित अवधि की अनुमति प्रदान करने के बाद, एक नियत मूल्य आधार पर भविष्य के अनुबंधों को परिवर्तित करने के प्रयास किए जाने चाहिए ।

15.7.7 **अनुबंध की विरचना** - अनुबंध की विरचना का अर्थ है - एक बार का अनुबंध, स्वदेशीकरण निदेशालय/आर एंड डी प्रयोगशाला/स्थापवना/कार्यशाला/डिपो/संस्थान द्वक्षरा आपूर्ति किए जाने वाले डिजाइन, ड्राईंग/विनिर्देशों के समक्ष विरचना और घटकों की आपूर्ति उप सतन्वायोजनों या एक सतन्वायोजन जो वाणिज्यिक रुप से उपलब्ध नहीं है के लिए एक अनुबंधकर्त्ता या एक फर्म के साथ किया गया है ।

15.8 विकास अनुबंधों की समाप्ति

15.8.1 **विकास अनुबंध देने के लिए शर्तें** - अनुबंध आरंभ करने में प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा:-

(क) लिखित में अनुबंध, कई फर्मों/अनुबंधकर्त्ताओ से दरें मंगाने के बाद किया जाना चाहिए जब तक एस टी ई का सहारा लेना चाहिए जिसके लिए विस्तृत औचित्य आवश्यक होंगे। जटिल प्रकृति के अनुबंधों के डिजाइन/विकास/विरचना में द्वी-बोली प्रणाली का पालन किया जाना चाहिए । अन्य मामलों में, एक ही बोली आमंत्रित की जा सकती है । किसी संशय पूर्ण क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए और बोलियों को जमा करने से पहले एस क्यू आर/क्यू आर को पक्का करने के लिए भी एक पूर्व बोली सम्मेलन किया जा सकता है ।

(ख) जब परियोजनाओं के विभिन्न चरणों की स्वीकृति के लिए ब्यौरे या मांगपत्र प्रस्तुत किया जाता है, सेवा के प्रमुख या स्थापना/निदेशक/संबंधित खरीद अधिकारी को राशि का उल्लेख करना चाहिए जिसे परियोजना की कुल लागत में से अनुबंध के विकास/विरचना पर खर्च किया जाना है। इस अवस्था में फर्म के साथ की गई पूछताछ से संबंधित ब्यौरों यदि कोई हों, तो निर्माण के लिए प्रोटोटाइप की संख्या और एक या अधिक फर्मों द्वारा निर्माण किए जाने वाले प्रोटोटाइप का उल्लेख किया गया है ।

(ग) वित्तीय स्थिति और तकनीकी क्षमता सत्यापन रिपोर्ट के साथ-साथ तकनीकी वाणिज्यिक आवश्यकताओं के अनुपालन, टी ई सी अवस्था में ही ले लिया जाता है केवल उन्हीं फर्मों की 'क्यू' बोली खोली जाएंगी जिन्हें टी ई सी द्वारा पास की गई है ।

(घ) सामान्यत:, अग्रिम भुगतान को भुगतान शर्तों से सहमत हाने की आवयश्यकता नहीं है । तथापि, अग्रिम भुगतान किए जाने चाहिए इन्हें, उचित स्टैम्प पेपर पर निष्पादित बैंक गारंटी के समक्ष किया जाना चाहिए । यदि फर्म/अनुबंधकर्त्ता को स्टेज भुगतान किया जाना है, अवस्थाओं को स्पष्ट रुप से परिभाषित किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित होना चाहिए कि भुगतान, प्रत्येक अवस्था के अनुसार, फर्म/अनुबंधकर्त्ता द्वारा वास्तव में किए गए कार्य के अनुरुप हों अर्थात् प्रारंभिक, डिजाइन की समीक्षा, विस्तृत डिजाइन की समीक्षा और प्रोटोटाइप की प्राप्ति । भुगतान की मात्रा, उस अवस्था तक अनुबंधकर्त्ता द्वारा किए गए अनुमानित व्यय के 50% से अधिक नहीं होंगी । कार्य के माप के लिए मानदंड, अनुबंध में दिए जाएंगे ।

(ङ) जब एक अनुबंध समाप्त हो जाता है, उसकी नियम और शर्तों में, आमतौर से परिवर्तन नहीं किया जाएगा । तथापि, जहां यह आवश्यक/अनिवार्य हो जाता है, कोई संशोधन, उपयुक्त सी एफ ए और संबंधित आई एफ ए की पूर्व सहमति के साथ किया जाएगा ।

(च) विरचना में मार्ग दर्शन के लिए जारी किए गए विरचना या प्रोटोटाइप या उप-सतन्वायोजनों के लिए, फर्म/अनुबंधकर्त्ता को जारी किए जाने वाले भंडारों को उपयुक्त बैंक गारंटी के समक्ष जारी किया जाना चाहिए । बैंक गारंटी के अतिरिक्त, जहां आवश्यक समझा जाए केवल वहीं उचित बीमा के लिए कहा जा सकता है ।

15.8.2 **<u>मानक और विशेष शर्तें</u>** - मानक शर्तें, जैसा कि परिशिष्ट 'ग' के भाग III के अनुसार जो अनुबंध पर लागू हैं केवल वही अनुबंधकर्त्ता को दी जाएंगी । अनुबंधकर्त्ता की आवश्यक समझी जाने वाली कोई विशेष शर्तें, स्थापना/स्वदेशी निदेशालय/प्रयोगशाला/विकासशील ऐजेंसी/संबंधित विभाग द्वारा दी जाएंगी और अन्य दस्तावेजों के साथ संविदाकर्त्ताओं को जारी किए जाएंगी । सफल बोलीदाता, परिशिष्ट-ढ के मसौदे के अनुसार समझौते को अंतिम रुप देगा ।

15.8.3 **<u>अनुबंधों की विरचना</u>** - इस मामले में, दरों की स्वीकृति, आपूर्ति आदेश का रुप ले लेगी । विरचना आदेशों के लिए परिशिष्ट 'ण' में दिया गया प्रारुप यहां अनुबंधित किया जाएगा ।

15.9 <u>आदेश की व्यवस्था</u>

15.9.1 स्वदेशी विकास के लिए आर्थिक रुप से व्यवहार्य समझी जाने वाली वस्तुओं के मामले में, पहला आदेश, केवल आर्थिक आदेश मात्रा (ई ओ क्यू) के लिए दिया जा सकता है, मांग पत्र में ई ओ क्यू के अतिरिक्त वस्तुओं की शेष संख्या को मांग पत्र कर्त्ता को वापस दी जा सकती है और उपर्युक्त को, केवल ई ओ क्यू के लिए निधियों को पुन: प्रमाणित करने को कहा जा सकता है । किसी आयात मार्ग के माध्यम से किसी अन्य स्रोत के माध्यम से मांग करने वाला अपनी शेष राशि प्राप्त कर सकता है । सामान्यतया, किसी रक्षा मद के स्वदेशी विकास के लिए, दो से तीन वर्षों की अवधि उपलब्ध हो सकती है ।

15.9.2 यदि, दो वेंडरों के बीच वितरित किए जाने पर, उपस्कर/पुर्जों की मात्रा सीमित/कम है और अलाभकर (गैर- ई ओ क्यू) हो सकती है तो संपूर्ण आदेश केवल L_1 वेंडर को ही दिया जाएगा ।

15.9.3 यदि मांगी गई मात्रा, मूल्यांकित ई ओ क्यू से कम पाई जाती है, स्वदेशी ऐजेंसी पहले आर एफ पी को फ्लोट करेगी और यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो इसे स्वदेशीकरण के लिए नहीं लिया जाएगा जब तक इसका विकास, सामरिक कारणों के लिए आवश्यक न समझा जाए ।

15.10 द्वितीय/नए स्रोतों का विकास

15.10.1 **प्रक्रिया** - अतिरिक्त स्वदेशी स्रोतों के विकास को तेज करने की दृष्टि से एक नए स्रोत के विकास के लिए मांग पत्र की निर्धारित मात्रा को अलग रखने के सवाल पर विचार किया गया और एक विकासात्मक प्रकृति की वस्तुओं की अधिप्राप्ति के किए विशेष रुप से 10 करोड़ रुपए और अधिक के उच्च मूल्य वाले मांग पत्रों के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है:-

(क) जहाँ, केवल एक ही विकसित स्रोत है अथवा जहाँ दो स्रोतों से अधिक के विकास की आवश्यकता है दूसरे मांग पत्र का केवल 20% को विकसित किए जाने वाले नए स्रोत पर शिक्षा आदेश के रुप में स्थानापन्न के लिए अलग रखना चाहिए । हालांकि, प्रतिशत में यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किया जा सकता है कि यह मात्रा आर्थिक उत्पादन के लिए सक्षम है । 20% अलग से रखे गए, के लिए आदेश, दी गई सामान्य प्रक्रिया के अनुसार संविदाओं (ओ टी ई/एल टी) के आमंत्रण द्वारा किए जाने चाहिए और पहले से ही विकसित स्रोत इसमें शामिल नहीं होंगे ।

(ख) मांगपत्र का शेष 80% को पहले से ही विकसित स्रोतों से प्राप्त किया जाना है । स्रोत विकास संविदा की कम-से-कम 50% मात्रा के लिए बोली को प्रस्तुत करने के द्वारा फर्में जो 5% सहिष्णुता शर्त के भीतर स्रोत विकास आदेश निष्पादित करते हैं, उन पर स्थापित स्रोत के रुप में विचार किया जाएगा ।

(ग) नए स्रोत का लंबित सफल विकास इस संबंध में दिए गए सामान्य प्रक्रिया को अपनाकर सेवाओं द्वारा मांग की गई आवश्यक मात्रा के लिए विकसित स्रोतों पर आदेश किया जाना चाहिए ताकि उत्पादन और सेवाओं की मात्रा को आवश्यकता के बिना किसी देरी के मिलना सुनिश्चित हो सके ।

(घ) एक नए स्रोत के मामले में, जिस पर 20% की मांग का आदेश दिया गया था, वस्तु का निर्माण करने में असफल होता है तो, दी गई सामान्य प्रक्रिया अपना कर नए स्रोत का चयन करके उसे आदेश दिया जाना चाहिए ।

(ङ) एक अविकसित स्रोत जिसने एक आदेश लिया हुआ है को दूसरा आदेश जारी नहीं किया जाएगा जब तक;-

i. पहले आदेश के समक्ष, वस्तु के लिए एक थोक उत्पादन बी पी सी प्रदान की गई है।

ii. उसको दिए गए पहले आपूर्ति आदेश की कम से कम 50% की आपूर्ति की गई हो जिसे विधिवत स्वीकार किया गया है ।

15.10.2 **निर्माण ड्राईंग प्राप्त करना** - किसी वस्तु की आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों का तेजी से विकास करने के लिए, एक अनुबंधकर्त्ता द्वारा विकसित और उत्पादन के बाद सरकार को अनुबंधकर्त्ता द्वारा निर्माण की ड्राईंग दी जानी चाहिए । क्योंकि निर्माण की ड्राईंग अनुबंधकर्त्ता द्वारा विकसित और अंतिम रुप से बनाई गई है जिसने प्रारंभ में वस्तु का निर्माण किया था, यह हो सकता है कि अनुबंधकर्त्ता ऐसी ड्राईंग पर अपने-अपने अधिकार का दावा करें और उन्हें देने से सहमत न हो । तदनुसार, संविदा पूछताछ में एक शर्त शामिल होनी चाहिए जो स्पष्ट करे कि आवश्यक भंडार के निर्माण के लिए अनुबंधकर्त्ता द्वारा तैयार किए गए निर्माण की ड्राईंग/औजार/ जिग्स/फिक्चर्स/ड्राई/मोल्ड रक्षा मंत्रालय की संपति होगी और इसे खरीदार को दिया जाना चाहिए तथा अनुबंधकर्त्ता द्वारा आई एफ ए के परामर्श से, सक्षम वित्तीय प्राधिकरण की लिखित अनुमति के बिना इस अनुबंध के अलावा किसी दूसरे के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए ।

15.10.3 **रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा विकसित की गई वस्तुएं -** ऐसे मामलों में, जहां, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन/रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/आयुध निर्माणी बोर्ड/आर यू आर ने रक्षा मंत्रालय के लिए कोई वस्तु विकसित की है अथवा रक्षा मंत्रालय के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण (टी ओ टी) किया है, उसे एकल वेंडर मामलों के रुप में नहीं लिया जाएगा और केवल एक वाणिज्यिक आर एफ पी प्रत्यक्ष रुप से जारी की जाएगी । इसके बजाए, उन्हें किसी बाद की खरीद के लिए सांपत्तिक फर्म के समकक्ष व्यवहार किया जाएगा । सिवाय इसके कि पी ए सी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है । इसके अलावा, पी ए सी खरीदों के लिए सी एफ की प्रदत्त वित्तीय शक्तियों, को ऐसी अधिप्राप्तियों के लिए प्रयोग किया जाएगा । तथापि, आदेश देने से पहले जाँच होगी कि टी ओ टी अनुबंध के समापन के समय तकनीकी आमेलन स्तर पर हो ।

15.11 भुगतान की शर्तें

15.11.1 **सामान्य** - अच्छी अवस्था में सामग्री की प्राप्ति और स्वीकृति के बाद अथवा आपूर्तिकर्त्ता के बिल की प्राप्ति की तिथि के बाद जो भी बाद में हो, भुगतान की सामान्य शर्तें 30 दिनों के भीतर 100% भुगतान हो । तथापि, अनुबंधकर्त्ता के साथ परस्पर सहमति के अनुसार, वारंटी अवधि के दौरान निष्पादन गारंटी (जहां सुरक्षा राशि नहीं ली गई है) के रुप में 10% की राशि रोकी जा सकती है ।

15.11.2 **वैकल्पिक** - वैकल्पिक रुप से, प्रेषण के प्रमाण के समक्ष 90% तक का भुगतान, पहलुओं जैसे आपूर्तिकर्त्ता की प्रतिष्ठा और पिछले प्रदर्शन तथा आपूर्तिकर्त्ता के परिसर पर वस्तुओं का पूर्व-निरीक्षण जहां आवश्यक हो, को ध्यान में रखा जा सकता है । सड़क द्वारा प्रेषण के लिए ऐसे भुगतान केवल तभी किए जाएंगे जब वस्तुएं आपूर्तिकर्त्ता की लागत पर हों ।

15.11.3 **आपूर्तिकर्त्ता को अग्रिम भुगतान** - सामान्यतया, फर्मों/अनुबंधकर्त्ताओं को अग्रिम का भुगतान नहीं किया जाएगा और दी गई सेवाओं के लिए भुगतान या की गई आपूर्तियां, सेवाएं और आपूर्तियां हो जाने के बाद ही जारी की जानी चाहिएं । तथापि, विकास और विरचना अनुबंध के मामले में अथवा वर्तकुंजी के मामले में अग्रिम देना आवश्यक हो सकता है । ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि एक न्यूनतम उचित राशि, 15% तक, आदेश देने के समय अग्रिम के रुप में दी जाती है । ऐसे अग्रिम भुगतान, सरकारी कामकाज करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विधिवत् प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या निजी क्षेत्र के बैंक से फर्म द्वारा एक समुचित बैंक गारंटी देने पर ही किए जाएंगे । बैंक गारंटी के लिए प्रारुप डी पी एम फार्म-16 में दिया गया है ।

15.11.4 **मध्यवर्ती भुगतान** - प्रारंभ में किया गया भुगतान, आपूर्तिकर्त्ता को देय, क्रमिक अवस्था भुगतानों के समक्ष समायोजित किया जाना चाहिए । मध्यवर्ती भुगतान, यदि कोई हों तो परियोजना/अनुबंध के निष्पादन की अवधि में परिव्याप्त होना चाहिए और विकास/निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं को ध्यान में रखकर उपयुक्त किश्तों में किया जाना चाहिए । ये अवस्थाएं पूर्व-निर्धारित होनी चाहिए और यह सुनिश्चित होना चाहिए कि किए गए भुगतान, फर्म/अनुबंधकर्त्ता द्वारा वास्तव में किए गए कार्य के अनुरुप हैं जैसे प्रारंभिक डिजाइन की समीक्षा, विस्तृत डिजाइन की समीक्षा, कच्चे माल की खरीद और प्रोटोटाइप की प्राप्ति आदि । भुगतान की मात्रा, उस अवस्था तक, अनुबंधकर्त्ता द्वारा किए गए अनुमानित व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । अंतिम किश्त के रुप में करीब 20% से 25% की राशि, आदेश देने वाले प्राधिकरण की पूर्ण संतुष्टि पर दी गई सेवाओं/आपूर्तियों अथवा परियोजना के पूर्ण होने के बाद ही जारी की जानी चाहिए ।

15.11.5 **विचलन** - ऊपर दी गई निर्धारित सेवाओं के अतिरिक्त अग्रिम भुगतान के मामलों में, रक्षा सचिव का अनुमोदन और वित्तीय सलाहकार/सचिव (रक्षा वित्त) की सहमति आवश्यक होगी ।

15.12 अनुबंध प्रबंधन नियोजित करना

15.12.1 **अनुबंध दस्तावेजों का अग्रेषण** - एक बार जब परियोजना मंजूर हो जाती है और विकास/विरचना के लिए अनुबंध को अंतिम रुप दिया जाता है, तो अनुबंध की एक प्रति को तकनीकी निदेशालयों के प्रमुखों/मुख्यालयों में सेवाओं/ए एच एस पी को भेजा जाएगा । अनुबंध की दो प्रतियां (एक रक्षा लेखी नियंत्रक के लिए और दूसरी संबंधित स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी के लिए) संबंधित रक्षा लेखा नियंत्रक और आई एफ ए को, उनके द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली कारवाई के लिए, अग्रेषित की जाएंगी ।

15.12.2 **तकनीकी मामले के लिए जिम्मेदारी** - विकास से संबंधित तकनीकी मामलों की जिम्मेदारी संबंधित सेवा के प्रमुख/स्थापना/स्वदेशीकरण का निदेशालय/प्रयोगशाला/कार्यशाला/डिपो/ संस्थान होगी ।

15.12.3 **निरीक्षण** - विकास की अवस्था के दौरान दो से तीन निरीक्षण हो सकते हैं, और फर्मों को उनके उत्पादों के लिए अधिक जवाबदेह बनाया जा सकता है । वे खरीददार द्वारा आवश्यक समझी गई विभिन्न प्रयोगशालाओं से किए गए विभिन्न जाँचों की रिपोर्ट देने को कहा जा सकता है । आवश्यकताओं को, अनुमोदित गुणवत्ता आश्वासन योजना (क्यू ए पी) में दर्शाया जाएगा । एक शर्त उपलब्ध की जाएगी कि यदि बाद में पाया जाता है कि फर्म ने रिपोर्ट/रिपोर्टें प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी का तरीका अपनाया है और वस्तु, आर एफ पी में दी गई विशेषताओं के अनुसार नहीं बनाई गई है तो फर्म को कम से कम तीन वर्षों के लिए भविष्य की किसी संविदा के लिए काली सूची में डाला जाएगा । जब किसी वस्तु को मुक्त प्रवाह के रुप में घोषित किया जाता है, तो आगे की खरीद के लिए डीजीक्यूए/डीजीएक्यूए द्वारा सामान्य प्रक्रिया के रुप में निरीक्षण किया जाएगा ।

15.12.4 **प्रगति की मॉनिटरिंग** - विकास/विरचना अनुबंध की प्रगति और प्रचालन की जिम्मेदारी, ऐसे अनुबंध करने वाले प्राधिकरण की होगी । उपभोक्ता, फर्म को समय-समय पर मांगे गए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेगा और किसी भी संशय को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ निकट संपर्क बनाए रखेगा । विकास की प्रगति को निकटता से मॉनिटर किया जाएगा और यदि प्रगति संतोषजनक नहीं है तो अनुबंध में दिए अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी ।

15.12.5 **दस्तावेजों को वापस लौटाना** - फर्म/अनुबंधकर्त्ता को जारी अथवा उनके द्वारा बनाए गए दस्तावेज, विनिर्देश, ड्राईंग को वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि ये सरकार के हैं । इस आशय का प्रावधान, अनुबंध में किया जाना चाहिए । इन दस्तावेजों की हानि या नुकसान, अनुबंध में किया जाना चाहिए । इन दस्तावेजों की हानि या नुकसान, अनुबंधकर्त्ताओं से वसूला जाना चाहिए।

15.13 मुक्त प्रवाह की घोषणा

15.13.1 **विकसित के रुप में वस्तु की घोषणा** - किसी वस्तु का स्वदेशीकरण पूर्ण समझा जाएगा और निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत वस्तु को मुक्त प्रवाह घोषित किया जाएगा;-

(क) जब, प्रारंभिक मात्रा इतनी अधिक नहीं है कि उसका विभाजन किया जाए और/अथवा उपस्कर/प्रणाली/वस्तु एक जटिल उच्च तकनीक की है, जिसे संयंत्र और मशीनरी की शर्तों के अनुसार निर्माण के समय पर ही भारी निवेश की आवश्यकता होती है तो एक ही स्रोत के विकास और दिए गए आदेश के समक्ष सफलतापूर्वक सुपुर्दगी, वस्तु के विकसित होने के लिए पर्याप्त समझी जा सकती है ।

(ख) अन्य सभी मामलों में, जब कम से कम एक सफल खरीददार बन जाता है और कम से कम दो स्रोत पूरी तरह से स्थापित हो जाते हैं, तो इससे न केवल मूल्यों की प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी अपितु सरकार की किसी एक स्रोत पर निर्भरता भी समाप्त होगी ।

(ग) ए एच एस पी द्वारा वस्तु/उपस्कर का संहिताकरण पूर्ण होना (सभी मामलों में लागू)

(घ) प्रथम आपूर्ति आदेश के पूर्ण होने की तिथि से 5 वर्षों के भीतर, उपर्युक्त क्रम (ख) की शर्त के अंतर्गत, वस्तु के लिए यदि दूसरा स्रोत विकसित नहीं होता है तो वस्तु को 'मुक्त प्रवाह' के रुप में घोषित किया जा सकता है अर्थात् उसके बाद विकसित की गई तथापि, पूर्ण तर्कसंगत के साथ इसका अपवाद हो सकता है जाहं कोई वस्तु पहले भी मुक्त प्रवाह घोषित की गई है ।

15.13.2 **<u>निर्माण से जुड़ी ऐजेंसियों द्वारा थोक उत्पादन</u>** - वस्तु के विकसित होने की घोषणा के बाद, पहला थोक उत्पादन, उत्पादन ऐजेंसी/वस्तु के विकास में मुख्यालय/विभाग से जुड़ी ऐजेंसियां को दिया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

(क) उत्पाद के विकास से जुड़ी उत्पादन ऐजेंसी (ऐजेंसियों) के लिए, मात्रा का आरक्षण, प्रारंभिक आदेश मात्रा के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(ख) जहां, प्रारंभिक मात्रा इतनी अधिक नहीं है कि उसका विभाजन किया जाए और/अथवा वस्तु उच्च तकनीक की है, जिसके लिए संयंत्र और मशीनरी की शर्तों के अनुसार विकास के समय ही पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है तो ऐसी उत्पादन ऐजेंसी (ऐजेंसियों) द्वारा आदेश की गई मात्रा को पूरा किया जाएगा ।

(ग) उपर्युक्त (क) के मामले में, मूल्य अन्य ऐजेंसियां जो यद्यपि, उत्पाद के विकास से जुड़ी नहीं है पर वस्तु के उत्पादन के लिए सक्षम मानी जाती हैं, को एक संविदा पूछताछ जारी करके, प्रतिस्पर्धी दरों के आधार पर तय किए जाएंगे । यदि किसी मामले में, उत्पाद के विकास से जुड़ी उत्पादन ऐजेंसी, निम्नतम स्वीकार्य प्रस्ताव से ज्यादा मूल्य की बोली देती है, ऐसी ऐजेंसी को न्यूनतम मूल्य से मिलान करने को कहा जाना चाहिए ।

(घ) उपर्युक्त (ख) के मामले में, दरें, विकास से जुड़ी उत्पादन ऐजेंसी से ही प्राप्त होंगी और मूल्य, लागत के विभिन्न तत्वों के अध्ययन द्वारा तय किए जाएंगे ।

(ङ) ऊपर दिए अनुसार वितरण, विकास से जुड़ी उत्पादन ऐजेंसी को केवल तभी दिया जाएगा जब एक वस्तु के विकास में उनका सहयोग हो जिसे पृथक रुप से खरीदा जा सकता है।

(च) यद्यपि, स्रोत पहले से पंजीकृत नहीं हैं, तो भी नवीनतम थोक आदेश उन्हें दिया जा सकता है । तथापि, उनको वस्तु के एक स्थापित आपूर्तिकर्त्ता के रुप में बनाए रखने के लिए, सक्षम प्राधिकरण/विभाग द्वारा उनकी क्षमता का सत्यापन और पंजीकरण होगा ।

15.14 **<u>अन्य अध्यायों की प्रयोज्यता</u>** - सभी डिजाइन, स्वदेशी निर्माण, स्वदेशीकरण और विरचना अनुबंधों पर इस अध्याय में दिए गए प्रावधानों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई होगी । डी पी एम में और कहीं दिए गए नीति, प्रक्रियाएं और प्रावधान, डिजाइन, निर्माण, स्वदेशीकरण और विरचना अनुबंधों पर केवल उसी हद तक लागू होंगे जब ऐसे विषय इस अध्याय में विशेष रुप से शामिल नहीं है ।

* * * * *

परिशिष्ट

परिशिष्ट - 'क'

अधिग्रहण के लिए समय सीमा
(एकल एवं दो बोली प्रणाली के अधीन)

अधिग्रहण के लिए समय सीमा

माँग पत्र की पावती

क0सं0	कार्यकलाप	अधीन	
		एकल बोली	दो बोली प्रणाली
1.	मॉग पत्र की जाँच और पंजीकरण	1 सप्ताह	1 सप्ताह
2.	विक्रेता चयन तथा आर0पी0एफ की तैयारी	1 सप्ताह	1 सप्ताह
3.	एकीकृत वित्तीय सलाहकार की सहमति, कारखाना लेखा नियंत्रक का अनुमोदन और आर0पी0एफ0 जारी करना	2 सप्ताह	2 सप्ताह
खरीद कार्रवाई			
4.	प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए दिया गया समय	1-3 सप्ताह*	1-3 सप्ताह*
5.	तकनीकी बोली एवं टीईसी द्वारा तकनीकी मूल्यांकन को खोलना	लागू नहीं	3 सप्ताह
5क	वाणिज्यिक प्रस्ताव खोलने, सीएसटी तैयार करने और जॉच इत्यादि	2 सप्ताह	2 सप्ताह
6	एकीकृत वित्तीय सलाहकार की सहमति और कारखाना लेखा नियंत्रक के अनुमोदन सहित खरीद के लिए प्रस्ताव और प्रति प्रस्ताव समझौते का समय निर्धारण के लिए प्रस्तुत करना	2 सप्ताह	2 सप्ताह
6	सीएनसी के लिए सार, सीएनसी के लिए नोटिस और सीएनसी बैठकें	4 सप्ताह	4 सप्ताह
7	सीएनसी कार्यवृत्त तैयार करना और सदस्यो/अध्यक्ष के हस्ताक्षर प्राप्त करना	1 सप्ताह	1 सप्ताह
8	खरीद प्रस्ताव के लिए एकीकृत वित्तीय सलाहकार की सहमति और कारखाना लेखा नियंत्रक का अनुमोदन	2 सप्ताह	2 सप्ताह
9	आपूर्ति आदेश तैयार करना तथा आपूर्ति आदेश का प्रेषण	1 सप्ताह	1 सप्ताह
	कुल	17-19 सप्ताह	20-23 सप्ताह

* आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित हो सकता है । नियम पुस्तिका के अध्याय 4 को देखे ।

परिशिष्ट - 'ख'

मामले के विवरण (एस ओ सी) का प्रोफार्मा
मामले का शीर्षक

1. एस ओ सी प्रारंभ करने वाली इकाई/निदेशालय/कार्यालय ।
2. प्राप्त की जाने वाली मद (मदो)/सेवाओ का नाम

श्रेणी (पूर्व-आयुध निर्माणी, चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, एम टी, इलैक्ट्रिकल, इलैक्ट्रानिक, कपड़े संबंधी, विमानन, सामान्य, एफ ओ एल, मशीनरी, कल-पुर्जे, संचार, नाविक, प्रावधान, औजार, आयुध, बारुद, मरम्मत, सेवाएं और अन्य श्रेणी (उल्लेख किया जाए)

(ब्यौरों के सभी नामावली जैसे खण्ड संख्या इत्यादि को मामले के विवरण के अनुबंध-'क' में दर्शाया जाए)

3. **अधिप्राप्ति का औचित्य**

(क) प्राधिकरण, यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत प्रस्ताव को प्रारंभ किया जा रहा है - सरकारी नियम/आदेश, सेवा विनिर्दिष्ट अनुदेश, सहायक अनुदेश इत्यादि को बताया जाए ।

(ख) यदि यह मापने वाली मद है तो-

संदर्भ संख्या और सरकारी पत्र/सेवा मुख्यालय का वह पत्र जिसके मापने को प्राधिकृत किया गया हो, बताया जाए ।

(ग) यदि यह गैर-मापने वाली मद है तो निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जाए:-

(i) आज तक इस उद्देश्य के लिए किस मद का प्रयोग किया गया/

(ii) वर्तमान प्रस्ताव इस उद्देश्य को कैसे पूरा करेगा ?

(iii) क्या मामने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है । यदि हाँ, संदर्भ संख्या दी जाए, यदि नहीं, ऐसा न करने के कारणों को दिया जाए ।

(घ) मदें प्राप्त करने का विस्तृत औचित्य

(ड) उपयोगकर्त्ता द्वारा विस्तृत औचित्य पत्र

(i) प्रस्ताव की श्रेणी

- नई खरीद
- उन्नयन
- पुनर्स्थापन
- रख-रखाव
- मरम्मत
- अन्य कारण (विशेष उल्लेख किया जाए)

(ii) यदि यह नई खरीद है, तो निम्नलिखित जानकारी दी जाए:-

- आज तक इस उद्देश्य को कैसे पूरा किया जा रहा था ।
- वर्तमान मदों का उन्नयन करके क्या उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सकता ।

(iii) यदि यह उन्नयन का मामला है, निम्नलिखित जानकारी दी जाए:-

- मूल खरीद के ब्यौरे अर्थात् वर्ष, लागत, गुणवत्ता, कितनी जीवन अवधि बची है, उन्नयन के पश्चात् जीवन अवधि इत्यादि ।
- पुष्टिकरण कि मानकीकरण और उपयोगिता के मुद्दे पर विचार किया गया है ।

(iv) यदि यह पुनर्स्थापन का मामला है, तो निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जाए ।

- पुनर्स्थापित की जा रही मदों का क्या किया जाएगा ?
- वर्तमान मदों के निपटान के प्रस्ताव के ब्यौरे (बीईआर प्रमाणपत्र इत्यादि संलग्न किया जाए)
- पुन: खरीद या अन्य की संभावनाएं कारणों सहित ।

4. **<u>गुणवत्ता</u>**

(क) प्रत्येक मद की तुलना में गुणवत्ता का आँकलन करने का आधार (फार्मूला, पद्धति इत्यादि) ।

(ख) प्राधिकृत धारण, वर्तमान धारण, देय, अदेय इत्यादि जैसे ब्यौरे ।

(ग) आपूर्ति आदेशसी के साथ गणनाशीट/पीआर दस्तावेज संलग्न किए जाए (निवल गुणवत्ता को अनुबंध 'क' में दर्शाया जाए) ।

(घ) औचित्य के साथ मदों की प्रस्तावित वितरण बताए जाए ।

5. **प्रस्ताव की अनुमानित लागत** - लागत के विभिन्न तत्व जैसे कि अधारभूत लागत, कर, परिवहन लागत, प्रशिक्षण लागत, एएमसी इतयादि को अलग से दर्शाया जाए और कुल योग को भी दर्शाया जाए)

प्रस्ताव की अनुमानित लागत की गणना करने के आधार को निम्न प्रकार से दर्शाया जाए:-

(क) पिछला खरीद मूल्य - वर्ष, मूल्यवृद्धि कारक, स्रोत, गुणवत्ता को दर्शाया जाए ।
(ख) बजटीय स्रोत - स्रोत अवधि इत्यादि को बजटीय स्रोतों की प्रति के साथ दर्शाया जाए ।
(ग) बाजार सतर्कता - स्रोत, अवधि इत्यादि को संगत संलग्नकों के साथ दर्शाया जाए ।
(घ) अन्य संगठनों से प्राप्त की गई दरें - स्रोत, अवधि, गुणवत्ता इत्यादि को संलग्नकों के साथ उल्लेख करें ।
(ङ) व्यावसायिक अधिकारियों का मूल्यांकन- विस्तृत कारण और प्रयोग किए गए आदानों को संलग्न किया जाए ।
(च) अपनायी गयी कोई अन्य पद्धति (कारणों के साथ विनिदिर्ष्ट एवं विवरण दिया जाए) ।

6. **पिछली खरीद के ब्यौरे**

(क) गुणवत्ता एवं तिथि जिस पर ऐसी मदों को पिछले एक वर्ष में खरीदा गया था ।
(ख) यदि यह एक आवर्ती मद है, कुल अवधि जिसके लिए मदों को खरीदा जा रहा है ।
(ग) पिछली खरीद के संबंध में टेंडर देने का तरीका ।
(घ) पिछली खरीद का स्रोत ।
(ङ) कोई अन्य संगत जानकारी ।

7. **कोष की उपलब्धता**

(क) कया यह पीपीपी में शामिल है (यदि लागू हो)
(ख) यदि हाँ, पीपीपी का संगत क्रम संख्या बताया जाए ।
(ग) मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष, उप शीर्ष एवं विस्तृत शीर्ष जिसके अंतर्गत इस प्रस्ताव के व्यय को रखा गया है ।
(घ) वर्गीकरण हैंड-बुक में दर्शाए गए कोड शीर्ष
(ङ) कोष उपलब्धता प्रमाणपत्र जैसाकि अनुबंध 'ख' में प्रोफार्मा दिया गया है ।
(च) भुगतान करने वाली एजेंसी का नाम ।

8. **सक्षम वित्तीय प्राधिकारी**

(क) अनुसूची/उप-अनुसूची का विवरण तथा उसकी क्रम संख्या जिसके अंतर्गत प्रक्रिया अपनाई जा रही है ।
(ख) अनुसूची में दर्शाए गए अनुसार सीएफए का नाम/स्तर जिसके अधीन प्रस्ताव आता है ।

9. **<u>टेंडर देने की पद्धति</u>**

(क) खुला टेंडर देना - वेबसाइट और समाचार पत्र का नाम जिसमें विज्ञापन प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव है (विज्ञापन मसौदा संलग्न करें)

(ख) सीमित टेंडर देना - एलटीई के कारण को बताएं यदि प्रस्ताव की राशि 25 लाख रुपए से अधिक है (एलटीई के विक्रेताओं की सूची और उनके कारणों की सूची संलग्न करें)

(ग) पीएसी टेंडर देना- पीएसी टेंडर देने का विस्तृत औचित्य के साथ पीएसी का मसौदा प्रमाणपत्र संलग्न करें ।

(घ) एकल टेंडर देना- तत्काल आवश्यकता के कारण/आपरेशन के कारण/तकनीकी आवश्यकता इत्यादि जिस पर एसटीई का प्रस्ताव किया जा रहा है ।

(ङ) दर संविदा- संबंधित आर0सी0 की प्रति संलग्न करें जिस पर मदों का प्रस्ताव किया जाना है ।

10. **<u>मसौदा आर एफ पी</u>**

(क) आरएफपी मसौदा को संलग्न किया जाए ।

(ख) प्रस्ताव की लागू विशेष शर्तें जिस पर मसौदा आर एफ पी का प्रस्ताव किया गया है, एस ओ सी में प्रदर्शित किया जाए !

(   )
प्रस्ताव जारी करने वाले अधिकारी

(नोट- यह केवल प्रदर्शित प्राफार्मा है । जानकारी को इस प्राफार्मे के अनुसार दिया जाए, संभव सीमा तक, यदि आवश्यक हो, अतिरिक्त जानकारी भी दी जा सकती है ।

अनुबंध - क

प्रस्ताव की गुणवत्ता और लागत का प्राफार्मा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क्र0सं0	मदों का नाम	मात्रा	एलपीवी	पीओवी	बाजार सर्वेक्षण	अन्य संगठनों की दरें	बजटीय सहायता	अनुमानित लागत	कुल लागत 3X9

आधारभूत लागत =

कर इत्यादि =

परिवहन =

नोट

1. कॉलम 4 से 9 में मूल्यों की प्रति ईकाई की दर के रुप में दर्शाया जाए ।

2. कॉलम 9 में दर्शाए जाने वाले मूल्य को कॉलम 4 से 8 में दर्शाई गई दरों का उचित विश्लेषण करके निकाला जाए ।

अनुबंध - ख

<u>निधियों की उपलब्धता के बारे में प्रमाणपत्र का प्रोफार्मा</u>

(क) कोड शीर्ष जिसके अंतर्गत व्यय का प्रस्ताव किया गया है ।

(ख) कोड शीर्ष के अधीन कुल आबंटन ।

(ग) पिछले वर्ष से ली गई प्रतिबद्ध देयताओं के संबंध में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान नकद प्रवाह ।

(घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष में नई प्रतिबद्धताओं के लिए उपलब्ध शेष राशि (ख-ग) ।

(ङ) सुपुर्दगी की अनुसूची पर आधारित वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पहले ही की गई प्रतिबद्धताओ और पूर्ति आदेश/संविदा में भुगतान शर्तों के संबंध में नकद प्रवाह ।

(च) अग्र सहमति के लिए उपलब्ध निवल शेष (घ-ङ) ।

परिशिष्ट - 'ग'

प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर0एफ0पी0) करने के लिए क्रेता के लिए सहायक अनुदेश

1. आर0एफ0पी0 मसौदा को पाँच भागों में विभक्त किया गया है जो विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं ।

2. भाग-1 में बोलीदाताओं के लिए सामान्य अनुदेश दिए गए हैं । सामान्यतया, इन सभी अनुदेशों को जैसा है वैसा ही दर्शाया जाना चाहिए, जबकि मुख्य परिवर्तनों को किसी विशेष मामले में दर्शाया जा सकता है । ई0एम0डी0 पर पैरा उन मामलों में लागू होता है जो अध्याय-iv के पैरा 4.7 के अधीन आते हैं ।

3. भाग-।। में, उपकरणों की विभिन्न किस्मों के लिए तकनीकी ब्यौरे अलग-अलग हो सकते हैं । इसी प्रकार केवल इस पहलू को तैयार करने के लिए बृहत दिशानिर्देशों को यहां बताया गया है । सूचना में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:-

   (क) उद्देश्य जिसके लिए मदों की आवश्यकता और बृहत रुप से दी गई क्षमताओं को बताना आवश्यक है । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रयोक्ता की आवश्यकताओं को प्रचालनात्मक विशेषताओं की शर्तों पर समग्र ढांचागत और समर्थता से दिया जा सकता है और संपूर्णता से आधारित हो ।

   (ख) संबंधित तकनीकी पैरामीटर जैसे आकार, वजन, निष्पादन,प्रचालन, पर्यावरण, शक्ति, बल, संरक्षण, उपयोगिता अवधि, भंडारण, शेल्फ इत्यादि को, जो लागू हो, विनिर्दिष्ट किया जा सकता है । उदाहरण निम्न प्रकार से :-

      (i) प्रचालनात्मक विशेषताओं की शर्तों पर प्रयोक्ता की आवश्यकताएं ।

      (ii) विनिर्देशन/ड्राईंग, जहां लागू हो ।

      (iii) आवश्यक तकनीकी पैरामीटरों के साथ तकनीकी ब्यौरे ।

      (iv) तकनीकी मूल्यांकन के लिए अनुपालन चार्ट ।

      (v) प्रशिक्षण/कार्य करते हुए प्रशिक्षण की आवश्यकता ।

      (vi) संस्थापन, चालू करने की आवश्यकता ।

      (vii) एफ0ए0टी, एच0ए0टी एवं एस0ए0टी0 की आवश्यकता ।

      (viii) तकनीकी दस्तावेज की आवश्यकता ।

      (ix) वारंटी के पूरा होने पर भविष्य में प्रदान की जाने वाली सहायता की किस्म ।

      (x) निर्माण का शीघ्र स्वीकार्य वर्ष ।

(ग) दो-बोली पद्धति के मामले में, तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक निष्पादन पैरामीटरों को देते हुए पूरा करना चाहिए ।

(घ) 'इनकोटर्म्स' से संबंधित पैरा 5 में सुपुर्दगी की केवल मान्य शर्त को दर्शाया जाए जैसा कि उस विशेष मामले में निर्णय लिया गया है ।

4. भाग-।।। में मानक शर्तें दी गई हैं जो विधि से संबंधित हो सकती हैं । अत: न तो किसी शर्त को हटाया जाए और न ही इसमें से किसी भी शर्त को काटे जाने की अनुमति दी जा सकती है । इन शर्तों से किसी भी विचलन के मामले पर विक्रेता की अशक्ता के कारण विचार/अनुमति के पश्चात् रक्षा मंत्री के अनुमोदन की आवश्यकता होगी । पूर्व अखंडता पत्र पर पैरा 15 को केवल 100 करोड़ रुपए से अधिक के मामले में शामिल किया जा सकता है ।

5. भाग-iv में बहुत सी व्यावसायिक शर्तें दी गई हैं, जो आर0एफ0पी0 की विशेष किस्म के लिए संबंधित हो भी सकती है और नहीं भी ।इसलिए, शीर्षक को संविदा की विशेष शर्तों के रुप में दिया जाता है ।डी0पी0एम0-2009 के संबंधित अध्यायों में दिए गए दिशा-निर्देशों पर आधारित इस सूची से संबंधित शर्तों को एक उचित निर्णय के साथ लिया जा सकता है । इन शर्तों की शब्दावली विशेष मामले के अनुरुप उचित रुप से संशोधित भी की जा सकती हैं ।

6. भाग-v में, मूल्यांकन मापदंड को विशेष मामले की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरुप उचित रुप से परिविर्तित/संशोधित किया जा सकता है । इसी प्रकार से, मूल्य निविदा का प्राफार्म में आवश्यकतानुसार संशोधन शामिल/कम किए जा सकते हैं ।

7. आर0एफ0पी0 मसौदा का स्वदेशी एवं विदेशी अधिप्राप्ति दोनों मामलों पर लागू होता है । मुख्य अंतर आर0एफ0पी0 मसौदा के उस भाग-iv में दी गई संबंधित "विशेष स्थिति की शर्तों" के चयन में होगा । यह विभिन्न अध्यायों के अनुरुपी पैरों में दी गई दिशानिर्देशों पर निर्भर करेगा । विशेष मामले में, अध्याय 4 एवं 7 के प्रावधान स्वदेशी अधिप्राप्ति और अध्याय 9 एवं 10 विदेशी अधिप्राप्ति से संबंधित होंगे, को वाणिज्यिक शर्तों के उचित चयन के लिए क्रेता द्वारा आवश्यक जाँच की जानी चाहिए ।

प्रस्ताव प्राफार्मे के लिए अनुरोध
(आर0एफ0पी0 को जारी करने के लिए क्रेता का विवरण)

---------------------- की आपूर्ति के लिए निविदा बोली आमंत्रण (प्रस्ताव के लिए अनुरोध का शीर्षक)

प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर0एफ0पी0) सं0---------------तिथि----------------

1. इस आर0एफ0पी0 के भाग-।।। में दी गई मदों की आपूर्ति के लिए मोहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती हैं । निविदा को अवैध घोषित किए जाने से बचने के लिए मोहरबंद लिफाफे पर कृपया निविदा का शीर्षक, आर0एफ0पी0 संख्या और निविदा खोलने की तिथि अवश्य लिखी जाए।

2. इस आर0एफ0पी0 के बारे में निविदा भेजने या स्पष्टीकरण मांगने के लिए पता और संपर्क टेलीफोन नं0 निम्न प्रकार से है:-

   (क) निविदा/आपत्तियों को इस पते पर भेजा जाए -
   (ख) निविदा को भेजने के लिए डाक पता -
   (ग) संपर्क कार्मिक का नाम/पदनाम -
   (घ) संपर्क कार्मिक का दूरभाष -
   (ङ) संपर्क कार्मिक का ई-मेंल पता -
   (च) फैक्स संख्या

3. इस आर0पी0एफ0 को पाँच भागों में निम्न प्रकार से विभक्त किया जाता है:-

   (क) भाग-1 - इसमें आर0पी0एफ0 के बारे में निविदाओं के लिए सामान्य सूचना एवं अनुदेश दिए गए हैं जैसे कि समय, प्रस्तुतिकरण एवं निविदा को खोलने, खोलने का स्थान, टेंडर की वैधता अवधि, इत्यादि ।
   (ख) भाग-।। - इसमें मांगी गई मदों/सेवाओं के आवश्यक ब्यौरे दिए गए है जैसे कि आवश्यकताओं की अनुसूची (एस ओ0 आर), तकनीकी विनिर्देशन, सुपुर्दगी अवधि, सुपुर्दगी का तरीका एवं परेषिती के ब्यौरे ।
   (ग) भाग-।।।- इसमें आर0एफ0पी0 की मानक शर्तें दी गई हैं, जिसमें सफल बोलीदाता के साथ संविदा करने के बारे में बताया गया है ।
   (घ) भाग-iv- इसमें इस आर0एफ0पी0 में प्रभावी विशेष शर्ते दी गई हैं और जो सफल बोलीदाता के साथ संविदा करने के बारे में बताया गया है ।
   (ङ) भाग-v- इसमें मूल्य निविदाओं के लिए मूल्यांकन मापदंड एवं प्रोफार्मे दिए गए है ।

4. इस आर0एफ0पी0 को बिना किसी वित्तीय प्रतिबद्धता के जारी किया जा रहा है और क्रेता किसी भी अवस्था में इसमें परिवर्तन करने और इसके किसी भी भाग में परिवर्तन करने का अधिकार रखता है । क्रेता किसी भी अवस्था में आवश्यक होने पर आर0एफ0पी0 को वापस लेने का भी अधिकार रखता है ।

<u>भाग - I सामान्य सूचना</u>

1. **<u>निविदा को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय</u>**
(तिथि दिन माह वर्ष के रुप में दर्शाई जाए)

सीलबंद निविदाएं (तकनीकी एवं वाणिज्यिक दोनों, दो निविदाओं के मांगे जाने के मामले में) नियत तिथि एवं समय पर जमा/पहुंच जानी चाहिए । यह सुनिश्चित करने की जिम्मेंदारी बोलीदाता की होगी ।

2. **<u>निविदा को जमा करने की पद्धति</u> -** सीलबंद निविदाएं या तो -----------------के रुप में चिंहित टेंडर बॉक्स में डाली जानी चाहिए या दिए गए पते पर रजिस्टर्ड डाक से भेज दी जानी चाहिए जिससे कि नियम तिथि एवं समय पर पहुंच जाएं । देरी से आने वाले निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा । किसी प्रकार के डाक विलंब में अथवा निविदा दस्तावेजों के न पहुंचने /अप्राप्ति के लिए कार्यालय जिम्मेंदार नहीं होगा । फैक्स और ई-मेंल से भेजी गई निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जाएगा (जब तक कि तात्कालिक होने के मामले में ऐसा विशेष रुप से इस रुप से कहा न गया हो ।

3. **<u>निविदा खोलने का समय एवं तिथि</u> -** यदि किसी तात्कालिकता के कारण, निविदाओं को खोलने की नियत तिथि सरकारी अवकाश घोषित किया जाता है, तो ऐसे मामले में निविदाएं उसी समय पर अगले कार्य दिवस को खोली जाएंगी अथवा क्रेता द्वारा निविदा खोलने के किसी अन्य दिवस/समय के बारे में सूचना दी जाएगी ।

4. **<u>टेंडर बॉक्स की स्थिति</u> -** केवल संबंधित टेंडर बॉक्स में पाई गई निविदाओं को ही खोला जाएगा । गलत टेंडर बॉत्स में डाली गई निविदाओं को अवैध करार दिया जाएगा ।

5. **<u>निविदा को खोलने का स्थान</u> -** बोलीदाताएं लिखित रुप में अपना प्रतिनिधि अधिकृत करके भी तैनात कर सकते हैं जो निविदा खोलने के समय पर उपस्थित रह सकते हैं । सभी बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सभी बोलीदाताओं द्वारा दी गई दरों एवं महत्वपूर्ण वाणिज्यिक/तकनीकी शर्तों को पढ़ा जाएगा । आपके प्रतिनिधि की अनुपस्थिति के कारण इस कार्य को स्थगति नहीं किया जाएगा ।

6. **<u>दो निविदा पद्धति</u>** - दो निविदा पद्धति के मामले में, केवल तकनीकी निविदा को उपर्युक्त दर्शाए गए समय एवं तिथि पर खोला जाएग । वाणिज्यिक निविदा को खोलने की तिथि को तकनीकी निविदाओं की स्वीकृति के पश्चात् सूचित किया जाएगा । केवल उन फर्मों की वाणिज्यिक निविदाओं को खोला जाएगा, जिनकी तकनीकी निविदाएं क्रेता द्वारा तकनीकी मूल्यांकन हो जाने के पश्चात् ठीक/उचित पाई जाती है ।

7. **<u>निविदाओं को भेजना</u>** - बोलीदाताओं द्वारा निविदाओं को अपने मूल मेंमो/लेटर हेड के साथ-साथ ब्योरे जैसे कि टी0आई0एन0 संख्या, वेट/सी0एस0टी0 संख्या, बैंक के पता के साथ ई0एफ0टी0 लेखा यदि लागू हो, इत्यादि देने चाहिए और अपने कार्यालय का पूरा डाक पता एवं ई-मेंल पता भी देना चाहिए ।

8. **आर0एफ0सी0 की सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण -** भावी बोलीदाता, जिसे बोली लगाने वाले दस्तावेज के सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, निविदाओं के खोलने की तिथि से कम-से-कम 14 (चौदह) दिन पूर्व मांगे गए स्पष्टीकरणों के बारें में लिखित जानकारी देंगे । खरीददार द्वारा आपत्ति और स्पष्टीकरण की प्रतियां का उन सभी भावी बोलीदाताओं को भेजेगा जिन्होंने निविदा देने का दस्तावेज प्राप्त किया है ।

9. **निविदाओं का संशोधन एवं वापस लेना -** बोलीदाता अपनी निविदा में संशोधन और वापस ले सकता है बशर्ते कि संशोधन या वापसी की लिखित सूचना क्रेता को निविदाओं के प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व प्राप्त हो जाती है । वापसी की सूचना फैक्स द्वारा भेजी जा सकती है किंतु इसके पश्चात् डाक द्वारा हस्ताक्षरित पुष्टि प्रति भेज दी जाए और ऐसी हस्ताक्षरित पुष्टि क्रेता को निविदाओं को प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि से पूर्व मिल जाएं । किसी भी निविदा को निविदाओं के प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और वैध रुप से विनिर्दिष्ट निविदा की अवधि के समाप्त हो जाने के बाद वापस नहीं लिया जा सकेगा । इस अवधि के दौरान निविदा की वापसी लेने से बोलीदाता की निविदा राशि को जब्त कर लिया जाएगा ।

10 **निविदाओं की सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण** - निविदाओं के मूल्यांकन एवं तुलना के दौरान, क्रेता, अपने स्व:विवेक से बोलीदाता से उसकी निविदा का स्पष्टीकरण मांग सकता है । स्पष्टीकरण के अनुरोध को लिखित में दिया जाएगा और निविदा के मूल्यों और अंश में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने, प्रस्ताव करने या अनुमति दी जाएगी । बोलीदाता के आग्रह पर निविदा पश्चात् किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार किया जाएगा ।

11. **निविदाओं का निरस्तीकरण** - बोलीदाता द्वारा किसी भी रुप से मतार्थन करने, अयाचित पत्र और टेंडर पश्चात् संशोधन करने से ई0एम0डी0 की जब्ती के साथ ही पूर्ण से निरस्त कर दी जाएगी ।

12. **बोली की अनिच्छा** - बोलीदाताओं के बोली न देने वाले यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की सूचना निविदा के खोलने की अंतिम तिथि और समय से पहले पहुंच जाए, जिसके न होने पर बोलीदाता को इस आर0एफ0पी0 में दर्शाए गए अनुसार मदों की दी गई श्रेणी के लिए बाहर कर दिया जाएगा ।

13. **निविदाओं की वैधता -** निविदाएं निविदाओं को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से -------- तिथि ----------------तक वैध रहेगी ।

14. **धरोहर जमा राशि** - बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि वे अपनी निविदाओं के साथ ----राशि के लिए धरोहर जमा राशि (ईएमडी) प्रस्तुत करें । ईएमडी को एकाउंट पेई डिमांड ड्राफ्ट, फिक्स्ड डिपोजिट जमा, बेकर चेक और सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी बैंक से या डीपीएम-16 फार्म में दिए गए सरकारी कार्य को करने के लिए प्राधिकृत निजी क्षेत्र के बैंक, बैंक गारंटी (रक्षा मंत्रालय की बेवसाइट पर उपलब्ध और अनुरोध पर प्राप्त की जा सकती है) ईएमडी अंतिम निविदा की वैध अवधि के बाद 45 दिनों की अवधि के लिए वैध

रहेगी । असफल बोलीदाताओं की ईएमडी को अंतिम निविदा वैधता की समाप्ति के पश्चात् और संविदा को दिए जाने के 30 दिन के पश्चात् वापस भेज दी जाएगी। सफल बोलीदाता की निविदा राशि को, बिना किसी ब्याज के जैसे भी हो, संविदा में मांगी गई अनुसार उनको निष्पादन सुरक्षा की प्राप्ति के पश्चात् वापस भेज दी जाएगी । ईएमडी उन बोलीदाता को जमा करने की आवश्यकता नहीं है जो केंद्रीय खरीद संगठन (अर्थात् डीजीएस एंड डी), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन एस आई सी) और रक्षा मंत्रालय के किसी विभाग और स्वयं रक्षा मंत्रालय में दर्ज है । ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा यदि बोलीदाता अपने टेंडर की वैध अवधि के अंतर्गत किसी भी रुप में टेंडर की वापसी या संशोधन, अड़चन या अवमानना करता है ।

भाग -।। मांगी गई मदों/सेवाओं के आवश्यक ब्यौरे

1. **आवश्यकयता की अनुसूची -** अपेक्षित मदों/सेवाओं की सूची निम्न प्रकार से है:-

मदों/सेवाओं का नाम/अपेक्षित भंडारों का मात्रात्मक विवरण

2. तकनीकी ब्यौरे-
   (क) विशिष्टता/ड्राईंग, जो लागू हो ।
   (ख) तकनीकी पैरामीटरों के साथ तकनीकी ब्यौरे ।
   (ग) प्रशिक्षण/कार्यस्थल प्रशिक्षण की आवश्यकता ।
   (घ) संस्थापन/प्रारंभ करने की आवश्यकता ।
   (ङ) फैक्टरी स्वीकार्य परीक्षण (एफएटी), हार्बर स्वीकार्य परीक्षण (एचएटी) एवं समुद्र स्वीकार्य परीक्षण (एसएटी) की आवश्यकता ।
   (च) तकनीकी दस्तावेज की आवश्यकता ।
   (छ) वारंटी के पूरा होने के पश्चात् आवश्यक सहायता की प्रकृति ।
   (ज) प्रि-साइट/उपकरण निरीक्षण की आवश्यकता ।
   (झ) अन्य कोई जाजनकारी, जो आवश्यक समझी जाए ।

3. **दो बोली पद्धति -** दो बोली पद्धति के संबंध में, बोलीदाताओं को विनिर्देशन से विचलन, यदि कोई हो, को स्पष्ट रुप से बताते हुए विनिर्देशन के अनुपालन का शर्त-दर-शर्त बताए जाने की आवश्यकता है। बोलीदाताओं को तकनीकी बीटी के साथ निम्नलिखित प्राफार्मे में अनुपालन विवरण प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है:-

आरएफसी विनिर्देशनों का मदवार पैरा	प्रस्तावित पद का विनिर्देशन	आरएफपी विनिर्देशन का अनुपालन - हाँ/नहीं	गैर-अनुपालन के संबंध में, आरएफपी से विचलन को स्पष्टतया उल्लेख किया जाए

4. **डिलीवरी अवधि -** मदों की आपूर्ति के लिए डिलीवरी अवधि -----------संविदा की प्रभावी तारीख से लागू होगी । कृपया नोट करे कि क्रेता संविदा को उस स्थिति में पूर्ण रुप से निरस्त कर सकता है जहां मदों को संविदात्मक डिलीवरी अवधि में प्राप्त नहीं होती । संविदात्मक डिलीवरी अवधि को आगे बढ़ाना एलडी शर्त की अनुप्रयोज्यता के साथ क्रेता के पूर्ण विवेक पर आधारित होगा ।

5. **डिलीवरी और परिवहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक शर्तें**'ई'/'एफ'/'सी'/'डी' शर्तें । - जब कि तक क्रेता और विक्रेता और संविदा में विशेष रुप से सहमति न दी गई हो, विदेशों से सामानों के परिवहन के लिए लागू नियम एवं विनियम अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य चेम्बर, पेरिस द्वारा बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक शर्तों के मूल पाठ के आधार पर लागू होंगे । डिलीवरी अवधि की परिभाषा निम्न प्रकार से है:-

	डिलीवरी की शर्तें	**डिलीवरी की तारीख**
(क)	साइट पर स्थानीय डिलीवरी	वह तारीख जिस पर संविदा में बताई गई परेषिती की साइट पर डिलीवरी की जाती है ।
(ख)	एक्स-वर्क	वह तारीख जब विक्रेता वस्तुओं की आपूर्ति क्रेता को विक्रेता की फैक्टरी/जगह पर करता है ।
(ग)	प्रेषण का एफ ओ आर स्टेशन	वह तारीख जिस पर विक्रेता वस्तुओं को स्पष्ट रेल रसीद के साथ रेल पर भेजता है ।
(घ)	डाक पार्सल द्वारा	पोस्टल रसीद की तारीख ।
(ङ)	वायु द्वारा प्रेषण	एयर-वेज बिल की तारीख ।
(च)	एफ ओ आर गंतव्य	जब तक अन्यथा न कहा गया हो, संविदा में विनिर्दिष्ट गंतव्य रेलवे स्टेशन पर वस्तुओं के पहुंचने की तारीख
(छ)	सीआइपी गंतव्य	संविदा में दर्शाए गए गंतव्य पर आपूर्ति करने की प्रभावी तारीख
(ज)	पोतलदान का एफएएस पोर्ट	वह तारीख जिस पर विक्रेता पोतलदान के विशिष्ट पोर्ट पर जहाज के साथ वस्तुओं की डिलीवरी करता है । लदान के बिल में तारीख प्रदर्शित होती है ।
(झ)	पोतलदान का एफओबी पोर्ट	वह तारीख जिस पर विक्रेता पोतलदान के विशिष्ट पोर्ट पर जहाज के बोर्ड पर वस्तुओं की डिलीवरी करता है । लादान के बिल में तारीख प्रदर्शित होती है ।
(ञ)	गंतव्य का सीआईएफ पोर्ट	वह तारीख जिस पर गंतव्य पोर्ट पर वस्तुएं वास्तविक रुप से पहुंचती हैं ।

नोट- डिलीवरी की एफ ए एस, एफ ओ बी एवं सी आई एफ शर्तें उन वस्तुओं पर लागू होती हैं जिनको संविदा में विदेशों से प्रत्यक्ष रुप से आयात किया जाता है न कि विक्रेता द्वारा अपने स्वयं के बंदोबस्त द्वारा पहले ही आयात कर लिया गया है ।

डिलीवरी की सीआईपी शर्ते आयातित आपूर्तियों के साथ-साथ घरेलू दोनों पर लागू हो सकती है।

6. **परेषिती ब्यौरे**

भाग-।।। आर एफ पी की मानक शर्तें

बोलीदाता से नीचे दर्शाए गए प्रस्ताव के लिए अनुरोध का उनके द्वारा मानक शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करना आवश्यक है जो कि सफल बोलीदाता (अर्थात् संविदा में विक्रेता) के साथ किए गए संविदा के भाग के रुप में स्वत: रुप से विचार किया जाना है जैसाकि क्रेता ने चयन किया है । ऐसा न करने की स्थिति बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा को निरस्त समझा जा सकता है ।

1. **विधि** - संविदाएं भारतीय गणराज्य के कानूनों के अनुसार नियंत्रित और विनिगमित की जाएगी। संविदाओं को भारतीय गणराज्य के कानूनों के अनुसार लागू और प्रस्तुत किया जाएगा ।

2. **संविदा की प्रभावी तारीख** - संविदा पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर करने की तारीख (प्रभावी तारीख) से संविदा प्रभावी माना जाएगा और संविदा के अंतर्गत पक्षों के दायित्वों के पूरा होने तक वैध रहेगा । सेवाओं की डिलीवरी एवं आपूर्ति एवं निष्पादन संविदा की प्रभावी तारीख से प्रारंभ होगा ।

3. **मध्यस्थता** - इस संविदा के संबध में उत्पन्न सभी विवादों या मत भिन्नताओं को आपसी विचारविमर्श से सुलझाया जाएगा । इस संविदा से संबंधित या निर्माण-कार्य से संबंधित या निष्पादन, जिसे सौहार्द से निपटाया नहीं जा सकता, से उत्पन्न किसी विवाद, असहमति या प्रश्न मौजूद है, को मध्यस्थता अभिकरण से सुलझाया जाएगा । मध्यस्थता की मानक शर्ते, फार्म डीपीएम-7, डीपीएम-8 एवं डीपीएम-9 के अनुसार है । (रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और अनुरोध से प्राप्त की जा सकती है ।

4. **अनुचित प्रभाव के प्रयोग के लिए दंड** - विक्रेता वचनबद्ध है कि उसने किसी को प्रत्यक्ष रुप से या अप्रत्यक्ष रुप से संविदा की प्राप्ति में क्रेता की सेवा या अन्य या ऐसा करने के लिए या ऐसा करने से परहेज करने या ऐसा करते हुए या संविदा को प्राप्त करने या पूरा करने के संबंध में किसी कार्य को करने से मना करने या किसी अन्य संविदा को सरकार को दिखाने या दिखाने के लिए मना करने के लिए किसी व्यक्ति को कोई उपहार, राशि, कमीशन के रुप में फीस, दलाली या अन्य कोई लालच देने का प्रस्ताव या वायदा नहीं किया है । सरकार के साथ संविदा या किसी अन्य संविदा के संबंध में किसी व्यक्ति का पक्ष या विपक्ष, विक्रेता द्वारा उपर्युक्त वचनबद्ध का कोई उल्लंघन या उसके द्वारा किसी व्यक्ति का नियोजन या उसके पक्ष में कार्रवाई (चाहे विक्रेता की जानकारी में हो या न हो) या भारतीय दंड अधिनियम 1860 के अध्याय IX या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1986 या भ्रष्टाचार के निवारण के लिए लागू किसी अन्य अधिनियम में बताए गए अनुसार विक्रेता द्वारा या उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति या उसके पक्ष में किसी व्यक्ति द्वारा की गई कार्रवाई से किसी जुर्म के किए जाने से उपभोक्ता संविदा और विक्रेता के साथ सभी या अन्य किसी भी संविदा को निरस्त करने तथा विक्रेता से ऐसे निरस्तीकरण से उत्पन्न किसी हानि की राशि को वसूलने करने का हकदार होगा । उपभोक्ता या उसके नामित व्यक्ति का यह निर्णय कि वचनबद्धता का उल्लंघन किया गया है, विक्रेता पर अंतिम और बाध्यकारी होगा । किसी उपहार, रिश्वत या लालच देना या प्रस्ताव करना या उपभोक्ता के किसी नियोजित अधिकारी को विक्रेता की ओर से ऐसा कोई कार्य करने का प्रयास या ऐसा अन्य कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रुप से या अप्रत्यक्ष रुप

से उपभोक्ता के निर्णय को प्रभावित कर सकता है या इस अन्य संविदा के संबंध में कोई लाभ दर्शाने के लिए उपभोक्ता के किसी अधिकारी/कर्मचारी को प्रभावित करने का कोई प्रयास करने पर विक्रेता पर ऐसा दण्ड लगाया जाएगा जिसे उपभोक्ता उचित समझता है किंतु साथ ही संविदा को निरस्त किए जाने को छोड़कर, दण्ड लगाना, बैंक गारंटी की जब्ती और उपभोक्ता द्वारा दी गई राशि की वापसी शामिल होगी ।

5. **एजेंट/एजेसी का कमीशन** - विक्रेता, क्रेता को पुष्टि तथा घोषित करता है कि वह इस संविदा में संदर्भित भण्डारों का मूल विनिर्माणकारी है तथा और उसने विक्रेता को इस संविदा को दिए जाने के लिए सरकारी अथवा गैर-सरकारी कार्यकर्ता को भारत सरकार को सिफारिश करने के लिए किसी भारतीय अथवा विदेशी व्यक्ति अथवा फर्म को मध्यस्थता करने, संविदा को सुविधाजनक बनाने के लिए नहीं कहा है और न ही ऐसी किसी मध्यस्थता, सुविधा अथवा अनुशंसा के लिए किसी व्यक्ति अथवा फर्म को कोई धनराशि दी है, देने का वचन दिया है अथवा देने का इच्छुक है । विक्रेता इस बात पर सहमत है कि यदि किसी समय क्रेता को यह पता चलता है कि वर्तमान घोषणा सही नहीं है अथवा बाद में क्रेता को यह जानकारी मिलती है कि विक्रेता ने किसी व्यक्ति/फर्म को संविदा पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले अथवा बाद में किसी व्यक्ति, पक्ष, फर्म अथवा संस्थान को कोई धनराशि, उपहार, पारिश्रमिक, फीस, कमीशन आदि दी है अथवा देने का इच्छुक है तो विक्रेता को यह धनराशि क्रेता को वापस करनी होगी । विक्रेता को कम-से-कम 5 वर्षों के लिए भारत सरकार के साथ कोई आपूर्ति संविदा करने से विवर्जित कर दिया जाएगा । क्रेता को यह भी अधिकार होगा कि वह विक्रेता को बिना किसी पात्रता अथवा क्षतिपूर्ति के संविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रुप से निरस्त करने पर विचार कर सकता है तथा विक्रेता को एलआईबीओआर दर पर 2% प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित संविदा की शर्तों में क्रेता द्वारा किए गए सभी भुगतानों को वापस करना होगा । क्रेता को यह भी अधिकार होगा कि वह भारत सरकार के साथ पहले किए गए किसी संविदा में दी गई ऐसी किसी राशि को भी वसूल कर सकता है ।

6. **लेखा-बहियों की सुलभता** - ऐसे मामलों में जहां क्रेता संतुष्ट है कि विक्रेता ने कोई एजेंट नियुक्त किया है या कमीशन दिया है या उपर्युक्त वर्णित अनुसार अनुचित प्रभाव का प्रयोग करके जुर्माना लगाया है और संविदा प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रभावित किया है, क्रेता के विशेष अनुरोध पर, एजेटों/एजेंसी कमीशन का विक्रेता संबंधित वित्तीय दस्तावेज/जानकारी को आवश्यक जानकारी/निरीक्षण की सुविधा प्रदान करेगा ।

7. **संविदा दस्तावेज की जानकारी का खुलासा न करना** - क्रेता/विक्रेता की लिखित सहमति को छोड़कर, अन्य कोई व्यक्ति संविदा या उसके किसी प्रावधान, विनिर्देशन, योजना, डिजाइन, पैटर्न, सैम्पल या उसकी जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बताएगा ।

8. **परिनिर्धारित क्षति** - इस संविदा में विनिर्दिष्ट अनुसार यदि विक्रेता बांड, गारंटी और दस्तावेज, भंडार/सामानों की आपूर्ति और परीक्षण करने, उपकरण की संस्थापना, प्रशिक्षण इत्यादि को बंदोबस्त करने में असफल रहने की अवस्था में, क्रेता अपने विवेकानुसार संविदा के पूरा होने तक किसी भी भुगतान को रोक सकता है । करारनामें के अनुसार क्रेता विक्रेता से उपर्युक्त दर्शाए गए सामान/सेवाओं के देरी/अवितरण के संविदा मूल्य के 0.5 प्रतिशत राशि का देरी के प्रत्येक सप्ताह या सप्ताह के कुछ दिन

के लिए परिनिर्धारित क्षति भी घटा सकता है बशर्ते देरी से भेजे गए सामानों का 10 प्रतिशत से अधिक की राशि का ही परिनिर्धारित क्षति का अधिकतम मूल्य हो सकता है ।

9. **संविदा का समापन -** क्रेता को निम्नलिखित मामलों के किसी भाग में इस संविदा के किसी अंश या पूर्ण को निरस्त करने का अधिकार होगा-

(क) डिलीवरी की अनुसूचित तारीख के पश्चात् (---महीने) से अधिक के सामानों की डिलीवरी में देरी दैवीय आपदाओं के कारण होती है ।

(ख) विक्रेता दिवालिया घोषित या दिवालियापन के कगार पर आ जाता है ।

(ग) सामानों की डिलीवरी (---महीने) से अधिक की फोर्स मेंज्युरे के कारणों से देरी होती हैं बशर्ते संविदा में फोर्स मेंज्युरे को शामिल किया गया हो ।

(घ) क्रेता के संज्ञान में आता है कि विक्रेता ने इस संविदा को प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय विदेशी एजेंट की सेवाओं का प्रयोग किया है और ऐसे व्यक्ति /कंपनी इत्यादि को कोई कमीशन दिया है ।

(ङ) मध्यस्थम अभिकरण के निर्णय के अनुसार ।

10. **नोटिस -** संविदा में अपेक्षित या अनुमत्त नोटिस अंग्रेजी भाषा में लिखा जाएगा और नोटिस जिसको भेजा जा रहा है उस पार्टी के अंतिम पते पर व्यक्तिगत रुप से भेजा जाए या फैक्स द्वारा भेजा जाए या रजिस्टर्ड प्रि-पेड मेंल/एयर मेंल पर भेजा जा सकता है ।

11. **स्थानांतरण और किराए पर देना** - विक्रेता के पास संविदा या उसके किसी भी भाग को देने, सौदा करने, बिक्री, दूसरे को देना या किराए पर या अन्यथा देने, साथ ही वर्तमान संविदा या उसके किसी भाग को किसी तीसरे व्यक्ति को देने या किराए पर देकर लाभ या हानि देने का कोई अधिकार नहीं है ।

12. **पेटेंट और अन्य औद्योगिक संपति अधिकार** - वर्तमान संविदा में उल्लिखित कीमतों में पेटेंट के प्रयोग,, कॉपीराइट, रजिस्टर्ड प्रभारों और अन्य औद्योगिक सम्पत्ति अधिकारों के लिए भुगतान के लिए देय सभी राशि को शामिल समझा जाएगा । क्रेता का पिछले पैराग्राफों में बताए गए किसी एक या सभी अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में किसी भी समय पर तीसरी पार्टी के सभी दावों, चाहे ऐसे दावे निर्माण या प्रयोग के बारे में किए गए हो, की विक्रेता द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी । विक्रेता की कल-पुर्जे, टूल्स, तकनीकी साहित्य और प्रशिक्षण समावेश सहित उपर्युक्त दर्शाई गई सभी आपूर्तियों एक या सभी अधिकारों के उल्लंघन के तथ्य के अनपेषित, आपूर्तियों के उल्लंघन के तथ्य अनपेषित, को पूरा करने की जिम्मेंदारी होगी ।

13. **संशोधन** - वर्तमान संविदा को किसी भी प्रावधान में किसी भी तरह से कोई परिवर्तन या संशोधन (इस प्रावधान सहित) चाहे वह पूरा हो या आंशिक हो, सिवाय इस संविदा की तारीख और दोनों पक्षों की ओर से किए गए हस्ताक्षरों और जिसमें इस संविदा में स्पष्ट रुप से संशोधन करने के लिए कहा गया है, के पश्चात् लिखित में बताए गए दस्तावेज को छोड़कर, नहीं होगा ।

14. **कर एवं शुल्क**

(क) **विदेशी बोलीदाताओं के संबंध में** - सभी कर, शुल्क, लेवी और प्रभार, जिनको अग्रिम सेम्पलों के साथ-साथ सामानों की डिलीवरी के लिए भुगतान किया जाना होता है, अपने संबंधित देशों में इस संविदा के अंतर्गत पार्टियों के द्वारा भुगतान किया जाएगा ।

(ख) **स्वदेशी बोलीदाताओं के संबंध में**

(i) **सामान्य**

1. यदि बोलीदाता एव उत्पाद-शुल्क या बिक्री कर वैट अतिरिक्त वसूलने की इच्छा रखता है, तो उसका विशेष रुप से उल्लेख अवश्य करें । ऐसी किसी शर्त की अनुपस्थिति में, यह समझा जाएगा कि मूल्यों में सभी प्रकार के प्रभार शामिल हैं और इसके किसी भी दावे पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।

2. यदि निविदा के मूल्यों से अधिक अतिरिक्त के रुप में कोई शुल्क/कर के पुन: संवितरण की मांग की जाती है, बोलीदाता को इसका विशेष रुप से उल्लेख करना आवश्यक है । ऐसी किसी शर्त की अनुपस्थिति में यह समझा जाएगा कि निविदा मूल्य निश्चित और अंतिम है और टेंडरों को खोलने के पश्चात् ऐसे शुल्क/कर के संबंध में कोई विचार नहीं किया जाएगा ।

3. यदि बोलीदाता किसी शुल्क/कर सहित निविदा मूल्य देता है और ऐसे शुल्क/कर को शामिल करने की पुष्टि नहीं करता है और उनका मूल्य निश्चित और अंतिम माना जाता है, तो उनको ऐसे शुल्क/कर को शामिल करने की मात्रा का स्पष्ट रुप से उल्लेख करना चाहिए । ऐसा न करने की स्थिति में ऐसे प्रस्तावों की पूर्ण रुप से उपेक्षा की जा सकती है ।

4. यदि किसी बोलीदाता को उनके द्वारा आपूर्ति की गई वस्तु की किसी मूल्य तक कोई शुल्क/कर के भुगतान की छूट प्राप्त है,उनको स्पष्ट रुप से उल्लेख करना चाहिए कि उनके द्वारा ऐसे शुल्क/कर को उनको प्राप्त करने की सीमा तक वसूला नहीं जाएगा । यदि कोई शुल्क/कर की दर/मात्रा के संबंध में कोई रियायत उपलब्ध है, उनको स्पष्ट रुप से बताना चाहिए । बताया जाए जैसे, उक्त शुल्क/कर वर्तमान में लागू नहीं है किंतु उसको वसूला जाएगा यदि वह बाद में वसूला जाता है, मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे मामलों में बोलीदाता द्वारा स्पष्ट रुप से बताया जाए कि वे ऐसे शुल्क/कर नहीं वसूलेंगे यदि ये बाद में लागू होते हैं । ऐसे बोलीदाताओं के संबंध में जो इस आवश्यकता को पूरा करने में असफल रहते हैं, उनके निविदा मूल्यों को ऐसे शुल्क/कर की मात्रा के साथ जोड़ा जाएगा जो अन्य बोलीदाताओं के साथ उनके मूल्यों की तुलना करने के उद्देश्य के लिए इन मदों पर सामान्य रुप से लागू होते हैं ।

5. संविदा की शर्तों के अधीन होने वाली किसी सांविधिक परिवर्तन के परिणामस्वरुप किसी शुल्क/कर के ऊपर/नीचे होने के परिवर्तन को उस सीमा तक अनुमति दी जाएगी जहां तक आपूतिकर्त्ता ऐसे शुल्क/कर का वास्तविक मात्रा के लिए भुगतान करता है । इसी प्रकार से, किसी शुल्क/कर के नीचे होने की अवस्था में विक्रेता द्वारा क्रेता को ऐसे शुल्क/कर की वास्तविक मात्रा की कमी का संवितरण किया जाएगा । ऐसे सभी समायोजनों में सभी राहतें, छूट कटौती, रियायत इत्यादि विक्रेता द्वारा प्राप्त की जाती है, शामिल किए जाएंगे ।

(ii) <u>सीमा शुल्क</u>

1. भविष्य में की जाने वाली आयातित भंडारों के लिए बोलीदाता को सीमा-शुल्क के अलावा उसके निविदा मूल्य देने होंगे । बोलीदाता को सीआईएफ मूल्यों और देय सीमा-शुल्क की कुल राशि को विशेष रुप से अलग से देना होगा । उनको लागू सीमा-शुल्क की दर और भारतीय सीमा-शुल्क संख्या को भी ठीक प्रकार से प्रदर्शित करना होगा । वास्तविक रुप से दी गई सीमा शुल्क को आवश्यक दस्तावेज जैसे कि (1) प्रविष्टि बिल की तीन प्रतियां (2) लदान के बिल की प्रति (3) विदेशी मूल के बीजक की प्रति देने पर संवितरण किया जाएगा । तथापि, यदि बोलीदाता ने निविदा के सामान को अपने स्वयं के वाणिज्य कोटा आयात लाइसैंस के अंतर्गत आयात किया है, तो उनको प्रविष्टि बिल इत्यादि की तीन प्रतियां अतिरिक्त प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता होगी, अपने बिल आंतरिक ऑडिटर से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि रक्षा संविदा संख्या--- तारीख--- के अंतर्गत भंडारों से संबंधित प्रविष्टि बिल में निम्नलिखित मदों/मात्रा का आयात किया गया है ।

2. सीमा शुल्क के संवितरण के तत्पश्चात्, बोलीदाता संबंधित भुगतान प्राधिकारी को इस संबंध में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा सीमा-शुल्क प्राधिकरण से शुल्क के भुगतान के तत्पश्चात् सीमा शुल्क की कोई वापसी नहीं प्राप्त की हैं । इसके अतिरिक्त, उनको संबंधित भुगतान प्राधिकारी की शुल्क के भुगतान की तारीख से तीन माह की अवधि के पश्चात् तत्काल एक प्रमाणपत्र इस ंसबंध में प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को शुल्क के भुगतान के तत्पश्चात् सीमा शुल्क को वापस करने के लिए आवेदन नहीं किया है ।

3. यदि बोलीदाता सीमा शुल्क की राशि वापस प्राप्त करने के तत्पश्चात् सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को उसके द्वारा उस राशि के भुगतान और भुगतान प्राधिकरण द्वारा उसको सीमा शुल्क का संवितरण हो जाने के मामले में, उनको वापस ली गई राशि के ब्यौरे प्रस्तुत और क्रेता को उस राशि का पूरा भुगतान करना चाहिए ।

(iii) **<u>उत्पाद-शुल्क</u>**

1. जहां पर उत्पाद-शुल्क मूल्यानुसार देय होता है, बोलीदाता को टेंडर के साथ, संबंधित फार्म और एवं उत्पाद-शुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन के अनुसार भंडारों की वास्तविक गणना मूल्य को दर्शाते हुए विनिर्माता की मूल्य सूची भी जमा कराने चाहिए ।

2. बोलीदाताओं को नोट करना चाहिए कि संविदा के अंतर्गत आपूर्ति किए गए भंडारों के संबंध में एवंउत्पाद-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा उनको मंजूर की गई एवं उत्पाद-शुल्क की कोई राशि वापसी के मामले में उनको वह राशि तत्काल क्रेता के खाते में इस प्रमाणपत्र के साथ जमा करनी होगी कि एवं उत्पाद-शुल्क से संबंधित दी गई राशि संविदा के अंतर्गत आपूर्ति भंडारों के लिए मूल रुप से प्रदत्त की गई है । उनके ऐसा न करने की स्थिति में, एवं उत्पाद-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा उनको दिए गए एवं उत्पाद-शुल्क वापसी के आदेशों के जारी होने के 10 दिनों के अंदर क्रेता का यह अधिकार होगा कि वह संविदा पर सरकारी संविदा में लंबित कोई बिल में उनकी शेष राशि में से उनको कोई और संदर्भ न देते हुए उत्पाद-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा धन वापसी राशि के समान राशि को काट ले और उनके द्वारा इस संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया जाएगा।

3. विक्रेता को भुगतान प्राधिकारी को निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता है-

   (क) प्रत्येक बिल के साथ इस बारे में एक प्रमाण दिया जाए कि संबंधित बिल के अंतर्गत किए गए दावे की तारीख से तत्काल पहले तीन महीने के दौरान विक्रेता को दिए गए एवं उत्पाद-शुल्क के संवितरण के संबंध में कोई धन वापसी नहीं की गई है ।

   (ख) प्रमाणपत्र कि क्या उनके द्वारा या उनके खातों की वार्षिक ऑडिट के पश्चात् पिछले वित्तीय वर्ष में धन वापसी प्राप्त की गई या आवेदन दिया गया है और साथ ही ऐसी धन वापसी/आवेदनों, यदि कोई हो, के ब्यौरे दीजिए ।

   (ग) विक्रेता के अंतिम भुगतान बिल के साथ यह प्रमाण पत्र कि क्या सरकार द्वारा विक्रेता को पहले संवितरित एवं उत्पाद-शुल्कों की धन-वापसी या आंशिक धन वापसी के लिए एवं उत्पाद-शुल्क प्राधिकारियों के पास कोई अपील/आवेदन लंबित है और यदि हाँ, तो ऐसी अपीलों की प्रकृति, अभिग्रस्त राशि और स्थिति बताएं ।

(घ) एक वचनबंध कि सरकार ने ऐसा मामला पाया है कि भुगतान प्राधिकारी से पुन:संवितरण प्राप्त कर लेने के पश्चात् विक्रेता द्वारा एवं उत्पाद-शुल्क प्राधिकारी से कोई धन वापसी प्राप्त की है और यदि भुगतान प्राधिकारी ने विक्रेता को लेन-देन के ब्यौरे और विवरण देते हुए तत्काल कोई धन-वापसी नहीं की है, के मामले में भुगतान प्राधिकारी का ऐसी धन राशि को विक्रेता के विशेष संविदा के अधिशेष बिलों से या अन्य लंबित सरकारी संविदाओं से वसूल कर सकेगा और इस संबंध में विक्रेता द्वारा विवाद नहीं उठाया जाएगा ।

4. जब तक कि संविदा की शर्तों में विशेष रुप से उल्लेख न किया जाए, क्रेता कच्चे माल पर नए एवं उत्पाद-शुल्क लगाने और/या वृद्धि होने और/या संविदा के लंबित रहने के दौरान संविदा के शेष रह गए विनिर्माण के प्रत्यक्ष रुप से प्रयोग किए गए संघटकों के बारे में किए गए कोई दावे के लिए जिम्मेंदार नहीं होगा ।

(IV) **बिक्री कर/वैट**

1. यदि बोलीदाता बिक्री कर/वैट को अतिरिक्त के रुप में लेने की इच्छा व्यक्त करता है, तो ऐसा विशेष रुप से उल्लेख करना आवश्यक है । निविदा में ऐसी कोई शर्त न होने की स्थिति में, यह माना जाएगा कि बोलीदाता द्वारा दिए गए मूल्यों में बिक्री कर शामिल है और क्रेता के ऊपर बिक्री कर की कोई देयता नहीं होगी ।

2. बिक्री कर अतिरिक्त देने वाली निविदा पर, आपूर्ति के समय पर लागू बिक्री कर की दर एवं प्रकृति को अलग से दर्शाया जाना चाहिए । विक्रेता को बिक्री कर की अदायगी उस दर पर की जाएगी जिस पर इसकी गणना की जानी है या वास्तव रुप से गणना की गई है बशर्ते बिक्री का संचालन विधायी रुप से बिक्री कर को देय है और उसे संविदा की शर्तों के अनुसार दिया जाता है ।

(V) **चुंगी-कर एवं स्थानीय कर**

1. सामान्यत: सरकारी संविदाओं के अंतर्गत सरकारी विभागों को आपूर्ति किए जाने वाले सामानों पर नगर शुल्क, चुंगी कर, टर्मिनल कर एवं स्थानीय निकायों के लगने वाले अन्य करों से छूट प्राप्त होती है । तथापि, स्थानीय नगर/निगम निकाय, एक समय पर किसी प्राधिकृत अधिकारी से ऐसी छूट पाने वाले प्रमाणपत्र देने पर ऐसी छूट प्रदान करते थे । विक्रेता को सुनिश्चित करना चाहिए कि इस कार्यालय द्वारा संविदा के अधीन भंडारों के दिए गए आदेश नगर कर/चुंगी कर, टर्मिनल कर या अन्य स्थानीय करों और शुल्कों से छूट प्राप्त हैं। जहां आवश्यक हो, उनको ऐसे स्थानीय करों या शुल्कों के भुगतान से बचने के लिए क्रेता से छूट प्रमाणपत्र ले लेना चाहिए ।

2. उन मामलों में जहां नगर निगम या अन्य स्थानीय निकाय ऐसे शुल्कों या करों के भुगतान पर जोर देते हैं विक्रेता को आपूर्तियों में देरी और विलंब शुल्क से बचने के लिए इन करों का भुगतान कर देना चाहिए । ऐसे भुगतानों की प्राप्त रसीदों को बिना किसी देरी के क्रेता के पास संबंधित स्थानीय निकाय के निगमों के संबंधित अधिनियम या नियमों/अधिसूचना की प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे कि वह उक्त अधिनियम या नियमों के अंतर्गत यदि मान्य है तो संबंधित निकायों से धन वापसी के प्रश्न को उठा सके ।

15. **पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता** - एक "सत्यनिष्ठा समझौते" पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय/क्रेता और बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे । यह करारनामा एक विशेष संविदा के लिए क्रेता और बोलीदाताओं के मध्य बाध्यकारी होता है जिसमें क्रेता वचन देता है कि अधिप्राप्ति प्रक्रिया के दौरान कोई रिश्वत नहीं ली जाएगी और बोलीदाता वचन देता है कि वे कोई रिश्वत का प्रस्ताव नहीं देंगे। इस समझौते के अधीन बोलीदाता विशेष सेवाओं या संविदाओं को देने के लिए क्रेता से विशेष ढंग से अधिप्राप्ति देने के लिए सहमत होता है । पूर्व सत्यनिष्ठा समझौते का प्राफार्मा फार्म डीपीएम-10 के अंतर्गत दिया गया है (रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और अनुरोध पर प्राप्त किया जा सकता है) । समझौते के आवश्यक तत्व निम्न प्रकार से हैं:-

(क) समझौता (संविदा) भारत सरकार (रक्षा मंत्रालयत्र) (प्राधिकारी या "प्रमुख") और इस विशेष कार्य को करने वाला(बोलीदाता) टेंडर को प्रस्तुत करने वाली कंपनियों के मध्य होता है ।

(ख) "प्रमुख" के द्वारा एक वचनबंध कि उसके कार्मिक कोई रिश्वत, उपहार इतयादि की मांग या स्वीकार नहीं करेंगे । उल्लंघन करने के मामले में उचित अनुशासनात्मक या फौजदारी कार्रवाई की जाएगी ।

(ग) प्रत्येक बोलीदाता द्वारा एक विवरण देगा कि उसने न तो कोई रिश्वत दी है और न देगा ।

(घ) प्रत्येक बोलीदाता एक वचनबंध देगा कि इस संविदा के संबंध में किए गए सभी भुगतानों को किसी अन्य व्यक्ति (एजेंट या अन्य बिचौलिया के साथ-साथ अधिकारियों के पारिवारिक सदस्य इत्यादि), प्रकटन या तो निविदाओं को प्रस्तुत करते समय या प्रमुख की मांग पर किया जाएगा, विशेष रुप से जब उस बोलीदाता द्वारा कोई उल्लंघन की शंका प्रकट होती हो ।

(ङ) प्रत्येक बोलीदाता की पूर्ण स्वीकृति कि उसने कोई रिश्वत देने की प्रतिबद्धता और दायित्व को स्पष्ट करने तथा संविदा के पूरा होने तक सफल बोलीदाता की मंजूरी को पूर्ण रुप से पूरा कर दिया है ।

(च) बोली देने वाली कंपनी के पक्ष में एक वचनबद्ध "कंपनी के मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी के नाम से और उनके पक्ष में" तैयार किया जाएगा ।

(घ) मंजूरी के निम्नलिखित सेट को बोलीदाता को उसकी प्रतिबद्धता एवं वचनबद्धताओं के किसी उल्लंघन के लिए लागू किया जाएगा:-

1. संविदाओं को मना करना एवं खोना ।

2. निविदा सुरक्षा और निष्पादन बांड की जब्ती ।

3. प्रमुख और प्रतियोगी बोलीदाताओं के नुकसान की देयता ।

4. प्रमुख द्वारा उचित समय अवधि में उल्लंघनकर्त्ता को बाहर करना ।

(ज) बोलीदाताओं को कंपनी की आचार-संहिता बनाने की भी सलाह दी जाती है (स्पष्ट रुप से कंपनी के अंदर आचार-संहिता के क्रियान्वयन के लिए रिश्वत का प्रयोग और अन्य अनैतिक बर्ताव को रोकने और अनुपालन कार्यक्रम तैयार किया जाए) ।

भाग-IV प्रस्ताव के लिए अनुरोध की विशेष शर्ते

क्रेता द्वारा चयनित बोलीदाता को निम्नानुसार प्रस्ताव के लिए अनुरोध की विशेष शर्तो की स्वीकृति की स्वयं पुर्ण करना अपेक्षित है जो सफल बोलीदाता (अर्थात् संविदा में विक्रेता) को अन्तिम रुप से संविदा दे दी जाएगी । ऐसा न करने पर बोलीदाता द्वारा जमा की गई निविदा को निरस्त किया जा सकता है ।

1. **निष्पादन गारंटी**

(क) **स्वदेशी मामले -** बोलीदाता को पुष्टि आदेश के प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर संविदा मूल्य की 10 प्रतिशत के समान राशि को सरकारी कार्य को करने के लिए प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या किसी क्षेत्र के बैंक (आई सी आई सी आई,एक्सिस बैंक लि0 या एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0)के द्वारा बैंक गारंटी द्वारा निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी । निष्पादन बैंक गारंटी को वारंटी की तारीख से 60 दिनों तक वैद्य रहना चाहिए । पी बी जी का नमूना फार्म डी पी एम -15 में दिया गया है । (रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और अनुरोध करने से प्राप्त किया जा सकता है) ।

(ख) **विदेशी मामले** - विक्रेता को इस संविदा के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) अर्थात् यू एस डालर ------------- (यू एस डालर शब्दों में -------------------------केवल)के समान राशि का भारत सरकार ,रक्षा मंत्रालय के पक्ष में प्रथम श्रेणी के मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के द्वारा विक्रेता के बैंक से बैंक गारंटी जिसकी पुष्टि सरकारी कार्यो के करने के लिए प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या निजी क्षेत्र के बैंक (आई सी आई सी आई बैंक लि0 , एक्सिस बैंक लि0 या एच डी एफ सी लि0) के द्वारा निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा । निष्पादन बैंक गारंटी की वारंटी की तारीख से 60 दिनों तक वैद्य रहना चाहिए । निष्पादन बैंक गारंटी को क्रेता के बैंक के प्राप्त हो जाने पर उसे खुला समझा जाएगा । किसी दावे या किसी अन्य संविदा दायित्वों के अधिशेष रहने के मामले में विक्रेता को क्रेता द्वारा मांगे जाने पर निष्पादन बैंक गारंटी को तब तक बढाना होगा जब तक कि विक्रेता सभी दावों और सभी संविदा दायित्वों को पूरा नहीं कर देता । क्रेता द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी को नकदीकरण किए जाने तक रखा जाएगा, और डिलीवरी अनुसूची का पालन, दावों का निपटारा और संविदा के अन्य प्रावधानों को विक्रेता द्वारा पूरा किए जाने तक रहेगी । पी बी जी का नमूना फार्म डी पी एम-15 में दिया गया है । (रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और अनुरोध करने पर प्राप्त किया जा सकता है) ।

2. **विकल्प शर्ते -** संविदा में विकल्प शर्ते मौजूद रहेगी , जिनमें क्रेता वर्तमान संविदा की उसी शर्तो के अनुसार मूल संविदा गुणवत्ता का 50 प्रतिशत अतिरिक्त खरीदने के विकल्प का प्रयोग कर सकता है । यह संविदा के कार्यान्वयन के अधीन ही उपलब्ध होगा । बोलीदाता को संविदा में इसको शामिल करने के लिए मंजूरी की पुष्टि करनी होती है । पर पूर्ण रुप से क्रेता के विवेक पर निर्भर करेगा कि वह इस विकल्प का प्रयोग करे या नहीं ।

3. **पुनरादेश शर्ते -** संविदा में पुनरादेश शर्ते मौजूद रहेगी, जिनमें क्रेता इस संविदा की आपूर्ति / सफलतापूर्वक पूरा होने की तारीख से छ: माह के अन्दर वर्तमान संविदा के अधीन मदों की 50 प्रतिशत

तक मात्रा का आदेश दे सकता है । लागत की निबंधन और शर्ते वही रहेगी । बोलीदाता को इस शर्त की स्वीकार्यता की पुष्टि देनी होती है । यह पूर्ण रुप से क्रेता के विवेक पर निर्भर करेगा कि वह इस पुनरादेश शर्ते का प्रयोग करें या नहीं ।

4. **सहिष्णुता शर्ते -** संविदा को दिए जाने तक आर एफ पी के जारी होने से प्रारम्भ होने तक की अवधि के दौरान आवश्यकता में किसी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए ,विक्रेता द्वारा दी गई निबंधन और शर्तो और मूल्यों में कोई परिवर्तन न करते हुए उस सीमा तक क्रेता अपेक्षित वस्तुओं की मात्रा में --------- प्रतिशत जमा /घटा कर बढ़ाने या घटाने का अधिकार रखता है । संविदा देते समय आदेशित मात्रा को क्रेता द्वारा सहिष्णुता सीमा के अन्दर बढ़ा या घटा सकता है ।

5. **स्वदेशी विक्रेताओं के लिए भुगतान शर्ते -** बोलीदाता को अपने बैंक खाता संख्या और अन्य संबंधित ई-भुगतान को दर्शाना अनिवार्य होगा ताकि भुगतान, जहां संभव हो चेक के द्वारा भुगतान करने के स्थान पर ई सी एस/ई एफ टी तंत्र के माध्यम से किया जा सके । ई सी एस के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित माडल फार्म की एक प्रति फार्म डी पी एम-11 में दिया गया है (रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और अनुरोध पर प्राप्त किया जा सकता है)। अपेक्षित दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान निम्नलिखित शर्तो के अनुसार किया जाएगा :-

या

(क) संविदा की राशि का 95 प्रतिशत का भुगतान बैंक गारंटी की फोटो प्रति और प्रेषित का अनन्तिम रशीद के साथ विधिवत् रुप से समर्पित साक्ष्य देने पर किया जाएगा । शेष 5 प्रतिशत राशि का भुगतान प्ररेषिती द्वारा ठीक स्थिति में सामानों के प्राप्त होने तथा प्रयोक्ता द्वारा जारी सम्पूर्ण संस्थापन और सफल कार्यकरण होने के पश्चात् किया जाएगा ।

(ख) सामान की डिलीवरी और प्रयोक्ता की स्वीकृति पर 100 प्रतिशत भुगतान

या

(ग) अवस्था -वार भुगतान (मामले की जटिलता के अनुसार तय किया जाएगा)

या

(घ) ए एम सी संविदाओं के संबंध में प्रयोग स्वीकृति प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने पर तिमाही भुगतान

6. **विदेशी विक्रेताओं के लिए भुगतान शर्ते**

(क) भुगतान का प्रबंध विदेशी विक्रेता के बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक /भारतीय स्टेट बैंक/ किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक,जैसाकि क्रेता ने निर्णय लिया है ,के साख -पत्र द्वारा किया जाएगा। विक्रेता एक विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर सामानों की तैयारी के बारे में एक अधिसूचना जारी करेगा । साख-पत्र क्रेता द्वारा फर्म से सामान की तैयारी की अधिसूचना की प्राप्ति के----------- दिनों के अन्दर खोली जाएगी । साख-पत्र खोलने की तारीख से ------दिनों के लिए वैद्य रहेगा , जिसे विक्रेता और क्रेता दोनों के परस्पर सहमति से आगे भी बढाया जा सकेगा ।

या

(ख) यदि संविदा का मूल्य 100,000 यू0एस0 डालर तक हैं तो भुगतान प्रत्यक्ष बैंक ट्रांसफर द्वारा किया जाएगा। डी0 बी0 टी0 भुगतान लदान के स्पष्ट बिल /ए0डब्ल्यू0बी0 / जहाज का सबूत और ऐसा अन्य दस्तावेज जैसाकि संविदा में दिया गया है। के प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर कर दिया जाएगा किन्तु ऐसे भुगतान संविदा की सहमत शर्तो के अन्तर्गत विक्रेता द्वारा किए जा सकने वाले भुगतान की ऐसी राशि के घटाने की शर्त पर दिया जाएगा।

या

(ग) अवस्था वार भुगतान (मामले की जटिलता के अनुसार तय किया जाएगा)

या

(घ) ए एम सी संविदाओं के संबंध में प्रयोक्ता स्वीकृति प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने पर तिमाही भुगतान।

7. **अग्रिम भुगतान -** कोई अग्रिम भुगतान नही किया जाएगा।

या

(क) अग्रिम भुगतान क्रेता के स्वीकार्य होने पर कोई पर्याप्त बैंक गारंटी या किसी प्राधिकृत गारंटी पर राशि के 15 प्रतिशत तक किया जा सकता है।

8 **भुगतान प्राधिकारी**

(क) **स्वदेशी विक्रेता** : (नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण)। बिलों का भुगतान भुगतान प्राधिकारी को बिलों के साथ विक्रेता द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर होगा :-

(i) आकस्मिक बिल/ विक्रेता के बिल की स्याही में हस्ताक्षरित प्रति।

(ii) वाणिज्य बीजक/ विक्रेता के बिल की स्याही में हस्ताक्षरित प्रति।

(iii) पूर्ति आदेश/ संविदा के एकीकृत वित्तीय सलाहकार की सहमति का यू0 ओ0 संख्या एवं तारीख, जहां शक्तियों के प्रत्यायोजन के अन्तर्गत आवश्यक होती है, की प्रति।

(iv) दो प्रतियों में सी0 आर0 वी0,

(v) निरीक्षण नोट

(vi) सांविधिक एवं अन्य करों से समर्थित अपेक्षित दस्तावेज/ भुगतान के सबूत जैसे कि उत्पाद का चालन, सीमा-कर स्वीकृति प्रमाणपत्र, चुंगी रसीद, लाभधारियों के नामों के रोल के साथ ई पी एफ/ ई एस आई सी अंशदान इत्यादि, जो लागू हो, के दावे।

(vii) उत्पाद-कर/ सीमा शुल्क, यदि लागू हो, का छूट प्रमाणपत्र।

(viii) अग्रिम, यदि कोई हो, के लिए बैंक गारंटी।

(ix) गारंटी/वारंटी प्रमाणपत्र ।

(x) निष्पादन बैंक गारंटी/ क्षतिपूर्ति बाण्ड, जहां लागू हों ।

(xi) सी एफ ए की मंजूरी के साथ डी पी पर बढ़ोतरी, आई एफ ए की सहमति का यू0 ओ0 संख्या एवं तारीख, जहां शक्तियों के प्रत्यायोजन के अन्तर्गत अपेक्षित हो, यह दर्शाते हुए कि क्या एल डी बढ़ोतरी के साथ है या फिर बिना बढ़ोतरी के है ।

(xii) इलैक्ट्रानिक भुगतान के ब्यौरे जैसे कि खाताधारी का नाम, बैंक का नाम, शाखा का नाम और पता, खाते का प्रकार, खाता संख्या, आई एफ एस सी कोड, एम आई सी आर कोड (यदि ये विवरण आपूर्ति आदेश/ संविदा में नहीं दिए गए हैं)।

(xiii) अन्य कोई दस्तावेज/ प्रमाणपत्र जिन्हें आपूर्ति आदेश/ संविदा में दिया जा सकता है ।

(xiv) प्रयोक्ता स्वीकृति ।

(xv) पी बी जी की फोटोप्रति ।

(नोट - उपयुर्क्त सूची से दस्तावेज जिनकी आवश्यकता अधिप्राप्ति की जा रही वस्तुओं की विलक्षता पर निर्भर कर सकती है, आर एफ पी में शामिल किया जा सकता है)

(ख) **विदेशी विक्रेता :** (नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण)।

संविदात्मक शर्तों के अनुसार सामान को भेजने के प्रमाण के रुप में विक्रेता द्वारा बैंक को प्रदत्त जहाज लदान के दस्तावेजों को दिया जाना है, जिससे कि विक्रेता साख-पत्रों भुगतान प्राप्त करता है। इन दस्तावेजों को बैंक क्रेता के पास पोत/हवाई अड्डों से सामानों/भण्डारों को प्राप्त करने के लिए भेजेगा । दस्तावेजों में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(i) भाड़े/लदान के बिल

(ii) मूल बीजक

(iii) पैकिंग सूची

(iv) विक्रेता को चैम्बर ऑफ कामर्स से जारी प्रमाणपत्र, यदि कोई हो।

(v) ओ ई एम से गुणवत्ता एवं वर्तमान निर्माता का प्रमाणपत्र ।

(vi) खतरनाक कार्गो प्रमाणपत्र, यदि कोई हो ।

(vii) सी आई एफ/ सी आई पी संविदा के मामले में 110 % बीमा नीति ।

(viii) पी डी आई पर समरुपता एवं स्वीकृति जांच का प्रमाणपत्र, यदि कोई हो ।

(ix) फिजियो- सैनेटरी, फुमिजेशन प्रमाणपत्र, यदि कोई हो ।

(x) निष्पादन बांड/ वारंटी प्रमाणपत्र ।

9 मूल्य-ह्रास की शर्त

निम्नलिखित मूल्य-ह्रास सफल बोलीदाता को दिए गए संविदा का एक भाग होगा :-

(क) विक्रेता द्वारा संविदा के अन्तर्गत आपूर्ति किए गए सामानों के लिए वसूले गए मूल्य किसी भी अवस्था में उस न्यूनतम मूल्यों से अधिक नहीं हों जिनको विक्रेता किसी व्यक्ति /संगठन के साथ साथ क्रेता या केन्द्रीय सरकार के किसी भी विभाग या राज्य सरकार के किसी सांविधिक उपक्रम जैसा भी मामला हो, को सभी आपूर्ति आदेशों के निष्पादन हो जाने की अवधि के दौरान और दर संविदा के पूरा हो जाने तक एक समान विवरण वाली वस्तुओं को बेचता या बेचने का प्रस्ताव करता है ।

(ख) यदि किसी समय पर उक्त अवधि के दौरान विक्रेता, ऐसी वस्तुओं को किसी व्यक्ति/संगठन के साथ-साथ क्रेता या केन्द्रीय सरकार के किसी भी विभाग या राज्य सरकार के किसी सांविधिक उपक्रम जैसा भी मामला हो, संविदा के अन्तर्गत वसूले गए मूल्यों से कम मूल्य पर बेचता या बेचने का प्रयास करता है, ऐसी कमी या बिक्री या बेचने के प्रस्ताव को तत्काल आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय को अधिसूचित करेगा और भण्डारों की बिक्री को ऐसी कमी या बिक्री के प्रस्ताव के लिए संविदा के अन्तर्गत देय मूल्य तदनुसार कम कर दिए जाएंगे । तथापि, उपयुर्क्त शर्त निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी :

(i) विक्रेता द्वारा निर्यात

(ii) सामान्य पुनर्स्थापन के लिए वसूले गए मूल्यों से कम मूल्यों पर मूल उपस्कर के रुप में सामानों की बिक्री ।

(iii) ऐसी वस्तुओं की बिक्री जिनकी एक्सपायरी तारीख होती है जैसे कि दवाईयां ।

(iv) वर्तमान या पिछली दर संविदाओं के अन्तर्गत और साथ ही केन्द्रीय या राज्य सरकार के विभाग तथा उनके उपक्रम संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियां और/या निजी पार्टियां या निकायों को छोडकर, के साथ किए गए पिछली किसी संविदा के अन्तर्गत संबंधित प्राधिकारी द्वारा वस्तुओं के आदेश की बिक्री ।

(ग) दर संविदा के अधीन आपूर्तियों के लिए भुगतान के प्रत्येक बिल के साथ भुगतान प्राधिकारी को विक्रेता द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा - हम प्रमाणित करते है इस संविदा के अन्तर्गत सरकार को आपूर्ति किए गए भण्डारों के एक समान विवरण वाले सामानों के बिक्री मूल्य में कोई कमी नहीं की गई है और ऐसे सामानों को मेंरे/ हमारे द्वारा किसी व्यक्ति/संगठन तथा क्रेता या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार के किसी विभाग या केन्द्रीय या राज्य सरकार के सांविधिक उपक्रम जैसा भी मामला हो, को संविदा के अन्तर्गत सरकार से वसूले गए मूल्यों से कम मूल्यों पर दर संविदा के प्रचलन के दौरान दिए गए आदेश की सभी आपूर्तियों के बिल की तारीख/आपूर्तियों के पूरा होने की तारीख तक ऐसे सामान को बेचने का प्रस्ताव /बेचा नही गया हैं सिवाय उपर्युक्त ब्यौरे के उप पैरा (ii) के उपबंध (क) (ख)और (ग)के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध भण्डारों की गुणवत्ता के जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं---------------- ।

(10) विनिमय दर विचलन शर्त

(क) संविदा के लिए अपनाए गए विदेशी विनिमय दरों पर आयायित सामान की अधिप्राप्ति और उनके मूल्यों के लिए विस्तृत समय अनुसूची नीचे दिए गए प्रोफार्मे के अनुसार विदेशी बोलीदाता द्वारा दी जानी है:-

वर्षवार एवं प्रमुख मुद्रावार आयात वस्तुओं का विवरण :

वर्ष	सामान की कुल लागत	विदेशी विनिमय की स्थिति (रुपए के समान करोड़ों में)		
क्रमांक		डालर में	यूरो में	अन्य देश की मुद्रा में
1				
2				

(ख) ई आर वी का संविदा के मूल्यांकन के लिए अपनाए गए विनिमय दर के संदर्भ में विनिमय दर के विचलन पर निर्भर करते हुए देय/वापस किया जाएगा । संविदा के एफ ई विषय वस्तु की गणना करने के लिए प्रयोग की गई प्रत्येक प्रमुख मुद्रा का आधार विनिमय दर मूल्य निविदाओं को खोलने की तारीख को भारतीय स्टेट बैंक का बीसी विक्रय दर माना जाएगा ।

(ग) ई आर वी की आधारभूत तारीख संविदा तारीख मानी जाएगी और आधारभूत तारीख में कोई विचलन होने पर निर्माण के मध्य बिंदु माना जाएगा जब तक कि बोलीदाता समय अनुसूची को दर्शाता है जिसके अंदर उसके द्वारा सामान का निर्माता किया जाएगा । उपर्युक्त जानकारी के आधार पर, आयातित सामान की डिलीवरी अनुसूची के अंदर अंतिम तारीख/तारीखों को ई आर वी की योग्यता के लिए नियत किया जाएगा ।

(घ) ई आर वी शर्त आयातित सामानों के लिए डिलीवरी अवधियों के मामले में लागू नहीं होगी जिनकी तदनुसार पुन:नियत/वृद्धि की जानी है ।

(ङ) अधिसूचित विनिमय दर विचलन का प्रभाव की गणना विक्रेताओं के उनके टेंडर में दर्शाए गए अनुसार बहाव के लिए वार्षिक आधार पर की जाएगी और क्रेता के प्रमाण पत्र के आधार पर वित्तीय वर्ष के अंत से पूर्व प्रदत्त/वापस की जाएगी ।

11 जोखिम एवं व्यय से संबंधित शर्त

(1) क्या संविदा दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट समय या समयों के अंदर सामानों या उसकी किसी किस्त की डिलीवरी नही की जानी चाहिए या सामान या उसकी किसी किस्त की क्षतिग्रस्त डिलीवरी की जाती है, क्रेता उल्लंघन को ठीक करने के लिए विक्रेता को 45 दिनों का समय देने के पश्चात्,

क्रेता स्वतंत्र है, संविदा के उल्लंघन के लिए उपाय के रुप में परिनिर्धारित क्षति को बिना किसी पूर्वाग्रह के वसूलने और संविदा को पूर्ण रुप से या ऐसी क्षति की सीमा तक निरस्त करने का उसे अधिकार होगा ।

(2) क्रेता के देश में किए गए किसी सामान या उसकी कोई किस्त के परीक्षण जांच के दौरान विक्रेता द्वारा दिए गए विनिर्देशनों/पैरामीटरों के अनुसार निष्पादन नहीं करती है, क्रेता बिना किसी पूर्वाग्रह के पूर्णतया स्वतंत्र होगा संविदा के उल्लंघन करने पर अन्य कोई उपाय के संविदा को पूर्ण रुप से या ऐसी क्षति की सीमा तक निरस्त कर दें ।

(3) क्षतिग्रस्त सामान 45 दिनों के अंदर नहीं बदलने के मामले में, क्रेता , विक्रेता को प्रथम अस्वीकृति का अधिकार देते हुए स्वतंत्र है अन्य किसी स्रोत से जैसा वह ठीक समझता है,सामान के ऐसे या एक समान विवरण के अन्य भण्डारों को खरीदने, विनिर्माण या अधिप्राप्त करने का अधिकार रखता है ,जिससे कि निम्नलिखित को सुधारा जा सके :-
(क) ऐसी क्षति
(ख) संविदा को पूर्ण रुप से निर्धारित किए जाने की अवस्था में शेष भण्डार की इसके पश्चात् डिलीवरी की जानी है

(4) किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से प्राप्त किए गए किसी सामान की खरीद मूल्य, विनिर्माण की लागत या मूल्य जैसा भी मामला हो, के किसी आधिक्य की स्थिति में, संविदा मूल्य से अधिक के ऐसे चूक या शेष राशि को विक्रेता से वसूला जाएगा । ऐसी वसूली जाने वाली राशि संविदा के मूल्य के -- प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

12 दैवीय आपदाओं की शर्तें

(क) कोई भी पार्टी अपने किसी दायित्व के पूर्ण या आंशिक रुप से गैर-निष्पादन के लिए जिम्मेंवार होगा (वर्तमान संविदा के प्रावधानों के अंतर्गत वस्तुओं की प्राप्ति होने के कारण किसी राशि के भुगतान न किए जाने की स्थिति को छोंडकर), यदि ऐसे किसी दैवीय शक्तियों जैसे बाढ़, आग, भूकम्प, अन्य कोई प्राकृतिक विपदा अथवा युद्ध, अशान्ति, हड़ताल, तोड़फोड, विस्फोट, दोनों पक्षों के नियंत्रण से परे संगरोध जैसी परिस्थितियां जिनकी आशंका अथवा आशा हो और इनसे बचा न जा सकता हो और जिनके कारण निष्पादन में विलम्ब हुआ हो अथवा निष्पादन न हुआ हो।

(ख) ऐसी परिस्थितियों में वर्तमान संविदा के अंतर्गत किसी दायित्व के निष्पादन के लिए समय अवधि को ऐसी परिस्थितियों और उनके परिणामों की कार्रवाई के लिए समय अवधि को तदनुसार बढाया जा सकता है ।

(ग) दैवीय आपदाओं के कारण इस संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने में असंभव हो जाने पर एक पक्ष दूसरे पक्ष को लिखित में उपर्युक्त परिस्थितियों के तत्काल प्रारम्भ होने या समाप्त होने पर अधिसूचित करेगा, किन्तु यह उसके प्रारम्भ होने के दिन से 10 दिनों से अधिक न हो ।

(घ) वाणिज्य मंडल (वाणिज्य या उद्योग) अन्य सक्षम प्राधिकारी या संबंधित देश के संगठन का प्रमाणपत्र उपर्युक्त परिस्थितियों के प्रारम्भ या समाप्त होने का पर्याप्त प्रमाण होगा ।

(ड़) यदि छ: माह से अधिक किसी दायित्व का पूरा या आंशिक निष्पादन असंभव होता है तो कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को 30 दिनों का लिखित नोटिस देते हुए संविदा को पूर्ण या आंशिक रुप से समाप्त करने का अधिकार रखता है । दूसरा पक्ष प्राप्त वस्तुओं के लिए करार नामें में दी गई शर्तों पर प्रतिपूर्ति के अलावा किसी अन्य दायित्वों के बिना समाप्त कर सकता है ।

13 **पुन:क्रय प्रस्ताव (बाइ-बैक ऑफर)** - क्रेता विद्यमान पुरानी वस्तुओं का व्यपार करने का इच्छुक होता है जबकि नई वस्तुओं को खरीदता है । तदनुसार, बोलीदाता अपने टैण्डर तैयार करके प्रस्तुत कर सकते हैं । इच्छुक बोलीदाता इस लेन देन के द्वारा व्यापार की जाने वाली पुरानी वस्तुओं का निरीक्षण कर सकते है । क्रेता नई वस्तुओं को खरीदते समय पुरानी वस्तुओं का व्यापार करने या नहीं करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखता है और तदनुसार, बोलीदाता दोनों विकल्पों को लेते हुए अपनी बोलियां लगा सकते हैं । पुन:क्रय प्रस्ताव के ब्यौरे निम्न प्रकार से दिए जाते हैं :

(क) पुन:क्रय योजना की मदों के ब्यौरे - मेंक/मॉडल, विशिष्टता, उत्पादन/खरीद का वर्ष, वारंटी/ए नीचे ले जाए एम सी की अवधि इत्यादि ।

(ख) पुरानी मदों के निरीक्षण हेतु स्थान - पता, टेलिफोन, फैक्स, ई-मेंल, सम्पर्क कार्मिक इत्यादि ।

(ग) निरीक्षण का समय - सभी दिनों में ..... से ....तक।

(घ) निरीक्षण की अन्तिम तिथि .... बोलियों के प्रस्तुतिकरण की अन्तिम तिथि से एक दिन पहले ।

(ड़) सफल बोलीदाता की पुरानी मदों के रखरखाव की अवधि..............आदेश देने के 15 दिनों के अन्दर ।

(च) प्रबंध प्रभार एवं परिवहन खर्चों को पुरानी मदों को सफल बोलीदाता के खाते से वसूला जाएगा।

14 **विशिष्टता** - निम्नलिखित विशिष्टता शर्त सफल बोलीदाता को दी गई संविदा का भाग होगी । विक्रेता आर एफ पी के भाग-II के अनुसार विशिष्टताओं को पूरा करने की गारंटी देता है और रख-रखाव मूल्यांकन परीक्षण के पश्चात् की गई सिफारिशों/ आवश्यकताओं को पूरा करने को वर्तमान डिजाइन विन्यास के अनुरुप संशोधन करता है । विक्रेता सभी तकनीकी साहित्य और डिजायनों को क्रेता को आपूर्ति करने से पहले संशोधनों के अनुसार बदलता है । क्रेता के साथ परामर्श करके विक्रेता विनिर्माण प्रक्रियाओं, स्वदेशीकरण या अप्रचलन के कारण डिजायन, ड्राइंग या विशिष्टताओं में तकनीकी उन्नयन/ संशोधन कर सकता है । तथापि, इसमें किसी भी परिस्थिति में, उपस्कर के विशिष्टताओं पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । उन्नयन/ संशोधनों के परिणामस्वरुप आवश्यक औजारों के साथ तकनीकी ब्यौरे, ड्राइंग, मरम्मत और रख-रखाव तकनीकी में परिवर्तन ऐसे उन्नयन/संशोधनों के प्रभावी होने के (.........) दिनों के अन्दर क्रेता को मुफ्त में उपलबध करवाया जाएगा ।

15 **ओ ई एम प्रमाणपत्र** - बोलीदाता के ओ ई एम नहीं होने की स्थिति में, कल-पुर्जे प्रदान करने के लिए ओ ई एम के साथ प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा । तथापि, जहां ओ ई एम नहीं होता है, गुणवत्ता प्रमाणपत्र की शर्त पर प्राधिकृत विक्रेताओं से लघु समायोजन और कल-पुर्जे प्राप्त किए जा सकते है ।

16 **निर्यात लाईसेंस** - बोलीदाताओं को पुष्टि करनी होती है कि उनके पास उनकी सरकारों से अपेक्षित निर्यात लाइसेंस और उनके पास ओ ई एम नहीं होने के मामले में, विनिर्माण संयंत्र से भारत को सैनिक/गैर-सैनिक सामानों के निर्यात करने के लिए प्रधिकृत हैं ।

17 **विनिर्मण का अद्यतन स्वीकृत वर्ष** - बिल के साथ गुणवत्ता/ जीवन प्रमाणपत्र संलग्न किए जाने की आवश्यकता होगी ।

18 **क्रेता तैयारशुदा उपकरण** - निम्नलिखित उपकरणों को विक्रेता के उसके खर्च पर क्रेता को प्रदान किया जाएगा ।

....

19 **परिवहन -** निम्नलिखित परिवहन शर्ते सफल बोलीदाता को दी गई संविदा के एक भाग के रुप में होगी :

(क) **सी आई एफ/ सी आई पी** - भण्डारों को सी आई एफ/ सी आई पी (गन्तव्य पोत) पर डिलीवरी की जाएगी । विक्रेता को गन्तव्य पोत पर लाने के लिए आवश्यक लागत एवं किराए का भुगतान वहन करना होगा। विक्रेता को सामान लादने के दौरान सामान के नुकसान या हानि के क्रेता के जोखिम की भरपाई के लिए समुद्री बीमें का भी प्रबंधन करना होगा । विक्रेता बीमें का प्रबंध कर बीमा प्रीमियम स्वयं वहन करेगा । विक्रेता निर्यात के लिए सामानों को भेजने का भी प्रबंध करेगा । विक्रेता केवल भारतीय जहाजो से ही क्रेता को भण्डारों की आपूर्ति करेगा । लदान करने के बिलके जारी करने की तारीख को डिलीवरी के तारीख के रुप में लिया जाएगा । सामानों को किश्तों में भेजने की अनुमति नहीं होगी । सामानों की ट्रांस-शिपमेंट की आज्ञा नहीं होगी । ऐसे मामलों में जहां ऐसा करना अनिवार्य हो, विक्रेता क्रेता की पूर्व लिखित सहमति के बिना सामानों के ट्रांस-शिपमेंट का प्रबंध नहीं करेगा । सामानों को केवल भारतीय जहाजों के द्वारा ही भेजा जाना चाहिए । तथापि, विक्रेता रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार माल परिवहन भेजने वाले एजेन्ट की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं , जिनके ब्यौरे क्रेता द्वारा प्रदान किए जाएंगे । विक्रेता को रक्षा भण्डारों को वाणिज्यिक जहाजों के द्वारा लाए जाने के मामले में पोत पर जहाज में लादने से पूर्व उचित समय पर अग्रिम संबंधित पोतारोहण मुख्यालय को स्पष्ट रुप में टेलेक्स/हस्ताक्षरित निम्नलिखित जानकारी देना अपेक्षित होगा :

(i) जहाज का नाम

(ii) सामान लादने के लिए पोत एवं देश का नाम

(iii) सामान उतारने का ई टी ए पोत अर्थात् मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई एवं कोच्चि

(iv) पैकेज और वजन का नम्बर

(v) प्रमुख उपकरणों की नामावली और ब्यौरे

(vi) विशेष अनुदेश, यदि कोई सामान संवंदी प्रकृति का होने के कारण उप पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(ख) **एफ ओ बी/ एफ ए एस** - भण्डारों को एफ ओ बी द्वारा डिलीवरी किया जाएगा ....। (इनकोटर्म्स - 2000 अथवा नवीनतम संस्करण के अनुसार) भडारों की डिलीवरी केवल भारतीय जहाजों से ही की जाएगी । एफ ओ बी/ एफ ए एस संविदाओं के मामले में, नौवहन व्यवस्था शिपिंग को-आर्डिनेशंस एवं चार्टरिंग डिवीजन/ शिपिंग को-आर्डिनेशंस आफिसर, भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत द्वारा की जाएगी । नौवहन के लिए कार्गो की तैयारी के लिए कम-से-कम 08 (आठ) सप्ताह पूर्व आपूर्तिकर्ता द्वारा फैक्स/टेलैक्स या कूरियर द्वारा चीफ कंट्रोलर ऑफ चार्टरिंग, शिंपिंग को-आर्डिनेशंस आफिसर, भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत को दी जानी चाहिए । अग्रिम नोटिस प्राप्त होने के 03 (तीन) सप्ताह के अन्दर, उपर्युक्त के अनुसार, चीफ कंट्रोलर ऑफ चार्टरिंग, शिंपिंग को-आर्डिनेशंस आफिसर को फैक्स/ टेलैक्स और कूरियर के द्वारा आपूर्तिकर्ता को सलाह देगा कि कब और किस जहाज से इन वस्तुओं या उनके किसीभाग को डिलिवर किया जाना है। यदि नौवहन व्यवस्था की सलाह उपर्य्रुक्त के अनुसार विक्रेता को 03(तीन) सप्ताह के अन्दर नहीं दी जाती है या यदि जहाज को उपर्युक्त के अनुसार कार्गो की तैयारी की तारीख के अधिक से अधिक 15(पन्द्रह) दिनों तक लदान करने के विनिर्दिष्ट पोत पर नहीं पहुंचता है तो विक्रेता क्रेता की पूर्व लिखित सहमति से विकल्पों के रुप में ऐसी परिवहन व्यवस्था कर सकता है, जहां संविदा के अन्तर्गत विक्रेता को अपेक्षित एफ ओ बी/ एफ ए एस के आधार पर सामान को डिलिवर कर और भारतीय झण्डे वाले जहाजों पर समुद्री परिवहन के लिए क्रेता के पक्ष में और खर्च पर बन्दोबस्त करें या जहाजों के सम्मेंलन लाईन पर करे जिनका भारत एक सदस्य देश है, विक्रेता क्रेता की पूर्व लिखित सहमति से संविदा में विनिर्दिष्ट समय अवधि के अन्दर सामानों के परिवहन विनिर्दिष्ट भारतीय झण्डे वाले जहाजों या कांफेरेंशस जहाजों पर विकल्प कैरियर पर ऐसी परिवहन व्यवस्था कर सकता है । क्या सामान या उसके किसी भाग को नामित जहाज (सिवाय दन मामलों के जहां क्रेता की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त कर ली गई थी) पर डिलीवरी नहीं किया जाना है, विक्रेता उन सभी भुगतान एवं व्ययों के लिए जिम्मेंदार होगा जहां क्रेता **डैड** और अतिरिक्त भाडा, जहाज की क्षति और अन्य दूसरे प्रभार, जो भी क्रेता द्वारा वहन किए जाते हैं, के साथ-साथ ऐसी गैर-डिलीवरी के कारणों से वहन कर सकता है । लदान बिल जारी किए जाने की तारीख डिलीवरी की तारीख मानी जाएगी । माल के आंशिक नौवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी । माल के ट्रांसशिपमैंट की अनुमति नहीं है । ऐसे मामलों में जहां ऐसा करना अनिवार्य हो विक्रेता क्रेता की व्यक्त/ पूर्व लिखित सहमति के बिना सामान को किस्तों में भेजने और/या ट्रांसशिपमैंट का प्रबंध नहीं करेगा । विक्रेता शिपिंग ऑफिसर, भूतल परिवहन मंत्रालय, चाट्ररिंग विंग, परिवहन भवन, संसद मांग, नई दिल्ली -110 001(तार का पता " ट्रांसचार्ट " (transchart) नई दिल्ली-110 001, टेलैक्स "वाहन" इन 31-61157 या 31- 61158 दूरभाष 23719480 फैक्स 23718614)

या

(क) **एफ सी ए -** भडारों को एफ सी ए - एयरपोर्ट द्वारा डिलिवर किया जाएगा । माल का प्रेषण परेषिती को वायुयान द्वारा किया जाएगा । क्रेता अपने माल भाड़ा प्रेषक का पूरा विवरण पहले प्रेषण की डिलीवरी से कम-से-कम 60 दिन पहले विक्रेता को भेजेगा अन्यथा विक्रेता माल भाडा

प्रेषक को नामित कर सकता है और उसका खर्च क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा । माल भाड़ा प्रेषक द्वारा विवरण भेजने में विलम्ब अथवा किसी अन्य प्रकार का विलम्ब क्रेता की जिम्मेंवारी होगी। वायुयान बिल जारी किए जाने की तारीख को डिलीवरी की तारीख माना जाएगा ।

20. **वायुवहन** - निम्नलिखित वायुवहन शर्त सफल बोलीदाता को दिए गए संविदा का एक अंग होगी -- यदि क्रेता सभी या कुछ भण्डार का वायुवहन कराना चाहता है तो विक्रेता क्रेता से इस संबंध में सूचना मिलने पर तदनुसार भण्डारों को पैक करेगा । ऐसी डिलीवरी की अग्रिम सहमति होगी और परस्पर सहमति के अनुसार भुगतान किया जाएगा ।

21. **पैकिंग और मार्किंग** - निम्नलिखित पैंकिग और मार्किंग शर्त सफल बोलीदाता को दिए गए संविदा का एक अंग होगी-

(क) विक्रेता संविदा में उल्लिखित उपस्कर तथा कल-पुर्जो/माल की पैकिंग तथा प्रतिरक्षण उपलब्ध कराएगा ताकि परिवहन के दौरान भूमि , समुद्र तथा वायु परिहन, नौवहन, भण्डारण तथा मौसम संबंधी रुकावटों की परिस्थितियों में किसी प्रकार की क्षति से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके बशर्ते कि ढुलाई कार्य समुचित ढंग से संपन्न हुआ हो । विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि भण्डारों को ऐसे डिब्बों में बंद किया जाए जो पर्याप्त रुप से सुदृढ हो तथा लकडी को मौसम के अनुकूल बनाया गया हो । पैकिंग के डिब्बों में क्रेन/लिफट ट्रकों द्वारा उठाने के लिए कुण्डे लगे होने चाहिए। विशेष उपस्कर जिन्हें डिब्बाबंद नहीं किया जा सकता के साथ समुचित मार्किंग वाले टैग लगे होने चाहिए ।

(ख) उपस्कर और कल पुर्जो /माल फ़ी पैकिंग विक्रेता के देश में लागू विशिष्टताओं तथा मानकों के आवश्यकताओं की अनुरुप होगी ।

(ग) प्रत्येक कलपुर्जा, एस एम टी, एस टी ई तथा अनुषंगी पुर्जे अलग-अलग डिब्बों में बन्द होंगे । डिब्बे पर अंग्रेजी में एक लेबल चिपकाया जाएगा जिस पर डिब्बे में बन्द वस्तु का विवरण दिया जाएगा। उक्त सूचना सहित अंग्रेजी में एक टैग वस्तु के छ: सैम्पलों के साथ लगाया जाएगा । यदि संविदा में दी गई मात्रा छ: से कम है तो वस्तु की मात्रा पूरी करने के लिए टैग लगाया जाएगा । इसके बाद आवश्यकतानुसार पैकिंग डिब्बे में वस्तु को बन्द किया जाएगा ।

(क) अंश संख्या

(ख) नाम

(ग) संविदा नत्थी संख्या

(घ) नत्थी क्रम संख्या

(ड़) संविदा में दी गई संख्या

(घ) प्रत्येक ढुलाई पैकेज में अंग्रेजी में पैकिंग सूची की एक प्रति डाली जाएगी तथा पैकिंग सूची का एक सैट पीले रंग वाले डिब्बा संख्या -1 में रखा जाएगा ।

(ड़) विक्रेता प्रत्येक डिब्बे पद न मिटने वाले पेंट से अंग्रेजी भाषा में निम्न प्रकार लिखेगा ।

(i) निर्यात

(ii) संविदा संख्या.................

(iii) परेषिती ....

(iv) गंतव्य स्थान बन्दरगाह/ हवाई अड्डा ....

(v) अन्तिम परेषिती................

(vi) विक्रेता ....

(vii) पैकेज संख्या ....

(viii) सकल/निवल भार कि0ग्रा..........

(ix) समग्र आयाम/ आयतन: सें0मी0/ घनमीटर ....

(x) विक्रेता का मार्किंग..........................

जिसमें / क- पैकेज की क्रम संख्या..........

ख - इस प्रेषण में पैकेजों की कुल संख्या दी गई हो ।

(च) यदि अ ाावश्यक हो प्रत्येक पैकेज पर चेतावनी<टॉप > , "पलटे नहीं", माल की श्रेणी आदि लिखी जाए ।

(छ) यदि कोई विशेष उपस्कर क्रेता द्वारा विक्रेता को वापस किया जाता है तो क्रेता सामान्य पैकिंग करेगा जिससे भूमि, वायु अथवा समुद्र में परिवहन के दौरान किसी प्रकार की क्षति से उपस्कर तथा कल-पुर्जो/माल को सुरक्षित रखा जा सके । इस मामले में क्रेता, विक्रेता के साथ मार्किंग को अन्तिम रुप देगा ।

22. **<u>गुणवत्ता</u> -** वर्तमान संविदा के अनुसार आपूर्ति किए गए भंडारों की गुणवत्ता को आरएफपी के अनुसार विक्रेता में देश में या बताए गए विनिर्देशनों के लिए उसी माल की आपूर्तियों के लिए वैध तकनीकी शर्तों और मानकों के समरुप होगा और क्रेता द्वारा सुझाए गए उसके संशोधन भी शामिल होंगे । ऐसे संशोधनों की आपसी सहमति होगी । विक्रेता पुष्टि करता है कि इस संविदा के अधीन आपूर्ति किए जाने वाले भंडार नए अर्थात् पहले तैयार नहीं किए गए हैं (संविदा के वर्ष) और उनमें सभी अद्यतन सुधार एवं संशोधनों को जोड़ा जाएगा और सुधार संबंधी कल-पुर्जों और संशोधित उपकरणों को विगत में यदि कोई हो, विक्रेता द्वारा आपूर्ति किए गए इसी प्रकार के उपकरण के साथ पूर्ण एकीकृत एवं दूसरे के साथ बदला जा सकता

है । विक्रेता अंतर-परिवर्तनयीता प्रमाणपत्र के साथ-साथ परिवर्तित पार्ट संख्या जिसमें यह दर्शाया जाना चाहिए कि मद की लाइफ मूल पार्ट के समान होगी, भी देगा ।

23. **गुणवत्ता आश्वासन** - विक्रेता संविदा की इस तारीख से ------------माह के अंदर मानक स्वीकार्यता परीक्षण प्रक्रिया (एटीपी) प्रदान करेगा । क्रेता को एटीपी में परिवर्तन करने का अधिकार है । विक्रेता से अपेक्षित होगा कि वह क्रेता की स्वीकृति और निरीक्षण के लिए उसके गंतव्य पर सभी परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएं । इस संबंध में ब्यौरों का संविदा के समझौते के दौरान समन्वय किया जाएगा । सामान को अद्यतन विनिर्माण, वर्तमान उत्पादन मानक के समरुप और डिलीवरी के समय पर 100 प्रतिशत परिभाषित जीवन होना चाहिए ।

24. **निरीक्षण प्राधिकरण** - निरीक्षण ....के द्वारा किया जाएगा । निरीक्षण का तरीका विभागीय निरीक्षण/प्रयोक्ता निरीक्षण/संयुक्त निरीक्षण/ स्व-प्रमाणीकरण होगा ।

25. **प्रेषण पूर्व निरीक्षण** - निम्नलिखित प्रेषण पूर्व निरीक्षण सफल बोलीदाता को दिए गए संविदा पर लागू होगी ।

(क) क्रेता के प्रतिनिधि, भंडारों/उपकरणों का उनके सामान्य मानक प्रक्रियाओं के अनुसार विशिष्टताओं के साथ उनके अनुपालन की जाँच करने की दिशा में प्रेषण पूर्व निरीक्षण (पीडीआई) करेगा । ऐसे पीडीआई के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर विक्रेता और क्रेता, फार्म डीपीएम-21 पर दिए गए नमूने के अनुसार अनुरुपता प्रमाणपत्र जारी और हस्ताक्षर करेगा (रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध और अनुरोध करने पर दिया जा सकता है) ।

(ख) विक्रेता पीडीआई की अनुसूचित तारीख से कम-स-कम 45 दिन पूर्व क्रेता को सूचित करेगा । विक्रेता को वीजा संबंधी कार्रवाई पूरा करने में लगे अपेक्षित समय को इस अवधि में शामिल नहीं करना चाहिए । क्रेता अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) को पीडीआई में भाग लेने के लिए भेजेगा ।

(ग) क्रेता द्वारा अपने प्रतिनिधियों की सूची जिनमें उनके नाम, शीर्ष, जन्मतिथि, जन्म स्थान, पासपोर्ट जारी करने तथा समाप्त करने की तिथि, पासपोर्ट संख्या, पता आदि शामिल हो, कम-से-कम (दिनों की संख्या) में आवश्यक प्राधिकरण तथा प्रदान किए जाने वाली निकासी हेतु आवेदन करने के लिए अग्रिम रुप से प्रेषित की जानी चाहिए ।

(घ) क्रेता को पीडीआई में भाग न लेने अथवा ऐसे परीक्षणों में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधियों को अनुमति देने हेतु ऐसी पीडीआई के लिए निर्धारित तारीख से पीडीआई के आरंभ होने में अधिकतम पन्द्रह (15)दिनों तक विलम्ब करने का अनुरोध करने का अधिकार है । ऐसे मामलों में वह पीडीआई के आरंभ होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर विक्रेता को लिखित रुप से सूचित करेगा । यदि क्रेता ऐसे विलम्ब के लिए अनुरोध करता है तो किसी प्रकार का परिनिर्धारित नुकसान, यदि कोई हो, लागू नहीं होगा । यदि क्रेता ने उपर्युक्त अवधि के भीतर विक्रेता को सूचित कर दिया है कि वह पीडीआई में भाग नहीं ले सकता अथवा यदि क्रेता उपर्युक्त के अनुसार पीडीआई के निष्पादन के लिए उसके द्वारा तारीख को स्थगित करने के अनुरोध की

तिथि पर उपस्थित नहीं होता तो विक्रेता को निर्धारित परीक्षण को अकेले संपन्न करने का अधिकार होगा । समरुपता प्रमाण-पत्र तथा स्वीकार्यता परीक्षण रिपोर्ट पर विक्रेता के गुणवत्ता आश्वासन प्रतिनिधि हस्ताक्षर करेंगे और ऐसे दस्तावेजों पर विक्रेता के गुणवत्ता आश्वासन प्रतिनिधि के हस्ताक्षरों का वही महत्व और प्रभाव जैसा तब हो जब दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते । यदि क्रेता पीडीआई में भाग न लेने का निर्णय करता है तो वह लिखित में विक्रेता को सूचित करेगा कि वह पीडीआई में भाग नहीं लेना चाहता ।

(ङ) विक्रेता, क्रेता के प्रतिनिधियों को विक्रेता के देश में अपने कर्त्तव्यों के निवर्हन में सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी उपर्युक्त सुविधाए, सुगमता तथा सहायता उपलब्ध कराएगा ।

(च) क्रेता के प्रतिनिधि के विक्रेता देश में ठहरने, जहां प्रेषण पूर्व निरीक्षण होना है, से संबंधित लागत जिनमें यात्रा खर्चे, खाने-पीने और ठहरने का स्थान, दैनिक खर्चे विक्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(छ) विक्रेता संविदा पर हस्ताक्षर होने से एक महीने के भीतर क्रेता के क्यू ए प्राधिकरण ंको स्वीकार्यता परीक्षण प्रक्रिया उपलब्ध कराएगा ।

26 **<u>संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण</u>** - निम्नलिखित संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण शर्त सफल बोलीदाता की दी गई संविदा पर लागू होंगी:-

(क) दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि डिलीवर किए गए माल का संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण क्रेता द्वारा नामित किए जाने वाले स्थान पर माल के भारत पहुंचने पर किया जाएगा । संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण बंदरगाह प्रेषिती में माल के पहुंचने के 120 दिनों (शस्त्र/गोलाबारुद के लिए)/90 दिनों (शस्त्र/गोलाबारुद को छोड़कर) के भीतर पूरा कर लिया जाएगा । संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण में निम्नलिखित शामिल होंगे ।

i. यह सत्यापित करने के लिए कि डिलीवर किए गए माल की मात्रा इस संविदा में परिभाषित तथा बीजक चालान में दी गई मात्राओं के अनुरुप है, मात्रात्मक जाँच ।
ii. इस संविदा में दी गई विशिष्टताओं के अनुसार तथा क्रेता द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं और परीक्षणों के अनुसार भंडारों/उपस्कर की पूर्ण प्रकार्यात्मक जाँच किंतु कलपुर्जों की प्रकार्यात्मक जाँच नहीं की जाएगी ।
iii. जाँच प्रमाण और फायरिंग, यदि आवश्यक हो ।

(ख) संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण क्रेता के प्रतिनिधि द्वारा सम्पन्न किया जाएगा । क्रेता भेजे गए माल के लिए संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण में भाग लेने के लिए कम-से-कम 15 दिन की पूर्व सूचना के साथ विक्रेता को आमंत्रित करेगा । विक्रेता को आईआरटी में भाग न लने का अधिकार है । विक्रेता के प्रतिनधि का जीवन-वृत क्रेता के देश में लागू नियमों के अनुसार आवश्यक सुरक्षा निकासी प्राप्त करने के लिए क्रेता को माल के प्रेषण से 15 दिन पूर्व भेजा जाएगा ।

(ग) प्रत्येक संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण को पूरा करने के बाद, संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण प्रक्रिया तथा स्वीकार्यता प्रमाण-पत्र पर दोनों पक्ष हस्ताक्षर करेंगे । यदि विक्रेता का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो तो संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण प्रक्रिया तथा स्वीकार्यता प्रमाण पत्र पर क्रेता का प्रतिनिधि ही हस्ताक्षर करेगा तथा यह विक्रेता पर भी लागू होगा । संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण प्रक्रिया तथा स्वीकार्यता प्रमाण पत्र की प्रति संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण के पूरा होने के 30 दिनों के भीतर विक्रेता को प्रेषित कर दी जाएगी । यदि मात्रा तथा गुणवत्ता में कोई कमी हो अथवा त्रुटि हो तो इनका विवरण संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण प्रक्रिया में दर्ज किया जाएगा और स्वीकार्यता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा तथा इस संविदा में दावों के बारे में अनुच्छेद के अनुसार दावा किया जाएगा । दावों के मामले में, क्रेता के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण के दौरान किए गए सभी दावों को निपटाने के बाद स्वीकार्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा । यदि क्रेता कतिपय विशिष्ट कारणों से उपर्युक्त के अनुसार संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण को पूरा नहीं करता है तो भारत में संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण किया हुआ मान लिया जाएगा तथा उपस्कर को पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाएगा ।

27. **पूर्वतांकन (फ्रैंकलिन) शर्त** - निम्नलिखित पूर्वतांकन शर्त सफल बोलीदाता को दिए गए संविदा पर लागू होगी:-

(क) **वस्तुओं की स्वीकृति के मामले पूर्वतांकन शर्त** - "यह तथ्य कि डिलीवरी अवधि के पश्चात् वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया गया है और निरीक्षण अधिकारी द्वारा पास कर दिया गया है संविदा को जारी रखने की गारंटी नहीं होगी । संविदा की निबंधन और शर्तों के अधीन वस्तुओं को क्रेता के अधिकार के अधीन बिना पूर्वाग्रह के पास किया जा रहा है" ।

(ख) वस्तुओं को निरस्त किए जाने के मामले में पूर्वतांकन शर्त "यह तथ्य डिलीवरी अवधि के पश्चात् वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया गया है और निरीक्षण अधिकारी ने निरस्त कर दिया है, क्रेता किसी भी रुप में जिम्मेंवार नहीं होगा । संविदा की निबंधन और शर्तों के अधीन वस्तुओं को क्रेता के अधिकार के अंतर्गत बिना पूर्वाग्रह के निरस्त किया जा रहा है।"

28. **दावे** - निम्नलिखित दावों से संबंधित शर्तें सफल बोलीदाता को दिए गए संविदा पर लागू होंगी:-

(क) दावों को पेश किया जा सकता है - (क) भंडारों की मात्रा, जहां पर पैकिंग सूची में दर्शाई गई मात्रा के अनुरुप नहीं है अथवा (ख) भंडारों की गुणवत्ता जहां इस संविदा में उल्लिखित गुणवत्ता के अनुरुप नहीं है ।

(ख) मात्रा में कमी के लिए मात्रा संबंधी दावे संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण के पूरा होने तथा माल को स्वीकार किए जाने के 45 दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे । मात्रा संबंधी दावे फार्म डीपीएम-22 के अनुसार विक्रेता को प्रस्तुत किए जाएंगे । (रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और अनुरोध पर दिया जा सकता है) ।

(ग) संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण के दौरान ध्यान में आई गुणवत्ता की त्रुटियों अथवा कमियों के लिए गुणवत्ता दावे संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण के पूरा होने तथा माल को स्वीकार किए जाने के 45 दिन

के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे । वारण्टी अवधि के दौरान ध्यान में आयी गुणवत्ता की त्रुटियों अथवा कमियों के लिए गुणवत्ता दावे गारण्टी अवधि के पूरा होने के बाद 45 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे । गुणवत्ता दावे फार्म डीपीएम - 23 के अनुसार विक्रेता को प्रस्तुत किए जाएंगे।(रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और अनुरोध पर दिया जा सकता है) ।

(घ) दावों को प्रस्तुत करने के लिए भण्डारों का विवरण तथा मात्रा का उल्लेख ठोस कारणों के साथ विक्रेता को प्रस्तुत करना होता है । प्रस्तुत किए गए दावों के साथ उचित ठहराने वाले सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न की जाएंगी । विक्रेता उसके कार्यालय को दावे प्राप्त होने की तिथि से 45 दिन के भीतर दावे निपटाएगा बशर्ते कि विक्रेता द्वारा उन दावों को स्वीकार किया जाए । यदि इस अवधि के दौरान कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता तो यह माना जाएगा कि दावा स्वीकार कर लिया गया है ।

(ङ) विक्रेता , क्रेता द्वारा नामित स्थान से खराब अथवा निरस्त माल को उठाएगा तथा मरम्मत किए गए अथवा बदले गए माल को उसी स्थान पर भेजने की व्यवस्था करेगा ।

(च) दावों को विक्रेता द्वारा प्रस्तुत बॉंड में से दावाधीन माल की लागत हटाकर भी निपटाया जा सकता है अथवा विक्रेता द्वारा दावा राशि का भुगतान रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक के पक्ष में देय भारतीय बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से भी किया जा सकता है ।

(छ) गुणवत्ता दावे पूरी तरह से क्रेता द्वारा किए जाएंगे और इसे भारत में स्थित विक्रेता के किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित/प्रतिहस्ताक्षरित कराने की आवश्यकता नहीं है ।

29. वारंटी -

(क) निम्नलिखित वारंटी सफल बोलीदाता के संविदा पर लागू होगी:-

(i) आमंत्रित टेंडर में दिए गए अन्यथा को छोड़कर, विक्रेता एतद्द्वारा घोषणा करता है कि इस संविदा के अंतर्गत क्रेता को बेची/आपूर्ति की गई वस्तुओं, भंडारों की बहुत अच्छी गुणवत्ता और कार्यकुशल है तथा सभी प्रकार से नए हैं और संविदा दिए गए/उल्लिखित विशिष्टता और विवरणों के अनुसार ही पूर्ण रुप से होंगे । विक्रेता एततद्वारा गारंटी देता है कि उक्त वस्तुएं/भंडार/सामान क्रेता को उक्त वस्तुएं/भंडार/सामान की डिलीवरी की तारीख से 12 माह की अवधि या विक्रेता के कार्यशाला से शिपमेंट/प्रेषण की तारीख से 15 माह, जो भी पहले हो, के लिए बताए गए विवरणों और गुणवत्ता की पुष्टि करता रहेगा और इस तथ्य के होने पर भी कि क्रेता ने उक्त वस्तुओं/भंडारों/सामानों का निरीक्षण और या अनुमोदित कर दिया है । यदि 12/15 माह की उक्त अवधि के दौरान उक्त वस्तुएं/भंडार/सामान के विवरण और गुणवत्ता की पुष्टि संतोषजनक निष्पादन करने में असमर्थ रहती है या गुणवत्ता का ह्रास होता है, इस संबंध में क्रेता का निर्णय विक्रेता पर अंतिम और बाध्यकारी होगा और क्रेता विक्रेता से वस्तुओं/भंडारों/सामानों को या उसके किसी भाग को जो उचित अवधि के अंदर या ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि जैसा कि विक्रेता द्वारा तैयार आवेदन पर उसके स्व-विवेक में क्रेता द्वारा मंजूर किया जा

सकता है वापस करने का हक होगा और ऐसी अवस्था में, उपर्युक्त अवधि उसकी वारंटी में उल्लिखित समाधान की तारीख से वस्तुओं/भंडारों/सामानों के समाधान होने तक लागू होगा अन्यथा विक्रेता क्रेता को ऐसी क्षतिपूर्ति जैसाकि इसमें दी गई वारंटी के क्षति होने के कारण पैदा होती है, की भरपाई करेगा ।

(ii) गारंटी कि वह जब कभी भी आवश्यकता पड़ती है सहमति आधार पर करारनामें मूल्य के अनुसार कल-पुर्जों की आपूर्ति करेगा । सहमति आधार के अंतर्गत अवतरित लागत पर लाभ पर प्रकाशित मूल्य या सहमति प्रतिशत पर सहमति कटौती पर कोई सीमा सहित या बिना सीमा के हो सकती है ।

(iii) इस बात की वारंटी कि कल-पुर्जों के उत्पादन को बंद किए जाने से पूर्व वह उपकरण खरीदने वाले क्रेता को पर्याप्त अग्रिम नोटिस देगा जिससे कि वह पूरे जीवन चक्र की आवश्यकता को पहले ही खरीद सकता है ।

(iv) इस बात की वारंटी कि वह कल-पुर्जों की ड्राईंग की ब्लू-प्रिंट उपलब्ध करवा देगा जब कभी मुख्य उपकरण के संबंध में आवश्यकता पड़ती है ।

अथवा

(ख) निम्नलिखित वारंटी सफल बोलीदाता को दिए गए संविदा पर लागू होगी:-

(i) विक्रेता वारण्टी देता है कि संविदा के अंतर्गत भेजा गया माल निर्धारित तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरुप है तथा उक्त तकनीकी विशिष्टता के अनुसार कार्य करेगा ।

(ii) विक्रेता संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण द्वारा भण्डारों को स्वीकार किए जाने की तिथि से अथवा उन्हें अवस्थापित करने तथा चालू करने की तिथि से, जो भी बाद में हो,----------- महीनों की अवधि के लिए वारण्टी देता है कि इस संविदा के अंतर्गत भेजे गए माल/भण्डार तथा इनके विनिर्माण पर प्रयुक्त प्रत्येक संघटक सभी प्रकार की त्रुटियों/कमियों से मुक्त रहेगा ।

(iii) यदि क्रेता वारण्टी की अवधि के दौरान यह सूचित करता है कि माल निर्धारित विशिष्टताओं के अनुसार कार्य निष्पादन में असफल रहा है तो विक्रेता उसे ऐसी कमी के बारे में सूचना दिए जाने के 45 दिनों के भीतर नि:शुल्क बदल देगा अथवा उस कमी को ठीक करेगा बशर्ते कि क्रेता द्वारा माल को परिचालन नियम-पुस्तिका में निहित अनुदेशों के अनुसार प्रयोग में लाया गया हो तथा उसका रख-रखाव किया गया हो । उपस्कर की वारण्टी को उतने समय के लिए बढ़ा दिया जाएगा जब तक उपस्कर खराब रहेगा । वारण्टी के दौरान मरम्मत के लिए आवश्यक कल-पुर्जों की व्यवस्था विक्रेता द्वारा नि:शुल्क की जाएगी । उपस्कर के खराब रहने की अवधि का हिसाब प्रयोक्ता द्वारा लॉग बुक में रखा जाएगा । विक्रेता यह भी वचन देता है कि क्रेता तथा विक्रेता के बीच पारस्परिक रुप से सहमत लागत पर वारण्टी अवधि के दौरान संचालक की लापरवाही

अथवा दुरुपयोग के कारण दुर्घटनावश अथवा माल के परिवहन के दौरान क्षति होने पर माल/उपस्कर का निदान, परीक्षण, समायोजन, सुधार करेगा ।

(iv) विक्रेता यह भी वारण्टी देता है कि उपस्कर की वारण्टी अवधि के दौरान आवश्यक सर्विस तथा मरम्मत विक्रेता द्वारा की जाएगी तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि उपस्कर खराब रहने की अवधि वारण्टी अवधि के 20 प्रतिशत से कम हो ।

(v) विक्रेता वारण्टी मरम्मत के दौरान क्रेता के रख-रखाव अभिकरण तथा गुणवत्ता आश्वासन के तकनीकी कार्मिकों से संपर्क रखेगा तथा सभी कमियों, कारणों तथा कमियों के निराकरण के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करेगा ।

(vi) यदि उपस्कर/माल बार-बार खराब होता है तथा/अथवा खराबी का समय वारण्टी अवधि के 20 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो विक्रेता द्वारा केता से आपूर्ति किए गए/किए जाने वाले सभी उपस्करो तथा आपूर्ति किए गए तथा किए जाने वाले ई एस पी में उसके डिजाइन में सुधार के माध्यम से समुचित रुप से रुपांतरित/प्रोन्नत पूर्ण उपस्कर खराब होने की अधिसूचना प्राप्त होने के --- दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर विक्रेता द्वारा संपूर्ण उपस्कर को निशुल्क बदला जाएगा । बदले गए उपस्कर की वारण्टी क्रेता द्वारा संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण के बाद स्वीकार करने की तिथि/उपस्कर को स्थापित करने और उसे चालू करने की तिथि से आरंभ होगी ।

(vii) यदि अभियांत्रिकी समर्थन पैकेज की सम्पूर्ण डिलीवरी में इस संविदा की निर्धारित अवधि से अधिक देरी होती है तो विक्रेता यह वचन देता है कि माल/भण्डारों की वारण्टी अवधि में देरी के समय के बराबर वृद्धि कर दी जाएगी ।

(viii) विक्रेता भारतीय ऊष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों के अंतर्गत निम्नानुसार (----------) वर्षों की शैल्फ मियाद की गारण्टी देगा:-

(क) न्यूनतम तापमान -

(ख) अधितम तापमान -

(ग) औसत आद्रता (आरएच) -

(ix) तेल तथा स्नेहकों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा ।

(क) विक्रेता वारण्टी देता है कि उपस्कर की वारण्टी अवधि के दौरान आवश्यक विशेष तेलों तथा स्नेहकों की आपूर्ति विक्रेता द्वारा स्वयं की जाएगी ।

(ख) यदि उपस्कर की वारण्टी अवधि के दौरान विक्रेता तेलों और स्नेहकों की आवश्यकता को पूरा करने से इंकार करता है अथवा असमर्थ रहता है तो

विक्रेता पर उपस्कर के मूल्य के (-------%) प्रतिशत की राशि के बराबर जुर्माना किया जाएगा ।

(ग) विक्रेता वारण्टी अवधि के समाप्त होने के बाद प्रयुक्त होने वाले स्वदेशी समकक्ष तेलों तथा स्नेहकों की पहचान तथा विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए उपस्कर की आरंभिक आपूर्ति की तर्ज पर उपस्कर में प्रयोग किए जाने वाले अपेक्षित सभी तेलों तथा स्नेहकों की विस्तृत विशिष्टताएं उपलब्ध कराएगा।

30. **<u>उत्पाद समर्थन</u> -** निम्नलिखित उत्पाद समर्थन शर्त सफल बोलीदाता को दिए गए संविदा पर लागू होगी:-

क. विक्रेता की आपूर्ति के बाद <u>(वर्षों)</u> की वारण्टी अवधि सहित <u>(वर्षों)</u> की अधिकतम अवधि के लिए विक्रेता द्वारा भण्डारों, सतन्वायोजनों/उप सतन्वायोजनों, सज्जा वस्तुओं तथा उपभोग्य वस्तुओं विशेष रख-रखाव टूल्स (एसएमटी)/विशेष परीक्षण उपकरण (एसटीई) के लिए उत्पाद समर्थन प्रदान करने के लिए सहमत है ।

ख. विक्रेता,-------------- महीनों की अधिकतम अवधि के लिए जो तब तक बढ़ाया जा सकता है जब विक्रेता द्वारा पूर्ण अभियांत्रिकीय समर्थन प्रदान किया जाता है, अनुरक्षण अनुबंध करने के लिए सहमत है ।

ग. किसी संघटक अथवा उप प्रणाली के संबंध में उत्पाद समर्थन की उपर्युक्त अवधि के दौरान अप्रचलन की स्थिति में, विक्रेता तथा क्रेता के बीच पारस्परिक परामर्श द्वारा अतिरिक्ति लागत यदि कोई हो सहित एक स्वीकार्य समाधान पर पहुंचा जा सकता है ।

घ. संविदा के अंतर्गत खरीदे जा रहे भंडार/उपकरणों पर विक्रेता या उनके उप विक्रेताओं द्वारा किया जा रहा कोई भी संशोधन/रुपांतरण/उन्नयन को विक्रेता द्वारा क्रेता को सूचित करेगा और यदि क्रेता की आवश्यकतानुसारा, इसे क्रेता की लागत पर विक्रेता संपन्न करेगा ।

ङ. विक्रेता सत्यापित एमईटी के बाद संशोधन के अनुसार अभियांत्रिकी समर्थन पैकेज प्रदान करने पर सहमत है । विक्रेता इस संविदा के अंतर्गत ---- वर्षों की अवघि के लिए रख-रखाव अनुबंध अथवा क्रेता को पूर्ण अभियांत्रिकी आधार पैकेज का प्रावधान, जो भी बाद में हो, विक्रेता और क्रेता के बीच हुई परस्पर सहमति की नियम और शर्तों के अनुसार उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण, एसएमटी/एसटीई, परीक्षण ढांचा, सतन्वायोजनों/उप सतन्वायोजनों और आपूर्ति किए गए भंडारों की मरम्मत एवं रख-रखाव करने पर सहमत हैं ।

31. **<u>वार्षिक रख-रखाव संविदा (एएमसी) शर्त</u> -** निम्नलिखित एएमसी शर्त सफल बोलीदाता को दिए गए संविदा पर लागू होगी:-

क. विक्रेता ------ वर्षों की अवधि के लिए समग्र एएमसी प्रदान करेगा । एएमसी सेवा में वर्तमान संविदा के अंतर्गत खरीदे गए सभी उपकरणों और पद्धतियों के मरम्मत एवं रख-रखाव करना

शामिल है । क्रेता निर्मित उपकरण जो ए एम सी की परिधि के अधीन नहीं आते हैं, विक्रेता को अलग से सूचीबद्ध करना चाहिए । ए एम सी सेवा दो विशेष तरीकों से प्रदान की जाएंगी:-

(i) निवारक रख-रखाव सेवा - विक्रेता को आवश्यकतानुसार प्रचालन जाँच और प्रमुख समायोजन/ठीक से कार्य करने के प्रचालन आधार पर वर्ष के दौरान निवारक रख-रखाव सेवा के लिए कम-से-कम चार दौरे करेगा ।

(ii) अव्यवस्थित रख-रखाव सेवा - उपकरण/पद्धति के किसी भी प्रकार के खराब होने की स्थिति में, क्रेता की ओर से कॉल प्राप्त होने पर, विक्रेता को उपकरण/पद्धति को सेवायोग्य बनाने के लिए रख-रखाव सेवा प्रदान करनी होती है ।

ख. प्रतिउत्तर समय - विक्रेता का प्रति उत्तर समय क्रेता द्वारा खराबी की सूचना दे दिए जाने के समय के पश्चात् --------घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए ।

ग. -------% प्रतिवर्ष उपकरणों की सर्विस प्रदान की जानी होती है । इसमें कुल अधिकतम डाऊनटाइम -----------दिन प्रति वर्ष आता है । साथ ही, उपकरणों की गैर सर्विस योग्य सेवा एक समय पर ---दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए । इस सर्विस योग्य सेवा के लिए आवश्यक कल-पुर्जों को विक्रेता अपनी लागत पर साइट पर स्टोर कर सकता है । कुल डाउन टाइम की गणना वर्ष के अंत में की जाएगी । यदि डाउन टाइम अनुमत्त डाउन टाइम से अधिक है, विलंब अवधि के लिए एल डी लागू किया जाएगा ।

घ. उपकरण/पद्धति के लिए अधिकतम मरम्मत कारोबार ---दिन होगा । तथापि, उपकरण/पद्धति को पूर्ण खराबी से बचाने के लिए कल-पुर्जों को सर्विस योग्य बनाए रखा जाना चाहिए ।

ङ. तकनीकी दस्तावेज - उपस्कर के हार्डवेयर और साफ्टवेयर में दिए गए परिवर्तनों के लिए दस्तावेजों (तकनीकी और प्रचालन पद्धति नियम पुस्तिका) में सभी आवश्यक परिवर्तन करने होंगे ।

च. एएमसी अवधि के दौरान, विक्रेता उपकरण/पद्धति के वर्तमान लोकेशन पर ए एम सी के अंतर्गत उपकरण/पद्धति की सभी आवश्यक सर्विसिंग/मरम्मत करेगा । कुछ संघटकों/उप पद्धतियों को लोकेशन से बदल दिए जाने के मामले में क्रेता की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होगी । ऐसे अवसरों पर, सामान एवं संघटकों को उठाने से पूर्व, विक्रेता को क्रेता के पक्ष में उठाई जा रही मदों की अनुमानित वर्तमान मूल्य के समान बैंक गारंटी देनी होगी ।

छ. क्रेता----------माह के नोटिस देने के पश्चात् किसी भी समय बिना कोई कारण बताए रख-रखाव संविदा को निरस्त करने का अधिकार रखता है । विक्रेता को ऐसे निरस्तीकरण के विरुद्ध किसी भी क्षतिपूर्ति का दावा करने का हक नहीं होगा । तथापि, संविदा को निरस्त करते समय, संविदा की शर्तों के अंतर्गत पहले निष्पादित रख-रखाव सेवा के लिए विक्रेता को देय कोई राशि का भुगतान, संविदा शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

32_ **इंजीनियरिंग समर्थन पैकेज (ईएसपी) शर्त** - निम्नलिखित ईएसपी शर्त सफल बोलीदाता को दिए गए संविदा पर लागू होगी:-

(i) **यूनिट स्तर की मरम्मत** - इसके अंतर्गत मरम्मत कार्य इस उपकरण की धारक इकाई के अंदर भी किया जाता है क्येांकि ईकाई के अंदर ही टूल्स होते हैं या प्रत्येक उपकरण के साथ निर्माता द्वारा आपूर्ति की गई होती है या 1:10 अनुपात की स्केलिंग के अनुसार या इकाई की जनसंख्या के अनुसार निर्माता द्वारा अन्य प्रकार की स्केलिंग की सिफारिश की जाती है । इसके अंतर्गत क्लीनिंग, स्नेहक, छोटी-मोटी मरम्मत और किसी संघटक का पुनर्स्थापन और छोटी-छोटी असेम्बली करना जिनको बिना किसी उन्नत किस्म के टूल्स या जाँच उपकरण के किया जा सकता है । ऐसे मरम्मत कार्यों को करने के लिए, निर्माता को निम्नलिखित वस्तुएं प्रदान करने की आवश्यकता होती है:-

1. ऑपरेटर नियम-पुस्तिका के साथ प्रत्येक उपकरण के साथ टूल्स एवं उपकरण की टेबल (टीओटीई) ।

2. रख-रखाव नियम-पुस्तिका के साथ उपर्युक्त दर्शाए गए अनुसार विशेष टूल्स एवं स्पेयर्स की स्केलिंग ।

(ii) **फील्ड स्तर पर मरम्मत** - इसके अंतर्गत मरम्मत कार्य इस उद्देश्य के लिए विशेष रुप से प्रशिक्षित तकनीकीविदों द्वारा फील्ड में किया जाता है और जहां अपेक्षित विशेष टूल्स और स्पेयर्स दिए जाने होते हैं । इस मरम्मत कार्य में यूनिट स्तर की मरम्मत कार्य से अलग प्रमुख एसेम्बली एवं अन्य संघटकों का पुनर्स्थापना करना होता है । सामान्यतया फील्ड वर्क शॉप वह है जो उक्त उपकरणों की धारक तीन से चार ईकाइयों की देखभाल करती है । निर्माता को निम्नलिखित वस्तुएं प्रदान करना अपेक्षित होता है:-

1. कलपुर्जों की मात्रा और विशिष्टिताएं जिनको ---- उपस्कर की जनसंख्या के लिए भंडार किए जाने आवश्यकता है ।

2. विशेष रख-रखाव टूल्स एवं परीक्षण उपकरण जिनको प्रत्येक ऐसे फील्ड वर्क शॉप को दिए जाने की आवश्यकता होती है (ऐसी सुविधाओं की कुल संख्या कुल लागत लगाने के लिए किए जाने वाले संबंधित उपकरण की तैनाती पैर्टन पर आधारित भी करना होगा) ।

(iii) **बेस ओवरहॉल** - इस सुविधा के अंतर्गत सभी मरम्मत कार्य जिसमें संघटकों, एसम्बली की मरम्मत और संपूर्ण उपकरण की ओवरहॉल की जाती है । उपकरण की जनसंख्या पर निर्भर करते हुए इस उद्देश्य के लिए भारत में एक से पाँच ऐसी सुविधाएं स्थापित की जा सकती है (लागत के लिए वास्तविक संख्या बताई जानी होगी) निर्माता को निम्नलिखित वस्तुएं प्रदान करना अपेक्षित होता है:-

1. संघटक स्तर तक की मरम्मत कार्य करने के लिए सभी विशेष अनुरक्षण औजार, जिग्स, जुड़नार और परीक्षण उपकरण ।

2. जनसंख्या के अनुसार स्पेयर की गुणवत्ता और विशिष्टता, सब-एसेम्बली को बनाए रखना

3. ओवहॉल के लिए आवश्यक तेल और स्नेहक ।

4. सभी आवश्यक तकनीकी साहित्य ।

5. जाँच उपस्कर के लिए केलिब्रेशन सुविधाएं । इस स्तर की मरम्मत में, एक बेस कार्यशाला में उपस्कर को खोलना और पुननिर्माण करना होता है ।

ख. **<u>विनिर्माताओं की अनुशंसित स्पयेर्स की सूची (एमआरएलएस)</u> -** उपर्युक्त दी गई व्याख्या पर आधारित, बोलीदाताओं से फार्म डीपीएम-19 में दिए गए प्रोफार्मे के अनुसार (रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा अनुरोध करने से प्राप्त किया जा सकता है) मरम्मत के विभिन्न स्तरों के लिए -----वर्ष की अवधि के लिए उपकरण को बनाए रखने के लिए एसआरएलएस प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है । बोलीदाताओं को तकनीकी एवं वाणिज्य प्रस्ताव इन दोनों को देने की आवश्यकता होगी । (उस मामले में जहां उपकरण का प्रयोग स्पेयर्स में किया गया है, क्रेता द्वारा मांगा जाएगा, रख-रखाव एजेंसी द्वारा दी जाने वाली सिफारिश सूची के आधार पर, को उपकरण के शोषण पर आधारित किया जाएगा और न कि एमआरएलएस के अनुसार) । जबकि वाणिज्य प्रस्ताव के साथ, प्रत्येक संघटक/स्पेयर की वास्तविक लागत दी जाएगी, तकनीकी प्रस्ताव के मामले में यह न्यूनतम कीमत/मध्यम कीमत/उच्चतम कीमत के रुप में प्रदर्शित की जाएगी । इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश है:-

i. अल्प लागत - उपस्कर/उप पद्धति की यूनिट लागत की 2 % से कम ।

ii. मध्य लागत- उपस्कर/उप पद्धति की यूनिट लागत की 2 से 10% ।

iii. उच्च लागत- उपस्कर/उप पद्धति की यूनिट लागत के 10% से अधिक ।

यदि संपूर्ण उपकरण में अलग-अलग बहुत-सी उप पद्धतियां मौजूद हैं अर्थात् यह वाहन के साथ घुड़सवार आता है या घुड़सवार के लिए स्टेंड साथ दिया गया है या जनेरेटर भी शामिल या एयर-कंडीशनर शामिल है या साइट मौजूद है । एमआरएलएस को ऐसे प्रत्येक उप पद्धति के लिए अलग से अवश्य दिया जाए ।

ग. **<u>विशेष रख-रखाव औजार और परीक्षण उपस्कर</u> -** इसे एमआरएलएस के लिए बताए गए अनुसार उसी ढंग से तैयार किया जाना है । इसका प्रोफर्मा डीपीएम-7 पर दिया गया है (रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा अनुरोध करने से प्राप्त किया जा सकता है) और तकनीकी एवं वाणिज्य प्रस्ताव दोनों को शामिल किया जाना है । तकनीकी प्रस्ताव में लागत कॉलम को खाली छोड़ दिया जाए ।

घ. **<u>तकनीकी साहित्य</u> -** पद्धति के साथ आपूर्ति किया जाने वाले तकनीकी साहित्य के ब्यौरो का फार्म डीपीएम-18 पर दिए गए अनुसार सूचीबद्ध किया जाना चाहिए (रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट

पर उपलब्ध है तथ अनुरोध करने से प्राप्त किया जा सकता है) । इसे तकनीकी और वाणिज्य दोनो प्रस्तावों के साथ दिया जाना चाहिए तकनीकी प्रस्ताव में लागत कॉलम को खाली छोड़ दिया जाए ।

ङ **विविध पहलू (केवल परीक्षण के लिए लागू है)** - ऐसे मामलों में जहां उपकरण का परीक्षण किए जाने आवश्यकता होती है उपकरण को रख-रखाव मूल्यांकन जाँच के अंतर्गत भी प्रस्तुत किया जाएगा । इस मूल्यांकन पर आधारित और आपूर्तिकर्त्ता के साथ परामर्श से, एमआरएलएस पुन: तैयार किया जा सकता है । प्रयोक्ता परीक्षणों के दौरान यह पाया जाता है कि उपकरण स्वीकार्य है बशर्ते इसमें कुछ संशोधन/सुधार किए जाएं ।

च. **अनुरक्षण मूल्यांकन परीक्षण (एमईटी)** - इसका प्रबंध उपकरण के पूरे जीवन चक के दौरान प्रभावी इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करने की सुविधा के मद्देनजर किया गया है । इसके अधीन उपकरण की साज-सज्जा और अनुशंसित जॉच और समायोजन करना तथा रख-रखाव टूल्स, जॉच उपकरण और तकनीकी साहित्य को पर्याप्त स्थापित करना आता है । एम ई टी संबंधी ब्यौरे फार्म डी पी एम - 20 में दिए गए है (रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और अनुरोध पर प्राप्त किया जा सकता है) । इस प्रक्रिया की सुविधा के लिए बोलीदाता को निम्नलिखित प्रदान करने की आवश्यकता है:-

(i) **तकनीकी साहित्य**

1. हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रयोग हैड पुस्तिका/ऑपरेटर नियम पुस्तिका।

2. डिजाइन विनिदेशन

3. तकनीकी नियम पुस्तिका

   क. भाग-1 - विभिन्न पद्धतियों का विवरण, विनिर्देशन एवं कार्यप्रणाली ।

   ख. भाग-2 - मरम्मत प्रक्रियाओं, प्रयोग किए गए सामान, खराबी का पता लगाने के लिए निरीक्षण/अनुरक्षण और विशेष अनुरक्षण टूल्स (एसएमटी) विशेष जाँच उपकरण (एसटीई) का प्रयोग ।

   ग. भाग-3 - एसेम्बली /डिस एसेम्बली की प्रक्रिया, संघटक स्तर पर मरम्मत, सुरक्षा सावधानियां ।

   घ. भाग-4 - ड्राईंग संदर्भ के साथ पार्ट सूची और एसएमटी/एसटीई जाँच बेंच की सूची ।

4. स्पेयर्स की विनिर्माण अनुशंसित सूची (एमआरएलएस) ।

5. वाणिज्यिक प्रस्ताव में दी गई कीमतों के साथ उदाहरणाा कलपुर्जों की पार्टस् सूची (आईएसपीएल) ।

6. ड्राइंग संदर्भ के साथ एसटीई पर तकनीकी नियम पुस्तिका ।

7. संपूर्ण उपस्कर अनुसूची ।

8. औजारों और उपकरणों की सारणी और कलपुर्जे रखना (टीओटीई)।

9. प्रत्येक पद्धति के लिए रोटेबल सूची, उपभोग का मापदंड, अनिवार्य/गैर अनिवार्य कलपुर्जों की सूची ।

ii. गेज का एक सैट

iii. विशेष रख-रखाव औजारों (एसएमटी) का एक सैट

iv. विशेष रख-रखाव उपकरण (एसटीई) का एक सैट

v. सर्विसिंग अनुसची

vi. अनुपयोगी घोषित करने की सीमा

vii. अनुमत मरम्मत अनुसूची

viii. पैकिंग विनिर्देशन/अनुदेश

ix. डिजाइन विनिर्देशन

x. ओ ई एम द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार अन्य अतिरिक्त जानकारी

छ. रेंज और गहराई की शर्तों पर न्यूनतम ई एस पी एम आर एल एस की बोली देने वाले विक्रेताओं को भरपाई करनी होगी । ई एस पी/एम आर एल एस में अधिशेष मदों को आपूर्ति करने वाले विक्रेताओं को अधिशेष स्पयेर्स की वापस खरीदने के लिए सहमत होना चाहिए ।

33. <u>मूल्य परिवर्तन (पीवी) शर्त</u> - निम्नलिखित पीवी शर्त सफल बोलीदाता को दी गई संविदा पर लागू होगी। (टिप्पणी डीसीएस एंड डी नियम पुस्तिका में मानकीकृत मूल्य विचलन शर्तें दी गई हैं । इन सभी शर्तों को शामिल करने के लिए विचार किया जा सकता है । एक नमूना शर्त निम्नलिखित दी जाती है) -

(क) मूल्य विचलन के फार्मूले में सामान्यतया नियम तत्व, सामान तत्व और श्रम तत्व का समावेश होता है । सामान तत्व और श्रम तत्व को प्रस्तुत करने वाले आंकड़ों में भुगतान लागत के समरुप अनुपात को प्रस्तुत करते हैं जबकि नियम तत्व 10 से 25% की सीमा तक परिवर्तित होता है । सामान तत्व और श्रम तत्व के साथ प्रस्तुत मूल्य का भाग मूल विचलन को आकर्षित करेगा । अत: विचलन का फार्मूला निम्न प्रकार से होगा:-

$$P_1 = P_0\{F + a[\frac{M_1}{M_0}] + b[\frac{L_1}{L_o}] - P_o\}$$

जहां P_1 आपूर्तिकर्त्ता को देय समायोजित राशि को दर्शाता है (घटा अंक संविदा मूल्य में कमी को दर्शाता है)

P_0 आधार स्तर पर संविदा मूल्य है ।

F नियत तत्व को दर्शाता है न कि मूल्य विचलन को ।

a संविदा मूल्य में सामान तत्व के दिए गए प्रतिशत को दिखाता है ।

b संविदा मूल्य में श्रम तत्व के दिए गए प्रतिशत को दिखाता है ।

L_0 L_1 क्रमश: माह एवं वर्ष और गणना के माह एवं वर्ष पर मजदूरी सूचकांक को दर्शाता है ।

M_0 एवं M_1 क्रमश: आधार पर माह एवं वर्ष और गणना के माह एवं वर्ष पर सामान सूचकांक को दर्शाता है

यदि सामान की एक से अधिक प्रमुख मद अभिग्रस्त है, तो सामान तत्व को दो या तीन तत्व जैसे M_x, M_y, M_z में तोड़ा जा सकता है । जहां मूल्य विचलन शर्त को सेवाओं (सामान की महत्वपूर्ण आदानों के साथ)उदाहरण के लिए सामान्यतया तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए प्रति डॉयम दर के रुप में प्रदत्त, के मूल्य विचलन फार्मूला के केवल दो तत्व अर्थात् एक उच्च नियम तत्व एवं एक श्रम तत्व के लिए प्रदान किया जाता है । नियत तत्व प्रति डायम दर तथा श्रम दर के आपूर्तिकर्त्ता की कीमत लागत अंतर पर आधारित करते हुए, ऐसे मामलों में 50 प्रतिशत या अधिक हो सकता है ।

ख. मूल्य समायोजन पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:-

i. आधार तारीख मूल्य निविदा को खोलने की देय तारीख होगी ।

ii. समायोजन की तारीख विनिर्माता का मध्य बिंदु होगा ।

iii. मूल डीपी से अधिक किसी भी प्रकार की मूल्य वृद्धि की अनुमति नहीं होगी जब तक कि देरी क्रेता के द्वारा हुई हो ।

iv. कुल समायोजन ----प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक लागू होगा ।

v. अग्रिम भुगतान के रुप में विक्रेता को देय संविदा मूल्य के भाग पर कोई मूल्य समायोजन नहीं किया जाएगा ।

भाग - V - मूल्यांकन मापदण्ड एवं मूल्य निविदा

1. **मूल्यांकन मापदण्ड -** निविदाओं के मूल्यांकन के वृहत दिशा-निर्देश निम्न प्रकार से हैं :-

(क) केवल उन निविदाओं का ही मूल्यांकन किया जाएगा जो आर पी एफ की सभी योग्यताओं और तकनीकी एवं वाणिज्यिक दोनों अर्हताओं को पूरा करती हो ।

(ख) द्वय-बोली पद्धति के संबंध में, बोलीदाताओं द्वारा भेजी गई तकनीकी बोलियों को आर पी एफ में दर्शाए गए अनुसार उपकरण की तकनीकी विशेषताओं के संदर्भ में क्रेता द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा । तकनीकी बोलियों के अनुपालन का निर्धारण आर पी एफ में विनिर्दिष्ट पैरामीटरों के आधार पर किया जाएगा । केवन उन बोलीदाताओं की मूल्य निविदाओं को खोला जाएगा जिनकी तकनीकी बोलियां तकनीकी मूल्यांकन को स्पष्ट करेंगी।

(ग) नीचे पैरा 2 पर दिए गए मूल्य प्रोंफार्मा के अनुसार विशेष बोलीदाता द्वारा दिए गए न्यूनतम मूल्य पर न्यूनतम बोली का निर्णय किया जाएगा । मूल्यांकन प्रक्रिया में कर एवं शुल्क निम्नप्रकार से होंगे :-

(i) उन मामलों में जहां केवल स्वदेशी बोलीदाता प्रतियोगिता में होंते हैं, बोलीदाताओं द्वारा दी बोलियों पर सभी कर एवं शुल्क(उनके भी जिनके लिए छूट प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं) लिए जाएंगे । क्रेता की अन्तिम लागत निविदाओं की रैंकिंग के लिए निर्णायक कारक होगा ।

(ii) उन मामलों में जहां स्वदेशी और विदेशी बोलीदाता प्रतियोगिता में होते हैं, निम्नलिखित मापदण्ड अपनाए जाऐंगे :

1 विदेशी बोलीदाताओं के मामले में, उनके लिए दी गई आधारभूत लागत (सी आई एफ) विभिन्न टेंण्डरों की तुलना के उद्देश्य का आधार होंगी ।

2 स्वदेशी बालीदाताओं के मामले में, पूर्णरुप से तैयार उपकरणों पर से उत्पाद-शुल्क हटा दिया जाएगा ।

3 बिक्री कर एवं स्थानीय कर अर्थात् चुंगी, प्रवेश कर इत्यादि को स्वदेशी मामलों में हटा दिया जाएगा ।

(घ) बोलीदाताओं को सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क, वैट, सेवा कर इत्यादि की दरों को असंदिग्ध शर्तो में स्पष्ट रुप से बताने की आवश्यकता होगी अन्यथा उनके प्रस्तावों को मूल्यों की तुलना के उद्देश्य के लिए शुल्क एवं करों की अधिकतम दर को ले लिया जाएगा । यदि सीमा-शुल्क/उत्पाद-शुल्क/ वैट को दिए गए मूल्यों से ऊपर अतिरिक्त के रुप में पुन: मांगा जाता है, तो बोलीदाताओं को इसके बारे में स्पष्टरुप से बताना होगा । ऐसी किसी शर्त की अनुपस्थिति में, यह माना जाएगा कि दिए गए मूल्य निश्चित और अंन्तिम हैं और करों के संबंध में निविदाएं खोलने के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा । यदि कोई बोलीदाता मूल्यों में

किसी शुल्क को शामिल करने की इच्छा व्यक्त करता है और ऐसे शुल्क को शामिल करने के बारे में पुष्टि नहीं करता है, तो शुल्कों को शामिल करना निश्चित और अन्तिम होता है, उन्हें स्पष्ट रुप से ऐसे शुल्क की दर एवं मूल्य में शाामिल उत्पाद-शुल्क की मात्रा करे बताना चाहिए। ऐसा न करने की स्थिति में ऐसे प्रस्तावों की पूर्णरुप से उपेक्षा की जा सकती है। यदि कोई बोलीदाता उनके द्वारा आपूर्तियों पर किसी मूल्य तक सीमा-शुल्क/उत्पाद-शुल्क/ वैट शुल्क के भुगतान की छूट प्राप्त कर लेता है, तो उनको स्पष्टरुप से बताना चाहिए कि उनकों एवं उत्पाद-शुल्क में प्राप्त छूट की सीमा तक वे कोई अलग से उत्पाद- शुल्क नहीं वसूलेंगे। यदि उनकों सीमा शुल्क/ एवं उत्पाद-शुल्क/ वैट की दर/ मात्रा के बारे में कोई रियायत उपलब्ध है, उनको इसके बारे में स्पष्ट रुप से बताना चाहिए। कोई ऐसी शर्त जैसे वर्तमान में उत्पाद-शुल्क लागू नहीं था किन्मु इसे बाद में लगाए जाने की स्थिति में वसूला जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे मामलों में बोलीदाता द्वारा स्पष्ट रुप से बताया जाए कि उनके द्वारा एवं उत्पाद-शुल्क वसूला नहीं जाएगा यदि यह बाद में लागू हो जाता है। उस बोलीदाता के बारे में जो इस आवश्यकता हो पूरा करने में असफल रहता है, उनके द्वारा दिए गए मूल्यों को उत्पाद-शुल्क की मात्रा के साथ ग्रहण कर लिया जाएगा, जो कि अन्य बोलीदाताओं के साथ उनके मूल्यों की तुलना करने के उद्देश्य के लिए मदों पर सामान्य रुप से लागू होते हैं। यही सिद्धान्त सीमा-शुल्क एवं वैट पर लागू होते हैं।

(ड़) आयात के मामलों में, सभी विदेशी बोलियों को मूल्य निविदाओं के खोलने की तारीख को भारतीय स्टेंट बैंक के बी0 सी0 विक्रय दर के रुप में विनिमय दर अपनाते हुए भारतीय रुपए में सामान्य अंकित मूल्य में लिया जाएगा।

(च) यदि ईकाई मूल्य और कुल मूल्य में कोई विसंगति पायी जाती है जो कि ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होती है, तो ईकाई मूल्य को माना जाएगा और कूल मूल्य को ठीक कर दिया जाएगा। यदि शब्दों और अंकों में कोई विसंगति होती है तो मूल्य की गणना के लिए शब्दों में लिखी गई राशि को माना जाएगा।

(छ) क्रेता ---------प्रतिशत की रियायत दर पर रियायत कैश फ्लो का प्रयोग करते हुए प्राप्त हुए प्रस्तावों का मूल्यांकन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कैश फ्लो में एक से अधिक मुद्रा के अभिग्रस्त होने के मामले में, इसकी गणना मूल्य निविदा को खोलने की तारीख को भारतीय स्टेट बैंक के बी सी विक्रय दर के रुप में विनिमय दर को अपनाते हुए भारतीय रुपए में सामान्य अंकित मूल्य में की जाएगी।

(ज) न्यूनतम स्वीकार्य निविदा पर क्रेता द्वारा लिए गए निर्णयानुसार संपूर्ण स्पष्टीकरण और मूल्य समझौतों के पश्चात् संविदा/आपूर्ति आदेश देने के लिए और विचार होने के कारण अलग-अलग बोलीदाताओं को संविदा देने का अधिकार होगा। क्रेता को मात्रा का बंटवारा करने का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा, यदि यह पाया जाता है कि न्यूनतम बोलीदाता दी गई समय अवधि में पूरी मात्रा की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं है।

(झ) कोई अन्य मापदंड जो किसी ऐसे विशेष मामले में लागू हो।

2. **<u>मूल्य निविदा प्रोफर्मा</u>** - मूल्य निविदा प्रोफर्मा नीचे दिया गया है और बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि वे पूरे ब्यौरों के साथ इसे ठीक प्रकार से भरे:-

(क) मद/मदों की आधारभूत लागत

	मद	**ईकाई मूल्य**	**मात्रा**	**योग**
i	क			
ii.	ख			
iii.	ग			
iv	आधारभूत मूल्य का योग			

(ख) उप साधन

(ग) संस्थापन/चालू करने के प्रभार

(घ) प्रशिक्षण

(ङ) तकनीकी साहित्य

(च) औजार

(छ) कल-पुर्जों के साथ ए एम सी

(ज) कल-पुर्जों के बिना ए एम सी

(झ) अन्य कोई मद

(ञ) क्या उत्पाद-शुल्क अतिरिक्त है

(ट) यदि हां, तो निम्नलिखित का स्पष्टीकरण दें -

i. मदों का कुल मूल्य जिस उत्पाद-शुल्क वसूला जाता है

ii. उत्पाद-शुल्क की दर (मदवार यदि अलग-अलग ईडी लागू है)

iii. उत्पाद-शुल्क पर अधिभार, यदि लागू हो

iv. देय उत्पाद-शुल्क का कुल मूल्य

(ठ) क्या उत्पाद-शुल्क छूट (ईडीई) अपेक्षित है

(ड) यदि हां, तो निम्नलिखित को दर्शाए तथा संलग्न करे-

(i) उत्पाद-शुल्क अधिसूचना संख्या जिसके अंतर्गत ई डी ई दिया जा सकता है

(ढ) क्या वैट अतिरिक्त है ?

(ण) यदि हां, तो निम्नलिखित का स्पष्टीकरण दे-

i. कुल मूल्य जिस पर वैट वसूला जाता है

ii. वैट की दर

iii. वसूले जाने वाले वैट का कुल मूल्य

(त) क्या सेवा-कर अतिरिक्त है ?

(थ) यदि हॉ, तो निम्नलिखित का स्पष्टीकरण दे:

i. सेवा-कर का कुल मूल्य जिस पर सेवा कर वसूला जाता है :

ii. वसूले जाने वाले सेवा कर की दर :

iii. वसूले जाने वाले सेवा कर का कुल मूल्य :

(द) क्या सीमा-शुल्क छूट अपेक्षित है

(ध) यदि हां, तो निम्नलिखित का स्पष्टीकरण दें-

i. सीमा शुल्क अधिसूचना की संख्या जिसके अंतर्गत सी डी ई दिया जा सकता है (प्रति संलग्न करें) :

ii. भंडारों को आयात किए जाने का सी आई एफ मूल्य :

iii. देय सीमा-शुल्क की दर :

iv. देय सीमा-शुल्क की कुल राशि :

(न) चुंगी/प्रवेश कर :

(प) अन्य कोई कर/शुल्क/ऊपरी खर्च/लागत :

(फ) महा योग-

i.. ए एम सी और स्पेयर्स के अलावा

ii. ए एम सी के साथ स्पेयर्स सहित

iii. ए एम सी के साथ तथा स्पेयर्स के अलावा

परिशिष्ट - 'घ'

आपूर्ति आदेश तैयार करने के लिए क्रेता को सहायक अनुदेश

1. भाग-1 में प्रस्तावना दी गई है और इसका उसी रुप में उल्लेख किया जाना चाहिए ।

2. भाग-1 में आपूर्ति/मंगाई जा रही मदों और उनके निर्णायक मूल्यों के ब्यौरे दिए गए हैं । आर एफ पी के भाग-V में मूल्य निविदा के प्रोफार्मे के ब्यौरों को सूचीबद्ध करने के लिए आधार बनाया जाना चाहिए । आरएफपी के भाग में उल्लिखित और क्रेता के निर्णय के अनुसार निम्नलिखित जानकारी भी दी जाए:-

   (क) संबंधित तकनीकी पैरामीटर

   (ख) प्रचानात्मक विशेषताओं के अनुसार प्रयोक्ता की आवश्यकताएं

   (ग) विशिष्टताएं/ड्राइंग, यदि लागू हो

   (घ) प्रशिक्षण/कार्यस्थल पर प्रशिक्षण की आवश्यकता

   (ङ) संस्थापन, संयंत्र के चालू करने की आवश्यकता

   (च) एफ ए टी, एच ए टी एवं एस ए टी की आवश्यकता

   (छ) तकनीकी दस्तावेज की आवश्यकता

   (ज) वारंटी के पूरा होने पर भविष्य में दी जाने वाली सहायता की प्रकृति

   (झ) पूर्व स्वीकृत निर्माण का वर्ष

   (ञ) डिलीवरी अवधि

   (ट) डिलीवरी एवं परिवहन के लिए संबंधित इन्कोटर्म

   (ठ) परेषिती ब्यौरे

3. भाग-III में मानक शर्तें दी गई है जो विधि से संबंधित हो सकती है । अत: मूलपाठ में दी गई इन शर्तों से न तो कोई विचलन और न ही इन शर्तों को हटाने की अनुमति दी जाएगी । समझौते के दौरान विक्रेता की हठ के कारण इन शर्तों से किसी भी तरह के विचलन की अनुमति दिए जाने की स्थिति में रक्षा मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा । पूर्व सत्यनिष्ठा से संबंधित पैरा 15 को केवल 100 करोड़ रुपए से अधिक मामलों में ही शामिल किया जाना है ।

4. भाग-IV आर एफ पी के भाग-IV में उल्लिखित अनुसार आपूर्ति आदेश की विशेष शर्तें दी गई हैं । जबकि आरएफपी में प्रमुख विचलन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे असफल बोलीदाताओं को एक समान अवसर प्रदान न करने के समान होगा, इन शर्तों की भाषा में न्यूनतम परिवर्तन किया जा सकता है यदि विक्रेता इस पर जोर डालता है या किसी विशेष मामले में सटीक बैठता है ।

5. भाग -V में पतों की सूची एवं हस्ताक्षर करने की औपचारिकताएं दी गई हैं ।

पूर्ति आदेश प्रोफार्मा

क्रेता का नाम एवं पता
संपर्क बयौरे जेसे दूरभाष, फैक्स, ई-मेंल
फाइल संख्या
तारीख

सेवा में,

विक्रेता का नाम
पता

आर एफ पी संख्या --------------- तारीख ----------------- के अंतर्गत आपूर्ति आदेश संख्या ------

-------- तारीख -------------- को दिया जाना ।

भाग-।

महोदय/महोदया,

1. आपको सूचित किया जाता है कि आपको भाग-।। में उल्लिखित मूल्यों पर मदों/सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक औपचारिक आपूर्ति आदेश दिया जा रहा है । वाणिज्य निबंधन एवं शर्तें इस आपूर्ति आदेश (संक्षेप में एस ओ) के भाग-।।। एवं भाग-IV में दी गई है । इस एस ओ में "विक्रेता" का अर्थ आपके संगठन के लिए और शब्द "क्रेता" का अर्थ भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में कार्यरत इस संगठन से है ।

2. इस लेनदेन के निम्नलिखित दस्तावेजन एकमात्र आधार होंगे:-

   क. हमारी आर एफ पी संख्या --------------------- तारीख -------------

   ख. आपकी निविदा संख्या --------------------- तारीख -----------------

   ग. हमारा पत्र ----------------------तारीख ----------------------------

   घ. आपका पत्र --------------------- तारीख ----------------------------

   ङ. इस आपूर्ति आदेश के पांच भाग निम्न प्रकार है:-

      i. भाग-1 विक्रेता की निविदा को क्रेता द्वारा स्वीकृति की सूचना ।

      ii. भाग-।। इसमें उल्लिखित मूल्यों पर भाग-।। में बताई गई मदों/सेवाओं को क्रेता खरीदने के लिए सहमत है और विक्रेता बेचने को सहमत हैं । इस भाग में अपेक्षित मदों/सेवाओं के आवश्यक ब्यौरों को दिया गया है जैसे कि तकनीकी विशिष्टताएं, डिलीवरी अवधि, डिलीवरी का स्थान और विक्रेता द्वारा सहमत परेषिती के ब्यौरे ।

च. भाग-।।। - क्रेता और विक्रेता भाग-।।। में उल्लिखित आपूर्ति आदेश की मानक शर्तों को पूरा करने को सहमत है ।

छ. भाग-IV - क्रेता और विक्रेता भाग-IV उल्लिखित आपूर्ति आदेश की विशेष शर्तों को पूरा करने को सहमत हैं ।

ज. भाग-V इसके अंतर्गत इस एस ओ से संबंधित अन्य पते एवं अन्य संबंधित ब्यौरों की सूची दी जाती है ।

3. आपको आपूर्ति आदेश की स्याही में हस्ताक्षरित दो प्रतियां भेजी जा रही है । कृपया इस आपूर्ति आदेश की प्राप्ति के सात दिनों के अंदर अपने कार्यालय के लेटरहैड पर विधिवत् रुप से प्राधिकृत हस्ताक्षर के पावती भेजें । आपूर्ति आदेश पर विधिवत् रुप से हस्ताक्षर और सभी पृष्ठों पर मोहर लगाकर एक प्रति अपने पावती पत्र के साथ इसे कार्यालय को वापस भेज दिया जाए । यदि इस आपूर्ति आदेश की स्वीकृति या किसी भाग पर किसी आपत्ति को प्रेषित करने वाली सूचना सात दिनों के अंदर प्राप्त नहीं होती है, तो यह समझा जाएगा कि आपने इस आपूर्ति आदेश को पूर्ण रुप से स्वीकार कर लिया है और इस आपूर्ति आदेश के अंतर्गत आप पर विक्रेता के सभी दायित्व लागू होंगे ।

धन्यवाद ।

भवदीय

क्रेता का नाम एवं पदनाम
भारत के राष्ट्रपति की ओर से

भाग-II - मदों/सेवाओं के आपूर्ति आदेशों के आवश्यक ब्यौरे

1. **मूल्यों की अनुसूची** - मदों/सेवाओं के आपूर्ति आदेशों की सूची निम्न प्रकार से है:

क्र0सं0	मदों/सेवाओं का मूल्य	प्रमात्रा	यूनिट मूल्य	कुल मूल्य	टिप्पणी
कुल जोड़					

2. **तकनीकी ब्यौरे** -

(क) मदों के आपूर्ति आदेशों के कार्यकारी विशेषताएं

(ख) प्रयोज्य विनिर्देशन/ड्राइंग

(ग) तकनीकी परिमापों के साथ तकनीकी विवरण

(घ) प्रशिक्षण/कार्य पर प्रशिक्षण

(ङ) संस्थान/कमीशनिंग का विवरण

(च) फैक्टरी स्वीकृत प्रशिक्षण (एफएटी), हारबर स्वीकृति प्रशिक्षण (एचएटी) और समुद्री स्वीकृति प्रशिक्षण (एसएटी) के ब्यौरे ।

(छ) तकनीकी प्रलेखीकरण का विवरण

(ज) वारंटी पूर्ण होने के बाद अपेक्षित सहायता की प्रकृति

(झ) पूर्व स्थल/उपकरण निरीक्षण के ब्यौरे

(ण) कोई अन्य विवरण, जिन्हें आवश्यक समझा गया है ।

3. **सुपुर्दगी अवधि** - मदों की आपूर्ति के लिए सुपुर्दगी अवधि आपूर्ति आदेश देने की प्रभावी तारीख -------- से होगी । कृपया नोट करें कि आपूर्ति आदेश सुपुर्दगी अवधि में मदें प्राप्त न होने के मामले में क्रेता द्वारा एकपक्षीय रुप से आपूर्ति आदेश के रद्द किया जा सकता है । आपूर्ति आदेश सुपुर्दगी अवधि में विस्तार प्रतिनिर्धारित क्षति की शर्त के साथ क्रेता का स्वेच्छा से लिया निर्णय है ।

4. **सुपुर्दगी और परिवहन के लिए इंकोटर्मस** - ("ई"/"एफ"/"सी"/"डी" शर्तें) । इस आपूर्ति आदेश के लिए सुपुर्दगी अवधि की परिभाषा ------------------------होगी ।

5. **परेषिति विवरण** -

भाग-।।। आपूर्ति आदेश की मानक शर्तें

1. **नियम -** आपूर्ति आदेश भारत गणराज्य के नियमों के अध्यधीन तय किए व बनाए जाएंगे । ये आपूर्ति आदेश भारत गणराज्य के नियमों के तहत संचालित व व्याख्यापित किए जाएंगे ।

2. **आपूर्ति आदेश की प्रभावी तिथि -** आपूर्ति आदेश विक्रेता द्वारा स्वीकार कर लिए जाने की तारीख से प्रभावी होंगे और पार्टियों द्वारा आपूर्ति आदेशों के लिए निश्चित वचनबद्धता के निर्वहन किए जाने तक वैध रहेंगे । वितरण और आपूर्ति तथा सेवाओं का निष्पादन आपूर्ति आदेश की निर्धारित तारीख से प्रभावी होगा ।

3. **मध्यस्थता -** इस आपूर्ति आदेश के संबंध में/के कारण उत्पन्न सभी प्रकार के विवाद एवं मदभेद आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाए जाएंगे । इस आपूर्ति आदेश से/के संबंध में उत्पन्न कोई भी विवाद, असहमति अथवा प्रश्न, जो सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया न जा सके, उसे मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जाएगा । मध्यस्थता इस आपूर्ति आदेश के भाग-।।। के फार्म डीपीएम-7 (राष्टीय व्यापार हेतु)/डीपीएम-8 (विदेश व्यापार हेतु)/डीपीएम-9 (सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों के लिए) के तहत होगी ।

4. **अनुचित प्रभाव का प्रयोग करने के लिए दंड -** विक्रेता वचन देगा कि उसने क्रेता के किसी भी कर्मचारी को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से में, कोई भी उपहार, पत्ररस्कार, पारिश्रमिक, कमीशन, फीस, दलाली अथवा प्रलोभन नहीं दिया है या/अन्यथा वर्तमान अथवा किसी अन्य आपूर्ति आदेश को प्राप्त करने या उसे छोड़ने अथवा वर्तमान आपूर्ति आदेश के पक्ष या विपक्ष में भारत सरकार के किसी कर्मचारी को, किसी अन्य आपूर्ति आदेश अथवा वर्तमान आपूर्ति आदेश को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का कोई कार्य किया है । विक्रेता द्वारा अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी द्वारा उपर्युक्त वचनबद्धता को भंग किए जाने पर (चाहे वह विक्रेता के संज्ञान में हो अथवा न हो) अथवा विक्रेता या उसके द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी या उसके स्थान पर कार्य कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रस्ताव की एवज में कमीशन दिए जाने की स्थिति में - जैसा कि भारतीय दंड संहिता, 1860 के अध्याय IX के भ्रष्टाचार उन्मूलन नियम, 1986 में परिभाषित है अथवा भ्रष्टाचार उन्मूलन के तहत परिभाषित है - क्रेता को संपूर्ण आपूर्ति आदेश अन्य आपूर्ति आदेशों को निरस्त करने का अधिकारी देता है और उसे पत्र भी अधिकार देता है कि वह इस आपूर्ति आदेश को निरस्त करने की स्थिति में हुए किसी भी नुकसान की भरपाई की मांग करे । क्रेता अथवा उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति द्वारा यह निर्णय कि वचनबद्धता भंग की गई है- अंतिम होगा और विक्रेता के लिए बाध्यकारी होगा । विक्रेता द्वारा क्रेता के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को रिश्वत देने/रिश्वत का प्रस्ताव करने, अथवा इस प्रकार का कोई भी प्रयास करने अथवा किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा उसके किसी अधिकारी/कर्मचारी को प्रभावित करने की स्थिति में अथवा इस आपूर्ति आदेश के प्रति किसी प्रकार की तरफदारी प्रदर्शित करने की स्थिति में, विक्रेता द्वारा तय की गई किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई विक्रेता के लिए बाध्कारी/देय होगी जिसमें इस आपूर्ति आदेश को निरस्त करने का हक भी शामिल है जिसके तहत आर्थिक दंड, बैंक गारंटी रद्द करना और विक्रेता द्वारा दिए गए धन को वापस लेना शामिल है ।

5. **एजेंट/एजेंट की दलाली** - विक्रेता क्रेता को पत्रष्टि करेगा तथा घोषित करेगा कि वह इस आपूर्ति आदेश के सामान का वास्तविक उत्पादनकर्त्ता है/सेवाएं देने वाला है और उसके इसके लिए किसी व्यक्ति अथवा फर्म-चाहे वह भारतीय हो अथवा विदेशी - को भारत सरकार अथवा उसकी किसी अन्य संस्था को

सरकारी तौर पर अथवा गैर-सरकारी तौर पर सिफारिश के लिए इस आशय से मध्यस्थता के लिए नियुक्त नहीं किया है वह विक्रेता को आपूर्ति आदेश प्राप्त करने में सहायता करे; न ही उसके द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति अथवा फर्म को किसी प्रकार की मध्यस्थता या सुविधा देने की सिफारित हेतु किसी प्रकार की राशि दी गई है, अथवा देने का वायदा किया गया है । विक्रेता सहमत होगा कि यदि क्रेता की ओर से कभी भी यह पाया जाता है कि वर्तमान आपूर्ति आदेश सही नहीं है अथवा बाद में भी क्रेता को किसी समय यह पता चलता है कि विक्रेता ने किसी व्यक्ति/फर्म को नियुक्त किया है और उसे धन देने या धन देने का, वायदा किया है, उपहार, पत्ररस्कार, फीस, कमीशन दी है अथवा इस प्रकार के किसी व्यक्ति, पार्टी फर्म या संस्था को, इस आपूर्ति पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अथवा बाद में, नियुक्त किया है तो विक्रेता क्रेता को संपूर्ण राशि लौटाने के लिए बाध्य होगा । विक्रेता पर भारत सरकार के साथ इस प्रकार के आपूर्ति आदेश प्राप्त करने हेतु कम से कम पाँच वर्ष तक की रोक भी लगा दी जाएगा । क्रेता को, इस आपूर्ति आदेश को , पूर्ण रुप से अथवा आंशिक रुप से, विक्रेता को किसी प्रकार का अधिकारी अथवा मुआवजा देने हेतु, निरस्त करने का अधिकार होगा और विक्रेता इस आपूर्ति आदेश के संदर्भ में क्रेता को 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष (LIBOR दर के अलावा) के ब्याज की दर से संपूर्ण राशि लौटाने के लिए बाध्य होगा। क्रेता भारत सरकार के साथ पूर्व में इस प्रकार किए गए किसी भी आपूर्ति आदेश के संबंध में इस प्रकार की राशि वापस लेने का अधिकारी होगा ।

6. **<u>बहीखाता सुलभ कराना</u> -** यदि क्रेता द्वारा यह पाया जाता है कि एजेंट/एजेंसी कमीशन के तहत वर्णित नियमों के अंतर्गत विक्रेता ने किसी एजेंट को नियुक्त किया है अथवा अनधिकृत रुप से प्रभाव का इस्तेमाल किया है, कमीशन दी है अथवा किसी भी व्यक्ति को आपूर्ति आदेश प्राप्त करने के लिए प्रभावित किया है तो विक्रेता, क्रेता के विशिष्ट अनुरोध पर उसे संबद्ध वित्तीय दस्तावेजों से संबंधित सभी प्रकार की आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएगा/उनकी जाँच करने देगा ।

7. **<u>आपूर्ति आदेश के दस्तावेज गुप्त रखना</u> -** विक्रेता/क्रेता की लिखित सहमति न होने की स्थिति में कोई अन्य पक्ष, आपूर्ति आदेश के किसी उपबंध, विशिष्टी, योजना, डिजाइन, अभिरचना, नमूने अथवा उससे संबंधित किसी भी जानकारी को उजागर नहीं करेगा ।

8. **<u>क्षति पूर्ति करना</u>** - विक्रेता आपूर्ति आदेश के अंतर्गत विहित, नियमों के तहत यदि बांड को प्रस्तुत करने, गारंटी तथा दस्तावेज उपलब्ध कराने, भंडार/सामान और आचरण की जाँच करने, उपकरण प्रतिस्थपित करने और प्रशिक्षण प्रदान करने में असफल रहता है तो उस स्थिति में क्रेता, अपनी मर्जी के अनुसार, आपूर्ति आदेश के पूरा होने तक कोई भी भुगतान रोक सकता है । जैसा कि तय हुआ है, क्रेता विक्रेता से विलंबित आपूर्ति आदेश जान न किए गए भंडार/सामान की 0.5% की राशि क्षतिपूर्ति के तौर पर काट सकता है जो कि प्रति सप्ताह/सप्ताह के आंशिक समय पर की जाएगी जो कि विलंबित सामान की कुल राशि की अधिकतम 10% तक होगी ।

9. **<u>आपूर्ति आदेश को समाप्त करना (निरस्त करना)</u> -** क्रेता को यह आपूर्ति आदेश निम्न स्थितियों में पूर्ण रुप से अथवा आंशिक रुप से समाप्त करने का अधिकार होगा:-

   क. सामान की आपूर्ति आपूर्ति की निर्धारित तारीख के बाद अज्ञात और आवश्यक कारणों से (------------माह के लिए देरी से की जाती है ।

ख. यदि विक्रेता दिवालिया घोषित कर दिया जाता है अथवा अभद्रता से पेश आता है ।

ग. यदि सामान की आपूर्ति जानबूझ कर (-----माह) से अधिक के लिए देरी से की जाती है।

घ. यदि क्रेता के संज्ञान मं यह आता है कि विक्रेता ने यह आपूर्ति आदेश प्राप्त करने में भारतीय/विदेशी एजेंट की सेवाएं ली हैं और इस प्रकार के व्यक्ति/संस्था को कमीशन दिया है ।

ङ. विवाचन न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार ।

10. **नोटिस** - आपूर्ति आदेश द्वारा मांगा गया अथवा अनुमत्य कोई भी नोटिस अंग्रेजी भाषा में लिखा जाएगा और व्यक्तिगत तौर पर अथवा फैक्स द्वारा अथवा रजिस्टर्ड डाक अथवा पूर्व देय डाक/एयरमेल द्वारा पार्टी के अंतिम पते पर भेजा जाएगा ।

11. **हस्तांतरण और भाड़े पर देना** - विक्रेता को आपूर्ति आदेश को अथवा उसके किसी अंश को किसी को देने, मोलभाव करने, सौदा करने, बेचने और उसे समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा । साथ ही उसे किसी तीसरे पक्ष को इस आपूर्ति आदेश का लाभ उठाने देने का भी कोई अधिकार नहीं होगा।

12. **एकाधिकार और अन्य औद्योगिक परिसंपत्ति अधिकार** - मौजूदा आपूर्ति आदेश में विहित मूल्य में सभी प्रकार के एकाधिकार, कॉपीराइट, रजिस्टर्ड मूल्य, ट्रेडमार्क और अन्य औद्योगिक परिसंपत्ति के लिए दी जाने वाली कीमतें शामिल समझी जाएंगी । विक्रेता, क्रेता को तीसरे पक्ष द्वारा किसी भी समय, पूर्व पैराग्राफ में उल्लिखित अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर, किए जाने वाले दावों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करेगा, चाहे इस प्रकार के दावे निर्माण अथवा इस्तेमाल से संबद्ध हों । विक्रेता सप्लाई को पूरा करने के लिए, जिसमें हिस्से-पत्रर्जे, औजार, तकनीकी साहित्य और संपूर्ण प्रशिक्षण शामिल हैं, उत्तरदायी होगा - इस तथ्य के बावजूद कि आपूर्ति का उल्लंघन हुआ है और ऊपर उल्लिखित सभी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है ।

13. **संशोधन -** मौजूदा आपूर्ति आदेश का कोई उपबंध (इस उपबंध सहित) न तो बदला जाएगा और न ही उसमें कोई संशोधन किया जाएगा, चाहे वह आंशिक रुप में अथवा संपूर्ण हो बशर्ते कि दोनों पक्षों द्वारा आपूर्ति आदेश के बाद लिखित रुप में इस प्रकार के आशय पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसमें मौजूदा आपूर्ति आदेश में संशोधन का उल्लेख किया गया हो ।

14. **कर एवं शुल्क -**

(क) **विदेशी विक्रेता की स्थिति में -** सभी कर, शुल्क, उगाही एवं लागतें जिन्हें सामान की पूति किए जाने पर, जिसमें पहले दिए गए सैम्पल शामिल है- मौजूदा आपूर्ति आदेश से संबद्ध पक्षों द्वारा अपने-अपने देशों में अदा किए जाएंगे

अथवा

(ख) <u>देशी विक्रेता की स्थिति में</u> -

(i) **<u>सामान्य</u>** -

1. अगर बोलीदाता अलग से उत्पादन शुल्क अथवा सेल्स टैक्स/वैट के लिए अपनी इच्छा जाहिर करता है तो उसे अवश्य ही अलग से दर्शाया जाना चाहिए । ऐसा न किए जाने पर यह समझा जाएगा कि कीमतों में सब कुछ शामिल है और तब इसके लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

2. यदि किसी भी शुल्क/टैक्स कि राशि की प्रतिपूर्ति, दर्शाई गई कीमतों के ऊपर अतिरिक्त समझी जाती है तो बोलीदाता द्वारा इसे विशेष रुप से बताना होगा । ऐसा न किए जाने पर यह माना जाएगी कि दर्शाई कीमतें सुनिश्चित एवं अंतिम हैं और इस प्रकार के शुल्क/टैक्स का कोई दावा, निविदा खुलने के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

3. अगर कोई बोलीदाता शुल्क/टैक्स सहित मूल्य दर्शाना चाहता है और इस प्रकार के शुल्क/टैक्स को अंतिम रुप से सुनिश्चित नहीं करता है तो उसे स्पष्ट रुप से इस प्रकार के शुल्क/टैक्स की दर तथा उस शुल्क/टैक्स की प्रमात्रा दर्शानी चाहिए । ऐसा न किए जाने पर संक्षेप में प्रस्ताव के संबंध मे अज्ञान माना जाएगा।

4. यदि किसी बोलीदाता को आपूर्ति की किसी मात्रा पर शुल्क/टैक्स से छूट दी जानी है तो उसे स्पष्ट रुप से बताना होगा कि उसे आपूर्ति के मूल्य की जिस मात्रा से छूट मिली है, उस पर कोई शुल्क/टैक्स नहीं लगाया गया है । यदि मूल्य/प्रमात्रा के शुल्क/टैक्स पर कोई रियायत दी गई तो उसे स्पष्ट रुप से बताया जाना होगा । इस प्रकार का अनुबंध, कि लगाया जाने वाला शुल्क/टैक्स फिलहाल लागू नहीं है परंतु यदि बाद में लगाया जाना आवश्यक हो सकता है, तब तक स्वीकार्य नहीं होगा जब तक बोलीदाता द्वारा स्पष्ट रुप से उल्लेख नहीं कर दिया जाता कि इस प्रकार का कोई शुल्क/टैक्स नहीं लिया जाएगा - चाहे बाद में वह लगा भी दिया जाए । बोलीदाता के संदर्भ में, जो इस शर्त को मानने में असफल रहते हैं - उनके द्वारा उल्लिखित कीमतों में इस प्रकार का शुल्क/टैक्स, दूसरे बोलीदाताओं द्वारा उल्लिखित सामान की कीमतों के साथ तुलना करते समय, जोड़ दिया जाएगा ।

5. आपूर्ति आदेश की शर्तों के तहत उत्पाद शुल्क के नियमों के अनुसार किसी भी शुल्क/टैक्स में किसी प्रकार का ऊर्ध्वगामी/अधोगामी परिवर्तन होने पर, आपूर्तिकर्त्ता द्वारा दिए जाने वाले शुल्क/टैक्स की वास्तविक प्रमात्रा की अनुमति दी जाएगी । इसी प्रकार, किसी शुल्क/टैक्स में अधोगामी संशोधन की स्थिति में, इस प्रकार के शुल्क/टैक्स की वास्तविक प्रमात्रा की प्रतिपूर्ति विक्रेता द्वारा क्रेता को की जाएगी । इस प्रकार के सभी समायोजनों में विक्रेता द्वारा ली जाने वाली सभी प्रकार की राहतें, छूट, कटौतियां, रियायतें शामिल हैं ।

(ii) **<u>सीमा-शुल्क (अथवा कस्टम ड्यूटी)</u>**

(1) विदेशी सामान के लिए, अग्रिम वितरण के लिए बोलीदाता सीमा-शुल्क की राशि को दर्शाई गई कीमतों के अलावा दर्शाएगा । बोलीदाता देय कुल सीमा शुल्क की राशि और सी.आई.एफ. के मूल्य का विशेष रुप से अलग उल्लेख करेगा । वे भारतीय सीमा शुल्क संख्या सहित लागू सीमा शुल्क की राशि को भी सही-सही दर्शाएंगे । सीमा-शुल्क की वास्तविक अदा गई राशि की आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी जैसे कि (i) प्रवेश पत्र की तीन प्रतियां; (ii) लदान के बिल की प्रति; (ii) विदेशी नियमावली की प्रति । तथापि, यदि बोलीदाता अपने स्वयं के वाणिज्यिक आयात लाइसेंस के अंतर्गत आपूर्ति सामान का आयात करता है तो उसे अतिरिक्त रुप से प्रवेश बिल की तीन प्रतियाँ, आंतरिक लेखा-परीक्षक से बिल का प्रमाण पत्र, आदि इस आशय के साथ निम्नलिखित वस्तुओं/प्रवेश बिल की आयात सामान की मात्रा के साथ प्रस्तुत करनी होंगी:-

रक्षा क्रेता सप्लाई आदेश संख्या---------
दिनांक----------

(2) सीमा शुल्क की बाद में प्रतिपूर्ति होने पर, बोलीदाता भुगतान अधिकरण के समक्ष इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसने सीमा शुल्क की राशि का भुगतान, कस्टम अथॉरिटी से प्राप्त नहीं किया है । साथ ही, उसे भुगतान अधिकरण को सीमा शुल्क के भुगतान की तारीख के तत्काल बाद, तीन माह के पश्चात कस्टम अथॉरिटी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने कस्टम ड्यूटी अधिकरण को कस्टम ड्यूटी के भुगतान के पश्चात, कस्टम ड्यूटी की राशि वालिस लेने हेतु आवेदन नहीं किया है ।

(3) यदि बोलीदाता द्वारा सीमा-शुल्क अधिकरण को अदा की गई कस्टम ड्यूटी के पश्चात, सीमा शुल्क राशि वापस लेने हेतु आवेदन करता है और सीमा-शुल्क अधिकरण उसे उस रशि की प्रतिपूर्ति करता है तो बोलीदाता प्रतिपूर्ति राशि की जानकारी उपलब्ध कराएगा जो कि पूरी क्रेता के खाते में जाएगी ।

(iii) **<u>उत्पाद शुल्क</u>**

(1) जहां उत्पाद शुल्क यथा मूल्य पर देय है, बोलीदाता को चाहिए कि वह निविदा के साथ संगत प्रपत्र और उत्पाद शुल्क अधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित शुल्क के अनुसार कर-योग्य सामान की कीमत दर्शाते हुए निर्माता-मूल्य-सूची प्रस्तुत करे ।

(2) बोलीदाताओं को ध्यान रखना चाहिए कि यदि उन्हें आपूर्ति-आदेश के अंतर्गत सप्लाई किए गए सामान पर उत्पाद कर अधिकरण द्वारा लगाए गए उत्पाद शुल्क की राशि लौटाई जाती है तो वे वह राशि इस प्रमाण पत्र के साथ कि वह राशि उत्पाद शुल्क से संबंधित है और जो मूल रुप में आपूर्ति आदेश के तहत जारी किए गए सामान पर लगाई गई है, तत्काल क्रेता के खाते में डालेंगे । उनके द्वारा ऐसा न किए जाने की स्थिति में, उत्पाद शुल्क अधिकरण द्वरा जारी किए गए उत्पाद शुल्क लौटाए जाने के आदेश जारी होने के 10 दिन के भीतर, क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह लौटाए गए उत्पाद शुल्क की राशि के बराबर राशि, उन्हें बताए बिना अथवा कोई अन्य सरकारी देय आपूर्ति आदेश के बिलों से काट ले और उनके द्वारा इस संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया जाएगा।

(3) विक्रेता से भुगतान अधिकरण को निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की भी अपेक्षा की जाती है:-

(क) प्रत्येक बिल के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र कि क्लेम को कवर करने की तारीख से तीन माह के भीतर कि उत्पाद शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति के संदर्भ में कोई भी धनराशि विक्रेता द्वारा वापस नहीं ली गई है ।

(ख) यह प्रमाण पत्र कि, वित्त वर्ष से पूर्व उनके खाते के वार्षिक लेखापरीक्षा के समय इस प्रकार की धनराशि की वापसी का विवरण देते हुए, उनके द्वारा उत्पाद शुल्क की कोई राशि वापस नहीं ली गई है अथवा वापस लेने हेतु अनुरोध किया गया है ।

(ग) विक्रेता के अंतिम भुगतान बिल के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र कि उसके द्वारा सरकार के उत्पाद-शुल्क अधिकरण द्वारा पहले से ही प्रतिपूर्ति की गई उत्पाद शुल्क की धनराशि के विरुद्ध उत्पाद शुल्क की राशि, पूरी अथवा आंशिक वापस लेने हेतु कोई अनुरोध/विरोध-पत्र लंबित पड़ा है अथवा नहीं ।

(घ) इस आशय का प्रमाण पत्र कि यदि सरकार द्वारा यह पता लगा लिया जाता हे कि यदि विक्रेता द्वारा भुगतान अधिकरण से उत्पाद शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति लेने के उपर्युक्त उत्पाद शुल्क की कोई राशि उत्पाद अधिकरण से वापस ली गई है और वह राशि यदि विक्रेता द्वारा लेन-देन का सही ब्यौरा और विवरण देते हुए भुगतान अधिकरण को तत्काल नहीं लौटा दी गई है तो भुगतान अधिकरण को हक होगा कि वह विक्रेता के आपूर्ति आदेश अथवा सरकार के साथ लंबित पड़े अन्य आपूर्ति आदेशों के बकाया पड़े बिलों में से वह राशि वसूल कर ले । इस संबंध में विक्रेता की ओर से कोई विवाद नहीं उठाया जाएगा ।

(4) अन्यथा, जब तक आपूर्ति आदेश के संदर्भ में विशिष्ट रुप से सहमति नहीं हो जाती कच्चे माल के उत्पाद शुल्क में वृद्धि तथा/आपूर्ति आदेश को पूरा करने में प्रत्यक्ष रुप से प्रयुक्त मशीनरी की उत्पाद शुल्क की राशि में दंडस्वरुप हुई वृद्धि को वापस नहीं ले सकेगा - जो कि आपूर्ति आदेश के लंबित होने पर बढ़ाई जाती है ।

(iv) **बिक्री कर/वैट**

1. यदि बोलीदाता द्वारा बिक्री कर/वैट के अतिरिक्त भुगतान के लिए इच्छा व्यक्त की जाती है तो उसका विशेष रुप से अवश्य उल्लेख किया जाए । बोली में इस प्रकार की किसी शर्त के न होने पर यह मान लिया जाएगा कि बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्यों में बिक्री कर शामिल है और क्रेता द्वारा यह कर देने का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

2. अतिरिक्त बिक्री कर दर्शाती हुई बोलियों पर, बिक्री कर की दर तथा स्वरुप को, सप्लाई देते समय अलग से दर्शाया जाना चाहिए । विक्रेता को बिक्री कर उस दर पर अदा किया जाएगा जो मूल्यांकन योग्य होगी अथवा जिसका मूल्यांकन कर लिया गया है - जब तक कि बिक्री का लेन-देन कानूनी रुप से बिक्री कर के योग्य हो और आपूर्ति आदेश की शर्तों के अंतर्गत देय हो ।

(v) **चुंगी ड्यूटी और स्थानीय कर**

1. सामान्यत: सरकारी विभागों को, सरकारी आपूर्ति आदेशों के तहत सप्लाई किए जाने वाले सामान पर नगर-कर, चुंगी कर, सीमा कर तथा स्थानीय निकायों द्वारा लिए जाने वाले कर से छूट होती है । तथापि, कई बार स्थानीय नगर/नगर निगम के विभाग अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थानीय करों से संबंधित छूट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही ऐसी छूट प्रदान करते हैं । विक्रेता को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस कार्यालय द्वारा आदेशित आपूर्ति आदेश से संबंधित सामान को नगर कर/चुंगी कर, सीमा कर तथा अन्य स्थानीय करों से छूट प्राप्त हो । जहां भी आवश्यक हो, उन्हें क्रेता से, इस प्रकार के टैक्सों से बचने के लिए, छूट-प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए।

2. ऐसी स्थिति में, जब नगर निगम अथवा अन्य स्थानीय निकाय चुंगी अथवा कर वसूल करने के लिए बाध्य करते हैं तो वह विक्रेता द्वारा, सामान की सप्लाई में देरी से बचने अथवा विलंब शुल्क से बचने के लिए, अदा कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार अदा की गई राशि की रसीद क्रेता को बिना किसी विलंब के दे दी जानी चाहिए, जिसके साथ संबंधित नगर-निगम/स्थानीय निकाय द्वारा जारी उप नियमों/अधिसूचना की प्रति संलग्न की गई हो ताकि क्रेता संबंधित

कार्यालय से नियमों/अधिनियमों के तहत वह राशि वापस प्राप्त करने योग्य हो सके ।

15. **सत्यनिष्ठा-पूर्व अनुबंध की शर्त -** विक्रेता और क्रेता के मध्य सत्यनिष्ठा पूर्व अनुबंध, फार्म डीपीएम-10, जो कि आपूर्ति आदेश भाग-।।। के साथ संलग्न है, के तहत पूरा किया जाता है ।

भाग-IV - आपूर्ति आदेश की विशिष्ट शर्तें

1. **निष्पादन गारंटी -**

(क) **भारतीय विक्रेता की स्थिति में -** बोलीदाता को, सार्वजनिक क्षेत्र के अथवा निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा (आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड या एच0डी0एफ0सी0 बैंक लिमिटेड), जो सरकारी व्यापार करने के लिए प्राधिकृत हो, आपूर्ति आदेश राशि की 10 प्रतिशत राशि के बराबर की राशि, आपूर्ति आदेश के हस्ताक्षरित होने के 30 दिन के अंदर निष्पादन गारंटी देनी होगी । यह निष्पादन बैंक गारंटी वारंटी की गारंटी के 60 दिन के बाद तक वैध होगी। निष्पादन बैंक गारंटी का नमूना इस आपूर्ति आदेश के भाग - IV के साथ संलग्न फार्म डीपीएम-15 में दिया गया है ।

अथवा

(ख) **विदेशी विक्रेता की स्थिति में** - विक्रेता को उसके किसी अंतराष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त प्रथम श्रेणी के बैंक की जिसे सरकारी व्यापार के लिए प्राधिकृत किसी सार्वजनिक क्षेत्र के अथवा निजी क्षेत्र के बैंक ने सत्यापित किया हो (आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड अथवा एच0डी0एफ0सी0 बैंक लिमिटेड) की इस आपूर्ति आदेश की कुल राशि की 10 (5 प्रतिशत) की राशि जो कि डालर ---(अमरीकी डॉलर) (शब्दों में -----------) की निष्पादन गारंटी देनी होगी । निष्पादन बैंक गारंटी वारंटी की तारीख के 60 दिन बाद तक वैध होनी चाहिए। निष्पादन बैंक गारंटी, क्रेता के बैंक की स्वीकृति के पश्चात मान्य समझी जाएगी। किसी दावे अथवा आपूर्ति आदेश की वचनबद्धता के बकाया होने पर, क्रेता के चाहे जाने पर विक्रेता इस निष्पादन बैंक गारंटी को तब तक आगे बढ़ा देगा जब तक कि विक्रेता सभी दावे सुलझा नहीं लेता और आपूर्ति आदेश की सभी वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता । निष्पादन बैंक गारंटी क्रेता द्वारा नगद भुगतान पर निर्भर होगी, जब तक कि विक्रेता द्वारा समय पर वितरण दावों का निपटान और आपूर्ति आदेश की अन्य शर्तें पूरा नहीं कर ली जातीं । निष्पादन बैंक गारंटी इस आपूर्ति आदेश के भाग-IV कें साथ संलग्न फार्म डीपीएम-15 के साथ संलग्न है ।

2. **विकल्प शर्त -** इस आपूर्ति आदेश के तहत चयन का भी विधान है जिसमें क्रेता मौजूदा आपूर्ति आदेश की ही शर्तों के अंतर्गत, मूल आपूर्ति आदेश की मात्रा की 50% अधिगृहीत करने का चुनाव कर सकता है। यह विधान आपूर्ति आदेश की अवधि के भीतर ही लागू होगा । यह चुनाव का विधान पूर्ण रुप से क्रेता की इच्छा पर निर्भर होगा ।

3. **पुनरादेश का शर्त -** इस आपूर्ति आदेश में पुनरादेश की धारा भी समाहित है जिसके अंतर्गत क्रेता इस आपूर्ति आदेश के सफलतापूर्वक पूरा होने के छः माह के भीतर वस्तुओं की कुल मात्रा का 50% तक आदेश कर सकता है बशर्ते कि कीमत और शर्तें वहीं हों । यह क्रेता की इच्छा पर निर्भर है कि वह पुनरादेश करता है अथवा नहीं ।

4. **सहिष्णुता की शर्त** - आर एफ पी की अवधि प्रारंभ होने से लेकर आपूर्ति आदेश के प्रतिस्थापित होने तक की अवधि में मांग में हुए किसी परिवर्तन का ध्यान रखने के लिए क्रेता को विक्रेता द्वारा तय की गई शर्तों व कीमतों में परिवर्तन किए बिना, मांग की गई वस्तुओं की मात्रा में ------प्रतिशत अधिक/कम वृद्धि अथवा कमी करने का अधिकार होगा । इस आपूर्ति आदेश को प्रदान करते हुए, मांग की गई मात्रा में क्रेता द्वारा सहिष्णुता की सीमा के भीतर वृद्धि की गई है अथवा कमी की गई है ।

5. **भारतीय विक्रेताओं के लिए भुगतान की शर्ते -** आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों पर भुगतान किया जाएगा:-

(क) निरीक्षण नोट, माल भेजने के प्रमाण जिसे प्रेषिती की अनंतिम रसीद और बैंक गारंटी की फोटो प्रति द्वारा पत्रष्ट किया गया हो - के बाद भुगतान की राशि का 95 प्रतिशत ।

अथवा

(ख) माल भेजने ओर प्रयोक्ता द्वारा उसे स्वीकार कर लिए जाने पर 100% भुगतान ।

अथवा

(ग) चरणबद्ध भुगतान (मामले की जटिलता के आधार पर तय किए अनुसार) ।

अथवा

(घ) ए एस सी आपूर्ति आदेशों के संदर्भ में, प्रयोक्ता द्वारा क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर त्रैमासिक भुगतान ।

6. **विदेशी विक्रेताओं के लिए भुगतान की शर्तें -**

(क) भुगतान की व्यवस्था, भारतीय रिजर्व बैंक/स्टेट बैंक आफ इंडिया/किसी भी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा, जो कि क्रेता द्वारा तय किया गया हो, विक्रेता के विदेशी बैंक को क्रेडिट पत्र दिए जाने पर, की जाएगी । विक्रेता एक सुनिश्चित अवधि के भीतर माल के तैयार होने की अधिसूचना देगा । क्रेता द्वारा, फर्म की ओर से अधिसूचना के प्राप्त होने पर ------- दिन के अंदर क्रेडिट पत्र खोला जाएगा । क्रेडिट पत्र, विक्रेता और क्रेता की आपसी सहमति होने पर बढ़ाए जाने के आधार पर, उसके खोले जाने की ----- दिन की अवधि तक वैध होगा ।

अथवा

(ख) यदि आपूर्ति आदेश का मूल्य एक लाख अमरीकी डालर तक है तो भुगतान सीधे बैंक अंतरण द्वारा किया जाएगा । सीधे बैंक अंतरण द्वारा भुगतान, लदान की सुस्पष्ट रसीद/ए डब्ल्यू पी/माल भेले जाने के प्रमाण एवं इसी प्रकार के दस्तावेज - जैसा कि आपूर्ति आदेश के लिए/में उपलब्ध

कराए गए हों- प्राप्त होने की 30 दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा - परंतु इस प्रकार के भुगतान, उस राशि की कटौती पर आधारित होगा जो कि आपूर्ति आदेश की शर्तों के तहत विक्रेता की ओर देय होगी ।

अथवा

(ग) चरणबद्ध भुगतान (मामले की जटिलता के आधार पर तय किए अनुसार) ।

अथवा

(घ) ए एस सी आपूर्ति आदेशों के संदर्भ में, प्रयोक्ता द्वारा क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर त्रैमासिक भुगतान ।

7. **अग्रिम भुगतान** - कोई भी अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा/किए जाएंगे ।

अथवा

(क) समुचित बैंक गारंटी अथवा किसी भी अधिकृत गारंटी के तहत - जैसा भी क्रेता द्वारा मान्य हो , 15 प्रतिशत तक अग्रिम भुगतान किया जाएगा । निष्पादन बैंक गारंटी का नमूना इस आपूर्ति आदेश के भाग-IV के फार्म डीपीएम-16 में संलग्न है ।

8. **अधिकृत भुगतानकर्त्ता**

(क) **भारतीय विक्रेता -** (नाम व पता, संपर्क विवरण) - अधिकृत भुगतानकर्त्ता को बिलों का भुगतान विक्रेता द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर किया जाएगा:-

i. अवलंबित बिल/विक्रेता के बिल की स्याही से हस्ताक्षरित प्रति ।

ii. वाणिज्यिक बीजक/विक्रेता के बिल की स्याही से हस्ताक्षरित प्रति।

iii. यू0ओ0 नंबर और आई0एफ0ए0 की स्वीकृति सहित आपूर्ति आदेश की प्रति - जहां भी शक्तियों के बंटवारे के अंतर्गत आवश्यक हो ।

iv. दो प्रतियों में सी0आर0वी0 ।

v. निरीक्षण नोट ।

vi. समुचित दस्तावेजों/भुगतान के प्रमाण यथा, सीमा शुल्क चालान, कस्टम ड्यूटी का बेबाकी प्रमाण पत्र, चुंगी-कर की रसीद लाभकर्त्ताओं की नामांकन सूची सहित ईफीएफ/ईएसआईसी योगदान के भुगतान का प्रमाण, आदि - जैसा भी लागू हो - के साथ सांविधिक तथा अन्य उगाहियों के दावे ।

vii. उत्पाद शुल्क /कस्टम शुल्क से छूट का प्रमाण पत्र - जो भी लागू हो ।

viii. अग्रिम राशि की बैंक गारंटी - यदि कोई हो ।

ix. गारंटी/वारंटी प्रमाण पत्र ।

x. निष्पादन बैंक गारंटी/क्षतिपूर्ति बॉंड - जहां भी लागू हो ।

xi. यह दर्शाते हुए कि क्या शक्तियों का बंटवारा एल डी सहित है अथवा अतिरिक्त, सी एफ ए की स्वीकृति सहित, डीपी विस्तारण पत्र, यूओ नंबर एवं आई एफ ए की स्वीकृति ।

xii. इलेक्ट्रानिक भुगतान का विवरण यथा, खातेदार का नाम, बैंक का नाम, शाखा का नाम व पता, खाते का प्रकार, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर को (यदि ये विवरण आपूर्ति आदेश में समायोजित नहीं किए गए हों) ।

xiii. कोई भी अन्य दस्तावेज/प्रमाण पत्र, जो कि आपूर्ति आदेश हेतु उपलब्ध कराया जा सके ।

xiv. प्रयोक्ता की स्वीकृति ।

xv. निष्पादन बैंक गारंटी की फोटो प्रति ।

(नोट - उपर्युक्त सूची में से जो आवश्यक दस्तावेज अधिग्रहण की विशिष्टताओं पर आधारित हो, आरएफपी में समाहित किए जा सकते हैं)

(ख) **विदेशी विक्रेता -** (नाम, पता, संपर्क विवरण) - विक्रेता द्वारा, आपूर्ति आदेश की शर्तों के अनुसार, माल भेजे जाने के प्रमाण के तौर पर बैंक को भुगतान किए गए शिपिंग दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने हैं ताकि विक्रेता एलसी से भुगतान ले सके । बैंक ये दस्तावेज, वस्तुओं/सामान को बंदरगाह/विमान पत्तन से छुड़वाए जाने हेतु, क्रेता को अग्रेषित कर देगा । दस्तावेजों में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

i. पास किया गया बोर्ड एयर वे बिल/लदान का बिल

ii. मूल बीजक ।

iii. पैकिंग सूची ।

iv. विक्रेता के चेंबर आफ कामर्स का उदगम प्रमाण पत्र, यदि कोई हो ।

v. ओईएम से गुणवत्ता और मौजूदा निमंत्रण का प्रमाण पत्र ।

vi. जोखिम पूर्ण माल का प्रमाण पत्र, यदि कोई हो ।

vii. 110 प्रतिशत की बीमा पॉलिसी यदि सीआईएफ/सीआईपी आपूर्ति आदेश करे ।

viii. पीडीआई पर संपूर्णता और स्वीकृति का प्रमाण पत्र, यदि कोई हो ।

ix. चिकित्सीय स्वच्छता/प्रधूमन प्रमाण पत्र, यदि कोई हो ।

x. प्रदर्शन बॉंड/वारंटी प्रमाण पत्र ।

9. **मूल्य ह्रास की शर्त**

(क) ठेकेदार द्वारा आपूर्ति आदेश के अंतर्गत आपूर्ति किए गए सामान का मूल्य किसी भी स्थिति में सबसे कम उन मूल्यों से अधिक नहीं होगा जिन्हें ठेकेदार किसी व्यक्ति/संस्था को एक ऐसे विवरण के साथ बेचता है अथवा बेचने का प्रस्ताव करता है जिसमें खरीदार या भारत सरकार का कोई भी विभाग अथवा राज्य सरकार का कोई भी विभाग, अथवा केंद्र या राज्य सरकार का कोई भी सांविधिक उपक्रम, जैसा भी मामला हो, सभी आपूर्ति आदेशों के अवधि के दौरान कार्य निष्पादन तक, जब तक कि मौजूदा मूल्य-दर पर आपूर्ति आदेश पूरा नहीं हो जाता - शामिल है ।

(ख) यदि किसी भी समय पर, समयावधि के भीतर ठेकेदार सामान को किसी व्यक्ति/संस्था, जिसमें खरीदार अथवा भारत सरकार का कोई भी विभाग, राज्य सरकार का कोई भी विभाग अथवा केंद्र या राज्य सरकार के सांविधिक उपक्रम - जैसा भी मामला हो - आपूर्ति आदेश के तहत ली जाने वाली कीमत से कम कीमत पर बेचता है या बेचने का प्रस्ताव करता है तो वह इस कम मूल्यह्रास पर बेचने/बेचने के प्रस्ताव को महानिदेशक, आपूर्ति और निपटान के समक्ष अधिसूचित करेगा और इस प्रकारसे विक्रय के मूल्य ह्रास के तहत भुगतान की जाने वाली राशि - विक्रय के पस्ताव के तहत उसकी के अनुरुप कमी हई मानी जाएगी । तथापि, उपयुक्त विशिष्टी, इन पर लागू नहीं होगी:-

i. ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले निर्यात ।

ii. सामान्य प्रतिस्थापन के तहत ली जाने वाली कीमतों से कम कीमत पर, मूलभूत उपस्कर के तौर पर सामान को बेचना ।

iii. औषधि और दवा के आपूर्ति आदेशों के अंतर्गत, जिसमें की दवाईयों की समयावधि की समाप्ति होती है - आर/सी धारक मूल्यह्रास धारा के तहत इसकी कीमतें कम नहीं कर सकता ।

iv. संबद्ध प्राधिकरण द्वारा मौजूदा अथवा पूर्व के आपूर्ति आदेश मूल्य पर सामान को विक्रय/सामान के आदेश के स्थापन के पूरा होने पर अथवा बाद में सामान को कम मूल्य पर बेचना और साथ ही पूर्व के किसी भी आपूर्ति आदेश के तहत भारत सरकार या राज्य सरकार के विभागों, जिसमें उनके उपक्रम, जिनमें संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां और/या निजी पार्टियां और निकाय शामिल नहीं है, सामान को कम मूल्य पर बेचना ।

(ग) विक्रेता भुगतान प्राधिकरण को आपूर्ति आदेश - मूल्य के तहत की गई आपूर्ति के लिए प्रत्येक भुगतान बिल के साथ यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा - "हम प्रमाणित करते हैं कि इस आपूर्ति आदेश के अंतर्गत सरकार को आपूर्ति किए गए सामान की ही तरह, वर्णित सामान की मूल्य सूची में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है और इस प्रकार के सामान किसी व्यक्ति/संस्था, जिसमें भारत सरकार का कोई भी विभाग अथवा राज्य सरकार का कोई भी विभाग अथवा केंद्र या राज्य सरकारों का कोई भी सांविधिक उपक्रम खरीदार के रुप में शामिल है । जैसा भी मामला हो, को नहीं प्रस्तुत किए गए हैं/बेचे गए हैं जो कि बिल की तारीख तक/सामान की

आपूर्ति, मौजूदा आपूर्ति आदेश-मूल्य के अंतर्गत पूरा होने तक, सरकार से आपूर्ति आदेश के अंतर्गत प्राप्त किए गए मूल्य से कम मूल्य पर, सामान की मात्रा की, उप-धारा (क), (ख) और (ग) के उप-पैरा (ii) के अंतर्गत श्रेणियों जो कि नीचे दी गई है ----"

10. **<u>विनिमय मूल्य-परिवर्तन शर्त</u>**

(क) विदेशी सामान को अधिगृहीत करने और उनकी एफई मूल्यों पर आपूर्ति आदेश के लिए धारित कीमतों की विस्तृत समय-सारणी विक्रेता द्वारा निम्नलिखित रुप से प्रस्तुत की जानी है:-

आयात विषय-वस्तु का वर्षवार एवं मुख्य मुद्रा-वार विवरण

वर्ष	सामान का कुल मूल्य	एफ ई विषय वस्तु निकासी (करोड़ रुपए के बराबर)		
		नामांकित डालर	नामंकित यूरो मुद्रा	नामांकित अन्य मुद्रा

(ख) ई.आर.वी., आपूर्ति आदेश के लिए अपनाई गई विनिमय दर के मूल्यांकन के अंतर्गत व विनिमय दर के परिवर्तन पर निर्भर होने पर देय/प्रतिदेय होगी / आपूर्ति आदेश क एफ. ई. विषय-वस्तु का मूल्यांकन करते समय प्रत्येक प्रमुख मुद्रा की आधारित विनिमय -दर ,स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बी.सी.विक्रय मूल्य-दर होगी जो बोली का मूल्य खुलने की तारीख को होगी ।

(ग) ई.आर.वी. की आधारभूत तारीख आपूर्ति आदेश की तारीख होगी और इस आधारभूत तारीख में परिवर्तन निर्माण के मध्य तक प्रदान किया जाएगा जब तक कि विक्रेता द्वारा सामान का निर्यात करने की समय सारणी नही दर्शाता । ऊपर दी गई सूचना के आधार पर आयातित सामान के वितरण की सारणी की अंतिम तारीख/तारीखें ई. आर.वी पर स्वीकार्य होने हेतु तय की जाएंगी।

(घ) ई. आर.वी. धारा तक लागू नहीं होगी जब आयातित सामान की वितरण-अवधि तदनन्तर पत्रनर्नियोजित /बढाई जाती है ।

(ड.) अधिसूचित निनिमय दर निकासी से संगठित किया जाएगा जैसा कि विक्रेता द्वारा उनकी निविदा में दर्शाया गया होगा और वित्तीय वर्ष के अंत में देय/ प्रतिदेय होगा जो कि क्रेता द्वारा प्रमाणित होगा ।

11. **जोखिम और व्यय शर्त** -

(क) यदि सामान या उसके किसी भी प्रतिस्थापन को आपूर्ति आदेश दस्तावेजों में निर्धारित समयावधि के अंदर नही वितरित किया जाता या खराब सामान या उसके प्रतिस्थापन का वितरण किया जाता है तो क्रेता विश्वस्नीयता भंग करने की दुरुस्ती हेतु, विक्रेता को 45 दिन का समय देने के उपरांत बिना किसी पूर्वाग्रह के , हो गए नुकसान की भरपाई करने हेतु जो कि विश्वसनीयता भंग करने को दुरुस्त करने के लिए है, आपूर्ति आदेश को या तो पूरा या फिर इस नुकसान तक निरस्त हुआ घोषित कर सकता है ।

(ख) यदि सामान या उसका कोई भी प्रतिस्थापन विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराई गई विशिष्टियों/मानदण्डों के अनुसार निरीक्षण परीक्षण के दौरान क्रेता के देश में कार्य- निष्पादन नही करता है तो क्रेता इसके लिए आपूर्ति आदेश की शर्तें भंग किए जाने के पूर्वाग्रह के बिना,स्वतंत्र होगा कि वह आपूर्ति आदेश को पूरे तौर पर या हुए नुकसान की सीमा तक निरस्त कर दें ।

(ग) खराब सामान को 45 दिन के भीतर ठीक न किए जाने की स्थिति में विक्रेता को पहली अस्वीकृति सूचित करने पर किसी अन्य स्रोत से,जैसा भी वह उचित समझे,सामान खरीदने, तैयार करने अथवा अधीगृहीत करने के लिए उसी विवरण के अनुसार,स्वतंत्र होगा :-

(i) ऐसी हो भूल चूक

(ii) आपूर्ति आदेश को पत्ररी तरह से पत्रनर्विचरित करने की स्थिति में बकाया पडा वितरित किया जाने वाला सामान ।

(घ) किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से खरीदे गए माल या अधिगृहीत किए गए सामान,जैसी भी स्थिति हो , के मूल्य में अभिवृद्धि होने पर, जो कि आपूर्ति आदेश के मूल्य से अगर हो जो कि इस प्रकार की भूल-चूक के अनुसार हो- विक्रेता से वसूल की जाएगी। इस प्रकार की वसूली आपूर्ति आदेश के मूल्य के ----प्रतिशत से अधिक नही होगी ।

12. **पुनर्क्रय-प्रस्ताव** - क्रेता पत्रराने सामान को लौटा देगा और स्वीकृत कीमतें विक्रेता को किए जाने वाले अंतिम भुगतान के समय समायोजित की जाएंगी । विक्रेता की यह जिम्मेदारी होगीकि यह आपूर्ति आदेश हस्ताक्षरित होने के 15 दिन के भीतर यह पत्रराना सामान क्रेता के परिसर से हटा ले । यह सारी व्यवस्था करने और पत्रराने सामान को हटाने हेतु परिवहन आदि का खर्च विक्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।

13. **दैवीय आपदा -** दैवीय आपदा जैसी कोई परिस्थिति आने पर, करार करने वाले दोनो पक्षो को ठेके की जिम्मेदारी पूरी न करने अथवा देर से पूरी करने के लिए माफ किया जा सकता है, यदि प्रभावित पक्ष इस परिस्थिति के पैदा होने के --------------दिन के भीतर अन्य पक्ष को इसकी सूचना लिखित रुप में देता है तो इस परिस्थितिवश करार की किसी शर्त को पूरा न किए जाहने अथवा पूरा करने में विलम्ब होने से उस पक्ष को छूट प्रदान की जाएगा । दैवीय आपदा से अभिप्राय आग लगने, बाढ़ ,प्राकृतिक विनाश ओर अन्य आपदाओं से है जिनसे बचाव नही हो सकता और जिनका पूर्वानमान लग सके तथा पहले ही पता चल जाए तथा उसके बावजूद कार्य-निष्पादन न हो सके । अथवा इसमें देरी हो जाए - ऐसे कि युद्ध, दंगा,

तोड़फोड़, धमाका आदि तथा चालीस दिन की अवधि की सीमा का किसी भी पक्ष के नियंत्रण से बाहर होना । दैवीय आपदा का दावा करने वाला पक्ष दैवीय आपदा के प्रभाव पर काबू पाने और उसके प्रभाव को कम करने हेतु सभी समुचित उपाय करेगा ताकि इस करार के अंतर्गत कार्य निष्पादन को पूरा किया जा सके ।

14 **विशिष्टियां -** विक्रेता इस आपूर्ति आदेश के भाग दो के अनुसार विशिष्टियों को पूरा करने और क्रेता सेवाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा डिजाइन संरुपण में रख रखाव मूल्यांकन जांच के पश्चात् संशोधन करने की गारंटी देता है । विक्रेता द्वारा क्रेता को दिए जाने से पूर्व, किए गए परिवर्तन के अनुसार समस्त तकनीकी साहित्य में संशोधन किया जाएगा । विक्रेता क्रेता से परामर्श करने के उपरान्त, निर्माण विधि, स्वदेशीकरण और पत्रराना हो जाने के कारण डिजाइनों में रेखांकनों और विशिष्टियों में उन्नयन/परिवर्तन कर सकता है । तथापि, यह उन्नयन/परिवर्तन उपकरणों पर किसी भी स्थिति में प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगा । इस उन्नयन/परिवर्तन के परिणामस्वरुप तकनीकी विवरणों, ड्राइंग-सुधार और रख रखाव तकनीकों में आवश्यक उपकरणों सहित हुआ परिवर्तन क्रेता के इस उन्नयन/परिवर्तन के कारण प्रभावित होने के फलस्वरुप,----- दिन में नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा ।

15 **ओ ई एम प्रमाणपत्र** - यदि विक्रेता आई एम नहीं है तो ओ ई एम को हिस्से पत्रर्जे उपलब्ध कराने के लिए समझौता प्रमाणपत्र आवश्यक है । तथापि, जहां ओ ई एम मौजूद नहीं है वहां छोटे मोटे योग और हिस्से पत्रर्जे गुणवत्ता प्रमाणपत्र की शर्त पर प्राधिकृत विक्रेता से लिए जा सकते हैं ।

16 **निर्यात लाइसेंस** - विक्रेता को यह पुष्टि करनी होगी कि यदि वह सैन्य/असैन्य सामान भारत को निर्यात करने हेतु ओ ई एम नहीं है तो उसके पास अपने देश की सरकार का निर्यात लाइसेंस तथा उत्पादन संयंत्र से प्राधिकार प्राप्त है।

17 उत्पादन का सबसे स्वीकार्य वर्ष---------गुणवत्ता/जीवन प्रमाणपत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है ।

18 क्रेता द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले उपकरण : क्रेताद्वारा अपने व्यय पर निम्नलिखित उपकरण विक्रेता को उपलब्ध कराए जाएंगे :-

(i)----------

(ii)---------

19 **परिवहन :-**

(क) सामान सी आई एफ/सी आई पी---------(गंतव्य का पत्तन)पर पहुंचाया जाएगा । विक्रेता सामान को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए माल भाड़ा स्वयं ही वहन करेगा । विक्रेता माल पहुंचाने के दौरान क्रेता को होने वाले नुकसान के जोखिम हेतु नौवहन बीमा भी प्रस्तुत करेगा । विक्रेता बीमे के लिए करार करेगा और बीमा-किश्त अदा करेगा । विक्रेता से माल को निर्यात हेतु तैयार रखने की भी अपेक्षा की जाती है । क्रेता को सामान केवल भारतीय पोत से ही भेजा जाएगा ।

लदान के बिल को जारी करने की तारीख को माल भेजने की तारीख माना जाएगा । सामान को किश्तों में भेजने की अनुमति नहीं दी जाएगी । सामान को एक जहाज से दूसरे जहाज पर लादने की अनुमति नहीं दी जाएगी । यदि ऐसा करना अनिवार्य हो जाता है तो विक्रेता सामान को किश्तों मे भेजने/एक से दूसरे जहाज पर लादने के लिए क्रेता की त्वरित/पूर्व-लिखित अनुमति प्राप्त करेगा । माल को केवल भारतीय समुद्री जहाजों से ही भेजा जाएगा । तथापि, विक्रेता फिर भी रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार माल अग्रेषित करने वाले एजेंट की सूची का इस्तेमाल कर सकता है जो उसे क्रेता द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी । विक्रेता को उस स्थिति में, जबकि रक्षा सामान व्यापारिक जहाजों मे संबंधित नौवहन मुख्यालय को आयात किया जा रहा हो, निम्नलिखित सूचना अनिवार्य रुप से टेलेक्स/लिखित रुप में उपलब्ध करानी होगी:-

i) पोत का नाम ।

ii) लदान का नौवहन-पत्तन और देश का नाम ।

iii) निकासी पत्तन पर ई0टी0ए0 यथा मुम्बई, कोलकाता, मद्रास व कोच्चि ।

iv) पार्सलों की संख्या व भार ।

v) मुख्य उपस्करों का नामांकन तथा उनका विवरण ।

vi) यदि कोई संवेदनशील सामान को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो तो उसके लिए विशेष निर्देश ।

अथवा

(ख) **एफ ओ बी/एफ ए एस -** सामान को एफओ बी/एफएएस --------------भेजा जाएगा । (इन्कोटर्मस 2000 अथवा नवीनतम संस्करण)

क्रेता को सामान केवल भारतीय जलयानों से भेजा जाएगा । एफओबी/एफएएस कद्वारों की अवस्था में नौवहन की व्यवस्था, शिपिंग को-आर्डिनेशन एवं चार्टरिंग डिवीजन/शिपिंग को-ओर्डनेशन एवं आफिसर, भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत द्वारा की जाएगी । नौभार को जहाज द्वारा भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु फैक्स/टेलेक्स और कूरियर द्वारा चीफ कंट्रोलर आफ चार्टरिंग, शिपिंग को-आर्डिनेशन आफिसर, भूतल परिहवन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को कम-से-कम आठ सप्ताह पहले देना होगा । पूर्व नोटिस के प्राप्त होने के 3 (तीन) सप्ताह के भीतर, उपर्युक्तानुसार, चीफ कंट्रोलर ऑफ चार्टरिंग, शिपिंग को-आर्डिनेशन आफिसर आपूर्तिकर्ता को फैक्स/टेलेक्स और कूरियर से मशविरा देगा कि कब और किसी पोत पर यह सामान तथा उसके कुछ भाग भेजे जाएंगे । यदि नौवहन की व्यवस्था का मशविरा विक्रेता को 3 (तीन) सप्ताह के भीतर, जैसा कि ऊपर बताया गया हे, नहीं दिया जाता है या यदि व्यवस्थाकृत पोत उपर्युक्तानुसार तय किए गए लदान के पत्तन पर नौभार के तैयार होने की तारीख से 15 दिन (पंद्रह दिन) बाद भेजा जाता है - तो क्रेता की लिखित सहमति लेने की शर्त पर विक्रेता इस प्रकार के परिवहन हेतु वैकल्पिक जहाजों की व्यवस्था कर सकता है । जहां विक्रेता से, करार के अंतर्गत भेजने की अपेक्षा की जाती है और क्रेता की ओर से उसके खर्च पर

भारतीय जलयान/जलयानों के जरिए, मशविरे के आधार पर - जिसमें कि भारत भी एक सदस्य देश है - माल भेजा जाता है + विक्रेता इस प्रकार के परिवहन के लिए वैकल्पिक जहाजों की व्यवस्था कर सकता है, यदि तयशुदा भारतीय जलयान अथवा कान्फ्रेंस जलयान सामान को करार में तय की गई समय-सीमा (सीमाओं) के अंदर नहीं क्रेता की पूर्व-लिखित सहमति पर, माल नहीं भेजता है । यदि सामान या उसका कोई भाग तयशुदा नामित जलयान से (उन स्थितियों को छोड़कर, जिनमें क्रेता की पूर्व-अनुमति लिखित रुप में ली गई हो) नहीं भेजता है तो विक्रेता क्रेता को वह सारा भुगतान व खर्चा देने का उत्तरदायी होगा जो इस प्रकार से सामान भेजने में देरी होने, जिसमें खराब व अतिरिक्त भार, जलयानों का खर्चा और अन्य कोई अतिरिक्त खर्च- जो भी क्रेता को करना पड़ेगा । लदान का बिल जारी करने की तारीख, माल भेजने की तारीख समझी जाएगी । सामान को किश्तों में भेजने की अनुमति नहीं दी जाएगी । यदि ऐसा करना आवश्यक होता है तो विक्रेता, क्रेता की त्वरित/पहले से लिखित रुप में ली गई सहमति के बिना इस प्रकार किश्तों में और/या एक-जहाज से दूसरे जहाज पर माल नहीं भेजेगा। विक्रेता शिपिंग आफिसर, भूतल परिवहन मंत्रालय, चार्टरिंग विंग, ट्रांसपोर्ट भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110011 से संपर्क कर सकता है (टेलीग्राफिक पता.- ट्रांसचार्ट, नई दिल्ली-1, टेलेक्स - 'वाहन' इन 31-61157 या 31-61158, फोन 23719480, फैक्स 23718614)-

अथवा

(ग) **एफसीए -** सामान का वितरण एफ सी ए - एयरपोर्ट होगा । सामान का प्रेषण वायुयान द्वारा प्रेषिति नौ-पत्तन तक किया जाएगा । क्रेता माल भेजे जने वाली का संपूर्ण विवरण विक्रेता को माल की पहले खेप भेजने से 60 दिन पूर्व देगा अन्यथा विक्रेता माल भेजे जाने वाले का नामांकन कर सकता है जिसका खर्चा क्रेता को वहन करना होगा । माल भेजे जाने वाले द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी देने या विलंब करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता का होगा । एयर-वे बिल के जारी होने की तारीख, ताल भेजने की तारीख समझी जाएगी ।

20. **विमान वहन** - यदि क्रेता सारा सामान अथवा उसके कुछ भाग को विमान से भेजे जाने की मांग करता है विक्रेता, क्रेता से इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर, सामान को उसी के अनुरुप पैक करेगा । माल का इस प्रकार भेजे जाने की सहमति अग्रिम रुप से हो जानी चाहिए और आपसकी सहमति से भुगतान किया जाएगा ।

21. **पैकिंग व चिन्हित करना**

(क) विक्रेता करार के तहत उपकरणों और हिस्से-पत्रर्जों/सामान की पैकिंग और उसके लिए परीक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगा जिससे कि उन्हें सड़क, समुद्र और वायु मार्ग से भेजते समय, एक जहाज से दूसरे जहाज पर लादते समय, भंडारण करते समय, माल भेजने के समय खराब मौसम से और समुचित नौभार के वक्त होने वाले नुकसान सुरक्षा प्रदान की जा सके । विक्रेता सुनिश्चित करेगा कि सामान को समुचित रुप से मजबूत और ऋतु अनुकूल लकड़ी के कंटेनरों मे ंपैक किया गया है । पैकिंग- बक्सों में क्रेन उठाने/टंक में लगे कुंडे उठाने हेतु हुक लगे हाने चाहिए । उन विशिष्ट उपकरणों पर, जिन्हें पैक नहीं किया जा सकता, समुचित रुप से चिन्हित टैग कस कर लगे होने चाहिए ।

(ख) उपकरणों और हिस्से पत्रर्जों/सामान की पैकिंग विक्रेता के देश की विशिष्टताओं और स्तर के अनुरुप होनी चाहिए ।

(ग) प्रत्येक अतिरिक्त उपकरण, सहायक पत्रर्जे अलग-अलग बक्सों में पैक किए जाने चाहिए । बक्से पर अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ एक लेबल चिपकाया जाएगा जिस पर बक्से में पैक वस्तु का विवरण होना चाहिए । वस्तु के छ: सैम्पलों के साथ अंग्रेजी भाषा में एक टैग संलग्न किया जाना चाहिए जिस पर वहीं विवरण दिया गया हो । यदि करार की गई सामान की मात्रा छ: से कम है तो करार की गई सभी वस्तुओं पर टैग लगाया जाना चाहिए । तदुपरांत बक्सों को पैकिंग केसों में इस प्रकार बंद किया जाएगा:-

i) पार्ट नंबर -

ii) नामावली -

iii) करार एनेक्स नंबर -

iv) एनेक्स क्रम संख्या -

v) करार की मात्रा

(घ) अंग्रेजी भाषा में पैकिंग लिस्ट की एक प्रति प्रत्येक नौवहवन - पैकेज में डाली जाएगी और पैकिंग सूचियों का एक पूरा सैट पीले रंग से पेंट करके केस नं0-1 में रखा जाएगा ।

(ङ) विक्रेता प्रत्येक पैकेज को न मिल सकने वाले रंग से निम्नानुसार चिन्हित करेगा:-

i) निर्यात

ii) करार संख्या ---

iii) प्रेषिती -----------

iv) गंतव्य नौ-पत्तन/विमानपत्तन ------------

v) वास्तविक प्रेषिती------------

vi) विक्रेता -----------------

vii) पैकेज संख्या ------------------

viii) कुल/वास्तविक वजन ---------------

ix) लगभग माप/आयतन ---------------

x) विक्रेता द्वारा मार्किंग ---------------

(च) यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक पैकेज पर सावधानी की सूचना, चिन्हित की जानी चाहिए:- <TOP>, 'कृपया उलटा न करें', सामान की श्रेणी, इत्यादि ।

(छ) यदि कोई विशेष उपस्कर विक्रेता को क्रेता द्वारा लौटाया जाता है तो क्रेता उसे सामान्य पैकिंग उपलब्ध कराएगा जिससे कि उपस्कर व हिस्से-पत्र/सामान को सड़क, वायु अथवा समुद्री मार्ग से लाने-लेजाने के दौरान हुए नुकसान व खराबी से बचाया जा सके । ऐसी अवस्था में, क्रेता, विक्रेता के साथ चिन्हों को अंतिम रुप देगा ।

22. **गुणवत्ता -** वर्तमान सप्लाई आर्डर के अनुसार सप्लाई किए गए स्टोर की गुणवत्ता क्रेता के देश में तकनीकी स्थितियों और मानकों के अनुरुप अथवा आर एफ पी में बताए विनिर्देशों के अनुसार होगी तथा इसमें क्रेता द्वारा सुझाए अनुसार सुधार भी शामिल होंगे । ऐसे सुधारों के बारे में परस्पर समझौता होगा । विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि सप्लाई आर्डर के तहत सप्लाई किया गया माल नया है और पहले का निम्रित नहीं है (सप्लाई आर्डर के वर्ष का) और इसमें सभी आधुनिकतम सुधार और संशोधन शामिल किए जाएंगे । आशोधित ओर सुधार किए गए उपस्करों के कलपुर्जों का आगे पीछे समन्वय हो सकता और इन्हें अगर कोई हो तो पहले से सप्लाई किए गए उपस्करों के साथ परस्पर बदला भी जा सकता है । विक्रेता बदले कलपुर्जों के साथ विनिमेयता प्रामण पत्र भी देगा जिसमें यह वर्णित होगा कि वह बदली गई वस्तु का जीवन काल भी उतना ही होगा जितना मूल वस्तु का ।

23. **गुणवत्ता आश्वासन** - सप्लाई आर्डर के अंतिम रुप देने के पश्चात विक्रेता की मानक स्वीकार्य परीक्षण विधि (स्टैंडण्र्ड एक्सैपटेंस टेस्ट) ए टी पी देनी होगी । क्रेता को ए टी पी को आशोधित करने का अधिकार है । विक्रेता को अपने परिसर में ही क्रेता द्वारा स्वीकरता और परीक्षण के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी । वसतु आधुनिकतम निमर्णय की चालू उत्पादन मानक के अनुसार होनी चाहिए और डिलीवरी के समय इसका 100 प्रतिशत परिभाषित जीवन काल होना चाहिए ।

24. **निरीक्षण प्राधिकार** - निरीक्षण --------------द्वारा किया जाएगा । निरीक्षण की विधा विभागीय निरीक्षण/प्रयोक्ता निरीक्षण/संयुक्त निरीक्षण/स्व प्रमाणन होगा ।

25. **प्रेषण पूर्व परीक्षण**

(क) क्रेता का प्रतिनिधि सभी माल/उपस्कर का सामान्य मानक विधि विनिर्देशनों के अनुसार प्रेषण पूर्व परीक्षण करेगा (पी डी आई) इस निरीक्षण को सफलतापूर्वक करने के पश्चात विक्रेता और क्रेता दोनों ही भाग-IV डीपीएम 21 फार्म के नमूने के अनुसार जो भाग- IV के हिस्से के तौर पर संलग्न है को जारी कर हस्ताक्षर करेंगे ।

(ख) विकेता टी डी आई की निर्धारित तारीख से कम से कम 45 दिन पहले क्रेता को सूचित करेगा । वींजा औपचारिकताएं पूरा करने के लिए लिया जाने वाला समय इस नोटिस में शामिल नहीं किया जाएगा । क्रेता अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को पी डी आई के लिए भेजेगा ।

(ग) क्रेता अपने प्रतिनिधियों के विवरण नाम, टाईटल जन्म तारीख, स्थान, पासपोर्ट नंबर, जारी करने तथा समाप्त होने की तारीख , पता आदि सहित ---- पहले भेजे जाएंगे ताकि प्राधिकृत और बेबाकी दिए जाने संबंधी आवेदन किया जा सके ।

(घ) क्रेता के पास अधिकार है कि वह पी डी आई में न जाए या वह अपने प्रतिनिधि(यों) को ऐसे परीक्षणों में जाने की अनुमति देने के लिए पी डी आई के लिए निर्धारित तारीख अधिकतम 15 दिन पहले पी डी आई शुरु होने को स्थगित करने के लिए आवेदन कर सकता है इस स्थिति में वह लिखित में पी डी आई शुरु होने के 15 दिन पहले विक्रेता को सूचित करेगा, यदि क्रेता इस प्रकार स्थगित करने का अनुरोध करता है तो परिनिर्धारित क्षति यदि कोई है लागू नहीं होगा । यदि क्रेता विक्रेता को उक्त अवधि में सूचित करता है कि वह पी डी आई में नहीं आ सकता या उक्त पी डी आई निष्पादन में आवेदित स्थगित तारीख पर नहीं आता है तो विक्रेता निर्धारित उक्त टेस्ट के लिए आने के लिए हकदार होगा । पुष्टि तथा स्वीकार्य टेस्ट रिपोर्ट विक्रेता के क्यू0ए0 प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज उसी प्रकार प्रभावी होगा जैसा दोनों पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर करने पर होता है । यदि क्रेता पी डी आई में नहीं आ सकता तो वह विक्रेता को पी डी आई में शामिल न होने सकने की सूचना देगा ।

(ङ) विक्रेता सभी उचित सुविधाएं, प्रवेश, सहायता, क्रेता के प्रतिनिधि को देगा ताकि विक्रेता के देश में अपनी ड्यूटी देने के लिए उन्हें पूरा संरक्षण तथा सुविधिा मिल सके ।

(च) जिस देश में पी डी आई की जानी है उसमें क्रेता के प्रतिनिधि(यों) के ठहरने पर होने वाले यात्रा खर्चे, होटल खर्चे, बोर्डिंग, लॉजिंग खर्चे, दैनिक खर्चे आवास खर्चे क्रेता द्वारा करने होंगे ।

(छ) विक्रेता क्रेता की क्यू ए एजेंसी को आपूर्ति आदेश हस्ताक्षर करने की तारीख सो एक महीने के अंदर स्वीकार्यता परीक्षण क्रियाविधि (अक्सेपटेंस टेस्ट प्रोसीजर) मुहैया करवाएगा ।

26. संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण

(क) भारत में पहुंचने पर भेजे गए माल का जे आर आई (संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण) पार्टियों की सहमति से क्रेता द्वारा निर्धारित स्थान पर किया जाएगा । जे आर आई 120 दिन के अंदर (आयुध/गोला बारुद के लिए) 90 दिन के अंदर (आयुध/गोला बारुद के अलावा अन्य के लिए) परेषिती पत्तन पर सामानउ पहुंचाने पर पूरा कर लिया जाएगा । जे आर आई में निम्नलिखित होगा:-

i. आपूर्ति आदेश तथा बीजक में बताई गई मात्रा के अनुसार माल की मात्रा की जाँच करना ।

ii. आपूर्ति आदेश में बताई गई विशिष्टताओं के अनुसार तथा क्रेता द्वारा बताई गई क्रियाविधि तथा निर्धारित टेस्ट के अनुसार माल/उपस्करों के सही काम करने को चैक करना, लेकिन अतिरिक्त पुर्जों की कार्यात्मक जाँच इसमें शामिल नहीं है ।

iii. आग लगने का खतरा तो नहीं, यदि आवश्यक हो ।

(ख) जे आर आई क्रेता के प्रतिनिधि(यों) द्वारा की जाएंगी । क्रेता माल की जे आर आई में शामिल होने के लिए कम से कम 15 दिन की पूर्व सूचना विक्रेता को देगा । विक्रेता के पास यह अधिकार होगा कि वह जे आर आई में शामिल न भी हो । क्रेता को माल भेजने से 15 दिन पहले विक्रेता के प्रतिनिधि का विवरण बताना जरुरी होगा ताकि क्रेता के देश में लागू नियमों के अनुसार आवश्यक सिक्यूरिटी क्लीयरेंस ली जा सके ।

(ग) जे आर आई पूरा हो जाने परजे आई आई कार्रवाहियां तथा स्वीकृति पर दोनों पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे । विक्रेता के प्रतिनिधि उपलब्ध न होने पर जे आर आई कार्यवाहियां तथा स्वीकृति प्रमाण पत्र पर क्रेता के प्रतिनिधि द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाएंगे और यह विक्रेता को भी बाध्य होगा । जे आर आई कार्रवाहियां तथा स्वीकृति प्रमाण पत्र की प्रति जे आर आई पूरा होने के 30 दिनों के अंदर विक्रेता को भेजी जाएगी। मात्रातथा गुणवत्ता में कमी या दोश जे आर आई कार्यवाही में रिकार्ड किए जाएंगे । जे आर आई के दौरान उठाए गए सभी दोवों का निपटान हो जाने के बाद स्वीकृति प्रमााण पत्र क्रेता के प्रतिनिधि द्वारा जारी किया जाएगा ।

यदि क्रेता अपने ही किसी कारण से उपर्युक्त जे आर आई नहीं करा पाता तो मान लिया जाएगा कि भारत में जे आर आई कर लिया गया है और माल/उपस्कर पूरी तरह स्वीकार कर लिए जाएंगे।

27. **<u>फ्रैंकिंग खण्ड</u> -**

(क) माल की स्वीकृति होने उपर 'यह तथ्य कि माल पहुंचाने की अवधि के बाद निरीक्षण अधिकारी द्वारा जाँच करके पास कर देने पर आपूर्ति आदेश समाप्त माना जाएगा । आपूर्ति आदेश के निबंधन और शर्तों के तहत क्रेता के अधिकारों में भेदभाव किए बिना माल पास किया जा रहा है'।

(ख) माल रद्द हो जाने पर 'यह कि माल पहुंचाने की अवधि के बाद जांच कर लेने और निरीक्षण अधिकारी द्वारा रद्द कर दिए जाने पर क्रेता को किसी भी तरह बाध्य नहीं होगा। माल आपूर्ति आदेश के निबंधन और शर्तों के तहत क्रेता के अधिकारों में भेदभाव किए बिना रद्द किया जा रहा है" ।

28 **<u>दावे</u>** - निम्नलिखित के लिए दावे प्रस्तुत किए जाएंगे;-

(क) या सामान की मात्रा, जहां मात्रा पैकिंग लिस्ट के अनुसार नहीं है । पैकिंग ठीक नहीं है या सामान की गुणवत्ता, जहां गुणवत्ता आपूर्ति आदेश के अनुसार नहीं है।

(ख) मात्रा में कमी के मात्रा दावे । जे आर आई पूरा होने तथा माल की स्वीकृति होने के 45 दिन के अंदर किए जाएंगे । मात्रा दावे विक्रेता को फार्म डी पी एम 22 (रक्षा मंत्रालय के वेबसाइट पर उपलब्ध और मांगे जाने पर दिए जा सकते हैं) पर किए जाएंगे ।

(ग) जे आर आईह के दौरान देखी गई खराबी या मात्रा में कमी के गुणवत्ता दावे जे आर आई पूरा होने और सामान की स्वीकृति के 45 दिन के अंदर प्रस्तुत करने होंगे । वारंटी अवधि में देखी गई खराब या गुणवत्ता में कमी के गुणवत्ता के दावे वारंटी अवधि के समाप्त होने के बाद जल्दी से जल्दी 45 दिन के अंदर ही किए जाएंगे । गुणवत्ता दावे विक्रेता की डी पी एम-23 (रक्षा मंत्रालय के वेबसाइट पर उपलब्ध और मांगे जाने पर दिए जा सकते हैं) पर प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(घ) दावा तैयार करते समय ठोस कारण बताते हुए माल का पूरा विवरण और मात्रा बताई जाएगी । औचित्य वाले दावों की प्रतियां दिए गए दावों के साथ लगाई जाएंगी । विक्रेता अपने-अपने कार्यालय में दावों के प्राप्त होने के 45 दिन के अंदर दावों का निपटान करेगा बशर्ते विक्रेता ने दावा स्वीकार कर लिया हो । इस अवधि के दौरान कोई उत्तर न मिलने पर माल लिया जाएगा कि दावा स्वीकार कर लिया गया हे ।

(ङ) विक्रेता खराब या रद्द किया गया सामान क्रेता द्वारा बताए गए स्थान से उठावाएगा और अपनी ही व्यवस्था द्वारा उसी स्थान पर मरम्मत या बदली किया गया माल पहुंचाएगा ।

(च) दावे किए गए माल में लागत कम करके विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किए गए बॉंड से दावे निपटाए जा सकते हैं या विक्रेता द्वारा दावे की राशि का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भी किया जा सकता है जो कि प्रधान नियंत्रक/संबंधित रक्षा लेखा नियंत्रक के नाम पर भारतीय बैंक में किया जा सकता है ।

(छ) गुणवत्ता का दावा अकेले ही क्रेता द्वारा भारत में विक्रेता के प्रतिनिधि के प्रमाण-पत्र/प्रतिहस्ताक्षर के बिना उठाया जाएगा ।

29. **वारंटी**

(क) (i) इसके अतिरिक्त जैसे कि निविदा आमंत्रण में बताया गया है, विक्रेता यहां यह घोषित करता है कि आपूर्ति आदेश के अंतर्गत क्रेता को उपलब्ध करायी गई वस्तुएं, बिका हुआ स्टोर का सामान सर्वोत्तम कोटि और कारीगरी का होना चाहिए और आपूर्ति आदेश के अंतर्गत वर्णित विशिष्टियों तथा बताई गई कोटि के अनुसार होनाए चाहिए । विक्रेता यहां यह गारंटी देता है कि वस्तुओं/सामान/पदार्थ की गुणवत्ता और वर्णन क्रेता को सप्लाई करने के 12 माह तक ऊपर वर्णित अनुसार बने रहेंगे अथवा उस सामान को विकम्रेता के यहां से भेजे जाने/डिस्पैच किए जाने के बाद 15 माह तक - जो भी पहले हो और बिना यह जाने कि क्रेता ने उस सामान का निरीक्षण कर लिया है और/या उसे अनुमोदित कर दिया है, यदि ऊपर बताई गई 12/15 माह की अवधि में ऊपर वर्णित सामान/वस्तुएं/पदार्थ बताए गए विवरण तथा गुणवत्ता के अनुरुप नहीं पाए जाते हैं और संतोषप्रद प्रदर्शन नहीं करते या खराब पाए जाते हैं तो उस अवस्था में क्रेता का निर्णय अंतिम होगा और विक्रेता के लिए बाध्यकारी होगा और क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह विक्रेता को बुलाकर उस सामान/वस्तुओं/पदार्थ के उस भाग में सुधार करने को कहे जो कि क्रेता द्वारा युक्तियुक्त समय में दोषयुक्त पाया जाता है या उस विशिष्ट अवधि में

दोषयुक्त पाया जाता है जो क्रेमा द्वारा विक्रेता द्वारा अपनी आवेदन में इच्छानुसार बताई गई हो और इस परिस्थिति में ऊपर बताई गई अवधि उन सुधारे गए सामान/भंडार/वस्तुओं पर लागू होगी जो कि वारंटी में सुधार हेतु पर्णित है अन्यथा विक्रेता, क्रेता को वारंटी में वर्णित शर्तों का उल्लधन करने पर हर्जाना देगा ।

(ii) इस बात की गारंटी कि यदि जब भी सहमति के आधार पर आवश्यकता होगी, वे तयशुदा कीमतों पर हिस्से-पुर्जे मुहैया करवाएंगे । सहमति आधार के अंतर्गत अवतरित लागत पर लाभ पर प्रकाशित मूल्य या सहमति प्रतिशत पर सहमति कटौती पर कोई सीमा सहित या बिना सीमा के हो सकती है ।

(iii) इस बात की जमानत कि वे अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों का उत्पादन बंद करने से समुचित समय पूर्व उपसकर खरीदने वाले क्रेता को नोटिस देंगे ताकि क्रेता उपस्कर की पूर्णकालिक आवश्यकताएं पूरी करने हेतु बकाया वसूल कर सकें ।

(iv) इस आशय की वारंटी कि जब और जहां मुख्य उपस्कर के रेखांकनों के खाके चाहिए होंगे, वे उन्हें उपलब्ध कराएंगे ।

अथवा

(ख) (i) विक्रेता जमानत देता है कि आपूर्ति आदेश के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए सामान की तकनीकी विशिष्टियां उसी के अनुरुप है और वह उन्हीं तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार ही कार्य करेंगे ।

(ii) विक्रेता, संयुक्त वसूली निरीक्षण द्वारा स्वीकार किए जाने की तारीख अथवा स्थापना या कमिशनिंग की तारीख, जो भी पहले हो, से -माह की अवधि की जमानत देगा कि आपूर्ति आदेश के अंतर्गत पूर्ति किए गए सामान/वस्तुओं और उनके उत्पादन में इस्तेमाल किए गए पुर्जे किसी भी प्रकार की खराबी/चूक से रहति हैं ।

(iii) यदि जमानत की अवधि के दौरान क्रेमा द्वारा यह सूचित किया जाता हे कि सामान अपनी विशिष्टियों के अनुरुप कार्य नहीं कर रहा है, विक्रेता, उसके द्वारा इस प्रकार की खराबी का नोटिस प्राप्त होने के बाद अधिक से अधिक 45 दिन की अवधि के भीतर या तो उसे नि:शुल्क बदलेगा अथवा उसे ठीक करवाएगा बशर्ते कि क्रेता द्वारा उन वस्तुओं का इस्तेमाल और रख-रखाव प्रचालन संबंधी नियम-पुस्तिका के अनुसार ही किया गया हो । वारंटी की अवधि उपस्कर की खराब होने की अवधि से आगे बढ़ाई जाएगी । उपस्कर की खराबी का रिकार्ड उपयोगकर्त्ता द्वारा लॉग-बुक में दर्ज किया जाएगा । जमानत सुधारने हेतु अतिरिक्त पुर्जे विक्रेता द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे । विक्रेता उस सामान/उपस्कर का उपचार, परीक्षण, समंजन, व्यास नापने और ठीक करने/बदलने का भी उत्तरदायित्व लेता है जो सामान/उपस्कर ऑपरेटर द्वारा असावधानीवश अथवा गलत इस्तेमाल के कारण खराब हो गया हे अथवा वस्तुओं को लाने-लेजाने के कारण वारंटी की अवधि के भीतर नुकसान हो गयका है जिसका खर्च क्रेता तथा विक्रेता द्वारा आपसी सहमति से वहन किया जाएगा ।

(iv) विक्रेता द्वारा यह भी जमानत दी जाती है कि वह वारंटी अवधि के दौरान उपस्कर के लिए आवश्यक सेवा और मरम्मत के लिए सहायता प्रदान करेगा और वह यह सुनिश्चित करेगा कि खराबी की अवधि वारंटी अवधि के ---% के भीतर हो ।

(v) विक्रेता जमानत सुधार के दौरान क्रेता की रख-रखाव एजेंसी और गुणता आश्वासन एजेंसी के तकनीकी व्यक्तियों से मिलेगा और पूरे दोष, उसे कारणों और दोषों के सुधारात्मक उपायों का विवरण भी उपलब्ध करवाएगा ।

(vi) यदि कोई उपस्कर/सामान बार-बार कार्य नहीं करता है और/या खराब होने की अवधि वारंटी समय के --% से अधिक होती है तो क्रेता द्वारा इससे संबंधित सूचना प्राप्त होने के ---दिन के भीतर विक्रेता द्वारा पूरा उपकरण नि:शुल्क बदल दिया जाएगा । बदले गए उपकरण की वारंटी क्रेता द्वारा/प्रतिस्थापन की तारीख से, संयुक्त वसूली निरीक्षण के स्वीकार कर लिए जाने की तारीख से शुरु होगी ।

(vii) यदि पूरी अभियांत्रिकी समर्थित पैकेज की आपूर्ति आदेश में वर्णित अवधि सो देरी से की जाती है तो विक्रेता यह उत्तरदायित्व लेता है कि सामान/वस्तुओं की वारंटी की अवधि उस समय तक बढ़ा दी जाएगी ।

(viii) विक्रेता, भारतीय ऊष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों के मद्देनजर, सामान की ----वर्ष तक शैल्फ-लाइफ की गारंटी नीचे दिए गए अनुसार देता है:-

1. कम-से-कम तापमान ----------------

2. अधिकतम तापमान ----------------

3. औसत आद्रता ----------------

(ix) तेलों और स्नेहकों की अधिप्राप्ति के लिए निम्नलिखित लागू होंगे:-

(1) विक्रेता जमानत देता है कि उपकरणों की वारंटी की अवधि के दौरान विशेष प्रकार के तेल और स्नेहक उसके द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(2) यदि विक्रेता उपकरणों की वारंटी की अवधि के दौरान जरुरत के तेल और स्नेहक उपलब्ध कराने में असफल रहता है तो उस पर उपकरण मूल्य का ----% जुर्माना लगाया जाएगा ।

(3) विक्रेता, उन सभी तेलों और स्नेहकों की विस्तृत विशिष्टियां, जो उपकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने हेतु आवश्यक हों- उपकरण की पहली आपूर्ति के समय उपलब्ध कराएगा, ताकि वारंटी की अवधि के समाप्त होने के उपरांत उसी प्रकार के तेलों व स्नेहकों की पहचान और देशी तौर पर उसका विकास करने में मदद मिल सके ।

30. <u>उत्पाद समर्थन</u>

(क) विक्रेता, भंडारसमुच्चय/उप-समुच्चय, जोड़ी जाने वाली वस्तुओं, खपाए जाने योग्य वस्तुओं, विशेष रख-रखाव पुर्जों (एस एम टी)/विशेष परीक्षण उपकरण (एस टी ई), दूसरी एजेंसियों/उत्पादनकर्त्ताओं द्वारा आदेशित उप-आपूर्ति की, भंडार के लिए सहायता उपलब्ध

कराएगा जो ----- (उपकरण का नाम) की आपूर्ति की ----वर्ष की वारंटी अवधि सहित अधिकतम -----------समयावधि के लिए होगी ।

(ख) विक्रेता अधिकतम -माह की अवधि के लिए रख-रखाव आपूर्ति आदेश का उत्तरदायित्व लेने के लिए सहमत है जब तक कि उसके द्वारा संपूर्ण अभियांत्रिकी पैकेज उपलब्ध नहीं करवा दिया जाता ।

(ग) यदि उत्पाद समर्थन की ऊपर-वर्णित अवधि के दौरान कोई भी उपकरण या उपतंत्र पुराना पड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में क्रेता और विक्रेता के मध्य आपसी सलाह-मशविरा किया जाएगा ताकि अतिरिक्त मूल्य/कीमत सहित एक स्वीकार-योग्य हल निकल सके ।

(घ) विक्रेता अथवा उरके उप-आपूर्तिकर्त्ता द्वारा सामान/उपकरण में कोई भी सुधार/संशोधन/उन्नयन किया जाता है जो कि आपूर्ति आदेश के तहत खरीदा जा रहा हो तो उसकी सूचना विक्रेता द्वारा क्रेत को दी जाएगी और यदि क्रेता चाहे तो विक्रेता यह सब क्रेता के खर्चे पर कर सकता है ।

(ङ) विक्रेता पुष्टिकारी रख-रखाव मूल्यांकन जाँच (एम ई टी) के बाद यथा- संशोधित अभियांत्रिकी समर्थित पैकेज उपलब्ध कराएगा । विक्रेता उपस्कर की मरम्मत और रख-रखाव का उत्तरदायित्च लेने के लिए सहमत है । एस एम टी/एस टी ई परीक्षण व्यवस्था, जोड़े जाने वाले पुर्जे/उप-पुर्जे और ----------वर्ष की अवधि के दौरान इस आपूर्ति आदेश के अंतर्गत सप्लाई किया गया सामान यथा रख-रखाव आपूर्ति आदेश, जैसा कि वर्णित है या संपूर्ण अभियांत्रिकी समर्थन पैकेज -- जो भी शर्तों के अनुसार बाद में हो, जो कि क्रेता और विक्रेता की आपसी सहमति से हो ।

31. वार्षिक रख-रखाव आपूर्ति आदेश (ए एम सी) शर्त

(क) विक्रेता ---वर्ष की अवधि के लिए संपूर्ण ए एम सी उपलब्ध कराएगा । ए एम सी सेवाओं के अंतर्गत मौजूदा आपूर्ति आदेश के अंतर्गत खरीदे गए सभी उपकरण और प्रणालियां आती हैं । क्रेता के सज्जित उपकरण जो ए एम सी की सीमा में नहीं आते-क्रेता द्वारा अलग से सूचीबद्ध किए जाएंगे । ए एम सी सेवाएं दो विशिष्ट तरीकों से उपलब्ध कराई जाएगी:-

(i) **निरोधक रख-रखाव सेवा -** विक्रेता कार्यस्थल पर एक वर्ष में कम-से-कम चार निरोधक रख-रखाव का मुआयना करेगा ताकि कार्य का निरीक्षण और छोटी-मोटी समायोजनाएं/संगति, यदि आवश्यक हो, बैठाई जा सके ।

(ii) **दुर्घटना रख-रखाव सेवा -** उपकरण/सिस्टम के दुर्घटनाग्रसत होने पर क्रेता बुलाए जाने पर विक्रेता को रख-रखाव सेवाएं उपलब्ध करानी है ताकि उपकरण/सिस्टम कार्य करने योग्यक हो जाएं ।

(ख) **अनुक्रिया समय -** विक्रेता का अनुक्रिया समय, क्रेता द्वारा दुर्घटना की सूचना मिलने पर ---घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए ।

(ग) प्रतिवर्ष ------% योज्यता सुनिश्चित की जानी है । यह प्रतिवर्ष अधिकतम ---खराबी के हिसाब से है । साथ ही सेवा प्रदान करने की अवधि एक बार में --दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए । सेवा योज्यता को बनाए रखाने के लिए कार्य स्थल पर आवश्यक हिस्से-पुर्जे विक्रेता द्वारा अपने

खर्च पर रखे जा सकते हैं । खराबी के कुल समय की गणना वर्ष के अंत में की जा सकती है । यदि खराबी का समय अनुमत्य समय से अधिक होता हे तो विलंबित समय के लिए एल डी लागू होगी

(घ) उपकरण/व्यवस्था को दुरुस्त करने का अधिकतम समय-----दिन होगा । तथापि, हिस्से-पुर्जों का रख-रखाव कार्य करने की योग्यता की स्थिति में किया जाएगा ताकि उपकरण/व्यवस्था को पूरी तरह ठप्प हाने से बचाया जा सके ।

(ङ) **तकनीकी दस्तावेज** - दस्तावेजों में सभी प्रकार के परिवर्तन (तकनीकी और कार्मिक मैनुअल) उपकरण के हार्डवेयर और साफ्टवेयर में हुए परिवर्तनों के अनुसार, उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(च) ए एम सी अवधि के दौरान विक्रेता उपकरण/व्यवस्था के मौजूदा कार्य स्थल पर ए एम कसी के तहत, उपकरणों/व्यवस्था की मरम्मत कराएगा । यदि उपकरणं के कुछ भाग/सिस्टम को कार्य स्थल से बाहर हो जाना पड़े तो विक्रेता को क्रेता से इसकी पूर्व-अनुमति लेनी होगी । ऐसे अवसर पर, सामान अथवा हिस्से-पुर्जे को निकालते समय, विक्रेता क्रेता को सामान की अनुमानित लागत की बैंक गारंटी उपलब्ध कराएगा ।

(छ) क्रेता ----मास का नोटिस देने के उपरांत किसी भी समय रख-रखाव आपूर्ति आदेश को, कोई भी कारण बनाए बिना, निरस्त करने का अधिकार रखता है । विक्रेता इस प्रकार की निरस्ति के विरुद्ध कोई भी हर्जाना लेने का हकदार नहीं होगा । तथापि, आपूर्ति आदेश निरस्त करते समय आपूर्ति आदेश के तहत यदि पूर्व में किए गए मरम्मत काय्र की कोई राशि क्रेता की ओर बकाया हो तो उसकी अदायगी आपूर्ति आदेश की शर्तों के तहत की जाएगी ।

32. **अभियांत्रिकी समर्थन पैकेज (ईएसपी) शर्त -**

(क) **मरम्मत का सिद्धांत -** अभियांत्रिकी समर्थन सिद्धांत मरम्मत के सिद्धांत के अनुरुप इस प्रकार होगा-

(i) **यूनिट स्तर की मरम्मत -** ये वह मरम्मत है जो यूनिट के अंदर ही उन उपकरणो के लिए की जाती है जो यूनिट के अंदर ही मौजूद औजारो के साथ या उन उपकरणो के साथ उपलब्ध कराए गए औजारो के साथ की जाती है जो निर्माता ने उपलब्ध कराए होते है जिनका पैमाना 1:10 के अनुपात या निर्माता द्वारा यूनिट की कार्मिक संख्या के अनुसार अनुमोदित कोई अन्य पैमाना होता है । इस मरम्मत के अंतर्गत साफ-सफाई, तेल देना, छोटी-मोटी मरम्मत और उपकरणो को बदलना तथा छोटे-छोटे हिस्सो को जोड़ना आता है जिन्हें बिना किसी परिष्कृत औजारों अथवा परीक्षण उपकरणों के बाहर ले जाया जा सके । इस प्रकार के मरम्मत कार्य को करने के लिए निर्माता को निम्नलिखित उपलब्ध कराने होंगे:-

1. प्रत्येक उपकरण के प्रचालन मैनुअल के साथ औजारों तथा उपकरणों की तालिका (टीओटीई)

2. रख-रखाव मैनुअल सहित, ऊपर वर्णित विशेष औजारों तथा हिस्से-पत्रर्जों का पैमाना ।

(ii) **फील्ड मरम्मत -** यह वह मरम्मत कार्य हैं जिन्हें युद्ध क्षेत्र में इस प्रकार के कार्य के लिए विशेष रुप से प्रशिक्षित तकनीशियनों द्वारा किया जाता है और जहां विशेष प्रकार के औजार औरउपकरण उपलब्ध कराए जाने पड़ते हैं । इस प्रकार की मरम्मत में उन मुख्य असेम्बलियों और उपकरणों को बदलना अंतर्ग्रस्त है, जो यूनिट स्तर की मरम्मत के कार्य-क्षेत्र से बाहर हैं । सामान्यत: एक फील्ड कार्यशाला इस प्रकार के उपस्करों वाली तीन से चार यूनिटों का मरम्मत कार्य देखती है । निर्माता को निम्नलिखित उपलब्ध करवाने होते हैं:-

1. उन हिस्से-पत्रर्जे की मात्रा और विशिष्टी, जिन्हें -- मात्रा के उपकरणों के लिए संग्रह करना होता हे ।

2. विशिष्ट रख-रखाव औजार तथा परीक्षण-उपस्कर, जिन्हें इस प्रकार की प्रत्येक फील्ड कार्यशाला को उपलब्ध कराना होता है (इस प्रकार की सुविधाओं का विवरण भी, संबद्ध उपकरण के परिनियोजन पर आधारित उसकी कुल लागत के साथ, उल्लिखित किया जाना होगा) ।

(iii) **बेस अड्डे का जीर्णोधार** - इस सुविधा के तहत सभी प्रकार की मरम्मत जिसमें पत्रर्जो, उप असेम्बलियों और संपूर्ण उपस्कर का जीर्णोधार शामिल है- शामिल है । उपस्कर की संख्या के आधार पर इसके लिए भारत में एक से पांच तक सुविधाएं स्थापित की जा सकती है । (खर्च के लिए वास्तविक संख्या का उल्लेख किया जाना होगा) । उत्पादनकर्त्ता को निम्नलिखित उपलब्ध कराना होगा:-

1. उपस्कर स्तर पर मरम्मत कार्य करने के लिए सभी रख-रखाव औजार, जिंग, जोड़-यंत्र और परीक्षण उपकरण ।

2. उपकरणों के रख-रखाव की अपेक्षित संख्या के अनुसार अतिरिक्त पत्रर्जों, उप-असेम्बलियों की मात्रा और विशिष्टियां ।

3. जीर्णोधार के लिए आवश्यक तेल और स्नेहक ।

4. समस्त आवश्यक तकनीकी साहित्य ।

5. परीक्षण उपस्करों की माप की सुविधा । इस स्तर की मरम्मत का अर्थ बेस कार्यशाला में उपस्कर को खोलना और पत्रन: तैयार करना है ।

(ख) **उत्पादनकर्त्ता की अतिरिक्त पत्रर्जों की अनुमोदित सूची (एमआरएलएस)** - ऊपर दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि फार्म डीपीएम-19 के नमूने के अनुसार (जो रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और जिसे अनुरोध करने पर दिया जा सकता है) विभिन्न स्तरों की मरम्मत हेतु, उपस्कर को बनाए रखने के लिए एम आर एल एस उपलब्ध करवाएं । बोलीदाताओं के इसे तकनीकी और वाणिज्यिक अभिप्रायों, दोनों के लिए उपलब्ध कराना होगा (उस स्थिति में जहां उपस्कर इस्तेमाल में हैं, अतिरिक्त पत्र क्रेता द्वारा रख-रखाव ऐजेंसी की अनुमोदित सूची जिसे उसके द्वारा जुटाया जाना है और उपस्कर के दोहन के आधार पर न कि एमआरएलएस के आधार पर - प्राप्त किए जाएंगे) । जबकि वाणिज्यिक प्रस्ताव

के साथ प्रत्येक उपस्कर/अतिरिक्त पत्रर्जे उपलब्ध करवएं जाएंगे तकनीकी प्रस्ताव के मामले में ये कम कीमत/मध्यम कीमत/उच्च-कीमत की तरह दर्शाए जाएंगे । इस प्रयोजनार्थ दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:-

1. कम कीमत - उपस्कर/उप-सिस्टम के यूनिट मूल्य के 2 प्रतिशत से कम ।

2. मध्यम कीमत - उपस्कर/उप-सिस्टम के यूनिट मूल्य का 2 प्रतिशत से 10 प्रतिशत

3. उच्च कीमत - उपस्कर/उप सिस्टम के यूनिट मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक ।

यदि संपूर्ण उपकरण विभिन्न प्रकार के उप-सिस्टमों से सज्जित है यथा- वह किसी वाहन पर स्थापित है या स्थापित किए जाने हेतु स्टेंड के साथ आया है या यह जेनरेटर या एयरकंडीशनर अथवा लक्ष्यदर्शी सहित है - तो एम आर एल एस इस प्रकार के प्रत्येक उप-सिस्टम को अलग-अलग दर्शाते हुए उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

(ग) **विशिष्ट रख-रखाव औजार और परीक्षण - उपकरण -** जैसा कि एमआरएलएस के लिए बनाया गया हे, इसे उसी प्रकार से बनाया जाना है । एक सुझाया गया नमूना फार्म डीपीएम-17 पर दिया गया है ।(रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और जिसे अनुरोध करने पर दिया जा सकता है) जो कि तकनीकी और वाणिज्यिक दोनों प्रयोजनों के लिए शामिल किया जाना है । तकनीकी प्रस्ताव हेतु कीमत का कॉलम खाली छोड़ा जा सकता है ।

(घ) **तकनीकी साहित्य** - सिस्टम के साथ दिए जाने वाले तकनीकी साहित्य का विवरण फार्म डीपीएम-18 में दिए गए नमूने के अनुसार (जो रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और जिसे अनुरोध करने पर दिया जा सकता है) सूचीबद्ध किया जा सकता है । इसे तकनीकी और वाणिज्यिक, दोनों प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए । तकनीकी प्रस्ताव हेतु कीमत का कॉलम खाली छोड़ा जा सकता है ।

(ङ) **विभिन्न पहलू (केवल तब लागू जब परीक्षण आवश्यक हो)** - ऐसे मामलों में, जहां उपस्कर को परीक्षणों से गुजारना जरुरी हो, उपस्कर को रख-रखाव मूल्यांकन परीक्षण से भी गुजरना होगा । इस मूल्यांकन और सप्लायर के साथ सलाह-मशविरे के आधार पर एमआरएलएस को संशोधित किया जा सकता है । प्रयोक्ता परीक्षणों के दौरान यह बात सामने लाई जा सकती है कि उपस्कर विशेष प्रकार के संशोधनों/उन्नयन के लिहाज से स्वीकार्य है ।

(च) **रख-रखाव मूल्यांकन परीक्षण (एमईटी)-** यह परीक्षण उपस्कर के जीवन-चक्र के दौरान प्रभावी अभियांत्रिकी सहायता देने की सुविधा मुहैया करने की दृष्टि से किया जाता है । इसमें उपस्कर को खोलना और अनुमोदित परीक्षण करना, समयोजित करना, रख-रखाव पत्रजों की प्रचुरता को स्थापित करना, परीक्षण उपकरण व तकनीकी साहित्य शामिल हैं । इस प्रकिया के दौरा बोलीदाता को निम्नलिखित उपलब्ध कराने होंगे:-

i. **तकनीकी साहित्य**

1. प्रयोक्ता पत्रस्तिका/हिंदी व अंग्रेजी में ऑपरेटर का मैनुअल

2. डिजाइन की विशिष्टियां

3. तकनीकी मैनुअल

   क. भाग-I- तकनीकी विवरण, विशिष्टियां, विभिन्न सिस्टमों की कार्य प्रणाली

   ख. भाग-II निरीक्षण/रख-रखाव कार्य, मरम्मत विधियां, इस्तेमाल की गई सामग्री, दोष ढूँढा और विशिष्ट रख-रखाव औजार (एसएमटी)/विशिष्ट परीक्षण उपस्कर (एसटीई) ।

   ग. भाग-III जोड़ने/खोलने की विधि, उपकरण के स्तर तक मरम्मत, सुरक्षा सावधानियां ।

   घ. भाग-IV रेखांकन हवालों के साथ सूची और एसएमटी व एसटीई परीक्षण-संदर्भों की सूची

4. उत्पादनकर्त्ता द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त पत्रों की सूची (एमआरएलएस)।

5. व्यापारिक प्रस्ताव की कीमतों के साथ सचिव अतिरिक्त पत्रर्जों की सूची (आईएसआरएल) ।

6. रेखाकंन संदर्भ सहित एसटीई पर तकनीकी मैनुअल ।

7. संपूर्ण उपस्कर कार्यक्रम ।

8. उपकरणों व औजारों की तालिका (टीओटीई) व लाए गए अतिरिक्त पत्रर्जे ।

9. आवर्ती सूची, खपाए जाने के नियम प्रत्येक सिस्टम हेतु आवश्यक/अनावश्यक अतिरिक्त पत्रर्जे की सूची ।

ii. प्रमाण का एक सैट ।

iii. विशिष्ट रख-रखाव औजारों का एक सेट (एसएमटी)

iv. विशिष्ट परीक्षण उपकरणों का एक सेट (एसटीई)

v. मरम्मत कार्यक्रम

vi. दंड की सीमा

vii. अनुमत्य मरम्मत कार्यक्रम

viii. पैकिंग विशिष्टियां/अनुदेश

ix. डिजाइन विशिष्टियां

x. ओ ई एम द्वारा सुझाई गई कोई भी अतिरिक्त जानकारी

(छ) कमतर ई एस पी/एम आर एल एस को उद्धृत करने वाले विक्रेताओं को परास व गहराई की शर्तों पर कमी को पूरा करना होगा । ई एस पी/एम आरएल एस में फालतू वस्तुओं को उद्धृत करने वाले विक्रेताओं को इन वस्तुओं को वापस लेने हेतु सहमत होना होगा ।

33. मूल्य परिवर्तनशीलता (पीवी) शर्त

(क) मूल्य परिवर्तनशीलता में सामान्यत: स्थिर तत्व, सामग्री तत्व और श्रम तत्व शामिल होना चाहिए । सामग्री तत्व और श्रम तत्व के प्रतिनिधित्व को उन्हीं के अनुरुप अनुपात में दर्शाया जाना चाहिए जबकि स्थित तत्व 10 से 25% तक हो सकता है । स्थिर तत्व द्वारा दिखाए गए मूल्य का भाग परिवर्तनशीलता के अंतर्गत नहीं आएगा । सामग्री तत्व और श्रम तत्व द्वारा दिखाए गए मूल्य का भाग मूल्य-परिवर्तन का कारण होगा । इस प्रकार मूल्य-परिवर्तन का फार्मूला निम्नानुसार होगा:-

$$P_1=P_0\{F+A[\frac{M_1}{M_0}]+B[\frac{L_1}{L_o}]-P_0\}$$

तब जहां P_1 समंजित मूल्य है जो आपूर्तिकर्त्ता को देय है (एक घटती हुई संख्या करार-मूल्य में कमी की ओर ईशारा करेगी) ।

P_0 आधार - स्तर पर करार का मूल्य है । एफ स्थिर तत्व है जो मूल्य-परिवर्तन का विषय नहीं है।

A करार मूल्य में सामग्री तत्व के लिए तय किया गया प्रतिशत है ।

B करार मूल्य में श्रम तत्व के लिए तय किया गया प्रतिशत है ।

L_o और L_1 क्रमश: माह व वर्ष को लक्षित करते हुए वेतन और गणना के माह व वर्ष के द्योतक हैं ।

M_0 और M_1 क्रमश: आधार माह व वर्ष को लक्षित करते हुए श्रम और गणना के माह व वर्ष के द्योतक हैं ।

यदि सामग्री की एक से अधिक मुख्य वस्तु अंतर्ग्रस्त है, सामग्री तत्व को दो या तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है यथा, M_x, M_y, और M_z । जहां सेवाओं के लिए मूल्य परिवर्तन शर्त उपलब्ध कराई जानी हो (पदार्थ के निरर्थक निवेश के साथ) उदाहरणत: सामान्यत: प्रति टाइम मूल्य पर तकनीकी सहायता प्राप्त करने की सूरत में मूल्य परिवर्तन फार्मूला केवल दो तत्वों में होना चाहिए अर्थात उच्च स्थिर तत्व और एक श्रम तत्व । ऐसे मामलों में स्थिर तत्व विक्रेता द्वारा प्रति टाइम के मूल्य में, मजदूरी की तुलना में वृद्धि पर आधारित होने पर, 50 प्रतिशत या इससे अधिक हो सकता है ।

(ख) मूल्य समायोजन के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां लागू होंगी:-

i) वास्तविक तिथि, कीमतों की बोली के लिए निर्धारित तिथि होगी ।

ii) समायोजन की तिथि निर्माण का मध्य बिन्दु होगी ।

iii) मूल डीपी के बाद कोई भी मूल्य वृद्धि की अनुमति नहीं होगी जब तक कि क्रेता द्वारा विलंब मान्य न हो ।

iv) कुल समायोजन अधिकतम सीमा के --- पर आधारित होगा ।

v) विक्रेता को पेशगी भुगतान के रुप में किए गए करार मूल्य के कुछ भाग के भुगतान पर कोई भी मूल्य समायोजन देय नहीं होगा ।

******

भाग-V - अन्य विवरण

1. **वितरण**

(क) **भुगतान प्राधिकारी (पता)** - आपूर्ति आदेश के संबंध में भुगतान स्वीकार कि एक जाने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए निम्नलिखित विवरण दिए गए हैं-

i. इस आपूर्ति आदेश के लिए मुख्य लेखाधिकारी --------------------------------

मुख्य शीर्ष----------------लघु शीर्ष ---------------मुख्य कोर्ड -------------

ii. इस आपूर्ति आदेश के लिए सी एफ ए

iii. इस आपूर्ति आदेश के लिए लागू शक्तियों का सारणी

iv. यह सुनिश्चित है कि आई एफ ए की सहमति प्राप्त कर ली गई है ।

(ख) **आई एफ ए (पता) -** वह यू0ओ0 नं0 ------------, दिनांक --------------- के तहत आईएफए से प्राप्त सहमति के संदर्भ में है ।

(ग) **निरीक्षण प्राधिकारी (पता) -** कृपया निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा समय पर निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करें ।

(घ) **प्रेषित (पता)** - सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

(ङ) **संविदाकर्त्ता (पता)** - यदि लागू हो ।

(च) **प्रयोक्ता (पता) -** यदि लागू हो ।

2. **क्रेता तथा विक्रेता के वैधानिक पते**

विक्रेता	**क्रेता**
(पूरा नाम व पदनाम)	(पूरा नाम व पदनाम) भारत के राष्ट्रपति की ओर से व के लिए
पता, फोन नंबर, फैक्स तथा ई-मेल	पता, फोन नंबर, फैक्स तथा ई-मेल

परिशिष्ट - 'ङ'

करार तैयार करने के लिए क्रेता को छूट-निर्देश

1. भाग-। में प्रस्तावना सन्निहित है और यह जैसी है, वैसी ही दर्शाई जानी चाहिए ।

2. भाग-।। में करार की गई वस्तुओं का विवरण और उनकी तय की गई कीमतें शामिल हैं । आर एफ पी के भाग -V में करार मूल्य का खाका, विवरण की तालिका बनाने का आधार होना चाहिए । इस सूचना में आर एफ पी के भाग-।। में और क्रेता द्वारा तयशुदा, निम्नलिखित सूचना भी शामिल होनी चाहिए:-

   (क) संगत तकनीकी पैमाने ।

   (ख) क्रियात्मक विशेषताओं के संदर्भ में प्रयोक्ता की आवश्यकताएं ।

   (ग) विशिष्टियां/रेखांकन, यदि लागू हो ।

   (घ) प्रशिक्षण/कार्येत्तर प्रशिक्षण की आवश्यकताएं ।

   (ङ) कमीशनिंग, प्रतिस्थापन की आवश्यकताएं ।

   (च) एफ ए टी, एच ए टी व एस ए टी की आवश्यकताएं ।

   (छ) तकनीकी दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकताएं ।

   (ज) वारंटी के पूरा होने पर भावी सहायता का प्रकार ।

   (झ) उत्पादन का निकटतम स्वीकार्य वर्ष ।

   (ट) वितरण अवधि ।

   (ठ) वितरण और परिवहन के लिए संगत इन्कोटर्म ।

   (ड) प्रेषिती का विवरण ।

3. भाग-।।। में मानक शर्तें समाहित हैं जिनका स्वरुप वैधानिक हो सकता है । अत: न तो इन शर्तों के पाठ में कोई विचलन और न ही का कोई अंश हटाने की अनुमति होगी । बाचचीत के दौरान यदि विक्रेता द्वारा आग्रह किए जाने पर इन शर्तों में कुछ परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता महसूस हो तो इसके लिए रक्षा मंत्री का अनुमोदन लिया जाना होगा । पैरा 15 में निहित पूर्व-सत्यनिष्ठा की शर्त को केवल 100 करोड़ रुपए से अधिक के मामलों में जोड़ा जा सकता है ।

4. जैसा कि आ एफ पी के पैरा < में उल्लिखित है, पैरा IV में करार की विशेष परिस्थितियां शामिल हैं । हालांकि आर एफ पी में से बड़े परिवर्तन नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि इसके असफल बोलीदाताओं को एक समान अवसर देने से माना किया जा सकता है, फिर भी, विक्रेता द्वारा किसी विशिष्ट मामलें में मुनासिब होने पर इन शर्तों के शब्दों में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है ।

5. पैरा-V में पते की सूची और हस्ताक्षर की औपचारिकताएं सन्निहित हैं ।

करार का प्रपत्र

(करार पर हस्ताक्षर करने वाले क्रेता का विवरण)

करार का स्वरुप

भारत गणराज्य की सरकार और ----------(विक्रेता का नाम) के मध्य --------------------के लिए (सामान/सेवाओं का संक्षिप्त विवरण) करारनामा ।

करार संख्या -------------------------- दिनांक --------------------------

भाग-I

प्रस्तावना

1. यह करार -------------दिन (तारीख) को ---------माह ---------------(वर्ष) में, नई दिल्ली, भारत के राष्ट्रपति जो रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं/-------- जिन्हें इसके पश्चात एक ओर 'क्रेता' कहा जाएगा (जो शब्द जब तक संदर्भवश हटा न दिया जाए, कार्यालय में उसके उत्तराधिकारी को शामिल समझा जाएगा) और ---------(पते सहित कंपनी का नाम) -----------------द्वारा विधिवत् प्रतिनिधित्व करते हुए , और ----------देश का नाम के नियमों के अंतर्गत निगमित करते हुए जिसका पंजीकृत कार्यालय -------------(पंजीकृत कार्यालय का पता) है (जो शब्द, जब तक कि संदर्भवश स्पष्टत: हटा न लिया जाए, उसके उत्तराधिकारियों और परेषितियों को इसमें शामिल माना जाएगा), जिसे इसके पश्चात दूसरी ओर 'विक्रेता' कहा जाएगा ।

2. विक्रेता उन वस्तुओं/सेवाओं, प्रमात्रा, यूनिट मूल्य व कुल मूल्य, जो इस करार के भाग-II में निर्दिष्ट है, को क्रेता को बेचने व सुपत्रर्द करने और क्रेता उन्हें प्राप्त करने तथा इस करार में निबद्ध शर्तों के तहत उनका भुगतान करने की प्रतिज्ञा लेते हैं ।

3. यह करार पांच भागों में विभक्त है । जैसा कि इस करार के अन्य चार भागों में निर्दिष्ट है, क्रेता और विक्रेता निम्नलिखित पर सहमत है:-

    (क) भाग-II - क्रेता भाग-II में निर्दिष्ट मूल्यों पर वस्तुओं/सेवाओं को खरीदने व विक्रेता उन्हें बेचने पर सहमत हैं । इस भाग में आवश्यक अपेक्षित वस्तुओं/सेवाओं का आवश्यक विवरण यथा, तकनीकी विशिष्टियां, सुपुर्दगी की अवधि, सुपुर्दगी का स्थान व विक्रेता द्वारा स्वीकार्य प्रेषिती का विवरण, भी शामिल है ।

    (ख) भाग-III - क्रेता व विक्रेता भाग-III में निर्दिष्ट करार की मानक शर्तों का अनुपालन करने के लिए सहमत हैं ।

    (ग) भाग-IV - क्रेता व विक्रेता भाग-IV में निर्दिष्ट करार की विशिष्ट शर्तों का अनुपालन करने के लिए सहमत हैं ।

    (घ) भाग-V - इसमें अन्य पतों की सूची, अन्य संगत विवरण और इस करार के अंतर्गत मुद्रित औपचारिकताएं शामिल हैं ।

भाग-।। - करार के तहत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं का विवरण

1. **मूल्य अनुसूची** - कराद के तहत वस्तुओं/सेवाओं की सूची निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	वस्तुओं/सेवाओं का नाम	प्रमात्रा	यूनिट मूल्य	कुल मूल्य	टिप्पणियां
योग					

2. **तकनीकी विवरण -**

(क) करार की वस्तुओं की कार्यात्मक विशेषताएं

(ख) विशिष्टियां/रेखांकन, जैसे लागू हो ।

(ग) तकनीकी पैमानों सहित तकनीकी विवरण ।

(घ) प्रशिक्षण/कार्यस्थल पर प्रशिक्षण का विवरण ।

(ङ) प्रतिस्थापन/कमीशनिंग का विवरण ।

(च) फैक्टरी स्वीकार्यता परीक्षण (एफ ए टी), गोदी स्वीकार्यता परीक्षण (एच ए टी) तथा सामुद्रिक परीक्षण (एस ए टी) का विवरण ।

(छ) तकनीकी दस्तावेजों का विवरण ।

(ज) वारंटी के पूरा होने के पश्चात आवश्यक सहायता की प्रकृति ।

(झ) कार्य स्थल पूर्व/उपकरण परीक्षण का विवरण ।

(ट) कोई अन्य विवरण जो आवश्यक समझा जाए ।

3. **सुपुर्दगी की अवधि** - वस्तुओं की आपूर्ति की सुपुर्दगी की अवधि करार की प्रभावी तारीख से ---------- तक होगी । कृपया नोट किया जाए कि करार के तहत तयशुदा समयावधि के अंदर वस्तुओं की सुपुर्दगी न होने की दशा में क्रेता द्वारा करार निरस्त किया जा सकता है । करार के अंतर्गत तय किए गए सुपुर्दगी के समय को बढ़ाया जाना, एल डी शर्त के लागू होने पर, केवल क्रेता के निर्णय पर ही निर्भर होगा ।

4. **सुपुर्दगी और परिवहन के लिए इन्कोटर्म्स-('ई'/'एफ'/'सी'/'डी' शर्त)** - इस करार के सुपुर्दगी की समयावधि की परिभाषा ------ होगी ।

5. **प्रेषिति (विवरण)** - ____________

भाग-।।। संविदा की मानक शर्तें

1. **नियम -** संविदा भारत गणराज्य के नियमों के अध्यधीन तय किए व बनाए जाएंगे । ये संविदा भारत गणराज्य के नियमों के तहत संचालित व व्याख्यापित किए जाएंगे ।

2. **संविदा की प्रभावी तिथि** - संविदा विक्रेता द्वारा स्वीकार कर लिए जाने की तारीख से प्रभावी होंगे और पार्टियों द्वारा संविदों के लिए निश्चित वचनबद्धता के निर्वहन किए जाने तक वैध रहेंगे । वितरण और आपूर्ति तथा सेवाओं का निष्पादन संविदा की निर्धारित तारीख से प्रभावी होगा ।

3. **मध्यस्थता -** इस संविदा के संबंध में/के कारण उत्पन्न सभी प्रकार के विवाद एवं मदभेद आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाए जाएंगे । इस संविदा से/के संबंध में उत्पन्न कोई भी विवाद, असहमति अथवा प्रश्न, जो सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया न जा सके, उसे मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जाएगा । मध्यस्थता इस संविदा के भाग-।।। के फार्म डीपीएम-7 (राष्टीय व्यापार हेतु)/डीपीएम-8 (विदेश व्यापार हेतु)/डीपीएम-9 (सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों के लिए) के तहत होगी ।

4. **अनुचित प्रभाव का प्रयोग करने के लिए दंड -** विक्रेता वचन देगा कि उसने क्रेता के किसी भी कर्मचारी को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से में, कोई भी उपहार, पत्ररस्कार, पारिश्रमिक, कमीशन, फीस, दलाली अथवा प्रलोभन नहीं दिया है या/अन्यथा वर्तमान अथवा किसी अन्य संविदा को प्राप्त करने या उसे छोड़ने अथवा वर्तमान संविदा के पक्ष या विपक्ष में भारत सरकार के किसी कर्मचारी को, किसी अन्य संविदा अथवा वर्तमान संविदा को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का कोई कार्य किया है । विक्रेता द्वारा अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी द्वारा उपर्युक्त वचनबद्धता को भंग किए जाने पर (चाहे वह विक्रेता के संज्ञान में हो अथवा न हो) अथवा विक्रेता या उसके द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी या उसके स्थान पर कार्य कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रस्ताव की एवज में कमीशन दिए जाने की स्थिति में - जैसा कि भारतीय दंड संहिता, 1860 के अध्याय IX के भ्रष्टाचार उन्मूलन नियम, 1986 में परिभाषित है अथवा भ्रष्टाचार उन्मूलन के तहत परिभाषित है - क्रेता को संपूर्ण संविदा अथवा अन्य संविदाओं को निरस्त करने का अधिकारी देता है और उसे पत्र भी अधिकार देता है कि वह इस संविदा को निरस्त करने की स्थिति में हुए किसी भी नुकसान की भरपाई की मांग करे । क्रेता अथवा उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति द्वारा यह निर्णय कि वचनबद्धता भाग की गई है- अंतिम होगा और विक्रेता के लिए बाध्यकारी होगा । विक्रेता द्वारा क्रेता के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को रिश्वत देने/रिश्वत का प्रस्ताव करने, अथवा इस प्रकार का कोई भी प्रयास करने अथवा किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा उसके किसी अधिकारी/कर्मचारी को प्रभावित करने की स्थिति में अथवा इस संविदा के प्रति किसी प्रकार की तरफदारी प्रदर्शित करने की स्थिति में, विक्रेता द्वारा तय की गई किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई विक्रेता के लिए बाध्कारी/देय होगी जिसमें इस संविदा को निरस्त करने का हक भी शामिल है जिसके तहत आर्थिक दंड, बैंक गारंटी रद्द करना और विक्रेता द्वारा दिए गए धन को वापस लेना शामिल है ।

5. **एजेंट/एजेंट की दलाली** - विक्रेता क्रेता को पत्रष्टि करेगा तथा घोषित करेगा कि वह इस संविदा के सामान का वास्तविक उत्पादनकर्त्ता है/सेवाएं देने वाला है और उसके इसके लिए किसी व्यक्ति अथवा फर्म-चाहे वह भारतीय हो अथवा विदेशी - को भारत सरकार अथवा उसकी किसी अन्य संस्था को

सरकारी तौर पर अथवा गैर-सरकारी तौर पर सिफारिश के लिए इस आशय से मध्यस्थता के लिए नियुक्त नहीं किया है वह विक्रेता को संविदा प्राप्त करने में सहायता करे; न ही उसके द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति अथवा फर्म को किसी प्रकार की मध्यस्थता या सुविधा देने की सिफारित हेतु किसी प्रकार की राशि दी गई है, अथवा देने का वायदा किया गया है । विक्रेता सहमत होगा कि यदि क्रेता की ओर से कभी भी यह पाया जाता है कि वर्तमान संविदा सही नहीं है अथवा बाद में भी क्रेता को किसी समय यह पता चलता है कि विक्रेता ने किसी व्यक्ति/फर्म को नियुक्त किया है और उसे धन देने या धन देने का, वायदा किया है, उपहार, पत्ररस्कार, फीस, कमीशन दी है अथवा इस प्रकार के किसी व्यक्ति, पार्टी फर्म या संस्था को, इस आपूर्ति पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अथवा बाद में, नियुक्त किया है तो विक्रेता क्रेता को संपूर्ण राशि लौटाने के लिए बाध्य होगा । विक्रेता पर भारत सरकार के साथ इस प्रकार के संविदा प्राप्त करने हेतु कम से कम पाँच वर्ष तक की रोक भी लगा दी जाएगा । क्रेता को, इस संविदा को , पूर्ण रुप से अथवा आंशिक रुप से, विक्रेता को किसी प्रकार का अधिकारी अथवा मुआवजा देने हेतु, निरस्त करने का अधिकार होगा और विक्रेता इस संविदा के संदर्भ में क्रेता को 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष (LIBOR दर के अलावा) के ब्याज की दर से संपूर्ण राशि लौटाने के लिए बाध्य होगा । क्रेता भारत सरकार के साथ पूर्व में इस प्रकार किए गए किसी भी संविदा के संबंध में इस प्रकार की राशि वापस लेने का अधिकारी होगा ।

6. **बहीखाता सुलभ कराना** -यदि क्रेता द्वारा यह पाया जाता है कि एजेंट/एजेंसी कमीशन के तहत वर्णित नियमों के अंतर्गत विक्रेता ने किसी एजेंट को नियुक्त किया है अथवा अनधिकृत रुप से प्रभाव का इस्तेमाल किया है, कमीशन दी है अथवा किसी भी व्यक्ति को संविदा प्राप्त करने के लिए प्रभावित किया है तो विक्रेता, क्रेता के विशिष्ट अनुरोध पर उसे संबद्ध वित्तीय दस्तावेजों से संबंधित सभी प्रकार की आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएगा/उनकी जाँच करने देगा ।

7. **संविदा के दस्तावेज गुप्त रखना** - विक्रेता/क्रेता की लिखित सहमति न होने की स्थिति में कोई अन्य पक्ष, संविदा के किसी उपबंध, विशिष्टी, योजना, डिजाइन, अभिरचना, नमूने अथवा उससे संबंधित किसी भी जानकारी को उजागर नहीं करेगा ।

8. **क्षति पूर्ति करना** - विक्रेता संविदा के अंतर्गत विहित, नियमों के तहत यदि बांड को प्रस्तुत करने, गारंटी तथा दस्तावेज उपलब्ध कराने, भंडार/सामान और आचरण की जाँच करने, उपकरण प्रतिस्थपित करने और प्रशिक्षण प्रदान करने में असफल रहता है तो उस स्थिति में क्रेता, अपनी मर्जी के अनुसार, संविदा के पूरा होने तक कोई भी भुगतान रोक सकता है । जैसा कि तय हुआ है, क्रेता विक्रेता से विलंबित आपूर्ति आदेश जान न किए गए भंडार/सामान की 0.5% की राशि क्षतिपूर्ति के तौर पर काट सकता है जो कि प्रति सप्ताह/सप्ताह के आंशिक समय पर की जाएगी जो कि विलंबित सामान की कुल राशि की अधिकतम 10% तक होगी ।

9. **संविदा को समाप्त करना (निरस्त करना)** - क्रेता को यह संविदा निम्न स्थितियों में पूर्ण रुप से अथवा आंशिक रुप से समाप्त करने का अधिकार होगा:-

क. सामान की आपूर्ति, आपूर्ति की निर्धारित तारीख के बाद अज्ञात और आवश्यक कारणों से (------------माह के लिए देरी से की जाती है ।

ख. यदि विक्रेता दिवालिया घोषित कर दिया जाता है अथवा अभद्रता से पेश आता है ।

ग. यदि सामान की आपूर्ति जानबूझ कर (-----माह) से अधिक के लिए देरी से की जाती है।

घ. यदि क्रेता के संज्ञान मं यह आता है कि विक्रेता ने यह संविदा प्राप्त करने में भारतीय/विदेशी एजेंट की सेवाएं ली हैं और इस प्रकार के व्यक्ति/संस्था को कमीशन दिया है ।

ङ. विवाचन न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार ।

10. **नोटिस** - संविदा द्वारा मांगा गया अथवा अनुमत्य कोई भी नोटिस अंग्रेजी भाषा में लिखा जाएगा और व्यक्तिगत तौर पर अथवा फैक्स द्वारा अथवा रजिस्टर्ड डाक अथवा पूर्व देय डाक/एयरमेल द्वारा पार्टी के अंतिम पते पर भेजा जाएगा ।

11. **हस्तांतरण और भाड़े पर देना** - विक्रेता को संविदा को अथवा उसके किसी अंश को किसी को देने, मोलभाव करने, सौदा करने, बेचने और उसे समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा । साथ ही उसे किसी तीसरे पक्ष को इस संविदा का लाभ उठाने देने का भी कोई अधिकार नहीं होगा।

12. **एकाधिकार और अन्य औद्योगिक परिसंपत्ति अधिकार** - मौजूदा संविदा में विहित मूल्य में सभी प्रकार के एकाधिकार, कॉपीराइट, रजिस्टर्ड मूल्य, ट्रेडमार्क और अन्य औद्योगिक परिसंपत्ति के लिए दी जाने वाली कीमतें शामिल समझी जाएंगी । विक्रेता, क्रेता को तीसरे पक्ष द्वारा किसी भी समय, पूर्व पैराग्राफ में उल्लिखित अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर, किए जाने वाले दावों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करेगा, चाहे इस प्रकार के दावे निर्माण अथवा इस्तेमाल से संबद्ध हों । विक्रेता सप्लाई को पूरा करने के लिए, जिसमें हिस्से-पत्रर्जे, औजार, तकनीकी साहित्य और संपूर्ण प्रशिक्षण शामिल हैं, उत्तरदायी होगा - इस तथ्य के बावजूद कि आपूर्ति का उल्लंघन हुआ है और ऊपर उल्लिखित सभी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

13. **संशोधन -** मौजूदा संविदा का कोई उपबंध (इस उपबंध सहित) न तो बदला जाएगा और न ही उसमें कोई संशोधन किया जाएगा, चाहे वह आंशिक रुप में अथवा संपूर्ण हो बशर्ते कि दोनों पक्षों द्वारा संविदा के बाद लिखित रुप में इस प्रकार के आशय पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसमें मौजूदा संविदा में संशोधन का उल्लेख किया गया हो ।

14. **कर एवं शुल्क -**

(क) **विदेशी विक्रेता की स्थिति में -** सभी कर, शुल्क, उगाही एवं लागतें जिन्हें सामान की पूति किए जाने पर, जिसमें पहले दिए गए सैम्पल शामिल है- मौजूदा संविदा से संबद्ध पक्षों द्वारा अपने-अपने देशों में अदा किए जाएंगे

अथवा

(ख) <u>देशी विक्रेता की स्थिति में</u> -

(i) **<u>सामान्य</u>** -

1. अगर बोलीदाता अलग से उत्पादन शुल्क अथवा सेल्स टैक्स/वैट के लिए अपनी इच्छा जाहिर करता है तो उसे अवश्य ही अलग से दर्शाया जाना चाहिए । ऐसा न किए जाने पर यह समझा जाएगा कि कीमतों में सब कुछ शामिल है और तब इसके लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

2. यदि किसी भी शुल्क/टैक्स कि राशि की प्रतिपूर्ति, दर्शाई गई कीमतों के ऊपर अतिरिक्त समझी जाती है तो बोलीदाता द्वारा इसे विशेष रुप से बताना होगा । ऐसा न किए जाने पर यह माना जाएगी कि दर्शाई कीमतें सुनिश्चित एवं अंतिम हैं और इस प्रकार के शुल्क/टैक्स का कोई दावा, निविदा खुलने के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

3. अगर कोई बोलीदाता शुल्क/टैक्स सहित मूल्य दर्शाना चाहता है और इस प्रकार के शुल्क/टैक्स को अंतिम रुप से सुनिश्चित नहीं करता है तो उसे स्पष्ट रुप से इस प्रकार के शुल्क/टैक्स की दर तथा उस शुल्क/टैक्स की प्रमात्रा दर्शानी चाहिए । ऐसा न किए जाने पर संक्षेप में प्रस्ताव के संबंध मे अज्ञान माना जाएगा।

4. यदि किसी बोलीदाता को आपूर्ति की किसी मात्रा पर शुल्क/टैक्स से छूट दी जानी है तो उसे स्पष्ट रुप से बताना होगा कि उसे आपूर्ति के मूल्य की जिस मात्रा से छूट मिली है, उस पर कोई शुल्क/टैक्स नहीं लगाया गया है । यदि मूल्य/प्रमात्रा के शुल्क/टैक्स पर कोई रियायत दी गई तो उसे स्पष्ट रुप से बताया जाना होगा । इस प्रकार का अनुबंध, कि लगाया जाने वाला शुल्क/टैक्स फिलहाल लागू नहीं है परंतु यदि बाद में लगाया जाना आवश्यक हो सकता है, तब तक स्वीकार्य नहीं होगा जब तक बोलीदाता द्वारा स्पष्ट रुप से उल्लेख नहीं कर दिया जाता कि इस प्रकार का कोई शुल्क/टैक्स नहीं लिया जाएगा - चाहे बाद में वह लगा भी दिया जाए । बोलीदाता के संदर्भ में, जो इस शर्त को मानने में असफल रहते हैं - उनके द्वारा उल्लिखित कीमतों में इस प्रकार का शुल्क/टैक्स, दूसरे बोलीदाताओं द्वारा उल्लिखित सामान की कीमतों के साथ तुलना करते समय, जोड़ दिया जाएगा ।

5. संविदा की शर्तों के तहत उत्पाद शुल्क के नियमों के अनुसार किसी भी शुल्क/टैक्स में किसी प्रकार का ऊर्ध्वगामी/अधोगामी परिवर्तन होने पर, आपूर्तिकर्त्ता द्वारा दिए जाने वाले शुल्क/टैक्स की वास्तविक प्रमात्रा की अनुमति दी जाएगी । इसी प्रकार, किसी शुल्क/टैक्स में अधोगामी संशोधन की स्थिति में, इस प्रकार के शुल्क/टैक्स की वास्तविक प्रमात्रा की प्रतिपूर्ति विक्रेता द्वारा क्रेता को की जाएगी । इस प्रकार के सभी समायोजनों में विक्रेता द्वारा ली जाने वाली सभी प्रकार की राहतें, छूट, कटौतियां, रियायतें शामिल हैं ।

(ii) **सीमा-शुल्क (अथवा कस्टम ड्यूटी)**

1) विदेशी सामान के लिए, अग्रिम वितरण के लिए बोलीदाता सीमा-शुल्क की राशि को दर्शाई गई कीमतों के अलावा दर्शाएगा । बोलीदाता देय कुल सीमा शुल्क की राशि और सी.आई.एफ. के मूल्य का विशेष रुप से अलग उल्लेख करेगा । वे भारतीय सीमा शुल्क संख्या सहित लागू सीमा शुल्क की राशि को भी सही-सही दर्शाएंगे । सीमा-शुल्क की वास्तविक अदा गई राशि की आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी जैसे कि (i) प्रवेश पत्र की तीन प्रतियां; (ii) लदान के बिल की प्रति; (ii) विदेशी नियमावली की प्रति । तथापि, यदि बोलीदाता अपने स्वयं के वाणिज्यिक आयात लाइसेंस के अंतर्गत आपूर्ति सामान का आयात करता है तो उसे अतिरिक्त रुप से प्रवेश बिल की तीन प्रतियाँ, आंतरिक लेखा-परीक्षक से बिल का प्रमाण पत्र, आदि इस आशय के साथ निम्नलिखित वस्तुओं/प्रवेश बिल की आयात सामान की मात्रा के साथ प्रस्तुत करनी होंगी:-

रक्षा क्रेता सप्लाई आदेश संख्या---------

दिनांक----------

2) सीमा शुल्क की बाद में प्रतिपूर्ति होने पर, बोलीदाता भुगतान अधिकरण के समक्ष इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसने सीमा शुल्क की राशि का भुगतान, कस्टम अथॉरिटी से प्राप्त नहीं किया है । साथ ही, उसे भुगतान अधिकरण को सीमा शुल्क के भुगतान की तारीख के तत्काल बाद, तीन माह के पश्चात कस्टम अथॉरिटी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने कस्टम ड्यूटी अधिकरण को कस्टम ड्यूटी के भुगतान के पश्चात, कस्टम ड्यूटी की राशि वालिस लेने हेतु आवेदन नहीं किया है ।

3) यदि बोलीदाता द्वारा सीमा-शुल्क अधिकरण को अदा की गई कस्टम ड्यूटी के पश्चात, सीमा शुल्क राशि वापस लेने हेतु आवेदन करता है और सीमा-शुल्क अधिकरण उसे उस रशि की प्रतिपूर्ति करता है तो बोलीदाता प्रतिपूर्ति राशि की जानकारी उपलब्ध कराएगा जो कि पूरी क्रेता के खाते में जाएगी ।

(iii) **उत्पाद शुल्क**

1) जहां उत्पाद शुल्क यथा मूल्य पर देय है, बोलीदाता को चाहिए कि वह निविदा के साथ संगत प्रपत्र और उत्पाद शुल्क अधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित शुल्क के अनुसार कर-योग्य सामान की कीमत दर्शाते हुए निर्माता-मूल्य-सूची प्रस्तुत करे ।

2) बोलीदाताओं को ध्यान रखना चाहिए कि यदि उन्हें आपूर्ति-आदेश के अंतर्गत सप्लाई किए गए सामान पर उत्पाद कर अधिकरण द्वारा लगाए गए उत्पाद शुल्क की राशि लौटाई जाती है तो वे वह राशि इस प्रमाण पत्र के साथ कि वह राशि उत्पाद शुल्क से संबंधित है और जो मूल रुप में संविदा के तहत जारी किए गए सामान पर लगाई गई है, तत्काल क्रेता के खाते में डालेंगे । उनके द्वारा ऐसा न किए जाने की स्थिति में, उत्पाद शुल्क अधिकरण द्वारा जारी किए गए उत्पाद शुल्क लौटाए जाने के आदेश जारी होने के 10 दिन के भीतर, क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह लौटाए गए उत्पाद शुल्क की राशि के बराबर राशि, उन्हें बताए बिना अथवा कोई अन्य सरकारी देय संविदा के बिलों से काट ले और उनके द्वारा इस संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया जाएगा ।

3) विक्रेता से भुगतान अधिकरण को निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की भी अपेक्षा की जाती है:-

(क) प्रत्येक बिल के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र कि क्लेम को कवर करने की तारीख से तीन माह के भीतर कि उत्पाद शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति के संदर्भ में कोई भी धनराशि विक्रेता द्वारा वापस नहीं ली गई है ।

ख) यह प्रमाण पत्र कि, वित्त वर्ष से पूर्व उनके खाते के वार्षिक लेखापरीक्षा के समय इस प्रकार की धनराशि की वापसी का विवरण देते हुए, उनके द्वारा उत्पाद शुल्क की कोई राशि वापस नहीं ली गई है अथवा वापस लेने हेतु अनुरोध किया गया है ।

ग) विक्रेता के अंतिम भुगतान बिल के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र कि उसके द्वारा सरकार के उत्पाद-शुल्क अधिकरण द्वारा पहले से ही प्रतिपूर्ति की गई उत्पाद शुल्क की धनराशि के विरुद्ध उत्पाद शुल्क की राशि, पूरी अथवा आंशिक वापस लेने हेतु कोई अनुरोध/विरोध-पत्र लंबित पड़ा है अथवा नहीं ।

घ) इस आशय का प्रमाण पत्र कि यदि सरकार द्वारा यह पता लगा लिया जाता हे कि यदि विक्रेता द्वारा भुगतान अधिकरण से उत्पाद शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति लेने के उपर्युक्त उत्पाद शुल्क की कोई राशि उत्पाद अधिकरण से वापस ली गई है और वह राशि यदि विक्रेता द्वारा लेन-देन का सही ब्यौरा और विवरण देते हुए भुगतान अधिकरण को तत्काल नहीं लौटा दी गई है तो भुगतान अधिकरण को हक होगा कि वह विक्रेता के संविदा अथवा सरकार के साथ लंबित पड़े अन्य संविदों के बकाया पड़े बिलों में से वह राशि वसूल कर ले । इस संबंध में विक्रेता की ओर से कोई विवाद नहीं उठाया जाएगा ।

4) अन्यथा, जब तक संविदा के संदर्भ में विशिष्ट रुप से सहमति नहीं हो जाती कच्चे माल के उत्पाद शुल्क में वृद्धि तथा/संविदा को पूरा करने में प्रत्यक्ष रुप से

प्रयुक्त मशीनरी की उत्पाद शुल्क की राशि में दंडस्वरुप हुई वृद्धि को वापस नहीं ले सकेगा - जो कि संविदा के लंबित होने पर बढ़ाई जाती है ।

(iv) **बिक्री कर/वैट**

1. यदि बोलीदाता द्वारा बिक्री कर/वैट के अतिरिक्त भुगतान के लिए इच्छा व्यक्त की जाती है तो उसका विशेष रुप से अवश्य उल्लेख किया जाए । बोली में इस प्रकार की किसी शर्त के न होने पर यह मान लिया जाएगा कि बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्यों में बिक्री कर शामिल है और क्रेता द्वारा यह कर देने का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

2. अतिरिक्त बिक्री कर दर्शाती हुई बोलियों पर, बिक्री कर की दर तथा स्वरुप को, सप्लाई देते समय अलग से दर्शाया जाना चाहिए । विक्रेता को बिक्री कर उस दर पर अदा किया जाएगा जो मूल्यांकन योग्य होगी अथवा जिसका मूल्यांकन कर लिया गया है - जब तक कि बिक्री का लेन-देन कानूनी रुप से बिक्री कर के योग्य हो और संविदा की शर्तों के अंतर्गत देय हो ।

(v) **चुंगी ड्यूटी और स्थानीय कर**

1. सामान्यत: सरकारी विभागों को, सरकारी संविदाों के तहत सप्लाई किए जाने वाले सामान पर नगर-कर, चुंगी कर, सीमा कर तथा स्थानीय निकायों द्वारा लिए जाने वाले कर से छूट होती है । तथापि, कई बार स्थानीय नगर/नगर निगम के विभाग अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थानीय करों से संबंधित छूट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही ऐसी छूट प्रदान करते हैं । विक्रेता को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस कार्यालय द्वारा आदेशित संविदा से संबंधित सामान को नगर कर/चुंगी कर, सीमा कर तथा अन्य स्थानीय करों से छूट प्राप्त हो । जहां भी आवश्यक हो, उन्हें क्रेता से, इस प्रकार के टैक्सों से बचने के लिए, छूट-प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए।

2. ऐसी स्थिति में, जब नगर निगम अथवा अन्य स्थानीय निकाय चुंगी अथवा कर वसूल करने के लिए बाध्य करते हैं तो वह विक्रेता द्वारा, सामान की सप्लाई में देरी से बचने अथवा विलंब शुल्क से बचने के लिए, अदा कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार अदा की गई राशि की रसीद क्रेता को बिना किसी विलंब के दे दी जानी चाहिए, जिसके साथ संबंधित नगर-निगम/स्थानीय निकाय द्वारा जारी उप नियमों/अधिसूचना की प्रति संलग्न की गई हो ताकि क्रेता संबंधित कार्यालय से नियमों/अधिनियमों के तहत वह राशि वापस प्राप्त करने योग्य हो सके ।

15. सत्यनिष्ठा-पूर्व अनुबंध की शर्त - विक्रेता और क्रेता के मध्य सत्यनिष्ठा पूर्व अनुबंध, फार्म डीपीएम-10, जो कि संविदा भाग-III के साथ संलग्न है, के तहत पूरा किया जाता है ।

भाग-IV - करार की विशिष्ट शर्तें

1. **निष्पादन गारंटी -**

(क) **भारतीय विक्रेता की स्थिति में -** बोलीदाता को, सार्वजनिक क्षेत्र के अथवा निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा (आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड या एच0डी0एफ0सी0 बैंक लिमिटेड), जो सरकारी व्यापार करने के लिए प्राधिकृत हो, करार राशि की 10 प्रतिशत राशि के बराबर की राशि, करार के हस्ताक्षरित होने के 30 दिन के अंदर निष्पादन गारंटी देनी होगी । यह निष्पादन बैंक गारंटी वारंटी की गारंटी के 60 दिन के बाद तक वैध होगी । निष्पादन बैंक गारंटी का नमूना इस करार के भाग - IV के साथ संलग्न फार्म डीपीएम-15 में दिया गया है ।

अथवा

(ख) **विदेशी विक्रेता की स्थिति में** - विक्रेता को उसके किसी अंतराष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त प्रथम श्रेणी के बैंक की जिसे सरकारी व्यापार के लिए प्राधिकृत किसी सार्वजनिक क्षेत्र के अथवा निजी क्षेत्र के बैंक ने सत्यापित किया हो (आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड अथवा एच0डी0एफ0सी0 बैंक लिमिटेड) की इस करार की कुल राशि की 10 (5 प्रतिशत) की राशि जो कि डालर ---(अमरीकी डॉलर) (शब्दों में -----------) की निष्पादन गारंटी देनी होगी । निष्पादन बैंक गारंटी वारंटी की तारीख के 60 दिन बाद तक वैध होनी चाहिए। निष्पादन बैंक गारंटी, क्रेता के बैंक की स्वीकृति के पश्चात मान्य समझी जाएगी। किसी दावे अथवा करार की वचनबद्धता के बकाया होने पर, क्रेता के चाहे जाने पर विक्रेता इस निष्पादन बैंक गारंटी को तब तक आगे बढ़ा देगा जब तक कि विक्रेता सभी दावे सुलझा नहीं लेता और करार की सभी वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता । निष्पादन बैंक गारंटी क्रेता द्वारा नगद भुगतान पर निर्भर होगी, जब तक कि विक्रेता द्वारा समय पर वितरण दावों का निपटान और करार की अन्य शर्तें पूरा नहीं कर ली जातीं । निष्पादन बैंक गारंटी इस करार के भाग-IV कें साथ संलग्न फार्म डीपीएम-15 के साथ संलग्न है ।

2. **विकल्प शर्त -** इस करार के तहत चयन का भी विधान है जिसमें क्रेता मौजूदा करार की ही शर्तों के अंतर्गत, मूल करार की मात्रा की 50% अधिगृहीत करने का चुनाव कर सकता है । यह विधान करार की अवधि के भीतर ही लागू होगा । यह चुनाव का विधान पूर्ण रुप से क्रेता की इच्छा पर निर्भर होगा ।

3. **पुनरादेश का शर्त -** इस करार में पुनरादेश की धारा भी समाहित है जिसके अंतर्गत क्रेता इस करार के सफलतापूर्वक पूरा होने के छ: माह के भीतर वस्तुओं की कुल मात्रा का 50% तक आदेश कर सकता है बशर्ते कि कीमत और शर्तें वहीं हों । यह क्रेता की इच्छा पर निर्भर है कि वह पुनरादेश करता है अथवा नहीं ।

4. **सहिष्णुता की शर्त** - आर एफ पी की अवधि प्रारंभ होने से लेकर करार के प्रतिस्थापित होने तक की अवधि में मांग में हुए किसी परिवर्तन का ध्यान रखने के लिए क्रेता को विक्रेता द्वारा तय की गई शर्तों व कीमतों में परिवर्तन किए बिना, मांग की गई वस्तुओं की मात्रा में ------प्रतिशत अधिक/कम वृद्धि अथवा

कमी करने का अधिकार होगा । इस करार को प्रदान करते हुए, मांग की गई मात्रा में क्रेता द्वारा सहिष्णुता की सीमा के भीतर वृद्धि की गई है अथवा कमी की गई है ।

5. **भारतीय विक्रेताओं के लिए भुगतान की शर्ते -** आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों पर भुगतान किया जाएगा:-

(क) निरीक्षण नोट, माल भेजने के प्रमाण जिसे प्रेषिती की अनंतिम रसीद और बैंक गारंटी की फोटो प्रति द्वारा पत्रष्ट किया गया हो - के बाद भुगतान की राशि का 95 प्रतिशत ।

अथवा

(ख) माल भेजने ओर प्रयोक्ता द्वारा उसे स्वीकार कर लिए जाने पर 100% भुगतान ।

अथवा

(ग) चरणबद्ध भुगतान (मामले की जटिलता के आधार पर तय किए अनुसार) ।

अथवा

(घ) ए एस सी कद्वारों के संदर्भ में, प्रयोक्ता द्वारा क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर त्रैमासिक भुगतान ।

6. **विदेशी विक्रेताओं के लिए भुगतान की शर्तें -**

(क) भुगतान की व्यवस्था, भारतीय रिजर्व बैंक/स्टेट बैंक आफ इंडिया/किसी भी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा, जो कि क्रेता द्वारा तय किया गया हो, विक्रेता के विदेशी बैंक को क्रेडिट पत्र दिए जाने पर, की जाएगी । विक्रेता एक सुनिश्चित अवधि के भीतर माल के तैयार होने की अधिसूचना देगा । क्रेता द्वारा, फर्म की ओर से अधिसूचना के प्राप्त होने पर ------- दिन के अंदर क्रेडिट पत्र खोला जाएगा । क्रेडिट पत्र, विक्रेता और क्रेता की आपसी सहमति होने पर बढ़ाए जाने के आधार पर, उसके खोले जाने की ----- दिन की अवधि तक वैध होगा ।

अथवा

(ख) यदि करार का मूल्य एक लाख अमरीकी डालर तक है तो भुगतान सीधे बैंक अंतरण द्वारा किया जाएगा । सीधे बैंक अंतरण द्वारा भुगतान, लदान की सुस्पष्ट रसीद/ए डब्ल्यू पी/माल भेले जाने के प्रमाण एवं इसी प्रकार के दस्तावेज - जैसा कि करार के लिए/में उपलब्ध कराए गए हों- प्राप्त होने की 30 दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा - परंतु इस प्रकार के भुगतान, उस राशि की कटौती पर आधारित होगा जो कि करार की शर्तों के तहत विक्रेता की ओर देय होगी ।

अथवा

(ग) चरणबद्ध भुगतान (मामले की जटिलता के आधार पर तय किए अनुसार) ।

अथवा

(घ) ए एस सी कद्दारों के संदर्भ में, प्रयोक्ता द्वारा क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर त्रैमासिक भुगतान ।

7. **अग्रिम भुगतान** - कोई भी अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा/किए जाएंगे ।

अथवा

(क) समुचित बैंक गारंटी अथवा किसी भी अधिकृत गारंटी के तहत - जैसा भी क्रेता द्वारा मान्य हो , 15 प्रतिशत तक अग्रिम भुगतान किया जाएगा । निष्पादन बैंक गारंटी का नमूना इस करार के भाग-IV के फार्म डीपीएम-16 में संलग्न है ।

8. **अधिकृत भुगतानकर्त्ता -**

(क) **भारतीय विक्रेता -** (नाम व पता, संपर्क विवरण) - अधिकृत भुगतानकर्त्ता को बिलों का भुगतान विक्रेता द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर किया जाएगा:-

i. अवलंबित बिल/विक्रेता के बिल की स्याही से हस्ताक्षरित प्रति ।

ii. वाणिज्यिक बीजक/विक्रेता के बिल की स्याही से हस्ताक्षरित प्रति।

iii. यू0ओ0 नंबर और आई0एफ0ए0 की स्वीकृति सहित करार की प्रति - जहां भी शक्तियों के बंटवारे के अंतर्गत आवश्यक हो ।

iv. दो प्रतियों में सी0आर0वी0 ।

v. निरीक्षण नोट ।

vi. समुचित दस्तावेजों/भुगतान के प्रमाण यथा, सीमा शुल्क चालान, कस्टम ड्यूटी का बेबाकी प्रमाण पत्र, चुंगी-कर की रसीद लाभकर्त्ताओं की नामांकन सूची सहित ईफीएफ/ईएसआईसी योगदान के भुगतान का प्रमाण, आदि - जैसा भी लागू हो - के साथ सांविधिक तथा अन्य उगाहियों के दावे ।

vii. उत्पाद शुल्क /कस्टम शुल्क से छूट का प्रमाण पत्र - जो भी लागू हो ।

viii. अग्रिम राशि की बैंक गारंटी - यदि कोई हो ।

ix. गारंटी/वारंटी प्रमाण पत्र ।

x. निष्पादन बैंक गारंटी/क्षतिपूर्ति बॉड - जहां भी लागू हो ।

xi. यह दर्शाते हुए कि क्या शक्तियों का बंटवारा एल डी सहित है अथवा अतिरिक्त, सी एफ ए की स्वीकृति सहित, डीपी विस्तारण पत्र, यूओ नंबर एवं आई एफ ए की स्वीकृति ।

xii. इलेक्ट्रानिक भुगतान का विवरण यथा, खातेदार का नाम, बैंक का नाम, शाखा का नाम व पता, खाते का प्रकार, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर को (यदि ये विवरण करार में समायोजित नहीं किए गए हों) ।

xiii. कोई भी अन्य दस्तावेज/प्रमाण पत्र, जो कि करार हेतु उपलब्ध कराया जा सके ।

xiv. प्रयोक्ता की स्वीकृति ।

xv. निष्पादन बैंक गारंटी की फोटो प्रति ।

(नोट - उपर्युक्त सूची में से जो आवश्यक दस्तावेज अधिग्रहण की विशिष्टताओं पर आधारित हो, आरएफपी में समाहित किए जा सकते हैं)

(ख) **विदेशी विक्रेता -** (नाम, पता, संपर्क विवरण) -विक्रेता द्वारा, करार की शर्तों के अनुसार, माल भेजे जाने के प्रमाण के तौर पर बैंक को भुगतान किए गए शिपिंग दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने हैं ताकि विक्रेता एलसी से भुगतान ले सके । बैंक ये दस्तावेज, वस्तुओं/सामान को बंदरगाह/विमान पत्तन से छुड़वाए जाने हेतु, क्रेता को अग्रेषित कर देगा । दस्तावेजों में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

i. पास किया गया बोर्ड एयर वे बिल/लदान का बिल

ii. मूल बीजक ।

iii. पैकिंग सूची ।

iv. विक्रेता के चेंबर आफ कामर्स का उदगम प्रमाण पत्र, यदि कोई हो ।

v. ओईएम से गुणवत्ता और मौजूदा निमंत्रण का प्रमाण पत्र ।

vi. जोखिम पूर्ण माल का प्रमाण पत्र, यदि कोई हो ।

vii. 110 प्रतिशत की बीमा पॉलिसी यदि सीआईएफ/सीआईपी करार करे ।

viii. पीडीआई पर संपूर्णता और स्वीकृति का प्रमाण पत्र, यदि कोई हो ।

ix. चिकित्सीय स्वच्छता/प्रधूमन प्रमाण पत्र, यदि कोई हो ।

x. प्रदर्शन बॉंड/वारंटी प्रमाण पत्र ।

9. **मूल्य ह्रास की शर्त**

(क) ठेकेदार द्वारा करार के अंतर्गत आपूर्ति किए गए सामान का मूल्य किसी भी स्थिति में सबसे कम उन मूल्यों से अधिक नहीं होगा जिन्हें ठेकेदार किसी व्यक्ति/संस्था को एक ऐसे विवरण के साथ बेचता है अथवा बेचने का प्रस्ताव करता है जिसमें खरीदार या भारत सरकार का कोई भी विभाग अथवा राज्य सरकार का कोई भी विभाग, अथवा केंद्र या राज्य सरकार का कोई भी सांविधिक उपक्रम, जैसा भी मामला हो, सभी आपूर्ति आदेशों के अवधि के दौरान कार्य निष्पादन तक, जब तक कि मौजूदा मूल्य-दर पर करार पूरा नहीं हो जाता - शामिल है ।

(ख) यदि किसी भी समय पर, समयावधि के भीतर ठेकेदार सामान को किसी व्यक्ति/संस्था, जिसमें खरीदार अथवा भारत सरकार का कोई भी विभाग, राज्य सरकार का कोई भी विभाग अथवा केंद्र या राज्य सरकार के सांविधिक उपक्रम - जैसा भी मामला हो - करार के तहत ली जाने वाली कीमत से कम कीमत पर बेचता है या बेचने का प्रस्ताव करता है तो वह इस कम मूल्यह्रास पर बेचने/बेचने के प्रस्ताव को महानिदेशक, आपूर्ति और निपटान के समक्ष अधिसूचित करेगा और इस प्रकारसे विक्रय के मूल्य ह्रास के तहत भुगतान की जाने वाली राशि - विक्रय के पस्ताव के तहत उसकी के अनुरुप कमी हई मानी जाएगी । तथापि, उपयुक्त विशिष्टी, इन पर लागू नहीं होगी:-

i. ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले निर्यात ।

ii. सामान्य प्रतिस्थापन के तहत ली जाने वाली कीमतों से कम कीमत पर, मूलभूत उपस्कर के तौर पर सामान को बेचना ।

iii. औषधि और दवा के कद्वारों के अंतर्गत, जिसमें की दवाईयों की समयावधि की समाप्ति होती है - आर/सी धारक मूल्यह्रास धारा के तहत इसकी कीमतें कम नहीं कर सकता ।

iv. संबद्ध प्राधिकरण द्वारा मौजूदा अथवा पूर्व के करार मूल्य पर सामान को विक्रय/सामान के आदेश के स्थापन के पूरा होने पर अथवा बाद में सामान को कम मूल्य पर बेचना और साथ ही पूर्व के किसी भी करार के तहत भारत सरकार या राज्य सरकार के विभागों, जिसमें उनके उपक्रम, जिनमें संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां और/या निजी पार्टियां और निकाय शामिल नहीं है, सामान को कम मूल्य पर बेचना ।

(ग) विक्रेता भुगतान प्राधिकरण को करार - मूल्य के तहत की गई आपूर्ति के लिए प्रत्येक भुगतान बिल के साथ यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा - "हम प्रमाणित करते हैं कि इस करार के अंतर्गत सरकार को आपूर्ति किए गए सामान की ही तरह, वर्णित सामान की मूल्य सूची में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है और इस प्रकार के सामान किसी व्यक्ति/संस्था, जिसमें भारत सरकार का कोई भी विभाग अथवा राज्य सरकार का कोई भी विभाग अथवा केंद्र या राज्य सरकारों का कोई भी सांविधिक उपक्रम खरीदार के रुप में शामिल है । जैसा भी मामला हो, को नहीं प्रस्तुत किए गए हैं/बेचे गए हैं जो कि बिल की तारीख तक/सामान की आपूर्ति, मौजूदा करार-मूल्य के अंतर्गत पूरा होने तक, सरकार से करार के अंतर्गत प्राप्त किए गए मूल्य से कम मूल्य पर, सामान की मात्रा की, उप-धारा (क), (ख) और (ग) के उप-पैरा (ii) के अंतर्गत श्रेणियों जो कि नीचे दी गई है ----"

10. **विनिमय मूल्य-परिवर्तन शर्त**

(क) विदेशी सामान को अधिगृहीत करने और उनकी एफई मूल्यों पर करार के लिए धारित कीमतों की विस्तृत समय-सारणी विक्रेता द्वारा निम्नलिखित रुप से प्रस्तुत की जानी है:-

आयात विषय-वस्तु का वर्षवार एवं मुख्य मुद्रा-वार विवरण

वर्ष	सामान का कुल मूल्य	एफ ई विषय वस्तु निकासी (करोड़ रुपए के बराबर)		
		नामांकित डालर	नामंकित यूरो मुद्रा	नामांकित अन्य मुद्रा

(ख) ई.आर.वी., करार के लिए अपनाई गई विनिमय दर के मूल्यांकन के अंतर्गत व विनिमय दर के परिवर्तन पर निर्भर होने पर देय/प्रतिदेय होगी / करार क एफ. ई. विषय-वस्तु का मूल्यांकन करते समय प्रत्येक प्रमुख मुद्रा की आधारित विनिमय -दर ,स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बी.सी.विक्रय मूल्य-दर होगी जो बोली का मूल्य खुलने की तारीख को होगी ।

(ग) ई.आर.वी. की आधारभूत तारीख करार की तारीख होगी और इस आधारभूत तारीख में परिवर्तन निर्माण के मध्य तक प्रदान किया जाएगा जब तक कि विक्रेता द्वारा सामान का निर्यात करने की समय सारणी नही दर्शाता । ऊपर दी गई सूचना के आधार पर आयातित सामान के वितरण की सारणी की अंतिम तारीख/तारीखें ई. आर.वी पर स्वीकार्य होने हेतु तय की जाएंगी।

(घ) ई. आर.वी. धारा तक लागू नहीं होगी जब आयातित सामान की वितरण-अवधि तदनन्तर पत्रनर्नियोजित /बढाई जाती है ।

(ड.) अधिसूचित निनिमय दर निकासी से संगठित किया जाएगा जैसा कि विक्रेता द्वारा उनकी निविदा में दर्शाया गया होगा और वित्तीय वर्ष के अंत में देय/ प्रतिदेय होगा जो कि क्रेता द्वारा प्रमाणित होगा ।

11. **<u>जोखिम और व्यय शर्त</u>** :-

(क) यदि सामान या उसके किसी भी प्रतिस्थापन को करार दस्तावेजों में निर्धारित समयावधि के अंदर नही वितरित किया जाता या खराब सामान या उसके प्रतिस्थापन का वितरण किया जाता है तो क्रेता विश्वस्नीयता भंग करने की दुरुस्ती हेतु, विक्रेता को 45 दिन का समय देने के उपरांत बिना किसी पूर्वाग्रह के , हो गए नुकसान की भरपाई करने हेतु जो कि विश्वसनीयता भंग करने को दुरुस्त करने के लिए है, करार को या तो पूरा या फिर इस नुकसान तक निरस्त हुआ घोषित कर सकता है ।

(ख) यदि सामान या उसका कोई भी प्रतिस्थापन विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराई गई विशिष्टियों/मानदण्डों के अनुसार निरीक्षण परीक्षण के दौरान क्रेता के देश में कार्य- निष्पादन नही करता है तो क्रेता इसके लिए करार की शर्तें भंग किए जाने के पूर्वाग्रह के बिना,स्वतंत्र होगा कि वह करार को पूरे तौर पर या हुए नुकसान की सीमा तक निरस्त कर दें ।

(ग) खराब सामान को 45 दिन के भीतर ठीक न किए जाने की स्थिति में विक्रेता को पहली अस्वीकृति सूचित करने पर किसी अन्य स्रोत से,जैसा भी वह उचित समझे,सामान खरीदने, तैयार करने अथवा अधीगृहीत करने के लिए उसी विवरण के अनुसार,स्वतंत्र होगा :-

i) ऐसी हो भूल चूक

ii) आपूर्ति आदेश को पूरी तरह से पत्रनर्विचरित करने की स्थिति में बकाया पडा वितरित किया जाने वाला सामान ।

(घ) किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से खरीदे गए माल या अधिगृहीत किए गए सामान,जैसी भी स्थिति हो , के मूल्य में अभिवृद्धि होने पर, जो कि करार के मूल्य से अगर हो जो कि इस प्रकार की भूल-चूक के अनुसार हो- विक्रेता से वसूल की जाएगी। इस प्रकार की वसूली करार के मूल्य के ---- प्रतिशत से अधिक नही होगी ।

12. **पुनर्क्रय-प्रस्ताव** - क्रेता पत्रराने सामान को लौटा देगा और स्वीकृत कीमतें विक्रेता को किए जाने वाले अंतिम भुगतान के समय समायोजित की जाएंगी । विक्रेता की यह जिम्मेदारी होगी कि यह करार हस्ताक्षरित होने के 15 दिन के भीतर यह पत्रराना सामान क्रेता के परिसर से हटा ले । यह सारी व्यवस्था करने और पत्रराने सामान को हटाने हेतु परिवहन आदि का खर्च विक्रेता द्वारा वहन किया जाएगा ।

13. **दैवीय आपदा -** दैवीय आपदा जैसी कोई परिस्थिति आने पर, करार करने वाले दोनो पक्षो को ठेके की जिम्मेदारी पूरी न करने अथवा देर से पूरी करने के लिए माफ किया जा सकता है, यदि प्रभावित पक्ष इस परिस्थिति के पैदा होने के --------------दिन के भीतर अन्य पक्ष को इसकी सूचना लिखित रुप में देता है तो इस परिस्थितिवश करार की किसी शर्त को पूरा न किए जाहने अथवा पूरा करने में विलम्ब होने से उस पक्ष को छूट प्रदान की जाएगा । दैवीय आपदा से अभिप्राय आग लगने, बाढ़ ,प्राकृतिक विनाश ओर अन्य आपदाओं से है जिनसे बचाव नही हो सकता और जिनका पूर्वानमान लग सके तथा पहले ही पता चल जाए तथा उसके बावजूद कार्य-निष्पादन न हो सके । अथवा इसमें देरी हो जाए - ऐसे कि युद्ध, दंगा, तोड़फोड़, धमाका आदि तथा चालीस दिन की अवधि की सीमा का किसी भी पक्ष के नियंत्रण से बाहर होना । दैवीय आपदा का दावा करने वाला पक्ष दैवीय आपदा के प्रभाव पर काबू पाने और उसके प्रभाव को कम करने हेतु सभी समुचित उपाय करेगा ताकि इस करार के अंतर्गत कार्य निष्पादन को पूरा किया जा सके ।

14. **विशिष्टियां -** विक्रेता इस आपूर्ति आदेश के भाग दो के अनुसार विशिष्टियों को पूरा करने और क्रेता सेवाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा डिजाइान संरुपण में रख रखाव मूल्यांकन जांच के पश्चात् संशोधन करने की गारंटी देता है । विक्रेता द्वारा क्रेता को दिए जाने से पूर्व, किए गए परिवर्तन के अनुसार समस्त तकनीकी साहित्य में संशोधन किया जाएगा । विक्रेता क्रेता से परामर्श करने के उपरान्त, निर्माण विधि, स्वदेशीकरण और पत्रराना हो जाने के कारण डिजाइनों में रेखांकनों और विशिष्टियों में उन्नयन/परिवर्तन कर सकता है । तथापि, यह उन्नयन/परिवर्तन उपकरणों पर किसी भी स्थिति में प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगा । इस उन्नयन/परिवर्तन के परिणामस्वरुप तकनीकी विवरणों, ड्राइंग-सुधार और रख रखाव तकनीकों में आवश्यक उपकरणों सहित हुआ परिवर्तन क्रेता के इस उन्नयन/परिवर्तन के कारण प्रभावित होने के फलस्वरुप,----- दिन में नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा ।

15. **ओ ई एम प्रमाणपत्र** - यदि विक्रेता आई एम नहीं है तो ओ ई एम को हिस्से पत्रर्जे उपलब्ध कराने के लिए समझौता प्रमाणपत्र आवश्यक है । तथापि, जहां ओ ई एम मौजूद नहीं है वहां छोटे मोटे योग और हिस्से पत्रर्जे गुणवत्ता प्रमाणपत्र की शर्त पर प्राधिकृत विक्रेता से लिए जा सकते हैं ।

16. **निर्यात लाइसेंस** - विक्रेता को यह पुष्टि करनी होगी कि यदि वह सैन्य/असैन्य सामान भारत को निर्यात करने हेतु ओ ई एम नहीं है तो उसके पास अपने देश की सरकार का निर्यात लाइसेंस तथा उत्पादन संयंत्र से प्राधिकार प्राप्त है।

17. उत्पादन का सबसे स्वीकार्य वर्ष-----गुणवत्ता/जीवन प्रमाणपत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है ।

18. क्रेता द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले उपकरण : क्रेताद्वारा अपने व्यय पर निम्नलिखित उपकरण विक्रेता को उपलब्ध कराए जाएंगे :-

(i)----------

(ii)---------

19. **परिवहन -**

क) सामान सी आई एफ/सी आई पी---------(गंतव्य का पत्तन)पर पहुंचाया जाएगा । विक्रेता सामान को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए माल भाड़ा स्वयं ही वहन करेगा । विक्रेता माल पहुंचाने के दौरान क्रेता को होने वाले नुकसान के जोखिम हेतु नौवहन बीमा भी प्रस्तुत करेगा । विक्रेता बीमे के लिए करार करेगा और बीमा-किश्त अदा करेगा । विक्रेता से माल को निर्यात हेतु तैयार रखने की भी अपेक्षा की जाती है । क्रेता को सामान केवल भारतीय पोत से ही भेजा जाएगा । लदान के बिल को जारी करने की तारीख को माल भेजने की तारीख माना जाएगा । सामान को किश्तों में भेजने की अनुमति नहीं दी जाएगी । सामान को एक जहाज से दूसरे जहाज पर लादने की अनुमति नहीं दी जाएगी । यदि ऐसा करना अनिवार्य हो जाता है तो विक्रेता सामान को किश्तों मे भेजने/एक से दूसरे जहाज पर लादने के लिए क्रेता की त्वरित/पूर्व-लिखित अनुमति प्राप्त करेगा । माल को केवल भारतीय समुद्री जहाजों से ही भेजा जाएगा । तथापि, विक्रेता फिर भी रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार माल अग्रेषित करने वाले एजेंट की सूची का इस्तेमाल कर सकता है जो उसे क्रेता द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी । विक्रेता को उस स्थिति में, जबकि रक्षा सामान व्यापारिक जहाजों मे संबंधित नौवहन मुख्यालय को आयात किया जा रहा हो, निम्नलिखित सूचना अनिवार्य रुप से टेलेक्स/लिखित रुप में उपलब्ध करानी होगी:-

i) पोत का नाम ।

ii) लदान का नौवहन-पत्तन और देश का नाम ।

iii) निकासी पत्तन पर ई0टी0ए0 यथा मुम्बई, कोलकाता, मद्रास व कोच्चि ।

iv) पार्सलों की संख्या व भार ।

v) मुख्य उपस्करों का नामांकन तथा उनका विवरण ।

vi) यदि कोई संवेदनशील सामान को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो तो उसके लिए विशेष निर्देश ।

अथवा

(ख) **एफ ओ बी/एफ ए एस -** सामान को एफओ बी/एफएएस --------------भेजा जाएगा । (इन्कोटर्मस 2000 अथवा नवीनतम संस्करण)

क्रेता को सामान केवल भारतीय जलयानों से भेजा जाएगा । एफओबी/एफएएस कद्वारों की अवस्था में नौवहन की व्यवस्था, शिपिंग को-आर्डिनेशन एवं चार्टरिंग डिवीजन/शिपिंग को-ओर्डनेशन एवं आफिसर, भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत द्वारा की जाएगी । नौभार को जहाज द्वारा भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु फैक्स/टेलेक्स और कूरियर द्वारा चीफ कंट्रोलर आफ चार्टरिंग, शिपिंग को-आर्डिनेशन आफिसर, भूतल परिहवन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को कम-से-कम आठ सप्ताह पहले देना होगा । पूर्व नोटिस के प्राप्त होने के 3 (तीन) सप्ताह के भीतर, उपर्युक्तानुसार, चीफ कंट्रोलर ऑफ चार्टरिंग, शिपिंग को-आर्डिनेशन आफिसर आपूर्तिकर्ता को फैक्स/टेलेक्स और कूरियर से मशविरा देगा कि कब और किसी पोत पर यह सामान तथा उसके कुछ भाग भेजे जाएंगे । यदि नौवहन की व्यवस्था का मशविरा विक्रेता को 3 (तीन) सप्ताह के भीतर, जैसा कि ऊपर बताया गया हे, नहीं दिया जाता है या यदि व्यवस्थाकृत पोत उपर्युक्तानुसार तय किए गए लदान के पत्तन पर नौभार के तैयार होने की तारीख से 15 दिन (पंद्रह दिन) बाद भेजा जाता है - तो क्रेता की लिखित सहमति लेने की शर्त पर विक्रेता इस प्रकार के परिवहन हेतु वैकल्पिक जहाजों की व्यवस्था कर सकता है । जहां विक्रेता से, करार के अंतर्गत भेजने की अपेक्षा की जाती है और क्रेता की ओर से उसके खर्च पर भारतीय जलयान/जलयानों के जरिए, मशविरे के आधार पर - जिसमें कि भारत भी एक सदस्य देश है - माल भेजा जाता है + विक्रेता इस प्रकार के परिवहन के लिए वैकल्पिक जहाजों की व्यवस्था कर सकता है, यदि तयशुदा भारतीय जलयान अथवा कान्फ्रेंस जलयान सामान को करार में तय की गई समय-सीमा (सीमाओं) के अंदर नहीं क्रेता की पूर्व-लिखित सहमति पर, माल नहीं भेजता है । यदि सामान या उसका कोई भाग तयशुदा नामित जलयान से (उन स्थितियों को छोड़कर, जिनमें क्रेता की पूर्व-अनुमति लिखित रुप में ली गई हो) नहीं भेजता है तो विक्रेता क्रेता को वह सारा भुगतान व खर्चा देने का उत्तरदायी होगा जो इस प्रकार से सामान भेजने में देरी होने, जिसमें खराब व अतिरिक्त भार, जलयानों का खर्चा और अन्य कोई अतिरिक्त खर्च- जो भी क्रेता को करना पड़ेगा । लदान का बिल जारी करने की तारीख, माल भेजने की तारीख समझी जाएगी । सामान को किश्तों में भेजने की अनुमति नहीं दी जाएगी । यदि ऐसा करना आवश्यक होता है तो विक्रेता, क्रेता की त्वरित/पहले से लिखित रुप में ली गई सहमति के बिना इस प्रकार किश्तों में और/या एक-जहाज से दूसरे जहाज पर माल नहीं भेजेगा । विक्रेता शिपिंग आफिसर, भूतल परिवहन मंत्रालय, चार्टरिंग विंग, ट्रांसपोर्ट भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110011 से संपर्क कर सकता है (टेलीग्राफिक पता.- ट्रांसचार्ट, नई दिल्ली-1, टेलेक्स - 'वाहन' इन 31-61157 या 31-61158, फोन 23719480, फैक्स 23718614)-

अथवा

(ग) **एफसीए -** सामान का वितरण एफ सी ए - एयरपोर्ट होगा । सामान का प्रेषण वायुयान द्वारा प्रेषिति नौ-पत्तन तक किया जाएगा । क्रेता माल भेजे जने वाली का संपूर्ण विवरण विक्रेता को माल की पहले खेप भेजने से 60 दिन पूर्व देगा अन्यथा विक्रेता माल भेजे जाने वाले का नामांकन कर सकता है जिसका खर्चा क्रेता को वहन करना होगा । माल भेजे जाने वाले द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी देने या विलंब करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता का होगा । एयर-वे बिल के जारी होने की तारीख, ताल भेजने की तारीख समझी जाएगी ।

20. **विमान वहन** - यदि क्रेता सारा सामान अथवा उसके कुछ भाग को विमान से भेजे जाने की मांग करता है विक्रेता, क्रेता से इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर, सामान को उसी के अनुरुप पैक करेगा । माल का इस प्रकार भेजे जाने की सहमति अग्रिम रुप से हो जानी चाहिए और आपसकी सहमति से भुगतान किया जाएगा ।

21. **पैकिंग व चिन्हित करना**

(क) विक्रेता करार के तहत उपकरणों और हिस्से-पत्रर्जों/सामान की पैकिंग और उसके लिए परीक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगा जिससे कि उन्हें सड़क, समुद्र और वायु मार्ग से भेजते समय, एक जहाज से दूसरे जहाज पर लादते समय, भंडारण करते समय, माल भेजने के समय खराब मौसम से और समुचित नौभार के वक्त होने वाले नुकसान सुरक्षा प्रदान की जा सके । विक्रेता सुनिश्चित करेगा कि सामान को समुचित रुप से मजबूत और ऋतु अनुकूल लकड़ी के कंटेनरों मे ंपैक किया गया है । पैकिंग- बक्सों में क्रेन उठाने/टंक में लगे कुंडे उठाने हेतु हुक लगे हाने चाहिए । उन विशिष्ट उपकरणों पर, जिन्हें पैक नहीं किया जा सकता, समुचित रुप से चिन्हित टैग कस कर लगे होने चाहिए ।

(ख) उपकरणों और हिस्से पत्रर्जों/सामान की पैकिंग विक्रेता के देश की विशिष्टताओं और स्तर के अनुरुप होनी चाहिए ।

(ग) प्रत्येक अतिरिक्त उपकरण, सहायक पत्रर्जे अलग-अलग बक्सों में पैक किए जाने चाहिए । बक्से पर अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ एक लेबल चिपकाया जाएगा जिस पर बक्से में पैक वस्तु का विवरण होना चाहिए । वस्तु के छ: सैम्पलों के साथ अंग्रेजी भाषा में एक टैग संलग्न किया जाना चाहिए जिस पर वहीं विवरण दिया गया हो । यदि करार की गई सामान की मात्रा छ: से कम है तो करार की गई सभी वस्तुओं पर टैग लगाया जाना चाहिए । तदुपरांत बक्सों को पैकिंग केसों में इस प्रकार बंद किया जाएगा:-

i) पार्ट नंबर -

ii) नामावली -

iii) करार एनेक्स नंबर -

iv) एनेक्स क्रम संख्या -

v) करार की मात्रा

(घ) अंग्रेजी भाषा में पैकिंग लिस्ट की एक प्रति प्रत्येक नौवहवन - पैकेज में डाली जाएगी और पैकिंग सूचियों का एक पूरा सैट पीले रंग से पेंट करके केस नं0-1 में रखा जाएगा ।

(ङ) विक्रेता प्रत्येक पैकेज को न मिल सकने वाले रंग से निम्नानुसार चिन्हित करेगा:-

i) निर्यात

ii) करार संख्या ---

iii) प्रेषिती -----------

iv) गंतव्य नौ-पत्तन/विमानपत्तन ------------

v) वास्तविक प्रेषिती------------

vi) विक्रेता -----------------

vii) पैकेज संख्या ------------------

viii) कुल/वास्तविक वजन ---------------

ix) लगभग माप/आयतन ---------------

x) विक्रेता द्वारा मार्किंग ---------------

(च) यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक पैकेज पर सावधानी की सूचना, चिन्हित की जानी चाहिए:- <TOP>, 'कृपया उलटा न करे', सामान की श्रेणी, इत्यादि ।

(छ) यदि कोई विशेष उपस्कर विक्रेता को क्रेता द्वारा लौटाया जाता है तो क्रेता उसे सामान्य पैकिंग उपलब्ध कराएगा जिससे कि उपस्कर व हिस्से-पत्रर्जे/सामान को सड़क, वायु अथवा समुद्री मार्ग से लाने-लेजाने के दौरान हुए नुकसान व खराबी से बचाया जा सके । ऐसी अवस्था में, क्रेता, विक्रेता के साथ चिन्हों को अंतिम रुप देगा ।

22. **<u>गुणवत्ता</u>** - वर्तमान सप्लाई आर्डर के अनुसार सप्लाई किए गए स्टोर की गुणवत्ता क्रेता के देश में तकनीकी स्थितियों और मानकों के अनुरुप अथवा आर एफ पी में बताए विनिर्देशों के अनुसार होगी तथा इसमें क्रेता द्वारा सुझाए अनुसार सुधार भी शामिल होंगे । ऐसे सुधारों के बारे में परस्पर समझौता होगा । विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि सप्लाई आर्डर के तहत सप्लाई किया गया माल नया है और पहले का निम्रित नहीं है (सप्लाई आर्डर के वर्ष का) और इसमें सभी आधुनिकतम सुधार और संशोधन शामिल किए जाएंगे । आशोधित ओर सुधार किए गए उपस्करों के कलपुर्जों का आगे पीछे समन्वय हो सकता और इन्हें अगर कोई हो तो पहले से सप्लाई किए गए उपस्करों के साथ परस्पर बदला भी जा सकता है । विक्रेता बदले कलपुर्जों के साथ विनिमेयता प्रामण पत्र भी देगा जिसमें यह वर्णित होगा कि वह बदली गई वस्तु का जीवन काल भी उतना ही होगा जितना मूल वस्तु का ।

23. **<u>गुणवत्ता आश्वासन</u> -** अनुबंध पर वार्ता होने के बाद क्रेता को मानक स्वीकृति टैस्ट (एटीपी) प्रक्रिया प्रदान करनी होंगी । क्रेता एटीपी में संशोधन का अधिकार रखता है । विक्रेता को, क्रेता द्वारा स्वीकार्यता और निरीक्षण के लिए सभी टैस्ट सुविधाएं अपने परिसर में देनी होंगी । मदें नवीनतम विनिर्माता की होनी चाहिए, वर्तमान उत्पादन मानक के अनुरुप और सुपुर्दगी के समय 100% कार्यकाल निश्चित होना चाहिए।

24. **<u>निरीक्षण प्राधिकरण</u>** - निरीक्षण ……………….द्वारा किया जाएगा । निरीक्षण का तरीका विभागीय निरीक्षण/प्रयोक्ता निरीक्षण/संयुक्त निरीक्षण/ स्व-प्रमाणीकरण होगा ।

25. **प्रेषण पूर्व निरीक्षण**

(क) क्रेता के प्रतिनिधि, सामान्य मानक प्रक्रियाओं के अनुसरण में विशिष्टताओं के अनुपालन हेतु उपस्कर/भंडारों का पूर्व निरीक्षण करेंगे । ऐसे पीडीआई के सफलतापूर्वक पूरा होने पर विक्रेता तथा क्रेता, भाग-4 के एक हिस्से के रुप में संलग्न डीपीएम फार्म-21 में दिए गए प्रतिरूप के अनुसार समरुपता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके जारी करेंगे ।

(ख) विक्रेता पीडीआई की निर्धारित तिथि से 45 दिन पहले क्रेता को सूचित करेगा । इस नोटिस में विक्रेता द्वारा वीज़ा औपचारिकताओं को पूरा करने में लिया गया समय शामिल नहीं होना चाहिए। क्रेता पीडीआई में भाग लेने के लिए अपना प्राधिकृत प्रतिनिधि भेजेगा ।

(ग) क्रेता द्वारा अपने प्रतिनिधियों की सूची जिनमें उनके नाम, शीर्ष, जन्मतिथि, जन्म स्थान, पासपोर्ट जारी करने तथा समाप्त करने की तिथि, पासपोर्ट संख्या, पता आदि शामिल हो, कम से कम (दिनों की संख्या) में आवश्यक प्राधिकरण तथा प्रदान किए जाने वाली निकासी हेतु आवेदन करने के लिए अग्रिम रुप से प्रेषित की जानी चाहिए ।

(घ) क्रेता को पीडीआई में भाग न लेने अथवा ऐसे परीक्षणों में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधियों को अनुमति देने हेतु ऐसी पीडीआई के लिए निर्धारित तारीख से पीडीआई के आरंभ होने में अधिकतम पन्द्रह (15)दिनों तक विलम्ब करने का अनुरोध करने का अधिकार है । ऐसे मामलों में वह पीडीआई के आरंभ होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर विक्रेता को लिखित रुप से सूचित करेगा । यदि क्रेता ऐसे विलम्ब के लिए अनुरोध करता है तो किसी प्रकार की परिनिर्धारित क्षति, यदि कोई हो, लागू नहीं होगी यदि क्रेता ने उपर्युक्त अवधि के भीतर विक्रेता को सूचित कर दिया है कि वह पीडीआई में भाग नहीं ले सकता अथवा यदि क्रेता उपर्युक्त के अनुसार पीडीआई के निष्पादन के लिए उसके द्वारा तारीख को स्थगित करने के अनुरोध की तिथि पर उपस्थित नहीं होता तो विक्रेता को निर्धारित परीक्षण को अकेले संपन्न करने का अधिकार होगा । समरुपता प्रमाण-पत्र तथा स्वीकार्यता परीक्षण रिपोर्ट पर विक्रेता के गुणवत्ता आश्वासन प्रतिनिधि हस्ताक्षर करेंगे और ऐसे दस्तावेजों पर विक्रेता के गुणवत्ता आश्वासन प्रतिनिधि के हस्ताक्षरों का वही महत्व और प्रभाव होगा जैसा तब होता जब दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते । यदि क्रेता पीडीआई में भाग न लेने का निर्णय करता है तो वह लिखित में विक्रेता को सूचित करेगा कि वह पीडीआई में भाग नहीं लेना चाहता ।

(ङ) विक्रेता, क्रेता के प्रतिनिधियों को विक्रेता के देश में अपने कर्त्तव्यों के निवर्हन में सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी उपर्युक्त सुविधाएं, सुगमता तथा सहायता उपलब्ध कराएगा ।

(च) क्रेता के प्रतिनिधि के देश में ठहरने, जहां प्रेषण पूर्व निरीक्षण होना है, से संबंधित लागत जिनमें यात्रा खर्चे, खाने, पीनी और ठहरने का स्थान, दैनिक खर्चे क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे ।

(छ) विक्रेता संविदा पर हस्ताक्षर होने से एक महीने के भीतर क्रेता के क्यू ए प्राधिकरण को स्वीकार्यता परीक्षण प्रक्रिया उपलब्ध कराएगा ।

26 **संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण**

(क) दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि सपुर्द किए गए माल का संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण क्रेता द्वारा नामित किए जाने वाले स्थान पर माल के भारत पहुंचने पर किया जाएगा । संयुक्त प्राप्ति

निरीक्षण बंदरगाह परेषिति में माल के पहुंचने के 120 दिनों (शस्त्र/गोलाबारुद के लिए)/90 दिनों (शस्त्र/गोलाबारुद को छोड़कर) के भीतर पूरा कर लिया जाएगा । संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण में निम्नलिखित शामिल होंगे ।

i. यह सत्यापित करने के लिए कि डिलीवर किए गए माल की मात्रा इस संविदा में परिभाषित तथा बीजक चालान में दी गई मात्राओं के अनुरुप है, मात्रात्मक जाँच ।

ii. इस संविदा में दी गई विशिष्टताओं के अनुसार तथा क्रेता द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं और परीक्षणों के अनुसार भंडारों/उपस्कर की पूर्ण प्रकार्यात्मक जाँच किंतु कलपुर्जों की प्रकार्यात्मक जाँच नहीं की जाएगी ।

iii. यदि आवश्यक हो तो प्रमाण और फायरिंग की जाँच करें ।

(ख) संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण क्रेता के प्रतिनिधि द्वारा सम्पन्न किया जाएगा । क्रेता भेजे गए माल के लिए संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण में भाग लेने के लिए कम से कम 15 दिन की पूर्व सूचना के साथ विक्रेता को आमंत्रित करेगा । विक्रेता को आईआरटी में भाग न लेने का अधिकार है । विक्रेता के प्रतिनिधि का जीवन-वृत क्रेता के देश में लागू नियमों के अनुसार आवश्यक सुरक्षा निकासी प्राप्त करने के लिए क्रेता को माल के प्रेषण से 15 दिन पूर्व भेजा जाएगा ।

(ग) प्रत्येक संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण को पूरा करने के बाद, संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण प्रक्रिया तथा स्वीकार्यता प्रमाण-पत्र पर दोनों पक्ष हस्ताक्षर करेंगे । यदि विक्रेता का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो तो संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण प्रक्रिया तथा स्वीकार्यता प्रमाण पत्र पर क्रेता का प्रतिनिधि ही हस्ताक्षर करेगा तथा यह विक्रेता पर भी लागू होगा । संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण प्रक्रिया तथा स्वीकार्यता प्रमाण पत्र की प्रति संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण के पूरा होने के 30 दिनों के भीतर विक्रेता को प्रेषित कर दी जाएगी । यदि मात्रा तथा गुणवत्ता में कोई कमी हो अथवा त्रुटि हो तो इनका विवरण संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण प्रक्रिया में दर्ज किया जाएगा और स्वीकार्यता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा तथा इस संविदा में दावों के बारे में अनुच्छेद के अनुसार दावा किया जाएगा । दावों के मामले में, क्रेता के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण के दौरान किए गए सभी दावों को निपटाने के बाद स्वीकार्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा । यदि क्रेता कतिपय विशिष्ट कारणों से उपर्युक्त के अनुसार संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण को पूरा नहीं करता है तो भारत में संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण किया हुआ मान लिया जाएगा तथा उपस्कर को पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाएगा ।

27. <u>फ्रैंकिंग क्लॉज</u>

(क) वस्तुओं की स्वीकृति के मामले में - यह तथ्य कि वस्तुओं का भुगतान अवधि के बाद निरीक्षण किया गया है तथा निरीक्षण अधिकारी द्वारा पास किया गया है, अनुबंध को चालू रखने का आधार नहीं होगा । वस्तुएं, क्रेता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुबंध की नियम और शर्तों के अनुसार पास की जा सकती है ।

(ख) वस्तुओं की अस्वीकृति के मामले में - यह तथ्य कि वस्तुओं का सुपुर्दगी अवधि के बाद निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत की गई है, क्रेता को किसी तरह बाँध नहीं

सकता । वस्तुएं, क्रेता के अधिकारों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, अनुबंध के नियम और शर्तों के अनुसार अस्वीकृत की जा सकती हैं ।

28. **दावे** - निम्नलिखित दावे सफल बोलादाता के अनुबंध का हिस्सा होंगे:-

(क) इस पर भी दावा पेश किया जा सकता है - (क) भंडारों की मात्रा, जहां मात्रा, पैकिंग सूची में दर्शाई गई मात्रा के अनुरुप नहीं है/पैकिंग में अपर्याप्त है । अथवा (ख) भंडारों की गुणवत्ता पर, जहां गुणवत्ता अनुबंध में उल्लिखित गुणत्ता के अनुरुप नहीं है ।

(ख) मात्रा में कमी के लिए मात्रा संबंधी दावे संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण के पूरा होने तथा माल को स्वीकार किए जाने के 45 दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे । मात्रा संबंधी दावे, फार्म डीपीएम-22 के अनुसार (रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और अनुरोध पर दिए जा सकते हैं) विक्रेता को प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(ग) संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण के दौरान ध्यान में आई गुणवत्ता की त्रुटियों अथवा कमियों के लिए गुणवत्ता दावे संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण के पूरा होने तथा माल को स्वीकार किए जाने के 45 दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे । वारण्टी अवधि के दौरान ध्यान में आयी गुणवत्ता की त्रुटियों अथवा कमियों के लिए गुणवत्ता दावे गारण्टी अवधि के पूरा होने के बाद 45 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे । गुणवत्ता दावे डीपीएम फार्म - 23 रक्षा मंत्रालय (रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध और अनुरोध पर दिए जा सकते हैं)के अनुसार विक्रेता को प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(घ) दावों को प्रस्तुत करने के लिए भण्डारों का विवरण तथा मात्रा का उल्लेख ठोस कारणों के साथ विक्रेता को प्रस्तुत करना होता है । प्रस्तुत किए गए दावों के साथ उचित ठहराने वाले सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न की जाएंगी । विक्रेता उसके कार्यालय को दावे प्राप्त होने की तिथि से 45 दिन के भीतर दावे निपटाएगा बशर्ते कि विक्रेता द्वारा उन दावों को स्वीकार किया जाए । यदि इस अवधि के दौरान कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता तो यह माना जाएगा कि दावा स्वीकार कर लिया गया है ।

(ङ) विक्रेता , क्रेता द्वारा नामित स्थान से खराब अथवा निरस्त माल को उठाएगा तथा मरम्मत किए गए अथवा बदले गए माल को उसी स्थान पर भेजने की व्यवस्था करेगा ।

(च) दावों को विक्रेता द्वारा प्रस्तुत बॉंड में से दावाधीन माल की लागत हटाकर भी निपटाया जा सकता है अथवा विक्रेता द्वारा दावा राशि का भुगतान रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, मुख्यालय, नई दिल्ली के पक्ष में नई दिल्ली में देय भारतीय बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से भी किया जा सकता है ।

(छ) गुणवत्ता दावे पूरी तरह से क्रेता द्वारा किए जाएंगे और इसे भारत में स्थित विक्रेता के किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित/प्रतिहस्ताक्षरित कराने की आवश्यकता नहीं है ।

29. **वारंटी -**

(क) निम्नलिखित वारंटी सफल बोलीदाता के अनुबंध का हिस्सा होंगे:-

i. मांगी गई संविदा में, विक्रेता एतद्द्वारा घोषणा करता है कि इस अनुबंध के अंतर्गत क्रेता को बेची/आपूर्ति की गई वस्तुएं, भंडार, उत्तम गुणवत्ता और कार्यकुशलता के होंगे तथा सभी तरीकों से नए होंगे और निविदा में निहित/उल्लिखित विशेषताओं और ब्यौरों के

अनुरुप होंगे । विक्रेता गारंटी देता है कि उक्त वस्तुएं/भंडार/संघटक, क्रेता को इनकी सुपुर्दगी से 12 माह की अवधि के लिए, पहले से दिए गए विवरण और गुणवत्ता के अनुरुप जारी होंगे अथवा विक्रेता के निर्माण स्थल से लदान/प्रेषण की तिथि से 15 माह के लिए, जो भी पहले हो और इसके साथ-साथ क्रेता उक्त वस्तुओं/भंडारों/संघटकों का निरीक्षण कर सकता है यदि वह पाता है कि उक्त वस्तुएं/भंडार/संघटक पूर्वोक्त अवधि के 12/15 माह के दौरान, पूर्वोक्त विवरण और गुणवत्ता के अनुरुप नहीं है, संतोषजनक प्रदर्शन नहीं दे रही है, या खराब हैं तो क्रेता का निर्णय अंतिम होगा और विक्रेता को मानना होगा तथा क्रेता, वस्तुओं/भंडारों/संघटक अथवा इनके किसी हिस्से जिसे क्रेता द्वारा खराब पाया गया हो, उचित अवधि के भीतर अथवा ऐसी विशिष्ट अवधि जिसे विक्रेता द्वारा दिए गए आवेदन पर क्रेता द्वारा अपने विवेक से स्वीकार किया गया हो, सुधार करने के लिए विक्रेता को बुलाने का हक होगा और ऐसे किसी मामले में, उपर्युक्त अवधि, वारंटी में दी गई सुधारात्मक तिथि से वस्तुओं/भंडारों/संघटकों पर लागू होगी अन्यथा वारंटी में निहित उल्लंघन के कारणों द्वारा दी गई ऐसी क्षतिपूर्ति का विक्रेता, क्रेता को भुगतान करेगा ।

ii. यह गारंटी है कि वे, स्वीकृत मूल्य के लिए करार के आधार पर जब भी आवश्यक होगा कलपुर्जों की आपूर्ति करेंगे । सहमति का आधार प्रकाशित सूची पर स्वीकृत छूट के बिना किसी सीमा अथवा लदान लागत पर लाभ की स्वीकृत प्रतिशतता के बिना हो सकता है ।

iii. वारंटी का प्रभाव होगा कि कलपुर्जों के निर्माण समाप्त करने से पहले, वे उपस्कर के क्रेता को पर्याप्त अग्रिम नोटिस देंगे ताकि क्रेता जीवनभर की आवश्यकताओं के साथ संतुलन बना सके ।

iv. वारंटी का प्रभाव होगा कि मुख्य उपस्कर से संबंधित कलपुर्जों की ड्राइंग का खाका, जब भी आवश्यकता होगी, वे उपलब्ध कराएंगे ।

<u>अथवा</u>

(ख) निम्नलिखित वारंटी, बोलीदाता के सफल अनुबंध का हिस्सा होंगे:-

i. विक्रेता वारण्टी देता है कि संविदा के अंतर्गत भेजा गया माल निर्धारित तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरुप है तथा उक्त तकनीकी विशिष्टतोंं के अनुसार कार्य करेगा ।

ii. विक्रेता संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण द्वारा भण्डारों को स्वीकार किए जाने की तिथि से अथवा उन्हें अवस्थापित करने तथा चालू करने की तिथि से, जो भी बाद में हो,----------- महीनों की अवधि के लिए वारण्टी देता है कि इस संविदा के अंतर्गत भेजे गए माल/भण्डार तथा इनके विनिर्माण पर प्रयुक्त प्रत्येक संगठन सभी प्रकार की त्रुटियों/कमियों से मुक्त रहेगा ।

iii. यदि क्रेता वारण्टी की अवधि के दौरान यह सूचित करता है कि माल निर्धारित विशिष्टताओं के अनुसार कार्य निष्पादन में असफल रहा है तो विक्रेता उसे ऐसी कमी के बारे में सूचना दिए जाने के 45 दिनों के भीतर नि:शुल्क बदल देगा अथवा उस कमी को

ठीक करेगा बशर्ते कि क्रेता द्वारा माल को परिचालन मैनुअल में निहित अनुदेशों के अनुसार प्रयोग में लाया गया हो तथा उसका रख-रखाव किया गया हो । उपस्कर की वारण्टी को उतने समय के लिए बढ़ा दिया जाएगा जब तक उपस्कर खराब रहेगा । उपस्कर के खराब रहने की अवधि का हिसाब प्रयोक्ता द्वारा लॉग बुक में रखा जाएगा । वारण्टी के दौरान मरम्मत के लिए आवश्यक कल-पुर्जों की व्यवस्था विक्रेता द्वारा नि:शुल्क की जाएगी । विक्रेता यह भी वचन देता है कि क्रेता तथा विक्रेता के बीच पारस्परिक रुप से सहमत लागत पर वारण्टी अवधि के दौरान संचालक की लापरवाही अथवा दुरुपयोग के कारण दुर्घटनावश अथवा माल के परिवहन के दौरान क्षति होने पर माल/उपस्कर का निदान, परीक्षण, समायोजन, सुधार करेगा ।

iv विक्रेता यह भी वारण्टी देता है कि उपस्कर की वारण्टी अवधि के दौरान आवश्यक सर्विस तथा मरम्मत विक्रेता द्वारा की जाएगी तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि उपस्कर खराब रहने की अवधि वारण्टी अवधि के 20 प्रतिशत से कम हो ।

v. विक्रेता वारण्टी मरम्मत के दौरान क्रेता के रख-रखाव अभिकरण तथा गुणवत्ता आश्वासन के तकनीकी कार्मिकों से संपर्क रखेगा तथा सभी कमियों, कारणों तथा कमियों के निराकरण के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करेगा ।

vi. यदि उपस्कर/माल बार-बार खराब होता है तथा/अथवा खराबी का समय वारण्टी अवधि के ----- प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो क्रेता से उपस्कर खराब होने की अधिसूचना प्राप्त होने के --- दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर विक्रेता द्वारा संपूर्ण उपस्कर को निशुल्क बदला जाएगा । बदले गए उपस्कर की वारण्टी क्रेता द्वारा संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण के बाद स्वीकार करने की तिथि/उपस्कर को स्थापित करने और उसे चालू करने की तिथि से आरंभ होगी ।

vii. यदि अभियांत्रिकी समर्थन पैकेज की सम्पूर्ण डिलीवरी में इस संविदा की निर्धारित अवधि से अधिक देरी होती है तो विक्रेता यह वचन देता है कि माल/भण्डारों की वारण्टी अवधि में देरी के समय के बराबर वृद्धि कर दी जाएगी ।

viii **विक्रेता** भारतीय ऊष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों के अंतर्गत निम्नानुसार (----------) वर्षों की शैल्फ मियाद की गारण्टी देगा:-

(क) न्यूनतम तापमान -

(ख) अधितम तापमान -

(ग) औसत आद्रता (आरएच) -

ix. तेल तथा स्नेहकों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा ।

1. विक्रेता वारण्टी देता है कि उपस्कर की वारण्टी अवधि के दौरान आवश्यक विशेष तेलों तथा स्नेहकों की आपूर्ति विक्रेता द्वारा स्वयं की जाएगी ।

2. यदि उपस्कर की वारण्टी अवधि के दौरान विक्रेता तेलों और स्नेहकों की आवश्यकता को पूरा करने से इंकार करता है अथवा असमर्थ रहता है तो

विक्रेता पर उपस्कर के मूल्य के 6 प्रतिशत की राशि के बराबर जुर्माना किया जाएगा ।

3. विक्रेता वारण्टी अवधि के समाप्त होने के बाद प्रयुक्त होने वाले स्वदेशी समकक्ष तेलों तथा स्नेहकों की पहचान तथा विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए उपस्कर की आरंभिक आपूर्ति की तर्ज पर उपस्कर में प्रयोग किए जाने वाले अपेक्षित सभी तेलों तथा स्नेहकों की विस्तृत विशिष्टताएं उपलब्ध कराएगा।

30. **उत्पाद समर्थन -** निम्नलिखित उत्पाद समर्थन शर्त, बोलीदाता द्वारा सफल अनुबंध का हिस्सा होगी:-

क. विक्रेता (उपस्कर का नाम) की आपूर्ति के बाद (वर्षो) की वारण्टी अवधि सहित (वर्षों) की अधिकतम अवधि के लिए विक्रेता द्वारा भण्डारों, सतन्वायोजनों/उप सतन्वायोजनों, सज्जा वस्तुओं तथा उपभोग्य वस्तुओं, अन्य अभिकरणों/विनिर्माताओं से विशेष मरम्मत औजार (एसएमटी)/विशेष परीक्षण उपकरण (एसटीई) के लिए उत्पाद समर्थन प्रदान करने सहमत है ।

ख. विक्रेता,-------------- महीनों की अधिकतम अवधि के लिए जो तब तक बढ़ाया जा सकता है जब विक्रेता द्वारा पूर्ण अभियांत्रिकीय समर्थन प्रदान किया जाता है, अनुरक्षण अनुबंध करने के लिए सहमत है ।

ग. किसी संघटक अथवा उप प्रणाली के संबंध में उत्पाद समर्थन की उपर्युक्त अवधि के दौरान अप्रचलन की स्थिति में, विक्रेता तथा क्रेता के बीच पारस्परिक परामर्श द्वारा अतिरिक्ति लागत यदि कोई हो सहित एक स्वीकार्य समाधान पर पहुंचा जा सकता है ।

घ. अनुबंध के अंतर्गत खरीदे गए भंडारों/उपस्कर में किसी संशोधन/रुपांतरण/प्रोन्नयन को विक्रेता द्वारा, क्रेता को सूचित करके किया जाएगा और यदि क्रेता आवश्यक समझे तो क्रेता की लागत पर विक्रेता इसे संपन्न करेगा ।

ङ. विक्रेता सत्यापित एमईटी के बाद रुपांतरित में विनिर्दिष्ट अभियांत्रिकी समर्थन पैकेज प्रदान करने पर सहमत है । विक्रेता इस संविदा के अंतर्गत ---- वर्षों की अवधि के लिए जैसाकि विशिष्ट रख-रखाव अनुबंध अथवा क्रेता को पूर्ण अभियांत्रिकी आधार पैकेज का प्रावधान, जो भी बाद में हो, विक्रेता और क्रेता के बीच हुई परस्पर सहमति की नियम और शर्तों के अनुसार उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण, एसएमटी/एसटीई, परीक्षण ढांचा, सतन्वायोजनों/उप सतन्वायोजनों और भंडारों की आपूर्ति करने के लिए सहमति है ।

31. **वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (एएमसी) शर्त -** निम्नलिखित ए एम सी शर्त बोलीदाता के सफल अनुबंध का भाग होगी:-

क. विक्रेता ------ वर्षों की अवधि के लिए व्यापक एएमसी उपलब्ध कराएगा । एएमसी सेवाओं के अंतर्गत सभी उपस्करों की मरम्मत और अनुरक्षण तथा वर्तमान अनुबंध के अंतर्गत खरीदी गई प्रणालियाँ आती हैं । क्रेता द्वारा दिए गए उपस्कर जो एएमसी के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें विक्रेता द्वारा अलग से सूचीबद्ध किया जाए । एएमसी सेवाएं दो अलग तरीकों में उपलब्ध होंगी:-

i. निवारक अनुरक्षण सेवा - विक्रेता, एक वर्ष के दौरान प्रचालनात्मक आधार पर कम से कम चार निवारक अनुरक्षण सेवा प्रदान करेगा ताकि जब भी आवश्यक हो, कार्यात्मक जांच और छोटे-मोटे समायोजन/ट्यूनिंग की जा सके ।

ii. खराबी ठीक करने के लिए अनुरक्षण सेवा - किसी उपस्कर/प्रणाली के खराब होने के मामले में, क्रेता के बुलाने पर, विक्रेता को उपस्कर/प्रणाली को कार्य योग्य बनाने के लिए अनुरक्षण सेवा प्रदान करेगा ।

ख. प्रतिक्रिया समय - विक्रेता का प्रतिक्रिया समय, क्रेता द्वारा प्राप्त खराबी की सूचना के समय से ----- घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए ।

ग. प्रतिवर्ष -------% की सर्विस सुनिश्चित होनी चाहिए । यह राशि, प्रति वर्ष ---- अधिकतम दिनों की खराबी के लिए है । इसके अलावा, एक समय पर सर्विस न होना ...... दिनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए । सर्विस करने के लिए आवश्यक कलपुर्जे, विक्रेता द्वारा अपनी लागत पर, अपने स्थान संग्रहित किए जा सकते हैं । उपस्कर के खराब रहने के कुल समय की, वर्ष के अंत में गणना होगी । यदि खराबी का समय, अनुमति से अधिक है, विलंबित अवधि के लिए परिनिर्धारित क्षति लागू होगी ।

घ. उपकरण/प्रणाली की मरम्मत के लिए अधिकतम वापसी समय-----दिन होगा । तथापि, उपकरण/प्रणाली के पूरा खराब होने से बचाने के लिए, पुर्जों के एक उपयोगी हालत में रखा जाना चाहिए ।

ङ. तकनीकी दस्तावेज - उपस्कर के हार्डवेयर और साफ्टवेयर में बदलाव लाने के लिए दस्तावेजीकरण (तकनीकी और प्रचालनात्मक मैनुअल) में सभी आवश्यक परिवर्तनों की व्यवस्था की जाएगी ।

च. एएमसी अवधि के दौरान, विक्रेता, एएमसी के अंतर्गत उपस्कर/प्रणाली के वर्तमान स्थान पर सभी आवश्यक सर्विस/मरम्मत करेगा । यदि कुछ घटकों/उप प्रणालियों को निर्धारित स्थान से बाहर स्थानांतरित किया जाना है तो, क्रेता की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी । ऐसे अवसरों पर, वस्तुएं अथवा घटक लेने से पहले, लेने वाली वस्तु के अनुमति वर्तमान मूल्य को मापने के लिए, विक्रेता क्रेता को उपयुक्त बैंक गारंटी देगा ।

छ. क्रेता, किसी भी समय बिना कोई कारण बताए --------महीने का नोटिस देने के बाद, अनुरक्षण अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार रखता है । विक्रेता ऐसी समाप्ति के खिलाफ किसी भी मुआवजे का दावा करने का हकदार नहीं होगा । तथापि, अनुबंध समाप्त करने के बाद, अनुबंध की शर्तों के अनुसार पहले की गई अनुरक्षण सेवा के लिए विक्रेता का कोई भुगतान देय है, उसका अनुबंध की शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाएगा ।

32 **अभियांत्रिकी समर्थन पैकेज (ईएसपी) शर्त -** निम्नलिखित ईएसपी शर्त सफल बोलीदाता के अनुबंध का हिस्सा होंगी:-

क. **मरम्मत फिलोस्फी** - अभियांत्रिकी समर्थन फिलोस्फी निम्नानुसार मरम्मत फिलोस्फी के समरुप होगी:

i. **यूनिट स्तर की मरम्मत** - ये मरम्मत, जो यूनिट में उपलब्ध औजारों के साथ अथवा प्रत्येक उपस्कर के साथ जो निर्माता द्वारा आपूर्ति किए गए हों अथवा 1:10 की स्केल के अनुसार अथवा निर्माता द्वारा सुझाई गई किसी अन्य स्केल के साथ यूनिट के भीतर की जाती है, ये सफाई, लुब्रिकेशन, लघु मरम्मत और घटकों तथा लघु सतन्वायोजनों के प्रतिस्थापन से संबंधित है जिसे क्षेत्र में बिना किसी अत्याधुनिक औजारों अथवा परीक्षण उपस्कर के किया जा सकता है । ऐसी मरम्मतों के लिए, निर्माता को निम्नलिखित उपलब्ध कराने की आवश्यकता है;-

1. प्रचालक मैनुअल सहित प्रत्येक उपस्कर के साथ औजारों और उपस्कर की सारणी (टीओटीई) ।

2. ऊपर दिए अनुसार, विशेष औजारों और कलपुर्जों की स्केलिंग जिसमें अनुरक्षण मैनुअल शामिल हैं ।

ii. **फील्ड मरम्मत** - ये मरम्मतें तकनीशियनों द्वारा क्षेत्रों में की जाती है जिन्हें इस उद्देश्य के लिए विशेष रुप से प्रशिक्षित किया जाता है और जहां आवश्यक हो विशेष औजार और कलपुर्जे उपलब्ध कराने होते हैं । इन मरम्मतों में मुख्य सतन्वायोजनों और अन्य घटकों का प्रतिस्थापन्न शामिल है जो यूनिट स्तर की मरम्मतों के दायरे से परे हैं । आमतौर से, ऐसी मरम्मतें करने वाली कार्यशालाएं उक्त उपस्कर वाली 3 से 4 इकाइयों को देखती हैं। निर्माता को निम्नलिखित प्रदान करने की आवश्यकता है:-

1. कलपुर्जों की मात्रा और विशिष्टिताएं -----उपस्कर की संख्या के लिए भंडार करने की आवश्यकता है ।

2. ऐसी प्रत्येक क्षेत्र कार्यशाला को, विशेष अनुरक्षण औजार और परीक्षण उपस्कर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है । (कुल लागत प्राप्त करने के लिए संबंधित उपस्कर के नियोजक पैटर्न पर आधारित, ऐसी सुविधाओं की कुल संख्या को भी दर्शाया जाए) ।

iii. **आधार की जाँच करना** - सभी मरम्मतें जिनमें घटकों की मरम्मतें, उपसतन्वायोजनों और पूरे उपकरण को जाँचना शामिल है, इस सुविधा के द्वारा की जाती है । उपस्कर की संख्या के आधार पर, इस प्रयोजक के लिए भारत में एक से पाँच तक ऐसी सुविधाएं स्थापित की जा सकती हैं । (लागत के लिए वास्तविक संख्या घोषित करनी होगी) निर्माता को निम्नलिखित उपलब्ध कराना आवश्यक होगा:-

1. घटक स्तर तक की मरम्मतों के लिए सभी विशेष अनुरक्षण औजार, जिग्स, जुड़नार और परीक्षण उपकरण

2. बनाए रखने योग्य संख्या के अनुसार मात्रा और कलपुर्जों के विनिर्देश, उप-सतन्वायोजन ।

3. ओवरहॉल के लिए आवश्यक तेल और स्नेहक ।

4. सभी आवश्यक तकनीकी साहित्य ।

5. जाँच उपस्कर के लिए अंशांकन सुविधाएं । इस स्तर की मरम्मत में, एक बेस कार्यशाला में उपस्कर को खोलना और पुनर्निर्माण होता है ।

ख. **निर्माता से अनुशंसित कलपुर्जों की सूची (एमआरएलएस) -** ऊपर दिए गए विवरण के आधार पर, बोलीदाताओं से विभिन्न स्तरों की मरम्मतों के लिए, डीपीएम फार्म-19 में दिए गए प्रारुप के अनुसर ----वर्षों की अवधि हेतु उपस्कर बनाए रखने के लिए एमआरएलएस उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हैं । (रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध और अनुरोध पर दिया जा सकता है) बोलीदाताओं को, इन्हें तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों के साथ उपलब्ध कराना होगा ।(ऐसे मामलों में जहां, उपकरण में कलपुर्जे प्रयोग हो रहे हैं, अनुरक्षण प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली अनुशंसा सूची जो उपस्कर के उपयोग पर आधारित होगी और एमआरएलएस के अनुसार नहीं होगी पर क्रेता द्वारा मांगा जाएगा) वाणिज्यिक प्रस्ताव के लिए प्रत्येक घटक/कलपुर्जे की वास्तविक लागतें उपलब्ध कराई जाएं, तकनीकी प्रस्तावों के मामले में ये अल्प लागत/मध्य लागत/उच्च लागत के रुप में परिलक्षित होंगी । इस उद्देश्य के लिए दिशा-निर्देश नीचे दिए जा रहे हैं:-

i. अल्प लागत - उपस्कर/उप प्रणाली की यूनिट लागत की 2 % से कम ।

ii. मध्य लागत- उपस्कर/उप प्रणाली की यूनिट लागत की 2 से 10% ।

iii. उच्च लागत- उपस्कर/उप प्रणाली की यूनिट लागत के 10% से ज्यादा ।

यदि एक पूर्ण उपस्कर में विभिन्न उप प्रणालियां शामिल हैं- जैसे कि यह किसी वाहन से आ रहा है या एक स्टेंड के लिए उपलब्ध कराया गया है या एक जनरेटर या एयर कंडिशनर शामिल है तो प्रत्येक उप प्रणाली के लिए अलग से एमआरएलएस प्रदान की जानी चाहिए ।

ग. **विशेष अनुरक्षण औजार और परीक्षण उपस्कर -** यह उसी तरीके से तैयार किया जाना है जैसा एमआरएलएस के लिए दिया गया है । इसका प्रस्तावित प्रारुप डीपीएम फार्म-17 में दिया गया है (रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट में उपलब्ध है तथा अनुरोध पर दिया जा सकता है) और तकनीकी तथा वाणिज्यिक प्रस्तावों में शामिल किया जाना है । लागत कॉलम, तकनीकी प्रस्ताव में खाली छोड़ा जा सकता है ।

घ. **तकनीकी साहित्य -** प्रणाली के साथ दिए गए तकनीकी साहित्य के ब्यौरा, डीपीएम फार्म-18 में प्रस्तावित प्रारुप के अनुसार सूचीबद्ध किए जाने चाहिए (रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट में उपलब्ध है तथा अनुरोध पर दिया जा सकता है) । इसे तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों के साथ उपलब्ध होना चाहिए । तकनीकी प्रस्ताव में लागत का कॉलम खाला छोड़ा सकता है ।

ङ **विविध पहलू (जब परीक्षण आवश्यक हो, तभी लागू)** - ऐसे मामलों में जहां उपकरण को परीक्षणों से गुजरना आवश्यक हो, तो उपकरण को भी अनुरक्षण मूल्यांकन परीक्षण के माध्यम से किया जाएगा । इस मूल्यांकन और आपूर्तिकर्त्ता के परामर्श के आधार पर, एमआरएलएस को परिष्कृत किया जा सकता है । प्रयोक्ता परीक्षण के दौरान कुछ संशोधन/सुधार करने के बाद उपकरण को स्वीकार किया जा सकता है ।

च. **अनुरक्षण मूल्यांकन परीक्षण (एमईटी)** - इसे, उपस्कर के जीवनकाल के लिए प्रभावशाली इंजीनियरी आधार की प्रबंध व्यवस्था को सरल बनाने के लिए लाया गया है । इसमें उपस्कर के पुर्जे खोलना और सिफारिश किए गए परीक्षणों को करवाना तथा उनका समायोजन करना और अनुरक्षण कलपुर्जों, औजारों, परीक्षण उपस्कर और पर्याप्त मात्रा में तकनीकी साहित्य उपलब्ध कराना, शामिल होंगे । एमईटी के ब्यौरे डीपीएम फार्म - 20 मे दिए गए प्रारुप के अनुसार दिए जाएंगे (रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट में उपलब्ध है तथा अनुरोध पर दिया जा सकता है) । इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बोलीदाता को निम्नलिखित उपलब्ध करवाना होगा:-

i. **तकनीकी साहित्य**

4. हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रयोक्ता पुस्तिका/प्रचालक मैनुअल

5. रुपांकन विनिर्देशन

6. तकनीकी मैनुअल

क भाग-1विभिन्न तंत्रों की कार्यपणाली ,विनिर्देशन तकनीकी विवरण ।

ख. भाग-2 निरीक्षण/अनुरक्षण कार्य, मरम्मत प्रक्रियाएं, प्रयोग किए गए पदार्थ, दोष निदान और विशेष अनुरक्षण औजार (एस एम टी)/विशेष परीक्षण उपस्कर (एस टी ई) के उपयोग ।

ग. भाग-3 सतन्वायोजन/असतन्वायोजन प्रक्रिया संघटक स्तर के सुरक्षा उपायों तक मरम्मत ।

घ. भाग-4 रेखाचित्र संदर्भ के साथ पुर्जों की सूची और एस एम टी/एस टी ई परीक्षण बैंच की सूची ।

4. विनिर्माता द्वारा संस्वीकृत कलपुर्जों की सूची (एमआरएलएस) ।

5. वाणिज्यिक प्रस्ताव में दी गई कीमतों के साथ कलपुर्जों की सचित्र सूची (आईएसआरएल) ।

6. रेखाचित्र संदर्भो के साथ एसटीई का तकनीकी मैनुअल ।

7. पूर्ण उपस्कर अनुसूची ।

8. औजारों और उपकरणों की सारणी और कलपुर्जे रखना ।

9. प्रत्येक प्रणाली के लिए रोटेबल सूची, खपत के मानदंड और अनिवार्य/गैर अनिवार्य कलपुर्जों की सूची ।

ii. प्रमाणी का एक सैट

iii. विशेष अनुरक्षण औजारों (एसएमटी) का एक सैट

iv. विशेष परीक्षण उपकरण (एसटीई) का एक सैट

v. सर्विस समय सीमा

vi. दंडित करने के कारणों की सीमाएं

vii. अनुमत बोधक मरम्मत अनुसूची

viii. पैकिंग संबंधी विनिर्देशन/अनुदेश

ix. रेखाचित्र विनिर्देशन

x. प्राथमिक उपस्कर विनिर्माता द्वारा सुझाई गई कोई भी अतिरिक्त जानकारी

छ. वेंडर द्वारा रेंज और गहराई संदर्भ में कम ईएसपी/एमआरएलएस को उद्धृत करने से वस्तुओं का अभाव होगा । विक्रेता ईएसपी/एमआरएलएस में उद्धृत की गई अतिरिक्त मदों को वापस खरीदने के लिए सहमत होना चाहिए ।

33. मूल्य परिवर्तन (पीवी) शर्त - निम्नलिखित पीवी शर्त सफल बोलीदाता को दी गई संविदा पर लागू होगी ।(टिप्पणी डीसीएस एंड डी) नियम पुस्तिका में मानकीकृत मूल्य विचलन शर्तें दी गई हैं । इन सभी शर्तों को शामिल करने के लिए विचार किया जा सकता है । एक नमूना शर्त निम्नानुसार दी जाती है) -

क. मूल्य विचलन के फार्मूले में सामान्यतया नियम तत्व, सामान तत्व और श्रम तत्व का समावेश होता है । सामान तत्व और श्रम तत्व को प्रस्तुत करने वाले आंकड़ों में भुगतान लागत के समरुप अनुपात को प्रस्तुत करते हैं जबकि नियम तत्व 10 से 25% की सीमा तक परिवर्तित होता है । सामान तत्व और श्रम तत्व के साथ प्रस्तुत मूल्य का भाग मूल विचलन को आकर्षित करेगा अत: विचलन का फार्मूला निम्न प्रकार से होगा:-

$$P_1 = P_0\{F + A[\frac{M_1}{M_0}] + B[\frac{L_1}{L_o}] - P\}$$

जहां P_1 आपूर्तिकर्त्ता को देय समायोजित राशि को दर्शाता है (ऋणात्मक अंक संविदा मूल्य में कमी को दर्शाता है)

P_0 आधार स्तर पर संविदा मूल्य है ।

F नियत तत्व को दर्शाता है न कि मूल्य विचलन को ।

a संविदा मूल्य में माल तत्व के दिए गए प्रतिशत को दिखाता है ।

b संविदा मूल्य में श्रम तत्व के दिए गए प्रतिशत को दिखाता है ।

L_o L_1 क्रमश: माह एवं वर्ष और गणना के माह एवं वर्ष पर मजदूरी सूचकांक को दर्शाता है।

M_0 एवं M_1 क्रमश: आधार पर माह एवं वर्ष और गणना के माह एवं वर्ष पर माल सूचकांक को दर्शाता है

यदि सामग्री की एक से ज्यादा मदे शामिल की जाती हैं तो सामग्री तत्वो को दो या तीन घटको मे बांटा जा सकता है, जैसे $M_{x,}$ M_y, M_z जहां सेवाओ के लिए मूल्य परिवर्तन शर्त उपलब्ध करानी हो (सामग्री के नगण्य निवेश के साथ) तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए प्रति दिन की दरों के रुप में, किए गए भुगतान में, मूल्य परिवर्तन फामूर्ले में केवल दो घटक जैसे एक उच्च निश्चित तत्व और एक श्रम तत्व होने चाहिएं । ऐसे मामलों में निश्चित तत्व 50% या इससे अधिक हो सकता है जो आपूर्तिकर्त्ता द्वारा मजदूरी दरों के साथ-साथ प्रति दिवस दरों के मूल्य बढ़ाने पर निर्भर है ।

ख. मूल्य समायोजन पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगे :-

i. आधार तारीख मूल्य निविदा को खोलने की देय तारीख होगी ।

ii. समायोजन की तारीख विनिर्माता का मध्य बिंदु होगा ।

iii. मूल डीपी से अधिक किसी भी प्रकार की मूल्य वृद्धि की अनुमति नहीं होगी जब तक कि देरी क्रेता के द्वारा हुई हो ।

iv. कुल समायोजन ----प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक लागू होगा ।

v. अग्रिम भुगतान के रुप में विक्रेता को देय संविदा मूल्य के भाग पर कोई मूल्य समायोजित नहीं किया जाएगा ।

भाग -V - अन्य ब्यौरे

1. **वितरण -**

क. भुगतान करने वाले प्राधिकरण (पता) द्वारा इस अनुबंध के संबंध में भुगतान स्वीकार करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा को निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाते हैं:-

i. इस अनुबंध के लिए लेखा शीर्ष - मुख्य शीर्ष ------------------, लघु शीर्ष -----------------

कोड शीर्ष -------

ii. इस अनुबंध के लिए सी एफ ए -------

iii. इस अनुबंध के लिए लागू शक्तियों की अनुसूची ---------

iv. यह पुष्टि की है कि आईएफए की सहमति ली गई है ।

ख. आंतरिक वित्तीय सलाहकार (पता) - यह दिनांक ---------------- अ0वि0सं0 ----------------- के द्वारा आं0वि0स0 की सहमति के संदर्भ में है ।

ग. निरीक्षण प्राधिकरण (पता) - कृपया निरीक्षण अधिकारी द्वारा समय से निरीक्षण सुनिश्चित करें ।

घ. प्रेषिति (पता) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए

ङ. मांगकर्त्ता (पता) यदि लागू हो

च. उपयोगकर्त्ता (पता) यदि लागू हो

2. **प्रमाण पत्र एवं हस्ताक्षर शर्त -** क्रेता के अधिकृत प्रतिनिधि को, क्रेता की कंपनी के निदेशक मंडल के संकल्प द्वारा अधिकृत अथवा इसके समर्थन में दस्तावेजों सहित कंपनी के ज्ञापन/संस्था के अंतर्नियम द्वारा समुचित रुप से अधिकृत दर्शाया गया होना चाहिए ।

3. **अनुबंध में शामिल पक्षों के वैधानिक पते**

विक्रेता	**क्रेता**
विक्रेता के हस्ताक्षर (पूरा नाम एवं पदनाम) पता, दूरभाष, फैक्स, ई-मेल विवरण	क्रेता के हस्ताक्षर (पूरा नाम एवं पदनाम) भारत के राष्ट्रपति की ओर से पता, दूरभाष, फैक्स, ई-मेल विवरण

परिशिष्ट - 'च'

दर अनुबंध के समक्ष आपूर्ति आदेश का मसौदा

कार्यालय: (क्रेता का नाम और पता)

सेवा में,

प्रिय महोदय/महोदया

विषय: दिनांक ---------- आपूर्ति आदेश संख्या ------------ देना ।

संदर्भ : (केंद्रीय अभिकरण का नाम) दर अनुबंध सं0 ----------- दिनांक -------, -------से ------- तक मान्य।

1. यह आदेश, नीचे दिए गए भंडारों की आपूर्ति के लिए, उपर्युक्त दर अनुबंध की नियमों और शर्तों के अनुसार और यहां दिए गए तरीके के अनुसार एक भाग पर क्रेता (जिसके साथ अनुबंध संबंधित है और मांग दी जाती है) तथा दूसरे भाग पर भारत के राष्ट्रपति (क्रेता द्वारा प्रतिनिधित्व) के बीच एक विशिष्ट अनुबंध करेगा ।

मद सं0	मांग पत्र का संदर्भ	अनुबंध की मद सं0	वस्तुओं का विवरण	मात्रा	प्रति इकाई	कुल राशि
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)
जोड़						

कर	परिवहन प्रभार	अन्य प्रभार	कुल लागत
(क)	(ख)	(ग)	(घ)

2. शब्दों में कुल लागत --------------

3. सुपुर्दगी की तिथि --------/इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से दिन

4. निरीक्षण अधिकारी का पदनाम और पता -------------

5. प्रेषिति का पदनाम और पूरा पता -------------

6. भुगतान करने वाले प्राधिकार का पदनाम और पूरा पता ------------

7. लेखा शीर्ष जिसके नामे लागत डाली जाती है:-

   क- मुख्य शीर्ष ----------

   ख- लघु शीर्ष -----------

   ग- कोड शीर्ष -----------

8. कृपया इस आपूर्ति आदेश की प्राप्ति की पावती भेजें और भंडारों की आपूर्ति की व्यवस्था करें ।

(क्रेता का नाम और पदनाम)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से

परिशिष्ट - 'छ'

प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी)
प्रस्ताव के लिए अनुरोध का सूचीपत्र

आरएफपी का संलग्नक -1

जहाजों/पनडुब्बियों/यानों/भारतीय पीएसयू/निजी पोतों/व्यापार की परिसंपित्तयों की आंशिक/पूर्ण पुनर्सज्जा की ऑफ लोडिंग हेतु आरएफपी

के लिए बोलीदाताओं को निर्देश

1. संलग्न आवश्यकता सूची (एसओआर) में सूचीबद्ध कार्य पैकेज के अनुसार -------- (जहाज/पनडुब्बी/यान/परिसंपत्ति का नाम दर्शाएं) के लिए ---------- (मरम्मत/पुनर्सज्जा/ऑफ लोडिंग किए जाने वाली/पुनर्सज्जा का भाग की प्रकृति को दर्शाए) सीलबंद लिफाफे में दरें आमंत्रित की जाती हैं ।

2. निविदा के बारे में सामान्य जानकारी -

   (क) निविदा संदर्भ संख्या --

   (ख) निविदाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय ---------------------------

   (ग) निविदाएं खोलने का समय और तिथि---

   (घ) निविदाएं खोलने का स्थान --

   (ङ.) पत्र व्यवहार का पता ---

3. निविदा को एकल चरण - द्विबोली प्रणाली, तकनीकी और वाणिज्यिक बोली के रुप में जमा किया जाएगा। निम्नलिखित संलग्नक जाँच के साथ अग्रेषित किए जाते हैं जो तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्ताव तैयार करने में सहायता करेंगे ।

   क. निविदा दस्तावेज के सूचकांक ------------------

   ख. आवश्यकता की अनुसूची - संलग्नक

   ग. अनुबंध की मानक शर्तें - संसलग्नक -III

   घ. तकनीकी बोली की तैयारी के लिए दिशा निर्देश - संलग्नक -IV

   ङ. वाणिज्यिक बोली की तैयारी के लिए दिशा-निर्देश - संलग्नक -V

   च. लागत के लिए सारांश शीट- संलग्नक -VI

   छ. ओईएम/प्राधिकृत प्रतिनिधि के पते की अनुसूची - संलग्नक- VII

   ज. अनिवार्य पुर्जों (पोत का ढांचा/इंजीनियरिंग/इलैक्ट्रिकल्स) की सूची संलग्न-VIII

4. दरें, तकनीकी बोली खोलने की तिथि से ----- दिनांक (अवधि निर्दिष्ट की जाएं जो 180 दिनों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए) तक वैध होगी (टिप्पणी - दरों की वैधता अवधि, प्रति मामला आधार पर सीएफए के अनुमोदन से बढ़ाई/घटाई जा सकती है) ।

<u>निविदाएं प्रस्तुत करना/खोलना</u>

5. कृपया सीलबंध लिफाफे पर हमारा आरएफपी सं0 और निविदा खोलने की तारीख अंकित करें । ऐसा न हाने पर आपकी संविदा को निरस्त किया जा सकता है ।

6. तकनीकी और वाणिज्यिक बोली, दो अलग सीलबंद लिफाफों में भेजी जानी है जिन पर विधिवत रुप से "------------ दिनांक आरएफपी सं0 के लिए तकनीकी बोली" तथा -----दिनांक -------- आरएफपी सं0 के लिए वाणिज्यिक बोली लिखा गया हो । दरों पर, आपकी फर्म का नाम, पता, अधिकारिक मुहर और निविदाकर्त्ता के अधिकृत प्रतिनिधि के स्याही से हस्ताक्षर किए जाने हैं । --------- को संबोधित सीलबंद दरें, निविदा डिब्बे जिस पर "निविदा पेटी सं0 -------, ------पर स्थित लिखा हो, में डाली जानी चाहिए, अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए ताकि यह नियत तिथि और समय (आरएफपी में निर्दिष्टि किया जाए) तक इस कार्यालय में पहुंच जाए। किसी प्रकार के डाक-विलंब अथवा निविदा दस्तावेजों के न पहुंचने/अप्राप्ति के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नही होगा ।

7. सीलबंद दरें, निश्चित तिथि और समय पर एक समिति द्वारा खोली जाएंगी । कंपनी की ओर से अधिकृत आपका प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय पर उपस्थिति हो सकता है । यदि किसी कारण से निविदा खोलने की नियत तिथि को अवकाश होता है, तो ऐसे मामलों में निविदाएं उसी समय पर अगले कार्य दिवस पर खोली जाएंगी अथवा उपभोक्ता द्वारा किसी अन्य दिवस/समय के बारे में सूचना दी जाएगी । वाणिज्यिक बोली खोलने की तिथि, तकनीकी बोलियों को स्वीकार किए जाने के बाद सूचित की जाएगी।

8. फैक्स द्वारा भेजी गई निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा । सीलबंद पेटी में पाई गई निविदाओं पर ही विचार होगा । निविदाओं के देर से प्राप्त होने/प्राप्त न होने के संबंध में किसी जटिलता से बचने लिए यह ध्यान रखा जाए कि यह निविदाकर्त्ता की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि निविदाएं निर्धारित तिथि से पहले इस कार्यालय में पहुंच जाएं । देर से प्राप्त दरें सिरे से निरस्त कर दी जाएंगी ।

9. यदि किसी कारण से आपकी फर्म दरें भेजने की इच्छुक नहीं हैं तो आप अपना खेद नियत तिथि से पहले भेज दें अन्यथा आपकी फर्म को अनुबंधकर्त्ता की सूची से हटाया जा सकता है ।

10. वाणिज्यिक प्रस्ताव केवल उन फर्मों के ही खोले जाएंगे जिनके तकनीकी प्रस्ताव, तकनीकी मूल्यांकन के बाद उपयुक्त पाए गए हैं । आगे की बातचीत समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम बोलीदाता (L_1) से ही की जाएगी । इस प्रयोजन के लिए निर्धारित तिथि, समय और स्थान की सूचना अलग से दी जाएगी ।

11. **अग्रिम मुद्रा जमा -** बोलीदाता को, अंतिम बोली की वैधता अवधि के अतिरिक्त, ------दिनों (सामान्यतया 45 दिन) की वैधता के साथ ------- रुपए की राशि की ईएमडी देनी है, जो सरकारी कामकाज करने के लिए अधिकृत किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अथवा निजी क्षेत्र के बैंक से आदाता के खाते में डिमांड ड्राफ्ट या आवधिक जमा रसीद या बैंकर चैक या बैंक गारंटी के रुप में होगी । डीपीएम फार्म-13 के प्रारुप को अपनाया जा सकता है ।

मूल्यांकन मापदंड

12. **"दर न बताई गई मदों" के लिए लागत का अतिरिक्त प्रभार-** बोलीदाता को एसओआर में दिए गए सभी वर्गों/उप-वर्गों के लिए दर देनी है । एसओआर की कोई चूक/विचलन को, विचलन के रिकार्ड में दर्ज करने हैं और "टी" बोली के साथ प्रस्तुत करने होते हैं । ऐसे मामलों में जहां बोलीदाता, कुछ मदों/त्रुटि सूची अनुक्रमी के लिए दर देना भूल जाता है, उनकी बोली, उस विशेष मद/त्रुटि सूची अनुक्रमी के लिए उच्चतम बोलीदाता द्वारा उद्धृत की गई राशि द्वारा भरी जाएगी और इसे L_1 के निर्धारण के लिए प्रयोग में लाया जाएगा । उपभोक्ता, इस संबंध में किसी फर्म की अर्हता निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

L_1 फर्म को अंतिम रुप देना

13. L_1 फर्म का निर्धारण, सेवाओं की कुल राशि, मरम्मत शुल्क, बजटीय लागत कलपुर्जों की अधिकता के आधार पर नहीं, लागू करों और शुल्कों (मांगी गई/प्रदान की गई छूटों सहित) पर किया जाएगा परंतु इसमें चुंगी/प्रवेश कर शामिल नहीं हैं । कार्य पैकेज में सूचीबद्ध कलपुर्जों के लिए भुगतान, बजटीय लागत से अधिक नहीं होगा ।

टिप्पणी - भारतीय तटरक्षक के मामले में, क्योंकि अनिवार्य पुर्जे पुनर्सज्जा पैकेज का हिस्सा नहीं है तो L_1 फर्म का निर्धारण, पुनर्सज्जा की लागत के कारण, सेवाओं, लागू करों और शुल्कों (मांगी गई/प्रदान की गई छूटों सहित) के आधार पर होगा परंतु इसमें चुंगी/प्रवेश कर शामिल नहीं होगा ।

14. **भुगतान शर्तें -** अनुबंध मूल्य की भुगतान शर्तें निम्नलिखित होंगी (आईएफए के परामर्श से नीचे दिए गए प्रारुप के अनुसार निर्दिष्ट करें):-

प्रक्रम सं0	गतिविधि की परिभाषा	प्रक्रम भुगतान

अनुबंध की मानक शर्तें (एससीओसी)

15. फर्म को एससीओसी स्वीकार करना आवश्यक होगा । इसके अतिरिक्त, एजेंटों/एजेंसी का कमीशन, अनुचित प्रभाव के प्रयोग करने पर जुर्माना, लेखा बहियों की सुलभता, पंचाट तथा कानूनों के बारे में मानक शर्तों को अनुबंध में शामिल किया जाएगा । इस अनुबंध पर शिपयार्ड/फर्म और अनुबंध संचालन प्राधिकरण (सीओए, -------) के बीच हस्ताक्षर होंगे जो आरएफपी के संलग्न-।।। के एससीओसी में शामिल हैं और अनुबंध का एक अभिन्न हिस्सा होगा ।

बोलीपूर्व सम्मेलन

16. बोली तैयार करते समय एसओआर (संलग्नक-।।) और एससीओसी (सलंग्नक-।।।) को सावधनीपूर्वक ध्यान में रखा जाना चाहिए । सभी स्पष्टीकरण, ------ (स्थान) पर ---------(तिथि/माह/वर्ष) को, बोली-पूर्व सम्मेलन में, बोलियों को पहले से प्रस्तुत कर हल किए जाएंगे । तकनीकी बोली खुलने के बाद, वाणिज्यिक बोली में किसी संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(**टिप्पणी** - बोली पूर्व सम्मेलन का आयोजन कार्य की प्रकृति के आधार पर किया जा सकता है और जहां लागू हो इस शर्त को लागू किया जा सकता हे ।)

वाणिज्यिक बोली

17. वाणिज्यिक बोली को इस निविदा जाँच के संलग्नक-V के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाना है । वाणिज्यिक बोली के एक बार , फर्म द्वारा एकतरफा संशोधन नहीं किया जाएगा, जब तक फर्म को विशेष रुप से मूल्य वार्ता के लिए और दरों का औचित्य सिद्ध करने के लिए न कहा जाए ।

शर्तें जिनके तहत यह आरएफपी जारी की गई हैं

18. यह आरएफपी बिना किसी वित्तीय वचनबद्धता के जारी की जा रही है और उपभोक्ता को किसी स्तर पर इसमें परिवर्तन अथवा किसी भाग को बदलने का अधिकार है । उपभोक्ता को बिना कोई कारण बताए, किसी एक या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार है । उपभोक्ता को यदि किसी स्थिति पर यह आवश्यक लगता है तो वह आरएफपी को वापस ले सकता है ।

19. कृपया पावती भेजें ।

धन्यवाद,

भवदीय

आर एफ पी का संलग्नक -।।

आवश्यकताओं की अनुसूची (एस ओ आर)

(टिप्पणी: आवश्यकताओं की अनुसूची एक तकनीकी दस्तावेज है और परियोजना के लिए विशिष्ट है तथा आर एफ पी का हिस्सा है)

अनुबंध-। पोत/परिसंपति का विवरण जिन पर कार्य किया जाना है ।

अनुबंध-।। मात्रात्मक कार्य पैकेज (कार्य का व्यापक क्षेत्र) जिसमें पूर्ण किए जाने वाले अलग-अलग कार्यों के ब्यौरे जिनमें सर्वेक्षण, वियोजन और निरीक्षण, किए वाले रुटीन और मरम्मत कार्य, अनुवर्ती मरम्मत, परीक्षण शामिल हैं और आवश्यक सेवाओं की व्यापक सूची जैसे शुष्क गोदीयन, बर्थिंग, जैटी सेवाएं, बिजली, आवास, फोन, ताजा पानी, अग्नि) क्रेन सुविधाएं, टग्स और पाइलट शुल्क शामिल हैं ।

अनुबंध-।।। गुणवत्ता निरीक्षण अनुसूची/क्यूएपी (न्यूनतम और आवश्यक मानदंड, जिन्हें कार्य को संतोषजनक रुप से पूर्ण करने के लिए प्राप्त करना आवश्यक है ।

अनुबंध-IV नौसेना/तटरक्षक के संगत आदेशों के उद्धरण जहां लागू हों जो कार्य के क्षेत्र, जैसे 'पेंट योजनाएं', 'पोत के ढांचे का सर्वेक्षण और अनुसमर्थन प्रक्रिया' 'एंकर चेन केबल के सर्वेक्षण', 'सीमित स्थानों में प्रवेश और उनकी सावधानियों से संबंधित है । इसके अतिरिक्त, गैस मुक्त और मनुष्य के लिए प्रवेश प्रमाणपत्रों की आवश्यकताएं, अग्नि संतरियों, ओईएम को प्रशासनिक सहायक, पंपिंग आउट सुविधाएं और मलबा/व्यर्थ पदार्थों को हटाना, जहां लागू हों, स्पष्ट रुप से दर्शाया जाना चाहिए ।

आर एफ पी का संलग्न -III

अनबंध की मानक शर्तें

कृपया परिशिष्ट 'ज' देखें ।

आर एफ पी का संलग्न - IV

तकनीकी बोली तैयार करने के लिए दिशा निर्देश

तकनीकी बोली में निम्नलिलित सूचना एवं ब्यौरे शामिल होने चाहिए ताकि पुनर्सज्जा करने के लिए पोत मरम्मत यार्ड की समझ, तकनीकी क्षमता और बुनियादी/संसाधनों को प्राप्त करने के लिए ----- (मरम्मत सेवा एजेंसी का नाम) को सक्षम बनाया जा सके:-

(क) कार्य के संपूर्ण क्षेत्र की स्वीकृति दर्शाना (अथवा) --------- को छोड़कर कार्य के संपूर्ण क्षेत्र की स्वीकृति दर्शाना (विशिष्ट कार्य दर्शाएं जो विचलन सूची के रुप में नहीं किए जा रहे हैं) ।

(ख) एसओआर में दर्शाए गए क्यूएपी/क्यूआईएस की स्वीकृति दर्शाना (विशिष्ट प्रावधान दर्शाए जो विचलन सूची के रुप में नहीं किए जा रहे हैं) (अथवा) तकनीकी मूल्यांकन समिति के ध्यानाकर्षण के लिए क्यूएपी/क्यूआईएस प्रेषित करना ।

(ग) यदि लागू हो, कलपुर्जों की प्रत्याशित सूची दर्शाएं जो एसओआर में निर्दिष्ट कार्य क्षेत्र के लिए आवश्यक है । यदि प्रत्याशित कलपुर्जों की ऐसी सूची को तकनीकी बोली के साथ अग्रेषित किया जाता है, ऐसे सभी कलपुर्जों के बजटीय अनुमान, वाणिज्यिक बोली में इंगित किए जाने हैं।

(घ) दर्शाएं कि क्या आरएफपी के ------------- प्रति पैरा के रुप में बकया पैसे जमा संलग्न किया गया है ।

(ङ) आरएफपी के ------------------------ पैरा में दिए अनुसार भुगतान शर्तों की स्वीकृति दर्शाएं।

(च) आरएफपी में दी गई, अनुबंध की मानक शर्तें (एससीओसी) और अन्य नियम और शर्तों की स्वीकृति दर्शाना ।

आरएफपी संलग्नक - V

वाणिज्यिक बोली तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश

1. इस आरएफपी के संलग्नक VI की सारांश शीट सभी दृष्टियों से भरी होनी चाहिए ।

2. एसओआर के परिशिष्ट-2 में संलग्न मात्रात्मक कार्य पैकेज को सभी दृष्टियों से भरा होना चाहिए। मरम्मतों की कुल लागतों के साथ-साथ प्रत्येक क्रम के लिए यूनिट लागत/दर जैसे 1 पंप के लिए x रुपए (यूनिट दर) और 6 पंप के लिए y रुपए (कुल लागत) और अनिवार्य कलपुर्जों की बजटीय लागत को प्रत्येक मद की त्रुटि सूची के समक्ष प्रदर्शित किया जाना चाहिए । प्रत्यायोजित कलपुर्जों की लागत को अलग से दर्शाया जाना चाहिए परंतु इसे L_1 के निर्धारण के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

3. यार्ड सामग्रियों की लागत जैसे स्टील प्लेट, वेल्ड उपभोज्य, सामान्य प्रकृति के केबलों, पाइपों और ट्यूबों को अलग से दर्शाना चाहिए । जबकि लौह स्क्रैप अनुबंधकर्त्ता की संपत्ति होगी, अलौह - मदें और अप्रयुक्त कलपुर्जे उपभोक्ता की संपत्ति होगी । अत: बोली में दी गई लौह संपत्ति की लागत में स्क्रैप मूल्य के लिए छूट शामिल होगी ।

4. प्रत्येक पृष्ठ, बोलीदाता द्वारा प्रमाणित (हस्ताक्षरित) किया जाना है ।

5. खोए हुए इधर-उधर रखे पृष्ठों को पहचानने/ढूंढने के लिए पृष्ठों पर क्रम संख्या डालना आवश्यक है ।

6. **बोली वैधता** -वाणिज्यिक बोली, तकनीकी बोली खोलने की तिथि से ---------------- दिनों (अवधि निर्दिष्ट करें जो 180 दिनों से अधिक न हो) तक वैध होगी ।

7. वाणिज्यिक बोली तैयार करने के लिए इसका एक नमूना नीचे संलग्न है:-

तकनीकी बोली के लिए प्रारुप का नमूना

त्रुटि सूची की मद सं0	विवरण	मरम्मत की लागत		अनिवार्य कलपुर्जों की बजटीय लागत
		यूनिट की लागत	कुल लागत	
0023	ईंधन संग्रहण टैंक टॉप फ्रेम्स के बीच चढ़ाना 26 से 31.5 (पोर्ट और स्टब्ड) नवींकरण किया जाना है। क्षेत्र लगभग 15 m^2 मोटाई 6mm. निम्नलिखित मदों को हटाना और पुनर्सज्जा करना आवश्यक है।	(क) X रुपए (स्टील के नवीकरण के लिए प्रति m^2 (ख) Y रुपए स्टील प्लेट की लागत प्रति m^2/कि0ग्रा0	(क) क रुपए (ख) ख रुपए (डीएल ं0-0023 के कुल क्षेत्र के लिए (क) और (ख) में दी गई राशि में, छूट यदि कोई हो तो स्पष्ट रुप से दर्शाना)	जहां लागू हो, प्रत्येक डी एल के पूर्ण होने के लिए आवश्यक सभी कलपुर्जों की लागत का उल्लेख करें।
0024	5 गायरों मोटर यूनिट जिनकी जाँच होनी है।	X रुपए	क रुपए (डी एल सं0 0024 के कुल क्षेत्र के लिए 'क' में दी गई राशि में छूट, यदि कोई हो तो स्पष्ट रुप से दर्शाना)	

आर एफ पी का संलग्नक - VI

लागत/दर के लिए सारांश शीट (नमूना)

क्र0सं0	कार्य/सर्विस सामग्री/कलपुर्जे/टैक्स का विवरण	दर (रुपए में)
1.	एसओआर में दर्शाई गई सभी सेवाओं की लागत	
	एसओर में, एसओडब्ल्यू के भाग की मरम्मत की लागत	
	(क) एचयूएलएल कार्य पैकेज	
	(ख) अभियांत्रिकी कार्य पैकेज	
2.	(ग) विद्युत कार्य पैकेज	
	(घ) हथियार कार्य पैकेज	
	(ङ) क्रम सं0 2(क) से (घ) में शामिल पुर्जों और सामग्री की लागत	
3.	एस ओ आर में अन्य सभी सेवाओं की लागत (ओ ई एम प्रभारों सहित क्रम सं0 1 और 2 के अंतर्गत शामिल नहीं)	
4.	क्रम सं0 1, 2 और 3 पर सेवा कर, 2(ङ) को छोड़कर	
5.	कार्य अनुबंध कर (यदि क्रम सं0 1,2 और 3 पर लागू हों)	
6.	यार्ड सामग्री की लागत	
7.	पुर्जों की बजटीय लागत	
8.	क्रम संख्या 6 और 7 पर लागू वैट/बिक्री कर	
9.	क्रम संख्या 6 और 7 पर लागू चुंगी/अन्य स्थानीय कर	
10.	सीमा शुल्क/सीमा शुल्क की राशि जिस पर क्रम संख्या-6 और 7 पर छूट मांगी गई है ।	
11.	उत्पाद शुल्क/उत्पाद शुल्क की राशि जिस पर क्रम संख्या 6 और 7 पर छूट मांगी गई है ।	
12.	विविध (ऊपर दी गई किसी भी क्रम संख्या में शामिल नहीं) ।	
13.	क्रम संख्या 12 पर लागू टैक्स/ड्यूटी/शुल्क	
14.	कुल जोड़ (क्रम सं0 1 से 13 तक)	
15.	कुल जोड़ (क्रम संख्या 10 और 11 को छोड़कर)	

टिप्पणी- बोलीदाता द्वारा प्रत्याशित पुर्जों की बजटीय लागत को अलग से भेजा जा सकता है यदि बोलीदाता समझता है कि एस ओ डब्ल्यू को पूरा करने के लिए इसकी आवश्यकता है । तथापि, एल-1 के निर्धारण के लिए इसका विचार नहीं किया जाएगा ।

परिशिष्ट 'ज'

जहाजों/पनडुब्बियों/समुद्रीय और सेवा परिसंपत्तियों की आंशिक/ पुर्ण पुनर्सज्जा/मरम्मत के लिए अनुबंध की मानक शर्तें

(फार्म, अनुबंध का एक अभिन्न हिस्सा है जिसे आर एफ पी के संलग्नक-।।। के अनुसार भेजा जाना है)

सामग्री सारणी

अनुच्छेद संख्या		विवरण
अनुच्छेद 1	-	परिभाषा और संक्षिपत नाम
अनुच्छेद 2	-	अनुबंध की प्रभावी तिथि और संचालन
अनुच्छेद 3	-	अनुबंध का विषय - क्षेत्र
अनुच्छेद 4	-	अनुबंध का मूल्य और भुगतान की शर्तें
अनुच्छेद 5	-	कर और शुल्क
अनुच्छेद 6	-	अग्रिम बैंक गारंटी
अनुच्छेद 7	-	निष्पादन बाँड
अनुच्छेद 8	-	अवधि और सुपुर्दगी
अनुच्छेद 9	-	परिनिर्धारित क्षति
अनुच्छेद 10	-	जोखिम और खर्च शर्त
अनुच्छेद 11	-	गुणवत्ता और निरीक्षण
अनुच्छेद 12	-	वारंटी और वारंटी बांड
अनुच्छेद 13	-	सामान्य नियम और शर्त
अनुच्छेद 14	-	क्षतिपूत्रि और बीमा
अनुच्छेद 15	-	सुरक्षा
अनुच्छेद 16	-	दैवीय आपदाएं

अनुच्छेद 17	-	अनुबंध समाप्ति
अनुच्छेद 18	-	विधि
अनुच्छेद 19	-	मध्यस्थता
अनुच्छेद 20	-	अनावश्यक प्रभाव के प्रयोग के लिए जुर्माना
अनुच्छेद 21	-	एजेंट/एजेंसी कमीशन
अनुच्छेद 22	-	अनुबंध दस्तावेजों को प्रकट न करना
अनुच्छेद 23	-	सूचनाएं
अनुच्छेद 24	-	संशोधन
अनुच्छेद 25	-	सूचनाएं एवं संप्रेषण
अनुच्छेद 26	-	व्याख्या
अनुच्छेद 27	-	पक्षों द्वारा हस्ताक्षर एवं गवाही
अनुच्छेद 23 से 40	-	पुर्जे (अनुच्छेद जैसे "उपभोक्ता/अनुबंधकर्त्ता द्वारा सेवाओं का प्रावधान" अनुबंधकर्त्ता द्वारा उपभोक्ता की सुविधाओं का उपयोग", "तृतीय पक्ष का निरीक्षण", "ड्राइंग, विनिर्देशों और मानकों का अनुमोदन" को प्रति मामले के आधार पर शामिल किया जाए, बशर्ते इसे (एन सी के दौरान आए अन्य सभी समझौतों के लिए अनुच्छेदों के साथ आर एफ पी में शामिल किया गया है)

अनुलग्नक संख्या		**विवरण**
अनुलग्नक 1	:	स्वीकृति के प्रमाणपत्र का प्रारुप
अनुलग्नक 2	:	कार्यों का विषय क्षेत्र (वस्तुओं की लागत के साथ दोष सूची)
अनुलग्नक 3	:	कार्यों के विषय क्षेत्र में प्रख्यापित परिवर्तन का प्रारुप
अनुलग्नक 4	:	अनुबंध मूल्य में परिवर्तन होना
अनुलग्नक 5	:	कार्य पूर्ण होने के प्रमाण पत्र का प्रारुप (जब भी भुगतान की शर्तों के अनुसार बिल आए यह प्रारुप भरा जाए)
अनुलग्नक 6	:	अनुबंधकर्त्ता द्वारा कार्य से संबंधित सभी डाटा को सौंपने के लिए प्रारुप (जैसे "उपयुक्त ड्राइंग के अनुसार", "एचयूएलएल सर्वेक्षण/एचयूएलएल प्लेटों का नवीकरण/मंजूरी/संरेखण/परीक्षण और ट्यूनिंग/वजन में परिवर्तन/शॉक माउंट्स आदि का समूहीकरण) (यदि लागू हो तो और आर एफ पी के भाग के रुप में प्रति मामले के आधार पर बनाया जाए)

अनुबंध संख्या ----------------------------

दिनांक -----------------------------------

प्रस्तावना

यह अनुबंध------------------- वर्ष (शब्दों में वर्ष निर्दिष्ट करें) में --------माह के -----------दिन पर----- (स्थान का नाम) भारत के राष्ट्रपति ---------------(अनुबंध संचालन प्राधिकरण) (सीओए) द्वारा प्रतिनिधित्व (जिन्हें अब से क्रेता कहा जाएगा), जिसको जब तक संदर्भ द्वारा नहीं हटाया जाता, उसके उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारियों और अनुमति प्राप्त समनुदेशिती को शामिल करने के लिए माना जाएगा, को एक भाग के रुप में

और

मैसर्स--------------------------(पते सहित फर्म/शिपयार्ड का नाम) जिसे अब से अनुबंधकर्त्ता कहा जाएगा उनके प्रशासक, कार्यपालक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल हैं, दूसरे भाग के रुप में

और जहां, ------------------(कार्य का शीर्षक) करने के लिए, और --------------(किए जाने वाले कार्य का नाम) के सफलतापूर्वक होने के बाद अनुबंधकर्त्ता से ------(पोत/परिसंपत्ति का नाम) की सुपुर्दगी लेने के लिए अनुबंधकर्त्ता को --------- (पोत परिसंपत्ति का नाम) सुपुर्द/अनुमति देने को उपभोक्ता सहमत है ।

उपभोक्ता और अनुबंधकर्त्ता अब से 'पक्ष' अथवा 'पक्षों' के रुप में संदर्भित होंगे ।

दोनों पक्षों द्वारा और उनके बीच में अब निम्नानुसार सहमति व्यक्त की जाती है:-

अनुच्छेद 1 - परिभाषएं और संक्षिप्ति

1.1

i. परिभाषाएं

इस अनुबंध में निम्नलिखित शब्दों और भावों के, जिसमें इनके परिशिष्ट शामिल है, एतद्पश्चात परिभाषित अर्थ होंगे यदि संदर्भ में दूसरे प्रकार से अर्थ न लिया गया हो:-

वास्तविक : भुगतान से संबंधित शब्द वास्तविक का अर्थ सभी खर्चों जिसमें लागत तत्वों से जुड़े खर्च जैसे सभी कर, ड्यूटी और शुल्क, माल- भाड़ा, बीमा और अनुबंधकर्त्ता द्वारा किए गए निकासी प्रभार और अनुबंधकर्त्ता द्वारा ओ ई एम को भुगतान देते समय, जहां लागू हो, प्रचलित विनिमय दर पर गणना किए गए खर्च शामिल हैं । इसके अतिरिक्त अनुबंधकर्त्ता को देय पारिश्रमिक और सेवा प्रभार (मूल लागत के 7.5% से अधिक नहीं जिसमें कर, ड्यूटी, माल-भाड़ा, बीमा और निकासी प्रभार शामिल नहीं हैं) इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार ऐसे वास्तविक खर्चों पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद : पृथक सीमांत संस्था के साथ इस अनुबंध के अनुच्छेद और/अथवा इसके परिशिष्ट में कहीं भी संदर्भ दिया गया है ।

स्वीकृति का प्रमाण पत्र	:	इस अनुबंध के अनुच्छेद 8.1.1 और अनुलग्नक 1 में दिए अनुसार पोत की सुपुर्दगी की तिथि पर अनुबंधकर्त्ता और उपभोक्ता के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रुप से हस्ताक्षर किए जाने वाला प्रमाण पत्र ।
अनुबंध	:	अनुबंध का अर्थ होगा - यह अनुबंध जिसमें इसकी प्रस्तावना ------------- से --------------अनुच्छेद और -----------से ----------------अनुलग्नक और इस अनुबंध में किए गए सभी संशोधन, परिवर्तन, बदलाव और सुधार शामिल हैं ।
सामग्री	:	सामग्री शब्द का अर्थ होगा - इस अनुबंध में निर्दिष्ट अनुबंधकर्त्ता के कार्य के विषय क्षेत्र के अनुसार, गांरटी अवधि के पूर्ण होने तक और उसकी बकाया देयताओं के परिसमापन तक अनुबंधकर्त्ता द्वारा (और/अथवा उसकी ओर से उसके सहायक अनुबंधकर्त्ता द्वारा) की जाने वाली मरम्मत और पुनर्सज्जा, पुनर्मरम्मत/संस्थापन और कार्य के किसी भाग के परीक्षण हेतु आवश्यक सभी उपस्कर, फिटिंग, पूर्ण/अपूर्ण उत्पाद , पुर्जे, उपभोग्य सामग्री, यार्ड सामग्री, वस्तुएं, उप-सतन्वायोजन/सतन्वायोजन, दस्तावेजीकरण आदि ।
सी ओ ए	:	अनुबंध पूर्ण करने के लिए और अनुच्छेद 2.1 के अनुसार कार्य करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की ओर से सक्षम वित्तीय प्राधिकरण द्वारा नियत अभिकरण।
महीना	:	ग्रेगोरियन कैलेंडर में परिभाषित अथवा 30 दिन की लगातार अवधि का कोई कैलेंडर महीना ।
वर्ष	:	01 जनवरी से शुरु और 31 दिसंबर पर समाप्त वर्ष अथवा 12 लगातार महीनों की कोई अवधि, जैसा भी मामला हो ।

1.2 संक्षिप्ति

इस अनुबंध में अपने अनुलग्नकों के साथ निम्नलिखित शब्द और संक्षिप्ति का नीचे दिया गया अर्थ होगा, यदि संदर्भ में किसी और अर्थ की आवश्यकता न हो तो:-

बी एण्ड डी पुर्जे	:	बेस और डिपो पुर्जे
डीसीडी	:	गोदी समाप्त तिथि
एफ ए टी	:	फैक्ट्री स्वीकृति परीक्षण
एच ए टी	:	हार्बर स्वीकृति परीक्षण
एस ए टी	:	सागर स्वीकृति परीक्षण

एम ओ डी	:	रक्षा मंत्रालय
ओ बी एस	:	जहाज पर पुर्जे
पी ए सी	:	स्वामित्व अनुच्छेद प्रमाण-पत्र
ओ ई एम	:	मूल उपकरण निर्माता/पी ए सी के अनुसार फर्म
टी ई सी	:	तकनीकी मूल्यांकन समिति
सी एन सी	:	अनुबंध परक्रामण समिति
आर एण्ड आर	:	हटाना और पुनर्मरम्मत
एस टी डब्ल्यू	:	कार्य करने के लिए सेटिंग
सी ओ ए	:	अनुबंध परिचालन समिति
ए बी ई आर	:	आर्थिक मरम्मत के अलावा प्रत्याशित
ए'स एण्ड ए'स	:	परिवर्धन और परिवर्तन
क्यू ए पी	:	गुणवत्ता आश्वासन योजना

टिप्पणी:- मामले से संबंधित सभी संक्षिप्तियां, जिनके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, उन्हें यहाँ सूचीबद्ध किया जाना है और आर एफ पी का हिस्सा होना चाहिए ।

अनुच्छेद -2 प्रभावी तिथि और अनुबंध का संचालन ।

2.1 एतद्द्वारा सहमति और घोषणा हुई है कि इस अनुबंध के अंतर्गत उपभोक्ता की शक्तियाँ और कार्य का ---------------------(सी ओ ए) द्वारा प्रयोग किया जाएगा ।

2.2 अनुबंध की प्रभावी तारीख ------------------है । (अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि अथवा पोत/परिसंपत्ति को सौंपने की तारीख अथवा जैसा भी मामला हो) अनुबंध की प्रभावी तिथि से अनुबंध आरंभ होता है ।

अनुच्छेद 3 - अनुबंध का विषय - क्षेत्र

3.1 कार्य एवं सेवाएं अनुबंध

3.1.1 उपभोक्ता और अनुबंधकर्त्ता के बीच स्पष्ट रुप से समझ और सहमति है कि यह मरम्मत, पुनर्मरम्मत और सेवाओं का अनुबंध है ।

3.2 कार्य का विषय-क्षेत्र

3.2.1 इस अनुबंध की शर्तों, नियमों और प्रावधनों के अनुसार -----------------(कार्य का शीर्षक) को पूरा किया जाना है, जैसा कि निम्नलिखित अनुच्छेद में दिया गया है ।

3.2.2 मदवार लागत सहित, कार्य का विषय क्षेत्र इस अनुबंध के अनुलग्नक-2 पर दिया गया है ।

3.3 वस्तुओं को हटाना और पुनर्मरम्मत करना

3.3.1 वर्तमान मशीनरी/उपस्कर, स्विच-बोर्डों/नियंत्रक पैनल, इलैक्ट्रानिक एवं संचार उपकरण, प्रकाश फिटिंग, पाइपिंग वाल्व, बिजली की तारों, जंक्शन बक्से, अवरोधों, चौखट, पलम्बर, संस्थापन आदि की मरम्मत के लिए, अनुबंधकर्त्ता ड्राइंग, संशोधन और उपभोक्ता की संतुष्टि के अनुसार, इसे पुन: स्थापित करेगा । इस अनुच्छेद से संबंधित सभी कार्य अनुच्छेद 3.2 में निर्दिष्ट कार्य के विषय क्षेत्र का एक अभिन्न होगा ।

3.3.2 मरम्मत कार्यों के दौरान विद्युत केबलों को, यदि आवश्यक हो, अचानक यांत्रिक/आग के नुकसान से बचाने के लिए अनुबंधकर्त्ता द्वारा पर्याप्त रुप से ढका जाना है । अनुबंधकर्त्ता द्वारा अथवा उसके सहायक अनुबंधकर्त्ता द्वारा कार्य निष्पादन के दौरान हुए नुकसानों को अनुबंधकर्त्ता द्वारा अपनी लागत पर ठीक किया जाना है ।

3.3.3 सभी पाइल लाइन, मशीनरी उपकरण और फिटिंग को जिन्हें पोत से बाहर ले लाना आवश्यक नहीं है, पूरी तरह से ढका होना/सुरक्षित होना चाहिए ताकि सुनिश्चित हो सके कि पुनर्मरम्मत के दौरान वे क्षतिग्रस्त न हों । अनुबंधकर्त्ता अथवा उसके सहायक अनुबंधकर्ता द्वारा, कार्य निष्पादन के दौरान हुए नुकसान को अनुबंधकर्ता द्वारा अपनी लागत पर ठीक किया जाएगा ।

3.4 कार्य के विषय क्षेत्र में परिवर्तन

3.4.1 अनुच्छेद 3.2 और 3.3.1 में निर्दिष्ट कार्य के विषय क्षेत्र के बावजूद, उपभोक्ता को अनुबंध निष्पादन के दौरान कार्य के विषय क्षेत्र में संशोधन करने का अधिकार है । कार्य क्षेत्र में वर्तमान मे शामिल को छोड़कर, मरम्मतों/नवीकरण/प्रतिस्थापन्न की आवश्यकता, निरीक्षण/सर्वेक्षण/ मरम्मत के दौरान उत्पन्न हो सकती है । परिणामी कार्य (पुन:कार्य) के साथ ऐसे सभी कार्यों को जिन्हें अनुबंधकर्त्ता द्वारा किए जाने की आवश्यकता है, को कार्य के विषय क्षेत्र के रुप में माना जाएगा ।

3.4.2 कार्य के क्षेत्र में ऐसे परिवर्तन और उसकी लागत तथा समय निहितार्थ की कार्य के क्षेत्र में ऐसे परिवर्तन करने से पहले प्राथमिकता के आधार पर, लिखित में पारस्परिक सहमति हो जाएगी । लागत में परिणामी वृद्धि के साथ-साथ परियोजना अवधि में कोई विस्तार को अनुबंधकर्त्ता द्वारा सूचित किया जाएगा और कार्य क्षेत्र में ऐसे बदलाव करने से पहले आपसी समझौते के माध्यम से उपभोक्ता द्वारा सहमत और स्वीकार किया जाएगा । कार्य क्षेत्र में परिवर्तन को जारी करने का प्रारुप, इसे अनुबंध के अनुलग्नक-3 में दिया गया हो ।

3.4.3 यदि, कार्य क्षेत्र में ऐसे परिवर्तनों के प्रवर्तन, अनुच्छेद 3.2 और 3.3 के अनुसार आरंभिक कार्य क्षेत्र और/अथवा अनुच्छेद 3.4.1 के अनुसार अतिरिक्त कार्य क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, तो अनुच्छेद 3.3 के अनुसार कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का प्रवर्तन करते समय दोनों पक्षों द्वारा ऐसे परिवर्तनों की लागत और समय को भी ध्यान में रखना चाहिए ।

3.5 अनुबंधकर्त्ता द्वारा सामग्री की अधिप्राप्ति

3.5.1 वस्तुओं को पहुंचाने की लागत दर्शाने वाली सूची, जिसमें सामग्री की लागत, भाड़ा, बीमा, पैंकिंग/अग्रेषण कर, शुल्क समाशोधन प्रभार आदि के साथ तृतीय पक्ष के चालान के आधार पर अनुबंधकर्त्ता द्वारा दिए गए बिल के साथ (7.5% से ज्यादा नहीं) संभालने के प्रभार भी दिए जाएंगे ।

3.5.2 कार्य क्षेत्र के लिए अनुबंधकर्त्ता द्वारा खरीदी गई सभी सामग्री और वस्तुओं को, सिवाए इसके जहां विशेष रुप से दर्शाया गया है कि ऐसी वस्तुओं की उपभोक्ता द्वारा आपूर्ति की गई है, प्रासंगिक अनुमोदन और लागू होने वाले विर्निदेशों के अनुरुप होना है । (अनुच्छेद 10 के अनुसार)

3.6 अप्रयुक्त सामग्री को वापस करना - मरम्मत करने से हुए सभी लौह स्क्रैप, अनुबंधकर्त्ता की संपत्ति होंगे। तथापि, अलौह स्क्रैप/उपकरण, उपभोक्ता की संपत्ति होंगे ।

3.7 उप अनुबंधकर्त्ता

3.7.1 अनुबंधकर्त्ता, ग्राहक की आपसी सहमति से कार्य के किसी एकमात्र कार्य को आगे दूसरे अनुबंधकर्त्ता को दे सकता है । परंतु अनुबंधकर्त्ता किसी भी स्थिति मे संपूर्ण कार्य के किसी तीसरे पक्ष को ------------- नहीं कर सकेगी ।

3.7.2 आगे दिए गए कार्य की गुणवत्ता/मानक तथा समय पर पूरा करने के लिए ठेकेदार ही पूर्णत: उत्तरदायी होगा । अनुबंधकर्त्ता को उप-अनुबंधकर्त्ता के साथ कार्य के उपयुक्त गुणवत्ता आश्वासन प्लान तैयार करेगा और उक्त गुणवत्ता आश्वासन प्लान को निरीक्षण के रिकार्ड के साथ उपभोक्ता को प्रस्तुत करेगा ।

3.7.3 उप-अनुबंधकर्त्ता को दिए गए कार्य का निरीक्षण स्वयं -अनुबंधकर्त्ता ही करेगा । -अनुबंधकर्त्ता को उप ठेकेदार की ओर भी कार्य पूरा करने की तिथि अथवा कार्य दावे शुरुआत कार्य में विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

3.8 **सैनिको को रोजगार -** ठेकेदार वर्ष मे किसी भी सैनिक कार्मिक को मरम्मत एजेसी/सेवा अथवा अपनी ओर से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से किसी भी कार्यशाला/-- आदान प्रदान सामग्री के रुप में कोई सहायता/प्राप्त नहीं करेगा ।

अनुच्छेद 4 - संविदा मूल्य और भुगतान की शर्तें

4.1 संविदा मूल्य

4.1.1 यह अनुच्छेद 3.2 और 3.5 में निर्दिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए तय संविदा मूल्य दें । संविदा/मूल्य है जिसमें लागू आश्वासनों को शामिल नहीं किया गया है । कर तथा उपकर/शुल्क का वास्तविक भुगतान, भुगतान प्रमाण पत्र देने पर किया जाएगा । इस संविदा के परिशिष्ट-6 के अनुसार (विद्यमान दरों पर की गई गणना के अनुसार) लागू करों तथा शुल्कों सहित एक विस्तृत विवरण सहित संविदा मूल्य तैयार किया जाए ।

4.1.2 अनुच्छेद 4.1.1 में दिए गए प्रावधानों के न रहते हुए भी आपसी सहमति से मूल्य में पुनर्निधारण जैसाकि अनुच्छेद 3.4 के अनुसार कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन होने पर, किया जा सकेगा ।

4.2 अतिरिक्त/एन ए पुर्जों की खरीद के कारण अनुबंध मूल्य में परिवर्तन - अनुच्छेद 4.1 और अनुच्छेद 4.2, द्वारा संशोधित अनुच्छेद में निर्दिष्ट अनुबंध मूल्य के बावजूद, कार्य के लिए अनुबंधकर्त्ता द्वारा खरीदे गए अतिरिक्त/एन ए पुर्जों के लिए, आपसी सहमति के आधार पर उपभोक्ता भुगतान करेगा । तृतीय पक्ष के चालान के आधार पर जिसमें खरीदी गई वस्तुओं की सूची दी गई हो, जिसमें सामग्री की लागत, भाड़ा, बीमा के साथ-साथ ---(7.5% से अधिक नहीं) संभालने के प्रभार सहित, अनुबंधकर्त्ता द्वारा दिए गए बिल पर इस अनुबंध के आधार पर भुगतान किया जाएगा । अनुच्छेद 4.1 में और 4.2 द्वारा संशोधित अनुच्छेद में निर्दिष्ट अनुबंध मूल्य को ऐसे अतिरिक्त एन ए पुर्जों के भुगतान को शामिल करने के लिए आगे भी संशोधित किया जाएगा ।

4.3 भुगतान शर्तें - अनुच्छेद 4.1 में निर्दिष्ट अनुबंध मूल्य की भुगतान शर्तें निम्ननुसार होंगी:-(स्टेज भुगतान, आईएफए के साथ परामर्श करके, आर एफ पी के नीचे दिए गए प्रारुप के अनुसार किया जाना है)

स्टेज संख्या	गतिविधि की परिभाषा	स्टेज भुगतान

अनुच्छेद 5 - कर और शुल्क

5.1.1 इस अनुबंध के अनुच्छेद 4.1 में दिए अनुबंध मूल्य में, सभी कर, ड्यूटी, केन्द्रीय/राज्य प्राधिकरणों के शुल्क शामिल नहीं है जैसे कि कार्य के लिए अनुबंधकर्त्ता द्वारा खरीदी गई सभी सामग्रियों और सेवाओं के लिए विद्यमान सरकारी नीति के तहत वर्तमान दरों पर लागू होते हैं। अनुबंध की अवधि के दौरान दरों में वृद्धि का, चालान के समय अतिरिक्त रुप से भुगतान किया जाएगा। इसकी प्रतिपूर्ति उपभोक्ता द्वारा अनुबंधकर्त्ता को, भुगतान के दस्तावेजों का सबूत देने पर, वास्तविकों पर की जाएगी। यदि भुगतान की अवधि अनुच्छेद 8.1.1 में निर्दिष्ट अवधि से ज्यादा है तो उपभोक्ता को करों, ड्यूटी, शुल्कों आदि में हुई किसी वृद्धि को मना करने का अधिकार है

5.1.2 अनुबंध संचालन प्राधिकरण अथवा उसके नामित प्रतिनिधि, उपभोक्ता की ओर से उचित कर छूट/रियायत प्रमाण पत्र जारी करेगा, ताकि मौजूदा सरकारी नीति, नियम और विनिमय के अनुसार जहां लागू हों, कर छूट/रियायत प्राप्त कर सके।

5.2 **'अंतिम उपभोक्ता' प्रमाण पत्र** - अनुबंध संचालन प्राधिकरण अथवा उसका नामित प्रतिनिधि उपभोक्ता की ओर से संबंधित निर्माता/उपकरण सामग्री के आपूर्तिकर्त्ता और सेवाओं/सरकारी एजेंसी द्वारा जहां आवश्यक हो सामग्रियों और सेवाओं के आयात के लिए अचित 'अंतिम उपभोक्ता' प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

अनुच्छेद 6 - अग्रिम बैंक गारण्टी
(रक्षा उत्पादन मैनुअल में दिए गए फार्म - 16 के अनुसार)

अनुच्छेद 7 - निष्पादन बाण्ड

(रक्षा उत्पादन मैनुअल में दिए गए फार्म-15 के अनुसार)

अनुच्छेद 8 - आपूर्ति की अवधि

8.1 कार्य की अवधि

8.1.1 अनुबंधकर्त्ता अनुच्छेद 3.1 और 3.2 में -------- कार्य क्षेत्र पूरा करने के लिए विर्निर्दिष्ट (मास/दिन/तिथि में) समय-सीमा में कार्य पूरा करेंगे जैसाकि अनुच्छेद 2.1 में निर्धारित तिथि से प्रभावी अनुबंधकर्त्ता द्वारा की गई आपूर्ति पर स्वीकृति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर होने पर और संतोषजनक एचएटी/ एसएटी पाए जाने पर (पोत/पनडुब्बी की पूर्व सज्जा/मरम्मत के मामले में लागू) अथवा कार्य पूरा हाने अथवा ट्रायल (गोदीवाड़ा/सेवा उपस्कर और पोत/पनडुब्बी की अधिक सज्जा/मरम्मत के मामले पर लागू) ।

8.1.2 अनुच्छेद 8.1.1 में विर्निर्दिष्ट साज.सज्जा की उक्त अवधि को आपसी करार से बढ़ाया भी जा सकता है । यदि ग्राहक जलयान/उपस्कर को किसी प्रकार के दण्ड अथवा संविदा मूल्य में कमी के बिना स्वीकार करने को तैयार हो ।

8.2 अपूर्ण कार्य

8.2.1 अनुबंधकर्त्ता और ग्राहक अपूर्ण और असंतोषजनक कार्य की प्रमाणता पर आपसी तौर पर सहमत होंगे । उन मालों में जहां अनुबंधकर्त्ताओं को कार्य में भागीदार नहीं बनाया गया है, ऐसे अपूर्ण कार्यों की लागत को रोका जा सकता है और रोकी गई लागत का उस कार्य के पूर्ण होने जाने पर भुगतान किया जा सकता है जिसे हर हालत में ------------ दिन के भीतर (आई0 एंड पी0) में दर्शाया जाए) कार्य पूरा किया जाना चाहिए । यदि फिर भी निर्धारित सीमा में कार्य पूरा नहीं हो पाता है कि तो उसे अनुच्छेद 3.2 में विर्निर्दिष्ट कार्य क्षेत्र से हटा दिया जाएगा और अनुच्छेद 4.1 में निर्दिष्ट संविदा मूल्य मे तदनुसार संशोधन किया जाएगा । अनुच्छेद 9 के अनुसार ग्राहक के एलडी लगाने का अधिकार आरक्षित रहेगा ।

8.2.2 अनुच्छेद 8.4.1 मे निर्धारित अवधि मे तथा कार्य और ट्रायल के संतोषजनक पाए जाने के पश्चात ही अनुबंधकर्त्ता को भुगतान किया जाएगा ।

अनुच्छेद 9 - परिनिर्धारित क्षति (परिशिष्ट 'ग' के पैरा IV के अनुसार)

9.1 अनुबंधकर्त्ता और अनुच्छेद 8.1 में निर्दिष्ट कार्य की अवधि के बाद प्रत्येक सप्ताह की देरी के लिए, अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10% (10 प्रतिशत) के मूल्य के हिसाब से अनुबंध के अधूरे/अप्राप्य/अपूर्ण भाग के 0.5% (0.5 प्रतिशत) की राशि के बराबर, हर्जाने के रुप में नहीं, उपभोक्ता को परिनिर्धारित क्षति (एलडी) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है ।

अनुच्छेद 10 - गुणवत्ता एवं निरीक्षण

11.1 गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण

11.1.1 मरम्मत/पुनर्मरम्मत की गुणवत्ता और प्रभावी नियंत्रक आश्वस्त करने के लिए, अनुबंधकर्त्ता द्वारा किया गया कार्य जहां लागू हो, उपभोक्ता की निरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार होगा जिसके बाद प्रारंभिक, स्टेज और अंतिम निरीक्षण होगा । मरम्मत कार्य (विशिष्ट मानकों) और गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाएगा । गुणवत्ता को सुनिश्चित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी शिपयार्ड की होगी (अतिरिक्त तृतीय पक्ष का निरीक्षण अथवा व्यवसायिक प्रमाणित एजेंसियों की सेवाएं विशेष प्रयोग की वस्तुओं के संबंध में जहां लागू हो उल्लेख किया जाए)।

11.1.2 अनुबंधकर्त्ता, उपभोक्ता के अनुमोदन के लिए कार्य क्षेत्र के गुणवत्ता आश्वासन योजना (क्यू ए) जहां लागू हो, प्रस्तुत करेगा/अनुमोदित गुणवत्ता आश्वासन योजना, इस अनुबंध के अंतर्गत अनुबंधकर्त्ता द्वारा किए गए कार्य के निरीक्षण और स्वीकार्यता के लिए आधार होगी ।

11.2 निगरानी एवं निरीक्षण

11.2.1 अनुबंध कार्य के आवश्यक परीक्षण और निरीक्षण, सी ओ ए द्वारा अथवा उसके वांछित अभिकरण द्वारा किया जाएगा । अनुबंधकर्त्ता को, ऐसे परीक्षणों/निरीक्षणों की तिथि और स्थान के बार में उपर्युक्त टीम को अग्रिम रुप से उचित नोटिस देना होगा । सी ओ ए, अनुबंधकर्त्ता द्वारा खरीदे गए उपभोक्ता द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरणों और सामग्री के निरीक्षण की संयुक्त रसीद को कार्यान्वित करेगा । उपभोक्ता का प्रतिनिधि, मरम्मत/पुनर्मरम्मत के दौरान, गुणवत्ता आश्वासन योजना/गुणवत्ता निरीक्षण अनुसूची के अनुसार ऐसे परीक्षण और निरीक्षण में भाग लेगा ।

11.2.2 पुनर्मरम्मत या सामग्री या कार्य कुशलता में उपभोक्ता के प्रतिनिधि द्वारा कोई गैर-अनुरुपता पाए जाने और जहां आवश्यक हो, लिखित में प्रासंगिक दस्तावेजों की सूचना देने पर अनुबंधकर्त्ता द्वारा प्रासंगिक आरेखण और विनिर्देशों के साथ प्रतिनिधि की पूर्ण संतुष्टि के लिए अपनी लागत पर ठीक करेगा ।

11.2.3 जहाज की मरम्मत/पुनर्मरम्मत के दौरान, जब तक उसकी सुपुर्दगी नहीं होती, उपभोक्ता का प्रतिनिधि, जहाज/पनडुब्बी/परिसंपत्ति और अन्य किसी स्थान पर जहां संबंधित कार्य किया जा रहा है अथवा सामग्री संसाधित या संग्रहित की जा रही है जिसमें यार्ड कार्यशालाएं, भंडार और अनुबंधकर्त्ता के कार्यालय तथा

सहायक अनुबंधकर्त्ता के परिसर जो जहाज/पनडुब्बी/परिसंपत्ति की मरम्मत/पुनर्मरम्मत से संबंधित कार्य या सामग्रियों का भंडारण कर रहे हैं, शामिल हैं, नि:शुल्क और शीघ्र पहुंच उपलब्ध कराएगा । इस अनुबंध में, इस अनुच्छेद में या अन्य किसी अनुच्छेद में दिए गए प्रावधान के होते हुए भी, अनुच्छेद 3.2, 3.3 और 3.4 के तहत कार्य के अनुसार मरम्मत/पुनर्मरम्मत की जिम्मेदारी अनुबंधकर्त्ता की होगी ।

अनुच्छेद 12 - वारंटी और वारंटी बाँड

12.1 गारंटी

12.1.1 अनुबंधकर्त्ता वारंटी देता है कि इस अनुबंध के अंतर्गत की गई मरम्मतें, एस ओ आर के तहत विनिर्देशों के अनुरुप होगी ।

12.1.2 अनुबंधकर्त्ता, मरममत की गई वस्तुओं के लिए कारीगरी और सामग्री दोष के लिए 6 महीने की गारंटी और अनुबंध के अंतर्गत अनुबंध समापन तिथि से नई संस्थापनाओं के लिए 12 महीनों की गारंटी देगा । गारंटी शर्त, शिपयार्ड के ओ ई एम/सहायक अनुबंधकर्त्ता द्वारा मरम्मत की गई वस्तुओं पर भी लागू होगी। गारंटी अवधि के दौरान दोषपूर्ण/खराब कारीगरी या अवमानक सामग्री के कारण हुए नुकसान को, शिपयार्ड द्वारा समझौते के तहत, शिपयार्ड या ओ ई एम/सहायक अनुबंधकर्त्ता द्वारा नि:शुल्क सुधारा जाएगा ।

12.1.3 यदि वारंटी की अवधि के दौरान, उपभोक्ता द्वारा की गई मरम्मत की रिपोर्ट, निर्दिष्टीकरण के अनुसार कार्य करने में असफल होती है, तो अनुबंधकर्त्ता, ऐसे दोष की अधिसूचना प्राप्त होने के -----समय सीमा के (आर एफ नी में दिया जाएगा) भीतर इसे नि:शुल्क बदलेगा या सुधार करेगा । खराब होने के समय के रिकार्ड को उपयोगकर्त्ता द्वारा लॉगबुक में लिखा जाएगा । वारंटी की मरम्मतों के लिए पुर्जों को अनुबंधकर्त्ता द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा ।

12.1.4 अनुबंधकर्त्ता वारंटी देता है कि मरम्मत की वारंटी अवधि के दौरान आवश्यक मरम्मत सेवा और बैकअप को अनुबंधकर्त्ता द्वारा उपभोक्ता के परिसर में उपलब्ध कराया जाएगा ।

12.2 वारंटी अवधि के दौरान हुए दोषों के उपचार/सुधार के लिए सूचना, लिखित में और एक दूसरे को संचारित करने के लिए तेजी से संभव ढंग से होनी चाहिए ।

अनुच्छेद 13 - सामान्य नियम और शर्तें

13.1 **पुरुषों की सुरक्षा -** कार्यरत कार्मिकों के लिए जहां स्वास्थ्य/चोट लगने का जोखिम शामिल है, अनुबंधकर्त्ता पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करता है ।

13.2 **प्राथमिक चिकित्सा** - कार्मिकों की दुर्घटना/अचानक बीमार होने पर, अनुबंधकर्त्ता तुरंत प्राथमिक चिकित्सा/अस्पताल में भर्ती कराने के लिए जिम्मेदार हैं ।

13.3 गैस युक्त और पुरुष प्रवेश प्रमाण पत्र, फायर संतरियों, ओ ई एम को प्रशासनिक सहायता, पम्पिंग सुविधाएं और मलबे/बेकार के पदार्थों को हटाना, एस ओ आर अनुबंध - 4 के अनुसार होगा ।

<u>अनुच्छेद 14 - क्षतिपूर्ति एवं बीमा</u>

14.1 **<u>क्षतिपूर्ति</u>** - अनुबंधकर्त्ता, उपभोक्ता का किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट के सभी दावों की क्षतिपूर्ति करेगा जब वह अनुबंधकर्त्ता से संबंधित किसी प्रक्रिया में जुड़ा हो चाहे वह कार्मिक हो या नहीं और उपभोक्ता, श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 अथवा मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 अथवा अन्य कोई सांविधिक अधिनियम अथवा समय-समय पर लागू कानून और उक्त कार्य में लागू नियमों के अंतर्गत किए गए किसी दावे का प्रतिवाद करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक, अनुबंधकर्त्ता, उपभोक्ता को किसी दायित्व को पूरा करने के लिए एक पर्याप्त राशि जमा नहीं कराता है ।

14.2 **<u>बीमा</u>** (यदि लागू हो, आर एफ पी में शामिल होगा और अनुबंध का हिस्सा होगा)

<u>अनुच्छेद 15 - सुरक्षा</u>

15.1 अनुबंधकर्त्ता, सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 और इससे संबंधित किसी अन्य सांविधिक अधिनियम/कानून/संशोधन द्वारा बंधा हुआ है और दी गई सूचना को कड़ाई से गोपनीय माना जाए तथा इससे संबंधित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को न बताई जाए । अनुबंधकर्त्ता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि इस अनुबंध से संबंधित किसी कार्य में उसके द्वारा लगाए गए व्यक्ति, सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923/कानून/संशोधन के प्रावधानों की पूरी तरह से जानकारी हो तथा इसका पालन करने के लिए वचनबद्ध हों ।

15.2 अनुबंधकर्त्ता, डिज़ाइन, निर्माण, उपकरण और दस्तावेजों की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा तथा इस संबंध में उपभोक्ता द्वारा दिए गए सभी या कुछ निर्देशों को पूरा करेगा । यदि उपभोक्ता, उपलब्ध कराए गए सुरक्षा उपायों अथवा सुरक्षा के लिए अपनाए जाने वाले उपायों की जाँच करना चाहेगा, तो अनुबंधकर्त्ता इसे करने के लिए आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध कराएगा ।

15.3 सहायक अनुबंधकर्त्ता को कोई सूचना देने में, अनुबंधकर्त्ता केवल वही सूचना देगा जो संबंधित कार्य करने के लिए आवश्यक हो ।

15.4 अनुबंधकर्त्ता के परिसर में जहाज, व्यक्तियों और सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी अनुबंधकर्त्ता की है ।

<u>अनुच्छेद 16</u> - प्राकृतिक आपदाएं (परिशिष्टब 'ग', भाग-IV के अनुसार)

<u>अनुच्छेद 17</u> - अनुबंघ की समाप्ति (परिशिष्ट 'ग', भाग ।।। के अनुसार)

अनुच्छेद 18 - विधि (परिशिष्ट 'ग', भाग ।।। के अनुसार)

अनुच्छेद 19 - पंचाट (डीपीएम फार्म 7,8,9 के अनुसार)

अनुच्छेद 20 - अनुचित प्रभाव के लिए जुर्माना (परिशिष्ट 'ग', भाग ।।। के अनुसार)

अनुच्छेद 21 - एजेंट, एजेंसी कमीशन (परिशिष्ट 'ग', भाग ।।। के अनुसार)

अनुच्छेद 22 - अनुबंध दस्तावेजों को प्रकट न करना (परिशिष्ट 'ग', भाग ।।। के अनुसार)

अनुच्छेद 23 - **सूचनाएं -** इस अनुबंध द्वारा आवश्यक या अनुमति दी गई किसी सूचना को अंग्रेजी भाषा में लिखा जाएगा और इसे व्यक्तिगत रुप से दिया जा सकता है अथवा फैक्स, टैलेक्स, तार या रजिस्टर्ड पूर्वदत्त एयरमेल द्वारा भेजा जा सकता है, जिस पर पक्ष का वैध पता लिखा हो । (परिशिष्ट 'ग', भाग-।।। के अनुसार)

अनुच्छेद 24 - **संशोधन** - इस अनुबंध के किसी प्रावधान में, किसी भी तरह से (इस प्रावधान सहित) पूर्ण या इसके किसी भाग में परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं किया जाएगा सिवाय इससे कि इस अनुबंध के बाद की तिथि में लिखित में बनाया गया प्रपत्र जिस पर दोनों पक्षों की और से हस्ताक्षर हों और जिसमें स्पष्ट रुप से इस अनुबंध में संशोधन के लिए वर्णन किया गया हो । (परिशिष्ट 'ग' भाग-।।। के अनुसार)

अनुच्छेद 25 - सूचनाएं एवं संप्रेषण

25.1 **सूचना/संपेंषण के लिए पता** - सूचना/संप्रेषण के लिए पक्षों के कानूनी पते इस प्रकार है:-

(उपभोक्ता का न्यायिक पता)

(अनुबंधकर्ता का न्यायिक पता)

25.2 **भाषा** - इस अनुबंध से संबंधित कोई भी या सभी नोटिस और संप्रेषण अंग्रेजी भाषा में होंगे ।

अनुच्छेद 26 - व्याख्या

26.1 यह अनुबंध, भारत गणतंत्र के नियमों से संचालित किया जाएगा ।

26.2 इस अनुबंध के किसी अनुच्छेद के प्रावधानों के बीच किसी विवाद या विसंगति की स्थिति में, इस अनुबंध के अनुच्छेद प्रचलित होंगे ।

26.3 इस अनुबंध में उपभोक्ता और अनुबंधकर्त्ता के बीच संपूर्ण समझौते निहित है ।

26.4 इस अनुबंध और इसके अनुलग्नक का कोई संशोधन लिखित में होगा और दोनों पक्षों के द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

26.5 विनिर्देश/ड्राईंग/वर्तमान प्रथाओं के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में, स्वीकृति के लिए पूर्वता के आदेश निम्नानुसार लेंगें:-

(क) उपभोक्ता द्वाराअ नुमोदित ड्राईंग

(ख) आवश्यकता की अनुसूची द्वारा विनिर्देश

(ग) उपभोक्ता का निर्णय

26.6 इस अनुबंध के किसी प्रावधान को लागू करने में किसी पक्ष के असफल होने पर, ऐसे प्रावधान पर छूट का विचार नहीं किया जाएगा अथवा इसके बाद ही इसे लागू करने के लिए ऐसे पक्ष का अधिकार नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद 27 - पक्षों द्वारा हस्ताक्षर और गवाही

इस अनुबंध पर ------- वर्ष में, -------------------महीने के -------- दिन पर, दो मूल प्रतियों में, एक (1) उपभोक्ता के लिए और एक (1) अनुबंधकर्त्ता के लिए, हस्ताक्षर किए गए हैं। अनुलग्नक तालिका (पेज 4) में सूचीबद्ध अनुलग्नक इस अनुबंध का अभिन्न अंग हैं जिन्हें एक ही परिस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया है।

मैसर्स ------------ के लिए और उनकी ओर से अनुबंधकर्त्ता	**भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से (उपभोक्ता)**
( )	( )
1.-----------------------------------	1-----------------------------
नाम ---------------------------------	नाम ---------------------------
पदनाम --------------------------------	पदनाम -------------------------
2-----------------------------------	2-----------------------------
नाम -----------------------------------	नाम ---------------------------
पदनाम --------------------------------	पदनाम ------------------------

(ii) वितरण :-

भुगतान प्राधिकरण	(स्याही से हस्ताक्षरित एक प्रति)
सीएफए के वित्तीय सलाहकार	(स्याही से हस्ताक्षरित एक प्रति)
सीओए के वित्तीय सलाहकार	(स्याही से हस्ताक्षरित एक प्रति)
सीएफए	(स्याही से हस्ताक्षरित एक प्रति)
रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (नौसेना), मुम्बई	(एक प्रति)
आईएचक्यू, रक्षा मंत्रालय (एन), डीएफएम	(एक प्रति)
अथवा पीडीएफएम/सीजीएचक्यू	(एक प्रति)

<u>अनुलग्नक - 1</u>

स्वीकृति के प्रमाण-पत्र का प्रारुप

स्वीकृति का प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स------------------------ ने, उनको दिए गए कार्य के अनुसार, (पोत/परिसंपत्ति का नाम) के (कार्य का नाम) को पूर्ण कर लिया है और इसे, ---------------------- वर्ष में, ---------------- माह के -------------------- दिन पर -----------बजे, (उपभोक्ता का नाम) को सौंप दिया है ।

2. इस तिथि पर, देनदारियों की सूची, इस प्रमाण पत्र के अनुलग्नक पर दी गई है ।

---	--------------------------------------
सी ओ ए/आर ई पी	मैसर्स ---------------------------------
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनके द्वारा	के आर ई पी (प्रतिनिधि)

<u>अनुलग्नक - 2</u>

कार्य का क्षेत्र

सी एन सी के दौरान , एस ओ आर के पाठ को अंतिम रुप देकर और स्वीकार कर, पुन: दर्शाया जाएगा । (अनुबंध के मसौदे को अनुमोदित होने पर, दस्तावेज में शामिल होगा)

अनुलग्नक - 3

कार्य के स्वरुप में परिवर्तन का प्रारुप

1. कार्य का नाम :
----

2. डी एल सं0 ---------------------
(जहां लागू हो)

3. द्वारा प्रस्तावित:

4. संदर्भ:-----------------------
Drg. दस्तावेज ---------------)

5. अतिरिक्त कार्य का विवरण (यदि आवश्यक हो, फार्म/संलग्न अनुलग्नक के दूसरे पन्ने का प्रयोग करें)

नाम | पदनाम | प्रस्तावक के हस्ताक्षर

(क) प्रस्ताव सं0 -----

6. (ख) समग्र सूची पर प्रस्ताव — शिपयार्ड के फर्म/परियोजना प्रबंधक के प्रतिनिधि

(ग) अनुमोदित लागत

7. i. अनुमोदित /अनुमोदित नहीं
(कारण यदि कोई हो तो) — परियोजना के सी ओ ए/प्रमुख निगरानी टीम

अनुलग्नक - 4

अनुबंध के मूल्य कम होना

क्रमांक	कार्य/सेवा सामग्री/पुर्जे/कर का विवरण	मूल्य (रुपए में)
1.	एस ओ आर में दी गई सभी सेवाओं की लागत एस ओ आर में एस ओ डब्ल्यू के भाग की लागत (क) एचयूएलएल कार्य पैकेज (ख) अभियांत्रिकी कार्य पैकेज	
2.	(ग) विद्युत कार्य पैकेज (घ) हथियार कार्य पैकेज (ङ) क्रम सं0 2(क) से (ङ) में शामिल पुर्जों और सामग्री की लागत	
3.	एस ओ आर में अन्य सभी सेवाओं की लागत (ओ ई एम प्रभारों सहित क्रम सं0 1 और2 में शामिल नहीं)	
4.	क्रम सं0 2 (ङ) को छोड़कर क्रम सं0 1, 2 और 3 पर सेवा कर	
5.	निर्माण अनुबंध कर (यदि क्रम सं0 1, 2 और 3 पर लागू हो)	
6.	यार्ड सामग्री की लागत	
7.	पुर्जों की बजटीय लागत	
8.	क्रम संख्या 6 और 7 पर लागू वैट/बिक्री कर	
9.	क्रम संख्या 6 और 7 पर लागू चुंगी/अन्य स्थानीय कर	
10.	क्रम संख्या 6 और 7 पर मांगी गई छूट के लिए सीमा शुल्क/सीमा शुल्क की राशि	
11.	क्रम संख्या 6 और 7 पर मांगी गई छूट के लिए उत्पाद शुल्क/उत्पाद शुल्क की राशि	
12.	विविध (ऊपर के किसी क्रम में शामिल नहीं)	
13.	क्रम संख्या 12 पर लागू कर/ड्यूटी/शुल्क	
14..	कुल जोड (क्रम संख्या 1 से 13 तक)	
15.	कुल जोड़ (क्रम संख्या 10 और 11 को छोड़कर)	

<u>अनुलग्नक - 5</u>

<u>दोष को पूराठीक करने के प्रमाण-पत्र का प्रारुप</u>

<u>कार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र</u>

प्रमाण पत्र सं0 ..../सी सी/ दिनांक ....

भुगतान शर्तों के अनुसार नीचे दिए गए चरण/गतिविधि पूर्ण कर ली गई है ।

<u>गतिविधि/चरण का विवरण:</u>

	प्रतिनिधि करने वाली फर्म/शिपयार्ड	सी ओ ए/प्रतिनिधि
हस्ताक्षर		
नाम पदनाम/रैंक/विभाग/संगठन		

परिशिष्ट 'झ'

अनुबंध का डिजाइन, विकास और विरचना के लिए समझौते का मसौदा

यह समझौता, 20----------- के -------------- दिन, भारत के राष्ट्रपति जिसे बाद में "सरकार" का संदर्भ दिया जाएगा (जिसे संदर्भ द्वारा स्पष्ट रुप से इंगित नहीं किया जाता, इसमें इनके उत्तराधिकारी शामिल होंगे) के एक भाग और

मैसर्स --------------------------

श्री ------------------------------

के अंतर्गत शामिल एक कंपनी

के नाम और स्टाईल के अंतर्गत होने वाले व्यापार

के अंतर्गत शामिल भागीदारी फर्म/कंपनी अधिनियम 1956

पर इसका कार्यालय होने और इसके एकमात्र मालिक के रुप में

पर इसका पंजीकृत कार्यालय होने और भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932

जिसे अब बाद में 'अनुबंधकर्त्ता' कहा जाएगा जिसकी अभिव्यक्ति में, जब तक इसे संदर्भ से स्पष्ट रुप से बाहर रखा जाएगा, इसके उत्तराधिकारी, कार्यपालक, प्रशासक शामिल समझे जाएंगे ।

जहां, सरकार द्वारा अनुसूची 'क' के पैरा (क) में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार (और इसे बाद में 'उक्त भंडार' माना जाएगा) की आपूर्ति और डिजाइन, विकास विरचना, निर्माण हेतु दरें आमंत्रित की गई हैं और अनुबंधकर्त्ता ने दिनांक ------- के संदर्भ ---- के पत्र द्वारा इसकी दरें आमंत्रित की है जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है ।

और जहां पक्षों के बीच में समझौते को निष्पादित किए जाने की आवश्यकता है

अथवा

(केवल बातचीत किए गए समझौते के लिए)

1,1. अनुबंधकर्त्ता उक्त भंडार का डिजाइन विकास विरचना और निर्माण करेगा और जिसे -------- रुपए के निर्धारित निवल मूल्य पर जिसमें पैकिंग और सभी पैकिंग सामग्री अथवा (जहां लागू हो) लागत अतिरिक्त लाभ आधार पर अनुलग्नक 'क' अनुसूची के -----------पैरा के अनुसार सभी उप साधनों के साथ इसकी पूर्ण आपूर्ति करेगा । (लाभ प्रतिशत सहित लागत की अंतिम सीमा ----- रुपए होगी जो ऊपर दी गई लागत की सीमासे 5% से अधिक नहीं होगी) सरकार द्वारा

आपूर्ति किए गए भंडारों और सेवाओं की लागत को इस सीमा के अनुसार समायोजित किया जाएगा ।

* जहां डिजाइन की आवश्यकता नहीं है वहां से हटाएं ।

1.2 अनुबंकत्ता, किसी भी अन्य अतिरिक्त भुगतान करने के लिए हकदार नहीं होगा जैसे टूलिंग, डाई, डिजाइन* और * विकास करना अथवा किसी तरह का कोई अन्य शुल्क, जब तक इस समझौते में स्पष्ट रुप से प्रावधान न किया हो । (लागत अतिरिक्त अनुबंध में प्रदर्शित नहीं होगा)

<u>शर्त 2</u>

2.1 जैसा कि क्रेता द्वारा लिखित में सूचित किया गया है, स्वीकृति अधिकारी या परेषिती के परीक्षण और तकनीकी जाँच के लिए, अनुबंधकर्त्ता --------------------- द्वारा उक्त भंडार का निर्माण और सुपुर्दगी करेगा ।

2.2 अनुसूची 'ए' में दिए गए विनिर्देशों में सरकार यदि कोई संशोधन अथवा सुधार, परिवर्धन अथवा परिवर्तन करना चाहेगी, तो इसे नीचे दी गई शर्तों पर अनुबंधकर्त्ता द्वारा किया जाएगा:-

(i) यदि संशोधन अथवा सुधार लघु प्रकृति के हैं और पिछले विनिर्देशों के अंतर्गत कार्य करने से पहले सूचित किया गए हैं । (भुगतान के बिना)

(ii) यदि संशोधन अथवा सुधार मुख्य प्रकृति के हैं और अनुबंधकर्त्ता को अधिक अतिरिक्त व्यय होता है । **(सरकार द्वारा अतिरिक्त व्यय के भुगतान पर)**

टिप्पणी: सरकार का यह फैसला कि संशोधन अथवा सुधार मुख्य या लघु प्रकृति के हैं और क्या ऐसे अतिरिक्त व्यय शामिल हैं या नहीं अंतिम होंगी और अनुबंधकर्त्ता पर बाध्य होंगे ।

2.3 क्या सरकार, उक्त भंडार के समुचित विकास और स्वीकृति के बाद, आगे किसी तकनीकी सहायता या भंडार में कोई संशोधन करने की इच्छा रखती है, इसे अनुबंध के पक्षों के बीच सहमति के अनुसार ऐसी शर्तों पर अनुबंधकर्त्ता द्वारा किया जाएगा ।

<u>शर्त 3</u>

3.1 अनुबंधकर्त्ता, सरकार को परीक्षणों के लिए देने से पहले आवश्यक टैस्ट और परीक्षण करेगा ताकि यदि आवश्यक होतो सरकार का प्रतिनिधि इन परीक्षणों की जाँच कर सके ।

3.2 अनुबंधकर्त्ता, भंडार की मशीनरी के परीक्षण, निरीक्षण और जाँच के लिए सभी उचित और सही सुविधाएं तथा भंडार के निर्माण की प्रगति के दौरान प्रयोग किए गए अथवा करने की इच्छा होने वाले कार्य कौशल सरकार को उपलब्ध कराएगा और ऐसे परीक्षणों, निरीक्षणों और जाँच के लिए समय-समय पर आवश्यक ऐसे उपकरण, सामग्री, औजार अथवा श्रमिक की नि:शुल्क आपूर्ति करेगा ।

शर्त 4

4.1 अनुबंधकर्त्ता उत्पादन के लिए आवश्यक संपूर्ण सूचना और डाटा उपलब्ध कराएगा जैसे यहां संलग्न सूची के अनुसार, डिजाइन प्राधिकरण द्वारामांगे गए अधिप्राप्ति ड्राईंग, विनिर्देश और मैनुअल तथा जाँच उपकरण ।

शर्त 5

5.1 अनुबंधकर्त्ता, परीक्षणों और प्रयोगों के दौरान भंडारों के संचालन के लिए आवश्यक नीचे दिए गए औजारों और पुर्जों की नि:शुल्क आपूर्ति करेगा:-

क. -------------------------------------

ख. -------------------------------------

ग. -------------------------------------

5.2 यदि सरकार द्वारा आवश्यक हो, अतिरिक्त पुर्जों की -----------------में दिए गए प्रस्थापन्न पुर्जों को छोड़कर, अनुबंधकर्त्ता द्वारा---अनुसूची में दर्शाए गए मूल्यों के अनुसार आपूर्ति की जाएगी ।

5.3 खरीद के संसाधनों और उनके मूल्य के साथ, लाई गई वस्तुओं की सूची यहां अनुसूची 'ग' में संलग्न है ।

शर्त 6

6.1 अनुबंध में दिए अनुसार, सरकार द्वारा की गई निम्नलिखित कार्रवाइयाँ और दी जाने वाली अथवा स्वीकृत की गई सभी टिप्पणियाँ, निदेशक (संबंधित स्थापना के) अथवा कुछ समय के लिए कार्य सौंपे गए अधिकारी द्वारा, कार्यों, कर्त्तव्यों और उक्त निदेशक की शक्तियों द्वारा और अनुबंधकर्त्ता की ओर से उसके प्रबंधक/स्वामी/प्राधिकृत भागीदार द्वारा की या दी जाएंगी ।

6.2 इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद, अनुबंधकर्त्ता, अनुबंध से संबंधित सभी मामलों में और उसकी शर्तों के अनुपालन में, निदेशक या उक्त अधिकारी से प्रत्यक्ष रुप से पत्राचार करेगा ।

शर्त 7

पक्ष इस पर सहमत हैं कि डिज़ाइन विकास, विरचना, निर्माण और उक्त भंडार की आपूर्ति से संबंधित सभी अन्य मामलों में, अनुबंध की सामान्य शर्तें इस समझौते के परिशिष्ट 'क' के अनुसार संलग्न है और विशेष शर्तें, इस अनुबंध के परिशिष्ट 'ख' के रुप में संलग्न है, लागू होंगी।'

शर्त 8

अनुबंधकर्त्ता, भारतीय स्टेंप अधिनियम ------ के अंतर्गत इस समझौते पर देय स्टेंप ड्यूटी वहन करने को सहमत है । साक्षी में जिस पर ---- के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर और कंपनी की सामान्य मुहर लगाई गई है तथा इन पर ---------- और--------------------- प्रबंधक/एकल मालिक/कंपनी के प्राधिकृत पक्षों द्वारा दिन, महीने और वर्ष को पहले ऊपर लिखकर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

भारत के राष्ट्रपति द्वारा
के लिए और की ओर से हस्ताक्षर

1.------------------------------

2.------------------------------

कंपनी की सामान्य मुहर लगा दी गई है और इस पर ----------------और ------------------द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं ।

प्रबंधक/एकल मालिक/कंपनी के प्राधिकृत भागीदार की उपस्थिति में

1.------------------------------

2.------------------------------

परिशिष्ट 'ञ '

अनुबंध की विरचना

जारी करने वाला कार्यालय (------------------------------संगठन/स्थापना) स्वीकृति पत्र संख्या --------- दिनांक ----------- की -----------------------अनुसूची

1.	अनुबंधकर्त्ता का नाम और पता	
2.	अनुबंधकर्त्ता का नाम और पता	
3.	इंडेंटर का नाम --------------------	
4.	भंडार/भंडारों की मात्रा और विवरण	(अनुलग्नक 1 के अनुसार)
5.	इस आदेश के समक्ष की गई सुपुर्दगी के संबंध में डेबिट	रक्षा लेखा नियंत्रक -------------
6.	शीर्ष के नामे डाले जाने वाली लागत	मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष, उप-शीर्ष रक्षा सेवा अनुमानों के कोर्ड शीर्ष
7.	अनुबंध की शर्तें	दरों के आमंत्रण के साथ संलग्न सामान्य शर्तें और यहां निहित विशेष परिस्थितियां। जहां इनमें भिन्नता हो, बाद के लागू होंगे ।
8.	सुपुर्दगी की अनुसूची	
9.	प्रेषण निर्देश और प्रेषिति	रेल और सड़क द्वारा परिवहन के लिए विधिवत रुप से पैक और संरक्षित प्रोटोटाइप, निदेशक--------द्वारा लिखित में दिए अनुसार सुपुर्दगी के लिए तैयार किया जाएगा। प्रोटोटाइप, सैन्य क्रेडिट नोट के समक्ष प्रेषित किया जाएगा जिसे आपके द्वारा -------पर मांगा करने पर उक्त इन्डेंटर द्वारा जारी किया जाएगा । अग्रेषण प्रभारों का, वास्तव में हुए खर्च के रुप में भुगतान किया जाएगा । परीक्षणों के दौरान किसी समय, किसी संशोधन/सुधार के लिए प्रोटोटाइप को अनुबंधकर्त्ता के कार्य पर वापस बुलाने के मामले, अनुबंध के कार्य से परीक्षण के स्थान तक और उसकी वापसी का ऐसे परिवहन की लागत को इंन्डेंटर द्वारा वहन किया जाएगा ।

10. आपूर्ति नियंत्रक के ब्यौरे — परिशिष्ट-1 के अनुसार

11. निरीक्षण प्राधिकरण — निदेशक/स्वीकृति अधिकारी अथवा उनके प्राधिकृत प्रेषिति

12. परीक्षण

(क) निदेशक/स्वीकृति अधिकारी जो इन परीक्षणों के साक्ष्य के लिए अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, को इन परीक्षणो को देने से पहले अनुबंधकर्त्ता------ प्रोटोटाइप पर आवश्यक परीक्षण करेगा ।

(ख) निदेशक/स्वीकृति अधिकारी या प्रतिनिधि अपने विवेक पर, विकास की किसी एक या सभी चरणों पर ---------- प्रोटोटाइप के परीक्षण करेगा । इस प्रयोजन के लिए अनुबंधकर्त्ता, निदेशक/स्वीकृति अधिकारी या प्रतिनिधि और अनुबंधकर्त्ता के साथ उपलब्ध ऐसी सुविधाएं अपने परिसर में नि:शुल्क उपलब्ध कराएगा ।

(ग) निदेशक/स्वीकृत अधिकारी अथवा नामित व्यक्ति, अपने विवेक से, आवश्यक समझे जाने वाले सभी कार्य करेगा । स्वीकृति अधिकारी द्वारा प्रोटोटाइप तभी स्वीकार किया जाएगा जब वह सभी आवश्यक परीक्षण उसकी पूर्ण संतुष्टि के साथ पारित कर लेगा ।

13. **<u>मूल्य</u>**

(क) --------------(स्टेशन) के लिए -------------रुपए (शब्दों में), ----------------रुपए (अंकों में), केंद्रीय बिक्री कर/स्थंनीय बिक्री कर/सेवा कर पूर्ण -------------पर लिए जाने वाला कर --------- का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा । बिक्री कर में छूट पाने के लिए फार्म 'डी' इसके साथ संलग्न है ।

(ख) अनुबंधकर्त्ता ---------रुपए की राशि --------रुपए की दरसे विकास छूट के रुप में वापस करेगा जब, किसी स्रोत से उसको थोक आदेश प्राप्त होंगे और जब जोड़ --------टुकड़ों तक हो जाएगा और यह छूट तब तक जारी रहेगी, जब ----- रुपए की उपर्युक्त राशि का वापस भुगतान किया जाता है (यदि लागू हो) ।

14. भुगतान करने वाला प्राधिकरण — रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/सहायक लेखा अधिकारी इत्यादि

15. भुगतान की शर्तें — जैसे कि सामान्य परिस्थितियों में है ।

(क) रेल/और अथवा सड़क द्वारा परिवहन के लिए वाणिज्यिक/व्यापार पैकेजिंग में प्रोटोटाइप की उचित पैकेजिंग के लिए अनुबंधकर्त्ता जिम्मेदार होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रास्ते में कोई नुकसान या क्षति न हो ।

(ख) मार्ग में हुए किसी नुकसान को अनुबंधकर्त्ता द्वारा वसूला जाएगा जब तक यह साबित होता है कि ऐसा नुकसान अनुबंधकर्त्ता की किसी लापरवाही अथवा गलती से नहीं हुआहै ।

(ग) -----का डिजाइन और कोई भी ड्राईंग तथा अन्य दस्तावेज़ चाहे वे रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा आपूर्ति किए गए हों, अथवा अनुबंधकर्त्ता द्वारा इस आदेश की विरचना के लिए बनाया गया हो, सरकार की संपति है और अनुबंधकर्त्ता द्वारा किसी अन्य प्रयोजन के लिए, सरकार ----- निदेशक के माध्यम से लिखित में ली गई सहमति के बिना, इसकी नकल अथवा उपयोग नहीं किया जाएगा ।उक्त ड्राईंग और दस्तावेजों को, अनुबंध की समाप्ति के तुरंत बाद सरकार को लौटा दिए जाएंगे ।

(घ) तकनीकी मामलों पर सभी प्रश्नों के अनुबंधकर्त्ता द्वारा ---- निदेशक/नामित अधिकारी को अथवा उसके द्वारानामित किसी अन्य अधिकारी को अधिमान्यता दी जाएगी जब तक थोक में उत्पादन हो तथ ---निदेशक द्वारा तकनीकी अनुबंध को एक निरीक्षण अभिकरण को स्थानांतरण करने की सूचना अनुबंधकर्त्ता को दी गई हो ।

(ङ) आपसे अनुरोध है कि इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर ---- रुपए की राशि सुरक्षा जमा के रुप में जमा करें ।

(विरचना आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के आद्यक्षर)

परिशिष्ट 'ट'

संस्वीकृति जारी करने के लिए प्रारुप

स्वीकृत का शीर्षक

1. स्वीकृति के व्यापक उद्देश्य
2. सरकार का प्राधिकरण अथवा शक्तियों की अनुसूची/उप-अनुसूची जिसके अंतर्गत स्वीकृति/आदेश जारी किया जा रहा है ।
3. मद/मदों का नाम ।
4. स्वीकृति दी जाने वाली मद/मदों की मात्रा ।
5. स्वीकृति का मूल्य - प्रति इकाई और जोड़ के लिए ।
6. मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष, उप शीर्ष और शीर्ष के ब्यौरे जिसके अंतर्गत बुकिंग की जाएगी ।
7. वर्गीकरण हस्त पुस्तिका में उल्लिखित कोड शीर्ष ।
8. इस मामले की मंजूरी से पहले, सभी प्रतिबद्ध देयताओं को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध शेष निधियाँ ।
9. भुगतान करने वाले अभिकरण का नाम ।
10. फाइल सं0 ----- में, -----दिनांक के -----टिप्पणी सं0 के तहत दिया गया सी एफ ए का अनुमोदन ।
11. क्या निहित शक्तियों अथवा आई एफ ए के साथ सहमति से जारी किया जा रहा है ।
12. आई एफ ए द्वारा आबंटित यू0ओ0 सं0 ।
13. सी एफ ए के दिनांक ----- के पत्र संख्या ---- के तहत ऐसे वित्तीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए, सी एफ ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर की जाने वाली स्वीकृति का संप्रेषण ।

(----------------------)

स्वीकृति की क्रम संख्या ----------------
जारी होने की तिथि ---------------------
फाइल संख्या --------------------------

फार्म

लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों (MSME) के लिए आरक्षित मदों की सूची

क्रमांक	मदों का विवरण
1	19 भूग्रस्त तक AAC / & ACSR कंडक्टर
2	कृषि उपकरण
(क)	हाथ संचालित उपकरण एवं औजार
(ख)	पशु चालित औजार
3	वायु / कक्ष कूलर
4	एल्यूमिनियम निर्मित हार्डवेयर
5	एम्बुलेंस स्ट्रेचर
6	एम मीटर/ओ एच एम मीटर/ वोल्ट मीटर(इलेक्ट्रो चुंबकीय प्रथम श्रेणी तक सटीकता)
7	पायल वेब खाकी
8	शकुन (बढ़ई)
9	ऑटोमोबाइल हेड लाइट उपकरण
10	बैज का (कपड़ा कशीदाकढ़ा और धातु)
11	सभी प्रकार के बैग/ थैलें अर्थात सूती,चमड़े,कैनवस और जूट आदि से बने (किट बैग, मेल बैग,स्लीपिंग बैग और जलरोधी बैग सहित)
13	कांटेदार तार
14	बास्केट केन (राज्य वन निगम और राज्य हस्तशिल्प निगम से भी खरीदे जा सकते हैं)
15	स्नान ट्यूब
16	बैटरी चार्जर
17	बैटरी ईलिमिनेटर
18	बीम स्केल (1.5 टन तक)
19	बेल्ट (चमड़े एवं पट्टियाँ वाली)
20	बेंच वाइस
21	कोलतार पेंट्स

22	स्याही सोंख/ ब्लाटिंग पेपर
23	बोल्ट और नट्स
24	बोल्ट स्लाईडिंग्स
25	अस्थि भोजन / बोन मिल्स
26	बूट पॉलिश
27	जूते और सहित सभी प्रकार के कैनवास जूते
28	कटोरे
29	चमड़े के बॉक्स
30	धातु से बना बॉक्स
31	ब्रेसिज़
32	ब्रेकेट्स (रेलवे में इस्तेमाल हो रहे को छोड़कर)
33	पीतल /ब्रास के तार
34	त्वरित मामले (तुलना ढलवां सामान) अन्य
35	झाड़ू / बुहारी
36	सभी प्रकार के ब्रश
37	सभी प्रकार की बाल्टियाँ
38	सभी प्रकार के बटन

39	वार कैरिज मोमबत्ती
40	केन वाल्व / स्टॉक वाल्व (पानी की फिटिंग के लिए)
41	धातु के केन (दूध और मापने के लिए)
42	तिरपाल और कैनवास उत्पाद
(क) आई0 एस0-1422/70के अनुसार जलरोधी डिलीवरी बैग/थैलें ख) ड्राईंग एल0 वी07/एन0एस0एन0/आई0 ए0/130295 के अनुसार बोनट कवर और रेडिएटर	
43	कपास कपड़े की तथा ऊनी टोपियां
44	जलरोधी/वाटरप्रुफ टोपियां
45	केस्टर ऑयल
46	15 एम्पियर तक सीलिंग रोज
47	केन्द्रीयकृत स्टील प्लेट ब्लोवर्स
48	केन्द्रीयकृत पम्प्स सक्सन एवं आपूर्ति 150 मिमी x 150 मिमी

49	चारा काटने का ब्लेड

50	जंजीरें दंड
51	चप्पल और सैंडल
52	रंगा चमड़ा
53	लाइट फिटिंग के लिए चोक
54	क्रोम चमड़ा (अल्प - तैयार भैंस और गाय)

55	सरक्लिप्स
56	क्ला बार्स और तार
57	क्लीनिंग पाउडर
58	क्लिनिकल थर्मामीटर
59	कपड़ा कवर
60	जैकोनेंट कपड़ा

61	स्पंज कपड़ा
62	कॉयर फायर और कॉयर यार्न
63	कॉयर गद्दा तकिये और चटाई
64	कॉयर रस्सी
65	सामुदायिक रेडियो रिसीवर

66	नाली पाइप
67	कॉपर की कील
68	कॉपर की नेपथिनेट
69	कॉपर सल्फेट
70	कॉर्ड रस्सी मेकर

71	अन्य प्रकार की रस्सी
72	नालीदार कागज बोर्ड और बॉक्स
73	अवशोषित सूत
74	सूती बेल्टें
75	सूत वाहक

76	सूती बाक्स
77	**सुतली**
78	सूती **होज़री**
79	**कपास** सूती **पैक**
80	सूती थैले
81	सूती **रस्सियों**
82	सूती नामपट्ट
83	सूती स्लींग
84	सूती **पट्टियाँ**
85	सूती **पट्टियाँ** और फीते
86	**रूई** (**गैर**-अवशोषित)
87	**लकड़ी और प्लास्टिक** के बक्से
88	(**एक**) संख्या 200 तक धारियां
	(**ख**) संख्या 500 तक मिट्टी की धारियां
	30 **किग्रा तक अन्य** प्रकार की धारियां
89	दरियां **और कंबल**
90	**मच्छर**दानी
91	**कटर**
92	डाइबुटाइल फास्फेट
93	15 हार्स पावर **तक डीजल इंजन**
94	डामिथाइल फास्फेट
95	**निस्संक्रामक द्रव**
96	15 एम्पियर **तक** के **वितरण बोर्ड**
97	भारतीय मानक ब्यूरो (**बीआईएस**) **के विनिर्देशों के अनुसार घरेलू विद्युत उपकरण**: -" **इलेक्ट्रिक टोस्टर**, **इलेक्ट्रिक** इस्त्री, **गरम प्लेट्स**, **इलेक्ट्रिक मिक्सर**,स्टर्ड **इलेक्ट्रिक** इस्त्री,**गरम प्लेटों**, ग्राइन्डर, **कमरा** हीटर और कन्वेक्टर्स **और ओवन**,
98	**घरेलू** (**हाउस** वायरिंग) **पीवीसी केबल्स और तारों** (**अल्युमीनियम**) **निर्धारित** भारतीय मानक ब्यूरो के **निर्दिष्टीकरण और** 10.00 **मिमी वर्ग तक के अनुरूप नाममात्र** क्रास सेक्शन
99	ड्राइंग **और गणितीय उपकरण**
100	**ड्रम और बैरल**

101	कूड़ेदान /डस्टबिन
102	**चमड़े** की डस्ट शील्ड
103	**खादी में अपेक्षित को छोड़कर, सभी प्रकार के** सूती डस्टर **के आइटम**
104	**रंजक**:
	(**एक**) एजो **रंजक** (प्रत्यक्ष **और एसिड**)हव
	(**ख**) **मूल रंजक**
105	**इलेक्ट्रिक** कॉल.बेल/बजर/ डोअर की बेल
106	**इलेक्ट्रिक** सोल्डरिंग इस्त्री
107	**विद्युत पारेषण लाइन हार्डवेयर** जैसे **इस्पात क्रॉस** बार, **क्रॉस** आर्म कलैम्प्स, आर्करिंग आर्म, ब्रैकेट्स **आदि**
108	**इलेक्ट्रॉनिक** डोअर की बेल,
109	**आपातकालीन** लाईट्स (**पुनः प्रभार्य**/ रिचार्जेबल)
110	ईनामिल वारिस एवं ईनामिल यूटेंसिल
111	**उपकरण** (**छलावरण बांस** के डंडे)
112	**निकास मफलर**
113	**विस्तारित धातु**
114	अक्षिका (आईलेट्स)
115	**फिल्म पॉलिथीन**, अधिक चौड़ाई वाली **फिल्म सहित**
116	**फिल्म** स्पूल्स और कैन
117	अग्निशमक (**वॉल** टाईप)
118	**खाद्य पाउडर**
119	**फ्रेंच पॉलिश**
120	धुवाँकश/चिमनी
121	**फ्यूज कट आउट**
122	**फ्यूज यूनिट**
123	**वस्त्र (भारतीय आयुध कारखानों से आपूर्ति को छोड़कर)**
124	**गैस** मैंटल्स
125	गॉज **कपड़ा**
126	**सभी प्रकार** गेज **सर्जिकल**
127	तसले

128	**ग्लास** एम्प्यूल्स
129	शीशे और पतली तार
130	**गोंद**
131	ग्रीस **निपल्स और** ग्रीस **बंदूकें**
132	बन्दूकों के बक्से
133	गन मेटल ब्रुश
134	**गोंद टेप**
135	**सभी प्रकार के हाथ** ठेले
136	**सभी प्रकार के दस्ताने**
137	रेलवे के हैण्ड लैंप
138	**हाथ** की नम्बरिंग **मशीन**
139	हथकुटा (हैंड पोंडेड) चावल (पालिश किया हुआ और बिना पालिश किया हुआ)
140	**हाथ** की **प्रेस**
141	हैण्ड **पम्प**
142	**सभी प्रकार के हाथ** के औजार
143	**लकड़ी और बांस के हैंडल** (**राज्य वन निगम और राज्य हस्तशिल्प निगम से भी खरीद** की **जा सकती है**)
144	**हार्नेस चमड़े**
145	हैस्प और स्टेपल्स
146	**बोरियों**
147	**हेलमेट गैर-धात्विक**
148	देशी चमडे. का सभी प्रकार का सामान
149	कब्जे
150	देसी कीलें
151	**होल्डाल**
152	शहद
153	**हार्स और खच्चर जूते** (रिसालदार)
154	**हाइड्रोलिक जैक क्षमता** 30 **टन से कम**
155	**कीटनाशक धूल और** स्प्रेयर (**मैनुअल केवल**)
156	अपंगों के लिए व्हील कुर्सियां
157	**घरेलू** इन्वर्टर 5 **केवीए तक**

158	आयरन (धोबी के लिए)
159	की- बोर्ड लकड़ी
160	किट बाक्स
161	कुडाली
162	फीता चमड़े
163	लैम्प होल्डर
164	लैम्प संकेतक
165	लालटेन पोस्ट और व्यक्तियों के लिए
166	पेटी
167	लेटेक्स फोम स्पंज
168	लेथ
169	लैटर बाक्स
170	प्रकाश एरेस्टर्स - तक 22 केवी
171	लिंक क्लीप
172	अलसी का तेल
173	मखमल सादा
174	लॉकर
175	स्नेहक
176	एल0 टी0 किटकेट एवं फयूज ग्रिप्स
177	मशीन के पेंच
178	मैगनीशियम सल्फेट
179	लकड़ी का हथौड़ा
180	मैनहोल के ढक्कन
181	मापने का टेप और स्टिक
182	मेटल क्लैड स्वीच 30 एम्प0 तक
183	धातु पॉलिश
184	धातुई कनस्तर और ड्रम एन0 ई0 सी0 के अलावा (कहीं और नहीं वर्गीकृत)
185	मीट्रिक वज़न
186	माइक्रोस्कोप सामान्य चिकित्सकीय प्रयोग के लिए
187	छोटे बल्ब (केवल टार्च के लिए)
188	एम0 एस0 टाई बार्स

189	**नाखून कटर**
190	कपूर की गोलियां
191	निवाड़
192	**निकल सल्फेट**
193	**नायलॉन मोज़ा**
194	**नायलॉन टेप और लेस**
195	ऑयल बांड डिस्टेम्पर
196	**तेल स्टोव** (केवल बत्ती वाला स्टोव)
197	**सभी प्रकार के पैड ताले**
198	**पेंट हटानेवाला** /(रिमूवर)
199	प्लामा रोज **तेल**
200	खजूर
201	**शौचालय** फलैश
202	**पेपर रूपांतरण उत्पाद**, **पेपर बैग**, लिफाफे, आइस क्रीम कप , **पेपर कप और कागज प्लेटें**
203	**कागज टेप** (गोंदवाली)
204	पापड़
205	अचार और **चटनी**
206	पाइल्स फैब्रिक
207	तकिए
208	**प्लास्टर पेरिस**
209	**प्लास्टिक** की टंकियां 20 **लीटर** तक (पॉली इथिनाइल को छोड़कर)
210	**प्लास्टिक केन**
211	ताश
212	बिजली के प्लग एवं साकेट 15 एमपी0 तक
213	**पॉलिथीन बैग**
214	**पॉलिथीन पाइप्स**
215	**पोस्ट** पिकेट **(लकड़ी)**
216	डाक के काम आने वाली सील
217	**पोटेशियम नाइट्रेट**
218	थैले

219	प्रेशर ड्राई कास्टिंग 0.75 कि0ग्राव तक
220	प्रिवी पैन
221	**चरखी तार**
222	**पीवीसी** चप्पलें
223	**पीवीसी पाइप** 110 **मिमी तक**
224	**पीवीसी एल्यूमीनियम केबल्स** 120 **वर्ग मिमी** (ISS: 694) **तक**
225	कम्बल और रजाईयां
226	**रैग्ज़** /पुराने कपडे-चिथड़े
227	**रेलवे कैरिज** लाईट **फिटिंग**
228	बिजली की चोक
229	**रेज़र**
230	**आरसीसी पाइप्स** 1200 **मिमी तक**
231	**आरसीसी** पोल (पूर्व निर्मित)
232	**सभी प्रकार के** रिवेट
233	रोलिंग शटर की
234	**रूफ** लाईट **फिटिंग**
235	**रबड़** के **गुब्बारे**
236	**रबड़** के **कॉर्ड**
237	**रबड़** होज Hoses (बिना ब्राण्ड के)
238	रबड़ की ट्यूब
239	रबड़युक्त कपड़े की **कैप्स आदि**
240	रस्क / **स्केल** रिमूविंग **संरचना**
241	**मांस और दूध**
242	माचिस
243	**सेफ्टीपिन (पेपर पिन, स्टेप्ल पिन और अन्य समान उत्पाद आदि की तरह)**
244	सेनेटरी प्लमबरिंग **फिटिंग**
245	तौलिए
246	**वैज्ञानिक प्रयोगशाला** से संबंधित जार **(संवेदनशील वस्तुओं को छोड़)**
247	**कैंची (साधारण)**
248	**सभी प्रकार के** पेंच
249	**सभी प्रकार की भेड़ की खाल**

250	चपड़ा
251	जूता के फीते
252	फावड़े
253	चित्रित साइन बोर्ड
254	रेशम धागा
255	सिल्क तसमा
256	स्काईबूट और जूते
257	जलद्वार वाल्व
258	स्नैप फास्टनर (4 पीसी को छोड़कर)
259	कार्बोलिक साबुन
260	साबुन का चूरा
261	तरल (लिक्विड) साबुन
262	सॉफ्ट साबुन
263	नहाने और कपड़े धोने का साबुन
264	साबुन पीला
265	साकेट / पाइप
266	सोडियम नाइट्रेट
267	सोडियम सिलिकेट
268	सोल चमड़े
269	चश्मे के फ्रेम
270	बालीदार बूट
271	चमड़े के बने खेल के जूते (सभी खेलों के लिए)
272	स्क्वेयरल केज इंडकशन मोटर 100 कि0 वा0 वोल्ट 3 फेज तक एवं सहित
273	स्टैपल मशीन
274	स्टील अलमारी
275	स्टील के पलंग
276	स्टील की कुर्सियां
277	स्टील के डेस्क
278	स्टील रैक / शेल्फ
279	स्टील के स्टूल

280	स्टील के ट्रंक
281	स्टील वूल
282	स्टील और एल्यूमिनियम खिड़कियाँ और वेंटिलेटर
283	मोज़े
284	स्टोन और स्टोन खदान रोलर्स
285	पत्थर के जार
286	स्ट्रेंडिंग तार
287	स्ट्रीट लाइट फिटिंग
288	छात्र माइक्रोस्कोप
289	स्टड (उच्च टेंसाइल को छोड़कर)
290	सर्जिकल दस्ताने (प्लास्टिक को छोड़कर)
291	टैबिल चाकू (कटलरी को छोड़कर)
292	कील धातु
293	नल
294	तिरपाल
295	सांगवान से बना गोल ब्लॉक
296	तम्बू के डंडे
297	सिविल और सैन्य उपयोग के लिए टैंट और टैंट के सलिताह जूट
298	एन0 ई0 सी0के अलावा वस्त्र विनिर्माण (अन्य में वर्गीकृत नहीं)
299	टाइलें
300	डाक टिकट के लिए टिन बॉक्स
301	टिन केन चार गैलन क्षमता तक (ओ टी एस कैन को छोंडकर)
302	टिन मैस
303	टिप जूते
304	टॉगल घड़ियां
305	शौचालय रोल्स
306	ट्रांसफार्मर वेल्डिंग के अनुरूप आई0एस0 :1291/75 (600 एम्पीयर तक .)
307	ट्रांजिस्टर रेडियो 3 बैंड तक
308	ट्रांजिस्टर इन्सुलेशन - टेस्टर
309	ट्रे

310	डाक के उपयोग करने के लिए ट्रे
311	ट्रॉली
312	पीने के पानी की ट्रॉली
313	टेबूलर पोल
314	टायर और ट्यूबों (चक्रों)
315	छतरियां
316	सभी प्रकार के बर्तन
317	धातु का वाल्व
318	वार्निश काली (जापान की)
319	वोल्टेज स्टेब्लाइजर सी0 वी0 टी0 सहित
320	सभी प्रकार वॉशर
321	जलरोधी कवर पेपर
322	जलरोधी पेपर
323	जल टैंक 15000 लीटर क्षमता तक
324	सीलिंग
325	वैक्स कागज
326	वजन स्केल
327	वेल्डेड वायरमैश
328	व्हील बैरो
329	सीटी
330	वर्तिका सूती / बत्ती
331	विंग शील्ड वाइवर (शस्त्र और ब्लेड केवल)
332	तार के ब्रश और फाइबर ब्रश
333	तार की बाड़ लगाना और फिटिंग
334	वायर नेल्स और हार्स जूता नेल्स
335	वायर नेट्टिग 100 मैश आकार से कम पतला गेज
336	वुड वूल/ लकड़ी की बुरादा
337	गोला बारूद के लिए लकड़ी के बक्से
338	लकड़ी के बोर्ड
339	टिकट के लिए लकड़ी के बक्से
340	लकड़ी के बक्से और डिब्बे (अन्य में वर्गीकृत नहीं)

341	लकड़ी की कुर्सियां	
342	लकड़ी की फ्लश डोर शटर	
343	सभी आकारों की लकड़ी की पैकिंग	
344	लकड़ी की पिन	
345	लकड़ी के प्लग	
346	लकड़ी की शेल्फ	
347	लकड़ी की विनीयर्स	
348	ऊनी होज़री	
349	जिंक सल्फेट	
350	ज़िप फास्टनर्स	
	हस्तशिल्प वस्तुओं	
	मदों के विवरण	पूर्ति के स्रोत
351	केन फर्नीचर	पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम,असम सरकार. विपणन निगम , नागालैंड हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम.
352	बांस ट्रे, फ़ाइल ट्रे , पेंसिल स्टैंड, साइड रैक आदि	-वही--
353	कलात्मक लकड़ी फर्नीचर	राजस्थान लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम
354	लकड़ी के पेपर वैट , रैक आदि	-वही--
355	लकड़ी व जूट से बने ग्लास कवर	-वही--
356	जूट फर्नीचर	पश्चिम बंगाल हस्तशिल्प विकास निगम , जूट निर्माण विकास निगम उड़ीसा राज्य हस्तशिल्प विकास निगम
357	जूट बैग,फाइल कवर	-वही--
358	ऊनी और सिल्क कालीन	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम, जम्मू और कश्मीर बिक्री एवं निर्यात निगम.

डीपीएम फार्म - 2

भेषज सीपीएसई के लिए खरीद वरीयता नीति

संख्या 50013/1/2005-एसओ(पीआई-IV)
भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

7 अगस्त, 2006

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-भेषज केन्दीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) एवं उनकी सहायक कंपनियों के उत्पादों के लिए खरीद वरीयता नीति (पीपीपी)।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने भेषज केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और उनकी सहायक कंपनियों द्वारा तैयार की जा रही 102 दवाइयों के संबंध में विशेष रुप से खरीद वरीयता मंजूर करने का निर्णय लिया हे । 102 दवाइयों की सूची संलग्न है । पीपीपी की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:-

(i) अधिकतम 102 दवाईयों के संबंध में खरीद वरीयता नीति (पीपीपी) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, स्वशासित निकायों इत्यादि द्वारा र्की गई खरीद पर लागू होगी। यह पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा ।

(ii) यह स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित (अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इत्यादि) । राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई 102 दवाओं की खरीद पर भी लागू होगा ।

(iii) पीपीपी केवल भेषज सीपीएसई और उनकी सहायक कंपनियों (अर्थात् जहां भेषज सीपीएसई का 51% या अधिक की शेयर धारिका अपनी है) पर लागू होगा ।

(iv) यह अधिकतम 102 दवाइयों पर लागू होगा । 102 दवाइयों की सूची की रसायन एवं पेट्रो - रसायन विभाग आवश्यकतानुसार एसएसआई इकाइयों के लिए आरक्षित किसी मद को शामिल न करने के लिए संवीक्षा और संशोधित करेगा ।

(v) केंद्रीय सरकार के खरीद करने वाले विभाग/पीएसयू/सांविधिक निकाय इत्यादि भेषज सीपीएमई और उनकी सहायक कंपनियों से सीमित टेंडर या एनपीपीए से प्रमाणिकृत / अधिसूचित मूल्य से प्रत्यक्ष रुप से उनसे 35% तक छूट के साथ खरीद सकती है ।

(vi) खरीद करने वाले विभाग भेषज सीपीएसई और उनकी सहायक कंपनियों से खरीद करेंगे बशर्ते वे औषधि एवं कास्मेंक नियमों की अनुसूची 'एम' के अनुसार अच्छे विनिर्माण प्रक्रियाओं (जीएमपी) मानदंडों को पूरा करते हो । यदि कोई भेषज सीपीएसई इन 102 दवाइयों की आपूर्ति नहीं करती है, तो खरीद करने वाले विभाग अन्य विनिर्माताओं से खरीद करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

(vii) यदि कोई भेषज सीपीएसई या उनकी सहायक कंपनियां, जो कि पीपीपी का लाभ उठा रही हैं, खरीद आदेश का पालन करने में असफल रहती हैं, तो वे संविदा में शामिल नकद भुगतान या किसी भी जुर्माने का भुगतान करेगी ।

(viii) औषध एवं मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) के अधीन आने वाली दवाइयों की आपूर्ति राष्ट्रीय भेषजकीय मूल्य प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा नियत दर में से 35 प्रतिशत तक छूट देते हुए की जाएगी ।

(ix) डीपीसीओ के अंतर्गत न आने वाली दवाइयों के मामले में, एनपीपीए मूल्यों को प्रमाणित करेगा केवल उन सीमित मामलों में जहां केंद्रीय सरकार के विभाग और उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सांविधिक निकायों इत्यादि की आपूर्ति की जाती है । प्रमाणिकृत मूल्यों पर भेषज सीपीएसई एवं उनकी सहायक कंपनियां 35% तक छूट प्रदान करेगी ।

(x) भेषज सीपीएसई एवं उनकी सहायक कंपनियां खरीद वरीयता नीति के क्रियान्वयन के दौरान खुले बाजार में अपने अधिक बाजार हिस्से को बनाने के लिए अपनी विपणन क्षमताओं को मजबूत करेगी ।

(xi) सभी मंत्रालय/विभागों से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को अपने संबंधित कार्यालय - मंत्रालय/विभाग, राज्यों, सीपीएसई, सांविधिक निकायों और अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अन्य संगठनों के ध्यान में लाए ताकि वे भेषज सीपीएसई के उत्पादों के संबंध में पीपीपी का सख्ती से पालन करे ।

ह0/-
(पी0सी0 शर्मा)
भारत सरकार के उप सचिव
दूरभाष- 23389840

1. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव - अनुरोध है कि विभिन्न केन्द्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अधीन राज्यों द्वारा संलग्न सूची के

2. सभी राज्य सरकारों के प्रधान सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य — अनुसार 102 दवाइयों की खरीद इस कार्यालय ज्ञापन में दिए गए पीपीपी के अनुसार भेषज सीपीएसई से की जाए ।

3. भारत सरकार के मंत्रालय/विभागों के सभी वित्तीय सलाहकार ।

4. अध्यक्ष, राष्ट्रीय भेषजकीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), नई दिल्ली ।

5. भेषज पीएसयू के प्रबंध निदेशक (आईडीपीएल, एचएएल, बीसीपीएल, केएपीएल, आरडीपीएल। अनुरोध है कि मामले में अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई तत्काल की जाए ।

6. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक संगठन/निकायों इतयादि के मुख्य कार्यकारी (संलग्न सूची) ।

प्रतिलिपि-

1. प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली ।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली को उनके दिनांक 31 जुलाई, 2006 के का0ज्ञा0 सं0 31/सीएन/2006(i) के संदर्भ में ।

3. सार्वजनिक उद्यम विभाग (श्री प्रियदर्शी ठाकुर, सचिव) अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु के सख्त अनुपालनार्थ पीएसयू सांविधिक निकायों के मुख्य कार्यकारी, के ध्यान में लाएं ।

4. मंत्री (सीएंड एफ एंड एस) के निजी सचिव ।

5. एमओएस(सी एंड एफ) के निजी सचिव ।

6. सचिव (सी एंड एफ) के प्रधान निजी सचिव ।

7. हिंदी अनुभाग ।

सीपीएसयू द्वारा तैयार और खरीद वरीयता के लिए प्रस्तावित दवाइयों की सूची

क्र0सं0	उत्पाद का नाम
1.	टेट्रासाइक्लिन आईपी
2.	एम्पीसिलिन आई पी
3.	एमोसिलिन आई पी
4.	डॉक्सीसाइलिन आई पी
5.	सेफालिसीन आई पी
6.	रिफेल 1 जेपिसिन आई पी
7.	एमोसिलिन + क्लोसलिन
8.	सेबेजिन-जेड (बी-क्मप0+जिंक)
9.	ओडोमेंटासिन
10.	सेफाडोसिल
11.	ओमपीप्राजोल आई पी
12.	फ्लूकोनाजोल

गोलियां

13.	को-ट्रिमोइनोल आई पी
14.	मेंटोनिडाजोल आई पी
15.	सिप्रोफजेसिन आई पी
16.	डिक्लोफेनेट सोडियम
17.	डोमप्रेरिडोन
18.	सेंट्रिजिन हाइडोक्लोलाइड बीपी
19.	अल्बेंडाजोल आई पी
20.	पैरासेटामोल आई पी
21.	इरिथोमाइसिन स्टेटरेड आई पी
22.	टिनिडाजोल आई पी
23.	इथाम्बुटोल आई पी
24.	इसोनियाजिड आई पी
25.	प्राइराजिनासाइड आई पी
26.	क्लोरोक्विन फास्फोरस आई पी
27.	रेनिटिडाइन आई पी एल सी एल
28.	डिसीक्लोमाइन एचसीएल + पैरासिटोमोल
29.	इबूप्रोपफेन आई पी
30.	नोरफलोक्सिन
31.	नोरफलोक्सिन + टिनिडाजोल
32.	आफ्लोक्सिन
33.	आफ्लोक्सिन+ऑर्निडाजोल
34.	स्प्रोफ्लोक्सिन

35. सिप्रोफ्लोक्सिन + टिनीडाजोल
36. निमास्यूलाइड
37. फ्यूराजोलिडोन आई पी
38. ऑर्निडोजोल
39. एजिथ्रेमाइसिन
40. रोक्सिथ्रोमाइसिन
41. पैरासिटामोल आई पी+इबूप्रोफेन आई पी
42. सेफ्यूरोक्सिम एक्सेटिल
43. डिक्लोफेनेट सोडियम आई पी
44. लिवोफ्लोक्सिन
45. फेमोटाइडिन
46. पॉलीविटामिन (प्रोफीलेक्टिक) एनएफआई
47. विटामिन बी-कॉम्पलेक्स (प्रोफूलेक्टिक) एनएफआई
48. एस्क्रोबिक एसिड आई पी
49. फ्रूसेमाइड आई पी
50. निशचिंत-इमरजेंसी कोंट्राएसपेटिव पिल्स
लिवोनोजेस्टेरी
51. डिक्लेफैन्स सोडियम+सेराटोपा(ई)टोडेस
52. पेनिसीलिन वी

<u>सस्पेंशन/सिरप</u>

53. सल्फानेथोजोल एवं ट्रिमथोप्रिम मिक्सचर आई पी (पैडियाट्रिक)
54. सेट्रिजिन हुड्रोक्लोराइड सिरप
55. डोमपेरिडोन सस्पेंशन
56. एमोक्सजाइलिन ओरल सस्पेंशन
57. पैरासिटामोल सिरप
58. एमोक्सिलिन ओरल सस्पेंशन
59. एलबेन्क्साजोल सस्पेंशन
60. कफ सिरप प्रत्येक 5 मि0ली0 में दिया है - (ड्राफेनहाइड्रासाइन हाइड्रोक्लोराइड आईपी- 144 मि0ग्रा0 अमोनियम क्लोराइड आईपी-135 के सोडियम साइट्रेड आईपी 57 मि0ग्रा0 मैथोल आईपी 0.9 मि0ग्रा0
61. कफ सिरप- प्रत्येक में 5 मि0ली0 दिया है:-
क्लोराफीनिरामइन मलोइटा आई पी 3 मि0ग्रा0 सिट्रेट आईपी-46 मि0ग्रा0 मैथोल आई पी 0.9 मि0ग्रा0
62. प्रोमेंथाजिन सिरप
63. फुराजोलिडोन सस्पेंशन
64. हमाइसिन सस्पेंशन

<u>ओरल पाउडर</u>

65. ओरल रिहाइडरेशन सॉल्ट साइट्रेट आई पी (डब्ल्यू एच ओ फार्मूला) बाह्य लोशन
66. एपलिकेशन नेंलाइल बेंजोनेट आई पी
67. क्लोरोलजाइडिन ग्लूकोनेट सोलूशन बीपी
68. ग्लूटाराइडेहाइड

<u>आँख /नाक की ड्राप्स</u>

69. सल्फासेटामाइट आई ड्रॉप्स आई पी
70. सल्फासेटाइमाइड आई/इयर ड्राप्स मलहम
71. सिल्वर सल्फाडाईजिन iv फ्लूड । इन्फूजन
72. प्लाजमा वालूम एक्सपेंडर
73. मेंनिटोल
74. मेंट्रोनिडिजोल
75. सिप्रोफ्लोसिन

<u>ड्राइ पाउडर/लिक्यूड -इंजेक्शन</u>

76. सोडियम एनिटोमी ग्लूकोनेट
77. बेन्जिलाई पैनिसिलिन आई पी
78. फोर्टिफाइड प्रोकेन पैनिसिलन आई पी
79. एमिसिलीन आई पी
80. स्ट्रोपटोमाइसिन आई पी
81. सेफोटामिजिम सोडियम यू एस पी
82. सेफ्ट्रीजोन
83. सेफ्ट्रीजोन+सालबेटम
84. एमोजाइलिन सोडियम+क्लावूलेनेट पोटेशियम
85. जेंटामुसिन आईपी
86. बेंजाथिन पेंनिसिलिन
87. सेफोपिराजोन+सालबेटम

88. एमोसिलिन सोडियम+क्लाबूलेनेट पोटेशियम
89. जेटामाइसिन आई पी
90. रेनिटिडाइन आई पी
91. एमिकेसिन आई पी
92. डिक्लोफेनेट सोडियम
93. डेक्सामेंथासोन
94. लिंग्नोकेन
95. सेफोटेक्समाइन सोडियम+सालबेटम
96. रेबिज वेक्सीन
97. एक्ट्रोपाइन सल्फेट
98. एमिनोपाइलिन
99. फ्रूसेमाइड
100. इटो-थाओपाइलिन
101. पेंनटाजोसिन
102. ए वी एस लिक्यूडि/लापोलिसिड

केन्द्रीय भंडार/एनसीसीई के लिए खरीद/मूल्य वरीयता नीति

फाइल संख्या 14/12/94-(कल्याण) (खंड-।।)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (कल्याण अनुभाग)
कमरा संख्या 361, तृतीय तल, लोकनायक भवन,

नई दिल्ली, दिनांक 5-7-2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय भंडार, एन0सी0सी0एफ0 और केन्द्रीय सरकार द्वारा बहुलता से शेयर धारक बहु-राज्य सहकारिता समितियों से स्टेशनरी एवं अन्य सामानों की स्थानीय खरीद ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 14-7-1981 के का0ज्ञा0 सं0 14/4/80-कल्याण की शर्तों में, दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सभी केन्द्रीय सरकार के विभागों, उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य संगठनों के लिए यह आवश्यक किया गया था कि स्टेशनरी एवं उनके द्वारा मांगी गई अन्य मदों की सभी स्थानीय खरीद केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारिता समिति लि0, (केन्द्रीय भंडार) नई दिल्ली से की जाएं । यदि सोसायटी किसी विशेष मद की आपूर्ति करने में असमर्थ है, तो उसकी स्थानीय खरीद किसी अन्य स्रोत से करने की अनुमति दी गई थी। तदनुसार, 1987 एवं 1994 में सुपर बाजार एवं एन0सी0सी0एफ0 (राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता फेडरेशन) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14-7-1981 के कार्यालय ज्ञापन की परिधि के अंतर्गत लाने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे ।

2. नई सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के जारी होने के पश्चात् उपर्युक्त वितरण को दिनांक 1-7-2005 को निरस्त कर दिया गया था ।

3. मामले को व्यय विभाग के साथ परामर्श करके समीक्षा की गई है । केन्द्रीय भंडार (केबी) एन0सी0सी0एफ और अन्य एमएससीएस को आश्वास्त बाजार प्रदान करने की संकल्पना अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और सरकारी संगठनों को प्रतियोगी बनाने तथा खुली प्रतियोगिता के द्वारा स्व:समर्थित को ध्यान में रखते हुए किया गया है । तथापि, सहकारी आंदोलन के स्पष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को सामान एवं सेवाओं की बहुत सस्ती दरों और प्रतियोगी मूल्यों पर आपूर्ति को सुनिश्चित करना था और विपणन के परिवर्तित संकल्पनाओं को देखते हुए केन्द्रीय भंडार/एनसीसीएफ से स्टेशनरी एवं अन्य सामानों की स्थानीय खरीद करने के लिए सभी केंद्रीय सरकार के विभागों, उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों और उनके द्वारा वित्तपोषित और/या नियंत्रित अन्य संगठनों के लिए निम्नलिखित वितरण को अपनाने का निर्णय किया गया है:-

(क) जीएफआर, 2005 के लिए 145 के अंतर्गत मंत्रालय/विभाग 15,000/- रुपए तक के सामानों की खरीद बिना कोई बोली या निविदा आमंत्रित किए खरीद सकते हैं । इसके अलावा, जीएफआर-2005 के नियम 146 के अंतर्गत, संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा गठित स्थानीय खरीद समिति दर, गुणवत्ता इत्यादि की उपयुक्तता को सुनिश्चित कर बाजार सर्वेक्षण के आधार पर एक लाख रुपए तक सामानों की खरीद कर सकते हैं । इस नियम में आंशिक संशोधन करते हुए, मंत्रालयों/विभागों को बिना कोई निविदा आमंत्रित किए केंद्रीय भंडार/एनसीसीएफ से अपने विवेक से सीधे प्रत्येक अवसर पर एक लाख रुपए तक कार्यालय उपयेाग के लिए आवश्यक सभी मदों को खरीदने के लिए अनुमति दी गई है । सामान की उपयुक्तता पर दरें, गुणवत्ता, विनिर्देशन इत्यादि को सुनिश्चित करने की जिम्मेंदारी स्थानीय खरीद समिति द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए जैसाकि जीएफआर, 2005 के नियम 146 के अंतर्गत दिया गया है । यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि आपूर्ति आदेश में किसी भी परिस्थिति में एक लाख रुपए की नियम सीमा का उल्लंघन न हो सके ।

(ख) 1 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक कार्यालय उपयोग की सभी वस्तुओं की खरीद के लिए, जहां जीएफआर, 2005 के नियम 151 के अनुसार सीमित टेंडर आमंत्रित किए जाने होते हैं, अन्य के साथ-साथ केंद्रीय भंडार एवं एनसीसीएफ को भी ऐसे सीमित टेंडरों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाए । उन मामलों में जहां सहकारिता स्टेशन पर कार्यरत हैं, अन्य बातों के समान होने पर, खरीद वरीयता केंद्रीय भंडार/एनसीसीएफ को प्रदान की जाएगी, यदि सहकारिता द्वारा दिए गए मूल्य एल-1 मूल्य के 1% के अंदर है और यदि यह सहकारिता एल-1 मूल्य के समान कीमत रखने को इच्छुक है । एल-1 मूल्य से अधिक होने पर इन सहकारिताओं को कोई मूल्य वरीयता नहीं दी जाएगी तथापि, केन्द्रीय भंडार/एनसीसीएफ को निविदा सुरक्षा (धरोहर राशि) देने से छूट मिलेगी ।

(ग) 25 लाख रुपए से अधिक के आपूर्ति आदेश के मामले में, डीजीएस एंड डी दर संविदा के अधीन आने वाले कार्यालय उपकरणों के बारे में भी केंद्रीय भंडार और एनसीसीएफ से खरीदा जा सकता हे बशर्ते केंद्रीय भंडार/एनसीसीएफ मदों को डीजीएस एंड डी दर संविदा मूल्यों पर देने का प्रस्ताव करती है और साथ ही उन सभी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करती है जो ऐसे उत्पादों के निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता डीजीएस एंड डी दर संविदा के अधीन पूरा करते हैं । मंत्रालय/विभाग जहां आवश्यक हो ऐसी वस्तुओं के निरीक्षण एवं जाँच के अपने स्वयं बंदोबस्त करेंगे ।

(घ) उपर्युक्त वितरण केवल 31-3-2010 तक लागू रहेगा ।

(ङ) इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने से पूर्व दर्ज अन्य बहुराज्य सहकारी समितियों, जिनके शेयर का प्रमुख भाग केन्द्रीय सरकार का है, को भी 25 लाख रुपए तक सीमित टेंडर के बारे में खरीद वरीयता की सुविधा दी जा सकती है ।

4. अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन में दिए गए अनुदेशों को केंद्रीय विभागों इत्यादि द्वारा की जाने वाली स्थानीय खरीद के संबंध में सावधानी पूर्वक नोट कर अनुपालन की जाए । मंत्रालय/विभागों से भी अनुरोध है कि वे अपने संबंद्ध एवं अधीन कार्यालय के साथ-साथ उनके द्वारा वित्तपोषित और/या नियंत्रित अन्य संगठनों को भी

बहु-राज्य सहकारी समितियों से स्टेशनरी एवं अन्य मदों की उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसी प्रक्रिया का पालन करने के अनुदेश जारी करें ।

5. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 12 जून, 2007 के का0ज्ञा0 सं0 1(12)/ई0-।।(ए)/94 के अंतर्गत दी गई सहमति से जारी किया जाता है ।

(आर0पी0 नाथ)
मुख्य कल्याण अधिकारी का निदेशक
दूरभाष:- 2465562

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, उनके संबंद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय और उनके द्वारा वित्तपोषित और/या नियंत्रित अन्य संगठन

प्रति सूचनार्थ- वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (सुश्री रुबिना, अवर सचिव), ई0-।। (क) शाखा, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 12-6-2007 के का0ज्ञा0 1(12)ई-।।/94 के संदर्भ में ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. प्रबंध निदेशक,
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि0 (केंद्रीय भंडार), पुष्प भवन, प्रथम तल, मदनगीर रोड, नई दिल्ली ।

2. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी फेडरेशन, 5वाँ तल, दिपाली बिल्डिंग, 92 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली ।

डीपीएम फार्म - 4

के0वी0आई0सी0/हैण्डलूम क्षेत्र के लिए आरक्षित उत्पाद

के0वी0आई0सी0 से विशेष खरीद के लिए आरक्षित खादी वस्तुओं की सूची

1. दो सूती
2. पगड़ी का कपड़ा
3. ध्वज पट का कपड़ा
4. डांगरी का कपड़ा
5. चादर का कपड़ा
6. बैड शीट
7. डस्टर
8. तौलिए
9. साड़ी
10. धोती (बिना ब्लिच)
11. तकिए का कवर
12. रेडिमेंड गारमेंट (शॉट)
13. ब्लाउज
14. स्कर्ट

हैण्डलूम क्षेत्र से खरीद के लिए अधिसूचित मदों की सूची

शीर्षक	आईएस : विनिर्देशन
कपास - हैंडलूम	
अंगवस्त्रम	7216-1974
बैंडेज कपड़ा	868-1969
बेड दरी	1557-1972
चादर	745-1975
कंबल, ग्रे एवं कलर वाले	746-1955
ब्लीडिंग, मद्रास, कूस्टेट	1937-1961
बकरम कपड़ा	1102-1968
बंकिंग कपड़ा, ड्राई	747-1982
कोलिको, ब्लीच या ड्राई	1241-1958
केमरिक ब्लीच	1098-1957
सेल्यूलर संटिंग, हैंडलूम कपड़ा	1101-1981
प्लास्टर ऑफ पेरिस का कपड़ा एवं कट बैंडेज	6237-1971
कोटिंग हेंडलूम कॉटन	1243-1981
हैंडलूम कॉटन टैक्सटाइल का कलर फास्टेनेस	6906-1982
क्रॉप	1100-1978
धोती	718-1974
डोस्टी, ग्रे, ब्ली ड्राई, प्रिंटिंग, स्ट्रीप या चेक	756-1984
ड्रैस सामग्री, ब्लीच, ड्राई, प्रिंटिंग, स्ट्राइप या चैक	1095-1967
ड्रिल	1451-1979
डोंगरी कपड़ा	749-1978
डस्टर	859-1978
फ्लोर दरी	1450-1972
गाढ़ा कपड़ा	1094-1976
गॉज, अब्स्रोबेंट, नॉट-स्टोरिलाज्ड, हैंडलूम कपड़ा	758-1975
रुमाल	1989-1975
हालैंड कपड़ा, अनस्कोर	1096-1957
हनीकॉम्ब तौलिया एवं तौलिया कपड़ा	855-1979
हकबैक तौलिया	856-1971
जेकोनैट कपड़ा, ग्रे, ड्रैस	861-1982
लाइट कपड़ा, ग्रे	864-1986
लाइनिंग कपड़ा, ड्राई	1099-1957
लिंट, अब्स्रोबेंट, ब्लीच	757-1971
लंबा कपड़ा, ब्लीच एवं ड्राई	1244-1958
लुंगी	750-1971
लंबा कपड़ा, ब्लीच या ड्राई	1244-1958

डीपीएम फार्म - 5

फर्मों की क्षमता/योग्यता रिपोर्ट का प्रोफार्मा

भाग-1

फर्म द्वारा दी गई वास्तविक जानकारी

1. फर्म का नाम एवं रजिस्टर्ड पता :
2. भारत के अंदर सहायक/एसोसिएट उद्योग का नाम एवं पता :
3. फैक्टरी लोकेशन एवं पता :
4. टेलीग्राफिक पता :
5. कार्यकारी निदेशक का नाम एवं पता :
6. टेलीफोन नंबर : कार्यालय :
   फैक्टरी :
7. संगठन का ब्यौरा
   (क) संक्षिप्त इतिहास :
   (ख) क्षेत्र - वर्तमान व्यवस्था एवं भविष्य के प्रसार का उपलब्ध :
   (ग) कवर आवास :
   (घ) मुख्य विभाग . :
   तकनीकी/प्रबंधकीय

   (ङ) डिजाइन कार्यालय एवं पुस्तकालय ब्यौरे :
   (च) बिक्री एवं सेवा व्यवस्था :
8. अनुमानित पूंजी निवेश :
   (क) प्राधिकृत पूंजी :
   (ख) पूंजी निवेश :
   (ग) वित्तीय स्थिति :
   (तुलन शीट और आय की अद्यतन कॉपी के साथ टिप्पणियां) :
9. मशीनरी/उपकरण और उपलब्ध जाँच/निरीक्षण सुविधाओं :
   . की मुख्य मदें
10. श्रम :
    (क) वर्तमान नियोजित संख्या :
    (i) कुशल :
    (ii) अर्द्ध-कुशल :
    (iii) गैर-कुशल
    (ख) भविष्य प्रसार के लिए श्रम उपलब्धता :
11. शक्ति :
    (क) स्रोत :
    (ख) वर्तमान लोड :
    (ग) भविष्य प्रसार के लिए शक्ति उपलब्धता :
12. कच्चा माल :
    (क) आवश्यकता :
    (ख) कच्चे माल को आरक्षित रखने की अवधि :

(ग) अधिप्राप्ति स्रोत :

(घ) कच्चे माल की देश में उन्नत करने का प्रतिशत :

(ङ) सामान्य उत्पाद या संभावना आदेश के संबंध में , कोई कठिनाई :

13. क्या फर्म डीजीएस एंड डी या किसी अन्य रक्षा सिविल सरकारी विभाग से रजिस्टर्ड है? यदि हां, तो ब्यौरे दीजिए :

14. क्या फर्म ने किसी विदेशी फर्म के साथ सहयोग या तकनीकी सहयोग करारनामा किया है? यदि हाँ, तो ब्यौरे दीजिए :

15. उन मदों की संख्या जिनका पेंटेंट अधिकार फर्म के पास है :

16. क्या उसके पास कोई विकास संबंधी कार्यकलाप है? क्या आपके पास वर्तमान में कोई आधारभूत अनुसंधान कार्यक्रम मौजूद है । :

17. अर्हताप्राप्त प्रबंधकीय और तकनीकी कार्मिकों का ब्यौरा :

18. कया आपका उत्पादन "टाइप अनुमोदित" या आई0एस0आई0 प्रमाणित मार्क प्राप्त है? यदि हां, ब्यौरे दीजिए :

19. स्टाफ का प्रशिक्षण कार्यक्रम :

20. उत्पादन का विकास के अंतर्गत भंडारों का ब्यौरा (अनुबंध-'क') :

21. एजेंट का नाम पता :

22. कोई अन्य जानकारी जो आप देना चाहते हैं :

स्थान : मोहर

दिनांक : हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

संलग्नक :- अनुबंध-'क' (उत्पादन या विकास के अधीन भंडारों का ब्यौरा)

<u>अनुबंध</u>

(इस रिपोर्ट के साथ संलग्न)

मैसर्स ----------------------------
(फर्म द्वारा भरा जाए)

उस सामान/भंडार के विवरण जिनका फर्म द्वारा-

(क) वर्तमान मे निर्माण किया जा रहा है :
(ख) वर्तमान में विकास किया जा रहा है :
(ग) जिनके विकास/उत्पादन के लिए भविष्य मे रुचि रखती है:

<table>
<tr><td>क्रमांक</td><td>वर्तमान उत्पाद</td><td colspan="2">मासिक उत्पादन</td></tr>
<tr><td></td><td>टिप्पणियां</td><td colspan="2"><u>(पालियों की संख्या बताएं)</u></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>वर्तमान में उपलब्ध क्षमता</td><td>कलपुर्जों की भंडारण क्षमता</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">वर्तमान उत्पादन विकास के अंतर्गत उत्पादन विकास के लिए भावी योजना</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

हस्ताक्षर
फर्म का नाम

भाग -II

निरीक्षण दल द्वारा प्रमाण पत्र

1. निरीक्षण दल के अधिकारियों का नाम तथा पदनाम :
2. दिनांक जब फर्म का निरीक्षण किया गया :
3. अंतिम उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया पर जानकारी तथ पर्याप्तता के मानक पर टिप्पणी :
4. निरीक्षण/परीक्षण और उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था पर टिप्पणियां :
   (क) उपकरणों की उपयुक्तता :
   (ख) उत्पादन के दौरान योजनाबद्ध के निरीक्षण के अनुप्रयोग :
   (ग) उप-ठेकेदारों से प्राप्त कच्चे माल के घटकों का निरीक्षण :
   (घ) जन संसाधनों में सुधार हेतु संभावित कार्य अध्ययन के समुचित साक्ष्य :
   (ङ) जन संसाधनों में सुधार हेतु निर्मित प्रशिक्षण कार्यक्रम :
5. क्या प्रबंधन श्रमिक संबंध अच्छे हैं :
   कोई श्रमिक समस्या जो उत्पादन में बाधा उत्पन्न कर सकती है ? :
6. क्या वे किसी भी अग्रणी निर्माताओं या सरकार के उपक्रमों/विभागों को उत्पादों की आपूर्ति कर रहे हैं ? (विवरण दें) :
7. सामान्य सुविधा के रुप में भावी अनुसंधान और विकास की संभावनाओं पर टिप्पणियां :
   यदि हां तो ऐसी गतिविधियों पर कुल खर्च का प्रतिशत बताएं
8. क्या वे उत्पादन/विकास को समुचित आदेश देने के लिए विचार योग्य है :
9. क्या यह फर्म ए0एच0एस0पी0 के कार्य अर्थात् उपयोगकर्त्ता पुस्तिका, कार्यशाला, मैनुअल, कलपुर्जों आदि के दो साल के रख-रखाव और मरम्मत से संबंधित आंशिक/ अनुशंसित पहचान सूची आदि उपलब्ध कराने के सक्षम है? :
10. आपूर्ति की सारणी, सुरक्षा-जानकारी पर कोई शिकायत आदि का पालन करते हुए गुणवत्तापरक सामान पर पूर्व में की गई सामान्य टिप्पणियां . :
11. सामान्य टिप्पणियां (कोई अन्य अवलोकन पहले से ही शामिल नहीं) दें :
12. क्या आप फर्मह को आर्थिक रुप से सक्षम मानते हैं :
13. आदेश देने के लिए फर्म की उपयुक्तता के बारे में अंतिम सिफारिश :

निरीक्षण दल के अधिकारियों के हस्ताक्षर तथा पदनाम

इनकोटर्मस - 2000

1. इनकोटर्मस 2000 में, वस्तुओं की सुपुर्दगी और परिवहन को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में बाँटा गया है:-

(क) 'ई' टर्म्स :- समें पूर्व -निर्माण कार्य शामिल हैं जिसमें विक्रेता अपने परिसर में ही क्रेता को वस्तुएं उपलब्ध कराता है । भाड़े पर ले जाने वाले संवाहक को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी क्रेता की है ।

(ख) 'एफ' टर्म्स :- एफ' टर्म में एफ सी ए , एफ ए एस और एफ ओ बी जैसी विभिन्न शर्तें आती हैं जिसकें अंतर्गत क्रेता द्वारा नियुक्त किए गए संवाहक को वस्तुएं सुपत्रर्द करने के लिए विक्रेता को बुलाया जाता है । संवाहक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी क्रेता की है ।

(ग) 'सी टर्म :- सी' टर्म में सी एफ आर, सी आई एफ,सी पी टी और सी आई वी जैसी विभिन्न शर्तें आती हैं जिसके अंतर्गत लदान और प्रेषण के बाद हुई वस्तुओं की कमी अथवा नुकसान अथवा अतिरिक्त कीमत के जोखिम को ध्यान में न रखते हुए, विक्रेता, वाहन के लिए संविदा करता है ।

(च) 'डी' टर्म :- डी ए एफ, डी ई एस, डी ई क्यू, डी डी यू और डी डी पी, 'डी' टर्म की विभिन्न शर्तें हैं जिसके अंतर्गत वस्तुओं को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए आवश्यक लागतों और जोखिमों को विक्रेता उठाता है ।

2. **पूर्व कार्य (ई एक्स डब्ल्यू) -** पूर्व निर्माण कार्यों का अर्थ है कि विक्रेता, क्रेता के निबटान पर अपने परिसर पर अथवा आयात के लिए न खुले हुए अन्य स्थान पर (जैसे निर्माण कार्य, फैक्टरी, माल गोदाम आदि) और सामान इकट्ठा करने वाले वाहन पर लदान न होने पर विक्रेता वस्तुओं की सुपुर्दगी करेगा । अत: यह टर्म विक्रेता के न्यूनतम दायित्व दर्शाती हैं और विक्रेता के परिसर से वस्तुएं लेने वाली सभी लागतों को क्रेता को वहन करेगा ।

3. हालांकि, यदि पक्ष चाहते हैं कि प्रस्थान पर वस्तुओं के लदान के लिए विक्रेता जिम्मेदार हो और ऐसे लदानों की सारी लागतों और जोखिमों को वहन करे तो विक्री संविदा में इससे संबंधित व्याख्या साफ-साफ शब्दों में की जानी चाहिए । जब क्रेता आयात औपचारिकताओं का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से पालन नहीं करता है तो इस टर्म को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए । ऐसी परिस्थितियों में एफ सी ए टर्म प्रयोग की जानी चाहिए बशर्ते विक्रेता अपनी लागत और जोखिम पर लदान के लिए सहमत हो ।

4. **नि:शुल्क संवाहक (एफ सी ए) -** नि:शुल्क संवाहक का अर्थ है कि नियत स्थान पर क्रेता द्वारा नियुक्त संवाहक को आयात के लिए वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति क्रेता करता है। यह टर्म, परिवहन का प्रकार जिसमें बहु-रुपात्मक परिवहन भी शामिल है, को ध्यान में रखे बिना भी प्रयोग की जा सकती है । संवाहक का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो वाहन की संविदा में, रेल, सड़क, वायु, समुद्र, अंतर्देशीय जलमार्ग

अथवा ऐसे तरीकों के मिले-जुले रुप द्वारा परिवहन की निष्पादन अधिप्राप्ति अथवा निष्पादन का वचन देता है । यदि क्रेता, वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, संवाहक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नामित करता है तो जब वस्तुएं उस व्यक्ति को सुपत्रर्द की जाएं तो विक्रेता को वस्तुएं सुपत्रर्द करने के अपने दायित्वों को पूर्ण करना ही होगा ।

5. **<u>पोत के साथ नि:शुल्क (एफ ए एस)</u> -** पोत के साथ नि:शुल्क का अर्थ है कि विक्रेता वस्तुओं को सुपत्रर्द करता है जब वे बंदरगाह पर पोत के साथ-साथ रखी हो । इसका अर्थ यह हुआ कि उस वक्त से वस्तुओं के खोने अथवा नुकसान के जोखिमों और सारी लागतों को क्रेता वहन करेगा । एफ ए एस टर्म में क्रेता द्वारा वस्तुओं का निर्बाध निर्यात अपेक्षित है । तथापि, यदि पक्ष, क्रेता द्वारा वस्तुओं का निर्बाध र्नियात चाहते हैं तो बिक्री संविदा में इससे संबंधित वक्तव्य स्पष्ट रुप से दिया जाना चाहिए । यह शब्द, केवल समुद्र अथवा अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है ।

6. **<u>पोत पर्यन्त नि:शुल्क (एफ ओ बी)</u> -** पोत-पर्यन्त नि:शुल्क का अर्थ है कि जब वस्तुएं, लदान के नामित बंदरगार से पोत के रेल से आगे जाती हैं तो विक्रेता उनकी सुपुर्दगी करता है । इसका अर्थ यह हुआ कि वहां से वस्तुओं के खोने अथवा हानि के जोखिम और सभी लागतों को क्रेता वहन करेगा । एफ ओ बी टर्म में विक्रेता द्वारा वस्तुओं का निर्बाध निर्यात अपेक्षित है । यह टर्म, समुद्र अथवा अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के लिए ही प्रयोग की जा सकती है । यदि पक्ष, पोत के रेल के पास वस्तुओं को सुपत्रर्द नहीं करना चाहते हैं तो एफ सी ए टर्म प्रयोग की जानी चाहिए ।

7. **<u>लागत और भाड़ा (सी एफ आर)</u> -** लागत और भाड़े का अर्थ है कि जब वस्तुएं लदान के बंदरगाह में पोत के पटरी से आगे जाती हैं तो विक्रेता उन्हें सुपत्रर्द करेगा । प्रस्थान के नामित बंदरगाह पर वस्तुओं को लाने में लगी आवश्यक लागत और बंदरगाह पर वस्तुओं को लाने में लगी आवश्यक लागत और भाड़े का भुगतान विक्रेता को करना होगा परंतु वस्तुओं के खोने अथवा टूट-फूट का जोखिम अथवा सुपुर्दगी के बाद हुई किसी घटना के कारण हुई अतिरिक्त लागतों को विक्रेता द्वारा क्रेता को हस्तांतरित कर दिया जाएगा । सी एफ आर टर्म में विक्रेता द्वारा वस्तुओं का निर्बाध निर्यात अपेक्षित है । यह टर्म केवल समुद्र और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के लिए प्रयोग की जा सकती है ।

8. **<u>लागत, बीमा और भाड़ा (सी आई एफ)</u> -** लागत बीमा और भाड़े का अर्थ है कि विक्रेता वस्तुओं को सुपत्रर्द करेगा जब वे लदान के नामित बंदरगाह में पोत की पटरी को छोड़ देंगी । प्रस्थान के नामित बंदरगाह पर वस्तुओं को लाने हेतु आवश्यक लागतों और भाड़े का भुगतान, विक्रेता को करना होगा । सी आई एफ टर्म में, वस्तुओं के वाहन के दौरान हुई क्षति अथवा टूटफूट के क्रेता के जोखिम के लिए भी विक्रेता को नौवहन बीमा प्राप्त करना होगा । परिणामत: विक्रेता बीमे के लिए संविदा करता है और बीमे की किश्त का भुगतान करता है । सी आई एफ टर्म में विक्रेता द्वारा वस्तुओं का निर्बाध निर्यात अपेक्षित है । यह टर्म केवल समुद्रीय अथवा अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के लिए प्रयोग की जा सकती है । यदि पक्ष, वस्तुओं की सुपुर्दगी पोत के पार नहीं करना चाहते हैं तो सी आई पी टर्म को प्रयोग किया जाना चाहिए ।

9. **की गई ढुलाई (सी पी टी) -** की गई ढुलाई (सी पी टी) का अर्थ है कि विक्रेता, अपने द्वारा नामित संवाहक को वस्तुओं की सुपुर्दगी करता है । परंतु इसके अतिरिक्त विक्रेता को नामित स्थान पर वस्तुओं को लाने का भी भुगतान करना होगा । इसका अर्थ हुआ कि इस प्रकार सुपत्रर्द की गई वस्तुओं के बाद की किसी भी लागत और सभी जोखिमों को क्रेता वहन करता है । पी टी टर्म में विक्रेता द्वारा वस्तुओं का निबार्ध आयात अपेक्षित है । यह टर्म परिवहन के प्रकार जिसमें परिवहन भी शामिल है, को ध्यान में रखे बिना भी प्रयोग की जा सकती है ।

10. **किया गया भुगतान,ढुलाई और बीमा (सी आई पी) -**किया गया भुगतान ढुलाई और बीमा का अर्थ है कि विक्रेता, अपने द्वारा नामित किए गए संवाहक को वस्तुएं सुपत्रर्द करता है परन्तु इसके अतिरिक्त विक्रेता को नामित स्थान पर वस्तुओं को लाने में आवश्यक संवाहक की लागत का भी भुगतान करना होगा । इसका अर्थ यह है कि इस प्रकार सुपुर्द की गई वस्तुओं के बाद होने वाली किसी अतिरिक्त लागत और सभी जोखिमों को क्रेता वहन करता है । तथापि, सी आई पी में, ढुलाई के दौरान हुई वस्तुओं की टूट-फूट और खोने के क्रेता के जोखिम के लिए विक्रेता को बीमा करना होगा । परिणामत:, विक्रेता बीमे के लिए संविदा करता है और बीमे की किश्त का भुगतान करता है ।

11. क्रेता को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सी पी आई टर्म में, विक्रेता केवल न्यूनतम सुरक्षा राशि पर बीमा करता है । यदि क्रेता, बड़ी सुरक्षा राशि का संरक्षण चाहता है तो या तो उसे विक्रेता के साथ स्पष्ट रुप से सहमत हाने की आवश्यकता है अथवा उन्हें अतिरिक्त बीमा व्यवस्था करनी होगी । संवाहक का अर्थ है कि कोई व्यक्ति जो ढुलाई की संविदा में रेल, सड़क, वायु, समुद्र, अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा परिवहन की प्राप्ति अथवा ऐसी किसी मिले-जुले तरीके द्वारा कार्य-निष्पादन का वचन देता है । यदि सहमत स्थान पर ढुलाई के लिए अनुवर्ती संवाहक प्रयोग किए जाते हैं तो जब वस्तुएं प्रथम संवाहक को सौपी जाती हैं तो जोखिम हस्तांतरित हो जाता है । सी आई पी में विक्रेता द्वारा वस्तुओं का निर्बाध आयात अपेक्षित है । शब्द, परिवहन के तरीकों जिनमें बहु-रुपात्मक परिवहन शामिल हैं, को ध्यान में रखे बिना भी प्रयोग किया जा सकता है ।

12. **सीमा सुपुर्दगी (डी ए एफ) -** सीमा पर सुपुर्दगी का अर्थ है कि जब वस्तुएं, आये हुए परिवहन पर माल उतारे बिना क्रेता के निबटान पर, निर्यात के लिए एक नामित स्थान पर आयात के लिए निर्बाध नहीं है तथापि यदि पक्ष चाहते हैं कि माल उतारने की लागतों और जोखिमों को तथा परिवहन साधनों से वस्तुओं को उतारने के लिए विक्रेता जिम्मेदार हो तो बिक्री संविदा में इससे संबंधित वाक्यों को स्पष्ट रुप से व्यक्त किया जाना चाहिए । जब वस्तुएं स्थल सरहद पर सुपत्रर्द की जानी हो तो परिवहन के प्रकार को ध्यान में रखे बिना इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए ।

13. **पोत पर की गई सुपुर्दगी (डी ई एस) -** पोत पर की गई सुपुर्दगी का अर्थ है कि जब वस्तुएं प्रस्थान के नामित बंदरगाह पर निर्यात के लिए उपलब्ध होती हैं व पोत पर चढ़ाने के लिए उपलब्ध होती हैं तब विक्रेता, वस्तुओं की सुपुर्दगी के अपने दायित्व को पूर्ण करता है । माल उतारने से पहले, प्रस्थान के नामित बंदरगाह से वस्तुओं को लाने में हाने वाले सभी जोखिमों और लागतों को विक्रेता वहन करता है । यदि पक्ष चाहते हैं कि वस्तुओं को उतारने में होने वाली लागतों और जोखिमों को विक्रेता वहन करे, तब डी ई क्यू शब्द प्रयोग में लाना चाहिए । यह शब्द केवल तब प्रयोग हो सकता है जब प्रस्थान के बंदरगाह में पोत पर समुद्र अथवा अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन द्वारा वस्तुएं सुपत्रर्द की जाएं ।

14. **पूर्व घाट पर की गई सुपुर्दगी (अदा किया गया शुल्क) (डी ई क्यू) -** पूर्व घाट की सुपुर्दगी (अदा किया गया शुल्क) का अर्थ है कि विक्रेता वस्तुओं को सुपत्रर्द करने के अपने दायित्व को पूर्ण करता है जब वह क्रेता को आयात के लिए निर्बाध वस्तुएं, प्रस्थान के नामित बंदरगाह पर, घाट (जहाज-घाट) पर उपलब्ध कराता है । इस संदर्भ में, वस्तुओं की सुपुर्दगी में हुए सभी जोखिमों और लागतों को, जिसमें शुल्क, कर और अन्य प्रभार शामिल हैं, विक्रेता वहन करेगा । यदि विक्रेता आयात लाइसेंस प्राप्त करने में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से असमर्थ है तो इस शब्द को प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए । यदि दल चाहते हैं कि क्रेता आयात के लिए वस्तुओं को निर्बाध करे और शुल्क का भुगतान करे तो 'भुगतान किया गया शुल्क' के स्थान पर "भुगतान न किया गया शुल्क" प्रयोग किया जाना चाहिए ।

15. **दस्तावेज -** विदेशी संविदाओं के सभी मामलों में, सुपुर्दगी और भुगतान से संबंधित सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ, स्पीड पोस्ट, कुरिअर अथवा प्रेषण के किसी अन्य तीव्रतम साधन द्वारा खरीददार को भिजवाए जाने चाहिए । ये दस्तावेज, साख-पत्र के माध्यम से भुगतान के लिए बैंक को प्रेषित दस्तावेजों के अतिरिक्त होने चाहिए । आपूर्तिकर्त्ता को, प्रेषण की तैयारी से संबंधित, कम से कम छः सप्ताह का नोटिस, खरीददार और उसके ऐजेंट को देना चाहिए । संविदा में, सुपुर्दगी की नियत तिथि के संदर्भ में, लदान-पत्र की अथवा वायुमार्ग बिल की तिथि सुपुर्दगी की वास्तविक तिथि मानी जाएगी

16. **प्रेषणी का अस्वीकृति का अधिकार -** यद्यपि किसी मद के प्रेषण से पहले निरीक्षण किया जा चुका हो, फिर भी प्रेषिती को संपूर्ण मद अथवा उसके किसी भाग को अस्वीकृत करने का अधिकार है यदि वह देखता हो कि आपूर्ति की गई मदें विनिर्देशों के अनुरुप नहीं हैं अथवा क्षतिग्रस्त हैं । ऐसी अस्वीकृति, प्रेषिती के परिसर में मदें पहुंचाने के 90 दिनों के भीतर आपूर्तिकर्त्ता को पहुंचानी होगी । यदि कोई मद अस्वीकृत होती हैं, तो आपूर्तिकर्त्ता एक निर्धारित अवधि के भीतर, जो 45 दिनों से कम नहीं होनी चाहिए, मद को बदल कर देता है जिसके न होने पर उसे वित्तीय प्रत्ययन करना होगा। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के प्रकाशन, इनकोटर्म-2000 में निहित ऐसे सभी मामलों के प्रावधान, जिनमें समय-समय पर संशोधित संपत्ति के अधिकार में बदलाव से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, वे विदेशी संविदा के रुप में जाने जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा शासित होंगे ।

विवाचन की शर्त का फार्मेट - स्वदेशी निजी बोलीकर्त्ता

1. वर्तमान संविदा से संबंधित अथवा इसके बाहर के सभी विवाद अथवा मतभेद जिसमें वर्तमान संविदा अथवा उसके किसी भाग की वैधता से संबंधित मतभेद भी शामिल है, को द्विपक्षीय विचार विमर्श द्वारा हल किया जाएगा ।

2. कार्य-निष्पादन अथवा विनिर्माण से संबंधित अथवा इस संविदा से संबंधित अथवा इसके बाहर के कोई भी विवाद, असहमति का प्रश्न (इन परिस्थितियों द्वारा किसी भी मामले में जिसका निर्णय अथवा स्वरुप निर्धारण किया जाना है को छोड़कर) जो सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया नहीं जा सकता, वह आपसी समझौते द्वारा निर्धारित अवधि अथवा 60 दिनों के भीतर उस तिथि से जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को लिखित में नोटिस द्वारा सूचित करता है कि ऐसा विवाद, असहमति अथवा प्रश्न उत्पन्न हुआ है, वह तीन विवाचकों से बने हुए विवाचन अधिकरण के सुपुर्द किया जाएगा ।

3. उक्त नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर, संविदाकार एक विवाचक को लिखित में नामित करेगा और ग्राहक, एक विवाचक को नामित करेगा ।

4. तीसरा विवाचक, जो किसी पक्ष द्वारा अस्वीकार्य किसी दूसरे देश का अथवा दोनों पक्षों में से किसी एक के देश का, अथवा अधिवासी अथवा नागरिक नहीं होना चाहिए । वह उपर्युक्त दर्शाए गए नोटिस की प्राप्ति के (90) दिनों के भीतर पक्षों में नामित किया जाना चाहिए । ऐसा न होने पर तीसरा विवाचक, दोनों पक्षों में से किसी एक की प्रार्थना वह अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जा सकता है परंतु उक्त नामांकन दोनों पक्षों से परामर्श के बाद किया जाएगा और वह एक निर्णायक के रुप में कार्य नहीं करेगा और न ही इसे ऐसा माना जाएगा ।

5. मध्यस्थ न्यायाधिकरण का स्थान नई दिल्ली में अथवा भारत के ऐसे किसी दूसरे स्थान में होना चाहिए जो दोनों पक्षों के बीच हुए आपसी समझौते द्वारा स्वीकार्य हो ।

6. मध्यस्थ कार्यवाही, भारतीय मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 के अंतर्गत भारत में संचालित की जाएगी और ऐसे माध्यस्थम् न्यायाधिकरण का निर्णय केवल भारतीय न्यायालयों में ही प्रवर्तनीय होगा

7. मध्यस्थता कार्यवाही की विचाराधीनता के दौरान इस संविदा के अंतर्गत पक्ष अपना-अपना दायित्व पूर्ण करेंगे सिवाय इसके कि जब ऐसे दायित्व, उक्त मध्यस्थता कार्यवाही की विषय-वस्तु हो ।

(टिप्पणी- पक्षों द्वारा विवादों को न्याय के लिए मध्यस्थ अधिकरण में भेजने का निर्णय लेने के मामले में प्रत्येक पक्ष द्वारा एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा तथा मामले को तीसरे मध्यस्थ के नामांकन के लिए भारतीय मध्यस्थ परिषद को भेजा जाएगा । पक्षों द्वारा नियुक्त मध्यस्थ की फीस का वहन प्रत्येक पक्ष द्वारा किया तथा तीसरा मध्यस्थ यदि नियुक्त किया जाता है तो उस की फीस का वहन क्रेता और विक्रेता द्वारा समान रुप से किया जाएगा ।

विवाचन की शर्त का फार्मेट - विदेशी बोलीकर्त्ता

1. वर्तमान संविदा से संबंधित अथवा इसके बाहर के सभी विवाद अथवा मतभेद जिसमें वर्तमान संविदा अथवा उसके किसी भाग की वैधता से संबंधित मतभेद भी शामिल है, को द्विपक्षीय विचार विमर्श द्वारा हल किया जाएगा ।

2. कार्य-निष्पादन अथवा विनिर्माण से संबंधित अथवा इस संविदा से संबंधित अथवा इसके बाहर के कोई भी विवाद, असहमति का प्रश्न (इन परिस्थितियों द्वारा किसी भी मामले में जिसका निर्णय अथवा स्वरुप निर्धारण किया जाना है को छोड़कर) जो सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया नहीं जा सकता, वह आपसी समझौते द्वारा निर्धारित अवधि अथवा 60 दिनों के भीतर उस तिथि से जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को लिखित में नोटिस द्वारा सूचित करता है कि ऐसा विवाद, असहमति अथवा प्रश्न उत्पन्न हुआ है, वह तीन विवाचकों से बने हुए विवाचन अधिकरण के सुपुर्द किया जाएगा ।

3. उक्त नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर, संविदाकार एक विवाचक को लिखित में नामित करेगा और ग्राहक, एक विवाचक को नामित करेगा ।

4. तीसरा विवाचक, जो किसी भी पक्ष को अस्वीकृत किसी भी पक्ष को अस्वीकृत किसी अन्य देश का नागरिक या निवासी नहीं होगा, को उपर्युक्त दर्शाए गए नोटिस के प्राप्त होने के 90 दिनों के अंदर नामित किया जाएगा । इसके असफल रहने पर तीसरे मध्यस्थ किसी भी पक्ष के अनुरोध पर अंतर्राज्यीय वाणिज्यिक मंडल पेरिस के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जा सकता है किंतु उक्त नामांकन दोनों पक्ष के परामर्श के पश्चात किया जाएगा और दर्शाए गए अनुसार किसी भी देश के किसी भी नागरिक या निवासी को प्रतिवारित करेगा ।

5. मध्यस्थ न्यायाधिकरण का स्थान नई दिल्ली में अथवा भारत के ऐसे किसी दूसरे स्थान में होना चाहिए जो दोनों पक्षों के बीच हुए आपसी समझौते द्वारा स्वीकार्य हो ।

6. मध्यस्थ कार्यवाही, भारतीय मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 के अंतर्गत भारत में संचालित की जाएगी और ऐसे माध्यस्थम न्यायाधिकरण का निर्णय केवल भारतीय न्यायालयों में ही प्रवर्तनीय होगा

7. मध्यस्थों के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा और इस संविदा के दोनों पक्षों पर बाध्य होगा ।

8. प्रत्येक पक्ष अपने मामलों को तैयार करने और पेश करने का खर्च स्वयं उठाएगा । तीसरे विवाचक की फीस और खर्चे सहित विवाचन की लागत, विक्रेता और क्रेता सहित समान रुप से वहन की जाएगी ।

9. विवाचकों के कार्यालय में रिक्ति होने पर, वह पक्ष जिसने उन मध्यस्थों को नामित किया था, उसके स्थान पर दूसरे मध्यस्थ को नामित करने का हकदार है और मध्यस्थता कार्यवाही, उसी प्रक्रम से जारी रहेंगी जिस प्रकम पर सेवानिवृत होने वाले मध्यस्थ द्वारा छोड़ी गई थीं ।

10. यदि पक्षों में से कोई एक पक्ष उपर्युक्तानुसार 60 दिनों के भीतर अपने मध्यस्थ को नामित करने में असफल होता है, यदि कोई भी पक्ष, मध्यस्थ के रिक्त हुए स्थान पर 60 दिनों के भीतर अन्य मध्यस्थ को नामित नहीं करता है, तब दूसरा पक्ष कम से कम 30 दिनों के नियत नोटिस के भीतर, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष से उपर्युक्त अन्य मध्यस्थ को नामित करने का निवेदन करने का हकदार होगा।

11. यदि तीसरे मध्यस्थ का स्थान खाली होता है तो इसमें ऊपर दिए नियत प्रावधानों के अनुसार उसका प्रतिस्थापन्न नामित किया जाएगा ।

12. मध्यस्थता कार्यवाही की विचाराधीनता के दौरान इस संविदा के अंतर्गत पक्ष अपना-अपना दायित्व पूर्ण करेंगे सिवाय इसके कि जब ऐसे दायित्व, उक्त मध्यस्थता कार्यवाही की विषय-वस्तु हो ।

(टिप्पणी - अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल, पेरिस द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में दुबारा छंटनी केवल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थ के मामलों में ही होगी । इसी प्रकार से, यू एन सी आई टी आर एल प्रावधान केवल मध्यस्थ होने की स्थिति में फीस के निर्धारण के संबंध में लागू होंगे । मध्यस्थता के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, भारतीय मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम-1996 के अनुसार होगी ।

<u>डीपीएम फार्म - 9</u>

मध्यस्थता की शर्त का फार्मेट - सी पी एस यू/डी पी एस यू

संविदा के प्रावधानों की व्याख्या और प्रयोज्यता के संबंध में विवाद या भेद के मामले में, ऐसे विवाद या भेद को किसी भी पक्ष द्वारा लोक उद्यम विभाग में स्थापित स्थाई मध्यस्थ तंत्र को भेजा जाएगा तथा यदि लोक उद्यम विभाग इस विवाद को सुलझाने में असफल हो तो उसे मंत्रिमंडलीय सचिवालय द्वारा गठित समिति को भेजा जाएगा ।

संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा इकरारनामा

सामान्य

1. जबकि संयुक्त सचिव और अधिग्रहण प्रबंधक (भूमि/वायु/समुद्रीय प्रणालियां) रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रुप मे जिसे अब से क्रेता तथा प्रथम पक्ष कहा जाएगा (उपस्कर का नाम) की अधिप्राप्ति का प्रस्ताव करते है, जिसे अबसे रक्षा भंडार कहा जाएगा और मेसर्स ---------- के प्रतिनिधित्व मे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जब तक इसे स्पष्ट रुप से इंगित नही किया जाता, इसमे इसके उत्तराधिकारी और वे व्यक्ति भी शामिल माने जायेगे जिन्हे यह कार्य सौपा जाता है), अब से इन्हे बोलीदाता/विक्रेता तथा द्वितीय पक्ष कहा जाएगा, भंडारो की आपूर्ति करने के प्रस्ताव के इच्छुक है/ने प्रस्ताव किया है ।

2. जबकि, बोलीदाता एक निजी कम्पनी /सार्वजनिक कम्पनी/साझेदारी /पंजीकृत निर्यात अधिकरण है जो इस मामले मे संगत विधि के अनुसरण मे गठित की गई है तथा क्रेता भारत सरकार का एक मंत्रालय है, जो भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्य करता है।

उद्देश्य

3. एक ऐसी प्रणाली को अपनाकर जो संविदा की अवधि के दौरान और बाद मे बिना किसी बाहरी प्रभाव/पूर्वाग्रह के निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र हो, सभी प्रकार के भ्रष्टाचार से बचने के लिए अब क्रेता और बोलीदाता इस संविदा-पूर्व समझौते जिसे अबसे सत्यनिष्ठा इकरारनामा कहा जाएगा, पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत होते है ताकि निम्नलिखित बातों को पूरा किया जा सके:-

3.1 सार्वजनिक खरीद पर भ्रष्टाचार के विकृत प्रभाव और ऊंची कीमत से बचकर, सेवाओं की परिभाषित विशेषताओं के अनुरुप प्रतियोगी कीमतों पर वांछित रक्षा भंडारो को प्राप्त करने हेतु क्रेता को योग्य बनाना, और

3.2 बोलीदाता को आश्वासन देना होगा कि संविदा को प्राप्त करने में किसी तरह का भ्रष्टाचार अथवा रिश्वतखोरी नही की जाएगी। तथा उनके प्रतियोगी भी रिश्वतखोरी और अन्य भ्रष्टाचार से दूर रहेगे और क्रेता भी पारदशी प्रक्रिया अपनाकर अपने अधिकारियों को किसी तरह के भ्रष्टाचार तथा रिश्वतखोरी से बचने के लिए बचनबद्ध होगा ।

क्रेता की प्रतिबद्धता

4. क्रेता अपने आपको निम्नलिखित प्रतिबद्धताओ में आबंधित करता है :-

4.1 क्रेता बचन देता है कि क्रेता का कोई कर्मचारी जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से संविदा से जुडा है वह बोलीदाता से अपने अथवा संविदा से जुडे संगठन या तीसरे पक्ष से बोली प्रक्रिया मे, बोली मूल्यांकन मे संविदा मे अथवा संविदा संबंधी कार्यान्वयन प्रक्रिया मे फायदे के बदले मे प्रत्यक्ष अथवा मध्यस्थ के माध्यम से रिश्वत देना अथवा स्वीकारना, प्रतिफल, उपहार, पत्ररस्कार स्वीकार नही करेगा

4.2 क्रेता, संविदा-पूर्व स्थिति के दौरान, सभी बोलीदाताओं से समान रुप से व्यवहार करेगा तथा सभी बोलीदाताओं को समान जानकारी उपलब्ध कराएगा तथा किसी खास बोलीदाता को, कोई ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं कराएगा जिससे अन्य बोलीदाताओ की तुलना मे उस खास बोलीदाता को किसी तरह का फायदा पहुॅचे ।

4.3 ऊपर दी गई वचनबद्धताओं को तोडने़ के प्रयासों अथवा पूर्णत: तोडे ़जाने के मामलों के साथ-साथ किसी पर्याप्त संदेह वाले मामले को क्रेता के सभी अधिकारी उपयुक्त सरकारी कार्यालय को रिपोर्ट करेगे ।

5. ऐसे किसी मामले में, बोलीदाता द्वारा पूरे तथ्यों के साथ किसी अधिकारी के कदाचार की रिपोर्ट क्रेता को की जाती है और क्रेता द्वारा इसे प्रथम दृष्टि मे सही पाया जाता है तो क्रेता द्वारा आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाइयो अथवा जो कार्रवाई उचित हो जिसमें दंडनीय प्रक्रिया भी शामिल है, की जाएगी तथा ऐसे व्यक्ति को संविदा प्रक्रिया संबंधी आगे की कार्रवाईयो से रोक दिया जाएगा ।

<u>बोलीदाता की बचनवद्धता</u>

6. बोलीदाता वचन लेता है कि अपनी बोली की किसी भी अवस्था के दौरान भ्रष्ट पद्धतियों को, अनुचित साधनो तथा गैरकानूनी गतिविधियो को रोकने अथवा किसी संविदा-पूर्व अथवा संविदा के बाद की स्थिति के दौरान, संविदा को प्राप्त करने हेतु सभी आवश्यक उपाय करने की खासतौर से स्वयं से निम्नलिखित बचन देता है:-

6.1 बोलीदाता, प्रत्यक्ष अथवा मध्यस्थों के माध्यम से, किसी तरह की रिश्वत, उपहार, प्रतिफल, पत्ररस्कार, पक्षपात, कोई भौतिक अथवा गैर-भौतिक लाभ अथवा अन्य फायदे, कमीशन, फीस, दलाली अथवा क्रेता के किसी अधिकारी को फुसलाने , जो बोली प्रक्रिया से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से जुडा़ हो अथवा किसी व्यक्ति, संगठन अथवा संविदा से जुडे ़किसी तीसरे पक्ष से बोली, मूल्यांकन, संविदा और संविदा के कार्यान्वयन मे किसी तरह के फायदे के बदले मे प्रस्ताव नही करेगा ।

6.2 बोलीदाता पत्रन: वचन देता है कि वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से किसी भी रिश्वत, उपहार, प्रतिफल, पत्ररस्कार, पक्षपात, कोई भौतिक अथवा गैर-भौतिक लाभ अथवा अन्य फायदे, फीस, कमीशन, दलाली अथवा क्रेता के किसी अधिकारी को फुसलाने या संविदा प्राप्त करने के प्रयास न करना अथवा संविदा के कार्यान्वयन या प्राप्त करने से संबंधित कोई कार्य करना अथवा सरकार के साथ किसी संविदा मे, संविदा से संबंधित किसी व्यक्ति से पक्षपात करना या न करने की पत्रन: शपथ लेता है।

6.3 बोलीदाता, अन्य पक्षो से गलत समझौता नही करेगा जो संविदा की पारदर्शिता, निष्पक्षता और बोली प्रक्रिया की प्रगति, बोली मूल्यांकन, संविदा तथा संविदा के कार्यान्वयन को हानि न पहुॅचे।

6.4 बोलीदाता, किसी भी भ्रष्ट पद्धति, अनुचित साधनो तथा गैरकानूनी कार्रवाईयों के बदले मे किसी भी तरह का लाभ स्वीकार नही करेगा ।

6.5 बोलीदाता क्रेता को पत्रन: वचन देता है तथा घोषित करता है कि बोलीदाता एक मूल विनिर्माता/एकीकृत/रक्षा भंडारों की सरकार द्वारा प्रायोजित प्राधिकृत निर्यात इकाई है और उसने किसी व्यक्ति अथवा फर्म अथवा कम्पनी चाहे वह भारतीय हो या विदेशी को मध्यस्थता करने के लिए, सुविधा

पहुंचाने के लिए अथवा क्रेता या उसके किसी कार्यकर्त्ताओं को किसी तरह से सिफारिश पहुंचाने के लिए नियुक्त नही किया है। किसी ऐसी मध्यस्थता, सुविधा अथवा सिफारिश के संबंध मे किसी व्यक्ति, फर्म या कम्पनी को न तो कोई राशि दी गई है या देने का वायदा अथवा इच्छा व्यक्त की गई है ।

6.6 बोलीदाता, बोली पेश करते समय अथवा संविदा-पूर्व की गई बातचीत अथवा संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले, उसके द्वारा किए गए कोई भुगतान, क्रेता अथवा उसके परिवार के सदस्यों, एजेन्टों, दलालो अथवा संविदा से संबंधित किसी अन्य मध्यस्थों को राशि देना अथवा देने का इरादा रखना और ऐसे भुगतानो के लिए सेवाओ के ब्यौरों पर सहमत होगा ।

6.7 बोलीदाता, प्रतियोगिता के कारण या वैयक्तिक लाभ के लिए या क्रेता द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई जानकारी जिसमें व्यापार संबंध, योजनाओ संबंधी तकनीकी प्रस्ताव और व्यापार की खास बाते जिसमें किसी इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैरिअर मे निहित सूचनाएं शामिल है, दूसरो को देकर इसका अनुचित प्रयोग नही करेगा । बोलीदाता यह भी वचन देता है कि वह इसका उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखेगा कि ऐसी कोई सूचना प्रकट न होने पाए ।

6.8 बोलीदाता वचन देता है कि वह, संपूर्ण और प्रमाणीय तथ्यों के बिना प्रत्यक्ष अथवा अन्य किसी तरीके से कोई शिकायत दर्ज नही कराएगा ।

6.9 बोलीदाता, किसी तीसरे व्यक्ति को, उपर्युक्त कृत्यों को करने के लिए उकसाने अथवा उकसाने का कारण नही बनेगा ।

7. पिछले उल्लंघन

7.1 बोलीदाता घोषित करता है कि इस सत्यनिष्ठा इकरारनामे पर हस्ताक्षर करने से एकदम पहले पिछले 3 वर्षो मे भारत मे किसी अन्य कम्पनी अथवा भारत मे किसी सार्वजनिक क्षेत्र अथवा भारत मे किसी सरकारी विभाग के साथ किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नही हुआ है, जो बोलीदाता को निविदा प्रक्रिया से बाहर करने के लिए उचित हो ।

7.2 यदि बोलीदाता इस विषय मे कोई गलत वक्तव्य देता है तो बोलीदाता को निविदा प्रक्रिया अथवा संविदा से अयोग्य ठहराया जा सकता है और यदि संविदा आबंटित हो गई हो तो ऐसे कारण के लिए उसे निरस्त भी किया जा सकता है ।

8. धरोहर राशि / प्रतिभूति जमा

8.1 प्रत्येक बोलीदाता को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित अनुज्ञापत्रों मे से किसी एक के माध्यम से क्रेता के पास धरोहर राशि/प्रतिभूति जमा के रुप मे एक निश्चित धनराशि * (प्रस्ताव के लिए अनुरोध मे विनिर्दिष्ट किए जाने हेतु), जमा करानी होगी ।

(i) रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, नई दिल्ली के पक्ष मे देय बैक ड्राफ्ट अथवा पे आर्डर ।

(ii) बिना कोई कारण बताए और बिना किसी आपत्ति के 3 कार्य दिवसों के भीतर मांग करने पर भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा सुनिश्चित गारंटी, भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रस्तुत भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय को गारंटी की राशि का आशाजनक भ्रुगतान करना । क्रेता द्वारा भुगतान की मांग को, भुगतान के लिए निश्चयात्मक प्रमाण माना जाएगा ।

(iii) किसी अन्य तरीके से अथवा किसी अन्य अनुज्ञापत्रो द्वारा (प्रस्ताव के लिए अनुरोध मे विनिर्दिष्ट किए जाने हेतु)

*वर्तमान मे, जहॉ क्रेता द्वारा अनुमानित लागत 100 करोड ़रुपए से लेकर 300 करोड ़रुपए तक है, ऐसे मामलो मे ई.एम.डी./एस.डी. की राशि एक करोड ़रुपए है, और जहॉ लागत 300 करोड ़रुपए से ज्यादा है वहॉ ई.एम.डी./एस.डी.की राशि 3 करोड ़रुपए है ।

8.2 धरोहर राशि/प्रतिभूति जमा पांच वर्षो की अवधि तक अथवा बोलीदाता और क्रेता दोनो की पूर्ण संतुष्टि से संविदा की बाध्यताओं के पूरा होने तक, जो भी बाद मे हो, तक वैध रहेगी । यदि एक से अधिक बोलीदाता हो तो जिसकी बोली,क्रेता द्वारा गठित वाणिज्यिक मोल-भाव समिति द्वारा मोल-भाव के लिए अर्हत नही होगी, उसे मूल्यांकन के बाद वाणिज्यिक मोल-भाव समिति द्वारा बोली पर सिफारिश किए जाने के तत्काल बाद धरोहर राशि / प्रतिभूति जमा, क्रेता द्वारा उस बोलीदाता को वापस कर दी जाएगी ।

8.3 सफल बोलीदाता के मामले में खरीद संविदा में निष्पादन बॉड से संबंधित अनुच्छेद में यह खण्ड समाविष्ट किया जाएगा कि यदि क्रेता इस इकरारनामे के उल्लघन के लिए प्रतिबंध लागू करने के कोई कारण बताए बिना उस संविदा को समाप्त करने का निर्णय करने के मामले में निष्पादन बॉड को समाप्त करने के लिए उल्लंघन के लिए प्रतिबंध के उपबंध लागू होंगे ।

8.4 सत्यनिष्ठा इकरारनामे में उल्लघंन के लिए प्रतिबंधों के बारे में उपबंधों में किसी क्रेता द्वारा सत्यानिष्ठा इकरारनामे के उल्लंघन के लिए प्रतिबंध लागू करने के लिए बिना कोई कारण बताए इसे समाप्त करने के निर्णय के मामले में निष्पादन बॉड की समाप्ति शामिल है ।

8.5 बोलीदाता को क्रेता द्वारा समयावधि के दौरान धरोहर राशि/प्रतिभूति जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

9. <u>कम्पनी आचरण संहिता</u>

9.1 बोलीदाता को कम्पनी आचरण संहिता (रिश्वत तथा अन्य अनैतिक व्यवहार को स्पष्ट रुप से नकारना) तथा कम्पनी में आचरण संहिता के कार्यान्वयन के लिए अनुपालन कार्यक्रम अपनाने की सलाह दी जाती है।

10 <u>उल्लंघन के लिए प्रतिबंध</u>

10.1 जैसा कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 9 अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 अथवा भ्रष्टाचार निवारण के लिए अधिनियमित कोई अन्य अधिनियम में परिभाषित किया गया है, किसी

बोलीदाता द्वारा अथवा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति अथवा उसकी ओर से (बोलीदाता की जानकारी में अथवा जानकारी के बिना) कार्य कर रहा कोई व्यक्ति अथवा बोलीदाता द्वारा अथवा उसके द्वारा तैनात अथवा उसकी ओर से कार्यरत कोई व्यक्ति द्वारा किया गया कोई अपराध, उपर्युक्त उपबंधों की अवहेलना से क्रेता को निम्नलिखित में से सभी अथवा कोई एक कार्रवाई, जहां आवश्यक हो, करने का अधिकार होगा:-

(i) संविदा पूर्व मोलभाव की प्रतिक्रया को बिना कोई कारण बताए अथवा बोलीदाता कोई क्षतिपूर्ति दिए बिना तत्काल समाप्त करना । तथापि, अन्य बोलीदाताओं के साथ कार्रवाई जारी रहेगी ।

(ii) क्रेता के निर्णयानुसार धरोहर राशि/प्रतिभूति जमा/निष्पादन बांडड पूरी तरह से अथवा आंशिक रुप से समाप्त हो जाएंगे और क्रेता को इसके लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iii) यदि संविदा पर हस्ताक्षर हो भी गए हों तो भी संविदा को बोलीदाता को बिना कोई क्षतिपूर्ति दिए निरस्त कर दिया जाएगा ।

(iv) क्रेता द्वारा अदा किए गए सभी भुगतानों को वसूल करना तथा भारतीय बोलीदाता के मामले में विद्यमान प्राथमिक ऋण दर से दो प्रतिशत अधिक ब्याज जबकि भारत से अलग किसी अन्य देश के बोलीदाता के मामले में एलआईबीओआर से दो प्रतिशत अधिक ब्याज वसूला जाएगा । यदि किसी अन्य रक्षा भंडारों के लिए किसी अन्य संविदा से जुड़े क्रेता से बोलीदाता को कोई बकाया भुगतान शेष है तो ऐसे बकाया भुगतान को उपर्युक्त राशि तथा ब्याज वसूल करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है ।

(v) अग्रिम बैंक गारण्टी तथा निष्पादन बांडड/वारण्टी बांड, यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए हों, को क्रेता द्वारा किए गए भुगतान ब्याज सहित वसूल करने के लिए भुनाया जा सकता है।

(vi) बोलीदाता के साथ सभी अथवा अन्य संविदाओं को निरस्त करना ।

(vii) बोलीदाता को भारत सरकार के साथ कम से कम पाँच वर्ष की अवधि के लिए जिसे क्रेता के विवेक पर आगे बढ़ाया जा सकता है । किसी बोली में भाग लेने से रोका जा सकता है ।

(viii) इस इकरारनामे के उल्लंघन में किसी विचौलिए अथवा ऐजेण्ट अथवा दलाल को संविदा प्राप्त करने के लिए अदा की गई सारी राशि वसूल करना ।

(ix) यदि बोलादाता अथवा बोलीदाता का कोई कर्मचारी अथवा बोलीदाता की ओर से कार्यरत कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से क्रेता के किसी अधिकारी अथवा वैकल्पिक ढंग से निकट संबंध रखता है, यदि क्रेता के किसी अधिकारी का निकट संबंधी बोलीदाता के फर्म में वित्तीय लाभ/दावा रखता है तो यह बात बोलीदाता को निविदा भरने के समय प्रकट करनी होगी । निहित हितों को प्रकट करने में असफलता से क्रेता को किसी बोलीदाता को बिना कोई क्षतिपूर्ति भुगतान किए संविदा निरस्त करने का अधिकार होगा ।

इस प्रयोजन के लिए 'निकट संबंधी' शब्द का अर्थ सरकारी सेवक के साथ रह रही पत्नी/पति है किंतु इसमें सक्षम न्यायालय की डिक्री अथा आदेश द्वारा सरकारी सेवक से अलग हुआ

पति/पत्नी, सरकारी सेवक पर पूरी तरह से निर्भर पत्रत्र अथवा पत्रत्री अथवा सौतेला पत्रत्र अथवा सौतेली पत्रत्री शामिल नहीं है किंतु इसमें ऐसा बच्चा अथवा सौतेला बच्चा जो सरकारी सेवक पर अब निर्भर नहीं है अथवा जिसकी संरक्षता से सरकारी सेवक को वंचित किया गया हो अथवा किसी विधि के अधीन कोई अन्य संबंधित व्यक्ति जिसके साथ उसका खून का अथवा विवाह का संबंध हो अथवा सरकारी सेवक की पत्नी अथवा पति तथा उस पर पूरी तरह निर्भर कोई व्यक्ति शामिल नहीं हैं ।

(x) बोलीदाता क्रेता के किसी कर्मचारी के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से धन का आदान-प्रदान नहीं करेगा न ही वह ऋण लेगा अथवा देगा और यदि वह ऐसा करता है तो क्रेता को संविदा तथा बोलीदाता के साथ अन्य सभी संविदाएं निरस्त करने का अधिकार होगा । बोलीदाता ऐसे निरस्त से उत्पन्न क्षति अथवा घाटे के लिए क्रेता को मुआवजा देने के लिए बाध्य होगा तथा क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह बोलीदाता की बकाया धनराशि में से मुआवजे की राशि को काट ले ।

(xi) ऐसे मामलों में जहां बोलीदाता के साथ क्रेता द्वारा हस्ताक्षरित किसी संविदा के बारे में कोई अपरिवर्तनीय साख पत्र प्राप्त हो गया है तो उसे खोला नहीं जाएगा ।

10.2 क्रेता का इस आशय का निर्णय कि बोलीदाता द्वारा वचनबद्ध इस सत्यनिष्ठा इकरारनामे के उपबंधों का उल्लंघन बोलीदाता पर बाध्य होगा तथापि बोलीदाता इस इकरारनामे के प्रयोजन के लिए नियुक्त प्रबोधक के पास आवेदन कर सकता है ।

11. अवहेलना खण्ड (फॉल क्लॉज)

11.1 बोलीदाता वचन देता है कि उसने भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग के बारे में वर्तमान बोली में प्रस्तावित मूल्य से कम पर किसी प्रकार की प्रणाली अथवा उप प्रणाली की आपूर्ति नहीं की है/नहीं कर रहा है और यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि इसी प्रकार की प्रणाली अथवा उप प्रणाली उस बोलीदाता ने भारत सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग को कम मूल्य पर समय निकल जाने के बाद आपूर्ति की है तो वर्तमान मामले में यह खंड लागू होगा और लागत में अंतर का भुगतान बोलीदाता द्वारा क्रेता को किया जाएगा यदि यह संविदा पहले ही पूरी हो चुकी है ।

11.2 बोलीदाता मौजूदा मामले से जुड़ी सभी बातों के बारे में क्रेता को अत्यधिक पंसदीदा ग्राहक का दर्जा देने का प्रयास करेगा ।

12 स्वतंत्र प्रबोधक

12.1 क्रेता इस इकरारनामे के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से स्वतंत्र प्रबोधक नियुक्त करेगा ।

12.2 प्रबोधक ज्यों ही यह देखता है कि इस समझौते का उल्लंघन हुआ है तो वह रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधिप्राप्ति विंग के प्रमुख को इसकी सूचना देगा ।

13. **बहि-खातों की जाँच**

इस सत्यनिष्ठा इकरारनामे के किसी उपबंध के उल्लंघन अथवा कमीशन के भुगतान के किसी आरोप के मामले में क्रेता अथवा इसके अभिकरण बोलीदाता के बहीखातों की जाँच करने के अधिकारी होंगे और बोलीदाता ऐसी जाँच के लिए संबद्ध वित्तीय दस्तावेजों की आवश्यक सूचना अंग्रेजी में उपलब्ध कराएगा तथा सभी संभव सहायता देगा ।

14. **विधि तथा न्यायिक क्षेत्राधिकार का स्थान**

इस इकरारनामे को भारतीय विधि के अनुसार लागू किया जाता है इसके न्यायिक क्षेत्राधिकार का स्थान क्रेता का मुख्यालय अर्थात नई दिल्ली है ।

15. **अन्य वैधानिक कार्यवाही**

इस सत्यनिष्ठा इकरारनामे में निर्धारित कार्यवाही किसी अन्य वैधानिक कार्यवाही के प्रति बिना किसी भ्रांति के होगी जो किसी दीवानी अथवा फौजदारी मुकदमे से संबंधित लागू कानूनों के उपलबंधों के अनुसरण में हो सकती है ।

16. **वैधता**

16.1 इस सत्यनिष्ठा इकरारनामे की वैधता इस पर हस्ताक्षर होनी की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक अथवा क्रेता और बोलीदाता /विक्रेता दोनों की संतुष्टि से संविदा के पूर्व निष्पादन की अवधि तक होगी इनमें से जो भी बाद मे हो ।

16..2 यदि इस इकरारनामे के एक अथवा अनेक उपबंध अवैध सिद्ध हो जाते हैं तो इस इकरारनामे का शेष भाग वैध होगा । इस मामले में पक्ष अपनी मूल भावनाओं से समझौते पर आने का प्रयास करेंगे ।

17. एतद्द्वारा पक्ष इस सत्यनिष्ठा इकरारनामे पर ----------- को ----------------- में हस्ताक्षर करते हैं ।

क्रेता	**बोलीदाता**
साक्ष्य	**साक्ष्य**
1.---------------------------	**1.----------------------------**
2.-------------------------	**2.----------------------------**

डीपीएम फार्म - 11

ई0सी0एस0 के लिए आदेशित/स्वीकृत मॉडल प्रारुप

ई-पेमेंट्स के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने हेतु ग्राहक के लिए उपलब्ध विकल्प (ईसीएस/ईएफटी/सीधे ही जमा/आरटीजीएस/एनईएफटी/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित भुगतान की अन्य व्यवस्था)

1. ग्राहक का नाम :
2. बैंक खाते का विवरण :
   - (क) बैंक का नाम :
   - (ख) शाखा का नाम :
   - (ग) पता :
   - (घ) टेलीफोन नंबर :
   - (ङ) आई एफ एस कोड :
   - (च) बैंक द्वारा जारी किए चैक पर बैंक और शाखा के नाम को दर्शाती 9 अंक कोड की एमआईसीआर संख्या :
   - (छ) खाते का प्रकार (बचत खाता/चालू खाता या नकद) :
   - (ज) खाता संख्या :
   - (झ) खाता पन्ना संख्या :
   - (ञ) खाता संख्या जैसा कि चैक-बुक पर लिखा गया है :
3. ऊपर दिए गए ब्यौरे के सत्यापन हेतु अपने बैंक द्वारा जारी एक रिक्त रद्द किया गया चैक या बचत खाते की पास-बुक के पहले पृष्ठ की फोटो प्रति संलग्न करें :
4. प्रभावी होने की तिथि :

"मैं, एतद्द्वारा, घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं यदि किसी कारणवश सौदे/संचालन में विलंब होता है अथवा उक्त सूचना अधूरी या गलत पायी जाती है तो उसके लिए मैं पूर्ण रुप से उत्तरदायी होऊंगा । मैंने विकल्प पत्र को पढ़ा है और जैसा कि इस स्कीम के तहत भागीदारी अपेक्षित है, मैं अपना दायित्व निभाने के लिए पूर्णत: सहमत हूॅ ।"

(-----------------------)
उपभोक्ता के हस्ताक्षर

दिनांक :

प्रमाणित है कि ऊपर दिए गए विवरण हमारे रिकार्ड के अनुसार सही हैं :
बैंक की मोहर (--)

बैंक के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर :
दिनांक :

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर :

डीपीएम फार्म - 12

साख पत्र

साख दस्तावेज का फार्म (40क)	:	अपरिवर्तनीय/परिवर्तनीय/आवर्तनीय/पुष्टि करना
दस्तावेज साख संख्या (20)	:	
अंतिम तिथि (31 घ)	:	दिनांक ---------: दस्तावेजीय साख के जारी होने के 12 महीने बाद
आवेदक बैंक (51)		---

लाभार्थी बैंक (51)	:	---

राशि (32 ख)	:	मुद्रा :
		राशि :
अधिकतम साख राशि (39 ख)	:	--------------------------------------- से ज्यदा नहीं
के साथ/द्वारा उपलब्ध (41)	:	भुगतान द्वारा
आंशिक लदान (34 त)	:	स्वीकृत/अस्वीकृत
यानांतरण (43 न)	:	अस्वीकृत/स्वीकृत
लदान प्रभारी (44 क) (लदान का बंदरगाह)	:	
परिवहन के लिए (44 ख)	:	---
		(उन्मोचन का बंदरगाह)
लदान अवधि (44 घ)	:	---
वस्तुओं का विवरण (45 क)	:	---
आवश्यक दस्तावेज (46 क)	:	+ छः प्रतियों में वाणिज्यिक बीजक हस्ताक्षरित करें ।

\+ लदान पत्र

\+ छः प्रतियों में पैकिंग सूची

+ वाणिज्य मंडल द्वारा जारी मूल अथवा प्रमाणपत्र विक्रेता और क्रेता के गुणवत्ता आश्वासन प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित खेप स्पीकार्यता प्रमाणपत्र अथवा विकल्पत: विक्रेता के गुणवत्ता आश्वासन प्रतिनिधि और ------- अथवा दक्षिणी अफ्रीका की राष्ट्रीय रक्षा बल के उत्पाद तंत्र समर्थन निदेशालय ।

अतिरिक्त ------46 (क) : + तार द्वारा प्रतिपूर्ति स्वीकार्य है ।

+ यह लाभ नीचे दर्शाए अनुसार स्वत: ही वार्षिक आधार पर संचयी ढंग से आवर्तित होंगे और संगत वैधता अवधि की अंतिम तिथि के पहले, 15 दिनों के भीतर लाभार्थी बैंक द्वारा जारी करने वाले बैंक को प्राधिकृत टेलेक्स/।स्वीफ्ट संदेश द्वारा इस प्रभाव की एक टिप्पणी के परेषण पर तदनुसार स्वचालित रुप से विस्तारित होगा।

स्थिति	राशि	वैधता अवधि

+साख के अंतर्गत अधिकतम उपयोग होगा

+ साख पत्र के पुष्टि संबंधी प्रभार, लाभार्थी के खाते के लिए है ।

+ देरी से आने वाला लदान स्वीकार्य है ।

प्रभारों का ब्यौरा (71ख) : भारत से बाहर के सभी प्रभार लाभार्थी खाते के लिए हैं ।

प्रस्तु करने की अवधि (48) : लदान की तिथि से 21 दिनों के भीतर

पुष्टिकरण (49) : पुष्टि की जाती है ।

प्रतिपूरक बैंक (53) : ----------------------------------

(78) : + हमें दस्तावेज कूरिअर द्वारा एक ही खेप में भिजवाए जाएं ।

+ इसके द्वारा हम वचन देते हैं कि इस साख को सभी निबंधन और शर्तों के अनुपालन में और इसके अंतर्गत किए गए भुगतान अनुबंधित दस्तावेजों को दिखाने पर हमारे द्वारा विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे ।

+ भुगतान करने वाला बैंक इस साख के अंतर्गत प्रस्तुत किसी सुनिश्चित आहरण करने वाले बैंक को अपनी प्राधिकृत टेलेक्स/स्वीफ्ट से सूचना देने के तीन दिन बाद, मूल्य के लिए प्रतिपूर्ति करने वाले बैंक से प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत कर सकता हूँ ।

परामर्श के माध्यम से (57) :---

अभिलेखार्थ प्रेषित (72) : ---

ई एम डी बैंक गारंटी फार्मेट

जबकि ---------------ने (जिसे इसके पश्चात "बोलीदाता" कहा गया है) ------------------- की आपूर्ति हेतु (जिसे इसके पश्चात "बोली" कहा गया है), क्रेता के प्रस्ताव संख्या -------------------के प्रत्युत्तर में अपने दिनांक ------------------- का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है ।

यहां उपस्थित सभी को यह ज्ञात हो कि हम ------------------------------- जिनका पंजीकृत कार्यालय ------------- में अवस्थित है, ------------------------- के प्रति (जिसे इसके पश्चात् "क्रेता" कहा गया है) वास्तव में ----------- की राशि के भुगतान के लिए उसके प्रति प्रतिबद्ध है जिसे वास्तव में क्रेता कहा गया है, जिसके लिए बैंक स्वयं को उसके उत्तराधिकारियों के प्रति प्रतिबद्ध करता है और जिसे यहां उपस्थितजन के द्वारा नियुक्त किया जाता है ।

उपयुक्त बैंक की सामान्य सील द्वारा -------------- दिन ---------------------20 वर्ष को सील किया गया ।

करारनामे की शर्तें इस प्रकार है:-

1. यदि बोलीदाता इस निविदा की मान्य अवधि के दौरान बोली से वापिस हट जाता है या उसमें संशोधन करता है, क्षति पहुंचाता है या उसकी अवमानना करता है ।

2. यदि क्रेता द्वारा निविदा के स्वीकार्यता घोषित होने पर बोलीदाता मान्य तिथि के दौरान-
   (क) यदि बोलीदाता करार के लिए तयशुदा निष्पादन के लिए निष्पादन सुरक्षा उपलब्ध करने में असफलत रहता है ।
   (ख) करार को स्वीकार करने/पूरा करने में असफल रहता है ।

हम क्रेता द्वारा उसकी मांग प्रमाणित किए बिना, उसकी प्रथम लिखित मांग प्राप्त होने पर उसे उपर्युक्त राशि तक का भुगतान करने का उत्तरदायित्व लेते है बशर्ते कि उस मांग में क्रेता यह ध्यान रखेगा कि उसके द्वारा दावा की गई राशि शर्त या शर्तों के उल्लेखानुसार, एक या दो शर्तों के कारण हो ।

यह गारंटी निविदा की मान्य तिथि के 45 दिन तक और उसके बाद तक प्रभावी रहेगी और उसके संदर्भ में कोई भी मांग उपर्युक्त तिथि तक बैंक के पास पहुंच जानी चाहिए ।

(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
अधिकारी का नात व पदनाम
बैंक की सील, नाम व पता तथा शाखा का नाम

भारतीय बैंकों द्वारा विदेशी बैंकों की बैंक गारंटियों के पत्रष्टिकरण संबंधी दिशा-निर्देश

1. भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पत्र संख्या ए पी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 15, दिनांक 17 सितंबर, 2003 के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, एक लाख अमरीकी डालर से अधिक का विदेशी विनियम, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बैंक के साख पत्र के द्वारा बीजी/स्टेंड बॉय पत्र के जरिए होगा। तदनुरुप, रक्षा मंत्रालय विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं की बैंक गारंटियां (बीओ) अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त बैंकों से निम्न के लिए प्राप्त करेगा:-

   (क) उन्हें किया गया भुगतान

   (ख) बैंक गारंटियों के निष्पादन की तरह कद्वारों का निष्पादन

   (ग) विक्रेता द्वारा आपूर्ति किए गए वारंटीकृत उपकरणों के वारंटी बांडड सुनिश्चित करना।

2. यह सुनश्चित करने हेतु कि क्या विदेशी विक्रेता द्वारा दी गई बैंक गारंटियां अंतराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त बैंकों की हैं, संसद मार्ग स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखा रक्षा मंत्रालय को सहयोग प्रदान करेगी।

3. स्टेट बैंक आफ इंडिया की सलाह प्राप्त करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को संस्थागत रुप देने के उद्देश्य से स्टेट बैंक इंडिया के साथ एक व्यवस्था पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को शामिल करेगा।

4. जबकि सी एन सी अपनी व्यापारिक बातचीत कर रहा हो, उसके साथ-साथ ही बैंक गारंटी पर स्टेट बैंक आफ इंडिया की राय ली जाएगी। स्टेट बैंक आफ इंडिया के परामर्शदाता के रुप को इस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा:-

   (क) विक्रेता द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली बैंक गारंटी का विवरण प्राप्त होने पर मामले को स्टेट बैंक आफ इंडिया को अग्रेषित किया जाएगा।

   (ख) स्टेट बैंक आफ इंडिया रक्षा मंत्रालय से बैंक गारंटी का संदर्भ/विवरण प्राप्त होने की तारीख से सात दिन के अंदर अपना परामर्श देगा।

   (ग) स्टेट बैंक आफ इंडिया का परामर्श निम्नानुसार होगा:-

      (i) यदि बैंक गारंटी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किसी बैंक से है और उस देश का दर्जा संतोषजनक है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रक्षा मंत्रालय को, बैंक गारंटी की किसी भारतीय बैंक द्वारा पत्रष्टि किए बिना ही, उसे स्वीकार करने का परामर्श देगा।

(ii) यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया परामर्श देता है कि बैंक गारंटी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बैंक की नहीं है और/या रक्षा मंत्रालय द्वारा किसी स्थानीय बैंक की पत्रष्टि लेना आवश्यक हो, तो रक्षा मंत्रालय द्वारा विक्रेता को अपने बैंकर को यह अनुदेश देने के लिए कहा जाएगा कि वह बैंक गारंटी के मामले को आपसी सहमति से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ तय कर ले, जो उसके बदले में रक्षा मंत्रालय को आगे कार्रवाई करने की सलाह देगा ।

(iii) केवल उस स्थिति में, जब विक्रेता का बैंक गारंटी का मामला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ तय करने में असमर्थ रहता है, मामले को स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा रक्षा मंत्रालय के पास लौटा दिया जाएगा ।

(iv) ऐसे मामलों में, जैसा भी, आवश्यक हो, रक्षा मंत्रालय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों को कान्ट्रेक्ट नेगोसिएशन कमेटी (सी एन सी) में बैंक गारंटी का मामला विक्रेता के साथ तय करने के लिए सहयोजित करेगा ।

डीपीएम फार्म - 15

कार्य-निष्पादन गांरटी बॉंड

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति
नई दिल्ली द्वारा
रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्ली भारत

महोदय,

चूंकि, आप संविदा अनुसूची में दी गई ------ की आपूर्ति के लिए (इसके बाद 'वस्तुओं' के रुप में संदर्भ लें) विक्रेता के रुप में मैसर्स ------ के साथ दिनांक ------की संदर्भ संख्या ------- (इसके बाद "संविदा " के रुप में संदर्भ लें) की संविदा कर चुके हैं और क्योंकि बीजक में दी गई वस्तुओं के संबंध में लाभार्थी के दायित्वों की सुरक्षा की संविदा के रुप में संदर्भित दिनांक --------की संविदा संख्या ------में विनिर्दिष्ट सुपुर्द की गई वस्तुओं की कुल संविदा मूल्य के 5% के बराबर -----रुपए की राशि के लिए विक्रेता, निष्पादन कम वारंटी बांड प्रस्तुत करने का वचन देता है ।

1. हम ----बैंक का नाम), इसके द्वारा विक्रेता के निमित्त प्रमुख आबंधक के तौर पर शीघ्रता से, अखंडता और अनारक्षित रुप से गांरटी और वचन देते हैं कि यदि लाभार्थी हमें लिखित में माँग करता है कि विक्रेता नियमों व शर्तों के अनुसार कार्य-निष्पादन नहीं कर रहा है तो हम आपको मांग पर तथा बिना किसी आपत्ति के (संविदा की कीमत के 5%) की अधिकतम राशि तक का भुगतान करेंगे । इस तरह के किसी भी दावे पर आपके बैंकर की पुष्टि होनी चाहिए कि इस पर किए गए हस्ताक्षर प्रमाणिक हैं । आपकी लिखित में दी गई मांग हमारे लिए निर्णायक प्रमाण होगी । इस गारंटी के अंतर्गत, किसी भी प्रयोजन के लिए, किसी भी तरह के शक से बचे रहने के लिए, फैसीमाइल अथवा इसी तरह के इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा प्राप्त दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

2. हम, लाभार्थी और विक्रेता के बीच हुई किसी भी विभिन्नताओं, व्यवस्थाओं अथवा किसी भी तरह के प्रयास न करना चाहे वह भुगतान, समय से निष्पादन अथवा अन्य द्वारा हम इस गारंटी और वचनबद्धता से मुक्त अथवा छोड़ नहीं सकते ।

3. किसी भी अवस्था में गारंटी की राशि बढ़ाई नहीं जाएगी ।

4. (जब तक विक्रेता द्वारा इस गारंटी को बढ़ाया जाता है) अंतिम तिथि पर या उससे पहले, इस गारंटी के अंतर्गत की गई मांग जब तक लिखित में हमें प्राप्त होती है, इस गारंटी के अंतर्गत आपके सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हम दायित्वों से मुक्त हो जाएंगे ।

5. यह गारंटी जारी रहने वाली गारंटी है (इसका अर्थ है कि यदि बैंक परिसमापन की अवस्था में अथवा दिवालिया हो गया है तो भी गारंटी वैध होगी) और बैंक के अथवा विक्रेता के संघटन में किसी तरह के बदलाव द्वारा छोड़ी नहीं जाएगी ।

6. हमारी देयता की वैधता समाप्त हो जाने के बाद कृपया इस गारंटी पत्र को तत्काल वापस कर दें ।

7. यदि गारंटी-विलेख हमें वापस नहीं करते हैं तो इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता की वैधता समाप्त की जाएगी ।

8. यह लाभार्थी की वैयक्तिक गारंटी है और हमारी पहले से ली गई लिखित अनुमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को सौंपी नहीं जा सकती ।

9. यह गारंटी भारतीय कानूनों द्वारा शासित होगी ।

डीपीएम फार्म - 16

अग्रिम भुगतान के लिए बैंक गारंटी का प्रारुप

प्रेषक-

बैंक---------
सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

महोदय,

1. भारत के राष्ट्रपति के साथ हुए दिनांक ------- के अनुबंध सं0 ------के संबंध में, 'खरीददार' के रुप में संदर्भित और मैसर्स-----, इसके बाद 'अनुबंधकत्ता के यप में संदर्भित ----- की आपूर्ति और विकास के लिए जैसा कि अपर्युक्त प्रस्ताव में दिया गया है, जिसे इसके बाद 'उक्त अनुबंध' के रुप में संदर्भित किया जाता है और क्रेता को, उक्त अनुबंध की शर्तों के अनुसार, उक्त अनुबंधकर्त्ता के सहमत होने को ध्यान में रखते हुए हम -------------------बैंक, इसके बाद कहे गए 'बैंक' द्वारा अटलता से वादा करते हैं और गारंटी लेते हैं कि यदि उक्त अनुबंध की शर्तों के अनुसार भंडारों की आपूर्ति और विकास नहीं कर पाता है अथवा किसी भी तरह उक्त अनुबंध को पूरा करने में विफल होता है तो चाहे किसी भी कारण से, किसी भी समय, खाते के भुगतान पर पुनर्भुगतान करेंगे । हम मांग करने पर, बिना किसी आपत्ति के आपको भुगतान करेंगे और -----------रुपए (मात्र) की अधिकतम राशि तक, उक्त अनुबंध के------- खंड में निहित प्रावधानों के संबंध में उक्त अनुबंधकर्त्ता को अग्रिम भुगतान किया जाएगा ।

2. हम सहमत हैं कि खरीददार एक मात्र जज होगा कि उक्त अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंधकर्त्ता भंडारों की आपूर्ति और विकास करने में विफल होता है अथवा अनुबंधकर्त्ता को दिए जाने वाले अग्रिम भुगतान के संपूर्ण या कुछ भाग या किसी भी तरह उक्त अनुबंध को पूरा करने में विफल होता है, क्रेता को पुनर्भुगतान किया जाएगा और एक सीमा तक उसके मौद्रिक परिणामों को क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा ।

3. हम आगे भी, क्रेता द्वारा दावा की गई राशि के एक मांग पत्र पर ही, इस गारंटी के अंतर्गत देय और भुगतान योग्य राशि को बिना किसी आपत्ति के भुगतान करने का वचन देते हैं इस गारंटी के अंतर्गत हमारे द्वारा देय और भुगतान के संबंध में बैंक को की गई ऐसी कोई मांग अंतिम होगी और हम पर बाध्य होगी । तथापि, इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता मात्र---------रुपए से ज्यादा नहीं होगी ।

4. हम आगे भी सहमत हैं कि यहां निहित गांरटी पर पूरा बल दिया जाएगा और अंतिम अग्रिम भुगतान की तिथि से 12 माह की अवधिं के लिए अथवा भंडारों के विकास के बाद और खरीददार की स्वीकृति के बाद अंतिम सुपुर्दगी की तिथि से 12 माह की अवधि के लिए, जो भी बाद में हो, जब तक खरीददार सिर्फ अपने विवेक से गारंटी को पहले समाप्त करता है ।

5. हम आगे सहमत हैं कि बैंक के संगठन में अथवा अनुबंधकर्त्ता के संगठन में कोई परिवर्तन होने से हमारी देयता समाप्त नहीं होगी ।

6. हम आगे भी सहमत हैं कि क्रेता को, हमारे दायित्वों को किसी भी तरह प्रभावित किए बिना, हमारी सहमति अथवा बिना सहमति के, अथवा उक्त अनुबंध की नियम व शर्तों में बदलाव की जानकारी के अथवा समय-समय पर विकास/सुपुर्दगी के समय के विस्तार अथवा अनुबंधकर्त्ता के समक्ष क्रेता द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग को किसी समय या समय-समय पर स्थगित करने के लिए और या तो उक्त संविदा से संबंधित किसी शर्त और नियम को लागू करने के लिए या भूल जाने और अपनी देयताओं से ऐसे किसी कारण द्वारा अथवा किसी की इच्छा से अथवा कोई कार्य अथवा क्रेता द्वारा भूल अथवा किसी ऐसे मामले या जो कानून के तहत निश्चितता से संबंधित हो, अपनी देयताओं से मुक्त नहीं होंगे ।

7. हम, अंत में वादा करते हैं, क्रेता द्वारा लिखित में पूर्व स्वीकृति के अलावा उक्त अनुबंध की वैधता अवधि के दौरान गारंटी को समाप्त नहीं करेंगे ।

भवदीय

---------------------- बैंक के लिए

(प्राधिकृत प्रतिनिधि)

स्थान-

तिथि-

बैंक की मुहर

डीपीएम फार्म - 17

एस एम टी/एस टी ई/टी जे/स्थिरीकरण खड के प्रारुप

उपस्करों के साथ दिए गए सहायक पुर्जे/प्रयोक्ता प्रतिस्थापन्न पुर्जे/ प्रयोजनीय, पुर्जे और एस एम टी/एस टी ई/टी जे की संपूर्ण सूची

1. उपकरणों के लिए उप-सतन्वायोजन

क्र0सं0	प्रस्ताव की क्रम सं0	भाग संख्या	नाम पद्धति	योजनाबद्ध संदर्भ	प्रति उपकरण संख्या	यूनिट लागत	कुल लागत	टिप्पणियां
कुल								

2. उपकरणों के साथ दिए गए अनुषंगी पुर्जे

क्र0सं0	प्रस्ताव की क्रम सं0	भाग संख्या	नाम पद्धति	योजनाबद्ध संदर्भ	प्रति उपकरण संख्या	यूनिट लागत	कुल लागत	टिप्पणियां
कुल								

3. वैकल्पिक मदें

क्र0सं0	प्रस्ताव की क्रम सं0	भाग संख्या	नाम पद्धति	योजनाबद्ध संदर्भ	प्रति उपकरण संख्या	यूनिट लागत	कुल लागत	टिप्पणियां
कुल								

4. पुर्जे

क्र0सं0	प्रस्ताव की क्रम सं0	भाग संख्या	नाम पद्धति	योजनाबद्ध संदर्भ	प्रति उपकरण संख्या	यूनिट लागत	कुल लागत	टिप्पणियां
कुल								

5. पुर्जों और उपभोग्य सामग्रियों की पूर्णता के लिए आवश्यक अतिरिक्त मदें

क्र0सं0	प्रस्ताव की क्रम सं0	भाग संख्या	नाम पद्धति	योजनाबद्ध संदर्भ	प्रति उपकरण संख्या	यूनिट लागत	कुल लागत	टिप्पणियां
कुल								

6. एस एम टी/एस टी ई/टी जे की सूची

क्र0सं0	प्रस्ताव की क्रम सं0	भाग संख्या	नाम पद्धति	योजनाबद्ध संदर्भ	प्रति उपकरण संख्या	यूनिट लागत	कुल लागत	टिप्पणियां
कुल								

टिप्पणी - इस अनुबंध में दिए गए आंकड़ों की प्रामणिकता, पूर्णता, शुद्धता विक्रेता सुनिश्चित करता है ।

1. **प्रचालक कोर्स** यह कोर्स उपस्कर के प्रभावशाली तरीके से प्रचालन के लिए छात्रों को आवश्यक जानकारी देने के लिए बनाया गया है । इसमें यूनिट अनुरक्षण प्रक्रिया और यूनिट स्तर की मरम्मत के लिए प्रक्रिया व पुर्जों के प्रतिस्थापन के बारे में भी बताया गया है ।

पाठ्यक्रम का विवरण एवं सामग्री

क. इस कोर्स में सिद्धांत, प्रचालन और समुचित प्रतिदर्शन तकनीकें दी गई हैं । इसमें दस्ती और दृश्य निरुपण भी शामिल हैं । सामग्री - स्लाईड शो, प्रयोक्ता संदर्शिका ।

ख. इस कोर्स द्वारा छात्रों को ------उपस्कर के साथ व्यवहारिक अभ्यास करवाया जाता है । सामग्री- प्रयोक्ता संदर्शिका, उपस्कर ----- यूनिट, व्यवहारिक रुपरेखा बनाना ।

ग. इस समय में छात्र टेस्ट के लिए पुनर्विलोकन करेंगे और कोई भी प्रश्न पूछ सकेंगे । सामग्री - प्रयोक्ता संदर्शिका, उपस्कर ----- यूनिट

घ. प्रचालक टैस्ट - छात्र प्रमाणपत्र टैस्ट देंगे । सामग्री - प्रयोक्ता संदर्शिका टैस्ट पेपर ।

2. **प्रशिक्षण कोर्स** इस कोर्स द्वारा छात्रों को ------- उपस्कर की जानकारी दी जाएगी, इसके साथ-साथ प्रथम पंक्ति अनुरक्षण तकनीकें सिखायी जायेगी जिससे ----- उपस्कर द्वारा छात्र समुचित रुप से कार्य कर सकें । इसके अलावा एक कोर्स दूसरों को प्रशिक्षण देने के लिए होगा जिसमें ------ उपस्कर का उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर देकर ---- उपस्कर को कैसे प्रयोग करें बताया जाएगा । कोर्स के पश्चात् एक प्रमाणपत्र टैस्ट होगा जो छात्रों को ------(उपस्कर) का प्रयोग करने वाले अन्य प्रयोक्ता को प्रशिक्षण देने के योग्य बनाएगा ।

क. इस कोर्स में सिद्धांत, प्रचालन और समुचित प्रतिदर्शन तकनीकें दी हैं । इसमें व्यवहारिकता और दृश्य निरुपण भी शामिल हैं । इसमें क्षेत्र में प्रयोग की गई प्रथम पंक्ति अनुरक्षण तकनीकें भी शामिल हैं । सामग्री - स्लाईड शो, पर्यवेक्षक संदर्शिका ।

ख. इस कोर्स द्वारा छात्रों को ------उपस्कर के साथ व्यवहारिक अभ्यास करवाया जाता है । सामग्री - पर्यवेक्षक संदर्शिका, (उपस्कर) ----- यूनिट, व्यवहारिक रुपरेखा बनाना ।

ग. इस समय में छात्र टैस्ट के लिए पुनर्विलोकन करेंगे और कोई भी प्रश्न पूछ सकेंगे । सामग्री - प्रशिक्षक संदर्शिका, (उपस्कर) ----- यूनिट ।

घ. इस कोर्स में छात्रों को पर्यवेक्षण के अंतर्गत ----(उपस्कर)पर अन्य प्रयोगकर्त्ताओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के योग्य बनाया जाएगा । सामग्री - प्रशिक्षक संदर्शिका स्लाइड शो (उपस्कर)-----यूनिट ।

ङ. पर्यवेक्षक टैस्ट - छात्र प्रमाणपत्र टैस्ट देंगे । सामग्री - पर्यवेक्षक संदर्शिका, टैस्ट पेपर प्रशिक्षक संदर्शिका ।

3. **क्षेत्र में की गई मरम्मत स्तर का अनुरक्षण प्रशिक्षण** - इस कोर्स द्वारा छात्रों को ----(उपस्कर) की समझ दी जायेगी, साथ ही साथ प्रथम पंक्ति अनुरक्षण तकीनकें सिखायी जायेंगी जिससे छात्र-----(उपस्कर) पर समुचित तरीके से कार्य कर सके । इसके बाद कोर्स में ----- (उपस्कर) के यांत्रिकी/स्वाचालित/इलैक्ट्रानिकी/आयुध भाग के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा । व्यास मापन प्रक्रिया के साथ-साथ सभी संघटकों का विभाजन का प्रशिक्षण दिया जाएगा । तब छात्र ----(उपस्कर) के विभिन्न बिन्दुओं की छानबीन करके अलग-अलग करेगा और पुनर्सृजन करेगा । कक्षाओं के बाद एक प्रमाणपत्र टैस्ट होगा जिससे छात्र ------(उपस्कर) की कोई भी मरम्मत कर सकने में सक्षम होगा ।

पाठ्यक्रम का विवरण और सामग्री

क. इस कोर्स में सिद्धांत, प्रचालन और समुचित प्रतिदर्शन तकनीकें दी गई हैं । इसमें व्यवहारिकता एवं दृश्य निरुपण भी शामिल हैं । इसमें क्षेत्र में प्रयोग की गई प्रथम पंक्ति अनुरक्षण तकनीकें भी शामिल हैं । सामग्री - स्लाईड शो, पर्यवेक्षक संदर्शिका ।

ख. इस कोर्स द्वारा छात्रों को ------उपस्कर के साथ व्यवहारिक अभ्यास करवाया जाता है । सामग्री - पर्यवेक्षक संदर्शिका, (उपस्कर) ----- यूनिट, व्यवहारिक रुपरेखा बनाना ।

ग. इस कोर्स में ---------(उपस्कर) की सभी इलैक्ट्रानिकी शामिल है । नमूनों के विश्लेषण की प्रक्रिया और यूनिट में सभी पीसीबी पर दृष्टि डाली गई है । सामग्री - तकनीकी संदर्शिका, (उपस्कर) ---- यूनिट ।

घ. इस कोर्स में (उपस्कर)----- की मरम्मत के लिए प्रयोग की गई दोष दूर करने की तकनीकों के बारे में विचार-विमर्श किया गया है । सामग्री - तकनीकी संदर्शिका, (उपस्कर) ----- यूनिट ।

ङ. यह कोर्स (उपस्कर) ------ और व्यास मापन में समुचित प्रक्रिया का विवरण देता है । सामग्री - तकनीकी संदर्शिका, (उपस्कर) ----- यूनिट ।

4. **संघटक के स्तर का अनुरक्षण प्रशिक्षण** - यह कोर्स, छात्रों को संघटक स्तर पर सभी सतन्वायोजनों, उप-सतन्वायोजनों, मापदण्डों, पीसीबी इत्यादि की मरम्मत करने का प्रशिक्षण देने के लिए तैयार किया गया है ।

5. **बेस मरम्मत अनुरक्षण प्रशिक्षण** - बेस मरम्मत अनुरक्षण प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम को, क्रेता की आवश्यकतानुसार एमईटी के दौरान अंतिम रुप दिया जाएगा ।

6. **तकनीकी जानकारी** - विक्रेता, उपस्कर के अनुरक्षण और मरम्मत में जो तकनीक प्रयोग की गई है उसकी पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएगा और प्रशिक्षण के दौरान ऐसी सूचना देने से इन्कार नहीं कर सकता । प्रमुख धारणा पर विचार-विमर्श किया जाएगा और अनुरक्षण कार्यों के लिए सुझाए गए मानक (मापदण्डों) को विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा ।

एम आर एल एस शर्त का प्रपत्र

उपकरण -------------------

ओ ई एम ------------------

क्र0 सं0	भाग सं0	आपूर्ति का नाम	नाम पद्धति	एक उपकरण में उपयोज्यता सं0.	आई0एसी0 पी0एल0 संदर्भ	यूनिट लागत	100 मात्रा के उपकरणों और दो साल के लिए सिफारिश किया गया स्केल	कुल लागत	टिप्पणियां
कुल लागत									

टिप्पणी-

1. यूनिट मरम्मत, क्षेत्र में जाकर की गई मरम्मत, मध्यवर्ती और बेस मरम्मत के लिए अनुशंसित पैमाने और लागत अलग से दी जाएंगी ।

2. मरम्मत कलपुर्जे/भंडारों जैसे स्नेहक सीलिंग कंपाउंड, गैसों के आपूर्ति के स्रोतों को दर्शाते हुए पृथक रुप से दिए जाएंगे ।

3. संघटनों की मरम्मत के कलपुर्जे ओ ई एम द्वारा बताए अनुसार नॉडल मरम्मत और बेस मरम्मत के कॉलम में शामिल किए जाएंगे ।

4. टिप्पणियों के कॉलम में, निम्नलिखित सूचना (यदि लागू हों) की जाएंगी:-

    क. यदि कोई वस्तु शैल्फ/प्रचालनात्मक अवधि की है, उसे 'जी' के रुप में चिन्हित किया जाएगा और उसकी अवधि दर्शाई जाएगी ।

    ख. संघटनों के मैचिंग सैट दर्शाए जाएंगे ।

    ग. ऐसी वस्तुओं को जिनका स्थानीय रुप से निर्माण किया जा सकता है, उन्हें 'एल एम' चिन्हित किया जाएगा ।

घ. ऐसी वस्तुएँ जिनका निर्माण जटिल डिजाइन/तकनीक के कारण भारत में नहीं हो सकता उन्हें 'एस आई' विशेष वस्तुएँ के रुप में चिन्हित किया जा सकता है ।

ङ. यदि कोई संघटक/सतन्वायोजन, ओ ई एम द्वारा पहले से प्रस्तावित उसी प्रकार के अन्य उपकरण जैसा हो तो उन्हें 'सीएम' चिन्हित किया जाएगा और उपकरण का नाम दर्शाया जाएगा।

5. एम आर एल एस को, उपकरण की भाग सूची से बाहर दिखाना चाहिए जिसे तकनीकी मैनुअल भाग के रुप में अलग से दिया जाना चाहिए ।

6. यदि मुख्य उपकरण में अन्य उपकरण शामिल हैं तो उनके लिए एम आर एल एस को समुचित शीर्षों के अंतर्गत तैयार किया जाए ।

7. एम आर एल एस को, ग्राहक के रखरखाव अवधारणा के अनुसार तैयार किया जाए ।

8. कलपुर्जों के रुप में उपकरण के साथ दी गई मदों को भी एम आर एल एस में शामिल किया जाए ।

9. मॉड्यूल्स/शॉप प्रतिस्थापन्न यूनिट (एस आर यू)/ सतन्वायोजनों को सूचीबद्ध किया जाए और उनके घटकों को उनके अंतर्गत शामिल किया जाए ताकि कलपुर्जों की प्रत्येक मद को उनके मॉड्यूल/एस आर यू/सतन्वायोजन से संबद्ध किया जा सके ।

10. पूर्ण एस आर एल एस की, क्षेत्र, नॉडल और बेस मरम्मतों के लिए अलग से लागत बताई जाए क्योंकि इसे इंजीनियरिंग आधार पर पैकेज (ई एस पी) की कुल लागत के भाग के रुप में शामिल किया जाना है । ओ0ई0एम0 मूल्य परक्रामण समिति (पी एन सी) को विश्वास में लागत की जानकारी दे सकते हैं परंतु अन्य ब्यौरे, जैसे ऊपर दिए गए हैं, को अनुरक्षण उपकरण परीक्षण (एम ई टी) के दौरान उपलब्ध कराया जाए ।

11. परीक्षण उपकरणों के लिए भी एम आर एल एस को इसी प्रारुप में प्रदान किया जाना चाहिए ।

रखरखाव मूल्यांकन परीक्षण शर्त का प्रारुप

1. इसे, उपस्कर के जीवनकाल के लिए प्रभावशाली इंजीनियरी आधार की प्रबंध व्यवस्था को सरल बनाने के लिए लाया गया है । इसमें उपस्कर के पुर्जे खोला और सिफारिश किए गए परीक्षणों को करवाना तथा उनका समायोजन करना और अनुरक्षण कलपुर्जों, औजारों, परीक्षण उपस्कर और पर्याप्त मात्रा में तकनीकी साहित्य उपलब्ध कराना, शामिल होंगे । इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, विक्रेता को, इस संविदा के तहत प्राप्त की गई मात्रा से पृथक, उपस्कर के एक पूर्ण सैट के अतिरिक्त निम्नलिखित उपलब्ध करवाना होगा:-

(क) तकनीकी साहित्य

(ख) प्रयोक्ता पुस्तिका/प्रचालक मैनुअल

(ग) रुपांकन विनिर्देशन

(घ) तकनीकी मैनुअल

(i) <u>भाग-1</u> विभिन्न तंत्रों की कार्यपणाली ,विनिर्देशन तकनीकी विवरण ।

(ii) <u>भाग-2</u> निरीक्षण/अनुरक्षण कार्य, मरम्मत प्रक्रियाएं, प्रयोग किए गए पदार्थ, दोष निदान और विशेष अनुरक्षण औजार (एस एम टी)/विशेष परीक्षण उपस्कर (एस टी ई) के उपयोग ।

(iii) <u>भाग-3</u> सतन्वायोजन/असतन्वायोजन प्रक्रिया संघटक स्तर के सुरक्षा उपायों तक मरम्मत ।

(iv) <u>भाग-4</u> रेखाचित्र संदर्भ के साथ पुर्जों की सूची और एस एम टी/एस टी ई परीक्षण बैंच की सूची ।

(ङ) सभी मदों के लिए पुर्जा संख्या और योजनाबद्ध संदर्भों के साथ, विनिर्माता द्वारा संस्वीकृत कलपुर्जों की सूची (एम आर एल एस)

(च) कलपुर्जों की सचित्र सूची (आई एस पी एल)

(छ) रेखाचित्र संदर्भों के साथ एस एम टी/एस टी ई का तकनीकी मैनुअल

(ज) पूर्ण उपस्कर (अपने पास रखना) और कलपुर्जे रखना

2. प्रमाणी का एक सैट

3. एस एम टी/एस टी ई/टी जे और परीक्षण सैट अप का एक पूर्ण सैट

4. सर्विस समय सीमा और दंडित करने के कारणों की सीमाएं

5 उपलब्ध आधारिक संरचना के साथ विभिन्न स्तरों पर संभावित मरम्मतों के लिए अनुमत बोधक मरम्मत अनुसूची

6. पैंकिंग संबंधी विनिर्देशन/अनुदेश

7. प्राथमिक उपस्कर विनिर्माता द्वारा सुझाई गई कोई भी अतिरिक्त जानकारी जैसे आधारभूत संरचना/सुविधाएं/क्रेता द्वारा प्रयोग के लिए दी गई मदें और उपस्कर की मरम्मत/अनुरक्षण

8. विक्रेता का तकनीकी प्रतिनिधि, एम ई टी की पूर्ण अवधि के दौरान उपस्थित रहेगा । एम ई टी की समाप्ति पर, विक्रेता तैयार की गई सभी मदों को अनुरक्षण प्रशिक्षण और मूल्यांकन के लिए वापस ले सकेगा ।

डीपीएम फार्म - 21

सहमति का प्रमाण पत्र

दिनांक :

संख्या :

उत्पाद का नाम :

उत्पाद की संख्या :

मात्रा :

संविदा संख्या :

पैकेज सूची संख्या :

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दर्शाए गए उत्पादों द्वारा संगत विनिर्देशों और रेखाचित्रों के अनुसार सभी स्वीकृत टेस्ट, सफलतापूर्वक पास कर लिए गए हैं ।

डीपीएम फार्म - 22

राशि के लिए दावा

संविदा संख्या ------------------------------

दिनांक ----------------

दावा नयाचार संख्या---------------------

निर्धारित किया ----------------------------

मध्यवर्ती/बारदाना भंडार

------------------ सदस्यों सहित श्री ------------------ की अध्यक्षता आयोग ने आपके द्वारा भेजे गए उपस्करों की जाँच की और निम्नानुसार पाया है:-

1. उपस्कर मैसर्स -------------------द्वारा प्रेषित उपस्कर केस संख्या ---------------- की ----------- मार्किंग के साथ, एक कुली द्वारा दिनांक --------------- की लदान पत्र संख्या ---------द्वारा भेजा गया है ।

2. प्रेषित उपस्कर संविदा संख्या -------के क्रम संख्या -------- लागत-------- प्राप्त हुए ।

3. पैंकिंग वस्तुओं के पैकेज पर सील और पैंकिंग, कुलियों की मांग-पत्रक (पैकिंग सूची) संख्या में दर्शाए गए वजन और सकल वजन की समानता में भी दर्शाए जाएं ---------कुली की स्थिति------कुली का सकल वजन --------- कुली का निवल वजन--------

4. वस्तुओं के पैकेज को खोलने के दौरान, (जहाजरानी) शिपिंग दस्तावेजों में निम्नलिखित विसंगतियाँ पाई गई -------- प्रत्येक पैकेज के लिए, पैक्ड उपस्कर के रुप में पैकिंग सूची पाई/पृथक रुप में पाई गई थी।

5. आयोग के निष्कर्ष इस प्रकार हैं -- --- -------------------------------

6. शिकायत के समर्थन को पुष्ट करने वाले निम्नलिखित दस्तावेज, रिपोर्ट के साथ संलग्न है । (पैकिंग सूची, खराब स्पोर्टस् की फोटो और अन्य)------------------------

अध्यक्ष-------------

सदस्य ----------

जारी करने की तिथि एवं स्थान ------------

<u>**डीपीएम फार्म - 23**</u>

<u>गुणवत्ता दावा प्रपत्र</u>

संविदा संख्या ------------------
दिनांक ------------------------
दावा नयाचार संख्या------------------------
निर्धारण (दावा किए गए उपस्कर का नाम) से संबंधित

आयोग सदस्य------------------------------------
अध्यक्ष -------------------------------- ---

आयोग दावा किए गए उपस्कर से परिचित है और आयोग ने निम्नलिखित निर्णए दिए हैं:-

1. --क्रम संख्या (उपस्कर)
द्वारा प्रस्तुत/उत्पादन -------------------------- विनिर्माता द्वारा निर्मित ----------------
----
(विनिर्माण की तिथि)
काम के घंटों की संख्या --अवधि की गारंटी के साथ (पूर्ण हो चुके) --(वर्ष महीने)
संक्रिया के आरंभ में, उत्पाद ---------घंटों के लिए प्रचालन में रहा ।

2. उपस्कर की प्रचालन अवस्थाओं को दर्शाइये ---
--(उपस्कर के प्रचालन के दौरान उपयोग किए गए तेल और ईंधन का प्रकार बताईये)

3. खराबी का वर्णन -- (तिथि और परिस्थितियाँ जिसके अंतर्गत खराबी को अभिनिश्चित किया गया, दोष के संभावित परिणाम और संभावित कारणों का संक्षिप्त वर्णन)

4. यूनिटों की सूची
(प्रचालन के दौरान जब तक विक्रेता के अनुदेश प्राप्त नहीं होंगे, खराब उपस्कर इस संगठन के गोदाम में रहेंगे ।

5. आयोग के निष्कर्ष --

(छानबीन करने पर आयोग ने निर्णय लिया है कि दावा किया गया उपस्कर सेवा लेने लायक नहीं है तथा उसे मरम्मत की आवश्यकता है अथवा उसे नये उपस्कर से बदला जाना चाहिए । मरम्मत का प्रकार और स्थान जहां मरम्मत की जाएगी, बताए जा रहे हैं)

उपस्कर (अथवा पुर्जे) के निम्नलिखित भागों/पुर्जों की मरम्मत की आवश्यकता है : --------------------
----

यह खराबी ---------------------------------- गारंटी की अवधि के भीतर निम्नलिखित कारणों से हुई है ---
----

उपस्कर अथवा इसके पुर्जों की मरम्मत की कीमत --

यह खराबी ---------------------------------- गारंटी की अवधि के भीतर निम्नलिखित कारणों से हुई है ---
--- मरम्मत की कीमत (-------------विनिर्माता/मालिक------------ के नामे डाली जाएगी ।

दावे को निबटाने के लिए विक्रेता द्वारा उपस्कर को बदलना होगा और यूनिट व अन्य पुर्जों को भिजवाना होगा, पुर्जे तथा स्थान जहां मरम्मत होनी है, (विनिर्माता का स्थान), उपस्कर की मरम्मत से संबंधित कीमत के पुनर्भुगतान का तरीका इत्यादि दर्शाना होगा ।

अनुपूरक आँकड़े:

उपस्कर दिनांक ------------------- संख्या --------------------------------- की अनुरुपता के साथ सौपा जाएगा ।

इस दावे के औचित्य के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज इस दावे के नयाचार के साथ संलग्न किए जांएगे (फोटो, नमूना, विश्लेषण के परिणाम, शीट इत्यादि)

आयोग के सदस्यों के हस्ताक्षर

टी ई सी रिपोर्ट का प्रारुप

आरएफपी विनिर्देशों के पैरा	प्रस्तावित मशीन के विनिर्देश	आरएफपी विनिर्देशों का अनुपालन : हाँ या नहीं	अनुपालन न करने के मामले में आर एफ पी विनिर्देशों के विचलन को स्पष्ट शर्तों में दर्शाया जाए।
1	2	3	4

<u>डीपीएम फार्म - 25</u>

<u>कीमत विश्लेषण का प्रारुप</u>

<table>
<tr><td>विभाग/विंग</td><td>निर्धारित कीमत दरों के ब्यौरे

(लाख रुपए में)</td><td colspan="3"><u>परिशिष्ट-I</u>
<u>उत्पादन</u>
<u>दर का आधार वर्ष</u>
<u>मात्रा</u></td></tr>
<tr><td>क्रम संख्या</td><td>ब्यौरा</td><td>पिछला वर्ष रुपए</td><td>दर का वर्ष रुपए</td><td>टिप्पणी</td></tr>
<tr><td>1</td><td>सामग्री</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.1</td><td>आयातित
(i) कच्चा माल अस्वीकृति [(i) पर ------%]
(ii) खरीदी गई मदें
अस्वीकृति (ii) पर -------%)
उप जोड़ -- 1.1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.2</td><td>देशज
i) कच्चा माल
अस्वीकृत [(i) पर -----%]
ii) खरीदी गई मदें
अस्वीकृत [(ii) पर -----%]
iii) ए टी एफ
उप जोड़ - 1.2
जोड़ - 1.1 + 1.2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.3</td><td>भाड़ा और बीमा प्रभार
[(1.1+1.2) का ------%]</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.4</td><td>भंडारण और उठाने-रखने का खर्च
[(1.1+1.2) का -------%]

माल की लागत उप - जोड़- 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>रुपांतरण कीमत
श्रम घंटे X एम0एच0आर
उप जोड़ -2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>गैर- आवर्ती लागत
उप जोड़ - 3</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>विविध प्रत्यक्ष प्रभार
उप जोड़ - 4</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

5	वित्तीयन लागत उप जोड़ - 5			
6	उप जोड़ (1 से 5 तक) का कुल योग			
7	वारंटी लागत (6 का ---------%)			
8	कुल लागत (6+7)			
9	लाभ (8 का ----%)			
10	विक्रय मूल्य (8+9)			

डीपीएम फार्म - 26

एफ ओ बी/एफ ए एस/सी आई एफ अनुबंध के लिए सुपुर्दगी अवधि के विस्तार हेतु आदर्श संशोधन पत्र

देय पंजीकृत पावती
क्रेता का पता

सेवा में,
मैसर्स----------------------------

विषय:- ---------------- की आपूर्ति के लिए, आपको दिया गया, इस कार्यालय का दिनांक ------ का अनुबंध संख्या -------------------

संदर्भ: दिनांक ----------------- का आपका पत्र संख्या ---------------------

महोदय,

आप, ------------------- तक अंतिम रुप से विस्तारित किए गए अनुबंध सुपुर्दगी अवधि/सुपुर्दगी अवधि के भीतर वस्तुओं को/वस्तुओं की समस्त मात्रा को वितरित करने में असफल हुए हैं। आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र में, आपने सुपुर्दगी के लिए विस्तार/आगे के विस्तार के लिए कहा है । आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र में दी गई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुपुर्दगी के समय को ------(अंतिम सुपुर्दगी अवधि) से ---------(वर्तमान में सहमत हुई सुपुर्दगी अवधि) तक बढ़ाया जाता है ।

2. कृपया ध्यान दें कि अनुबंध की --------शर्तों के अनुसार मूल अनुबंध सुपुर्दगी तिथि/अंतिम बिना शर्त पुनर्निर्धारित सुपुर्दगी तिथि (जैसे और जहां लागू हों) के अतिरिक्त, प्रत्येक सप्ताह अथवा उसके किसी भाग के देरी (उपर्युक्त शर्त में दी गई अंतिम सीमा के अनुसार) के लिए विलंबित वस्तुओं की सुपुर्दगी मूल्य के लिए ---प्रतिशत (------प्रतिशत) के बराबर की राशि अर्थात ------------- परिनिर्धारित क्षति के रुप में आपसे वसूली जाएगी ।

3. सुपुर्दगी तिथि का उपर्युक्त विस्तार, आगे की स्थिति के अनुसार, किसी स्तर पर मूल्य में वृद्धि के लिए अनुबंध में किसी शर्त के बावजूद, ऐसी किसी वृद्धि जो ------------- के बाद हुई हो, उक्त तिथि के बाद वितरित ऐसी उक्त वस्तुओं के लिए स्वीकार्य होंगी । परंतु फिर भी, क्रेता, किसी भी आधार पर मूल्य में हुई किसी गिरावट का लाभ पाने के हकदार होगा (मूल्य भिन्नता प्रभाव सहित, यदि अनुबंध में शामिल हो) जो ऊपर दी हुई तिथि ------की समाप्ति के बाद हुआ है ।

4.	आपको, इस संशोधन पत्र के जारी होने के 15 दिनों के भीतर -------- (वर्तमान वैधता तिथि) से ------------ तक (आवश्यक विस्तारित तिथि) अनुबंध के लिए कार्य निष्पादन गारंटी की वैध अवधि भी बढ़ानी आवश्यक होगी ।

5.	कृपया, इस पत्र के जारी होने के 10 दिनों के भीतर इस संशोधन पत्र की बिना शर्त स्वीकृति सूचित करें; जिसके न होने पर अनुबंध को आपके बिना किसी आगे संदर्भ दिए आपके जोखिम और खर्च पर रद्द कर दिया जाएगा ।

6.	अनुबंध की अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

भवदीय

(--------------------)
---------------के लिए और की ओर से

प्रति प्रेषित:-
(टिप्पणी:- विचाराधीन मामले के लिए जो प्रविष्टियां लागू नहीं है उन्हें हटा दिया जाए)

डीपीएम फार्म - 27

एफ ओ बी/एफ ए एस/सी आई एफ अनुबंध के अलावा अन्य अनुबंध के लिए सुपुर्दगी अवधि के विस्तार हेतु आदेश संशोधन पत्र

देय पंजीकृत पावती
क्रेता कार्यालय का पता

सेवा में,
मैसर्स---------------------------

विषय:- ---------------- की आपूर्ति के लिए, आपको दिया गया, इस कार्यालय का दिनांक ------ का अनुबंध संख्या -------------------

संदर्भ: आपका दिनांक ----------------- का आपका पत्र संख्या ---------------------

महोदय,

1. आप, ------------------- तक अंतिम रुप से विस्तारित किए गए अनुबंध सुपुर्दगी अवधि/सुपुर्दगी अवधि के भीतर वस्तुओं को/वस्तुओं की समस्त मात्रा को वितरित करने में असफल हुए हैं। आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र में, आपने सुपुर्दगी के लिए विस्तार/आगे के विस्तार के लिए कहा है । आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र में दी गई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुपुर्दगी के समय को ------(अंतिम सुपुर्दगी अवधि) से ---------(वर्तमान में सहमत हुई सुपुर्दगी अवधि) तक बढ़ाया जाता है ।

2. कृपया ध्यान दें कि अनुबंध की --------शर्तों के अनुसार मूल अनुबंध सुपुर्दगी तिथि/अंतिम बिना शर्त पुनर्निर्धारित सुपुर्दगी तिथि (जैसे और जहां लागू हों) के अतिरिक्त, प्रत्येक सप्ताह अथवा उसके किसी भाग के देरी (उपर्युक्त शर्त में दी गई अंतिम सीमा के अनुसार) के लिए विलंबित वस्तुओं की सुपुर्दगी मूल्य के लिए ---प्रतिशत (------प्रतिशत) के बराबर की राशि अर्थात ------------- परिनिर्धारित क्षति के रुप में आपसे वसूली जाएगी ।

3. सुपुर्दगी तिथि का उपर्युक्त विस्तार, आगे की स्थिति की निम्नलिखित स्थितियों के अनुसार होगा:-

   (i) उक्त अनुबंध में निर्दिष्ट वस्तुओं क संबंध में, किसी वैधानिक वृद्धि के कारण, अथवा नए लगाए गए सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर अथवा अन्य किसी कर या शुल्क के कारण मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी जो ----------के बाद होगा और उक्त तिथि के बाद वितरित ऐसी उक्त वस्तुओं पर स्वीकार्य होगा।

(ii) किसी शर्त के बावजूद, ऐसी किसी वृद्धि जो ------------- के बाद हुई हो, उक्त तिथि के बाद वितरित ऐसी उक्त वस्तुओं के लिए स्वीकार्य होंगी ।

(iii) परंतु फिर भी, क्रेता, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर में कमी के कारण अथवा किसी अन्य कर या शुल्क या किसी अन्य आधार पर जिसमें मूल्य भिन्नता शर्त (यदि अनुबंध में शामिल है) का प्रभाव शामिल है, मूल्य में किसी कमी का हकदार होगा, जो उपर्युक्त तिथि ------------ की समाप्ति के बाकद होती है ।

4. आपको, इस संशोधन पत्र के जारी होने के 15 दिनों के भीतर -------- (वर्तमान वैधता तिथि) से ------------ तक (आवश्यक विस्तारित तिथि) अनुबंध के लिए कार्य निष्पादन गारंटी की वैध अवधि भी बढ़ानी आवश्यक होगी ।

5. कृपया, इस पत्र के जारी होने के 10 दिनों के भीतर इस संशोधन पत्र की बिना शर्त स्वीकृति सूचित करें; जिसके न होने पर अनुबंध को आपके बिना किसी आगे संदर्भ दिए आपके जोखिम और खर्च पर रद्द कर दिया जाएगा । अनुबंध की अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

भवदीय

(-------------------)
---------------के लिए और की ओर से

प्रति प्रेषित:-
(टिप्पणी:- विचाराधीन मामले के लिए जो प्रविष्टियां लागू नहीं है उन्हें हटा दिया जाए)

<u>**डीपीएम फार्म - 28**</u>

<u>कार्य निष्पादन सूचना के लिए प्रारुप</u>

देय पंजीकृत पावती
सेवा में,
मैसर्स ----------------

विषय:- --------------------- की आपूर्ति हेतु आपको दिए गए दिनांक ------------ का अनुबंध संख्या --------

महोदय,

1. उपर्युक्त संविदा की स्वीकृति के लिए आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार -----------पर या इससे पहले आपके द्वारा आपूर्तियां पूरी की जानी चाहिए। इस तथ्य के बावजूद कि अनुबंध में दी गई वस्तुओं की सुपुर्दगी का समय, अनुबंध का सार समझा जाता है, यह लगता है कि ------------- (बकाया वस्तुओं का विवरण) अभी भी बकाया है जबकि सुपुर्दगी की तिथि समाप्त हो चुकी है।

2. यद्यपि, ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं, सुपुर्दगी तिथि -----तक बढ़ाई जाती है और आप कृपया ध्यान दें कि एतद्द्वारा बढ़ाई गई सुपुर्दगी अवधि के भीतर, वस्तुओं को भेजने में असफल होने पर, अनुबंध को बकाया वस्तुओं के लिए आपके जोखिम और लागत पर रद्द कर दिया जाएगा।

3. --

भवदीय

(------------------),

के लिए -------------------------

डीपीएम फार्म - 29

अनुबंध भंग होने के बाद विक्रेता से पत्राचार के लिए आदर्श प्रारुप

देय पंजीकृत पावती
सेवा में,
मैसर्स ------------------

विषय : ----------------की आपूर्ति हेतु दिनांक -------का अनुबंध संख्या -------------

महोदय,

अनुबंध की सुपुर्दगी की तिथि ----------को समाप्त हो गई है । क्योंकि इसके समक्ष आपूर्तियां अभी तक पूरी नहीं की गई हैं, आपकी ओर से यह अनुबंध का उल्लंघन है । क्योंकि, इस अनुबंध के समक्ष पिछली आपूर्तियों से संबंधित जानकारी आवश्यक है, आपसे अनुरोध है कि अब तक आपूर्ति की गई मात्रा से संबधित ब्यौरे भेजें और वह मात्रा जिसका निरीक्षण हो चुका है परंतु अब तक भेजी नहीं गई है तथा सुपुर्दगी की तिथि के समाप्त होने से पहले वह मात्रा जिसके निरीक्षण के लिए अब तक संविदा नही दी गई है । उक्त सूचना, हमारे रिकार्ड के सत्यापन के लिए आवश्यक है और अनुबंध को चालू रखने के लिए अभीष्ट नहीं है तथा अनुबंध को भंग करने की अधित्याग नहीं करता ।

यह, इस संबंध मे लागू अनुबंध और कानून के अनुसार क्रेता को उपलब्ध अधिकारों और उपचारों के लिए बिना किसी पूर्वाग्रह के है ।

भवदीय

(------------------),
के लिए -------------------------